

राजस्थान सरकार

वन विभाग

# कार्य आयोजना वन मण्डल डूंगरपुर

(वर्ष 2012-13 से 2021-22)

द्वारा

श्री आर०के० सिंह

कार्य आयोजना अधिकारी, उदयपुर

निर्देशन

श्री के०सी० मीना,भा०व०से० वन संरक्षक,एम. एण्ड इ. उदयपुर

एवं

श्री राजीव गोयल,भा०व०से०

मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

श्री एस०के०जेन,भा०व०से०

मुख्य वन संरक्षक,का०आ०व०ब०

राज० जयपुर

मार्गदर्शन

श्री राहुल कुमार,भा०व०से०

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राज० जयपुर

# भाग 1

## प्रस्तावों के आधार के संक्षिप्त तथ्य

**(Summary of facts on which  
proposals are based)**

# भाग 2

## भावी वन प्रबंधन ँव निर्धारण

**(Future Management  
Discussed and Prescribed)**

# APPENDIX

## परिशिष्ट



# जिले मे पायी जाने वाली वनस्पति की सूची

## वृक्ष (Trees)

क्र. सं.	अन्तराष्ट्रीय / लैटीन नाम	स्थानीय नाम	कुल
1	<i>Acacia auriculiformis</i>	अकेसिया, दालमोट	<i>Mimosaceae</i>
2	<i>Acacia catechu</i> (L.f.) Willd.	खैर, खेड़ा	<i>Mimosaceae</i>
3	<i>Acacia ferruginea</i> DC.	कैगर खैर	<i>Mimosaceae</i>
4	<i>Acacia leucophloea</i> (Roxb.) Willd.	रोंझ, अरूँझिया	<i>Mimosaceae</i>
5	<i>Acacia nilotica</i> (Linn.) Willd.	बोलिळा, बबूल	<i>Mimosaceae</i>
6	<i>Acacia senegal</i> (Linn.) Willd.	कुमठा	<i>Mimosaceae</i>
7	<i>Adina cordifolia</i> (Willd. Ex Roxb.) Hook	हल्दु	<i>Rubiaceae</i>
8	<i>Aegle marmelos</i> (Linn.) Corr	बेल, बीली	<i>Rutaceae</i>
9	<i>Ailanthus excelsa</i> Roxb.	अरडू, पाबा	<i>Simarubaceae</i>
10	<i>Alangium salvifolium</i> (L.f.) Wangerin	अकोल	<i>Alangiaceae</i>
11	<i>Albizia lebbeck</i> (Linn.) Benth.	कालिया, काला सिरस	<i>Mimosaceae</i>
12	<i>Albizia odoratissima</i> (L.f.) Benth	कालिया	<i>Mimosaceae</i>
13	<i>Albizia procera</i> (Roxb.) Benth.	गुराड़, सफेद सिरस	<i>Mimosaceae</i>
14	<i>Anogeissus acuminata</i> (Roxb.ex DC.) Guill.	धोंक	<i>Combretaceae</i>
15	<i>Anogeissus latifolia</i> (Roxb.ex DC.) Wall.	धावडा	<i>Combretaceae</i>
16	<i>Anogeissus pendula</i> Edgew.	धोंक, कल्धी	<i>Combretaceae</i>
17	<i>Anogeissus sericea</i> Brandis	इन्द्रोक	<i>Combretaceae</i>
18	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss	नीम	<i>Meliaceae</i>
19	<i>Bauhinia racemosa</i> Lamk.	झींझा, हीतरा	<i>Caesalpiniaceae</i>
20	<i>Bauhinia variegata</i> Linn.	कचनार	<i>Caesalpiniaceae</i>
21	<i>Bombax ceiba</i> Linn.	सेमल, सेमला	<i>Bombacaceae</i>
22	<i>Boswellia serrata</i> Roxb.ex Coleb.	सालर	<i>Burseraceae</i>
23	<i>Bridelia retusa</i> (L.) Spreng.	अगणा, लम्पाण, लांपकणा	<i>Euphorbiaceae</i>
24	<i>Butea monosperma</i> (Lamk.) Taub.	खाखरा, पलास, छीला, ढाक	<i>Fabaceae</i>
25	<i>Butea monosperma</i> variety <i>leutea</i>	खाखरा पीला (फूल)	<i>Fabaceae</i>
26	<i>Casearia elliptica</i> Willd.	मुंजाल, चिल्ला	<i>Flacourtiaceae</i>
27	<i>Cassia fistula</i> Linn.	अमलतास, बरडावन, करमेला	<i>Caesalpiniaceae</i>
28	<i>Cassia siamea</i> Lam.	केसिया	<i>Caesalpiniaceae</i>
29	<i>Cordia dichotoma</i> Forst. f.	गून्दा, लसोडा	<i>Ehretiaceae</i>
30	<i>Cordia gharaf</i> (Forsk.) Ehrenb.	गुन्दी	<i>Ehretiaceae</i>

31	<i>Crateva religiosa</i> Forst.f.	वाहीवरना, वरना	<i>Capparaceae</i>
32	<i>Dalbergia latifolia</i> Roxb.	काला शिशम	<i>Fabaceae</i>
33	<i>Dalbergia paniculata</i> Roxb.	पर्ई, पेही, धोबन	<i>Fabaceae</i>
34	<i>Dalbergia sissoo</i> Roxb.	शीशम	<i>Fabaceae</i>
35	<i>Delonix elata</i> (L.) Gamble	सन्देसरा, सन्देडा	<i>Caesalpiniaceae</i>
36	<i>Delonix regia</i> (Bojer) Raf.	गुलमोहर	<i>Caesalpiniaceae</i>
37	<i>Diospyros melanoxylon</i> Roxb.	टीमरू, तेन्दू	<i>Ebenaceae</i>
38	<i>Diospyros montana</i> Roxb.	गांगली, विषतेंदु	<i>Ebenaceae</i>
39	<i>Dolichandrone falcata</i> (Wall. Ex DC.) Seem.	मीठोल, मीन्डला	<i>Bignoniaceae</i>
40	<i>Ehretia laevis</i> Roxb.	तम्बोलिया	<i>Ehretiaceae</i>
41	<i>Eriolaena hookeriana</i> Wight & Arn.	गादिया सागवान, बूटी	<i>Sterculiaceae</i>
42	<i>Erythrina variegata</i> L.var. <i>orientalis</i> (L.)Merr.	गधापलास	<i>Fabaceae</i>
43	<i>Erythrina suberosa</i> Roxb.	बोलाबोदलिया	<i>Fabaceae</i>
44	<i>Eucalyptus species</i>	नीलगिरि, सफेदा	<i>Myrtaceae</i>
45	<i>Feronia limonia</i> (L.) Swingle	कोटबडी, कैथ	<i>Rutaceae</i>
46	<i>Ficus arnottiana</i> (Miq.) Miq.	पिम्पली,पाल्ही,पहाडी पिपल	<i>Moraceae</i>
46	<i>Ficus benghalensis</i> Linn.	वडला, बड, बरगद	<i>Moraceae</i>
47	<i>Ficus racemosa</i> Linn.	गुलर, उमर	<i>Moraceae</i>
48	<i>Ficus religiosa</i> Linn.	पीपल	<i>Moraceae</i>
49	<i>Ficus virens</i> Ait.	पीलक, पीलखण	<i>Moraceae</i>
50	<i>Gardenia turgida</i> Roxb.	पडेरी	<i>Rubiaceae</i>
51	<i>Garuga pinnata</i> Roxb.	करपटा	<i>Burseraceae</i>
52	<i>Gmelina arborea</i> Roxb.	हवन, सेवण	<i>Verbenaceae</i>
53	<i>Grewia tiliifolia</i> Vahl.	धामन	<i>Tiliaceae</i>
54	<i>Holoptelea integrifolia</i> (Roxb.) Planch.	कणजी, कंजडी, बन्दरबाटी, चुरैल	<i>Ulmaceae</i>
55	<i>Hymenodictyon excelsum</i> Roxb.	लूणिया	<i>Rubiaceae</i>
56	<i>Jacaranda mimosaeifolia</i> D.Don	जकरन्डा	<i>Bignoniaceae</i>
57	<i>Kydia calycina</i> Roxb.	कपासिया, पुला, राबडी	<i>Malvaceae</i>
58	<i>Lagerstroemia parviflora</i> Roxb.	कलहारिया, काकडियो	<i>Lythraceae</i>
59	<i>Lannea coromandelica</i> (Houtt.) Merrill	गोदल, गुर्जन	<i>Anacardiaceae</i>
60	<i>Madhuca indica</i> J. F. Gmelin	महुआ	<i>Sapotaceae</i>
61	<i>Mallotus philippensis</i> (Lam.) Muell.-Arg	रोली, सिन्दुरी	<i>Euphorbiaceae</i>
62	<i>Mangifera indica</i> Linn.	आम	<i>Anacardiaceae</i>
63	<i>Melia azedarach</i> Linn.	बकायन	<i>Meliaceae</i>
64	<i>Milusa tomentosa</i> (Roxb.) J.Sinclair	उम्बिया, करी	<i>Anonaceae</i>
65	<i>Mimusops elengi</i> Linn.	मोरसली	<i>Sapotaceae</i>

66	<i>Mitragyna parvifolia</i> (Roxb.) Korth.	कलम, कीमडा	<i>Rubiaceae</i>
67	<i>Morinda tomentosa</i> Heyne ex Roth	आल	<i>Rubiaceae</i>
68	<i>Moringa concanensis</i> Nimmo ex Dalz. & Gibs.	हिंगवा, सैजना	<i>Moringaceae</i>
69	<i>Oroxylum indicum</i> (Linn.) Vent.	फर्री, टेंटु	<i>Bignoniaceae</i>
70	<i>Ougeinia oogeinsis</i> (Roxb.) Hochr.	तिन्सा, तनस	<i>Fabaceae</i>
71	<i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb.	खजूर	<i>Arecaceae</i>
72	<i>Phyllanthus emblica</i> Linn.	ऑवला	<i>Euphorbiaceae</i>
73	<i>Pithecellobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	कीकर, जंगल जलेबी	<i>Mimosaceae</i>
74	<i>Polyalthia longifolia</i> (Sonnerat) Thw.	आसापाला, अशोक	<i>Anonaceae</i>
75	<i>Pongamia pinnata</i> (Linn.) Pierre	करंज, कणजी	<i>Fabaceae</i>
76	<i>Prosopis cineraria</i> (L.) Druce	समेला, खेजड़ी	<i>Mimosaceae</i>
77	<i>Pterocarpus marsupium</i> Roxb.	बीजा	<i>Fabaceae</i>
78	<i>Putranjiva roxburghii</i> Wall.	अड़कचन्दन, जियापोता	<i>Euphorbiaceae</i>
79	<i>Salvadora oleoides</i> Decne.	पीलु, खाराजाल	<i>Salvadoraceae</i>
80	<i>Salvadora persica</i> Linn.	पीलु, मीठाजाल	<i>Salvadoraceae</i>
81	<i>Santalum album</i> Linn.	चन्दन	<i>Santalaceae</i>
82	<i>Sapindus laurifolius</i> Vahl.	अरीठा	<i>Sapindaceae</i>
83	<i>Schrebera swietenoides</i> Roxb.	मोखा	<i>Oleaceae</i>
84	<i>Soymida febrifuga</i> (Roxb.) A. Juss.	रोहण	<i>Meliaceae</i>
85	<i>Sterculia urens</i> Roxb.	कड़ाया	<i>Sterculiaceae</i>
86	<i>Stereospermum colais</i> (Buch.-Ham. ex Dill.) Mavv.	पाडल, पाडर	<i>Bignoniaceae</i>
87	<i>Syzygium cumini</i> (Linn.) Skeels	जामुन	<i>Myrtaceae</i>
88	<i>Syzygium heyneanum</i> (Duthie) Wall. ex Gamble	कठ जामुन	<i>Myrtaceae</i>
89	<i>Tamarindus indica</i> Linn.	इमली	<i>Caesalpiniaceae</i>
90	<i>Tecomella undulata</i> (Sm.) Seem.	रोहिडा	<i>Bignoniaceae</i>
91	<i>Tectona grandis</i> L. f. Suppl	सागडा, सागवान	<i>Verbenaceae</i>
92	<i>Terminalia arjuna</i> (Gaertn.) Roxb.	अर्जुन	<i>Combretaceae</i>
93	<i>Terminalia tomentosa</i> Wight & Arn	सादड	<i>Combretaceae</i>
94	<i>Toona ciliata</i> Roem.	तून	<i>Meliaceae</i>
95	<i>Wrightia tinctoria</i> (Roxb.) R.Br.	खिरनी, दूधी, वेरा, खन्नी	<i>Apocynaceae</i>
96	<i>Wrightia arborea</i> (Dennst.) Mabb.	खिरना, दूधी, खन्नी	<i>Apocynaceae</i>
97	<i>Ziziphus xylopyrus</i> (Retz.) Willd.	घटबोर	<i>Rhamnaceae</i>

## ख-छोटे वृक्ष, झाड़ियाँ (Under trees, shrubs)

क.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय (लैटीन) नाम	स्थानीय नाम	कुल
1	<i>Abutilon ramosum</i> (Cav.) Guill. & Perr.	पीथारिया	Malvaceae
2	<i>Acacia Jacquemontii</i> Benth.	बौली	Mimosaceae
3	<i>Adhatoda vasica</i> Nees	अडूसा	Acanthaceae
4	<i>Annona squamosa</i> Linn.	सीताफल	Annonaceae
5	<i>Artemisia scoparia</i> Waldst. & Kit.	सीताबनी	Asteraceae
6	<i>Balanites aegyptiaca</i> (L.) Delile	हिंघोट	Simaroubaceae
7	<i>Caesalpinia bonduc</i> (L.) Roxb.	कटककरंज, खरकोन्दा, कौटाबेल	Caesalpiniaceae
8	<i>Caesalpinia decapetala</i>	तुरमची	Caesalpiniaceae
9	<i>Calotropis gigantea</i> (L.) R.Br.	आकडा, शिवआर्क	Asclepiadaceae
10	<i>Calotropis procera</i> R.Br.	आकडा, मदार	Asclepiadaceae
11	<i>Capparis decidua</i> (Forssk.) Edgew.	कैर, करील	Capparaceae
12	<i>Capparis sepiaria</i> Linn.	कंधेर, कंधार	Capparaceae
13	<i>Capparis spinosa</i> Linn.	कलवारिया, काबर	Capparaceae
14	<i>Carissa spinarum</i> Linn.	कमदी, करोन्दा	Apocynaceae
15	<i>Cassia auriculata</i> Linn.	ऑवल	Caesalpiniaceae
16	<i>Clerodendrum phlomidis</i> Linn.f.	अरनी	Verbenaceae
17	<i>Commiphora wightii</i> (Arn.) Bhandari	गूगल	Burseraceae
18	<i>Corchorus trilocularis</i> Linn.	कोश्ता, कागली तम्बाकू, कराक	Tiliaceae
19	<i>Crotalaria burhia</i> Buch.-Ham.ex Benth.	करसाना, सिणिया, बॉसी, गुलालि	Fabaceae
20	<i>Crotalaria L, Herbacious species</i>	बांसी, गुलालि आदि	Fabaceae
21	<i>Dendrocalamus strictus</i> (Roxb.) Nees	बॉस	Poaceae
22	<i>Dendrophoe falcata</i> (L.f.) Etting. (Brnach parasite)	बॉदा	Loranthaceae
23	<i>Dichrostachys cineria</i> (L.) Wight & Arn.	गोयाखैर, अमीणा	Mimosaceae
24	<i>Ensete superbum</i>	केला (जंगली), चौ	Musaceae
25	<i>Euphorbia nivulia</i> Buch. & Ham.	घोटाथौर, थोर	Euphorbiaceae
26	<i>Ficus hispida</i> L.f.	कटुमर, घौटेर, कालमुंगरी	Moraceae
27	<i>Flacourtia indica</i> (Burm.f.) Merrill	काकण, काकोण	Flacourtiaceae
28	<i>Flemingia congesta</i> Roxb.ex Aiton	वन अरहड़	Fabaceae
29	<i>Grewia flavescens</i> A.Juss.	काली स्याली	Tiliaceae
30	<i>Grewia hirsuta</i> Vahl	फरांगणी	Tiliaceae
31	<i>Grewia tenax</i> (Forsk.) Fiori	गेंगसी, गंगेडन	Tiliaceae

32	<i>Grewia villosa</i> Willd	डोल्कन, बन फालसा	<i>Tiliaceae</i>
33	<i>Helicteres isora</i> Linn.	मरोडफली	<i>Sterculiaceae</i>
34	<i>Holarrhena pubescens</i> (Buch.-Ham) Wall.ex G Don(Syn.Holarrhena antidyenterica Wall.ex A.DC.)	कडुआ, इन्द्रजो, दुधी	<i>Apocynaceae</i>
35	<i>Ipomoea fistulosa</i> (Mart. ex Choisy) Austin	बेशर्म, गौडा, रूखडा	<i>Convolvulaceae</i>
36	<i>Ixora arborea</i> Roxb.	इमना, राइकुडा, जिलपाइ	<i>Rubiaceae</i>
37	<i>Jatropha curcas</i> Linn.	रतनजोत	<i>Euphorbiaceae</i>
38	<i>Jatropha gossypifolia</i> Linn.	रतनजोती	<i>Euphorbiaceae</i>
39	<i>Lantana camara</i> Linn.	बेवाण, लेंटाना	<i>Verbenaceae</i>
40	<i>Lantana wightiana</i> Wall.ex Gamble	बेवाण, लेंटाना	<i>Verbenaceae</i>
41	<i>Leptadenia pyrotechnica</i> (Forsk.) Decna	खींप, खीम्परा	<i>Asclepiadaceae</i>
42	<i>Maytenus emarginatus</i> (Willd.) Ding Hou	कंकडेडा, कूकर,	<i>Celastraceae</i>
43	<i>Mimosa hamata</i> Willd.	बन्दर की राखी, लीप्टी	<i>Mimosaceae</i>
44	<i>Mimosa himalayana</i> Gamble	झीझनी, हजेरा, स्याहकाटो	<i>Mimosaceae</i>
45	<i>Nerium oleander</i> Linn.	कनेर लाल	<i>Apocynaceae</i>
46	<i>Nyctanthes arbor-eristis</i> Linn.	टामट, हारसिंगार	<i>Oleaceae</i>
47	<i>Ocimum gratissimum</i> Linn.	वन तुलसी	<i>Lamiaceae</i>
48	<i>Opuntia dillenii</i> (Ker-Gawler) Haworth	नागफनी, थापाथोर	<i>Cactaceae</i>
49	<i>Pavonia odorata</i> Willd.	चौच कामडी	<i>Malvaceae</i>
50	<i>Plumbago zeylanica</i> Linn.	चित्रक, चित्रावल	<i>Plumbaginaceae</i>
51	<i>Pogostemon benghalense</i> (Burm.f.) O.Ktze.	वन तुलसा	<i>Lamiaceae</i>
52	<i>Prosopis juliflora</i> (Swartz) DC.	विलायती बबूल	<i>Mimosaceae</i>
53	<i>Pupalia lappacea</i> (L.) Juss.	चिरचिटा	<i>Amaranthaceae</i>
54	<i>Rhus mysurensis</i> G.Don	डासरण	<i>Anacardiaceae</i>
55	<i>Sarcostemma viminale</i> (L.) R.Br.	खरसरा, साभंरबेल	<i>Asclepiadaceae</i>
56	<i>Securinega leucopyrus</i> (Willd.) Muell.- Arg.	हेल्पी	<i>Euphorbiaceae</i>
57	<i>Tamarix ericoides</i> Rottl.	झाउ	<i>Tamaricaceae</i>
58	<i>Tephrosia candida</i> DC.	बासूनी	<i>Fabaceae</i>
59	<i>Thespesia lampas</i> (Cav.) Dalz. & Gibs.	बन कपास	<i>Malvaceae</i>
60	<i>Urgenia indica</i> (Roxb.) Kunth	कोली कान्दा	<i>Liliaceae</i>
61	<i>Viscum articulatum</i> Burm.f. (Stem-parasite)	बॉन्दा	<i>Loranthaceae</i>
62	<i>Vitex negundo</i> Linn.	नेगड़, निर्गुन्डी	<i>Verbenaceae</i>
63	<i>Woodfordia frutitosa</i> (L.) Kuntz	धाय	<i>Lythraceae</i>

64	<i>Xanthium strumarium</i> Linn.	आँधीडा, आधाशीशी	<i>Asteraceae</i>
65	<i>Ziziphus mauritiana</i> Lam.	बडाबोर, बोर	<i>Rhamnaceae</i>
66	<i>Ziziphus nummularia</i> (Burm. f.) Wight & Arn.	चणबोर, झाडी बैर	<i>Rhamnaceae</i>
67	<i>Ziziphus oenoplia</i> (L.) Miller	बोर	<i>Rhamnaceae</i>

## छोटी झाड़ियाँ एवं शाक (Under shrubs and Herbs)

क्र.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय (लैटीन) नाम	स्थानीय नाम	कुल
1	<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.	काँटी	<i>Asteraceae</i>
2	<i>Achyranthes aspera</i> Linn.	आँधी जाडा	<i>Amaranthaceae</i>
3	<i>Aerva javanica</i> (Burm.f.) Juss. ex Schult.	बुइ	<i>Amaranthaceae</i>
4	<i>Agave americana</i> Linn.	राम बाँस	<i>Agavaceae</i>
5	<i>Ageratum conyzoides</i> Linn.	उँचती, भकुम्बर	<i>Asteraceae</i>
6	<i>Alhagi maurorum</i> Medic.	जवासा	<i>Fabaceae</i>
7	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.	ग्वारपाठा	<i>Liliaceae</i>
8	<i>Amaranthus spinosus</i> Linn.	जंगली काँटेवालीचोलाई, राजगिरा	<i>Amaranthaceae</i>
9	<i>Argemone mexicana</i> Linn.	सत्यानासी, पीला धतुरा	<i>Papaveraceae</i>
10	<i>Barleria cristata</i> Linn.	वज्रदन्ती (नीली)	<i>Acanthaceae</i>
11	<i>Barleria prionitis</i> Linn.	वज्रदन्ती (पीली)	<i>Acanthaceae</i>
12	<i>Borreria pusilla</i> (Wall.) DC.	सटगठिया, गांठिया	<i>Rubiaceae</i>
13	<i>Cassia occidentalis</i> Linn.	कसौंदी, तालका, चकुन्दरा	<i>Caesalpiniaceae</i>
14	<i>Cassia tora</i> Linn.	पुंवाड	<i>Caesalpiniaceae</i>
15	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urban	ब्राह्मी-बूटी, मण्डूक पर्णी	<i>Apiaceae</i>
16	<i>Chlorophytum tuberosum</i> (Roxb.) Baker	सफेद मूसली	<i>Liliaceae</i>
17	<i>Commelina benghalensis</i> Linn.	बोकना, बोकनिया	<i>Commelinaceae</i>
18	<i>Corchorus trilocularis</i> Linn.	कोशता, कागली तम्बाकू, कराक	<i>Tiliaceae</i>
19	<i>Curculigo orchoides</i> Gaertn.	काली मूसली	<i>Hypoxidaceae</i>
20	<i>Datura fastuosa</i> Linn.	काला धतूरा	<i>Solanaceae</i>
21	<i>Datura ferox</i> Linn.	धतूरा	<i>Solanaceae</i>
22	<i>Darura innoxia</i> Mill.	धतूरा	<i>Solanaceae</i>
23	<i>Desmodium gangeticum</i> (L.) DC.	शालपर्णी	<i>Fabaceae</i>

24	<i>Digera muricata</i> ( Linn.) Mart.	सरवाली कुकड़ी, लेहसुआ, खंजरू	<i>Amaranthaceae</i>
25	<i>Dyerophytum indicum</i> (Gibs. ex Wt.) O.Ktze	चितावल	<i>Plumbaginaceae</i>
26	<i>Echinops echinatus</i> Roxb.	ऊँटकटेली	<i>Asteraceae</i>
27	<i>Eclipta alba</i> (Linn.) Hassk.	भुंगराज, भोंगरा	<i>Asteraceae</i>
28	<i>Enicostema axillare</i> (Lam.)	नवरी,छोटा चिरायता, मामेज्वो	<i>Gentianaceae</i>
28	<i>Euphorbia chamaesyce</i> Linn.	दुधी	<i>Euphorbiaceae</i>
29	<i>Euphorbia granulata</i> Forsk.	दूधेली	<i>Euphorbiaceae</i>
30	<i>Euphorbia hirta</i> Linn.	दूधी	<i>Euphorbiaceae</i>
31	<i>Euphorbia indica</i> Lam.	दुधाली	<i>Euphorbiaceae</i>
32	<i>Euphorbia thymifolia</i> Linn.	दुधी	<i>Euphorbiaceae</i>
33	<i>Fagonia indica</i> Burm. f.	धमासा	<i>Zygophyllaceae</i>
34	<i>Glinus lotoides</i> Linn.	सतियालेटी, बाकडा	<i>Molluginaceae</i>
35	<i>Hygrophila auriculata</i> (Schum.) Heine	तालमखाना, उंटकटेला	<i>Acanthaceae</i>
36	<i>Indigofera caerulea</i> Roxb.	नील	<i>Fabaceae</i>
37	<i>Indigofera cordifolia</i> Heyne ex Roth	बेकर, मेह-फूली	<i>Fabaceae</i>
38	<i>Indigofera hochstetteri</i> Baker	बेकरियों, आडियो बेकरियो	<i>Fabaceae</i>
39	<i>Indigofera linifolia</i> (L. f.) Retz.	बेकरी, पन्डारफली	<i>Fabaceae</i>
40	<i>Indigofera oblongifolia</i> Forsk.	कुँआरा	<i>Fabaceae</i>
41	<i>Indigofera tinctoria</i> Linn.	नील	<i>Fabaceae</i>
42	<i>Lepidagathis cristata</i> Willd.	ऐवलकांगिओ	<i>Acanthaceae</i>
43	<i>Lepidagathis hamiltoniana</i> Wall.ex Ness	कटेली	<i>Acanthaceae</i>
44	<i>Lepidagathis trinervis</i> Wall.ex Ness	पत्थरफोड	<i>Acanthaceae</i>
45	<i>Martynia annua</i> Linn.	बाघनखी	<i>Martyniaceae</i>
46	<i>Mollugo pentaphylla</i> Linn.	चिड़ियों का धनिया	<i>Molluginaceae</i>
47	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	कमल	<i>Nelumbonaceae</i>
48	<i>Ocimum canum</i> Sims.	बापची	<i>Lamiaceae</i>
49	<i>Oxalis corniculata</i> Linn.	त्रिपत्ती, खटी-बूँटी	<i>Oxalidaceae</i>
50	<i>Parthenium hysterophorus</i> Linn.	गाजर घास	<i>Asteraceae</i>
51	<i>Peristrophe paniculata</i> (Forsk.) Brummitt	कगलेर	<i>Acanthaceae</i>
52	<i>Sesamum indicum</i> Linn.	जंगली तिल	<i>Pedaliaceae</i>
53	<i>Sida acuta</i> Burm. f.	बला	<i>Malvaceae</i>
54	<i>Sida ovata</i> Forssk. Fl.	खरैटी, डाबी	<i>Malvaceae</i>
55	<i>Solanum nigrum</i> Linn.	मकोय, चिरपोटी	<i>Solanaceae</i>

56	<i>Sphaeranthus indicus</i> Linn.	गोरख-मुण्डी ,मुण्डी	<i>Asteraceae</i>
57	<i>Tephrosia purpurea</i> (L.) Pers.	झोझरू, सरपंखा	<i>Fabaceae</i>
58	<i>Tribulus terrestris</i> Linn.	गोरखरू	<i>Zygophyllaceae</i>
59	<i>Tridax procumbens</i> Linn.	कुमरू, रक्तास्तम्भी	<i>Asteraceae</i>
60	<i>Typha angustata</i> Bory & Chaub.	एरा-पटेरा	<i>Typhaceae</i>
61	<i>Typha elephantina</i> Roxb.	एरा	<i>Typhaceae</i>
62	<i>Withania somnifera</i> ( Linn.) Dunal	असगन्ध	<i>Solanaceae</i>
63	<i>Zenia elegana</i>	गन्दफूल	<i>Asteraceae</i>

## लतायें एवं काष्ठ लताय (Climbers and lianas)

क्र. सं.	अन्तर्राष्ट्रीय (लैटिन) नाम	स्थानीय नाम	कुल
1	<i>Abrus precatorius</i> Linn.	रत्ती, चिरमी, चिरमू	<i>Fabaceae</i>
2	<i>Acacia pennata</i> (L.) Willd	ऐली, अराल	<i>Mimosaceae</i>
3	<i>Acacia sinuata</i> (Lour.) Merr.	शिकाकाई	<i>Mimosaceae</i>
4	<i>Ampeloeissus latifolia</i> (Roxb.) Planch.	खाटोलीम्बो, मूसल	<i>Vitaceae</i>
5	<i>Argyreia nervosa</i> (Burm.f.) Bojer	तॉम्रवेल	<i>Convolvulaceae</i>
6	<i>Argyreia stigosa</i> (Roth) Roberty	—	<i>Convolvulaceae</i>
7	<i>Aristolochia bracteata</i> Retz.	हुक्काबेल	<i>Artistolochiaceac</i>
8	<i>Asparagus racemosus</i> Willd.	नाहरकांटा, शतावरी	<i>Liliaceae</i>
9	<i>Cayratia trifolia</i> (L.) Domin	कतूम्बा, चार	<i>Vitaceae</i>
10	<i>Celastrus paniculata</i> Willd.	माल कांगनी	<i>Celastraceae</i>
11	<i>Ceropegia hirsuta</i> Wight & Arn.	खडूला	<i>Asclepiadaceae</i>
12	<i>Cissampelos pereira</i> L.	पहाड बेल, पाडबेल	<i>Menispermaceae</i>
13	<i>Cissus repanda</i> Vahl	खाटोलीम्बो, भांसाताट	<i>Vitaceae</i>
14	<i>Coccinia grandis</i> (L.) J.O.Voigt	कुन्दरू, गोल	<i>Cucurbitaceae</i>
15	<i>Cocculus hirsutus</i> (L.)Diels	जल जमनी, बाजरबेल	<i>Menispermaceae</i>
16	<i>Corallocaarpus epigaeus</i> (Rottl.&Willd.) Hook.f.	मिर्चिया कंद, मरस्यू	<i>Cucurbitaceae</i>
17	<i>Cryptolepis buchananii</i> Roen.& Schult.	गेंडासिंगी, करमाता की बेल	<i>Periplocaceae</i>
18	<i>Cryptostegia grandiflora</i> R.Br.	दूधी, रबड बेल	<i>Periplocaceae</i>
19	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>momordica</i> Duthie & Fuller	काचरी (खानेयोग्य)	<i>Cucurbitaceae</i>
20	<i>Cucumis prophetarum</i> L.	काचरी (फल पर नर्म काँटे)	<i>Cucurbitaceae</i>



21	<i>Cucumis setosus</i> Cong.	काचरी (फल पर तीक्ष्ण काँटे)	<i>Cucurbitaceae</i>
22	<i>Cuscuta hylina</i> Heyne ex Roth (Stem parasite)	अमर बेल	<i>Cuscutaceae</i>
23	<i>Cuscuta reflexa</i> Roxb. (Stem parasite)	अमर बेल	<i>Cuscutaceae</i>
24	<i>Dioscorea bulbifera</i> (Linn.)	कान्दा गिलोय, गैथी	<i>Dioscoreaceae</i>
25	<i>Dioscorea hispida</i> Dennstedt	अलीठी	<i>Dioscoreaceae</i>
26	<i>Dioscorea pentaphylla</i> Linn.	अलीठी	<i>Dioscoreaceae</i>
27	<i>Gloriosa superba</i> (Linn.)	कलिहारी, लालुखी	<i>Liliaceae</i>
28	<i>Hemidesmus indicus</i> (L.) R. Br.	अनन्तमूल, सारिवा, दुधी	<i>Periplocaceae</i>
29	<i>Holostemma ada-kodien</i> Schult.	दुद्धी	<i>Asclepiadaceae</i>
30	<i>Ichnocarpus frutescens</i> (L.) R.Br.	दूधीबेल, काली दुधी	<i>Apocynaceae</i>
31	<i>Ipomoea nil</i> (L.)Roth	कालादाना	<i>Convolvulaceae</i>
32	<i>Ipomoea pes-tigridis</i> L.	घेटा	<i>Convolvulaceae</i>
33	<i>Ipomoea sindica</i> Stapf	रोटावेल	<i>Convolvulaceae</i>
34	<i>Ipomoea sinensis</i> (Desr.) Choisy	—	<i>Convolvulaceae</i>
35	<i>Jacquemontia paniculata</i> (Burm.f.) Hall.f.	—	<i>Convolvulaceae</i>
36	<i>Leptadenia reticulata</i> (Retz.) Wt. & Arn.	झुमका, खीप बेल	<i>Asclepiadaceae</i>
37	<i>Luffa acutangula</i> (L.) Roxb.	जंगली तुरई, कालीतोरी, तोरी	<i>Cucurbitaceae</i>
38	<i>Marsdenia tenacissima</i> (Roxb.) Moon.	जीती मरवा बेल	<i>Asclepiadaceae</i>
39	<i>Momordica blasamina</i> Linn.	बाड़	<i>Cucurbitaceae</i>
40	<i>Momordica dioica</i> Roxb. Ex Willd	किंकोडा, ककोडा	<i>Cucurbitaceae</i>
41	<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.	केमच, काँच	<i>Fabaceae</i>
42	<i>Oxystelma esculenta</i> (L.f.) R.Br.	दुद्धी की बेल	<i>Asclepiadaceae</i>
43	<i>Pergularia daemia</i> (Forsk.)Chiov.	गदारिया की बेल	<i>Asclepiadaceae</i>
44	<i>Pueraria tuberosa</i> DC	मोदी, गेजुआ	<i>Fabaceae</i>
45	<i>Rhynchosia rothii</i> Roxb.ex Aitch.	लोयटन	<i>Fabaceae</i>
46	<i>Rivea hypocrateriformis</i> (Desr.) Choisy	फाँग, गवाल ककडी	<i>Convolvulaceae</i>
47	<i>Telosma cordata</i> (Burm.f.) Merrill	दुद्धी की बेल	<i>Asclepiadaceae</i>
48	<i>Tinospora cordifolia</i> Miers	नीम गिलोय	<i>Menispermaceae</i>
49	<i>Trichosanthes bracteata</i> (Lam.) Voigt	लाल इन्द्रायण	<i>Cucurbitaceae</i>

50	<i>Trichosanthes cucumerina</i> L.	जंगली पलवल	<i>Cucurbitaceae</i>
51	<i>Tylophora asthmatica</i> W.& A.	दमाबेल	<i>Asclepiadaceae</i>
52	<i>Vallis solanaceae</i> (Roth) Kuntze	दूधी बेल	<i>Apocynaceae</i>
53	<i>Wattakaka volubilis</i> (L.f.) Staph	मूछवेल	<i>Asclepiadaceae</i>

## घ-घास

क्र.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय (लैटीन) नाम	स्थानीय नाम	कुल
1	<i>Apluda mutica</i> Linn.	पोलड, पोलरडी	<i>Poaceae</i>
2	<i>Aristida adscensionis</i> Linn.	लांपला	<i>Poaceae</i>
3	<i>Cenchrus pennisetiformis</i> Hochst.& Steud.	काइताइ, धामणियो-काइताइ	<i>Poaceae</i>
4	<i>Cenchrus setigerus</i> Vahl	धामण	<i>Poaceae</i>
5	<i>Chloris dolichostachya</i> Lag.	बामण	<i>Poaceae</i>
6	<i>Chrysopogon hackelii</i> (Hook.f.) Fischer	गन्देल	<i>Poaceae</i>
7	<i>Coix aquatic</i> Roxb.	गडियाला	<i>Poaceae</i>
8	<i>Coix lacryma-jobi</i> Linn.	जोरगडी	<i>Poaceae</i>
9	<i>Cymbopogon martinii</i> (Roxb.) Watson	रोसा	<i>Poaceae</i>
10	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	दूब	<i>Poaceae</i>
11	<i>Dichanthium annulatum</i> (Forsk.) Stapf	करड	<i>Poaceae</i>
12	<i>Dichanthium foveolatum</i> (Del.)	बुहारी	<i>Poaceae</i>
13	<i>Echinochloa colona</i> (Linn.) Link	हामा	<i>Poaceae</i>
14	<i>Heteropogon contortus</i> (Linn.) P.Deauv.ex Roem.& Schult.	सूखाला, लांप	<i>Poaceae</i>
15	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeuschel.	दाब	<i>Poaceae</i>
16	<i>Panicum antidotale</i> Retz.	गारमेनो	<i>Poaceae</i>
17	<i>Saccharum spontaneum</i> Linn.	कॉस	<i>Poaceae</i>
18	<i>Sehima nervosum</i> (Rottl.) Stapf	सीण	<i>Poaceae</i>
19	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	बरु	<i>Poaceae</i>
20	<i>Themeda quadrivalvis</i> (L.) O.Ktze	रातरड	<i>Poaceae</i>
21	<i>Tragus roxburghii</i> Panigrahi		<i>Poaceae</i>
22	<i>Vetiveria zizanioides</i> (L.) & Nesh	खस	<i>Poaceae</i>

## बांस

क.सं.	अन्तर्राष्ट्रीय (लैटीन) नाम	स्थानीय नाम	कुल
1	<i>Dendrocalamus strictus</i> (Roxb.)	बांस	Poaceae

## थैलोफायटा (Thalophyta)

(I) Algae: (शैवाल) :-			
1	<i>Spirogyra spp.</i>		
2	<i>Ulothrix spp.</i>		
3	<i>Volvox spp.</i>		
(II) Fungii : (फंगस) :-			
S. No.	Name of Fungii	Common Name	Family
1	<i>Ganoderma lucidium</i>	-	Ganodermetaceae
2	<i>Favolus canadensis</i>	-	Agaricaceae
3	<i>Agaricus spp.</i>	-	Agaricaceae
4	<i>Lepiota procera</i>	-	Agaricaceae
5	<i>Auricularia arucula judae</i>	-	Hygrophoraceae
6	<i>Pisolithus tinctoris</i>	-	Gasteromycetes
7	<i>Mycenia spp.</i>	-	Agaricaceae
8	<i>Tricholoma spp</i>	-	Tricholomataceae
9	<i>Phellorinia inquinans</i>	Khumbi	Gasteromycetes
10	<i>Podaxis pistillaris</i>	Khumbi	Gasteromycetes
11	<i>Coprinus spp.</i>	-	Agaricaceae
12	<i>Tulostoma spp.</i>	-	Gasteromycetes
13	<i>Marasmius spp.</i>	-	Agaricaceae
14	<i>Agaricus bisporus</i>	-	Agaricaceae
15	<i>Panaeolus separatus</i>	-	Agaricaceae
16	<i>Armillaria mellea</i>	-	Agaricaceae

17	<i>Clitocybe eludens</i>	-	Agaricaceae
18	<i>Clitocybe phyllophila</i>	-	Agaricaceae
19	<i>Coltricia perenmi</i>	-	Agaricaceae
	<b><u>ज- ब्रायोफायट्स (Bryophytes)</u></b>		
	<i>Riccia spp.</i>		
	<i>Plageochasma spp.</i>		
	<i>Anthoceros spp.</i>		
	<i>Notothyllus spp.</i>		
	<i>Funaria spp.</i>		
	<b><u>- टैरीडोफायट्स (Pteridophytes)</u></b>		
	<b>(Ferns)</b>		
	<i>Ampelopterus proli fera</i>		-
	<i>Ophioglossum costatum</i>	सर्पजीव्ही	
	<i>Ophioglossum petiolatum</i>	सर्पजीव्ही	
	<i>Selegenella rependa</i>	संजीवनी	
	<i>Adiantum caudatum</i>	-	
	<i>Adiantum lunulatum</i>	हंसराज	
	<i>Actinopteris radiatum</i>	मोरपंखी	
	<i>Chelanthus sp.</i>		
	<i>Azola sp.</i>		

## क्षेत्र में सामान्यतः पाये जाने वाले स्तनधारी प्राणियों की सूची

क्र०स०	स्थानीय नाम	अंग्रेजी नाम	लेटिन नाम
1	लंगूर	Common Langur	<i>Presbytis entellus</i>
2	बघेरा, तेंदुआ	Leopard	<i>Panthera pardus</i>
3	जंगली बिल्ली	Jungle cat	<i>Felis chaus</i>
4	नेवला	Common mongoose	<i>Herpestes edwardsi</i>
5	नेवला	Ruddy mongoose	<i>Herpestes smithi</i>
6	सियार	Jackal	<i>Canis aureus</i>
7	लोमड़ी	Indian fox	<i>Vulpes bengalensis</i>
8	जरख	Striped hyaena	<i>Hyaena hyaena</i>
9	झाऊ चूहा	Pale hedgehog	<i>Paraechinus micropus</i>
10	बिज्जू	Toddy cat or common palm civet	<i>Paradoxarus hermaphroditus</i>
11	बिज्जू	Small indian civet	<i>Viverriculus indica</i>
12	नील गाय	Blue bull	<i>Boselaphus tragocamelus</i>
13	चीतल	Spotted deer	<i>Axis axis</i>
14	सांभर	Sambhar	<i>Cervus unicolor</i>
15	जंगली सूअर	Indian wild boar	<i>Sus scrofa</i>
16	गिलहरी	Five-striped palm squirrel	<i>Funambulus pennantii</i>
17	गिलहरी	Three-striped palm squirrel	<i>Funambulus palmarum</i>
18	चूहा	Common house rat	<i>Rattus rattus</i>
19	चूहा	Indian field mouse	<i>Mus booduga</i>
20	सेही	Indian porcupine	<i>Hystrix indica</i>
21	खरगोस	Indian hare	<i>Lepus nigricollis</i>
22	छछुन्दर	Gray musk shrew	<i>Suncus murinus</i>
23	उड़न गिलहरी, रवाया	Elliot's giant flying squirrel	<i>Petaurista philippensis</i>
24	चमगादड़ (फलखाने वाली)	Fulvous fruit bat	<i>Rousettus leschenaulti</i>

25	चमगादड़ (फलखाने वाली)	Shortnosed fruit bat	<i>Cynopterus sphinx</i>
26	चमगादड़	Indian false vampire	<i>Megaderma lyra</i>
27	वागल	Flying fox	<i>Pteropus giganteus</i>
28	चमगादड़	Pigmy pipistrelle	<i>Pipistrellus pigmeous</i>
29	चिंकारा	Indian gazelle	<i>Gazella gazella</i>
30	चौसिंगा, भेडल	Four-horned antelope	<i>Tetracerus quadricornis</i>
31	भेड़िया	Wolf	<i>Canis lupus</i>
32	रीछ	Sloth bear	<i>Malurus ursinus</i>

### क्षेत्र में सामान्य: पाये जाने वाले पक्षियों की सूची

क्रं सं	हिन्दी नाम	कॉमन अंग्रेजी नाम	लैटिन नाम
1	पनडुब्बी, डुबडुबी	Little grebe	<i>Podiceps ruficollis</i>
2	पनकोआ, कागली	Little cormorant	<i>Phalacrocorax niger</i>
3	पनडुब्बी	Indian darter	<i>Anhinga melnogaster</i>
4	अंजन	Grey heron	<i>Ardea cinerea</i>
5	अंधा बगला	Pond heron, Paddy bird	<i>Ardeola gravii</i>
6	सुरखिया बगला	Cattle egret	<i>Buoulcus ibis</i>
7	किलछिया	Little egret	<i>Egretta garzetta</i>
8	कोकरी	Painted stork	<i>Mycteria leucocephala</i>
9	मानिक जोर	White-necked stork	<i>Ciconia episcopus</i>
10	चमचा	Spoonbill	<i>Platales leucorodia</i>
11	मुन्डा	White necked stork	<i>Ciconia episcopus</i>
12	सीलही	Lessor whistling teal	<i>Dendrocygna javanica</i>
13	चकवा चकवी	Ruddy shelduck	<i>Tadorna ferruginea</i>
14	सीख पर	Pintail	<i>Anas acuta</i>
15	छोटी मुरगाबी	Common teal	<i>A. crecca</i>
16	गर्म पाई	Spotbilled Duck	<i>A. poecilorhyncha</i>

17	नकटा	Comb duck	<i>Sarkidiornis melanotos</i>
18	कपासी	Blackwinged kite	<i>Elanus caeruleus</i>
19	चील	Pariah kite	<i>Milvus migrans</i>
20	शिकरा	Shikara	<i>Accipiter badius</i>
21	तीसा	White-eyed buzzard	<i>Butastur teesa</i>
22	राजगिद्ध,हमला	King vulture	<i>Sarcogyps calvus</i>
23	गिद्ध,हमला	White-backed vulture	<i>Gyps bengalensis</i>
24	ओकाब	Tawny eagle	<i>Aquila rapax</i>
25	सफेद गिद्ध,हमली	Scavenger vulture	<i>Neophron percnopterus</i>
26	कोसतिया	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>
27	काला तीतर	Black partridge	<i>Francolinus francolinus</i>
28	बटेर, लवा	Rain quail	<i>Coturnix coromandelica</i>
29	झाडी बटेर, लवा	Jungle bush quail	<i>Perdica asiatica</i>
30	मोर(नर), धेलडी(मादा)	Indian peafowl	<i>Pavo cristatus</i>
31	सारस	Sarus crane	<i>Grus antigone</i>
32	जलमुर्गी	White-breasted waterhen	<i>Amaurornis phoenicurus</i>
33	जलमुर्गी, बोदुर	Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>
34	कर्मा, खरीन	Purple moorhen	<i>Porphyrio porphyrio</i>
35	आरी	Common coot	<i>Fulica atra</i>
36	पीहो	Pheasant-tailed jacana	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>
37	टिटहरी	Red-wattled lapwing	<i>Vanellus indicus</i>
38	जिर्दी	Yellow-wattled lapwing	<i>V. malabaricus</i>
39	सुरमा	Red shank	<i>Tringa tetanus</i>
40	छुपकश	Wood sand piper	<i>Tringa glareola</i> <i>T.hypoleucos</i>
41	—	Common sandpiper	<i>T.hypoleucos</i>
42	रुनी	Little stint	<i>Calidris minuta</i>
43	तिनधुर	Black-winged stilt	<i>Himantopus himantopus</i>
44	बहा गुलिन्दा	Eursian curlew	<i>Numenius arquata</i>
45		Eursian Thick-knee	<i>Burhinus oedichnemus</i>
46	नुकरी	Indian courser	<i>Cursorius coromandelicus</i>
47	कुरी	River tern	<i>Sterna aurantia</i>

48	भट तीतर	Common sandgrouse	<i>Pterocles exustus</i>
49	हरियल	Green pigeon	<i>Treron phoenicoptera</i>
50	कबूतर, पारेवा	Blue rock pigeon	<i>Columba livia</i>
51	गिरवी फाख्ता, होली	Red turtle dove	<i>Streptopelia tranquebarica</i>
52	धोर, फाख्ता, होली	Indian ring dove	<i>Streptopelia decaocta</i>
53	परकी, होली	Spotted dove	<i>Streptopelia chinensis</i>
54	छोटा फाख्ता, होली	Little brown dove	<i>Streptopelia senegalensis</i>
55	राय तोता, गागरोन, जंगली तोता	Large Indian parakeet	<i>Psittacula krameri</i>
56	तोता	Rose-ringed parakeet	<i>Psittacula eupatria</i>
57	टुई	Blossom headed parakeet	<i>P.cyanocephala</i>
58	पपीहा	Common hawk cuckoo	<i>Cuculus varius</i>
59	पपिया	Pied crested cuckoo	<i>Clamator jacobinus</i>
60	कोयल	Koel	<i>Eudyna-mys scolopacea</i>
61	कूका	Coucal crowpheasant	<i>Centropus sinensis</i>
62	छापेड़, छीबड़ा	Spotted owlet	<i>Athene brama</i>
63	धरकवि छोमड़	Collared scops owl	<i>Otus bakkamoena</i>
64	बबीला छपका	Savanna nightjar	<i>Caprimalgus affinis</i>
65		House swift	
66		Asian Palm swift	<i>Cypsiurus balasiensis</i>
67	कोरयाला किलकिला	Pied kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>
68	छोटा किलकिला	Common kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>
69	किलकिला कोरिला	Whitebreasted kingfisher	<i>Halcyon smyrensis</i>
70	बादामी कोरिला	Stork-billed kingfisher	<i>Halcyon capensis</i>
71	पतरिगा	Green bee-eater	<i>Merops orientalis</i>
72	बड़ा पतरिगा	Bluetailed bee-eater	<i>Merops philippinus</i>
73	पतरिगा	Blue-cheeked bee-eater	<i>M.persicus</i>
74	नीलकंठ	Indian roller blue Jay	<i>Coracias benghalensis</i>
75	नीलकंठ	Europeon boller	<i>C.garrulus</i>
76	हुद हुद	Hoopoe	<i>Upupa epops</i>
77	चलोतरा	Grey hornbill	<i>Tockus birostris</i>
78	छोटा बंसत	Coppersmith Crimsonbreasted barbet	<i>Megalaima haemacephala</i>



79	वीरी मोर	Wryneck	<i>Jynx torquilla</i>
80	कठफोड़ा	Goldenbacked wood pecker	<i>Dinopium benghalense</i>
81	कठफोड़ा	Yellow- crowned woodpecker	<i>Dendrocopos mahrattensis</i>
82	नवरंग	Indian pitta	<i>Pitta brachyura</i>
83		Red bush lark	<i>Mirafra erythroptera</i>
84		Ashy-crowned finch lark	<i>Eremopterix grisea</i>
85		Rufous tailed finch lark	<i>Ammomanes phoenicurius</i>
86	चन्दुल	Crested lark	<i>Galerida cristata</i>
87		Dusky crag martin	<i>Hirundo concolor</i>
88	लीशरा	Wiretailed swallow	<i>H. smithii</i>
89	मरजीद अबाबील	Red-rumped swallow	<i>H. daurica</i>
90	सफेद लटोरा	Gray shrike	<i>Lanius excubitor</i>
91	छोटा लटोरा	Bay backed shrike	<i>L. vittatus</i>
92	काजला लटोरा	Rufousbacked shrike	<i>Lanius schach</i>
93	पीलक	Golden oriole	<i>Oriolus oriolus</i>
94	कोतवाल	black dronge, king crow	<i>Dicrurus adminilbe</i>
95	पहाड़ी भुजंग	White beilled dronge	<i>D.caerulescens</i>
96	बामनी मैना	Black-headed myna	<i>Sturnus pagodarum</i>
97	तिलार	Rosy paster	<i>S. roseus</i>
98	देसी मैना, काबर	Common myna	<i>Acridotheres tristis</i>
99	गंगा मैना, काबर	Bank myna	<i>A. ginginianus</i>
100	महालर, गणेल	Indian tree pie	<i>Dendrocitta vagabunda</i>
101	कोटा कागला	House crow	<i>Corvus splendens</i>
102	जंगली कौआ	Jungle crow	<i>C.macrorhynchos</i>
103	जंगली कसिया	Black-headed cuckoo shrike	<i>Coracina melanoptera</i>
104	पहाड़ी	Scarlet minivet	<i>Pericrocotus flsmmeus</i>
105	सहेली	Small minivet	<i>P.cinnamomeus</i>
106	शोबीगी	Iora	<i>Aegithina tiphia</i>
108	बुलबुल	Redvented bulbul	<i>Pycnonotus cafer</i>
109	चिलाचिल	Common babbler	<i>Turdoides caudatus</i>
110	बहना	Large gray babbler	<i>T.malcolmi</i>
111	तुर्रा	Red-breasted flycatcher	<i>Mvscicapa parva</i>

112		Grey-headed flycatcher	<i>Gulicicapa ceylonensis</i>
113		White-browed fantail	<i>Rhipidura aureola</i>
114	शाह बुलबुल	Paradise flycatcher	<i>Terpsiphone paradisi</i>
115		Franklin's wren-warbler	<i>Prinia hodgsonii</i>
116	दर्जी	Tailor bird	<i>Orthotomus sutorius</i>
117		Lesser whitethroat	<i>Sylvia curruca</i>
118	दया	Magpie robin	<i>Copsychus saularis</i>
119	कालचिड़ी	Indian robin	<i>Saxicoloides fulicata</i>
120	थिरथिरा	Black redstart	<i>Phoenicurus ochruros</i>
121		Brown rockchat	<i>Cercomela fusca</i>
122	खर पिद्दा	Collared bushchat	<i>Saxicola torouata</i>
123	काला पिपद्दा	Pied buschat	<i>S. caprata</i>
124	कासिया	Large cuckoo shrike	<i>Coracina macei</i>
125		Wood shrike	<i>Tephrodornis pondicerianus</i>
126	रामगंगरा	Grey tit	<i>Parus major</i>
127		Yellow checked tit	<i>P. xanthogenys</i>
128	पानी का पिलाकिया	Yellowheaded wagtail	<i>Motacilla citreola</i>
129	पिलाकिया	Grey wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>
130	धोबन	White wagtail	<i>M. alba</i>
131	खंजन	Large pied wagtail	<i>M. maderaspatensis</i>
132	शक्कर खोरा	Purple sunbird	<i>Nectarinia asisatica</i>
133	बबूना	White eye	<i>Zosterops palpebrosa</i>
134	गोरेया	House sparrow	<i>Passer domesticus</i>
135	बया, चटकली	Weaver bird	<i>Ploceus philippinus</i>
136	लाल मुनिया	Red avadavat	<i>Amandava amamdava</i>
137	सर मुनिया	White throated munia	<i>Lonchura malabarica</i>
138	चितीदार मुनिया	Scaly breasted munia	<i>Lonchura punctulata</i>
139	पहार चिड़िया	Crested bunting	<i>Melophus lathami</i>

सरीश्रृप (Reptiles)			
क्र.स.	हिन्दी नाम	कॉमन अग्रेंजी नाम	लैटिन नाम
1	मगर	Marsh crocodile	<i>Crocodylus palustris</i>
2	कछुआ (पानी का)	Indian sawback	<i>Kachuga tecta</i>
3	कछुआ (तालाब का)	Indian mud turtle	<i>Lissemys punctata</i>
4	पातल, चातल	Ganges softshell	<i>Aspideretes gengeticus</i>
5	कछुआ (भूमि का)	Starred tortoise	<i>Geochelone elegans</i>
6	छिपकली	Northern house gecko	<i>Hemidactylus flaviviridis</i>
7	छिपकली	Fat tailed gecko	<i>Eublepharis maculata</i>
8	गिरगिट	Common garden lizard	<i>Calotes versicolor</i>
9	हालनियँ	Indian chameleon	<i>Chamaeleon zeylanicus</i>
10	नागर बामणी	Common skink	<i>Mabuya carinata</i>
11	गोह	Common indian monitor	<i>Varanus begalensis</i>
12	दुमुही	Johr's earth boa	<i>Eryx johnii</i>
13	अजगर	Indian pythoon	<i>Python molurus</i>
14	धामण	Common rat snake	<i>Ptyas mucosus</i>
15		Common wolf snake	<i>Lycodon aulicus</i>
16	लीला सॉप	Green keelback	<i>Macropisthodom plumbicolor</i>
17	करायत	Common indian krait	<i>Bungarus caeruleus</i>
18	नाग	Indian cobra	<i>Naja naja</i>
19	चित्ती	Russell's viper	<i>Vipera russli</i>
20	पड, कंकरीवाला	Saw scaled viper	<i>Echis carinata</i>
<b>AMPHIBIA उभयचारी वर्ग</b>			
क्रं सं	हिन्दी नाम	कॉमन अग्रेंजी नाम	लैटिन नाम
1	मेंढक, डेटका	Common Indian Toad	<i>Bufo melanostictus</i>
2	मेंढक, डेटका	Marbled Toad	<i>Bufo stomaticus</i>
3	मेंढक, डेटका	Ornate Microhylid	<i>Microhyla ornata</i>

4	मेंढक, डेटका	Marbled Balloon Frog	<i>Uperodon systoma</i>
5	मेंढक, डेटका	Common Tree Frog	<i>Polypedates maculatus</i>
6	मेंढक, डेटका	Skittering Frog	<i>Euphlyctis cyonophlyctis</i>
7	मैंदा, डेटका	Indian Bull Frog	<i>Rana tigerina</i>
8	मैंदा, डेटका	Indian Cricket Frog	<i>Rana limnocharis</i>
9	मैंदा, डेटका	Burrowing Frog	<i>Rana tomopterna</i>

## डूंगरपुर जिले के जल स्रोतों में पायी जाने वाली मछलियों की सूची

### Fish fauna found in water bodies of Dungarpur District

INDIAN MAJOR CARPS				
क्र०सं०	स्थानीय नाम		वैज्ञानिक नाम	
	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी
1	कतला	catla	कटला कटला	<i>Catla catla</i>
2	नराइन्स	Narains	सिरिनस मृगला	<i>Cirrhinus mrigala</i>
3	रोहु	Rohu	लेबियों रॉहिता	<i>Labeo rohita</i>
4	कलाउन्ट	Kalaunt	लेबियों कलबसु	<i>L.calbasu</i>
5	मम्मोला	Mammola	लेबियों फिम्रायटस्	<i>L.fimbriatus</i>
INDIAN MINOR CARPS				
6	पथर चाट	Pathar chat	गर्रा गोटिला गोटिला	<i>Garra gotyla gotyla</i>
7	बाता	Bata	लेबिया बटा	<i>L.bata</i>
8	राइया	Raiya	लेबिया बॉगट	<i>L.boggat</i>
9	सारसी	Sarsi	लेबिया गॉनियस	<i>L.gonius</i>
10	—	—	सिरिनस रेबा	<i>C.reba</i>
11	पूठी	Puthi	पुंटीयस सराना	<i>Puntius sarana</i>
12	पूठी	Puthi	पुंटीयस चुग्मा	<i>P.chugma</i>
13	पूठी	Puthi	पुंटीयस सॉफौर	<i>P.sophore</i>
MINNOWS & WEED FISHES				

14	जंबरा	Zebra	रसबोरा डेनीकॉनियस	<i>Rasbora daniconius</i>
15	पूठी	Puthi	पुंटीयस टिक्टो	<i>P.ticto</i>
16	—	-		<i>Nemaepelus botra</i>
17	गुरडा	Gurda	ऑस्टीयोब्रामा कॉटिया	<i>Osteobrama cotia</i>
18	बामण	Bamna	बोटिया लौहाचटा	<i>Botia lohaachata</i>
19	गोबी	Goby	ग्लॉसॉगॉबियस गियरिस	<i>Glossogobuis giuris</i>
20	खारडा	Khaarda	ट्राईकॉगस्टर फैसशिटस	<i>Trichogaster fasciatus</i>
21	सिया	Sia	एम्बेसिस नामा	<i>Ambassis nama</i>
22	सुया	Suya	जनेन्टॉडॉन कैसिला	<i>Xenentodon cancilla</i>
23	गोर्रा	Gorrah	राइनोमुगिल कॉरसुला	<i>Rhinomugil corsula</i>
24	बाम	Bam	मास्टाकेंबलस आरमेटस	<i>Mastacembalus armatus</i>
25	बालू	Balu	लिपिडॉसेफैलिविथस गुंटी	<i>Lepidocephalichthys guntea</i>
26	चिलवा	Chilwa	एसोमस डेरिकस	<i>Esomus danricus</i>
27	चाउडला	Chaudla	डेनियो डेवारियो	<i>Danio devario</i>
28	सुइया	Suiya	गडुसिया चपरा	<i>Gadusia chapra</i>
29	चाल	Chal	चेला बेसाईला	<i>Chela bacaila</i>
30	चाल	Chal	चेला क्लुपीऑइडस	<i>C. clupeoides</i>
<b>MURRELS</b>				
31	संवल	Sanwal	चन्ना मेरुलिस	<i>Channa marulius</i>
32	गीरही	Girhi	चन्ना पंक्टेटस्	<i>C.punctatus</i>
33	काबरा	Kabra	चन्ना स्ट्रेयटस्	<i>C.striatus</i>
34	सोली	Solly	चन्ना गेंचुआ	<i>C.gachua</i>
<b>CAT FISHES</b>				
35	मगुर	Magur	क्लेरीयस बैट्रेकस	<i>Clarias batrachus</i>
36	पाबडा	Pabda	ऑम्पक बीमेकुलेटस्	<i>Ompak bimaculatus</i>
37	लॉची	Lanchi	वालेगा अट्टू	<i>Wallaga attu</i>
38	कटवा	Katva	मिस्टस केवेसीयस	<i>Mystus cavasius</i>

39	पितर	Pitar	मिस्टस ऑर	<i>M.aor</i>
40	सिंगाडा	Singhara	मिस्टस सींघला	<i>M. seenghala</i>
41	सिंगी	Singhi	हिट्रनेस्टस फॉसिलिस	<i>Hetropneustes fossilis</i>
<b>FEATHER BACKS</b>				
42	पाला	Pala	नॉटॉप्टरस नॉटॉप्टरस	<i>Notopterus notopterus</i>
<b>COLD WATER FISHES</b>				
43	—	—	टॉर टॉर	<i>Tor tor</i>
44	—	—	टॉर खुदरी	<i>T.khudree</i>
45	मेहसिर	Mahaseer	टॉर पुटिटॉरा	<i>T.putitora</i>
46	—	—	बेरीलियस बेरीलियस	<i>Barilius barilius</i>
47	—	—	बेरीलियस सरना	<i>B. sarana</i>
<b>PRAWNS</b>				
48	जींगा	Jheenga	पेलीमॉन स्पेसीस	<i>Palaemon species</i>
49	महाजींगा	Mahajheenga	मेकॉभ्रेकियम रॉसनबर्गी	<i>Macrobrachium rosenbergi</i>
<b>EXOTIC FISHES</b>				
50	बिग हेड	Big head	एरीस्टीकथी नॉबिलस	<i>Aristichthy nobilis*</i>
51	कोमन कार्प	Common carp	साईप्रिनस कार्पियाँ	<i>Cyprinus carpio*</i>
52	सिल्वर कार्प	Silver carp	हॉइपोथेल्मीक्टस मॉलीट्रिक्स	<i>Hypophthalmichtys molitrix*</i>
53	ग्रास कार्प	Grass carp	टैनॉफैरिंगीडॉन आईडेला	<i>Ctenopharyngodon idella*</i>
54	तिलापिया	Tilapia	ऑरीक्रोमिस मॉसंबिकस	<i>Oreochromis mosambicus</i>
55	थाई मगुर	Thai magur	क्लेरीयस गारिपनिस	<i>Clarias garipinus*</i>
*वर्तमान में प्राकृतिक जल स्रोतों में नहीं पायी जाती				
*Presently not found in natural water bodies.				

## हिन्दी शब्दों की अंग्रेजी शब्दावली

अग्नि उपधात	Fire damage
अग्नि रक्षण	Fire protection
अग्नि रक्षा पट्टी	Fire line
अग्रगामी प्ररोह	Leading shoot
अग्नि रक्षा संकार्य	Fire protection operation
अग्नि संकेत	Fire alarm
अग्नि शामक	Fire fighter
अग्निशामक दल	Fire brigade ( an organised body of men)
अतिच्छादी	Overlapping
अधिपक्व	Over mature
अधिपातन	Overfelling
अधिशुल्क	Royalty
अन्वेषण	Research
अपरिपक्व	Immature
अपालित पशु	Stray cattle
आदर्श वन	Normal forest
आरक्ष-युक्त स्थूल वन	Coppice with reserves forest
आवर्तन	Rotation

आवरण	Cover
उत्पत्ति	Outturn
उत्पाद सारणी	Outturn table
उर्षकारी अहॉ	Calorific value
उष	Calorie
कंटक वन	Thorn forest
कर्षण कार्य	Cultural operation
काष्ठ अन्तः रचना शाखा	Wood Anatomy branch
कूट	Ridge
गहन उपचार	Intensive treatment
गुणवत्ता	Quality
घनत्व	Density
चराई का आपात	Incidence of grazing
चारण	Grazing
चित परिमाप	Stacked volume
चित प्रकाष्ठ	Stacked timber
छत्र	Crown
जैव कारक	Biotic factor
जल प्रदाय	Water supply
नव पादप	Seedling
तना	Bole



तरुण शस्य	Young crop
दूत्रोही	Fast growing
धरण	Humus
धराग्नि	Ground fire
निरुत्सारण	Extraction
निष्पादन	Execution
परजीवी	Parasitic
परिधि	Girth
परिभ्रांषन	Degradation
परिमा	Volume
परिमा प्रति पहल	Volume per acre
परिपक्व	Mature
परिरक्षण	Preservation
परिवर्तन	Conversion
परिवर्तन कारक	Conversion factor
परीक्षण खंडक	Sample plot
प्रकृति वर्णना	Physiography
प्रतिबन्धित कार्यक्लाप	Restricted activities
प्रबंधन वृत्त	Working circle
प्रति प्रहल उपज	Yield per acre
प्रवरण पातन	Selection felling

प्रविधि	Technique
पादगिरी	Foot hills
पारिस्थितिकी स्थिति	Ecological status
पारिस्थितिकीय	Ecological
पार्श्व शाखा	Lateral shoot
प्राकृतिक रूपधैर्य	Natural feature
प्राप्ति	Yield
प्राप्ति सारणी	Yield table
पुनरीक्षण	Revision
पुनर्वासन	Rehabilitation
पुनरुत्पादन	Regeneration
पूर्वतोवृद्धि	Advance growth
पुर्वावधारण	Anticipation
बालवृक्ष	Sapling
बाह्यगणन	Extrapolation
बीजजात शस्य	Seedling crop
भक्ष्य	Prey
भू-दृश्य	Landscape
भौमिकी	Geology
मध्यक वार्षिक संवृद्धि	Mean annual increment
मन्द प्रवण	Gentle slope

मंदरोही	Slow growing
मृत प्रायः वृक्ष	Moribund tree
मृदा एवं आद्रता अवस्था	Soil and moisture condition
मृदावरण	Soil cover
कुन्तक	Rodent
मूलरोह	Root sucker
मूलाक्षय	Root rot
रचना	Composition
रनघता	Porosity
वक्र	Curve
वर्तमान वार्षिक संवृद्धि	Current annual increment
वनाग्नि	Forest fire
विनियमन	Regulation
वृद्धि न्यास	Growth data
वयन	Texture
वयोवर्ग	Age class
वृक्षक शस्य	Pole crop
वास्तविक मापन	Actual measurement
वार्षिक वलय	Annual ring
विचलन	Deviation
वितान	Canopy

विपरिताग्नि	Counter fire
विरलन	Thinning
स्थान चारण	Stall feeding
स्थूल प्ररोह	Coppice shoot
संकलन	Compilation
संनिधि मानचित्र	Stock map
संमृद्धि पौधारोपण	Enrichment plantation
समृदामय मृदा	Loamy soil
समस्त शस्य	Growing stock
समूहरोही	Gregarious
समुपयोजन	Exploitation
समुपयोज्य परिमाण	Exploitable size
समुपयोज्य व्यस	Exploitable age
शस्य	Crop
सहायक	Associate
साद	Silt
सादावरण	Silting
साधारण प्रवण	Moderate slops
सान्द्र परिमा	Solid volume
खफ, खुर	Hoof
शाखावर्तन	Lopping

शुष्करोही	Zerophytic
शोष	Driage
शैलमय	Rocky

## विषय सूची

विवरण	पैरा संख्या	पेज संख्या
कार्य आयोजना क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों की सूची	—	I
जिले में सामान्यतयः पाये जाने वाले वन्य प्राणियों की सूची		xiii
हिन्दी शब्दों की अंग्रेजी शब्दावली		xxiii
<b>अध्याय-1 भू खण्ड का विवरण</b>		
नाम व स्थिति	1.1	1
भूमि का स्वरूप	1.2	2
भू-विज्ञान, चट्टाने व मृदा	1.3	2
जलवायु और वर्षा	1.4	5
नदी-नाले	1.5	5
जलापूर्ति एवं स्वास्थ्य	1.6	6
वनक्षेत्रों का विस्तार	1.7	8
वन सिमाओं की स्थिति	1.8	10
वैधानिक स्थिति	1.9	12
अधिकार एवं रियायते	1.10	15
<b>अध्ययाय-2(अ) पादप जगत</b>		
सस्य की संरचना एवं दशा	2.1	24
वनों का वर्गीकरण	2.2	25
वन, प्रमुख प्रजातियाँ	2.3	29
परिभ्रांषित धोकड़ा वन	2.4	32
मिश्रित वन	2.5	34
खाली स्थान बन्द घास बीड़	2.6	37
शस्य को क्षति पहुँचाने वाले कारक	2.7	37
<b>अध्ययाय-2(ब) प्राणी जगत</b>		
वन्यजीव प्रबन्धन का इतिहास	2ब.1	45
स्तनपायी	2ब.2	46
पक्षी वर्ग	2ब.3	48
सरीसृप वर्ग	2ब.4	61
उभयचारी वर्ग	2ब.5	63
मत्स्य वर्ग	2ब.6	64
वन्यजीवों को हानि पहुँचाने वाले कारक	2ब.7	67
जिले में वन्यजीव प्रबंधन	2ब.8	68
<b>अध्याय-3 वन उत्पादों का उपयोग</b>		
कृषि प्रथा एवं वन संधारण	3.1	71

विवरण	पैरा सख्या	पेज संख्या
वनक्षेत्र की आवश्यकताएँ	3.2	72
बाजार व विक्रय योग्य उत्पाद	3.3	75
वनोपज व उत्पादों का बाजार	3.4	79
वन उत्पादों की मांग व आपूर्ति	3.5	83
चराई का दबाव	3.6	88
व्यवसाय व कारखाने	3.7	88
विदोहन के तरीके तथा उनकी लागत	3.8	88
निर्यात मार्ग	3.9	89
विक्रय केन्द्र एवं कूपों पर कार्य की श्रमिक दरे	3.10	90
<b>अध्याय-4 वन उपज के विदोहन व विपणन में विभागीय कार्य मण्डल की गतिविधियां और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के परिणाम</b>		
विभागीय कार्य मण्डल	4.1	93
सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण	4.2	94
<b>अध्याय-5 पंच वर्षीय योजनाएं</b>		
परिचय	5.1	104
प्रथम पंच वर्षीय योजना	5.2	105
द्वितीय पंच वर्षीय योजना	5.3	105
तृतीय पंच वर्षीय योजना	5.4	108
चतुर्थ पंच वर्षीय योजना	5.5	108
पंचम पंच वर्षीय योजना	5.6	108
छठी पंच वर्षीय योजना	5.7	109
सप्तम पंच वर्षीय योजना	5.8	109
वर्ष 1990-92 की अवधि	5.9	110
अष्टम पंच वर्षीय योजना 1992-97	5.10	110
नवम पंच वर्षीय योजना 1997-2002	5.11	111
दशम पंच वर्षीय योजना 2002-2007	5.12	111
ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना 2007-2012	5.13	111
बारहवीं पंच वर्षीय योजना 2012-2017	5.14	112
<b>अध्याय-6 कार्मिक व श्रम प्रदाय</b>		
मानव संसाधन का वर्गीकरण	6.1	116
विभागीय मानव संसाधन	6.2	116
विभागीय मानव संसाधन की गुणवत्ता	6.3	118
तकनीकी दक्षता एवं अनुभव	6.4	120
अन्य कारक	6.5	121
विवेचना	6.6	122

विवरण	पैरा संख्या	पेज संख्या
गैर-विभागीय संसाधन	6.7	123
गैर-विभागीय मानव संसाधन की गुणवत्ता	6.8	124
मजदूरों की व्यवस्था	6.9	125
<b>अध्याय-7 विगत प्रबन्ध पद्धतियां</b>		
वनों का सामान्य इतिहास	7.1	127
प्रबंध की विगत पद्धति का परिणाम	7.2	132
1983 से परिवर्तन	7.3	140
राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता	7.4	147
<b>अध्याय-8 वृद्धि की साख्यिकी</b>		
वृद्धि एवं उत्पत्ती की साख्यिकी	8.1	154
धोकड़ा	8.2	154
खैर के वन	8.3	162
धावड़ा के वन	8.4	162
सालर	8.5	163
प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ इण्डिया	8.6	170
प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ इण्डिया	8.7	176
प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ इण्डिया	8.8	177
परिवर्तन कारक (कन्वर्सन फैक्टर)	8.9	181
विभिन्न प्रजातिया की उषकरी अंहा	8.10	182
<b>अध्याय-9 प्रस्तावों का आधार</b>		
प्रबन्धन के सामान्य उद्देश्य	9.1	184
वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण	9.2	185
पृथ्वी सम्मेलन 1992	9.3	186
धारणीय वन प्रबन्धन	9.4	187
राष्ट्रीय नीति एवं संबधित वैधानिक ढांचा	9.5	189
राष्ट्रीय कृषि आयोग 1970	9.6	189
राजस्थान राज वननिती	9.7	193
हरित राजस्थान	9.8	194
वन संरक्षण अधिनियम 1980	9.9	195
जैव विविधता अधिनियम 2002	9.10	195
वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2006	9.11	197
पंचायत राज (शिडयूल क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996	9.12	197
साझा वन प्रबंधन	9.13	199
माननीय सर्वोक्ष्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश निर्णय	9.14	199



विवरण	पैरा संख्या	पेज संख्या
अनुसूचित जनजाति एवं पारम्परिक वन आवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006	9.15	200
वन संरचना एवं दशा	9.16	201
वन से मांग व आपूर्ति	9.17	201
मृदा एवं जल संरक्षण	9.18	202
रोजगार व आयवर्धन के अवसरों का निर्माण	9.19	202
वन्यजीव संरक्षण	9.20	202
वनक्षेत्र के अतिरिक्त भूमि व जल संसाधन का उपयोग	9.21	202
भावी वन प्रबन्धन के उद्देश्य	9.22	203
उपचार विधियां	9.23	204
कार्य वृत्त का गठन	9.24	206
वनखण्ड एवं कम्पार्टमेंट	9.25	209
क्षेत्र आंक्टन	9.26	209
वननिधि मानचित्र	9.27	211
कार्य आयोजना की अवधि	9.28	211
<b>अध्याय-10 वृक्षारोपण कार्यवृत्त</b>		
सामान्य संरचना	10.1	212
सम्मिलित क्षेत्र	10.2	212
वनस्पति का सामान्य स्वरूप	10.3	213
प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य	10.4	213
आंक्टित वनखण्ड व संविभाग कक्ष	10.5	214
सस्य का विश्लेषण व मूल्यांकन	10.6	224
उपचार विधि	10.7	226
उपचार विनियम	10.8	227
कृत्रिम पुनरोत्पादन एवं वनीकरण कार्य	10.9	228
वृक्षारोपण कार्यक्रम	10.10	240
वनउपज चिहनीकरण, विदोहन व निकासी के सामान्य नियम	10.11	241
विविध विनियम	10.12	242
वित्तीय पूर्वानुमान	10.13	244
<b>अध्याय-11 भू-संरक्षण एवं पुनर्वार्स कार्यवृत्त</b>		
कार्यवृत्त की सामान्य संरचना	11.1	245
सम्मिलित क्षेत्र	11.2	245
वनस्पति का सामान्य स्वरूप	11.3	246
प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य	11.4	246
आंक्टित वनखण्ड व संविभाग कक्ष	11.5	247

विवरण	पैरा सख्या	पेज संख्या
शस्य का विश्लेषण व मूल्यांकन	11.6	252
उपचार विधि	11.7	254
उपचार विनियम	11.8	254
वनउपज चिन्हीकरण विदोहन निकासी के सामान्य नियम	11.9	257
मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएं	11.10	257
विविध विनियम	11.11	260
वित्तीय पूर्वानुमान	11.12	262
<b>अध्याय-12 इकोरेस्टोरेशन कार्यवृत</b>		
कार्यवृत की सामान्य संरचना	12.1	264
सम्मिलित क्षेत्र	12.2	264
वनस्पति की सामान्य संरचना	12.3	265
प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य	12.4	266
आवृत्त वनखण्ड एवं संविभाग कक्ष	12.5	267
वन संवर्द्धन प्रणाली	12.6	272
उपचार विधि	12.7	273
वन उपज चिन्हीकरण, विदोहन व निकासी के सामान्य नियम	12.8	275
विविध विनियम	12.9	277
वित्तीय पूर्वानुमान	12.10	280
<b>अध्याय-13 साझा वन प्रबन्धन सुदृढीकरण कार्यवृत</b>		
सामान्य संरचना	13.1	281
सम्मिलित क्षेत्र	13.2	281
सांझा वन प्रबन्ध-एक परिचय	13.3	281
जिले में साझा वन प्रबंधन का वर्तमान स्वरूप	13.4	283
प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य	13.5	285
वनस्पति का सामान्य स्वरूप	13.6	285
साझा वन प्रबन्धन प्रणाली के अंतर्गत किये गये कार्य	13.7	286
साझा वन प्रबंधन प्रक्रिया से क्षेत्र को प्राप्त होने वाले लाभ	13.8	291
कार्य योग्य क्षेत्र	13.9	291
सूक्ष्म नियोजन	13.10	292
अभिलेख संधारण	13.11	293
अनुरक्षण कोष	13.12	293
प्रवेश बिन्दु	13.13	294
विवाद समाधान	13.14	295
समितियों की दक्षता का आकलन	13.15	295
साझा वन प्रबन्धन सुदृढीकरण	13.16	297

विवरण	पैरा सख्या	पेज संख्या
विविध विनियम	13.17	299
<b>अध्याय-14 वन बन्दोबस्त एवं सीमांकन (अतिच्छादी) कार्य वृत</b>		
कार्यवृत की सामान्य संरचना	14.1	301
सम्मिलित क्षेत्र	14.2	304
वन सुरक्षा कार्यवृत के मुख्य उद्देश्य	14.3	304
अमलदरामद की स्थिति	14.4	306
मीनारबन्दी	14.5	307
विज्ञप्ति प्रकाशन कार्य	14.6	310
दस्तावेजों का संधारण	14.7	313
<b>अध्याय-15 गौण वन उपज (अतिच्छादी) प्रबंधन वृत</b>		
सामान्य संरचना	15.1	314
सम्मिलित क्षेत्र	15.2	314
वनस्पति का सामान्य स्वरूप	15.3	314
प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य	15.4	315
सस्य का विश्लेषण व मूल्यांकन	15.5	315
प्रबन्धन की इकाई	15.6	317
तेंदूपता	15.7	317
रतनजोत	15.8	321
गोंद	15.9	322
अन्य गौण उपज प्रबंधन	15.10	322
विविध विनियम	15.11	323
<b>अध्याय-16 पारिस्थितिकी पर्यटन (अतिच्छादी) कार्य वृत</b>		
कार्य वृत की सामान्य संरचना	16.1	325
सम्मिलित क्षेत्र	16.2	325
कार्यवृत के उद्देश्य	16.3	326
आंवटित वनखण्डों में प्रस्तावित कार्य	16.4	326
इको ट्यूरिज्म स्थलों पर बरती जाने वाली सावधानियाँ	16.5	328
वन संरक्षण अधिनियम, 1980	16.6	330
<b>अध्याय-17 वन्य प्राणी (अतिच्छादी) प्रबंधन कार्य वृत</b>		
सामान्य संरचना	17.1	333
वन्यजीव प्रबंधन का इतिहास	17.2	333
वर्तमान स्थिति	17.3	334
वन्यजीव प्रबंधन	17.4	334
वनक्षेत्रों में पाये जाने वाले वन्य प्राणियों के लिए प्रबंधन योजना	17.5	334
सुरक्षा एवं संवर्धन में अवरोधक	17.6	338

विवरण	पैरा संख्या	पेज संख्या
वन्यप्राणी को नुकसान पहुँचाने वाले कारकों के निराकरण के उपाय	17.7	343
वन्य प्राणी (अतिच्छादी) प्रबंधन कार्य वृत्त होने वाला संभावित व्यय	17.8	348
<b>अध्याय-18 सामाजिक वानिकी</b>		
सामान्य संरचना	18.1	349
प्रबन्ध वृत्त गठन के विशेष उद्देश्य	18.2	350
हरित राजस्थान अभियान के अर्न्तगत सामाजिक वानिकी चिन्हित क्षेत्र व वर्गीकरण	18.3	351
हरित राजस्थान अभियान में सामाजिक वानिकी कार्य क्रियान्वयन विधि	18.4	351
खण्ड भूमि	18.5	351
उपचार विधि	18.6	353
पट्टाकार भूमि	18.7	354
निजी भूमि	18.8	359
विविध विनियम	18.9	361
<b>अध्याय-19 सामान्य वित्तीय पूर्वानुमान और प्रचालन का वित्तीय नियोजन</b>		
वित्तीय पूर्वानुमान	19.1.1	363
<b>अध्याय-20 विविध विनियमन</b>		
लघुपातन	20.1	365
मातृवृक्ष/प्रमाणित बीज वृक्ष तथा बीज उत्पादन	20.2	365
मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़े	20.3	366
कुंओं के जल स्तर के आंकड़े	20.4	366
अतिक्रमण	20.5	367
वनभूमि का हस्तांतरण	20.6	367
अनियंत्रित एवं अविनियमित कटान	20.7	367
अग्नि सुरक्षा प्रणाली का अभाव	20.8	368
वनक्षेत्र के अतिरिक्त भूमि व जल संसाधन का उपयोग	20.9	369
वन अधिकार अनुप्रयोग	20.10	370
सीमाओं की देख रेख	20.11	370
मानचित्र	20.12	371
अधिकार एवं रियायतें	20.13	371
जलप्रदाय एवं जलोत्सारण	20.14	371
संचार व्यवस्था	20.15	372
फील्ड कार्य हेतु वाहन सुविधा	20.16	373
आवासीय कॉलोनी	20.17	373
प्रशिक्षण	20.18	373

विवरण	पैरा सख्या	पेज संख्या
<b>अध्याय-21 अधिष्ठान व श्रमिक वर्ग</b>		
अधिष्ठान	21.1	374
श्रमिक वर्ग	21.2	374
<b>अध्याय-22 नियन्त्रण तथा अभिलेख</b>		
नियंत्रण प्रणाली	22.1	376
विचलन प्रपत्र	22.2	376
नियंत्रण के अन्य अभिलेख	22.3	378
<b>परिशिष्ट की सूची</b>		
परिशिष्ट-1 वन मण्डल क्षेत्र सारणी	—	380
परिशिष्ट -2 अधिकार एवं रियायतें राजपत्र 1955	—	400
परिशिष्ट -3 वनमण्डल की भूमि की वैधानिक स्थिति	—	410
परिशिष्ट -4 विश्राम गृह	—	420
परिशिष्ट -5 वन मण्डल डूंगरपुर में पदस्थापित उप वन संरक्षकगणों की सूची	—	421
परिशिष्ट -6 वन मण्डल डूंगरपुर में स्थापित भवनों की सूची	—	423
परिशिष्ट -7 वनक्षेत्रों में कराये गये गैर वानिकी कार्यों का विवरण	—	427
परिशिष्ट -8 राज्य स्तर पर पुरुस्कृत कर्मचारी/अधिकारी की सूची	—	429

## अध्याय-1

### भू-खण्ड का विवरण

#### The Tract Dealt with

##### 1.1 नाम और स्थिति:— (Name and Situation)

- 1.1.1 यह कार्य आयोजना वर्ष 2012-13 से 2021-22 तक के लिए वन विभाग के नियंत्रणाधीन वन मण्डल डूंगरपुर में समस्त प्रकार के आरक्षित, रक्षित तथा अवर्गीकृत वन क्षेत्रों में कार्य करने हेतु तैयार की गयी है। इस वनमण्डल का कार्य क्षेत्र राजस्व जिला डूंगरपुर है ।
- 1.1.2 यह वन मण्डल राजस्थान के दक्षिणी भाग में 23°20' व 24°10' उत्तरी अक्षांश (North latitude) और 73°21' व 74°23' पूर्वी देशान्तर (East longitude) के मध्य स्थित है ।
- 1.1.3 वन मण्डल के उत्तर में उदयपुर जिला तथा पूर्व में बांसवाडा जिले की तथा उत्तर पूर्व में जिला प्रतापगढ़ की सीमाएं लगती हैं, जिनमें क्रमशः वनमण्डल उदयपुर (दक्षिण), बांसवाडा एवं प्रतापगढ़ स्थित हैं । उत्तर दिशा में सोम नदी उदयपुर (दक्षिण) वन मण्डल से तथा दक्षिण पूर्व दिशा में माही नदी बांसवाडा वन मण्डल से इस वनमण्डल की सीमाएं बनाती हैं । दक्षिण एवं पश्चिम दिशा गुजरात राज्य के पंचमहल एवं साबरकाठा जिले की सीमाएं लगती हैं। जिले का प्रशासनिक मानचित्र अध्याय के अन्त में चित्र पर दिया गया है।
- 1.1.4 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत-सरकार के अनुसार डूंगरपुर जिला क्षेत्रफल में पूरे राज्य में तीसरा सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 3770 वर्ग किमी है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार जिले की जनसंख्या 13.89 लाख है। जिसमें ग्रामीण की जनसंख्या 8.88 लाख (63.93 प्रतिशत) है। इन वनमण्डल का कुल वन क्षेत्रफल 692.72 वर्ग किमी है जो कि जिले के राजस्व क्षेत्रफल का 18.37 प्रतिशत है ।
- 1.1.5 25 मार्च 1948 को डूंगरपुर राज्य अन्य आठ शासित राज्यों तथा 2 जागीरों के साथ संगठित होकर पूर्व राजस्थान राज्य में सम्मिलित हुआ था । उसके बाद 1949 में वृहद राजस्थान का संगठित राज्य अस्तित्व में आया, जिसमें 18 शासित राज्यों जिसमें डूंगरपुर राज्य तथा 2 जागीरें भी शामिल थी। उसके बाद वर्तमान डूंगरपुर

जिला बना और राजस्व की वसूली एवं सामान्य प्रशासन के लिए उपखण्ड बनाये गये । उस समय इसमें 4 तहसीलें डूंगरपुर, सीमलवाड़ा एवं आसपुर तथा सागवाड़ा की एक उप तहसील गलियाकोट थीं ।

1.1.6 1971 तक डूंगरपुर जिला बांसवाड़ा वनमण्डल का ही एक भाग था । उसके बाद ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत वन मण्डल डूंगरपुर, वन मण्डल बांसवाड़ा से अलग हुआ ।

1.1.7 वन मण्डल का मुख्यालय डूंगरपुर है जो उदयपुर से दक्षिण दिशा में 110 किमी दूरी पर तथा बांसवाड़ा से पश्चिम दिशा में लगभग 80 किमी दूरी पर स्थित है । इस वनमण्डल में होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 भी गुजरता है ।

## 1.2 भूमि का स्वरूप:—(Configuration of the ground)

1.2.1 यह वनमण्डल दक्षिण एवं पूर्व में लगभग समतल है । उत्तर एवं पूर्व में भूमि में उतार-चढ़ाव हैं लेकिन दक्षिणी-पश्चिमी सीमा की ओर बड़ी-बड़ी पहाड़ियां धीरे-धीरे छोटी होती जाती है तथा अंत में गुजरात अंचल की टोपोग्राफी में परिवर्तित हो जाती हैं । पूर्वी भाग का स्लोप माही नदी की ओर जाता है तथा समतल मैदानी, कृषि भूमि में परिवर्तित हो जाता है। इस क्षेत्र में मुश्किल से ही कोई चारागाह क्षेत्र होगा कृषि भूमि मुख्यतया घाटी क्षेत्रों तथा पहाड़ियों के मध्य पठारी भागों में जहां कि मृदा की गहराई ज्यादा है स्थित है तथा सिंचाई कुंओं एवं तालाबों से की जाती है ।

1.2.2 पहाड़ी क्षेत्र एवं भू-सतह में उतार-चढ़ाव अरावली की चोटियों के कारण है । सबसे ऊंची चोटी सुदूर उत्तर-पश्चिम में समूद्र तल से लगभग 572 मी. ऊंची है ।

1.2.3 वन क्षेत्र मुख्यतया राजस्थान-गुजरात राज्य की सीमा के साथ-साथ एक लगातार हरी वहिका बनाये हुए स्थित है । क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों में स्थित है वनमण्डल के मध्य भाग में सागवाड़ा एवं आंतरी रेन्ज के वन क्षेत्र स्थित है जिसमें अरावली की छोटी-छोटी पहाड़ियां स्थित हैं । उत्तर एवं उत्तर पूर्वी भाग में वन क्षेत्र के छोटे-छोटे बिखरे हुए पैचेज है जो कि सामान्यतया परिभ्रांषित एवं वृक्षविहीन हैं ।

1.2.4 सम्पूर्ण वन मण्डल माही एवं सोम नदी का कैचमेण्ट क्षेत्र है ।

## 1.3 भू-विज्ञान, चट्टान एवं मृदा:—(Geology. rock and soil)

1.3.1 जिले की भूगर्भीय स्थिति प्री-कैम्ब्रियन अरावली तंत्र से संबंधित है । आरकियन युग की एजोईक एवं इग्निअस चट्टानें ग्रेनाईट्स, नीस (Gneiss) मैटामॉर्फिक शिस्ट,

क्वार्टजाइट एवं स्लेट की बनी हुई है । प्रथम तीन पश्चिम की ओर ज्यादा है, नीस (Gneiss) चट्टानें हथार्ई एवं माण्डव के मध्य एवं नयागांव से पूर्व की ओर स्थित हैं और डायोराइट्स एवं ट्रेप्स के साथ पायी जाती हैं । स्लेट्स मध्य क्षेत्र में क्वार्टज की शिराओं के साथ परतों में पाई जाती है। विशेषकर डूंगरपुर कस्बे के उत्तर व पूर्वी भागों में ।

**1.3.2** क्षेत्र की मुख्य चट्टानें फाईलाइट्स एवं क्वार्टजाइट्स हैं जो की उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में, एस्बेस्टस दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं । इस अल्ट्रा बेसिन चट्टानों में एस्बेस्टस, क्रोमेट, मैग्नेटाईट एवं टेल्क (स्टीटाइट) के विपुल भण्डार मौजूद हैं। क्वार्टजाइट सफलता के चरम पर स्थित है । दूसरी चट्टानें जैसे अरावली चूना पत्थर, मिश्रित नीस (Gneiss) तथा ग्रेनाइट नीसेस जिले के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है । सोम नदी के दोनों तरफ दक्षिण दिशा की ओर जहां यह माही नदी में मिलती हैं क्वार्टज रीफज हैं, लेकिन क्रिस्टलनुमा लाईमस्टोन पोर्टलेण्ड सीमेण्ट निर्माण के लिए मार्बल की तरह प्रयोग होता है ।

### **1.3.3 खनिज सम्पदा:—(Mineral Wealth)**

इस वनमण्डल में निम्नानुसार खनिज सम्पदा पाई जाती है:—

**1.3.4** जिले में सोपस्टोन, एस्बेस्टस, बेराईल, फ्लोराईड आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं इसके अलावा तांबा, अभ्रक, केनाईट, मैग्नेटाईट तथा शीशा भी सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है ।

**1.3.5** सोपस्टोन की खाने नलवा, जाखनको, माण्डव, घन्टीगाला, घूघरा, भण्डारिया, माथूगामड़ा, देवल, गोकुलपुरा, बरकुण्डी और पंचपुरा गांवों में स्थित हैं ।

**1.3.6** एस्बेस्टस डूंगरपुर तहसील के नलवा, घन्टीगाला एवं घूघरा की खानों में निकलता है ।

**1.3.7** फ्लोराईड एवं बेराईल पाल माण्डव से निकलता है । इस खनिज का उपयोग स्टील उद्योग में तथा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल तैयार करने में होता है ।

**1.3.8** इनके अतिरिक्त ताँबा अयस्क (थाणा एवं घूघरा में डूंगरपुर-बिछीवाडा रोड), अभ्रक (सागवाडा-आसपुर क्षेत्र में) ग्रैनाईट (देरी भुन्वाली), मैग्नेटाईट (पादरा एवं साबली में) और शीशा अयस्क बडगाँव के पास सूक्ष्म मात्रा में पाये जाते हैं ।

**1.3.9** चुनाई पत्थर जिले के हर क्षेत्र में पाया जाता है लेकिन उनकी मुख्य खानें बलवाड़ा, चन्दु, घाटा का गांव, एडवर्ड समन्द और कालीपोड़ा में स्थित हैं ।



### 1.3.10 भूकम्प:-(Earthquakes)

हिमालय क्षेत्र एवं रन ऑफ कच्छ क्षेत्र जो कि अत्यधिक भूकम्प संवेदनशील क्षेत्र हैं, से भूकम्प आने में यह वन मण्डल प्रभावित होता है। माऊण्ट आबू जैसे नजदीकी स्थान पर आये भूकम्प के हल्के झटके पूर्व में कभी-कभी महसूस किये जाते रहे हैं। भूकम्प जोन नक्शे जो कि आई.एस.आई. बिल्डिंग कोड में सम्मिलित हैं, के अनुसार यह वनमण्डल जोन- II में आता है। यहां पर रिक्टर स्केल पर 1931 में अधिकतम तीव्रता 6 अनुभव की जा चुकी है।

### 1.3.11 मृदा:-(Soil)

घाटी क्षेत्रों में मृदा चिकनी दुमट एवं अच्छी गहराई वाली है। पहाड़ी क्षेत्रों में टॉप पर मिट्टी कम गहराई वाली, ग्रेवल टाइप एवं कम पोषित होती है। पहाड़ी ढालों में मिट्टी संतृप्त है लेकिन पहाड़ियों की तलहटी में कहीं-कहीं पर मिट्टी में जल प्लावन की समस्या पाई जाती है।

### 1.3.12 वनस्पति पर भू-विज्ञान का प्रभाव:-(Effect of geology and soil on the distribution of forest types)

जिले में सागवान के घनत्व एवं गुणवत्ता में बहुत अन्तर पाया जाता है। विभिन्न भू-वैज्ञानिक सतहों पर पाई जाने वाली शस्य (वनस्पति) मिट्टी के गुणों जैसे संरचना, गहराई, पोरोसिटी, रासायनिक संगठन कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, इम्परवियस सतहों की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता से प्रभावित होती है। ट्रेप मिट्टी कम गहरी होने के कारण सागवान के वन जो इस पर पाये जाते हैं टूँठ नुमा एवं आकार में छोटे होते हैं। घाटी क्षेत्रों में जहां मिट्टी की गहराई अधिक होती है पेड़ों की ऊंचाई भी अधिक पायी जाती है। क्वार्टजाइट सिस्ट के बजाय ट्रेप में सागवान अच्छा पनपता है, जहां पर सागवान नीस (Gneiss) चट्टानों में पाया जाता है। लेकिन जहां मिट्टी रेतीली एवं दानेदार होती है, वहां शस्य कमजोर एवं टूँठनुमा पाई जाती है। ऐसा सागवाड़ा रेन्ज के क्षेत्र में देखने को मिलता है।

1.3.13 पहाड़ी रिजेज पर जहां मिट्टी कम गहरी होती है सागवान के लिए उपयुक्त नहीं है। ट्रैप क्षेत्रों में ऊंचाई वाले ढालों तथा पहाड़ी के ऊपर पठार में प्रायः सागवान नहीं होता है। यहां पर मुख्य प्रजाति सालर एवं घास पाई जाती है।

#### 1.4 जलवायु एवं वर्षा :- (Climate and rainfall)

1.4.1 यहां पर तीन अलग-अलग ऋतुएं गर्मी, बरसात एवं सर्दी होती हैं।

गर्मी मार्च से जून मध्य तक रहती है। अप्रैल से दिन बहुत गर्म होने लगते हैं तथा गर्म हवा (लू) चलने लगती है, जो कि देर शाम तक चलती है, सबसे गर्म माह मई एवं जून होते हैं। अधिकतम तापमान 46° से. और न्यूनतम 34° से. रहता है।

1.4.2 गर्मी के बाद वर्षा ऋतु प्रारम्भ होती है। जो कि 15 जून से प्रारम्भ होकर सितम्बर के अन्त तक रहती है। डूंगरपुर जिले की औसतन वर्षा 761.7 मिमी. है जिसमें अधिकतम वर्षा जुलाई-अगस्त माह में होती है। डूंगरपुर में वर्षा दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से होती है। अकाल की स्थिति होने के कारण जिले में सन् 1995 से 2002 तक बहुत कम वर्षा हुई है। सर्दी का मौसम अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। यहां पाला नहीं पड़ता है। सर्दी के दौरान औसत अधिकतम तापमान 25° से. तथा न्यूनतम तापमान 9° से. रहता है। प्रायः सबसे सर्द माह जनवरी होता है।

1.4.3 वन विभाग किसी प्रकार के मौसम के आंकड़ों का संग्रहण नहीं करता है। राजस्व विभाग द्वारा वर्षा के आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं। अभिलेखों से यह विदित होता है कि वार्षिक वर्षा की 96 प्रतिशत वर्षा मानसून के दौरान जुलाई से अक्टूबर तक होती है। सबसे अधिक वर्षा वाले माह जुलाई एवं अगस्त हैं। सामान्य औसत वर्षा 761 मिमी. है लेकिन वर्षवार भिन्नता रहती है।

1.4.4 एक वर्ष में औसतन 35 दिन वर्षा के रहते हैं। डूंगरपुर में अभी तक जून 1937 में एक दिन में अधिकतम 486.4 मिमी. वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है।

#### 1.5 नदी-नाले:-(River and rivulet)

1.5.1 क्षेत्र में मुख्यतया दो नदियां बहती हैं:-

(i) सोम (ii) माही

1.5.1 **सोम नदी:-** यह नदी उदयपुर जिले के दक्षिणी-पूर्वी भाग से बिच्छीवाड़ा की ओर बहती हुई निकलती है एवं डूंगरपुर जिले की सीमा पर मिलती है। उसके बाद पहले

यह पूर्व की ओर तथा बाद में दक्षिण की ओर घूमती हुई जिले की उत्तरी सीमा बनाती है तथा लोडावल एवं भीलूडा ग्राम के पास जाखम नदी में मिल जाती है । जाखम में मिलने के बाद यह डूंगरपुर जिले में कुछ कि० मी० बहती है एवं उसके बाद यह बेणेश्वर पर माही नदी में मिल जाती है। इसका जल सिंचाई हेतु काम में लिया जाता है । यह नदी 84 किमी की दूरी तय करती है और बेणेश्वर के पास जिले की सीमा पार करती है।

1.5.2 **माही नदी:**— माही नदी का उद्गम मध्यप्रदेश में होता है। यह बांसवाडा जिले में प्रवेश करती हुई उत्तर की तरफ बहती है तथा उदयपुर, बांसवाडा प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर जिले की सीमाएं अलग करती है । बांसवाडा एवं डूंगरपुर जिले में यह कॉमन सीमा पर बहती है तथा गुजरात में प्रवेश करती है । डूंगरपुर जिले के साथ इसकी लम्बाई 110 किलोमीटर है। इसके तट पर गलियाकोट एक मुख्य स्थान है।

1.5.4 मौसमी बहने वाली नदियां मोरन, मघन, वात्राक, भादर, गांगडी, सपन और वेरीगंगा है। यह सभी नदियां गर्मी के दौरान सूख जाती हैं। मोरन नदी जिले की पहाड़ियों से होकर बहती हुई दक्षिण की तरफ माही नदी में मिल जाती है।

## 1.6 **जलापूर्ति एवं स्वास्थ्य:—(Water supply and health)**

1.6.1 डूंगरपुर जिले में कोई प्राकृतिक झील नहीं है, लेकिन बहुत से तालाब हैं, जिनमें से डूंगरपुर शहर में एक प्रसिद्ध तालाब गेप सागर है। यह तालाब सिंचाई के लिए नहीं है। सिंचाई विभाग के नियंत्रण में बहुत से अन्य तालाब हैं। भिन्न-भिन्न जगहों पर भू-जल सतह 5 से 15 मीटर तक की गहराई पर उपलब्ध होता है। भू-जल स्तर में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। डूंगरपुर, आसपुर एवं सागवाड़ा तहसील के कुछ क्षेत्रों में फ्लोराईड की मात्रा मानक से ज्यादा पाई जाती है। एक सरकारी स्वायत्त शासी समिति स्वच्छ जिले में फ्लोराईड की समस्या को कम करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

## 1.6.2 **तालाब (Dams & Tanks)**

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत तालाब जिनकी भराव क्षमता 100 एम०सी०एफ०टी० से अधिक है, की संख्या 15 है तथा 100 एम०सी०एफ०टी० से कम भराव क्षमता वाले तालाब 10 हैं सबसे बड़ा तालाब सोम कमला आम्बा जिसकी भराव क्षमता 6012 एम०सी०एफ०टी० है एवं भराव स्तर 42.64 फीट है। विवरण निम्नानुसार है।

क. 100 एम0सी0एफ0टी0 से अधिक क्षमता वाले तालाब

क्र0 सं0	बांध का नाम	पूर्ण भराव स्तर (फीट)	भराव क्षमता एम0सी0एफ0टी0	
			कुल	उपयोगी
1	2	3	4	5
1	सोम कमला आम्बा	42.64	6102	5661
2	लोडेश्वर	27.00	422	355
3	बाबा की बार	18.00	110	102
4	गजपुर	32.00	107.79	106.48
5	वात्रक	15.50	171	152
6	भादर	17.50	168	152
7	आंकरसोल का नाका	26.00	131.34	113.31
8	भैं का नाका	33.00	142	139
9	पुंजपुर	12.50	91.85	88
10	बोडी गामा	14.25	136.30	135
11	मारगीया	29.00	173	162
12	मेवाडा	25.58	332	259
13	बिलपन	32.50	102.85	101.02
14	अमरपुरा	21.00	536	480
15	घोडियो का नाका	28.00	104	95

ख. 100 एम0सी0एफ0टी0 से कम क्षमता वाले तालाब

क्र० सं०	बांध का नाम	पूर्ण भराव स्तर (फीट)	भराव क्षमता एम0सी0एफ0टी0	
			कुल	उपयोगी
1	2	3	4	5
1	डोलवरियों का ओड़ा	18.00	20.55	17.66
2	सूरी तालाब	18.00	89.00	79.17
3	गडा झुमजी	11.50	44.01	39.57
4	टामटिया	10.50	42.50	32.85
5	करावाडा तालाब	8.00	15.60	10.80
6	कांठडी	28.00	90.00	82.32
7	गलियाना	15.08	49.75	45.93
8	शीथल	6.50	28.70	23.67
9	कालियादरा	12.80	19.19	17.31
10	वालौता	24.11	54.41	46.43

1.7 वन क्षेत्रों का विस्तार:—(Distribution and area)

1.7.1 इस कार्य आयोजना के अन्तर्गत कुल वनक्षेत्र 692.75 वर्ग कि०मी० है। इसमें आरक्षित वनखण्डों का क्षेत्रफल 257.08 वर्ग कि०मी० है तथा रक्षित वनखण्ड का क्षेत्रफल 426.43 है एवं शेष अवर्गीकृत वनखण्डों का क्षेत्रफल 9.24 वर्ग कि०मी० है। जिसमें रेंज डूंगरपुर, बिच्छीवाड़ा, आंतरी, सिमलवाड़ा, आसपुर, सागवाड़ा के वन क्षेत्र आते हैं। क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है।

सारणी—

वन मण्डल डूंगरपुर की रेंजवार वनक्षेत्र की सूचना

क्र. सं.	नाम रेंज	क्षेत्रफल हैक्टर में			
		आरक्षित	रक्षित	अवर्गीकृत	योग
1	डूंगरपुर	5355.084	6050.688	923.740	12329.512
2	बिछीवाडा	12771.816	1791.320	0	14563.136
3	सीमलवाडा	0	14456.059	0	14456.059
4	आंतरी	7249.144	4788.264	0	12037.408
5	सागवाडा	0	7895.696	0	7895.696
6	आसपुर	332.312	7661.21	0	7993.522
	<b>योग:-</b>	<b>25708.356</b>	<b>42643.237</b>	<b>923.740</b>	<b>69275.333</b>

1.7.2 इस वनमण्डल में 6 रेन्जों में निम्नानुसार 87 वनखण्ड हैं:-

सारणी—

डूंगरपुर जिले में वनक्षेत्र का रेन्जवार वनखण्डों एवं वननाकों की संख्या

क्र.सं.	रेन्ज का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टर में)	वनखण्डों की संख्या	नाकों की संख्या
1.	डूंगरपुर	12329.512	12	7
2.	बिछीवाडा	14563.136	10	6
3.	सीमलवाडा	14456.059	8	6
4.	आंतरी	12037.408	21	6

5.	सागवाड़ा	7895.696	13	5
6.	आसपुर	7993.522	23	5
	<b>योग:-</b>	<b>69275.333</b>	<b>87</b>	<b>35</b>

1.7.3 पूर्व की कार्य आयोजना, जो श्री पी० एस० भटनागर भा०व०से० द्वारा वर्ष 1983-84 से 1992-93 अवधि तक की लिखी गयी थी, के अनुसार इस वनमण्डल कुल 4 रेंज का कुल वनक्षेत्र 487.62 वर्ग कि०मी० था जिसमें 195.07 वर्ग कि०मी० आरक्षित 292.54 वर्ग कि०मी० रक्षित एवं कुल वनखण्ड 62 थे।

1.7.4 पूर्व की कार्य आयोजना श्री पी०एस० भटनागर भा०व०से० में 4 रेन्जे डूंगरपुर, सिमलवाड़ा, सागवाड़ा, आंतरी थी। वनमंडल का पुनःगठन में दो नयी रेंजें बिच्छीवाड़ा, आसपुर बनायी गयी। इस वनमंडल में वनखंडों की संख्या 87 है। वैधानिक स्थिति अनुसार कुल वनक्षेत्र 692.753 वर्ग कि०मी० इसमें आरक्षित वनखण्डों का क्षेत्रफल 257.08 वर्ग कि०मी० है तथा रक्षित वनखण्डों का क्षेत्रफल 426.432 वर्ग कि०मी० है एवं शेष अवर्गीकृत वनखण्डों का क्षेत्रफल 9.24 वर्ग कि०मी० है।

#### 1.8 वन सीमाओं की स्थिति:- (State of boundaries)

1.8.1 मार्च 2010 के अनुसार मीनारों की स्थिति निम्नानुसार पाई गई:-

#### सारणी-

#### बाऊंड़ी पिलर्स की सूचना

क्र.सं.	नाम रेन्ज	सीमा स्तम्भ		शेष
		कुल	अभी तक लगाये गये	
1.	डूंगरपुर	529	393	136
2.	बिच्छीवाड़ा	581	213	368
3.	सीमलवाड़ा	1261	356	905

4.	आंतरी	2106	641	1465
5.	सागवाड़ा	662	148	514
6.	आसपुर	1488	214	1274
	<b>योग :-</b>	<b>6627</b>	<b>1965</b>	<b>4662</b>

नोट:- वनखण्ड वार प्रस्तावित एवं अभी तक लगाये गये सीमा स्तम्भ की संख्या परिशिष्ट 1 पर है।

1.8.2 सत्तर के दशक के 6 वनखण्डों कांठल, लिखतिया पंचकुण्डी, शीशोट डूंगरसारण, भादर, डामरिया दाहला का लगभग 7513.53 हैक्टर वन क्षेत्र कडाणा बांध के विस्थापितों को आवंटन करने के लिए राजस्व विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था। विस्थापितों को इस भूमि के कुछ भाग पर ही पुनर्वास करवाया गया और शेष 3370.87 हैक्टर पुनः वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई। लेकिन यह एक रूचिकर विषय है कि विस्थापित लोग इस भूमि पर बीच-बीच में चारों ओर फैले हुए काबिज हैं इसलिए बचा हुआ वनक्षेत्र वन उपयोग के लिए प्रभावहीन है। भूमि का हस्तान्तरण केवल कागजों में ही किया गया था। ग्राउन्ड पर बहुत कम वनक्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के कब्जे में है। तब से आज तक हस्तान्तरित क्षेत्र का डिनोटिफिकेशन नहीं हुआ यह आज भी वनमण्डल के कुल वनक्षेत्र में गिना जाता है। जो कि मौके पर रिकार्ड में अनिश्चितता की स्थिति रहती है इन क्षेत्रों का पुनः सर्वेक्षण कर वर्तमान स्थिति के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन के लिये सीमांकन किया जाना चाहिये। वन क्षेत्रों का सर्वे कार्य पूर्ण कर सीमाबन्दी कर उसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में कराया जाना अपेक्षित था। किन्ही अपरिहार्य कारणों से जिस गति से यह कार्य करवाया जाना चाहिये था, नहीं करवाया जा सका है। काफी स्थानों पर सीमा चिन्ह जीर्ण शीर्ण अवस्था में अथवा टूट-फूट जाने के कारण उन स्थानों पर वन क्षेत्र की सीमा की निशादेही करने में कठिनाई एवं बाधाएं आती हैं। इसके अतिरिक्त वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने से पूर्व कुछ स्थानों पर वन क्षेत्र का आवंटन होने के कारण सीमा रेखा स्थानांतरित हो चुकी है, जिसके फलस्वरूप कई स्थानों पर यह सीमा चिन्ह गलत



सीमा रेखा दर्शाते हैं, जिससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसका अवैध लाभ राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं जनता उठाती है तथा न्यायालय भी इसको विवाद का मुद्दा मान कर, विभाग के विरुद्ध प्रकरण दायर होते हैं। इसका कतिपय लाभ भी अन्य दावेदारों को मिलता है अतः इन सभी समस्याओं का निदान करने के लिये, इस अपूर्ण कार्य को त्वरित गति से टास्क फोर्स गठित कर, योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करना अति आवश्यक है। इसके लिये वित्तीय, तकनीकी योग्य कर्मचारी एवं अन्य आवश्यक संसाधन तथा सुविधायें उपलब्ध कराई जानी आवश्यक हैं।

1.8.3 इसके अतिरिक्त अतिक्रमण तथा सुरक्षा के दृष्टिगत आबादी के समीप तथा ऐसे स्थानों पर जहाँ वनों को भारी क्षति पहुँचने की संभावना रहती है, वहाँ पर 4 फुट ऊंची पक्की दीवार का भी निर्माण कराया जाना अत्यन्त कारगर तरीका है, जिससे अतिक्रमण की संभावना अत्यन्त कम हो जायेगी।

1.8.4 वन क्षेत्रों के रिकॉर्ड, नक्शे तथा बीट मैप्स आदि बनवाये जाकर उनका रिकॉर्ड नये सिरे से कम्प्यूटर आदि की मदद से संधारित करना उचित होगा। इस रिकॉर्ड की प्रतियां नाके स्तर तक उपलब्ध करवा कर, इसकी संपूर्ण जानकारी स्टाफ को दी जानी चाहिये जिससे संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वन क्षेत्र तथा इसकी सीमाओं की समुचित जानकारी उपलब्ध हो सके तथा उसका व्यवहारिक रूप से कार्य में उपयोग हो सके। इस हेतु जोधपुर में स्थित जी.आई.एस. (GIS=Geographic information system) प्रणाली द्वारा कम्प्यूटर, अन्य उपकरणों एवं सम्बन्धित सॉफ्टवेयर की सहायता से वन क्षेत्रों के डिजिटल मानचित्र (Digital maps) तैयार किया जाना है एवं जी0टी0 शीट 1:50000 स्केल पर वनखण्ड को डिजिटাইज करते हुए गूगल इमेज से प्राप्त क्षेत्रों को स्टॉक को ओवरले किया जाना है जो कि वनखण्डों की वास्तविक स्थिति एवं शस्य का घनत्व दिखाता है, जो कि वन प्रबंधन में काफी उपयोगी साबित होगा एवं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धी होगी।

## 1.9 वैधानिक स्थिति:—(Legal position)

1.9.1 इस कार्य आयोजना के तहत आने वाले समस्त वन क्षेत्र राजस्थान सरकार की सम्पदा है। वन संरक्षण अधिनियम (1980) प्रभाव में आने के पश्चात् अब वन क्षेत्रों को किसी भी गैर वानिकी कार्य के प्रयोजनार्थ उपयोग से पूर्व केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

1.9.2 राजतंत्र काल में डूंगरपुर रियासत जंगल कानून अधिनियम 1941 के अन्तर्गत वन क्षेत्रों को निम्नानुसार विभाजित किया हुआ था :-

(i) आरक्षित वर्ग- I, (ii) आरक्षित वर्ग- II, (iii) ग्राम्य वन, (iv) मलवास, ग्राम्य वन राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन तथा अन्य वन क्षेत्र वन विभाग के नियंत्रणाधीन थे । ग्राम्य वनों से लोगों को जलाऊ लकड़ी तथा छोटी ईमारती लकड़ी की पूर्ति होती थी तथा भारी जैविक दबाव के कारण इन वनों में भारी गहमागहमी रहती थी । जबकी दूसरे वन क्षेत्र वन विभाग के नियंत्रणाधीन रखकर शिकारगाह के रूप में संधारित किये जाते थे। जलाने की लकड़ी आदि का विदोहन करने की अनुमति इन क्षेत्रों में नहीं मिलती थी। शाही परिवार इन वन क्षेत्रों में शिकार किया करते थे।

1.9.3 वनों का सीमांकन एवं बंदोबस्त राजस्थान वन अधिनियम 1953 एवं इसकी धारा 26 "ए" तथा 76 के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान वन (बन्दोबस्त) नियम 1958 नियमों के अनुसार किया जाता है।

1.9.4 वनों की वैधानिक स्थिति क्षेत्रफल के अनुसार ऊपर बिन्दु संख्या 1.7.1 में दी गई है। कार्य आयोजना क्षेत्र में कुल 87 वनखंड है जिनका क्षेत्रफल 692.752 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 15 आरक्षित वनखंडों का क्षेत्रफल 257.09 वर्ग किलोमीटर है, 70 रक्षित वनखंडों का क्षेत्रफल 426.43 वर्ग किलोमीटर है, एवं शेष 2 अवर्गीकृत वनखंडों का क्षेत्रफल 9.23 वर्ग किलोमीटर है।

1.9.5 वनखण्डों की प्राथमिक एवं अन्तिम विज्ञप्ति की सूची परिशिष्ट 1 पर दी गयी है।

1.9.6 वन मण्डल के अधीन कुल 87 वनखण्ड हैं। इनमें से 74 की अंतिम विज्ञप्ति जारी हो चुकी हैं। 11 वनखण्डों की अन्तिम विज्ञप्ति जारी होना शेष है। 2 वनखण्ड अवर्गीकृत है जिसकी प्रारंभिक कार्यवाही की जा रही है। ज्ञातव्य है कि वन मण्डल में सर्वेयर का पद 1996 में समाप्त किये जाने के पश्चात् वनमण्डल में सर्वेयर पदस्थापित नहीं है। वनक्षेत्र को देखते हुए वन मण्डल में सर्वेयर का पद सृजित कर योग्य कर्मी का पद स्थापन किया जाना अत्यावश्यक है।

1.9.6 अमलदरामद की स्थिति:—

वन मण्डल डूंगरपुर की वनक्षेत्र की अमलदरामद की सूचना

क्र. स.	जिला	वन मण्डल	कुल वन भूमि	इस माह के अन्त में अमलदरामद शुदा वन भूमि	इस माह के अन्त में अमल दरामद से शेष वन भूमि का विवरण								योग
					अनसर्वेड	चारागाह	आंवटन	खातेदारी	आबादी (कडाणा पुनर्वास से वापसी शेष)	इन्टीरियर	अन्य विभाग की भूमि दर्ज होना (कडाणा पुनर्वास एवं अन्य विभागों को रिलिज)	अन्य कारण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	डूंगरपुर	डूंगरपुर	69275.333	18439.567	36529.556	19.752	191.922	—	2797.74	6895.040	4167.308	234.448	50835.766

## 1.10 अधिकार एवं रियायतें:—(Rights and concessions)

1.10.1 डूंगरपुर राज्य में जंगल कानून रियासत डूंगरपुर 1941 के अनुसार आरक्षित वर्ग प्रथम एवं द्वितीय वन क्षेत्रों में विदोहन की अनुमति नहीं थी और इन वन क्षेत्रों को राजाओं के शिकारगाह के रूप में संधारित किया जाता था। ग्रामीणों की मांग पूर्ति ग्राम्य वनों से तथा कुछ सीमा तक आरक्षित वर्ग द्वितीय से की जाती थी। इसलिए ग्रामीणों को आरक्षित प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के वन क्षेत्रों में कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे ।

1.10.2 सन् 1948 में राजस्थान राज्य के गठन के बाद से राज्य सरकार द्वारा लोगों को वन क्षेत्रों में रियायतें दी जाने लगीं तथा धीरे-धीरे रियायतें बढ़ती रहीं । कृषकों को दिये जाने वाली यह रियायतें एवं अधिकार राजस्थान राजपत्र में राज्यादेश संख्या 138 दिनांक 14.02.1949 द्वारा प्रकाशित किये गये । वृहद राजस्थान के निर्माण के बाद एक दूसरी विज्ञप्ति संख्या एफ 1 (428) वन/49 दिनांक 13.03.51 प्रकाशित हुई जिसमें पूर्व की विज्ञप्ति में संशोधन किये गये थे ।

### 1.10.3 अधिकार एवं रियायतों की पृष्ठभूमि एवं वर्तमान स्थिति की विवेचना :

1.10.4 रियासतों के विलीनीकरण के उपरान्त 1948 में राजस्थान राज्य की स्थापना के बाद, धीरे-धीरे राज्य सरकार द्वारा वनों पर अधिकार व रियायतों का बोझ डाला जाने लगा। राज्य परिषद के संकल्प संख्या 182 दिनांक 18.02.1949 की अनुपालना में कृषक विशेषकर आदिवासियों को वन उपज लेने संबंधी रियायत हेतु शासन आदेश क्रमांक 136 दिनांक 14.02.1949 से विज्ञप्ति जारी की गई थी। तदुपरान्त, वृहद राजस्थान बनने के साथ ही शासन आदेश क्रमांक एफ 1 (428) फोर/49 दि. 13.03.1951 से पूर्व में जारी विज्ञप्ति में संशोधन किया गया। रियायतों के प्रश्न पर पुनर्विचार हेतु शासन आदेश क्रमांक एफ 1 (30) फोर/ 52 दि. 29.04.1952 से सरकारी व गैर सरकारी व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई थी। इसके फलस्वरूप, समिति की सिफारिश पर, वन नियमों में संशोधन कर, शासन आदेश क्रमांक 4241/ एफ 34(44) रेव/ 53 दि. 24.11.1955 जारी किये गये। इन नियमों के अंतर्गत निम्न प्रकार की रियायतें प्रदान की गई थी :

1. ग्रामीणों व आदिवासियों को कृषि व निर्माण प्रयोजनार्थ मुफ्त लकड़ी ।

2. मुफ्त बाड़बंदी हेतु सामग्री ।
3. वन से सूखी लकड़ी संग्रहित करने का अधिकार ।
4. सर बोझ द्वारा घास एकत्रित करने का अधिकार ।
5. खाने योग्य जड़, पत्ते, फल तथा छप्पर हेतु सामग्री एकत्रित करने का अधिकार

1.10.5 उसके बाद 1952 में ग्रामीणों की मांगों का पुनः अध्ययन किया गया और 1951 की विज्ञप्ति में संशोधन करते हुए नई विज्ञप्ति संख्या 4241/एफ 34(44) राजस्व/53 दिनांक 18.06.1955 प्रकाशित की गई । तब से इसी की क्रियान्विति की जा रही है । दुर्भाग्यवश इस विज्ञप्ति में आदिवासियों एवं कृषकों को बहुत अधिक रियायतें दिये जाने से वनक्षेत्र पर भारी दबाव हो गया । इसके परिणामस्वरूप वन क्षेत्रों में भारी कटाई होने लगी । जिसके कारण वर्तमान में इस वनमण्डल के वन क्षेत्रों से बांस एवं खैर थोड़े ही समय में लुप्तप्रायः हो गया । केवल यह दो प्रजातियां ही लुप्तप्रायः नहीं हुई हैं बल्कि सागवान के पूर्ण परिपक्व पेड़ भी इन क्षेत्रों से लुप्तप्रायः हो गये । अधिकांश वन क्षेत्र वृक्ष विहीन हैं तथा पहाड़ियों पर कहीं-कहीं इक्के-दुक्के वृक्ष दिखाई देते हैं । इस प्रकार के परिदृश्य इस वन मण्डल में सामान्य हैं । यह स्वयं ही इस वनमण्डल के वनों की स्थिति का वर्णन करती है ।

1.10.6 अलग-अलग वन खण्डों में अलग-अलग अधिकार व रियायतें दी गई हैं जिनका उक्त वनखण्ड को आरक्षित/रक्षित घोषित करने हेतु जारी की गई विज्ञप्ति में विस्तृत विवरण दिया गया है । मुख्य रूप से निम्न प्रकार के अधिकार एवं रियायतें स्वीकृत हैं ।

1. सूखी गिरी पड़ी जलाऊ लकड़ी निजी इस्तेमाल के लिए सर भार से मुफ्त ला सकेंगे ।
2. वनखंड के कुछ भाग के सरकारी/बीड़े का घास कटने के बाद मवेशी मुफ्त चराते रहेंगे ।
3. किसी गांव विशेष से अन्य गांव (नाम सहित) गाड़ी-गडार या पगडंडी वाले मार्ग से आ जा सकेंगे ।
4. अपने निजी मवेशी विज्ञप्ति में दिये गये विवरण के अनुसार निशुल्क अथवा सशुल्क चरा सकेंगे ।
5. मंदिर (यदि हो तो) तक आवागमन हेतु निश्चित चौड़ाई के रास्ते से गुजर सकेंगे व मंदिर में पूजा-अर्चना कर सकेंगे ।

6. मंदिर के श्रद्धालु मंदिर के पास के कुछ निश्चित भाग में प्रसादी कर सकेंगे।

7. वनखंड के एक निश्चित स्थान में (पूर्वानुसार) गांव विशेष के मुर्दे जलाते रहेंगे। आदि।

1.10.7 समय के साथ साथ तत्कालीन आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा राजस्थान वन अधिनियम 1953 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अनेक प्रकार के अधिकार व रियायतें आमजन को प्रदत्त की गईं। निम्न अधिनियम, नियम व शासन आदेशों से वन एवं वन उपज पर अधिकार व रियायतें नियंत्रित होती हैं :

1. राजस्थान वन अधिनियम, 1953
2. संरक्षित वन नियम, 1957
3. राजस्थान वन उपज (परिवहन) नियम, 1957
4. राजस्थान वन (बन्दोबस्त) नियम, 1958
5. रक्षित वन नियम, 1957
6. राजस्थान रक्षित वन (रियायतों का प्रयोग ) नियम, 1960
7. राजस्थान रक्षित वन (अधिकारों का प्रयोग ) नियम, 1960
8. राजस्थान रक्षित वन (अधिकारों का प्रत्यर्पण ) नियम, 1960
9. राजस्थान संरक्षित वन (अधिकारों का प्रयोग ) नियम, 1960
10. राजस्थान संरक्षित वन (रियायतों का प्रयोग ) नियम, 1960
11. राजस्थान वन उपज (आरामिलों की स्थापना व नियंत्रण ) नियम, 1983
12. राजस्थान सरकार ठेका जंगलात नियम 1958
13. राजस्थान वन उपज (तेन्दूपत्ता ) नियम 1974

1.10.8 सन् 1988 में नवीन "राष्ट्रीय वन नीति" जारी की गई । इस नीति में वन प्रबन्ध में आमजन की भागीदारी को बढ़ाने पर मुख्य जोर दिया गया था। इसके फलस्वरूप सन् 1991 में साझा वन प्रबन्ध की प्रणाली का वनों के प्रबन्धन में उपयोग करने के संकल्प के साथ ही वनों के प्रबन्ध में, स्थानीय ग्रामवासियों के अधिकार व रियायतों में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ है।

1.10.9 सर्वप्रथम, परिभ्रांषित एवं वृक्षविहीन वन क्षेत्रों को पुनः हरा भरा करने में ग्रामवासियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा

राज्यादेश क्रमांक एफ 7(39)75/90 जयपुर, दिनांक 15 मार्च 1991 जारी किया गया जिसके अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र में कार्यरत संघ ट्री ग्रोवर्स को-ऑपरेटिव/वन श्रमिक सहकारी समिति/ग्राम्य वानिकी सुरक्षा एवं विकास समिति एवं अन्य ऐसी सहकारी समितियां को परिभ्रांषित वन भूमि के टुकड़ों के विकास, सुरक्षा एवं प्रबन्ध का दायित्व सौंपा जा सकता था। और इस प्रकार की जनभागीदारी की एवज में संबंधित संस्था/समिति के सदस्यों को क्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास से उत्पन्न होने वाली लघु वन उपज (बांस के अलावा) जैसे घास, पत्ते, फल-फूल, टूटी हुई टहनियां इत्यादि सुविधानुसार प्राप्त कर सकते थे। घास व चारा निःशुल्क उपलब्ध था।

1.10.10 तदुपरान्त राज्य सरकार द्वारा राज्यादेश क्रमांक एफ 7(23)वन/90 जयपुर, दिनांक 26 अप्रैल 1991 जारी किया गया जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भूमि, गोचर एवं सरकारी पड़त भूमि पर किये गये वृक्षारोपण में स्थानीय वासियों से सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया निधारित की गई। इसमें ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के गठन, कार्यप्रणाली, दायित्व आदि निर्धारित किये गये तथा वनउपज के वितरण की भी व्यवस्था कायम की गई। इसके अनुसार कम से कम दस वर्षों तक वन क्षेत्र/वृक्षारोपण की प्रभावी तौर पर सुरक्षा एवं देख रेख करने पर अंतिम विदोहन से पूर्व संबंधित समिति को निम्न लाभ दिये जा सकेंगे।

- ✓ "समय समय पर प्राप्त होने वाली निम्न लघु वन उपज घास, पत्ते, सूखी गिरी टहनियां, फलियां, बीज, फूल एवं फल एवं अन्य ऐसी उपज को ग्रामवासी निःशुल्क एकत्र कर सरबोझ के रूप में निकास कर सकेंगे।
- ✓ क्षेत्र से प्राप्त होने वाली मूंजा, बुहारी एवं खस घास को निलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने का प्रावधान है।
- ✓ अंतिम विदोहन वन विभाग के विभागीय कार्य मण्डल के माध्यम से किया जायेगा।
- ✓ अंतिम विदोहन से प्राप्त वन उपज के संबंध में इसमें प्रावधान किया गया था कि छाल सहित 20 सेमी से कम गोलाई वाली लकड़ी को समिति की सिफारिश अनुसार स्थानीय लोगों में बांट दिया जावेगा।

- ✓ 20 सेमी से अधिक गोलाई की लकड़ी को समिति के सदस्यों के समक्ष उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल द्वारा स्थानीय बाजार में प्रचलित दरों पर विक्रय कर दिया जावेगा अथवा समिति की अनुशंषा पर समस्त प्रकार की लकड़ी को विभागीय कार्य मण्डल द्वारा खुली निलामी से विक्रय किया जावेगा।

1.10.11 सन् 2000 में इस संबंध में जारी समस्त पूर्व आदेशों को संशोधित कर राज्य सरकार द्वारा **राज्यादेश क्रमांक फ 7(39)वन/90 जयपुर, दिनांक 17.10.2000** जारी किया गया। वर्तमान में साझा वन प्रबन्धन इस राज्यादेश के अंतर्गत संचालित है। इस राज्यादेश में वृक्षविहीन/परिभ्रंषित क्षेत्र के अलावा वृक्षविहीन अथवा परिभ्रंषित हाने की कगार वर खड़े वन/वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा/विकास/प्रबन्धन में सक्रिय समितियों को निम्न अधिकार व रियायतें प्रदान की गई हैं :

- ✓ **अंतिम विदोहन से पूर्व** "उससे समय समय पर प्राप्त होने वाली लघु वन उपज (तेन्दू पत्ता और गोंद को छोड़कर) जैसे घास, पत्तियां, पाला, फलियां, फल, फूल, बीज, सूखी गिरी पडी टहनियां, मूंजा (पानी पूला), बुहारी, खस तथा अनुमोदित प्रबन्ध योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली अन्य लघु वन उपज समिति को निःशुल्क" उपलब्ध होगी।
- ✓ इस वन उपज की निकासी की प्रक्रिया समिति अपने स्तर पर निर्धारित कर सकेगी।
- ✓ विधिवत् अनुबन्ध उपरान्त कम से कम 5 वर्ष तक समिति द्वारा क्षेत्र की प्रभावी सुरक्षा करने पर, समिति को अनुमोदित प्रबन्ध योजना अनुसार किये गये किसी भी कल्चरल ऑपरेशन से प्राप्त वन उपज के कार्य पर किये गये सरकारी व्यय को घटाने के बाद बकाया पर समिति का अधिकार होगा।
- ✓ अनुमोदित प्रबन्ध योजना के अनसार एवं बड़े ऊंचे वृक्षों की उपलब्धता पर समिति को छंगाई कराने का भी अधिकार होगा।

1.10.12 अंतिम विदोहन से प्राप्त वनउपज व आय के संबंध में इस राज्यादेश में यह व्यवस्था की गई है कि –



- ✓ "बांस को छोड़कर छाल सहित 20 सेमी से कम गोलाई की लकड़ी समिति की सिफारिश पर समिति के सदस्यों को वन अधिकारियों की देखरेख में समानुपात में वितरित कर दी जावेगी।"
- ✓ "छाल सहित 20 सेमी से अधिक गोलाई की लकड़ी एवं सभी नाप के बांस वन विभाग द्वारा समिति के सदस्यों के समक्ष स्थानीय बाजार में प्रचलित दरों पर सदस्यों में विक्रय कर दिये जायेंगे।"
- ✓ "समिति के सदस्यों की मांग से अधिक लकड़ी एवं बांस का निस्तारण समिति की सिफारिश के अनुसार सदस्यों के समक्ष वन विभाग के नियमानुसार खुली निलामी अथवा निर्धारित दर द्वारा विक्रय कर दिया जावेगा।"

#### 1.10.13 पंचायत राज अधिनियम, 1992 [The Panchayat Raj Act, 1992]

1.10.14 सन् 1992 में केन्द्र सरकार द्वारा संविधान में 73 वां संशोधन किया गया। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर अधिक अधिकार देने व पंचायत राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जिला परिषद, को सशक्त करने का प्रावधान था। इसी संविधान संशोधन के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा अपनी **आज्ञा क्रमांक प15(35)वन/97 जयपुर दिनांक 17.07.2003** से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 50, 51, तथा 52 व 53 के क्रम में वन विभाग से संबंधित निम्न दायित्वों, कार्यों व शक्तियों को हस्तांतरण पंचायत राज संस्थाओं—यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद को किया गया है :

1. गैर वन भूमि पर सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी के कार्य।
2. सामाजिक वानिकी हेतु पौधशाला की स्थापना आदि।
3. पंचायत क्षेत्र में वनसम्पदा का रखरखाव व संधारण।

1.10.15 पृथक **आज्ञा क्रमांक प15 (35) वन/97 जयपुर दिनांक 17.07.2003** के अनुसार राजस्थान पंचायत राज (मोडिफिकेशन ऑफ प्रोविजन्स एण्ड देयर एप्लीकेशन इन दी शिड्यूलड एरियाज) एक्ट 1999 के तहत राज्य में वन और गैर वनक्षेत्रों पर पैदा होने वाली समस्त लघु वन उपज (शहद, मोम, लाख, महुआ, फूल, ऑयल—सीड्स, जंगली झाड़ियां, और शाक, आवला, बहेड़ा, अरीठा, जामुन, खिरनी, मोलसरी, आम, बेर,

लिसोड़ा, तेन्दू आदि के फल, घास एवं चारा, पलाश के पत्ते आदि) से होने वाली आय पर अधिकार ग्राम पंचायतों का होगा ।

राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 2.11.2011 की पंचायत राज विभाग की अधिसूचना अनुसार जारी नियमों के तहत राज्य में तेंदुपत्ता के संग्रहण और विपणन का जिम्मा निम्नानुसार लिया जायेगा ।

- 1 तेंदुपत्ते का व्यापार राजस्थान तेंदूपत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम 1974 (1974 का अधिनियम संख्या 5 द्वारा शसित है ।
- 2 तेन्दुपत्ता वन विभाग द्वारा राजस्थान तेन्दुपत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम 1974 (1974 का अधिनियम संख्या 5) के अनुसार निरन्तर संग्रहीत किया जावेगा ।
- 3 तेन्दुपत्ता के संग्रहण से प्राप्त शुद्ध राजस्व सम्बंधित पंचायत जिसके क्षेत्र से तेन्दुपत्ता संग्रहीत किया गया है, को उसके क्षेत्र से तेंदुपत्ता के उत्पादन के अनुपात में अन्तरित किया जायेगा ।
- 4 विभिन्न ग्राम सभाओं से संग्रहीत तेन्दुपत्ता के ब्यौरे, वन विभाग द्वारा राज्य सरकार को उस दर पर जिस दर पर तेन्दूपत्ता प्रतिवर्ष संग्रहीत किया जाता है। सलाह देने के लिये संकलित किये जायेंगे ।
- 5 ग्राम सभा इस राजस्व का 50 प्रतिशत उपयोग अवसंरचना विकास के लिये और शेष 50 प्रतिशत उस क्षेत्र में तेन्दुपत्ता उत्पादन की वृद्धि के लिये अपेक्षित सांस्कृतिक संक्रियाओं पर करेगी ।
- 6 वन विभाग की सलाहकार समिति में आवश्यक रूप से पंचायती राज विभाग का प्रतिनिधि होगा ।

**वन मण्डल डूंगरपुर द्वारा वर्ष (2010–11) में संग्रहित तेन्दूपत्ता के पेटे वर्ष 2011–12 में पंचायतों को राशि 3454930 रु स्थानान्तरीत की गयी ।**

- 1.10.16 उपरोक्त वर्णन से यह बहुत स्पष्ट उभर कर आता है कि पूर्व की भांति व्यक्तिगत अधिकार दिये जाने के स्थान पर विगत तीन दशको में सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ ही लाभ का अधिकार दिये जाने की व्यवस्था धीरे धीरे अमल में लाई गई । वन क्षेत्र के बन्दोबस्त के दौरान स्थापित किये गये अधिकारों व रियायतों के अतिरिक्त वन क्षेत्र व वनउपज के उपयोग के संबंध में वर्तमान में अधिकांश अधिकारों का

क्रियान्वयन वस्तुतः वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति जैसी सामूहिक संस्थाओं के माध्यम से ही किया जा रहा है।

1.10.17 दिसम्बर 2005 में केन्द्र सरकार द्वारा वनक्षेत्र में आवासित अनुसूचित जनजाति व पारम्परिक वन आवासित समुदायों के सदस्यों को वनक्षेत्र एवं वनसम्पदा के उपयोग के अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से एक अधिनियम पारित किया है जिसका नाम है **"अनुसूचित जनजाति एवं पारम्परिक वन आवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006"** जो दिनांक 02 जनवरी 2007 को राष्ट्रीय गजट में भी प्रकाशित हो गया है तथा जनवरी, 2008 से इसके तहत बनाए गए नियम भी लागू हो गये हैं। इस अधिनियम से केन्द्र सरकार द्वारा वनक्षेत्र पर अपने निर्व्याज (Bonafide) जीविका की आवश्यकताओं हेतु निर्भर अनुसूचित जनजाति एवं पारम्परिक वन आवासित समुदायों के सदस्यों को वनक्षेत्र एवं वनसम्पदा पर निम्न प्रकार के अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया है :

- (1) 13 दिसम्बर 2005 की स्थिति अनुसार उनके कब्जे में स्थित वन भूमि पर रहने व स्वयं हेतु कृषि कार्य करने का अधिकार ।
- (2) सामुदायिक अधिकार जो पूर्व काल में उनको उपलब्ध थे जैसे निस्तार के अधिकार आदि ।
- (3) पारम्परिक तौर पर उनके द्वारा संग्रहित किये जाने वाले गौण वन उपज के स्वामित्व, पहुंच, संग्रहण, उपयोग व निस्तारण का अधिकार ।
- (4) वनक्षेत्र पर अन्य प्रकार के सामुदायिक उपयोग के अधिकार जैसे चराई आदि ।
- (5) आवास व आवासस्थान पर सामुदायिक सावधि पट्टेदारी का अधिकार ।
- (6) विवादित भूमि पर अधिकार ।
- (7) वनक्षेत्र में प्रदत्त लीज, पट्टे, आदि के खातेदारी में परिवर्तन का अधिकार ।
- (8) वन ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने का अधिकार ।
- (9) सामुदायिक वन सम्पदा की सुरक्षा, प्रबन्धन, और संरक्षण को अधिकार ।

- (10) स्वीकार्य सामुदायिक अधिकार।
- (11) जैव विविधता पर पहुंच का अधिकार।
- (12) स्वयं की बौद्धिक सम्पदा और पारम्परिक ज्ञान के संबंध में अधिकार।
- (13) अन्य कोई अधिकार जो परम्परागत तौर पर प्राप्त हों।
- (14) बगैर उचित मुआवजा व विधिक सहायता के अवैध निष्कासन अथवा पुर्नवास होने पर पुनः उसी स्थान पर पुनर्स्थापना का अधिकार।

1.10.18 इन अधिकारों के निर्धारण की प्रणाली भी अधिनियम में निर्धारित की जा चुकी है, जिसमें ग्राम सभा द्वारा अधिकार निर्धारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है, जिस पर उपखण्ड स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार कर सिफारिश की जाकर अधिकारों का अंतिम निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा किया गया।

1.10.19 वन अधिकारों को मान्यता देने के क्रम में गठित समितियों का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। जिला स्तरीय समिति ने 4150 दावे क्षेत्रफल 2755.07 हैक्टर स्वीकृत किये।

#### 1.10.20 चराई (Grazing)

राजस्थान फोरेस्ट कन्सेशन रूल्स, 1955 के अर्न्तगत गायें और बैल फीस चराई से मुक्त रहेंगे। आदिवासी जिसमें आदिवासी पेशावर चराईदार भी शामिल है सिवाय बन्द जंगलों के बाकी तमाम जंगलों में अपनी निजी मवेशी सिवाय ऊटों के मुफ्त चरा सकते हैं।

1.10.21 इस वनमंडल से गुजरात सीमा लगने के कारण से अवैध रूप से गुजरात के पशु चराई करते हैं इसको प्रभावी ढंग से रोक-थाम करनी चाहिये।

## अध्याय—2 (अ)

### पादप जगत

### Forest Flora

- 2.1 शस्य की संरचना एवं दशा (General description of the growing stock) :-
- 2.1.1 डूंगरपुर जिले में मुख्यतः दो प्रकार के वन यथा सागवान वन तथा विविध प्रजाति के मिश्रित पर्णपाती वन हैं। परन्तु इनकी विभाजन रेखा ज्यादा स्पष्ट नहीं है। फलस्वरूप एक ही कक्ष में दोनों प्रकार के वन भी देखे जा सकते हैं।
- 2.1.2 वन के शस्य की संरचना व दशा प्रमुखतया उसके नीचे स्थित भूमि के भूविज्ञान पर निर्भर करता है। सागवान की गुणवत्ता तो मृदा की गहराई से ज्यादा प्रभावित दिखाई देती है। आबादी क्षेत्र के निकट स्थित वनों की दशा मनुष्य के हस्तक्षेप एवं पशुओं द्वारा निरन्तर चराई से भी प्रभावित हुई है। इन स्थलों पर मात्र झाड़ीनुमा वृक्ष अथवा कॉपिस कल्ले ही विद्यमान हैं। बाकी के क्षेत्रों में शस्य की बनावट एक जैसी नहीं है। इसमें तरुण से लेकर परिपक्व श्रेणी के वृक्ष मौजूद हैं।
- 2.1.3 सामान्यतः जिले के क्षेत्र में जहां मृदा की गहराई कम है। वहां सागवान के छोटे वृक्ष हैं। तथा जिन क्षेत्रों में मृदा की गहराई अच्छी है। वहां सागवान के बड़े एवं अच्छे वृक्ष आज भी दिखाई देते हैं। पहाड़ी ढलानों पर तथा रेतीली व कंकड युक्त मृदा में निम्न श्रेणी के सागवान पाये जाते हैं।
- 2.1.4 समुन्द्र तल से उंचाई का हालांकि वन एवं वनस्पति पर कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। परन्तु ऊंचे क्षेत्र में व पठारों पर लेटेरिटिक मृदा में मिश्रित शस्य पाया जाता है। जिसमें सागवान के अलावा सालर, झींझा, धावड़ा, धोंक, गुरजन, आंवला व कड़ाया प्रमुख प्रजातिया हैं। हल्की ढलानों पर तथा समतल भूमि पर बेहतर मृदा जमा

होने के कारण कुछ बादियों में जहाँ अच्छा अनुकूल नमी का वातावरण हैं। वहाँ सागवान व पर्णपाती मिश्रित वन भी पाये जाते हैं। वनस्पति में अन्तर के अलावा एक ही कक्ष में शस्य के घनत्व में भी काफी अन्तर देखने को मिलता है।

2.1.5 शस्य का अधिकांश भाग टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ, बांका तथा परिभ्राषित है। ऐसा जनसंख्या एवं पशुओं के अत्यधिक व निरन्तर दबाव के कारण है। अधिकांश वन क्षेत्र वृक्षविहिन दिखाई देता है।

2.1.6 ऐसे क्षेत्रों को पुनः सुरक्षा प्रदान कर प्राकृतिक पुनरोत्पादन को प्रोत्साहित करना अथवा कृत्रिम ढंग से पुनरोपित करना बेहद आवश्यक है। अनेक क्षेत्रों में सागवान के मूल संकथ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे क्षेत्र को मात्र बंद कर पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर देने से ही सागवान का पुनरोत्पादन हो सकता है।

## 2.2 वनों का वर्गीकरण

इस कार्य आयोजना के अन्तर्गत जिन वनों का वर्णन किया गया है वे चैम्पियन एवं सेठ के संशोधित वर्गीकरण के अनुसार “॥ शुष्क उष्ण देशीय वनों” (॥ Dry Tropical Forest) श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। इस वर्गीकरण को उप प्रकार एवं समूहों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:—

### 2.2.1 उप समूह 5A

दक्षिण उष्ण देशीय शुष्क पर्णपाती (Southern Tropical Dry Deciduous)

सी<sup>1</sup><sub>ए</sub> (C1a) — अति शुष्क सागौन वन (Very dry teak forest)

### 2.2.2 उप समूह 5B

उत्तरी उष्ण देशीय शुष्क पर्णपाती वन (Northern Tropical Dry Deciduous Forest)

(अ) सी 2 उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन (Northern dry mixed deciduous forest)

2.2.3 उष्ण देशीय शुष्क पर्णपाती वनों की परिभ्राषित अवस्थाएं :

(ब) डी-एस-1 शुष्क पर्णपाती स्क्रब

2.2.4 शुष्क पर्णपाती वनों का सामान्य मृदीय प्रकार :

ई-1 एनोगाईसिस पेण्डुला वन

ई-1/डी. एस.-1 एनोगाईसिस पेण्डुला स्क्रब वन

ई-2 सलाई [बोसवेलिया सिर्रेटा] वन। (*BOSWELLIA SERRATA*)

ई-5 ढाक [ब्यूटिया मोनोस्पेर्मा] वन। (*BUTEA MONOSPERMA*)

2.2.8 डा. सी. एम. माथुर ने इन वनों को निम्न फ्लोरिस्टिक श्रेणियों एवं फेसीज में विभाजित किया है।

(अ) श्रेणी :

1. एनोगाईसिस पेण्डुला (*Anogeissus pendula*)
2. परिभ्राषित एनोगाईसिस पेण्डुला (*Degraded Anogeissus pendula*)
3. एनोगाईसिस लेटिफोलिया (*Anogeissus latifolia*)
4. परिभ्राषित एनोगाईसिस लेटिफोलिया (*Degraded Anogeissus latifolia*)
5. टेक्टोना ग्रेण्डिस (*Tectona grandis*)
6. परिभ्राषित टेक्टोना ग्रेण्डिस (*Degraded Tectona grandis*)
7. घास के मैदान।

1 **अत्यधिक शुष्क सागवान :-** सागवान जोन मुख्यतया आंतरी रेन्ज के पश्चिमी भाग, डूंगरपुर एवं बिछीवाडा रेन्जों के सम्पूर्ण भाग में और सीमलवाडा और आसपुर रेन्ज के कुछ भाग में स्थित है। इसमें मुख्य वृक्ष प्रजाति सागवान

(टेक्टोना ग्राण्डिस), धावडा (एनोगार्डसिस लेटिफोलिया), गुर्जन (लिनिया कोरोमेण्डलिका), सालर (बोस्विलीया सेरेटा), तेन्दु (डायोस्पाईरस मेलानोजार्डलोन), आंवला (एम्बेलिका ऑफीसीनेलिस), सादड (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा), बहेडा (टर्मिनेलिया बेलेरिका), बीजा (टेरोकारपस मार्सुपियम), कलम (मित्रागायिना पार्वीफलोरा), मोखा (श्रेबेरिया स्विटेनोर्डिस), सीरस (अलबिजिया लेबेक), उम्बीया (मिलियोसा टोमेन्टोसा), खाखरा (ब्युटिया मोनोस्पर्मा), बेल (ईगल मार्मीलोस), हल्दु (एडिना कोर्डिफोलिया), बोहिनीया वेरिगेटा, अकेशिया सेनेगल, अर्जुना (कोहड़ा), सेमल, अमलतास और चुरैल आदि पायी जाती हैं। वृक्षों की औसत ऊंचाई 4 मीटर से अधिक है, अनुकूल वातावरण में ऊंचाई 10 मीटर तक हो जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में सागवान से केवल बल्लियां ही प्राप्त हो रही हैं।

2 **विविध प्रजाती वन :-** आंतरी रेन्ज का कुछ भाग डूंगरपुर, बिछीवाडा एवं आसपुर रैनज के हिस्सों में इस प्रकार का वन पाया जाता है। इस प्रकार के वन क्षेत्रों में वृक्षों की बहुत सारी प्रजातियां पायी जाती हैं। मुख्यतया धावडा के पेड, तेन्दु, सालर, गुर्जन, बेल, गोयाखेर, बांस, कडाया, सीरस, धौंक, खांखरा के साथ-साथ पाये जाते हैं। अधिक ढाल वाले क्षेत्र में, पहाड़ियों के ऊंची पठारी भाग में धावडा एवं उसके सहयोगी दूसरी प्रजातियां कम होती चली जाती हैं तथा सालर एवं गुर्जन के ही पोकैट दिखाई देते हैं। नीचे के क्षेत्रों में नालों के साथ-साथ खांखरा, बेर, जामुन, कोहड़ा, कलम, बहडा, महुआ ओर सागवान के वृक्ष पाये जाते हैं। धावडे की औसत ऊंचाई 3 से 5 मीटर के मध्य होती है। विविध प्रजाति के वनों से केवल जलाऊ लकडी तथा कुछ मात्रा में छोटी ईमारती लकडी प्राप्त होती है।

3 **वृक्ष विहीन एवं परिभ्रांषित वन :-** इस वनमण्डल का ज्यादातर भाग या तो वृक्ष विहीन है या झाडीनुमा स्थिति में है। निरन्तर कटाई, अत्यधिक चराई एवं बार-बार अग्नि घटनाओं से वृक्ष विहीन क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। भू-सतह चट्टानी है जहां पर मिट्टी की मात्रा नगण्य है। इन क्षेत्रों में बैर की झाडियां, कोंच, गोयाखैर, पुआंड (केशिया टोरा), आधीसीशी केशिया प्रजातिया, आक, दूधी, हारसिंगार, तथा लांपला एवं पोलाण्डा घास की प्रजातियां यहां पर पायी



जाती हैं। इन क्षेत्रों में केवल चारागाह विकास के कार्य ही अच्छी तरह कराये जा सकते हैं।

#### जिले का वनक्षेत्र :-

#### 4 डूंगरपुर जिले का वनावरण का विवरण निम्नानुसार है।

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की State of Forest Report प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है। Remote sensing की तकनीक पर आधारीत गत चार रिपोर्ट का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	वर्ष	भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी)	वनावरण (वर्ग कि०मी० में)				भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत
			अत्यधिक सघन (Very dense)	सघन (Dense)	अनावृत (Open)	योग	
1	2003	3770	0	17	233	250	6.63
2	2005	3770	0	17	235	252	6.68
3	2007	सूचना उपलब्ध नहीं है।					
4	2009	3770	0	44	208	252	6.68
5	2011	3770	0	44	208	252	6.68

उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि सघन (Dense) वन 17 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 44 वर्ग किलोमीटर हो गया है तथा अनावृत (Open) वन क्षेत्र 235 से घटकर 208 वर्ग किलोमीटर शेष रह गया है। यह आँकड़ा वानिकी क्षेत्र में किये गए प्रयासों की सफलता दर्शाता है। राजस्थान राज्य में वर्ष 2011 की रिपोर्ट अनुसार 6.68 प्रतिशत वनावरण है, अन्य भू-भाग पर 2.45 प्रतिशत है अतः कुल मिलाकर डूंगरपुर जिले में  $6.68+2.45=9.13$  प्रतिशत (Green Cover) है। राज वननीति 2010 के अनुसार आगामी 10 वर्ष में 20 प्रतिशत तक प्रदेश का वनावरण (Green Cover) लाने का लक्ष्य है। अतः कुल 41000 हैक्टर क्षेत्र में आगामी दस वर्षों में वृक्षारोपण एवं सामाजिक वानिकी कार्य किया जाना अपेक्षित है

## 2.3 वन, प्रमुख वृक्ष प्रजातियां, शस्य संरचना व प्राकृतिक पुर्नरूपादन

2.3.1 वैज्ञानिक प्रबन्ध की दृष्टि से इन वनों को मुख्य रूप से निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:—

क.सं.	प्रकार
1.	सागौन वन
2	परिभ्रांषित धोकड़ा वन
3.	मिश्रित वन जिनमें खैर, सालर इत्यादि सम्मिलित है
4.	खाली स्थान एवं परिभ्रांषित वन तथा घास बीड़े

### (अ) सागौन वन :

2.3.2 (क) इस जिले में पाये जाने वाले सागौन वनों को "अति शुष्क सागौन वन" (5-ए/सी1ए) में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस क्षेत्र में पाये जाने वाले सागौन वन भारत में पाये जाने वाले सागौन वनों की प्राकृतिक उत्तरी सीमा बनाते हैं। इस क्षेत्र में पाये जाने वाले सागौन वन चतुर्थ श्रेणी की गुणवत्ता वाले हैं।

(ख) सागौन वन सामान्यतः विन्ध्यन श्रेणी तक फैली ड्रेकन ट्रेप पर पाये जाते हैं। कभी-कभी ये पूर्व अरावली श्रेणी के बेण्डेड नीसिक काम्पलेक्स पर भी पाये जाते हैं। जिले के सागौन वन डूंगरपुर, बीछीवाड़ा, सिमलवाड़ा, आंतरी, सागवाड़ आसपुर रेंजों में जाये जाते हैं।

(ग) सागौन या तो शुद्ध खण्डक के रूप में पाया जाता है अथवा यह धावड़ा (एनोगाइसिस लेटिफोलिया), सालर (बॉसवेलिया सिर्रेटा), गुर्जन (लानिया कोरोमेण्डेलिका), तेन्दू (डायसपाइरास मेलोनोजाइलोन), सादड़ (टर्मिनेलिया टोमेंटोसा), बेर (जिजिफस मोरीशियाना), आंवला (एम्बलिका

आफिसनेलिस), उम्बिया (माईलूसा टोमेन्टोसा), खैर (अकेशिया कटेचू), बेल (ईगल मार्मेलोस), सिरस (एलबिजिया लिबेक), इत्यादि के साथ मिश्रित रूप में उगता है। आबादी के पास एवं खराब स्थलों पर सागौन शुद्ध खण्डक के रूप में मिलता है अथवा यह परिभ्रांषित रूप में ढाक (ब्यूटिया मोनोस्पर्मा), बोर (जिजिफस मोरीशियाना), सादड़ (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा) इत्यादि के साथ उगता है। मिश्रित वनों में पाया जाने वाला सागौन अपेक्षाकृत अच्छी गुणवत्ता वाला होता है।

### शस्य की संरचना (फलोरिस्टिक्स) :

2.3.3 (क)उपरी वन (I/II)—सागौन (टेक्टोना ग्रेन्डिस), धावड़ा (एनोगाइसिस लेटिफोलिया), तेन्दू (डायोस्पाइरस मेलानोकजाइलोन), सादड़ (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा), गुर्जन (लानिया कोरोमेण्डेलिका), सालर (बॉसवेलिया सिर्रेटा), खैर (अकेशिया कटेचू), उम्बिया (मिलिउसा टोमेन्टोसा), कलम (मित्रागाइना पार्वीफोलिया), शीशम (डलवर्जिया सिसु), बेल (ईगल मार्मेलोस), खांखरा (ब्यूटिया मोनोस्पर्मा), खिरनी (राइटिया टिंक्टोरिया), झींजा (बॅहुनिया रेसीमोसा), आंवला (एम्बिलिका आफिसनेलिस), बहेड़ा (टर्मिनेलिया बेलेरिका), कड़ाया(स्टरकूलिया युरेन्स), मौखा (श्रीवेरा स्वीटीनडायडिस), रोहन (सोयमिडा फब्रीफ्यूगा), सिरस (अलबीजिया लिबैक), बीजा (टेरोकार्पस मार्सूपियम), तनज (ऑजिनिया ओजेनेनसिस), सैमल (बोम्बेक्स सीबा), काकून (फलेकार्शिया इण्डिका), अमलतास (केशिया फिस्टुला), धामन (ग्रीविया टीलीफोलिया), बोर (जिजिफस मोरीशियाना), अचार (बुकनानिया लान्जन), हल्दू (एडिना कारडिफोलिया), पाड़ल (स्टीरिओस्पर्मम मोलाइस), महुआ (मधुका इण्डिका), जामुन (साईजिजियम क्यूमिनी) गादिया हागड़ों (केडिया केलिसिना)।

(ख) अधोवन (II) बांस (डेन्डोकेलमस स्ट्रीक्टस)

(ग) झाड़िया (III) दूधी (होलोराईना एन्टीडिसेन्ट्रिका), टामट (निकटेन्थस आरबोरट्रिस्टिस), मरोड़फली (हेलीक्ट्रस आईसोरा), बेकल (जिमनोसपोरिया

स्पाइनोसा), करोंदा (केरीसा स्पीनेरम), झामरी (लेन्टाना कामेरा), जिनजानी (माईमोसा रिड्बूकोलिस), अडूसा (एडाटोडा वेसिका)

(घ) **हर्ब्स** : फुवाड़ (केशिया टोरा), आधाशीशी (जेन्थियम स्ट्रुमेरियम), कन्टेर (केपारिस स्पेरियर), डण्डाथोर (यूफोरबिया निवुलिया), कोलिकान्दा (अर्जिनिया इंडिका), आंधीझड़ा (एकेराईन्थस एस्पेरा), बनहार (फलेमेनजिया सेमिअलाटा)

(ङ) **घास** : पौलाड़ा (अप्लूडा म्यूटिका), सूरवाला (हेट्रोपोगान कन्टॉर्टस), गून्दर (सिमबोपोगान मार्टीनाई), लांपला (एरिस्टिडा डिप्रेस), भालखेड़ा (क्रासोपोगान फल्वस), क्लोरिस स्पीसीस, एराग्रोस्टिस स्पीसीस, गुन्द्रेल (क्राईसोपोगान ग्राइलस)

(च) **लताएँ** : चिरमू (एब्रूस प्रिकेटोरियस), नागबैल (कप्टोलेपिस बुकनानी), नीम गिलोय (टिनोसपोरा कार्डिफोलिया), केवांच (मूकूना प्ररिरेटा), नाहरकांटा (एस्प्रेगस रसीमोसस), मालकांगनी (सेलेस्ट्रस पेनिकुलेटा), बाण्डा (डेण्ड्रोपथा फलकाटा), अमरबेल (कसकुटा रिफलेक्सा), गुड़बेल (विसकम ऑरियेन्टेल)

(छ) उपरिजीव (एपीफाईट्स), एवं परजीवी (पैरासाईट्स) : सामान्यतया सागौन वन में शुष्कता के कारण में नहीं मिलते। फिर भी कभी-कभी अमरबेल, बान्दा, विसकम ऑरियेन्तो मिल जाते हैं।

2.3.4 सागौन वन सामान्यतः खुले हैं जिसका घनत्व 0.1 से 0.4 तक बदलता रहता है। सागौन के वृक्ष अधिकतर टेढ़े-मेढ़े, शाखित एवं खोखले हैं। इनकी बढ़ती धीमी एवं उंचाई कम होती है। सागौन का पुर्नउत्पादन मुख्य रूप से कॉपिस द्वारा होता है। बीजों द्वारा पुर्नउत्पादन लगभग नहीं के बराबर है। इसका मुख्य कारण अत्यधिक चराई है। सागौन वनों में बांस भी मिलता है। मात्र कुछ ही वनखण्ड में बांस या तो खोहों में ढलानों पर अथवा नालों के किनारे मिलते हैं।

- 2.3.5 परिस्थितिकीय स्थिति इस जिले में पाये जाने वाले अधिकांश सागौन वन क्षेत्र "अति शुष्क सागौन वन "अथवा" शुष्क सागौन वन" के अन्तर्गत आते हैं। यद्यपि शुष्क सागौन वन क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र के कुछ अंदरूनी हिस्सों अथवा घिरे हुए छोटे-छोटे टुकड़ों में स्थित है।
- 2.3.6 श्री ओ.पी. माथुर और नन्दन भार्गव ने इस क्षेत्र के सागौन वनों को मृदीय जैवी चरमावस्था माना है, क्योंकि जैविक कारक सागौन क्षेत्र के वितरण एवं सागौन की गुणता में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह वर्गीकरण एक प्रकार से ठीक ही लगता है क्योंकि इस जिले के सागौन क्षेत्रों का वितरण एवं गुणता इस जिले की भू-गर्भीय संरचनाओं एवं जैविक कारकों से पूर्णतया प्रभावित होती है। आबादी के निकट जहां जैविक दबाव अत्याधिक है वहां सागौन शुद्ध खण्डक के रूप में मिलता है
- 2.3.7 क्रमिक शुष्कता एवं सागौन वनों से लुप्त होते जा रहे बांस क्षेत्रों के कारण इस क्षेत्र के "शुष्क सागौन वन" धीरे-धीरे" अतिशुष्क सागौन वनों" में परिवर्तित होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण अत्यधिक जैविक दबाव एवं वर्ष प्रति वर्ष पड़ता सूखा है।

## 2.4 परिभ्रांषित धोकड़ा वन:

- 2.4.1 धोकड़ा वनों का एक बड़ा भाग कु-प्रबन्ध, अत्यधिक चराई एवं निरन्तर कटाई-छंटाई के फलस्वरूप नष्ट हो गया है। इन में से कुछ क्षेत्र जागीर वनों के हैं। जिनमें निरन्तर अव्यवस्थित कटाई एवं चराई के कारण वनों का सर्वथा नाश हो गया है। उगने वाली प्रजातियों में मुख्य धोकड़ा है जो गौयाखैर, बोर, हिंगोट इत्यादि वृक्षों के साथ मिश्रित अवस्था में उगता है। धोकड़ा की बढ़त अच्छी नहीं है और वह या तो झाड़िनुमा हो गया है अथवा उगती हुई झाड़ियों के रूप में भू-क्षरण के कारण मृदा की संरचना बदल जाने के फलस्वरूप धोकड़ा के वृक्ष अन्य प्रजातियों द्वारा धीरे-धीरे विस्थापित किये जा रहे हैं। धोकड़ा वन चूंकि मृदीय चरमावस्था में है अतः

मृदा का स्वरूप बदलने के कारण वनस्पति की संरचना भी धीरे-धीरे बदल रही है।

2.4.2 इन वनों में धोकड़ा का प्राकृतिक पुर्नउत्पादन लगभग नगण्य है। इन क्षेत्रों में चराई का दबाव इतना अधिक है कि छोटे पौधे पशुओं द्वारा चर लिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जल एवं वायु क्षरण के फलस्वरूप मृदा की परत चट्टानों से विलीन हो गई है। अतः पुर्नउत्पादन हेतु माध्यम भी उपलब्ध नहीं। कहीं-कहीं कॉपिस का पुर्नउत्पादन दृष्टिगोचर है।

#### 2.4.3 परिस्थितिकीय स्थिति :

“रिवाइज्ड सर्वे ऑफ़ फोरेस्ट टाइप्स ऑफ़ इण्डिया” में चैम्पियन एवं सेठ ने धोकड़ा के वनों को मृदीय चरमावस्था माना है। उनके अनुसार” यह समागम शुष्क पर्णपाती वनों के उत्तरी एवं दक्षिणी स्वरूपों को कंटीले वनों से जोड़ता है एवं प्रत्यक्ष रूप से मृदीय पराकाष्ठा का है। यद्यपि यह विभिन्न प्रकार के भू-गर्भीय संरचनाओं एवं मृदाओं पर उगता हुआ पाया जाता है। फिर भी सौ वर्षों के पूर्ण संरक्षण के फलस्वरूप इन वनों ने अपने को अवलम्बित कर रखा है एवं प्राकृतिक पुर्नरुत्पादन भी कर रहा है। साथ ही धोकड़ा एवं खैर काफी बड़े क्षेत्रों में लगभग शुद्ध खण्डक के रूप में एक पूर्ण मिश्रित अवस्था में पाये जाते हैं जिसके फलस्वरूप यह जानना मुश्किल है कि, किन कारकों के कारण इन दोनों प्रजातियों को प्रबल एवं प्रभावित होना चाहिए।

2.4.4 ऐसा प्रतीत होता है कि आंतरी रेंज के वन क्षेत्रों में धोकड़ा को खैर एवं बैर की प्रजातियों ने पूरी तरह से विस्थापित कर दिया है। इसका एक मात्र कारण इन वनों में निरन्तर कटाई-छटाई एवं अत्यधिक चराई है। साथ ही पहाड़ी ढलानों एवं चट्टानों पर उपस्थित कम मृदा की मात्रा भी धोकड़ा के उगने में सीमा कारक का कार्य करता है। धोकड़ा के खण्डक टुकड़ों के रूप में घाटियों तथा नालों के किनारे उगते हुए पाये जाते हैं। अत्यधिक चराई, आग एवं जैविक दबाव के कारण धोकड़ा एवं खैर का, बीजों एवं

कॉपिस द्वारा पुर्नउत्पादन संतोषप्रद नहीं है। आबादी वाले स्थानों पर अत्यधिक कटाई एवं छटाई के कारण धोकड़ा झाड़ीनुमा एवं बोने स्वरूप में उगता हुआ पाया जाता है। कहीं-कहीं तो धोकड़ा रेंगती (काउचिंग) हुई स्थिति में मिलता है एवं कहीं-कहीं तो धोकड़ा बिल्कुल विलीन ही हो गया है।

## 2.5 मिश्रित वन :

2.5.1 इस जिले के मिश्रित वन उत्तरी उष्ण मिश्रित पर्णपाती वनों (5-बी/सी 2) के अन्तर्गत आते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों के सामान्य मृदीय प्रकार (सालर वन, ढाक वन, बील वन-5/ई, 5/ई 2, 5/ई 5, द्वितीय शुष्क पर्णपाती वन 5/2 एस1) तथा शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन(5/डी एस 1) के अन्तर्गत आते हैं।

2.5.2 ये वन सामान्यतः ढलानो एवं पठारों पर जहां नमी की मात्रा अधिक होती है, पाये जाते हैं। इन वनों में विभिन्न प्रकार के वृक्ष मिलते हैं जो सामान्यतः सभी प्रकार के भू-गर्भीय संरचनाओं पर पाये जाते हैं।

2.5.3 उच्च ढलानो पर मुख्य रूप से धावड़ा (एनोगाइसिस लेटिफोलिया) पाया जाता है जो तेन्दू, बैल, सालर, गुर्जन, कड़ाया, सिरस इत्यादि के साथ मिश्रित अवस्था में उगता हुआ पाया जाता है। शुष्क एवं खुले स्थलो, सीधे ढलानो, उंचे पठारों एवं रिजेज पर धावड़ा की मात्रा घटती जाती है, एवं सालर, गुर्जन शुद्ध खण्डक के रूप में पाया जाता है।

2.5.4 कम उंचाई वाले स्थानों, एवं गढ़ों के किनारों पर इन वनों में धावड़ा, बेल, सालर, इत्यादि सामान्यतः नहीं मिलते हैं। कुछ निचले हिस्सों में जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, वहां खांखरा, बेर एवं रोंझ के साथ उगता हुआ मिलता है।

2.5.5 आंतरी रेंज के सामली पठार वनखण्ड के निचले पहाड़ी हिस्सों में एक वनस्पति प्रकार पाया जाता है इनमें बेल, खैर, बेर, खांखरा, सेमल,

इत्यादि के वृक्ष है। इसके पास वाले क्षेत्र में यद्यपि धावड़ा एवं मिश्रित प्रजातियां पाई जाती है। इन वनों में पाई जाने वाली झाड़िया एवं पौधो में गोया, खैर, टामट, जाल, करोंदा, नैगड़, झड़बेर, फवांड इत्यादि प्रमुख है। इस क्षेत्र की मुख्य धासे लापला, कांस, पोलाड, सूड़ावाला इत्यादि है।

2.5.6 इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य वनस्पतियां धावड़ा (एनोगाइसिस लेटिफोलिया), खैर (अकेशिया कटेचू), बील (ईगल मार्मेलोस), तेन्दू (डायसपायरॉस मेलेनोजाइलान), सालर (बॉसवेलिया सिर्रेटा), गुर्जन (लानिया कोरोमेण्डेलिका), बौर (जिजिफस मोरीशियाना), घटबौर (जिजिफस जाइलोपारा), दूधी (राईटिया टिंक्टोरिया, और टोमेन्टोसा), काकून (फलैकार्शिया इण्डिका), बीजा (टेरोकार्पस मार्सूपियम), उम्बिया (माईलूसा टोमेन्टोसा), सादड़ (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा), झींजा (बहुनिया रेसीमौसा), धोकड़ा (एनोगाइसिस पेण्डुला), रोंझ (अकेशिया लुकोफलीया), सिरस (अलबीजिया लिबैक), कड़ाया (स्टर्कुलिया यूरेंस), आंवला (एम्बलिका आफिसनेलिस), शीशम (डलबर्जिया लेटिफोलिया), अमलतास (केशिया फिस्टुला), तनज (ऑजिनिया ओजेनेनसिस), खांखरा (ब्यूटिया मोनोस्पर्मा), महुआ (मधुका इण्डिका), कोहड़ा (टर्मिनेलिया अर्जुना), धामन (ग्रीविया-टीलीफोलिया), रोली (मेलोटस फिलीपाइनेनसिस), रोहिन (सोयमिड़ा-फ्रेब्रिफ्यूजा), सैमल (बोम्बेक्स सीबा), गधापलास (एरिथिना सुब्रोसा), बरना (क्रेटिव्रा रील्लिजिओसा), पाड़ल (स्टीरियोस्पेरमम सीवलेंस)।

2.5.7 इन वनों में पाये जाने वाली मुख्य झाड़ियां कड़ाया (होलोराइना एन्टीडिसेन्ट्रिका), टामट (निकटेन्थस आरबोरट्रिस्टिस), मरोड़फली (हेलीक्ट्रस आईसोरा), बेकल (जिम्नोस्पोरिया स्पाइनोसा), झाड़ीबेर (जिजिफस न्यूमूलेरिया), करोंदा (केरीसा स्पीनेरम), झामरी (लेन्टाना केमारा), झींझानी (मिमोसा रूबीकोलिस), गौया खैर (डाइक्रोस्टेकिस सिनरेरिया), हिंगोट (बेलेनाइटिस इजिप्टिका) इत्यादि प्रजातियां पाई जाती है।



- 2.5.8 इस क्षेत्र में पाये जाने वाले हर्ब्स में पुवाड़ (केशिया टोरा), आधाशीशी (जेन्थियम स्ट्रुमेरियम), कांटी (एकेन्थोस्पर्म हिस्पीडम), डाण्डाथौर (यूफार्बिया नेरीलीफोलिया), कोलीकांदा (अर्जिनिया इंडिका), आंधीझड़ा (एकाइरेन्थस एस्परा), बनहार (फलेमेजिया सेमिएलाट) इत्यादि प्रमुख है।
- 2.5.9 इस क्षेत्र की घासों रातरड़ा (थिमिडा क्वाड्रीवालविस), सूरवाला (हेट्रापोगान कन्टार्टस), भालखड़ा (काइसोपोगान फुल्वस), लांपडा (एरिस्ट्रिडा डिप्रेस), गुदल (काइसोपोगान ग्राइसीस), बुहारी (एर्मोपोगान फावियोलेट्स), करड़ (डाइकेन्थियम एन्यूलेट्म), सियन (सेहिमा नर्ब्रासम), ड़ाब (इम्पेरेटा सिलिन्ड्रिका) इत्यादि है।
- 2.5.10 इस क्षेत्र में पाई जाने वाली लताओं में चिरमू (अब्रस प्रीकेटोरिस), नागबैल (क्रिप्टोलेपिस बुकनानी), नीम गिलोय (टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया), किंवाच (मुकुना पुरीराटा), नाहरकांटा (एस्प्रेग डेसीमोसस) इत्यादि हैं। बाण्डा (ड्रेंड्रोथो फलकेटा), गुड़बैल (विस्कम ओरियेन्टेल), अमरबैल (कुस्कूटा रिफलेक्सा) इत्यादि परजीवी पौधें भी मिलते है।
- 2.5.11 **धावड़ा** इन वनों की मुख्य प्रजाति है जो बहुधा शुद्ध खण्डक के रूप में अथवा खैर, बील, तेन्दू, गुर्जन, सालर इत्यादि के साथ मिश्रित रूप में उगता है। वन फसल सामान्यतः विरल एवं भद्दी रचना वाली है जिसकी ऊंचाई 5 से 7 मीटर तक होती है। अच्छे स्थानों पर धावड़े की औसत उंचाई कभी-कभी 10 मीटर तक भी पहुच जाती हैं। धावड़ा के वृक्ष 20 सेमी. व्यास का होने के पश्चात् खोखला होने लगता हैं। सालर और गुर्जन के वृक्ष ज्यादा ऊंचाई वाले होते है एवं उनमें खोखलापन 30 सेमी. व्यास का हो जाने के पश्चात् शुरू होता है। कुछ छोटे-छोटे टुकड़ो को छोड़कर धावड़ा, बील, एवं सालर का पुर्नउत्पादन नहीं है।

## 2.6 खाली स्थान एवं घास बीड़े :

2.6.1 डूंगरपुर, बिच्छीवाड़ा, सिमलवाड़ा, सागवाड़ा, आंतरी, सिमलवाड़ा रेंजों में उन्नत किस्म की घास पायी जाती है। इन क्षेत्रों में निरन्तर आग लगने की क्षति के बावजूद अच्छी मात्रा में घास उत्पन्न होती है। इस क्षेत्र में पायी जाने वाली घासों सेवन, करड़, सूड़वाला, रातड़ा, गंधल, संधूर, बुहारी, मालखड़ा इत्यादि है। इसके अतिरिक्त अन्य घासों जैसे लांपला, पोलड़ा, डाब, खस इत्यादि भी पाई जाती है, परन्तु चारे के लिए अच्छी नहीं होती है। इन वनों में अच्छी खानें योग्य घास का अनुपात निम्न श्रेणी की घासों की तुलना में निरन्तर घट रहा है।

2.6.2 इस जिले के कुल वन क्षेत्र का लगभग 55 प्रतिशत क्षेत्र खाली (ब्लैंक) है। इन स्थानों पर या तो घास उग रही है अथवा वनस्पतियां झाड़ी के रूप में उग रही है। इन खाली स्थानों की उत्पत्ति अत्यधिक चराई, अवैध कटाई, छंटाई एवं निरन्तर लगने वाली आग के फलस्वरूप हुई है। इस क्षेत्र में पाये जाने वाले मुख्य वनस्पतियों में झाड़ीनुमा सागवान, खांखरा, बेर, गोया खैर, रोंज इत्यादि है।

## 2.7 सस्य को क्षति पहुंचाने वाले कारक :-

2.7.1 जिले के वनों को होने वाली मुख्य क्षति के प्रमुख कारक हैं – मनुष्य, घरेलू पशु, प्रतिकूल जलवायु और कीड़े। वनस्पति को कुछ क्षति अन्य कुछ पौधों से भी होती है। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों जैसे वेगधारा (टोरेन्ट्स), जलप्लावन (वाटर लागिंग), से भी वनों को क्षति पहुंचती है। कुछ प्राकृतिक कारणों के अलावा वनों को प्रतिकूल प्रभावित करने वाले समस्त कारण मानव जनित है और इसका सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि कृत्रिम होने के कारण इन कारकों पर नियंत्रण पाना असम्भव नहीं है।

### 2.7.2 अग्नि

2.7.2.1 जिले में अग्नि से प्रभावित वनक्षेत्र बड़े सीमित हैं और इनमें भी आग की घटनाएं कभी कभार ही हुआ करती है। अक्सर ये घटनाएं गर्मी के मौसम में होती हैं।

2.7.2.2 वनों में आग लगने की लगभग प्रत्येक घटना का कारण मानव जनित लापरवाही या जानबूझ कर की गई कारवाई होती है। वनों में प्राकृतिक रूप से आग लगने की कोई घटना जानकारी में नहीं है। विशेषकर ग्रीष्म काल में, फाल्गुन के महीने के प्रारम्भ से वनों में आग लगने की घटनाएं होने लगती हैं, और वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने तक इस प्रकार की घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है। माह अप्रैल से जून की अवधि में अधिकतम तापमान 45° सेन्टीग्रेड से भी उपर चला जाता है। इस अवधि में न्यूनतम तापमान भी लगभग 35° सेन्टीग्रेड रहता है। लगभग समस्त प्रजातियां सूखी और न्यून नमीयुक्त हो जाती हैं। अधोवन के अवशेष, वनभूमि पर गिरी पड़ी सूखी पत्तियां व छोटी टहनियां ज्वलनशील पदार्थ का कार्य करते हैं। ऐसे बेहद गर्म वातावरण में बड़ी आग के लिये समस्त अनुकूल वातावरण रहता है। जिले के वनक्षेत्रों के आग लगने के निम्न प्रमुख कारण देखने में आये हैं :

1. जिले के आदिवासी समुदाय द्वारा माह अप्रैल मई में महुवा के फूलों को इकट्ठा करने के लिए महुवा के पेड़ों के नीचे की भूमि की सफाई आग जला कर की जाती है।
2. कभी-कभी जंगल में स्थानीय लोगों द्वारा इसलिए भी आग लगा दी जाती है ताकि उसके बाद अच्छी घास पनपने लगे।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिला सड़कों, ग्राम्य सड़कों व कच्ची पक्की गाड़ी गडार व पैदल पथ, जिले के भिन्न-भिन्न वनक्षेत्रों से गुजरते हैं। इन मार्गों का उपयोग करने वाले यात्रियों द्वारा जलती हुई माचिस की तीली अथवा बीड़ी आदि से भी जंगल में आग लगने की कई घटनायें होती हैं।

2.7.2.3 हालांकि जिले के वनक्षेत्रों में अनेक प्राकृतिक व कृत्रिम अग्नि पट्टिकाएं हैं जो आग को फैलने से रोकने के लिये काम आती हैं। परन्तु नियंत्रित प्रज्वलन का उपयोग जानकारी में नहीं है। वन में आग से सतही वनस्पति के जलने से मृदा की सुरक्षा परत हट जाती है और इससे भू-क्षरण को बढ़ावा मिलता है। आग लगने से वृक्षों के तनों में खोखलापन आ जाता है। आग के कारण अतिशुष्क परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जोकि वनस्पति की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

### 2.7.3 अतिक्रमण

2.7.3.1 वन भूमि का काश्त हेतु अतिक्रमण कोई नई बात नहीं है। प्राचीन समय से ही स्थानीय निवासी परिवार के भरण पोषण हेतु वनक्षेत्र से वृक्षों को हटाकर उसपर खेती करते आये हैं। काबिल काश्त भूमि जो नदी नालों के समीप हो, जहां मृदा अच्छी हो, समतल स्थान हो, उसे खेती के उपयोग में समय समय पर लिया जाता रहा है। पूर्व में वनक्षेत्रों की कोई अधिसूचित सीमा नहीं थी। वनक्षेत्रों के वैज्ञानिक प्रबन्धन और उनके बन्दोबस्त के साथ ही वनक्षेत्र की सीमाएं तय की जाने लगी। इस बन्दोबस्त की प्रक्रिया के दौरान अधिकांश वनाच्छादित पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखलाएं व उनके आस पास के वृक्षाच्छादित मैदानी भागों को अधिसूचित वनक्षेत्र में सम्मिलित किया गया। अधिक संभावना है कि इन क्षेत्रों के नदी नालों के आस पास की भूमि व अन्य स्थान पर उपलब्ध काबिल काश्त भूमि पर पूर्व से ही खेती की जा रही हो। और बढ़ते परिवार के साथ इन क्षेत्रों के आस पास की भूमि पर से स्थानीय वासियों द्वारा अपनी परम्परा अनुसार धीरे धीरे वृक्ष हटाकर इसे खेती के उपयोग में लिया जाने लगा हो। चूंकि जिन क्षेत्रों का वृक्ष विहीन कर खेती के काम में लिया जाने लगा वह अब अधिसूचित वन भूमि थी अतः यह परम्परागत प्रक्रिया अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आ गई। आज भी यह प्रक्रिया जारी है। बढ़ती आबादी, आसान पहुंच, उन्नत तकनीक व उपकरण, उन्नत परिवहन के साधन, उन्नत सिंचाई के साधन और बढ़ते नहरी तंत्र, स्टाफ व संसाधनों की कमी ने इसे अत्याधिक तेजी व विकरालता प्रदान की है।

2.7.3.2 अभिलेखों के अनुसार वनक्षेत्र में अतिक्रमण 5192 प्रकरणों की संख्या है। इनमें से वन अधिकार अधिनियम के तहत दिये गये अधिकार पत्रों की संख्या 4150 व 2755.07 हैक्टर क्षेत्रफल है :-

क्र. सं.	रेन्ज	कुल वन क्षेत्र (है. में)	अतिक्रमण शुदा वन क्षेत्र (है. में)	प्रकरणों की संख्या
1.	डूंगरपुर	12329.512	713.6536	864
2.	बिछीवाडा	14563.136	865.90	1009
3.	सीमलवाडा	14456.059	793.40	1197

4.	आँतरी	12037.408	480.950	954
5.	सागवाडा	7895.696	373.523	818
6.	आसपुर	7993.522	150.00	350
	<b>योग:-</b>	69275.333	3377.4266	5192

#### 2.7.4 कटान

2.7.4.1 जलाऊ लकड़ी एवं इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों का अवैध कटान स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। वनक्षेत्र में अनियंत्रित, अवैध व अवैज्ञानिक ढंग से किये गये कटान से वृक्षों को बहुत क्षति हुई है। आबादी के समीप के वन क्षेत्रों में तो जंगल इस सीमा तक वृक्ष विहीन हो चुके हैं कि बहुत से स्थानों पर टूटों को भी खोद कर निकाला जा चुका है जिससे समस्त भू-दृश्य खराब होता जा रहा है। इसमें से कुछ लकड़ी तो स्थानीय लोगों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काम में आती है एवं शेष को बाजार में बेचा जाता है। इसके अतिरिक्त गर्मी के दिनों में आदिवासी एवं अन्य कृषक जंगलों से काफी मात्रा में, घर बनाने एवं कृषि औजारों के लिए इमारती लकड़ी अवैध रूप से काट कर निकालते हैं।

2.7.4.2 वनमण्डल में संधारित अभिलेख अनुसार विगत वर्षों में वनक्षेत्रों में अवैध कटान के निम्नानुसार प्रकरण दर्ज किये गये हैं :

क्र.स.	वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या
1	2003-04	548
2	2004-05	506
3	2005-06	501
4	2006-07	484
5	2007-08	517
6	2008-09	457

7	2009-10	483
8	2010-11	407
9	2011-12	562

2.7.4.3 विगत दशक में साझा वन प्रबन्ध प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानीय ग्रामवासियों को लघु वनउपज का अधिकार दिये जाने व वनक्षेत्र की सुरक्षा व प्रबन्धन में उनकी भागीदारी लिये जाने के कारण कुछ वनक्षेत्रों में अवैध कटान पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सका है। परन्तु अधिकांशतः ये वनक्षेत्र पूर्व से ही परिभ्रांषित व वृक्ष वनस्पति के घनत्व की दृष्टि से कमजोर रहे हैं। साझा वन प्रबंध से इन क्षेत्रों में वृक्षों को पनपने का अवसर अवस्य मिला है। अच्छे वन क्षेत्रों में भी साझा वनप्रबन्ध को प्रोत्साहित कर कटान पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

### 2.7.5 चराई व शाख कर्तन

2.7.5.1 वनक्षेत्र पर अतिक्रमण कर उसका उपयोग परिवर्तित करने से होने वाली क्षति के बाद संभवतया वर्ष पर्यन्त चलने वाली, खुली व अनियंत्रित चराई ही वनक्षेत्र के शस्य, उसकी उत्पादकता व उसकी सेहत को गंभीर नुकसान करती है जिसकी आसानी से पूर्ति करना संभव नहीं है। ग्राम पंचायत के नियंत्रण वाली अधिकांश राजस्व चारागाह भूमि के अतिचारित होने के फलस्वरूप वन क्षेत्रों पर चराई का अत्यधिक भार पड़ रहा है। क्लोजर और प्लान्टेशन क्षेत्रों के अतिरिक्त सभी वन क्षेत्रों में चराई की अनुमति है। वन क्षेत्रों में अनियंत्रित चराई का मुख्य कारण अधिक पशुधन है। इस पशुधन में अपालित पशु (स्ट्रे कैटल) भी सम्मिलित है। अनियंत्रित चराई से वन क्षेत्र निरन्तर परिभ्रांषित होते जा रहे हैं।

2.7.5.2 वनमण्डल में संधारित अभिलेख अनुसार विगत वर्षों में वनक्षेत्रों में अवैध चराई के निम्नानुसार प्रकरण दर्ज किये गये हैं :

क्र.स.	वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या
1	2003-04	65
2	2004-05	36
3	2005-06	48

4	2006-07	139
5	2007-08	68
6	2008-09	59
7	2009-10	70
8	2010-11	39
9	2011-12	18

2.7.5.3 आबादी व गांवों के समीप के क्षेत्र में चराई के दबाव को देखा जा सकता है। अत्याधिक चराई के कारण सीमान्त क्षेत्र में वृक्ष नहीं हैं, घास कम और खराब है, मृदा कठोर है तथा प्राकृतिक पुनरोत्पादन दिखाई नहीं देता है। ऐसे क्षेत्र में पुवांड, आंवलछाल जैसे पौधे अधिक देखने में आते हैं। मवेशी के खुरों से दबने के कारण पुनरोत्पादन प्रारम्भ में ही समाप्त हो जाता है। चराई के अतिरिक्त चरवाहों द्वारा वृक्षों का शाखकर्तन (लौपिंग) कर उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है। धोकड़े एवं अन्य प्रजातियां जैसे धावड़ा, खेजड़ा, बेर, सादड़ इत्यादि का भी शाखकर्तन किया जाता है।

## 2.7.6 खनन

2.7.6.1 यद्यपि जिले के अधिकांश क्षेत्र में अच्छी किस्म के पत्थर मिलते हैं तथापि जिले में अवैध खनन की समस्या गंभीर नहीं है। कुछ वनखण्ड अवैध खनन से प्रभावित हैं। वनक्षेत्र के अन्दर अथवा आसपास हो रहे वैध खननकर्ता भी वैज्ञानिक तकनीक का पूर्ण उपयोग नहीं करते और पर्यावरण संरक्षण के सभी नियमों की पालना नहीं करते। खनन से निकले मलबे व अपशिष्ट को आस पास के वनक्षेत्र में ही डाल दिया जाता है जिससे वनक्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही खनिज परिवहन हेतु प्रयुक्त अनेक मार्ग वनखण्डों के बीच से गुजरते हैं जिससे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

## 2.7.7 अतिवृष्टि व बाढ़ :-

2.7.7.1 अतिवृष्टि के कारण मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह छिन्न भिन्न हो जाती है और उसका अपक्षरण हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप नये बिजोलों की जड़ें नग्न

हो जाती हैं एवं बिजोले बह जाते हैं। प्राकृतिक पुनरोत्पादन न होने अथवा नगण्य होने से परिपक्व एवं मध्य आयु के वृक्षों का स्थान तरुण वयोवर्ग के वृक्षों द्वारा ग्रहण नहीं करने से धीरे-धीरे वृक्ष आच्छादित क्षेत्र वृक्ष विहीन हो जाते हैं। नदियों व नालों के किनारे टूट कर बदल जाते हैं। इनके आस पास की अच्छी मृदा सदा के लिये बह जाती है। वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर पानी के तेज बहाव एवं उसके बड़े भू-भाग पर फैलाव से नदियों के आस पास स्थित अनेक वृक्षों की जड़ों से बंधी हुई मृदा हट जाती है जिसके फलस्वरूप ऐसे वृक्ष जड़ सहित बाढ़ में बह जाते हैं। इस प्रकार बाढ़ द्वारा वन सम्पदा को हानि पहुंचती है।

2.7.7.2 इनसे प्राकृतिक सम्पदा के साथ साथ सृजित सम्पदा जैसे चैकडैम, एनीकट, तालाब, वृक्षारोपण की दीवार, खाई फैंसिंग, आदि को भी बहुत क्षति होती है। अतिवृष्टि से उत्पन्न सतही जल के अत्याधिक तेज प्रवाह के कारण विभाग द्वारा वन प्रबन्धन हेतु वृक्षारोपण क्षेत्र में लगाये गये पौधों व अन्य कार्यों को भी काफी क्षति होती है। अतिवृष्टि व बाढ़ से न सिर्फ रोपित पौधे ही क्षतिग्रस्त होते हैं बल्कि पौधों के लिये बनाये गये थांवले, कन्टूर ट्रैन्च, चैकडैम, आदि को भी नुकसान होता है। अधिक समय तक जलप्लावन के कारण अनेक पौधों की जड़ें गल जाती हैं, पौधे मर जाते हैं, लगाये गये बीज गल कर नष्ट हो जाते हैं।

2.7.7.3 वनों को क्षति पहुंचाने में मवेशी, बकरी, भेड़, ऊँट, जंगली जानवर, कृन्तक (रोडेन्ट्स) भी एक महत्वपूर्ण कारक है। चराई से होने वाली हानि अत्याधिक है। इसके कारण कोमल पौधे नष्ट हो जाते हैं, पौधे कुचल दिये जाते हैं, मृदा सख्त हो जाती है व छोटे स्थूण प्ररोह (कॉपिस शूट्स) चर व कुतर लिए जाते हैं। वन्य जीवों जैसे चूहे, सेही, जंगली सूअर, नीलगाय, आदि भी हानि पहुंचाते हैं एवं यह हानि मुख्यतः प्लान्टेशन क्षेत्रों में होती है, जहां वनों के साथ साथ वन्य जीव भी रक्षित हो जाते हैं।

#### 2.7.7.4 संदोष प्रबन्ध (फॉल्टी मैनेजमेंट)

पुराने समय में वैज्ञानिक प्रबन्ध नहीं होने से, एवं वन उपज का समुपयोजन (एक्सप्लाइटेशन) ठेकेदारों द्वारा किये जाने से तथा पातन नियमों का उल्लंघन कर वनों का उनकी क्षमता से अधिक दोहन करने से अधिक नुकसान हुआ ठेकेदार पद्धति को समाप्त कर समुपयोजन का कार्य विभाग द्वारा किया जाने लगा। जिससे



स्थिति में सुधार अवश्य हुआ किन्तु वह भी परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप में पूर्ण नहीं था। क्योंकि विभाग के पास स्टाफ एवं संसाधनों की कमी रही। बढ़ती जनसंख्या एवं पशु संख्या निरन्तर बढ़ती वन संबंधी आवश्यकताओं के कारण, कटे हुए कूपों को अवैध कटान व चराई से पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रखने के फलस्वरूप क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन कम होता गया, तदनुसार वन क्षेत्र परिभ्रांषित होते गए और वन क्षेत्र रिक्त (ब्लैक) भी हो गये।

2.7.7.5 इसके अलावा भूमि का संदोष प्रबन्ध भी वन क्षेत्र के परिभ्रांषित होने के कारण रहे हैं। इनमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नालों के किनारों, ढलानों में कल्टीवेशन, ढलान की दिशा में जुताई इत्यादि प्रमुख है। इस भूमि के संदोष प्रबंध से वन सम्पदा का नाश होकर परिभ्रांषित स्थितियां तो बनी ही, साथ में हजारों-करोड़ों सालों में बनी मृदा की परत भी क्षरित होकर कम ही नहीं बिल्कुल खत्म होकर मात्र नंगी चट्टानों वाला क्षेत्र रह गया है।

#### 2.7.7.6 फफूंदी, परजीवी, पररोही इत्यादि द्वारा क्षति:

प्लान्टेशन में पौधों की बढ़त को खरपतवार द्वारा हानि पहुंचाई जाती है। पौध एवं वृक्षों को लताओं एवं आरोहियों (क्लाइबर) द्वारा क्षति पहुंचाई जाती है। पररोही (पैरासिटिक) जैसे ड्रेन्डोफथी फल्केटा द्वारा, सालर तथा महुआ के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जाता है। फोमसबेडियस, विशेषतः खैर के पेड़ों में आकर उनकी सारकाष्ठ (हार्टवुड) को गला देता है। गार्डिनोडर्मालियूसिडम द्वारा कहीं खैर के वृक्षों में मूल्याक्ष्य (स्टरोर) पाया जाता है, जो इसको सुखा करके ही छोड़ती है।

#### 2.7.7.7 खरपतवार

इस वनमण्डल के सागवान वनक्षेत्र के कुछ भाग में लण्टाना कैमरा नाम वनस्पति खरपतवार के रूप में पनप चुकी है जिसके कारण से सागवान एवं उसके सहयोगी वृक्षों की पुनःउत्पादन प्रायः रूक सा गया है। इस कारण से भू-सतह पर आने वाली वनस्पति विशेषकर घास आदि में अधिक नुकसान हुआ है एवं वे लुप्तप्रायः हो गयी है।

## अध्याय 2 ब

### वन्य प्राणी जगत

### Forest Fauna

#### 2ब.1 वन्यजीव प्रबन्धन का इतिहास :-

वन्यजीव प्रबन्धन का इतिहास वर्ष 1912-13 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार डूंगरपुर स्टेट में चितल, जंगली सुअर, बारहसिंगा (सांभर), चिंकारा, रीछ, चौसिंगा, सामान्यतया जंगलों में दिखाई देते थे।

स्टेट टाईम की रेंज आंतरी में सांभर अधिक थे। वन्यजिवों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कानून हिफाजत जंगल जानवर 1.1.1933 से बनाया गया इसके अन्तर्गत टाईगर एवं पेन्थर, रीछ सांभर चितल, नीलगाय, के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था। जो जागीरदारी दरबार से स्वीकृति लेकर उनके जागीर क्षेत्र में शिकार कर सकते थे। स्थानीय निवासी जंगली कुत्ता, झरख, भेड़िया, खरगोस, सियार, जंगली सुअर, मगर आदि के शिकार आरक्षित वन 1 और 2 एवं गंवाई जंगल के अलावा क्षेत्र में शिकार कर सकते थे। सागवान एवं जो क्षेत्र विशेष रूप से शिकार हेतु इस नियम के अन्तर्गत शिकार निषेध क्षेत्र थे। उन क्षेत्रों में जंगली कुत्तों को शूट करने हेतु 31/- रु प्रति कुत्ता के हिसाब से ईनाम दिया जाता था। यह कानून फोरमर राजस्थान और डूंगरपुर स्टेट के मर्ज होने तक लागू रहा।

इसके फलस्वरूप फलीहोर वनक्षेत्र में 200 से उपर चितल देखे जा सकते थे। टाईगर, पेन्थर, रीछ, सांभर के ट्राफीया को महारावल के राजपेलेस में उस समय लगी हुई थी वो इस बात को प्रदर्शित करती है की उस समय जंगलों में काफी तादाद में वन्यजीव मौजूद थे। 1947 के बाद वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कोई कानून नहीं होने से वन्यजिवों का कुरतापूर्ण तरिके से शिकार हुआ वर्ष 1961 में राजस्थान वन्यजीव एवं पक्षी संरक्षण कानून के तहत इन वन्यजीवों का उनके प्रजनन काल में शिकार निषेध किया गया।

#### 2ब.1.1 वर्तमान स्थिति

वर्तमान में वन्य जीवों के संबंध में जिले की स्थिति उत्साहवर्धक नहीं है। श्री ओ पी माथुर द्वारा अपनी कार्य आयोजना (1961-62 से 1971-72) में भी वन्य जीवों के संबंध में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में अंकित किया था कि जिले में वन्य जीव "बेहद कम बल्कि बिलकुल समाप्त हैं।" वन्य जीव एवं वन

नियम 1951 लागू होने तथा 1955 में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड की स्थापना के तथा सन् 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बन जाने के पश्चात् वन्य जीव संरक्षण की दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं परन्तु वन्य जीवों के संबंध में जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अत्यंत ही बिखरे हुए वनक्षेत्र की वर्तमान परिस्थिति में वन्यजीवों को उचित आश्रय प्रदान करने और उनकी संख्या को सम्मानजनक स्थिति में लाने हेतु भागीरथ प्रयास करने और अधिकारों के अत्यंत ही विवेकपूर्ण उपयोग की दरकार है।

## 2(ब).2 स्तनपायी वर्ग

2(ब).2.1 जिले के वन क्षेत्र अथवा गैर वन क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या में स्तनपायी वन्यजीव नहीं है। अधिकांशतः अत्याधिक गर्मी के समय में जब वनक्षेत्रों में पानी व छाया की कमी हो जाती है, तब वन्यजीवों की उपस्थिति के संकेत नजदीकी आबादी वाले क्षेत्रों से अथवा खेतों से मिलने लगते हैं। जिले में सामान्यतः पाये जाने वाले स्तनपायी वन्यजीव निम्नानुसार हैं :

### क्षेत्र में सामान्यतः पाये जाने वाले स्तनधारी प्राणियों की सूची

क्रं सं	हिन्दी/स्थानीय नाम	अंग्रेजी नाम	लैटिन नाम
1	लंगूर	Common Langur	<i>Presbytis entellus</i>
2	बघेरा, तेंदुआ, चीतरा	Leopard	<i>Panthera pardus</i>
3	जंगली बिल्ली	Jungle cat	<i>Felis chaus</i>
4	नेवला	Common mongoose	<i>Herpestes edwardsi</i>
5	नेवला	Ruddy mongoose	<i>Herpestes smithi</i>
6	सियार	Jackal	<i>Canis aureus</i>
7	लोमड़ी	Indian fox	<i>Vulpes bengalensis</i>
8	जरख	Striped hyaena	<i>Hyaena hyaena</i>

9	बिज्जू	Common palm civet	<i>Paradoxarus hermaphroditus</i>
10	बिज्जू	Small indian civet	<i>Viverricula indica</i>
11	रोझडा	Blue bull	<i>Boselaphus tragocamelus</i>
12	चीतल	Spotted dear	<i>Axis axis</i>
13	सांभर	Sambhar	<i>Cervus unicolor</i>
14	जंगली सूअर	Indian wild boar	<i>Sus scrofa cristatus</i>
15	गिलहरी	Five striped palm squirrel	<i>Funambulus pennanti</i>
16	चूहा	Common house rat	<i>Rattus rattus</i>
17	चूहा	Indian field mouse	<i>Mus booduga</i>
18	सेही	Indian porcupine	<i>Hystrix indica</i>
19	खरगोश	Indian hare	<i>Lepus nigricollis</i>
20	उड़न गिलहरी, रवाया	Large brown flying squirrel	<i>Petuarista philippensis</i>
21	चमगादड़ (फलखाने वाली)	Fulvous fruit bat	<i>Rousettus leschenaulti</i>
22	चमगादड़ (फलखाने वाली)	Shortnosed fruit bat	<i>Cynopterus sphinx</i>
23	चमगादड़	Indian false vampire	<i>Megaderma lyra</i>
24	वागल	Flying fox	<i>Pteropus giganteus</i>
25	चमगादड़	Pigmy pipistrelle	<i>Pipistrellus pigmeous</i>
26	चिन्कारा	Indian gazelle	<i>Gazella gazelle</i>

27	चौसिंगा, भेडल	Four-horned antelope	<i>Tetraacerus quadricornis</i>
28	भेड़िया	Wolf	<i>Canis lupus</i>
29	रीछ	Sloth bear	<i>Malurus ursines</i>

### 2(ब).3. पक्षी वर्ग (Avifauna)

2(ब).3.1 जिले में अनेक तालाब होने के कारण प्रवासी व अप्रवासी पक्षियों के लिये उपयुक्त वातावरण है। विशेषकर सर्दियों के महीनों में दूरस्थ क्षेत्रों से विविध प्रकार के अप्रवासी पक्षियों के बड़े बड़े झुण्ड जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में फैले अनेक तालाबों पर देखे जा सकते हैं।

### 2(ब).3.2 वनक्षेत्र में पाये जाने वाले जलीय पक्षी

जिले के डूंगरपुर एवं बिच्छीवाड़ा क्षेत्र में अच्छे सघन वन हैं। इन क्षेत्रों में सदाबहार नाले भी हैं जिनमें वर्ष पर्यन्त जलप्रवाह रहता है। वनक्षेत्र के मध्य में खुले स्थान भी हैं। कुछ स्थानों पर तो तालाब भी हैं। ऐसे में वनक्षेत्र में अनेक पक्षी पाये जाते हैं। कुछ के नाम निम्नानुसार हैं :

क्र०स०	तालाब के नाम	स्थान	रेन्ज
1	गेप सागर	डूंगरपुर	डूंगरपुर
2	साबेला	डूंगरपुर	डूंगरपुर
3	माथूगामड़ा	माथूगामड़ा	डूंगरपुर
4	गुमानपुरा	गुमानपुरा	बिच्छीवाड़ा
5	अपरगोड़ी	गामड़ीदेवल	बिच्छीवाड़ा
6	नवल श्याम	नवल श्याम	बिच्छीवाड़ा
7	जेलाना	जेलाना	बिच्छीवाड़ा
8	घोड़ी	छापी	बिच्छीवाड़ा
9	चूण्डावाड़ा	चूण्डावाड़ा	बिच्छीवाड़ा
10	एडवर्ड समन्द	पाटड़ी माड़ा	बिच्छीवाड़ा

11	वाटडा	वाटडा	बिच्छीवाडा
12	मेवाडा	मेवाडा	बिच्छीवाडा
13	मारगीया	मारगीया महुडा	आंतरी
14	गराडिया	पारडा भेरु	आंतरी
15	डीमिया	डीमिया	आंतरी
16	फावटा	फावटा	आंतरी
17	बोरखेड	ओबरी बोरखेड	आंतरी
18	रण सागर	रण सागर खेडा	आंतरी
19	सूरी तालाब	बक्षी दवेला	आंतरी
20	डबलिया	वाड हथार्ई	आंतरी
21	खेमपुर	खेमपुर	आंतरी
22	सूरेला	सूरेला	आंतरी
23	भोजेला	भोजेला	आंतरी
24	लक्ष्मण सागर	माण्डव	आंतरी
25	गणेशपुरा	गणेशपुरा	आसपुर
26	नेडापधोर	रामगढ धताणा	आसपुर
27	सोम कमला आम्बा	देवला, इन्दौडा	आसपुर
28	अमृतिया	वाडा कुण्डली	आसपुर
29	पारडा इटिवार	पारडा इटिवार	आसपुर
30	विजवामाता	मोदर भेखरेड	आसपुर
31	मुंगेड	मुंगेड	आसपुर
32	कमलिया	साबला	आसपुर
33	जिणतौर	साबला	आसपुर
34	खानन	खानन	आसपुर

35	गामड़ी	गामड़ी	आसपुर
36	सोलज	सोलज	आसपुर
37	महियाला	मोवई कुम्हारिया वाड़ा	आसपुर
38	बनकोड़ा	बनकोड़ा	आसपुर
39	पुंजेला	पुंजपुर	आसपुर
40	बड़ौदा	बड़ौछा	आसपुर
41	बोड़ीगामा बड़ा	बोड़ीगामा बड़ा	आसपुर
42	बोड़ीगामा छोटा	बोड़ीगामा छोटा	आसपुर
43	टामटिया	टामटिया	सागवाड़ा
44	लोडेश्वर	लोडेश्वर	सागवाड़ा
45	गमरेश्वर	गमरेश्वर	सागवाड़ा
46	लोहारिया	सागवाड़ा	सागवाड़ा
47	कड़ाना बैक वाटर	गलियाकोट	सागवाड़ा
48	बाय तलाब	सामलिया, सरौदा	सागवाड़ा
49	बाबा की बार	बाबा की बार	सागवाड़ा
50	लिलसौर	गैंजी	सीमलवाड़ा
51	घोड़ियो का नाका	गोरादा	सीमलवाड़ा
52	गजपुर	गजपुर	सीमलवाड़ा
53	बिलपन	बिलपन	सीमलवाड़ा
54	करावाड़ा	करावाड़ा	सीमलवाड़ा
55	वात्रक	सिमलवाड़ा पाड़लिया	सीमलवाड़ा
56	धम्बोला	धम्बोला	सीमलवाड़ा
57	भादर	बोड़ामलि	सीमलवाड़ा
58	धरमपुरी	धरमपुरी-भादर	सीमलवाड़ा

59	अमरपुरा	अमरपुरा	सीमलवाड़ा
60	भै का नाका बांध	भै का नाका	सीमलवाड़ा

स्रोत :-वन मण्डल डूंगरपुर द्वारा किया गया सर्वेक्षण 2005

वन मण्डल डूंगरपुर किया गया सर्वेक्षण 2005 क्षेत्र में सामान्यः पाये जाने वाले जलीय पक्षियों की सूची

क्र० स०	हिन्दी नाम	कामन अंग्रेजी नाम	लेटिन नाम	वि०वि०
1	सारस (हरेड़ा)	Sarus Crane	<i>Grus antigone</i>	R
2	टिटहरी	Red wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i>	R
3	जर्द टिटहरी	Yellow wattled Lapwing	<i>Vanellus malaabaricus</i>	R
4	सरपट्टी सवन	Bar headed Goose	<i>Anser indicum</i>	W V
5	राजहंस	Grey lag Goose	<i>Anser anser</i>	W V
6	नकटा	Comb Duck	<i>Sartidiornis melanotos</i>	R
7	सीखपर	Pintail	<i>Anas acuta</i>	W V
8	गिरजा	Cotton Teal	<i>Nettapus coromandelianus</i>	W V
9	छोटा लालसिर	Wigeon	<i>Anas penelope</i>	W V
10	छोटी मुर्गाबी	Common Teal	<i>Anas crecca</i>	W V
11	सिलही	Lesser Whistling Teal	<i>Dendrocygna javanica</i>	W V
12	टिकरी	Coot	<i>Fulica atra</i>	R W
13	लालसिर	Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>	W V
14	अबलक बतख	Tufted Pochard	<i>Aythya fuligula</i>	W V
15	गुरगल	Spot bill Duck	<i>Anas poecilorhyncha</i>	R W



16	सुर्खाब	Brahminy Duck	<i>Tadorna ferruginea</i>	M W
17	चेता बतख	Garganey	<i>Anas querquedula</i>	W V
18	बेखुर बतख	Gadwall	<i>Anas strepera</i>	M W
19	नीलसर	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>	W B
20	तिदारी	Shoveller	<i>Anas clypeata</i>	W V
21	मछलीमार	Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	W R B
22	सुरमल	Black Stork	<i>Ciconia nigra</i>	W V
23	हवासिल	Rosy White Pelican	<i>Peleaon onocrotalus</i>	R W
24	लोहारजंग	Black necked Stork	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	R W
25	चमचा	Spoonbill	<i>Platatea leucorodia</i>	R W
26	जांघिल	Painted Stork	<i>Mycteria leucocephala</i>	R W
27	लगलग	White necked Stork	<i>Cicoonia episcopus</i>	R W
28	हाजी लगलग	White Stork	<i>Ciconia ciconia</i>	R W
29	गूगला	Openbill Stork	<i>Anastomus oscitans</i>	R W
30	छोटा बुज्जा (नानु ढेकडा)	Glossy ibis	<i>Plegalls falcincllus</i>	R W
31	सफेद बुज्जा (ढेकडा)	White ibis	<i>Threskiornis aethiopica</i>	R
32	काला बुज्जा	Black Ibis	<i>Ciconia nigra</i>	R

	(ढेकड़ा)			
33	करछिया बगुला	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	R
34	गाय बगुला	Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	R
35	हंसावर	Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	
36	गनकौआ	Little Cormorant	<i>Phalacrocorax niger</i>	R
37	बानवर	Darter or Snake Bird	<i>Anhinga rufa</i>	R
38	बड़ा बनकौआ	Large Cormorant	<i>Phalacrocorax niger</i>	R
39	पतरिगा	Small Green Bee Eater	<i>Merops orientalis</i>	R M
40	अंधा बगुला	Pond Heron	<i>Ardeola grayii</i>	R
41	अन्जन बगुला	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	R W
42	लाल अन्जन	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>	R
43	कंचा बगुला	Little Heron	<i>Butorides siriatus</i>	-
44	भूरा चौबाहा	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	B W
45	कुरी	River Tern	<i>Sterna aurantia</i>	R
46	जलपीपी	Bronzewinged Jacana	<i>Metopidius indicus</i>	R
47	बड़ा कर्वान	Great Stone Plover	<i>Esacus magnirostris</i>	R
48	किलकिला	White breasted Kingfisher	<i>Halcyon snyderensis</i>	R
49	कौरिल्ला किलकिला	Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>	R
50	बड़ा कुलिन्दा	Curlew	<i>Numenius arquata</i>	W

51	गजपांव	Black winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>	R
52	पिहो	Pheasant Tailed Jacana	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	R
53	जलकुकड़ी	Purple Moorhen	<i>Porphyrio porphyrio</i>	R
54	चौबाहा	common Sandpiper	<i>Tringa hypoleucos</i>	W
55	जीरा बाटन	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>	R W
56	बछा गुधेरा	Black Tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>	W
57	सामान्य चहा	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>	R W

Abbreviation-R-Resident , M-Migratory, W-Winter visitor, B-Breeder

सारणी

क्षेत्र में सामान्य: पाये जाने वाले (जलीय के अलावा) पक्षियों की सूची

क्रं सं	हिन्दी/स्थानीय नाम	कॉमन अंग्रेजी नाम	लैटिन नाम
1	चील	Pariah kite	<i>Milvus migrans</i>
2	शिकरा	Shikara	<i>Accipiter badius</i>
3	तीसा	white-eyed buzzard	<i>Butastur teesa</i>
4	गिद्ध,हमला	Egyptian vulture	<i>Neophron pernopterus</i>
5	काला तीतर	Panted partridge	<i>Francolinus francolinus</i>
6	मोर (नर), धेलड़ी (मादा)	Indian peafowl	<i>Pavo cristatus</i>
7	भट तीतर	Common sandgrouse	<i>Pterocles exustus</i>

8	कबूतर, पारेवा	Blue rock pigeon	<i>Columba livia</i>
9	गिरवी फाख्ता, होली	Red-collared dove	<i>Streptopelia tranquebarica</i>
10	धोर, फाख्ता, होली	Eurasian collared dove	<i>Streptopelia decaocta</i>
11	परकी, फाख्ताहोली	Spotted dove	<i>Streptopelia chinensis</i>
12	छोटा फाख्ता, होली	Little brown dove	<i>Streptopelia senegalensis</i>
13	राय तोता, गागरोन, जंगलीता	Rose ringed parakeet	<i>Psittacula krameri</i>
14	तोता	Alexandrine parakeet	<i>Psittacula eupatria</i>
15	पपीहा	Common hawk cuckoo	<i>Cuculus varius</i>
16	कोयल	Koel	<i>Eudynamys scolopacea</i>
17	कूका	Greataer coucal	<i>Centropus sinensis</i>
18	छापेड़, छीबड़ा	Spotted owlet	<i>Athene brama</i>
19	बबीला छपका	Franklin's nightjar	<i>Caprimulgus affinis</i>
20	नीलकंठ	Indian roller	<i>Coracias benghalensis</i>
21	हुद हुद	Hoopoe	<i>Upupa epopis</i>
22	चलोतरा	Grey hornbill	<i>Ocyeros birostris</i>
23	छोटा बंसत	Coppersmith breasted barbet	<i>Megalaima haemacephala</i>
24	वीरी मोर	Wryneck	<i>Jynx torquilla</i>
25	नवरंग	Indian pitta	<i>Pitta brachyura</i>
26	जंगली	Red-winged bushlark	<i>Mirafra erythroptera</i>

27		Ashy-crowned finch lark	<i>Eremopterix grisea</i>
28	चन्दुल	Crested lark	<i>Galerida cristata</i>
29		Dusky crag martin	<i>Hirundo concolor</i>
30	लीशरा	Wire-tailed swallow	<i>H. smithil</i>
31	मस्जिद अबाबील	Red-rumped swallow	<i>H.daurica</i>
32	सफेद लटोरा	Grey shrike	<i>Lanius excubitor</i>
33	छोटा लटोरा	Bay-backed shrike	<i>L. vittatus</i>
34	काजला लटोरा	Rufous-backed shrike	<i>Lanius schach</i>
35	पीलक	Golden oriole	<i>Oriolus oriolus</i>
36	कोतवाल	Black drongo	<i>Dicrurus adsimilis</i>
37	पहाड़ी भुजंग	White-bellied drongo	<i>D.caerulescens</i>
38	बामनी मैना	Brahminy myna	<i>Sturnus pagodarum</i>
39	देसी मैना, काबर	Common myna	<i>Acridotheres tristis</i>
40	गंगा मैना, काबर	Bank myna	<i>A. ginginianus</i>
41	महालर, गणेला	Indian tree pie	<i>Dendrocitta vagabunda</i>
42	कोट कागला	House crow	<i>Corvus splendens</i>
43	जंगली कौआ	Jungle crow	<i>C.macrorhynchos</i>
44	जंगली कसिया	Black-headed cuckoo shrike	<i>Coracina melanoptera</i>
45	पहाड़ी	Scarlet minivet	<i>Pericrocotus flammeus</i>
46	सहेली	Small minivet	<i>P.cinnamomeus</i>

47	शोबीगी	Iora	<i>Aegithina tiphia</i>
48	बुलबुल	Red-vented bulbul	<i>Pyconotus cafer</i>
49		Yellow-eyed babbler	<i>Chrysomma sinense</i>
50	चिलाचिल	Common babbler	<i>Turdoides caudatus</i>
51	बहना	Large gray babbler	<i>T.malcolmi</i>
52	तुरा	Red-throated flycatcher	<i>Ficedula parva</i>
53		Grey-headed flycatcher	<i>Culicicapa ceylonensis</i>
54	नाचन	white-browed fantail flycatcher	<i>Rhipidura aureola</i>
55	शाह बुलबुल	Paradise flycatcher	<i>Terpsiphone paradisi</i>
56		Franklin's wren-warbler	<i>Prinia hodgsonii</i>
57	दर्जी	Tailor bird	<i>Orthotomus sutorius</i>
58		Lesser white-throat	<i>Sylvia curruca</i>
59	दया	Magpie robin	<i>Copsychus saularis</i>
60	कालचिड़ी	Indian robin	<i>Saxicoloides fulicata</i>
61	थिरथिरा	Black redstart	<i>Phoenicurus ochruros</i>
62		Indian chat	<i>Cercomela fusca</i>
63	खर पिद्दा	Collared bushchat	<i>Saxicola torquata</i>
64	काला पिपद्दा	Pied bushchat	<i>S. caprata</i>
65	कासिया	Large chukoo shrike	<i>Coracina maceo</i>

66		Common wood shrike	<i>Tephrodornis pondicerianus</i>
67	रामगंगरा	Grey tit	<i>Parus major</i>
68		Yellow checked tit	<i>P. xanthogenys</i>
69	पानी का पिलाकिया	Yellow wagtail	<i>Motacilla flava</i>
70	पिलाकिया	Grey wagtail	<i>Motacilla caspica</i>
71	धोबन	White wagtail	<i>M. alba</i>
72	खंजन	Large pied wagtail	<i>M.maderaspatensis</i>
73	शक्कर खोरा	Pruple sunbird	<i>Nectarinia asistica</i>
74	बबूना	White eye	<i>Zosterops palpebrosa</i>
75	गोरैया	House sparrow	<i>Passer domesticus</i>
76	बया, चटकली	Weaver bird	<i>Ploceus philippinus</i>
77	लाल मुनिया	Red avadavat	<i>Amandava amamdava</i>
78	सर मुनिया	White-throated munia	<i>Lonchura malabarica</i>
79	चितीदार मुनिया	Scaly-breasted munia	<i>Lonchura punctulata</i>
80	पहार चिड़िया	Crested bunting	<i>Melophus lathamii</i>
81	जंगली मुर्गा	Grey jungle fowl	<i>Gallus sonneratii</i>
82	मोर	Indian peafowl	<i>Pavo cristatus</i>

### 2(ब).3.3 प्रवाही जलस्रोतों में पक्षी वर्गीय वन्यजीव

2(ब).3.3.1 प्रवाही जलस्रोतों में और उसे आस पास निम्न प्रजाति के पक्षी देखे जा सकते हैं :

S.No.	Name of Bird	Preferred Zone/habitat
-------	--------------	------------------------

1	Common Kingfisher	Bed/banks/outcrops
2	Stork-billed Kingfisher	Overhanging boughs
3	White-throated Kingfisher	Overhanging boughs
4	Pied Kingfisher	Bed/banks/outcrops/ Overhanging boughs
5	Crested tree Swift	Seen flying over the waterbody
6	Common Snipe	Banks
7	Green Sandpiper	Banks
8	Wood Sandpiper	Banks
9	Common Sandpiper	Banks
10	Eurasian Thick-knee	Dry barren Upland
11	Black-winged Stilt	Shallow water
12	Great Thick-knee	Stony banks
13	Red-wattled lapwing	Riverbanks, drying or dried beds
14	River tern	Seen flying over water
15	Whiskered tern	Seen flying over water
16	Little Cormorant	Slow Moving Water
17	Little Egrets	Shallow water streams; near waterline on banks
18	Intermediate Egrets	Waterline near banks
19	Cattle Egrets	Waterline near banks
20	Indian Pond Heron	Waterline near banks
21	Purple heron	Waterline near banks
22	Grey Heron	Waterline near banks
23	Little Heron	Waterline near banks
24	Black crowned night Heron	Waterline near banks
25	Black-headed Ibis	Waterline near banks
26	Dusky Craig Martin	Seen Flying over water



27	Barn Swallow	Seen Flying over water
28	Wire-tailed Swallow	Seen Flying over water
29	Red-rumped Swallow	Seen Flying over water
30	White Wagtail	Moist Bed and Waterline zone
31	White-browed Wagtail	Moist Bed and Waterline zone
32	Citrine Wagtail	Moist Bed and Waterline zone
33	Yellow Wagtail	Moist Bed and Waterline zone
34	Grey Wagtail	Moist Bed and Waterline zone

### 2(ब).3.4 अप्रवाही /स्थिर जलस्रोतों का वर्णन

छोटे बड़े तालाब, पोखर, बांध, एनीकट, चैकडेम, खनन् के क्षेत्र, धान के जलप्लावित खेत आदि अप्रवाही अथवा स्थिर जलस्रोतों के उदाहरण हैं। सामान्यतः ऐसे स्रोतों के आस पास जलप्रवाह की दिशा में मिट्टी का बांध होता है जिसे तालाब की पाल कहते हैं। इन बंधों पर बड़, पीपल, आम, बबूल आदि प्रजाति के वृक्ष दिखाई देते हैं। कुछ स्रोतों पर नहाने, कपडे धोने अथवा पानी भरने के लिये पक्की सीढ़ियां भी बनी होती हैं।

### 2(ब).3.5 अप्रवाही /स्थिर जलस्रोतों में जलीय वनस्पति एवं अन्य वातावरण

जिले के अप्रवाही जलस्रोतों में विविध प्रकार की जलीय वनस्पति पाई जाती है जो जलीय पक्षियों के भोजन, आवास, प्रजनन, आश्रय आदि के लिये उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराती हैं। कुछ प्रमुख जलीय वनस्पति निम्न हैं

:

S.N o.	Name of the Family	Name of the Species	Local Status	Special note
1	<i>Trapa bispinosa</i>	Trapaceae	C	Free floating
2	<i>Nymphoides cristatum</i>	Gentianaceae	A	White small flowers; floating
3	<i>Ipomoea aquatica</i>	Convolvulaceae	A	Twinning; surface runner; floating
4	<i>Nymphoides cristatum</i>	Gentianaceae	A	White small flowers; floating
5	<i>Ipomoea aquatica</i>	Convolvulaceae	A	Twinning; surface runner; floating

6	<i>Nymphoides cristatum</i>	Gentianaceae	A	White small flowers; floating
7	<i>Potamogeton nodosus</i>	Potamogetonaceae	A	Fixed floating
8	<i>Cyperus rotundus</i>	Cyperaceae	VC	Present at the shore line
9	<i>Paspalidium geminatum</i>	Poaceae	VC	Present at the shore line

A: Abundant; VC: Very Common ; C: Common

2(ब).3.6 उपरोक्त के अलावा अप्रवाही जलस्रोतों पर बने बांधों की पाल पर विविध प्रकार के वृक्ष दिखाई देते हैं । आम तौर पर इन पाल पर बड़, पीपल, आम, बबूल, कहीं कहीं पर विलायती बबूल की झाड़ियां पाई जाती हैं जोकि पक्षियों के लिये उचित आश्रय उपलब्ध कराती हैं। इन जलस्रोतों में पक्षियों के भोजन के लिये उपयुक्त घोंघे, मछलियां, मेंढक, अनेक प्रकार के जलीय कीड़े पाये जाते हैं। बड़े तालाबों व जलभण्डारों के मुहाने पर दलदली भूमि पाई जाती है जोकि अनेक पक्षियों के लिये बेहद उपयोगी व उपयुक्त होती है। बांधों, नहरों, एनीकट व चेकडैम आदि के रिसाव से निकलता जल इनके नीचे की दिशा में बेहद अच्छा नमीयुक्त दलदली स्थान बना देता है जोकि पानी में चलने वाले पक्षियों जैसे, आइबिस, वेगटेल, इग्रेट, हेरोन आदि के लिये बहुत अच्छा आश्रय व भोजन का स्थान उपलब्ध कराता है।

#### 2(ब).3.7 अप्रवाही / स्थिर जलस्रोतों पर पाये जाने वाले पक्षी

जलस्रोतों के किनारों की बनावट, उनके टापू , जलीय वनस्पति आदि के अनुसार विभिन्न जलस्रोतों पर विविध प्रकार की बतखें, आइबिस, गीस, स्टॉर्क, कोरमॉरेन्ट, इग्रेट, हेरोन, क्रेन, वेगटेल आदि पाये जाते हैं ।

#### 2(ब).4. सरीसृप वर्ग

2(ब).4.1 जिले में सरीसृप वर्ग के प्राणी भी काफी मात्रा में पाये जाते हैं । इसका प्रमुख कारण है जिले में जल भण्डारों की बहुतायत । मगरमच्छ और कछुओं के लिये यह जिला बहुत ही उपयुक्त है। जिले में सामान्यतः पाये जाने वाले सरीसृप वर्ग के प्राणियों की सूची निम्नानुसार है—

सरीश्रृप (Reptiles)			
क्र०सं०	स्थानीय नाम	अंग्रेजी नाम	लैटिन नाम
1	मगर	Marsh crocodile	<i>Crocodylus palustris</i>
2	कछुआ (पानी का)	Indian sawback	<i>Kachnuga tecta</i>
3	कछुआ (तालाब का)	Indian mud turtle	<i>Lissemys punctata</i>
4	पातल, चातल	Ganges softshell	<i>Aspideretes gengeticus</i>
5	कछुआ (भूमि का)	Starred tortoise	<i>Geochelone elegans</i>
6	छिपकली	Northern house gecko	<i>Hemidactylus flaviviridis</i>
7	छिपकली	Fat-tailed gecko	<i>Eublepharis macularivus</i>
8	गिरगिट	Common garden lizard	<i>Calotes versicolor</i>
9	हालनियँ	Indian chameleon	<i>Chamaeleon zeylanicus</i>
10	नागर बामणी	Common skink	<i>Mabuya carinata</i>
11	गोह	Common indian monitor	<i>Varanus beagalansis</i>
12	दुमुही	Johr's earth boa	<i>Eryx johnii</i>
13	अजगर	Indian python	<i>Python molurus</i>
14	धामण	Common rat snake	<i>Ptyas mucosus</i>
15		Common wolf snake	<i>Lycodon aulicus</i>
16	लीला साँप	Green keelbaack	<i>Macropisthodom plumbicolor</i>
17	करायत	Common indian krait	<i>Bungarus caeruleus</i>
18	नाग	Indian cobra	<i>Naja naja</i>

19	चित्ती	Russell's viper	<i>Vipera russelii</i>
20	पड, कंकरीवाला	Saw scaled viper	<i>Echis carinata</i>
21	बिल्ला साँप	Indian Cat Snake	<i>Boiga trigonata</i>
22	डिन्डू	Checkered Keelback	<i>XebiChropis piscator</i>
23	—	Trianket Snake	<i>Elaphe helena</i>
24	अंधा साँप	Blind Snake	<i>Ramphotyphlops braminas</i>
25	दुमुही	Russell's Earth Boa	<i>Eryx conicus</i>

## 2(ब).5. उभयचारी वर्ग (Amphibian Diversity)

2(ब).5.1 जिले में जल भण्डार के अनेक स्रोत होने से और उनके सम्पूर्ण जिले के क्षेत्र में फैले होने से उभयचारी जीवों के प्रजनन और वृद्धि के लिये उपयुक्त वातावरण व परिवेश उपलब्ध है। उभयचारी जीवों के लिये पर्याप्त स्थान और पर्याप्त भोजन सामग्री होने से इनकी संख्या भी अच्छी है। जिले में सामान्यतः पाये जाने वाले उभयचारी जीव निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	अंग्रेजी नाम	लेटिन नाम	उपलब्धता
1	Common Indian Toad	<i>Bufo melanostictus</i>	VC
2	Common Tree Frog	<i>Polypedites maculatus</i>	R
3	Indian Bull Frog	<i>Haplobatrachus tigerinus</i>	C
4	Indian Burrowing Frog	<i>Sphaerotheca breviceps</i>	VC
5	Indian Cricket Frog	<i>Limnonectes limnocharis</i>	VC

A: Abundant; VC: Very Common ; C: Common ; R : rare.

## 2(ब).6. मत्स्य वर्ग

2(ब).6.1 डूंगरपुर जिले का क्षेत्र जल के भण्डारों के संबंध में बहुत धनी है। यहां न सिर्फ बड़े जल भण्डार है वरन् यहां पर अनेक छोटे बड़े तालाब है। ये भी किसी एक क्षेत्र विशेष में न होकर समस्त जिले में फैले हुए हैं। इसके

अतिरिक्त जिले में सिंचाई विभाग, पंचायत समिति, जलग्रहण क्षेत्र विकास विभाग, जिला परिषद व वन विभाग द्वारा 1000 से भी ज्यादा एनीकट बनवाये गये हैं। इनके अतिरिक्त जिले में नहरों और नदियों का बहुत बड़ा जाल है जिसका उपयोग मत्स्य पालन हेतु किया जा सकता है। इन एनीकट एवं तालाबों में बहुत बड़ा जल क्षेत्र मत्स्य वर्ग प्राणी की उत्पादन हेतु उपलब्ध है। वर्षा काल में इनका प्रजनन प्रारम्भ हो जाता है।

2(ब).6.2 डूंगरपुर जिले में पाए जाने वाले जलाशयों में विद्यमान मत्स्य प्रजातियाँ निम्न प्रकार है :-

INDIAN MAJOR CARPS				
क्र०सं०	स्थानीय नाम		वैज्ञानिक नाम	
	हिन्दी	अंग्रेजी	अंग्रेजी	
1	कतला	catla	<i>Catla catla</i>	
2	नराइन्स	Narains	<i>Cirrhinus mrigala</i>	
3	रोहु	Rohu	<i>Labeo rohita</i>	
4	कलाउन्ट	Kalaunt	<i>L.calbasu</i>	
5	मम्मोला	Mammola	<i>L.fimbriatus</i>	
INDIAN MINOR CARPS				
6	पत्थर चाट	Pathar chat	<i>Garra gotyla gotyla</i>	
7	बाता	Bata	<i>L.bata</i>	
8	राइया	Raiya	<i>L.boggat</i>	
MINNOWS & WEED FISHES				
9	जबरा	Zebra	<i>Rasbora daniconius</i>	
10	पूठी	Puthi	<i>P.ticto</i>	
11	गुरडा	Gurda	<i>Osteobrama cotia</i>	
12	बामण	Bamna	<i>Botia lohaachata</i>	

13	गोबी	Goby	<i>Glossogobuis giuris</i>	
14	खारडा	Khaarda	<i>Trichogaster fasciatus</i>	
15	सिया	Sia	<i>Ambassis nama</i>	
16	सुया	Suya	<i>Xenentodon cancilla</i>	
17	गोर्रा	Gorrah	<i>Rhinomugil corsula</i>	
18	बाम	Bam	<i>Mastacembalus armatus</i>	
19	बालू	Balu	<i>Lepidocephalichthys guntea</i>	
20	चिलवा	Chilwa	<i>Esomus danricus</i>	
21	चाउडला	Chaudla	<i>Danio devario</i>	
22	सुइया	Suiya	<i>Gadusia chapra</i>	
23	चाल	Chal	<i>Chela bacaila</i>	
24	चाल	Chal	<i>C. clupeoides</i>	
<b>MURRELS</b>				
1	सांवल	Sanwal	<i>Channa marulius</i>	
2	गीरही	Girhi	<i>C.punctatus</i>	
3	काबरा	Kabra	<i>C.striatus</i>	
4	सोली	Solly	<i>C.gachua</i>	
<b>CAT FISHES</b>				
1	मगुर	Magur	<i>Clarias batrachus</i>	
2	पाबडा	Pabda	<i>Ompak bimaculatus</i>	
3	लॉची	Lanchi	<i>Wallaga attu</i>	
4	कटवा	Katva	<i>Mystus cavasius</i>	
5	पितर	Pitar	<i>M.aor</i>	

6	सिंगाडा	Singhara	<i>M. seenghala</i>	
7	सिंगी	Singhi	<i>Hetropneustes fossilis</i>	
<b>COLD WATER FISHES</b>				
1	—	—	<i>Tor tor</i>	
2	—	—	<i>T.khudree</i>	
3	मेहसिर	Mahaseer	<i>T.putitora</i>	
4	—	—	<i>Barilius barilius</i>	
5	—	—	<i>B. sarana</i>	
<b>PRAWNS</b>				
1	झींगा	<b>Jheenga</b>	<i>Palaemon species</i>	
2	महाझींगा	<b>Mahajheenga</b>	<i>Macrobrachium rosenbergi</i>	
<b>EXOTIC FISHES</b>				
1	बिग हेड	Big head	<i>Aristichthy nobilis*</i>	
2	कोमन कार्प	Common carp	<i>Cyprinus carpio*</i>	
3	सिल्वर कार्प	Silver carp	<i>Hypophthalmichthys molitrix*</i>	
4	ग्रास कार्प	Grass carp	<i>Ctenopharyngodon idella*</i>	
5	तिलापिया	Tilapia	<i>Oreochromis mosambicus</i>	
6	थाई मगुर	Thai magur	<i>Clarias garipinus*</i>	

\*वर्तमान में प्राकृतिक जल स्रोतों में नहीं पायी जाती

\*Presently not found in natural bodies.

2(ब).6.3 मेजर कार्प मछलियां स्वयं के वजन से ज्यादा घास खाती है इसलिये इस प्रकार की मछलियां तालाबों में घास नियन्त्रण हेतु पाली जाती हैं। कतला, राहू व मिबल बाजार में अच्छे मूल्य पर विक्रय होती हैं। ये आमदनी

का बहुत अच्छा स्रोत हैं। झींगा मछली उच्च श्रेणी की है जो खारे पानी में अण्डे देती है और मीठे पानी में बच्चे पैदा करती है। इसलिये इसके लिये जल को समय समय पर बदलना आवश्यक होता है।

## 2(ब).7. वन्यजीवों को हानि पहुँचाने वाले कारक

2(ब).7.1 शिकार : वन्यजीवों को हानि पहुँचाने वाले कारकों में, मनुष्य, संक्रामक रोग तथा खाद्य श्रृंखला का कुप्रभावित होना, मुख्य है। इन तीन प्रमुख कारकों में मनुष्य का स्थान सबसे ऊँचा है। मनुष्य ने परोक्ष एवं अपरोक्ष दोनों रूप से वन्यप्राणियों को हानि पहुँचाई है। मनुष्य ने आखेट के बहाने, चाहे व नियमित हो या अवैध, वन्यजीव का हनन अपने निहित स्वार्थ के लिये किया है। यह स्वार्थ वाणिज्यिक स्तर पर पहुँच गया है तथा वन्यजीवों का चोरी छिपे शिकार कर उनके मांस, खाल व ट्रॉफी की बिक्री भी चोरी छिपे होने लगी है। स्वतंत्रता के बाद उन्नति के साधन जुटने के फलस्वरूप मनुष्य के हाथ जीप, आग्नेयास्त्र व आवागमन के नवीन साधन प्राप्त हुए जिनका उपयोग निरीह वन्यजीवों पर किया गया जिससे इनकी संख्या में निरंतर कमी होती गयी।

2(ब).7.2 आश्रय स्थलों का विनाश : अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए अनेक शोधकार्य से यह लगभग स्थापित हो चुका है कि लगभग समस्त वन्यजीवों ने अपनी विकास प्रक्रिया के दौरान विभिन्न कारणों से देखने, सुनने, सूँघने, पहचानने, अहसास करने आदि की इस प्रकार की शक्तियाँ विकसित कर ली हैं जिससे कि वे आसानी से अपनी सुरक्षा के साथ भोजन की व्यवस्था भी कर सकें। इन्हीं अद्भुत शक्तियों से सहारे ही वे आपस में सम्पर्क बनाये रख सकते हैं तथा प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सकते हैं। इस कार्य में उनका प्राकृतिक आश्रय स्थल की बनावट व प्रकृति बहुत बड़ा योगदान देती है। विगत वर्षों में मानव समाज ने अपने विकास की दौड़ में इन आश्रय स्थलों को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है जिसके कारण से वन्यजीवों का जीवनयापन दूभर हुआ है। मनुष्य द्वारा वन्यजीवों के आश्रय स्थलों का विनाश अथवा उनके प्राकृतिक आश्रय स्थलों के आस पास किये जाने वाला दखल भी वन्यजीवों के कम होती संख्या का प्रमुख कारण है।



2(ब).7.3 खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव : वन्यजीवों की संख्या में कमी का एक और प्रमुख कारण है, इनकी खाद्य श्रृंखला से छेड़छाड़। यह सर्वविदित है कि प्रत्येक वन्य जीव किसी न किसी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है और उसका अस्तित्व किसी न किसी खाद्य श्रृंखला पर निर्भर है। प्रकृति में संतुलन बनाये रखने हेतु बड़ी जटिल खाद्य श्रृंखलाएँ हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन या छेड़छाड़ भी बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानवीय कृत्यों ने इन खाद्य श्रृंखलाओं में बहुत अधिक हस्तक्षेप किया है।

2(ब).7.4 संक्रामक रोग : चराई दबाव बढ़ने से पशुओं में होने वाले संक्रामक रोग वन्यप्राणियों में भी फैलने लगे हैं, जिनसे वन्यजीवों की संख्या में कमी आई है।

### 2(ब).8. जिले में वन्यजीव प्रबंधन

2(ब).8.1 वनमण्डल स्तर पर की जाने वाली वार्षिक गणना बहुत वैज्ञानिक ढंग से सम्पादित नहीं की जाती है। वनमण्डल स्तर पर प्रतिवर्ष माह मई में पूर्णिमा की रात को वाटरहोल/जलस्रोत पर निगरानी रखी जाकर वन्य जीवों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। वनमण्डल स्तर पर होने वाली इस गणना की प्रक्रिया, समय, इसमें नियोजित वनकर्मियों की वन्य जीवों के संबंध में ज्ञान व दक्षता, आदि का देखते हुए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह प्रक्रिया वैज्ञानिक व ठोस नहीं है वरन् मात्र एक औपचारिकता का निर्वहन है। इस कारण से इस गणना से प्राप्त जानकारी के आधार पर जिले में वन्यजीवों के संबंध में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सकता है। जिले में वन्य जीवों की उपस्थिति का अनुमान मात्र ही होता है।

2(ब).8.2 वनमण्डल द्वारा की गई वन्यजीव गणना 2012 के अनुसार जिले में वन्यजीवों की उपस्थिति के आंकड़े निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	वन्यजीव का नाम	जूलोजिकल नाम	योग
1	बघेरा	Panther or Leopard ( <i>Panthera pardus</i> )	8
2.	सियार/गीदड़	Jackal ( <i>Canis aureus</i> )	859

3.	जरख	Hyena ( <i>Hyena hyena</i> )	54
4.	जंगली बिल्ली	Jungle Cat ( <i>Felis chous</i> )	200
5.	मरु बिल्ली	Desert Cat ( <i>Felis libyca</i> )	—
6.	मछुआरा बिल्ली	Fishing Cat ( <i>Felis rubigniosa</i> )	—
7.	बिल्ली	Rusty spotted cat ( <i>Felis rubiginosa</i> )	—
8.	लोमड़ी	Fox ( <i>Vulpes bucapus</i> )	395
9.	मरु लोमड़ी	Desert Fox ( <i>Vulpes bucapus</i> )	—
10.	भेडिया	Indian Wolf ( <i>Canis lupus pallipes</i> )	—
11.	भालू	Sloth Bear ( <i>Melursus ursinus</i> )	—
12.	बिज्जू छोटा	Small Indian Civets ( <i>Viverricula indica</i> )	—
13.	बिज्जू बड़ा	Large Indian Civet ( <i>Viverra zibetha</i> )	—
14.	कबर बिज्जू	Ratel ( <i>Mellivora capensis</i> )	45
15.	सियागोश	Caracal ( <i>Felis caracal</i> )	—

### शाकाहारी

16.	चीतल	Chital ( <i>Axis axis</i> )	—
17.	सांभर	Sambar ( <i>Cervus unicolor</i> )	—
18.	काला हिरण	Black Buck ( <i>Antelope cervicapra</i> )	—
19.	रोजड़ा	Nilgai ( <i>Boselaphus tragocamelus</i> )	895
20.	चिंकारा	Chinkara or India Gazelle ( <i>Gazella</i> )	35

21.	चौसिंगा	Four – horned antelope ( <i>Tetraceros</i> )	—
22.	जंगली सुअर	Wild pig ( <i>Sus scrofa</i> )	182
23.	सेही	Indian procupine ( <i>Hystrix indica</i> )	150
24	उड़न गिलहरी	Flying squirrel ( <i>Petinomys fuscoapillus</i> )	—

### पक्षी

25	गोडावण	Great Indian Bustard ( <i>Choriotis nigriceps</i> )	—
26.	सारस	Cranes ( <i>Gruidae</i> )	34
27.	गिद्ध	King Vulture	—
28.	गिद्ध	Indian Longbiled Vulture	—
29	जंगली मुर्गा	Grey jungle fowl ( <i>Gallus sonnerati</i> )	1
30.	बर्डस ऑफ प्रे	Birds of prey	—

### सरीसृप

31	घड़ियाल	Gharial ( <i>Gravialis gangeticus</i> )	—
32.	मगर	Magar, Crocodiles ( <i>Crododilus porosus</i> )	4
33.	साण्डा	Spiny Tailed Lizard ( <i>Varanusgriseus</i> )	—

**अध्याय 3**  
**वन उत्पादों का उपयोग**  
**Utilization of Forest Produce**

3. कृषि प्रथा एवं जनसाधारण की मांग व आश्यकताएँ

**(Agricultural customs and wants of the population )**

3.1.1 वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर डूंगरपुर जिले की कुल जनसंख्या 1388906 है। इस जिले में जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है:—

जनगणना वर्ष	जनसंख्या	पूर्व की जनसंख्या में वृद्धि (प्रतिशत में)
1931	227544	—
1941	274282	(+) 20.54
1951	308243	(+) 12.38
1961	406944	(+) 32.02
1971	530258	(+) 30.30
1981	682845	(+) 28.78
1991	874549	(+) 28.07
2001	1107643	(+) 26.65
2011	1388906	(+) 25.39

3.1.2 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1931 से 2011 तक कुल जनसंख्या का 510 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप इस कार्य आयोजना क्षेत्र की वन सम्पदा पर अत्यधिक दबाव बढ़ा एवं वनों से लकड़ी एवं अन्य वन उपज की आवश्यकता की पूर्ति

हेतु अवैध कटाई वारदातों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इस आबादी में से 92.70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों (गावों) में निवास करते हैं। जिले में गाँवों की संख्या 854 है। यह आदिवासी बाहुल्य जिला है। डूंगरपुर, सीमलवाड़ा, सागवाड़ा, आसपुर तहसीलों में अधिकतम आदिवासी हैं। आदिवासियों की भील, मीणा, डामोर मुख्य उपजातिया हैं। तथा अन्य जातियों में पटेल, ब्राह्मण, राजपुत आदि हैं।

**3.1.3** कृषि में जोत के क्षेत्र व खेत छोटे होने व अधिकांश असिंचित होने तथा वर्षा पर आधारित होने के कारण कृषि से प्राप्त आजीवीका से मात्र कुछ महिनों का गुजारा मात्र हो पाता है। हाल के वर्षों में कृषि में यांत्रिक उपकरणों का उपयोग बढ़ा है, पर अधिकांश कृषक अब भी पुरानी तकनीक ही उपयोग में लाते हैं इस कारण गाय, बैल तथा बकरियां सभी के यहां पाई जाती हैं। हालांकि मवेशी व बकरियां अत्यंत अनुत्पादक व निम्न श्रेणी की हैं। मवेशी, खाद व दूध के लिये भी पालते हैं, कुछ व्यक्ति भेड़ एवं बकरी खाद, दूध एवं व्यापार के लिए पालते हैं। यातायात एवं कृषि कार्यों के लिए कुछ व्यक्ति ऊँट भी रखते हैं। ग्रामवासी केलूपोश (Locally manufactured mud tiles) घरों में रहते हैं।

## **3.2 वन क्षेत्र से आवश्यकताएं**

### **(Wants from the Forest)**

जनता की वन उपज से संबंधित मुख्य आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:-

#### **3.2.1 कृषि औजारों के लिए एवं मकान बनाने के लिए :-**

बढ़ते विकास के साथ साथ आधुनिक कृषि यंत्रों एवं उपकरणों के बढ़ते प्रयोग के कारण कृषि औजार व उपकरणों में लकड़ी का प्रयोग हालांकि कम होने लगा है परन्तु महंगे आधुनिक यंत्रों को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखने वालों की संख्या भी बहुत कम है तथा हल, हाल इत्यादि में लकड़ी का प्रयोग होता है। आज भी जूडा, बख्खर, हल, हाल के निर्माण हेतु मुख्यतः बबूल की लकड़ी का प्रयोग होता है। बबूल की लकड़ी मुख्यतया राजस्व भूमि अथवा काश्तकारों द्वारा उनके स्वयं के खेत से ली जाती है। बबूल लकड़ी के अभाव में तेन्दू, बेहडा, कोहड़ा, धावडा, सागवान आदि की लकड़ी प्रयोग में लाई जाती है। ये वन क्षेत्र से ही प्राप्त होती हैं।

**3.2.2** एक सूक्ष्म सर्वेक्षण के अनुसार आदिवासी ग्रामीण परिवार को सामान्य-सा कच्चा मकान बनाने में निम्नानुसार वन उत्पादों की आवश्यकता रहती है।

क्र. सं.	वस्तु का नाम	वृक्ष प्रजाति जिसकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है	मात्रा	आकार	अवधि
1	बोंबियां	टिमरू / सागवान / सादड / हल्दू	3	10-12 फीट	10 साल
2	बल्लियां	टिमरू / सागवान / सादड / हल्दू	12	10-12 फीट	10 साल
3	डांडे	सागवान / उम्बिया	100	8-10 फीट	10 साल
4	पाट	टिमरू / सागवान / उम्बिया / बहेडा / धावडा	6	12-15 फीट	10 साल
5	जोतडी	टिमरू / सागवान / उम्बिया / बहेडा / धावडा	6	10-12 फीट	10 साल
6	सोलिया	सागवान	12	6 फीट	10 साल
7	सलोवन	सागवान	5 क्वि		10 साल
9	किवाड	सागवान / बबूल	4	6 फीट	25 साल
10	खाट	सागवान	6	12 पेड	5 साल

उपरोक्त जानकारी का अध्ययन करने पर अहसास होता है कि प्रत्येक मकान के लिए लगभग 125 से 150 वृक्षों की आवश्यकता होती है जो कि लगभग सम्पूर्ण ही वन क्षेत्र से प्राप्त किये जाते हैं।

### 3.2.3 ईंधन उपयोग हेतु जलाऊ लकड़ी

प्रतिदिन भोजन तैयार करने व सर्दी के महीनों में तपने के लिए वन क्षेत्र से आपूर्ति की जाने वाली पंचमेल जलाऊ लकड़ी सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख आवश्यकता है। कृषि की जोत छोटी होने के कारण बची हुई सामग्री बहुत कम होती है जो कि ईंधन की आपूर्ति को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती है। पशुधन की गुणवत्ता व उत्पादकता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इनसे प्राप्त गोबर से भी ईंधन आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत सीमित है। बायोगैस, सौर ऊर्जा के उपकरण आदि का प्रचलन जिले में नहीं पाया जाता है। हालांकि तहसील मुख्यालय एवं छोटे कस्बों में एल.पी.जी. गैस कनेक्शन का प्रयोग बढा है। वन क्षेत्र के पास रहने वाले परिवारों की लगभग समस्त आपूर्ति वन क्षेत्रों से ही होती है जबकि दूरी पर रहने वाले परिवारों की मात्र 30 से 40 प्रतिशत आपूर्ति ही वन क्षेत्र से होती है। ये परिवार अपनी ईंधन की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं की भूमि से अथवा वैकल्पिक स्रोतों से करते हैं।

### 3.2.4 बाड़ के लिए वन उत्पादों की आवश्यकता

स्थानीय ग्रामवासियों के द्वारा समीप के वन क्षेत्रों से झाड़ियां काट-काट कर बाड़ सामग्री के रूप में निम्नानुसार उपयोग में लाई जाती है :-

1. खेती की बाड़ हेतु ।
2. मवेशियों के बाड़े बनाने हेतु
3. मकानों की बाड़ हेतु ।

उपरोक्त कार्यों के लिए ग्रामवासियों द्वारा मुख्य रूप से कंटीले वृक्षों एवं झाड़ियों का या तो साबुत या उनकी शाखाओं को काट कर उपयोग किया जाता है। इस हेतु मुख्य रूप से गोया खैर, कडुवा, बेर, करंज, घटबोर, टामट, खैर, बांस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। यदि झाड़ियां उपलब्ध नहीं हो तो धावड़ें के वृक्षों की शाखाओं का बाड़ बन्दी हेतु उपयोग किया जाता है।

### 3.2.5 मवेशी हेतु घास व चारा/चारागाह

ग्रामीण समुदाय की दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता मवेशी के लिए घास व चारा है जिसकी अधिकांश आपूर्ति वन क्षेत्र से ही होती है। अधिकांश ग्रामीणों द्वारा मवेशी को जंगल में खुले छोड़कर चराई कराई जाती है। हालांकि जिले में लगभग 34623 हैक्टर राजस्व चारागाह भूमि है, इसमें से अधिकांश भूमि चारागाह हेतु व्यवहारिकता में अनुपलब्ध है। चराई का समस्त दबाव वन क्षेत्र पर ही रहता है।

### 3.2.6 घरेलू उपभोग के लिए गौण वन उपज

बांस की स्थानीय व आसपास के शहरों/कस्बों में विभिन्न कार्यों के लिए बहुत मांग रहती है। आदिवासी मिट्टी के मकान में मजबूती के लिए दीवारों में इनका प्रयोग करते हैं। लाठी, टोकरी, चटाई, चारापाई, मकान के दरवाजे, खिडकियाँ, कच्चे मकान की छत बनाने के लिए बांस का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है।

### 3.2.7 अन्य लघु वन उपज

उपरोक्त सामान्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए बहेडा, आंवला, अरीठा, रतनजोत, करंज, महुवा, आम, जामुन, बेर, करोंदा, बेल, लसोडा व पुवाड़ आदि के फल-फूल निजी उपयोग व व्यापार के लिए एकत्रित किये

जाते हैं। खाखरा के पत्ते पतल एवं दौनों के लिए तथा खजूर के पत्ते चटाई एवं झाड़ू के लिए, आंवल की छाल चमडा रंगने के लिए तथा गोदल की छाल, बांस आदि गट्टर बाधने के लिए एकत्रित की जाती है। ये तो कुछ मुख्य-मुख्य उपयोग हैं। इनके अतिरिक्त वृक्षों के फलों, बीजों, छाल आदि का तथा छोटी झाड़ियों व शाक के पंचांग का देशी व परम्परागत औषधियों के रूप में आदिवासियों द्वारा सामान्य रूप से बहुत उपयोग किया जाता है।

### **3.3 बाजार व विक्रय योग्य उत्पाद**

#### **(Markets and Marketable produce)**

##### **3.3.1 विक्रय योग्य वनोपज व उत्पाद :**

डूंगरपुर जिला वन बाहुल्य होने के कारण तथा अधिकांश जनसंख्या आदिवासी व ग्रामीण होने के कारण आम समाज के रोजमर्रा की आवश्यकताओं व जीविका संबंधी आवश्यकताओं में वनोपज का बहुत बड़ा स्थान है। जिले में अधिकांश वनोपज एवं उससे बने उत्पाद, स्वयं के काम में आने के अतिरिक्त विक्रय के जरिये आमदनी का भी एक स्रोत हैं। इन वन उपज व उनके उत्पादों का बाजार न सिर्फ जिले में है, वरन् अनेक वनोपज जिले के बाहर भी विक्रय की जाती है। जिले में पायी व विक्रय की जाने वाली।

**वनोपज को निम्न श्रेणियों में रखा जा सकता है :**

##### **3.3.2 छोटी लकड़ी :**

जिले में उपलब्ध व उत्पादित वनउपज का सबसे बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चा मकान या टापरा निर्माण, मवेशी हेतु बाड़ा निर्माण तथा कृषि उपकरणों व औजार निर्माण में प्रयोग किये जाने वाली वनउपज का है जिसमें सागवान, बबूल, तेन्दू, धावडा, खजूर तथा खैर की लकड़ी का अधिक प्रयोग होता है। इसमें भी तेन्दू, धावडा, व बबूल के मुख्य तने अथवा मोटी डाल से प्राप्त सीधी काष्ठ योग्य लकड़ी का प्रयोग मकान के बीच के मुख्य स्तम्भ अथवा बीम के रूप में प्रयोग किया जाता है। सागवान व धावडा की बल्लियां व डांडो तथा बांस का प्रयोग छप्पर निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार की वनोपज का अधिकांश भाग वनक्षेत्र से ही अवैध रूप से प्राप्त किया जाता है।



### 3.3.3 जलाऊ लकड़ी :

रोजमर्रा के उपयोग के लिये जलाऊ लकड़ी भी अधिकांशतः वनक्षेत्र से ही प्राप्त की जाती है। परिभ्रांषित क्षेत्रों में जहां ढाक, सालर अथवा कंटीली झाड़ियों को काटकर जलाऊ लकड़ी के रूप में उपयोग में लिया जाता है, वहीं अच्छे वन क्षेत्र के आस पास के क्षेत्रों में सागवान व धावडा आदि की डंडियों का प्रयोग किया जाता है। जलाऊ लकड़ी को बाजार में विक्रय कर आय अर्जन भी किया जाता है। इस हेतु मुख्यतः स्थानीय कस्बों में सालर, गोदल की जलाऊ लकड़ी की 'मूलि' (गट्टर) का बेचान किया जाता है। स्थानीय मेलो के अवसर पर, सर्दी के मौसम में तथा होली के त्यौहार के अवसर पर इस प्रकार की लकड़ी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। चूंकि जलाऊ लकड़ी रोजमर्रा की आवश्यकता है, इसलिये इसके अधिक विदोहन से वनक्षेत्र पर अत्याधिक दबाव पडता है।

### 3.3.4 घास व चारा :

जिले में मवेशी हेतु चारा व घास एक अन्य महत्त्वपूर्ण वन उपज है जिसकी खपत काफी मात्रा में होती है। जिले में कृषि जोत छोटे है जिनसे मवेशी हेतु चारा उत्पादन की क्षमता नहीं है। पूर्व में जहां चराई हेतु मवेशी को वनक्षेत्र में खुला छोड दिया जाता था वहीं हाल के वर्षों में स्थल चारण को प्रोत्साहित किया गया है। वनमण्डल में संधारित सूचना के अनुसार विगत कुछ वर्षों में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से निम्नानुसार घास व चारा निःशुल्क दिया गया है :-

सारणी :-

क्र. स.	वर्ष	कार्यरत वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों की संख्या	समिति सदस्यों की संख्या			समितियों के खाते में जमा राशि लाखों में (मार्च माह)	समितियों को प्राप्त घास की मात्रा एवं अनुमानित मूल्य	
			पुरुष	महिला	योग		मात्रा क्वी मे	मूल्य लाखों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2007	267	28800	23445	52245	15.87	74339	148.6
2	2008	267	25510	22817	48327	22.73	55103	110.2
3	2009	267	29743	22853	52596	8.87	46681	91.4
4	2010	267	29906	23521	53427	14.62	46756	93.5
5	2011	272	30629	24327	54956	14.01	76906	153.8
6	2012	277	30738	2442	55159	40.07	31417	125.6

**3.3.5 वन उत्पाद :** इनके अलावा वनउपज से बने अनेक उत्पाद स्थानीय हुनरमंदों व कारीगरों द्वारा बनाये जाते हैं जो कि प्रमुख कस्बों के बाजारों में अक्सर देखे जा सकते हैं । इनमें प्रमुख है :

- ✓ बांस के बने उत्पाद जैसे टोकरी, छपड़ा, पंखें, चटाई
- ✓ ढाक के पत्तो से बने पत्तल दोने ।

**3.3.6 गौण वन उपज :** जिले में गौण वन उपज या अकाष्ट वन उपज और औषधीय पादपों का भी क्रय विक्रय होता है। विगत एक दशक में इनका आर्थिक महत्त्व काफी बढ़ा है तथा इनको आय अर्जन के स्रोत के रूप में देखा जाने लगा है। विशेषकर

औषधीय पादपों व वन उपज का राष्ट्रीय बाजारों में मांग बढ़ने व अच्छा मूल्य प्राप्त होने से इनको ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी सम्मिलित किया जाने लगा है। जिले में संग्रहित की जाने वाली कुछ मुख्य गौण वन उपज निम्न है : –

**3.3.7 तेन्दू पत्ता :** बीडी उद्योग का यह कच्चा माल सबसे अधिक मात्र में पूर्ण जिले के विस्तार में उपलब्ध प्रमुख वनउपज है जिससे निर्धन आदिवासी परिवारों को वर्ष के सबसे मुश्किल समय में अर्थात् माह अप्रैल-मई की भीषण गर्मी के समय में अपने स्थानीय क्षेत्र से ही अच्छी आय प्राप्त हो जाती है। माह अप्रैल-मई में तेन्दू के वृक्ष पर प्रतिवर्ष प्रस्फुटित नवीन कोमल पत्तों का उचित समय पर संग्रहण किया जाता है। ये पत्ते बीडी बनाने के काम आते हैं। प्रदेश में तेन्दू पत्त संग्रहण का कार्य वन विभाग द्वारा ही किया जाता है। तेन्दू पत्त संग्रहण के लिये प्रत्येक जिले में जहां तेन्दू पत्ता पाया जाता है, क्षेत्र को विभक्त कर तेन्दू पत्ता ईकाईयो का गठन किया गया है। इन ईकाईयों में उपलब्ध तेन्दू पत्ता की मात्र एवं मूल्य के आधार पर प्रत्येक ईकाई का विक्रय पंजीकृत विक्रेताओं को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। विभाग द्वारा अधिकृत ग्रामीणों व मजदूरों को एकत्रित पत्ते के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर राशि अदा करते हैं। व्यापारी द्वारा इस प्रकार एकत्रित तेन्दू पत्ता फिर बीडी निर्माताओं को अथवा अन्य व्यापारियों को राष्ट्रीय स्तर पर विक्रय कर दिया जाता है। इस व्ययन प्रक्रिया में जहां राज्य सरकार को ईकाईयों के व्ययन से राजस्व प्राप्त होता है वहीं तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले ग्रामीणों को उनके द्वारा एकत्रित पत्ते का वाजिब मूल्य तुरन्त उपलब्ध हो जाता है। विगत वर्षों में जिले में तेन्दू पत्ता के संग्रहण व व्ययन की स्थिति निम्नानुसार है :

सारणी :-

संग्रहित मानक बोरा एवं आय (वर्ष 2003 से 2012 तक)

क्र० स०	वर्ष	संग्रहित मानक बोरा का विवरण	आय राशी	प्रति मानक बोरा दर
1	2003	7754.900	2461945.92	320
2	2004	20446.800	2132817.98	320
3	2005	2952.000	435952.00	320
4	2006	9456.730	1759839.00	350
5	2007	20259.72	7961642.00	350
6	2008	13867.40	3455140.00	375
7	2009	7763.633	5905360.00	425
8	2010	11003.09	3982998.00	450

9	2011	13588.500	5361466.00	500
10	2012	18403.200	12959840.0 0	500

**3.3.8** तेन्दू पत्ता के संग्रहण, व्ययन एवं अन्य प्रक्रियाएं राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अधिनियम 1974 से शासित होता है।

**3.3.9 महुआ फल व फूल :**

माह मार्च से जुलाई की अवधि में जिले में स्थानीय आदिवासियों द्वारा बड़े पैमाने पर महुआ फल एवं फूलों को एकत्रित किया जाता है। इसका एक बड़ा भाग स्थानीय आदिवासियों द्वारा खाद्य के रूप में एवं देशी खराब बनाकर उपयोग में लिया जाता है। स्वयं की आवश्यकता से अधिक एकत्रित फल एवं फूलों का विक्रय स्थापनीय रूप से अथवा आसपास के गांवों के निवासियों व कस्बों में छोटे व्यापारियों को कर दिया जाता है। इस कार्य में सीमित संख्या में व्यापारी क्रियाशील हैं।

**3.3.12 कीकोड़ा :**

डूंगरपुर, बिच्छीवाड़ा, आंतरी, सीमलवाड़ा, सागवाड़ा के राजस्व व वन क्षेत्रों में वर्षा ऋतुमें कीकोड़ा (*Momordica dioica*) का बहुतायत से उत्पादन होता है। कीकोड़ा आस-पास के क्षेत्रों व पड़ोसी राज्य गुजरात में सब्जी के रूप में पसन्द किया जाता है। इसके विक्रय से स्थानीय आदिवासियों व छोटे व्यापारियों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है।

**3.3.14 रतनजोत :**

रतनजोत के बीज भी जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में काफी बहुलता से पाये जाते हैं। स्थानीय आदिवासी समुदाय में पूर्व से ही रतनजोत के बीज एकत्रित करने की परम्परा रही है। परम्परागत तौर पर, एकत्रित रतनजोत के बीज को स्थानीय महाजन अथवा दुकानदार को देकर उनसे अपने जरूरत का सामान प्राप्त कर लिया जाता रहा है। पुवाड़ के बीज भी स्थानीय आदिवासियों द्वारा एकत्रित कर विक्रय किये जाते हैं तथा पत्तों का खाने में सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है।

**3.3.15 औषधीय पादप :** डूंगरपुर जिले में अनेक ऐसे वनस्पति पादप हैं, जिनका भाग का उपयोग औषधी निर्माण अथवा औषधी के रूप में किया जाता है।

**3.4 वनोपज व उत्पादों का बाजार**

**3.4.1** उपरोक्त वर्णित विभिन्न श्रेणियों की वन उपज व उत्पाद के बाजार भी उनकी मांग व उपयोग के अनुसार स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक और संगठित व सरकार से

लेकर पूर्णतया असंगठित व तदर्थ प्रकृति के हैं विगत दशकों में सम्पर्क, संचार, परिवहन, वित्त उपलब्धता, तकनीकी संसाधन एवं व्यापार की सुविधाओं में आमूलचूल परिवर्तन, विस्तार तथा आधुनिकीकरण होने के कारण सम्पूर्ण देश की तरह ही जिले में भी वन उपज व उत्पाद के क्रय विक्रय हेतु बाजार का विस्तार हुआ है। इसको हम निम्न श्रेणियों में विभक्त कर समझ सकते हैं ।

**3.4.2 स्थानीय बाजार :** स्थानीय बाजार से तात्पर्य वनोपज व उत्पादों के उसके स्रोत के सबसे समीपस्थ उपलब्ध क्रय विक्रय के सुलभ स्थान अथवा व्यवस्था से है। इस दृष्टि से मकान, बाड़ा निर्माण आदि में प्रयुक्त होने वाली छोटी काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, कुछ गौण वनोपज जैसे रतनजोत, बहेडा पुवांड आदि के बीज, चारा व घास तथा वनोपज से बने उत्पादों जैसे रस्सी, टोकरी आदि निकटवर्ती कस्बे या बड़े गांव में विक्रय की जाती है। नियमित तौर पर उपलब्ध महाजन व दुकानदार के अलावा स्थानीय सड़क किनारे रखकर भी वनोपज को विक्रय किया जाता है। विशेषकर जलाऊ लकड़ी प्रतिदिन इन स्थानों पर प्रातः विक्रय हेतु रखी देखी जा सकती है। इन स्थानों के दुकानदार व महाजन, कुछ वनोपज व उत्पाद के लिये बड़े व्यापारियों के स्थानीय क्रेता के रूप में भी कार्य करते हैं।

**3.4.3 प्रादेशीय बाजार:** कुछ वनोपज स्थानीय बाजार में कम क्रय विक्रय की जाती है । इनका मूल्य, मांग व मात्रा के कारण इनको क्रय-विक्रय प्रमुख कस्बों, शहरों में ही होता है । इन बाजारों में आस पास के गांवों के अलावा दूर के क्षेत्रों से भी उत्पाद क्रय विक्रय के लिये लाये जाते हैं। इन बाजारों में स्थानीय उत्पादक अथवा संग्रहक अथवा क्रेता सुलभता से अपना व्यापार कर सकते हैं। इन बाजारों में सभी प्रकार के उत्पादों के विक्रेता, क्रेता, बड़े क्रेता, विक्रेताओं के अभिकर्ता हमेशा उपलब्ध रहते हैं। महुआ फल, फूल, बहेडा के बीज, अधिकांश औषधीय पादप व उत्पाद, तथा बांस से बने उत्पाद आदि हेतु प्रमुख प्रादेशीय बाजार निम्न है :

- ✓ डूंगरपुर (शहर)
- ✓ आसपुर
- ✓ सागवाड़ा
- ✓ गलियाकोट
- ✓ सीमलवाड़ा

**3.4.4 राष्ट्रीय बाजार :** ये वो बाजार है जहां उत्पादों को बहुत बड़े पैमाने पर क्रय विक्रय होता है। इन बाजारों में उत्पादों के बड़े व्यापारी अथवा उपयोगकर्ता अथवा उद्योग है

जहां वनोपज व उत्पादों को प्रसंस्करित कर उच्च गुणवत्ता के अनेक उत्पाद बनाये जाते हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर इनका आपूर्ति की जाती है। ये बाजार पूर्णतया संगठित एवं आधुनिक होते हैं। जिले में उपलब्ध वनोपज व उत्पादों में से इस प्रकार के बाजार में औषधीय पादप व उत्पाद सबसे अधिक क्रय विक्रय किये जाते हैं। इन उत्पादों व उपज की इस बड़े बाजार तक पहुंच स्थानीय अथवा प्रादेशीय बाजार में स्थित क्रेता विक्रेताओं के माध्यम से ही अधिकांशतः होती है।

**3.4.5 सरकारी बाजार :** निजी व स्वयं के स्तर से वनोपज व उत्पादों को क्रय विक्रय करने के लिये उपरोक्त वर्णित बाजार में आम उत्पादक व संग्रहणकर्ता का सुलभता प्रदान करने, उसका शोषण नहीं होने तथा उत्पादों का सही मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा भी अनेक व्यवस्थाएं जिले में स्थापित की गई है जो वनोपज व उत्पादों के क्रय विक्रय का कार्य करती हैं । ये संस्थाएं सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करती है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं :-

**3.4.6 राजस्थान जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी संघ (राजस संघ) डूंगरपुर :** राज्य सरकार के स्तर पर आदिवासी अंचल में राज्य सरकार द्वारा स्थापित, राजस्थान जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी संघ (राजस संघ) डूंगरपुर, द्वारा रतनजोत एवं पुवांड का क्रय किया जाता है। इस हेतु संघ द्वारा क्षेत्र भर में कुछ व्यापारियों को अपना अभिकर्ता नियुक्त किया गया है जो कि संघ द्वारा निर्धारित दर पर वनोपज क्रय करते हैं जिसके बदले में उनको तयशुदा कमीशन दिया जाता है।

**3.4.7 बृहद्ध कृषि बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति (Large Agriculture Multipurpose primary Cooperative Society) :** राज्य सरकार के सहकारिता विभाग के अधीनस्थ, कुछ ग्राम पंचायतों के समूह के मध्य कृषकों व स्थानीय ग्रामीणों को कृषि एवं अन्य कार्य हेतु आवश्यक सामग्री जैसे खाद, बीज आदि सुलभता से उपलब्ध कराने तथा उनके उत्पाद को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदने हेतु बृहत्त क्षेत्र बहुउद्देशीय सहकारी समितियां का गठन किया हुआ है। पूर्ण जिले में इस प्रकार की 78 समितियां हैं जिनका संचालन सहकारी नियमों के अनुसार निर्वाचित संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में इन समितियों को 9.50 रु प्रति किलो की दर से रतनजोत के बीज खरीदने के लिये निर्देशित किया गया है।

**3.4.8 वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां (Village Forest Protection & Management Committees):** वन विभाग के अधीनस्थ साझा वन प्रबन्ध संकल्प अंतर्गत पंजीकृत एवं कार्यरत वन सुरक्षा एवं रक्षा प्रबन्ध समितियों के माध्यम से भी वनोपज व उत्पादों को

क्रय विक्रय किया जा सकता है। इस संबंध में समितियां अपने स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम हैं। जिले में कुछ समितियों द्वारा वन क्षेत्र से बीज एकत्र कर विक्रय करने का कार्य किया गया है। इसी प्रकार से समितियां अपने प्रबन्धित क्षेत्र में घास, चारा, गिरी पडी जलाऊ लकडी, गौण वनोपज आदि के संग्रहण, तथा क्रय विक्रय का कार्य कर रही हैं। संगठित होने के कारण तथा सरकार का सानिध्य प्राप्त होने के कारण इनकी स्थानीय बाजार को सुदृढ एवं सुलभ करने में महत्त्वपूर्ण भुमिका है। वर्तमान में जिले में विभाग के अधीन इस प्रकार की कुल 277 समितियां पंजीकृत है।

**3.4.9 सावधिक बाजार :** इनसे तात्पर्य उन बाजारों से है जोकि नियमित तौर पर नहीं लगते परन्तु नियत अवसरों पर अथवा विशेष कारण से कभी कभी लगते है। इस श्रेणी के बाजार में स्थानीय त्यौहारो पर लगने वाले विशेष परम्परागत मेले तथा कभी कभी लगने वाले व्यापार मेले आते है। चूंकि इन मेलो में सामाजिक, धार्मिक तथा पराम्परागत कारणों से दूर दराज के लोग व व्यावसायी आते है, वनोपज व उत्पाद क्रय विक्रय के लिये ये मेले अत्यंत सुलभ व मान्य हैं। इन मेलो में स्थानीय स्तर की उपज व उत्पाद ही अधिकांशतः क्रय विक्रय किये जाते है। इनमें प्रादेशीय व राष्ट्रीय स्तर पर सम्पर्क कायम करने की संभावना भी रहती हैं। इन मेलो में इस क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर किये जा रहे सुधार एवं अन्य प्रयासों की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जिले में विभिन्न अवसरों पर लगने वाले मेले निम्न हैं :

**सारणी :-**

क्र. स.	मेले/त्यौहार का नाम	भरने का स्थान	तिथि	मेले/त्यौहार का महत्व	मेलार्थियों की अनुमानित संख्या
1	बेणेश्वर	बेणेश्वर, साबला	माघ पूर्णिमा	धार्मिक	लगभग 8 लाख
2	हड़मतिया	पाल माण्डव	कार्तिक-15	धार्मिक	लगभग 40 हजार
3	नीलापानी	करौली के पास	कातिक सुदी 15	धार्मिक	लगभग 35 हजार
4	उर्स	गलियाकोट	मुहर्रम 27	धार्मिक	लगभग 30 हजार
5	रथोत्सव	डूंगरपुर, पीठ	भाद्रपद 30	धार्मिक	लगभग 22 हजार

6	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	पंचम होली के बाद	धार्मिक	लगभग 7 हजार
7	बोरेश्वर	बोरेश्वर	नवरात्रि	धार्मिक	लगभग 16 हजार
8	विजवामाता	मोदपुर	नवरात्रि	धार्मिक	लगभग 28 हजार
9	मूरला गणेश	डूंगरपुर	दीपावली की दूज पर	धार्मिक	लगभग 20 हजार
10	दशहरा	डूंगरपुर	नवरात्रि	धार्मिक	लगभग 45 हजार

इनके अलावा विगत वर्षों में सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा भी विशेष व्यापार मेले जिला एवं प्रमुख कस्बों के स्तर पर वर्ष में कभी कभी लगाये जाते हैं ।

### 3.5. वन उत्पादों की मांग व आपूर्ति तथा वनों पर दबाव :-

#### **(Demand and supply of forest produce and pressures on the forests)**

##### 3.5.1 जिले का सामाजिक खाका :

2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 13.89 लाख है। जिले में कुल 235013 परिवार है जिसमें से 221211 (94.12 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। अतः औसतन प्रत्येक ग्रामीण परिवार में सदस्यों की संख्या 5.8 है जबकि शहरी क्षेत्र में यह संख्या 5.15 है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 55560 (4 प्रतिशत) है और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 900285 (65 प्रतिशत) है। विशेष तथ्य यह है कि अनुसूचित जनजाति की 97 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिले में लगभग 52 प्रतिशत लोग किसी भी प्रकार के कार्य में नियमित तौर पर नियोजित नहीं हैं।

##### 3.5.2 पिछली जनगणना वर्ष 2011 में की गई है, कि वर्ष 2011 में जिले की कुल जनसंख्या लगभग 13.89 लाख है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।



## सारणी:—

### समस्त संख्या लाख मे

		2011 में
1	कुल जनसंख्या	13.89
2	ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या	13.00
3	शहरी क्षेत्र में जनसंख्या	0.88
4	ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों की संख्या	2.21
5	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	0.61
6	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	13.35
7	ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	13.00
8	ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	2.21

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वनोपज की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकता का अनुमानित आंकलन किया जा सकता है।

#### 3.5.3 छोटी काष्ठ की मांग का आकलन :

#### 3.5.4 नये घरों के निर्माण के लिये

**3.5.4 नये घरों के निर्माण के लिये :** ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत घर कच्चे होते हैं। इन कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों में समय के साथ औसतन प्रतिवर्ष कम से कम लगभग 1 प्रतिशत नवीन घर बनाये जाते हैं। इस आधार पर सन् 2011 को आधार मानते हुए कार्य आयोजना अवधि में औसतन प्रतिवर्ष 2.21 लाख ग्रामीण घरों के 90 प्रतिशत का एक प्रतिशत अर्थात् लगभग 1998 नवीन कच्चे घर का निर्माण प्रतिवर्ष होगा। प्रति नवीन कच्चे मकान में बल्ली, खम्बा, बीम, दरवाजा आदि हेतु अनुमानित 0.5 घ.मी. लकड़ी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष लगभग 1989 घरों के लिये लगभग 995 घ.मी. लकड़ी की आवश्यकता होगी। तथा बांस की कुल आवश्यकता 1.00 लाख होगी।

**3.5.5 पुराने घरों की मरम्मत हेतु :** कार्य आयोजना क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 5 प्रतिशत कच्चे घरों में मुख्य मरम्मत की आवश्यकता मानते हुए कुल लगभग 11100 घरों में प्रति घर 0.3 घ.मी. के आधार पर **3330** घमी लकड़ी की आवश्यकता होगी। तथा बांस की कुल 3.34 लाख आवश्यकता होगी ।

**3.5.6 कृषि उपकरणों व औजार हेतु :** जिले में कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त लकड़ी से बने प्रमुख उपकरण है हल, बख्खर एवं बैलगाड़ी। एक हल का उपयोग लगभग 4 वर्ष तक किया जा सकता है। अर्थात् प्रतिवर्ष एक चौथाई हल नये बनाने पड़ते हैं। वर्तमान में भी लगभग 60 प्रतिशत कृषक जुताई हेतु लकड़ी से बने हल का उपयोग करते हैं। जिले में लगभग 1.21 लाख हलों की संख्या है एवं प्रतिवर्ष लगभग 30,250 हल नये बनाये जाते हैं। प्रति हल लगभग 0.2 घ. मी. लकड़ी का उपयोग होता है। इस आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 6050 घमी लकड़ी हल बनाने हेतु आवश्यक होगी। बढ़ते आधुनिकीकरण, ट्रैक्टर आदि के प्रयोग को देखते हुए वास्तविक आवश्यकता इसकी लगभग 50 प्रतिशत अर्थात् 3025 घ.मी. रहना संभावित है।

**3.5.8** जिले में लगभग 14028 बैलगाडियां हैं। बैलगाड़ी की आयु भी 10 वर्ष मानते हुए प्रतिवर्ष 1400 बैलगाडियों के निर्माण हेतु प्रति बैलगाड़ी 0.75 घमी की दर से लगभग तथा आधुनिकीकरण के कारण वास्तविक आवश्यकता 50 प्रतिशत ही मानते हुए कुल 525 घ.मी. लकड़ी की आवश्यकता रहेगी।

**3.5.9** इस प्रकार कृषि कार्य हेतु प्रतिवर्ष लकड़ी की आवश्यकता  $3025 + 1500 + 525 = 3930$  घ.मी. रहेगी। पुराने अन्य कृषि उपकरणों की मरम्मत हेतु इसका 10 प्रतिशत आवश्यक रहना संभावित है । इस प्रकार कुल आवश्यकता  $3530 + 355 = 3905$  घ. मी. या लगभग 10,700 घ.मी. रहेगी।

#### **3.5.10. जलाऊ लकड़ी की मांग**

कार्य आयोजना हेतु किये गये सर्वेक्षण के अनुसार प्रति परिवार औसतन 12.70 क्वींटल जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता प्रतिवर्ष रहती है। आधुनिकीकरण के कारण तथा वैकल्पिक स्रोतों की अधिक उपलब्धता के कारण, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे 80 प्रतिशत परिवारों के जलाऊ लकड़ी का उपभोग करना माना जा सकता है। इस आधार पर लगभग 1.77 लाख परिवारों हेतु जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता 22.50 लाख क्वींटल अर्थात् 225000 टन रहेगी। औसतन 1 घ मी में 0.70 टन के सूत्र के आधार पर कुल 321428 घ.मी. लकड़ी की आवश्यकता जलाऊ

लकडी के रूप में रहेगी। रोजमर्रा की ईंधन के अतिरिक्त जलाऊ लकडी की आवश्यकता मृतकों की अंत्येष्टि हेतु भी रहती हैं। जिले में 6.75 प्रति हजार की मृत्यु दर के आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 9240 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। लगभग 90 प्रतिशत मृतकों का जलाया जाता है। प्रति अंत्येष्टि कम से कम 5 क्वींटल लकडी की आवश्यकता रहती है। इस आधार पर प्रतिवर्ष मृतकों की अंत्येष्टि हेतु 41583 क्वींटल या 4158 टन जलाऊ लकडी की आवश्यकता होगी। औसतन 1 घ मी में 0.70 टन के सूत्र के आधार पर कुल 5940 घ.मी. लकडी की आवश्यकता जलाऊ लकडी के रूप में रहेगी। इस प्रकार जलाऊ लकडी की प्रतिवर्ष कुल अनुमानित आवश्यकता 327368 घ0मी0 रहेगी।

### 3.5.11 वर्तमान मांग (वर्ष 2011)का आंकलन

उपरोक्त आंकलन सन् 2011 में जनसंख्या के अनुमान के आधार पर किया गया है। उपरोक्त किये गये आंकलन को वर्तमान 2011 की जनसंख्या के आधार पर स्थिति निम्नानुसार सामने आती है :

सारणी :-

क्र.स.	मांग का प्रकार	2011 में
1	नये घरों के निर्माण के लिये	995 (घन मी0)
2	पुराने घरों की मरम्मत हेतु	3330 (घन मी0)
3	कृषि उपकरणों व औजार हेतु	3905 (घन मी0)
4	जलाऊ लकडी	327368 (घन मी0)
	<b>योग:-</b>	<b>335598 (घन मी0)</b>
	<b>बांस:-</b>	<b>434000 स्टेन्डर्ड बांस</b>

### 3.5.12 वनोपज की आपूर्ति की स्थिति व आंकलन

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वर्णित वास्तविक जीविका आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक वनोपज के प्रदाय हेतु विभागीय स्तर पर जिले में कोई भी विभागीय विक्रय केन्द्र नहीं है। छोटी काष्ठ व जलाऊ लकडी विक्रय हेतु अन्यत्र कोई विभागीय व्यवस्था नहीं है। जहां से आम व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसी कारण से

इन वनोपज की मांग व पूर्ति का कोई तथ्यात्मक आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है। विभागीय व्यवस्था अथवा कोई संगठित प्रदाय बिन्दू नहीं होने के कारण यही माना जा सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पर आवश्यक वनोपज सीधे वन क्षेत्र से प्राप्त कर ली जाती है। जहां वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां सक्रिय हैं वहां समितियों के माध्यम से उनके द्वारा प्रबन्धित क्षेत्र से कुछ वनोपज की पूर्ति विशेषकर जलाऊ लकड़ी तथा घास व चारे की पूर्ति व्यवस्थित तथा वैध तरीके से होती होगी। अन्य स्थानों पर यह पूर्ति अधिकांश अवैध तरीके से पूरी की जाती है।

### 3.5 चराई का दबाव व आपूर्ति की स्थिति

3.6.1 जिले में कुल वनक्षेत्र को प्रभावित करने वाले पशुधन की स्थिति निम्नानुसार है :  
सारणी –

पशु गणना वर्ष 2003 के अनुसार लाखों में	पशु गणना वर्ष 2007 के अनुसार लाखों में
गाय व बैल – 4.17	4.26
भैंस – 2.15	2.34
बकरिया – 3.75	3.91
भेड़ – 1.24	1.08
ऊंट – 0.03	0.018
गधे/खच्चर – 0.032	0.003
<b>योग :- 11.37</b>	<b>11.611</b>

3.6.2 पशु इकाई की गणना हेतु निम्न सूत्र काम में लिया गया है :

क्र. सं.	पशु का प्रकार	पशु इकाई
1	1 ऊंट	8
2	1 भैंस	2
3	1 भेड़	0.5
4	1 बकरी	0.5

5.	बैल / गाय	1
6.	गधा / खच्चर	1

**3.6.3** पशु गणना वर्ष 2007 के अनुसार जिले में कुल 11.582 लाख पशु इकाईयों हेतु चारा व घास की मांग है। जिले का कुल क्षेत्रफल 3770 वर्ग कि०मी० है। जिसमें वनक्षेत्र 692.72 वर्ग कि०मी० है कुल जिले का वनक्षेत्र 18.3 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल पशुगणना 2.12 लाख इकाई वनक्षेत्र पर निर्भर करती है जबकि 60 प्रतिशत वनक्षेत्र पर वृक्षारोपण कार्य हो चुका है। अतः कुल चराई क्षेत्र मांग 27700 हैक्टर अतः कुल 7.6 पशु प्रति हैक्टर आती है। जबकि अतिशुष्क वनक्षेत्र में 2 पशु इकाई/हैक्टर अतः कुल 4 गुना वनक्षेत्र पर चराई का दबाव है।

### **3.7 व्यवसाय व कारखाने**

**3.7.1** कार्य आयोजना क्षेत्र में प्रमुख व्यवसाय कृषि है। वनोपज आधारित कोई कारखाना जिले में नहीं है। जिले में कुल 69 आरामशीनें कार्यरत हैं। इन आरामशीनों में कच्चे माल की आपूर्ति राज्य के बाहर अथवा निजी काश्तकरों की भूमि से प्राप्त लकड़ी से होती है।

### **3.8 विदोहन के तरीके तथा उनकी लागत :-**

#### **(Methods of harvesting and their costs)**

विभिन्न प्रकार की वनोपज का विदोहन जिले में भिन्न ढंग से होता है। घरेलु आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु छोटी काष्ठ तथा जलाऊ लकड़ी को ग्रामीणों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर अपने ही ढंग से निकाल लिया जाता है। जहां साझा वन प्रबंध अंतर्गत समितियां सक्रिय हैं वही पर कुछ हद तक इनकी निकासी के तरीके पर नियंत्रण रखा जा सका है। मवेशी व पशुधन हेतु चारा व घास के संबंध में भी सक्रिय समितियों द्वारा प्रबन्धित क्षेत्र में ही बीज गिरने के उपरान्त ही काट कर ले जाने की व्यवस्था कायम हो सकी है। ऐसे क्षेत्र में खुली चराई वर्ष के अधिकांश समय में नहीं होती है परन्तु जिले का 70 प्रतिशत से ज्यादा वन क्षेत्र में वर्ष पर्यन्त संवहन क्षमता से अत्यधिक मात्रा में अनियंत्रित चराई होती रहती है। जिससे पुनरोत्पादन अंकुरित और स्थापित नहीं हो पाता है। इससे भूमि क्षरण होता है। मृदा की गुणवत्ता में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुख्य वन उत्पाद जैसे जलाऊ लकड़ी एवं इमारती लकड़ी का विदोहन विभागीय कार्य मण्डलों द्वारा किया जाता है।

#### **3.8.5 विदोहन पर होने वाला व्यय व बाजार भाव :-**

विदोहन पर होने वाला व्यय समय समय पर विभागीय कार्य मण्डल द्वारा निर्धारित किया जाता है जो भिन्न-भिन्न उत्पादों के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर अलग-अलग होता है। विभागीय कार्य मण्डल द्वारा भिन्न-भिन्न उत्पादों पर किये जाने वाला विदोहन व्यय एवं बाजार भाव की सारणियां अध्याय के अन्त में है।

### 3.9 निर्यात मार्ग (Line of export):—

विभिन्न प्रकार के वनोपज और उनसे बने उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने हेतु जिले में निम्न निर्यात मार्ग है :-

3.9.1 रेल मार्ग :- जिले में उदयपुर-डूंगरपुर-हिम्मतनगर-अहमदाबाद मीटर गैज लाईन है।

3.9.3 सड़क मार्ग : जिले में व्यापार व आवागमन हेतु तथा जिले से बाहर निर्यात हेतु व्यापक सड़क

3.9.4 मार्ग विकसित है। वर्तमान में प्रमुख सड़क मार्ग निम्नानुसार है :

#### राष्ट्रीय राजमार्ग

एन एच 8	उदयपुर-रतनपुर मार्ग	34 किमी
---------	---------------------	---------

#### 3.9.4 राज्य राजमार्ग

एस0 एच0-10	खैरवाड़ा-डूंगरपुर-माही	90 कि0मी0
एस0 एच0-54	आसपुर-डूंगरपुर-सरथुना	120 कि0मी0

#### 3.9.5 प्रमुख जिला सड़कें

	आसपुर-गणेशपुर	10 कि0मी0
	मुण्डली-धम्बोला-जोगपुर	45 कि0मी0

3.9.5 अन्य जिला सड़के : जिले में विभिन्न कस्बों को जोड़ने वाली कुल 7 सड़के हैं जिनकी कुल लम्बाई 157 कि0मी0 है।

### 3.9.7 ग्राम सड़के :

- अ. कुल ग्राम 854  
ब. सड़को से जुड़े हुए ग्राम 810  
स. सड़को कुल लम्बाई 1991.83 कि०मी०

### 3.9.8 वन मार्ग : इनके अलावा निम्न वनमार्ग है :

क्र.स.	सड़क का नाम व प्रकार	वनखण्ड जिसमें से सड़क गुजर रही है।	वनखण्ड मे सड़कों की लम्बाई
1	भरतपुर से दूधली माता	रातापानी	4 किलोमीटर
		रानीझूला	4 किलोमीटर
2	वेड़ से भागागढ़	रानीझूला	4 किलोमीटर
3	धामोद से मेवाड़ा	कवला पिपल	15 किलोमीटर
4	काठल से सागवाड़ा	कांठल	8 किलोमीटर

### 3.10 विक्रय केन्द्रों एवं कूपों पर कार्य की श्रमिक दरें :-

सारणी -

कार्यालय उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर  
विक्रय केन्द्रों / कूपों पर कार्य की श्रमिक दरें  
14 फरवरी 2011 से प्रभावी

क्र.स.	कार्य विवरण	मात्रा	श्रमिक दर (रूपयों में)
1	जलाऊ लकड़ी/गटटा सामान्य/खिरनी/मोखा के विभागीय ट्रक खाली कराई	प्रति क्विं	2.57
2	जलाऊ लकड़ी/गटटा सामान्य/खिरनी/ मोखा की	—	3.65

	तुलाई व चट्टा लगवाई		
3	जलाऊ लकड़ी/गट्टा सामान्य/खिरनी मोखा की ट्रक भराई	--	3.65
4	जलाऊ लकड़ी के छोड़े-छिलकें एकत्रित कराई तुलाई व ढेर लगवाई (भौतिक सत्यापन सहित)	--	5.67
5	गुलाब बाग डिपो के बाहर खाली की हुई लकड़ी को अंदर ले जाकर चट्टा लगाई	--	5.67
6	जलाऊ लकड़ी के चट्टे में से खिलौना उपयोग हेतु लकड़ी छंटाई व तुलवाई	--	4.59
7	धर्म कांटे पर तुलवाई हुई लकड़ी का चट्टा लगवाई	--	2.30
8	बासँ/बेम्बू वेस्ट का विभागीय ट्रक खाली कराई	प्रति ट्रक	128.25
9	खुले बाँस को गिनकर साईजवार बंडलों में बंधाई (चट्टे) के 10 प्रतिशत से अधिक संख्या पर देय नहीं होगा।	प्रति बंडल	0.73
10	सुखी जलाऊ लकड़ी एकत्रित कराई व कूप डिपों तक ढुलाई, व चट्टा लगाई	प्रति क्वि	21.60
11	सड़ाकों के किनारे वृक्षों का पातन		
	अ. लकड़ी कटाई	प्रति क्वि	2565
	ब. चट्टा लगाई	प्रति क्वि	3.65
	स. ट्रक भराई	प्रति क्वि	
	। टिम्बर (गोलाई 60 से.मी. एंव अधिक) (उचाई 2 मीटर एंव अधिक)	प्रति क्वि	5.87
	।। जलाऊ लकड़ी	प्रति क्वि	3.65

बाँस कूपों में कार्य हेतु श्रमिक दरें :-

क्र०सं०	नाम कार्य	मात्रा	श्रमिक दर
---------	-----------	--------	-----------



			(रूपयों में)
बॉस कटाई, कूप डिपो तक ढुलाई, गिनती कराई, व चट्टा लगाई (हरा व सुखा)			
1	बॉस 24"	प्रति सेकंडा	877.50
2	बॉस 22"	—"—	661.50
3	बॉस 18"	—"—	330.75
4	बॉस 15"	—"—	221.40
5	बॉस 12"	—"—	155.25
6	बॉस पट्टी	—"—	166.05
7	बॉस हरा 10"	—"—	128.25
8	बॉस सुखा 10"	—"—	128.25
9	बॉस विभागीय ट्रक भराई	—"—	210.60
10	बॉस विभागीय ट्रक खाली कराई	—"—	210.60

3.13.10 विभागीय कार्य मण्डल उदयपुर की जलाऊ लकड़ी की विक्रय दर : 144 रू प्रति क्विन्टल

#### अध्याय 4

वन उपज के विदोहन व विपणन में विभागीय कार्य मण्डल की गतिविधियां और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के परिणाम

**Activities of the Departmental Operations Division in Harvesting and Marketing of forest produce, Result of Socio economic Survey.**

**4.1 विभागीय कार्य मण्डल**

**4.1.1** विभागीय कार्य मण्डल का एक कार्यालय बांसवाड़ा में स्थित था जो कि डूंगरपुर जिले से संबधित वन उपज के विदोहन व विपणन का कार्य भी संपादित करता था। लकड़ी व कोयला डिपो आसपुर, डूंगरपुर, सागवाड़ा, गलियाकोट, में थे जो कि क्षेत्रीय वन अधिकारी विभागीय कार्य ईकाई डूंगरपुर के अधिन था।

**4.1.2 विगत उत्पादन**

कार्य आयोजना श्री पी0एस0 भटनागर (भा0व0से0) के अनुसार वन मण्डल डूंगरपुर के वन क्षेत्र जलाऊ लकड़ी, छोटी काष्ठ, व बांस का उत्पादन निम्न अनुसार है।

वर्ष	छोटी काष्ठ (घन फुट में)	जलाऊ लकड़ी (घन फुट में)	चारकोल (घन फुट में)
1977-78	831.70	2557.55	7884.60
1978-79	2042.05	6692.00	4357.60
1979-80	3977.10	2892.90	5883.60
1980-81	-	-	-
1981-82	31.97	22445.801	6064.20

इसके अलावा डांडा व बलिया निकाली गई इस प्रकार है।

वर्ष	बली (नंग)	डांडा (नंग)
1977-78	278	158
1978-79	169	-
1979-80	1435	1680
1980-81	-	-
1982-83	635	1211

**4.1.3** प्रदेश में वन उपज के विदोहन व विपणन हेतु कोई वन विकास निगम स्थापित नहीं है। विभागीय कार्य मण्डल का एक कार्यालय उदयपुर में स्थित है, जो कि उदयपुर संभाग एवं आसपास के जिलों से संबधित वन उपज के विदोहन व विपणन का कार्य संपादित करता है। डूंगरपुर जिले से संबधित वन उपज का विदोहन व विपणन का कार्य भी उदयपुर कार्यालय द्वारा ही किया जाता है।

4.1.4 श्री पी0एस0 भटनागर भा0व0से0 कार्य आयोजना 1983-84 से 1992-93 की अवधि में विदोहन हेतु कोई कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया था।

4.1.5 इस कार्य आयोजना में भी कोई कूप विदोहन हेतु प्रस्तावित नहीं है।

#### 4.2 सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण जिला डूंगरपुर

##### 4.2.1 सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण

वन विभाग से संबधित जानकारीया पूर्व के अध्याय 1 व 3 दिया गया है इसके अलावा अन्य जानकारी निम्नानुसार है।

#### जिला एक दृष्टि में वर्ष 2010

1 जिले की स्थिति	2 क्षेत्रफल
दक्षिणी भाग में 23° 20' व 24° 01'	कूल क्षेत्रफल 3770 वर्ग कि०मी०
उत्तरी अक्षांस में 73° 21' व 74° 23' पूर्वी देशान्तर के मध्य	राज्य में जिले का प्रतिशत 1.96 प्रतिशत

3 उंचाई :- 572 मीटर समुद्र तल से

#### 4 जलवायु

4 अ तापमान	4 ब वर्षा (2009)
अधिकतम 43 सेल्सियस	वास्तविक वर्षा 757 मिलीमीटर
न्यूनतम 9 सेल्सियस	औसत वार्षिक वर्षा 357 मिलीमीटर

#### 5.जनसंख्या (जनगणना 2001)

	पुरुष	महिला	योग
ग्रामीण	505664	521123	1026787
शहरी	42127	38729	80856
कूल	547791	559852	1107643

5अ. जिले का राज्य से प्रतिशत 1.96
5ब. घनत्व 294 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी०
5स. लिंगानुपात 1000:1022

#### शहरी जनसंख्या

नगर का नाम	वार्डों की	कुल	पुरुष	महिला
------------	------------	-----	-------	-------

	संख्या	जनसंख्या		
डूंगरपुर	30	43108	23224	19884
सागवाडा	25	37748	18903	18845
कुल	55	80856	42127	38729

### तहसील वार्ड जनसंख्या

नाम तहसील	राजस्व ग्राम	पटवार मण्डल व गिरदावरी सर्कल	जनसंख्या	कुल जनसंख्या से प्रतिशत
डूंगरपुर	305	68 (7)	392424	35.43
सागवाडा	246	56 (6)	287288	25.94
सीमलवाडा	253	44 (5)	243423	21.98
आसपुर	174	40 (3)	184508	16.65
कुल योग	978	208 (21)	1107643	100

### पंचायत समिति वार्ड (ग्रामीण) जनगणना 2001

पंचायतसमिति का नाम	कुल जनगणना ग्राम व ग्राम पंचायते	जनसंख्या
डूंगरपुर	170 (36)	172385
सागवाडा	186 (46)	192681
सीमलवाडा	237 (58)	241099
आसपुर	155 (49)	184508
बिछीवाडा	192 (48)	236114
कुल योग	940 (237)	1026787

### बी0पी0एल परिवार

नाम पंचायत समिति	जनसंख्या
डूंगरपुर	21064
सागवाडा	13588
सीमलवाडा	12447
आसपुर	12271
बिछीवाडा	36509
योग ग्रामीण	95879
शहर डूंगरपुर	2238
शहर सागवाडझ	1444
योग शहरी	3682
महायोग	9956

### 6 प्रशासनिक ढांचा :- (2010) (संख्या में)

उपखण्ड	3
तहसील	4

पंचायत समितिया	5
जनगणना शहर	3
पंचायत ब्लॉक	5
ग्राम पंचायते	237
पटवार मण्डल	208
गिरदावर सर्कल	21
राजस्व ग्राम	978
आबाद ग्राम	974
गैर आबाद ग्राम	4
जनगणना ग्राम	945
सर्कल	2
पुलिस स्टेशन	10
पुलिस चौकी	20
जैल	2

**न्यायिक ढांचा :- (संख्या में)**

जिला एवं शेसन जज,एम.ए.सी.टी.जज	1
अपर जिला एवं शेसन जज	1
सिवील जज एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	1
सिवील जज एवं अतिमुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	2
मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट	3

**7 साक्षरता दर :- (प्रतिशत) 2011**

	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला
जिला	13.89	74.66	46.98
ग्रामीण	13.00	—	—
शहरी	0.88	—	—

**8 भूमि उपयोग**

(क्षेत्रफल हेक्टर में)

(अ) भौगोलिक क्षेत्रफल	377000
जंगलात	69272.783
अनुपयोगी कृषि भूमि	128935
पडत जमीन	69865
स्थाई चारागाह	27345
वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	130723
कूल बोया गया क्षेत्रफल	191883
कूल सिंचित क्षेत्रफल	42344

**9 सिंचाई के संसाधन (2008-2009)**

(अ) शुद्ध सिंचाई का क्षेत्रफल (है०में)	(ब) कुल सिंचाई के साधन
--	------------------------

	साधन	शुद्ध सिंचाई का क्षेत्रफल		साधन	संख्या
1	कुंआ / ट्यूबवेल	5969	1	डिजल पम्पसेट	7890
2	तालाब	145	2	इलेक्ट्रिक पम्प सेट	3295
3	अन्य साधन	13244	3	अन्य साधन	18600
<b>कुल :-</b>		19358	4	ट्यूबवेल	402
			5	तालाब	900

#### 10 अपराध प्रकरण (संख्या में)

राजस्व केसेज		फौजदारी केसेज	(2006)आउटलाइन बेस अनुसार
पुर्व का बलेन्स	3730	पुर्व का बलेन्स	8417
वर्ष में दर्ज	17234	वर्ष में दर्ज	4425
वर्ष में निस्तारण	18544	वर्ष में निस्तारण	5020
शेष	2420	शेष	7827
भु राजस्व मांग(लाखों में)	78.81		
भु-राजस्व का कलेक्शन	75.44		

#### 11 आपरेशन होल्डिंग (हैक्टेयर में) कृषि गणना 2001

	कुल	अजा0	अजजा0
औसत आपरेशनल होल्डिंग	2.05	0.71	1.34

#### 12 कृषि: फसलो का उत्पादन एवं क्षेत्रफल (2008-2009)

फसल	कुल क्षेत्रफल(है0)	कुल उत्पादन मै0टन में
अनाज	122664	75456
दाले	21747	11523
तिलहन	2037	367
गन्ना	116	360
अन्य	8391	879
कुल	154955	88585

औसत साइज आपरेशन होल्डिंग(है0) 1.33

#### 13 जंगलात (2009-2010)

कम0संख्या	उपयोग	कुल क्षेत्रफल (वर्ग)
-----------	-------	----------------------

		कि०मी०)
1	आरक्षित वन	257.08356
2	रक्षित वन	426.40687
3	अवर्गीकृत वन	9.23740
	<b>कुल योग :-</b>	<b>692.72783</b>

#### 14स्वास्थ्य सेवाएं (2009–2010)

अ-एलोपैथिक		ब-आर्युवेद	
जिला अस्पताल	1	आर्युवेदिक अस्पताल	4
नगरीय अस्पताल	1	कुल बेड	47
सामु०स्वा० केन्द्र	7	डिसपेन्सरी	121
पी०एच०सी	38	स-अन्य	
नगरीय डिसपेन्सरी	2	होम्योपैथिक	2
सबसेन्टर	320	युनानी दवाखाना	1

#### 15 पशुपालन (2009)

ओषधालय	48
डिसपेन्सरी	0
सबसेन्टर	85

#### 16 पशु गणना 2007 अनुसार

कुल पशु धन	1416941
गाय एवं बैल	425785
भेस एवं भेंसा	234272
सुअर	1097
उंट	1845
भेड	108476
बकरिया	391447
घोडे व टट्टू	307
अन्य	39002
कुत्ते	38980
मुर्गा / मुर्गियां	175760

#### 17 शिक्षा सेवाएं (2009–2010)

	कुल संख्या
प्राथमिक शिक्षा मय राजीव गांधी पाठशालाएं	1884
उच्च प्राथमिक विद्यालय	679
माध्यमिक विद्यालय	151
उच्च माध्यमिक विद्यालय	83
कालेज	11
तकनिकी कालेज मय आईटीआई	4
डाईट	1

### 18. उद्योग विभाग (2009–2010)

लघु उद्योग	3361
रोजगार लघु उद्योगों में	15712
वृहद उद्योग	3
ओद्योगिक क्षेत्र	3

### 19. सडकें (2008–2009)

वर्गीकरण	बी0टी	मेटल	ग्रेवल	एफडब्लु	कुल
नेशनल हाईवे	34	.	.	.	34
स्टेट हाईवे	210	.	.	.	210
मुख्य जिला सडके	55	.	.	.	55
अन्य सडके	157	.	.	.	157
ग्रामीण सडक	1902.49	.	17	68.34	1987.83
कुल	2358.49		17	68.34	2443.83

### 20 विद्युत (2009–2010)

ग्राम विद्युतीकृत	854
सब ग्रिडस्टेशन	35
कुल उपभोक्ता	143881
अ-धरेलू	119041
ब-व्यावसायिक	9709
स-ओद्योगिक	2111
द-सार्वजनिक प्रकाश	494
य-कृषि	11772
अन्य	754

### 21 जन स्वास्थ्य विभाग



पीने के पानी के स्कीम से जुड़े ग्राम	166
कुल हेण्डपम्प (ग्रामीण)	13486
कुल हेण्डपम्प (शहरी)	577

## 22 पोस्ट एवं टेलिग्राम (2009–2010)

पोस्ट आफिस	298
टेलिग्राम आफिस	1 बीएसएनएल कार्यालय में
कुल टेलिफोन कनेक्शन	उपलब्ध नहीं

## 23 बैंक(2008–2009)

कामर्शियल बैंक	66
कापरेटिव बैंक	9
अन्य वित्तीय संस्थाएं	3
किसान क्रेडिट कार्ड	64074

## 24 कापरेटिव सोसाईटी (2009)

कापरेटिव सोसाईटी कुल	372
कुल कृषि साख सोसाईटी	51
गैर कृषि साख सोसाईटी	218
डेयरी कोपरेटिव सोसाईटी	103
वर्कींग केपिटल	658.97

## 25 सार्वजनिक वितरण योजना (2009)

कुल राशन कार्ड वितरण	272830
सार्वजनिक वितरण की दुकाने	464
धरेलु गैस एजेन्सीज	2
पेट्रोल पम्पस	43
बेरल पेट्रोल पम्पस	7
अन्नपूर्णा योजना से लाभान्वितों की सं०	5014

## 26 माइन्स एवं जिओलोजी (2009–2010)

कुल लीज की संख्या	उपलब्ध नहीं
मिनरल्स की आय	7.52 करोड
कुल रोजगार माइन्स में	उपलब्ध नहीं

## मिनरल्स उत्पादन

क्र०सं.	मिनरल का नाम	उत्पादन मै०टन
1	सोपस्टोन	58420.440
2	सरपेन्टाइल	125120.47
3	मेसनरी स्टोन	81836.00
4	कावेरी लाइसेन्स	12899.00
5	बजरी	318654.000

## 27 ट्रांसपोर्ट (2009-2010)

कुल रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल्स	88188
लायसेन्स जारी किये गये	70806

## 28 निर्वाचन (2008)

कुल लोकसभा सीट	1
कुल विधान सभा सीट	4
कुल वोटरो की संख्या	705947
कुल जिला परिषदो सदस्यो की संख्या	27

## 29 अन्य :-(2009)

न्युजपेपर प्रकाशन जिले में	4
प्रिन्टीग प्रेस	4

## 30 मैले एवं त्यौहार

क्र०सं०	मैले	स्थान	माह
1.	बैणेश्वर	साबला	फरवरी
2.	लीलापानी	हडमतिया	नव०
3.	भेडमाता	आंतरी	नव०
4.	भुवनेश्वर	ओडा बडा	जन०

## त्यौहार

दिपावली, दशहरा, होली, गणगौर, तीज, इदुलफितर, रक्षा बन्धन, जनमाष्टमी के मुख्य त्यौहार जिले में मनाये जाते हैं।

## 31 पर्यटन स्थल

भुवनेश्वर मन्दिर, बेणेश्वर मन्दिर, देवसोमनाथ मन्दिर, गलियाकोट दरगाह गेपसागर पाल आदि मुख्य पर्यटन स्थल है।

### 32 विश्राम ग्रह

नाम	कमरो की सं०	बिस्तर की सं०
सर्कट हाउस	8	16
डाक बंगला डूंगरपुर	5	10
डाक बंगला सागवाडा	2	4
डाक बंगला आसपुर	2	4

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि डूंगरपुर जिला प्रमुखतया जनजाति बहुल जिला है। जिले में जनजाति समुदाय कुल जनसंख्या का 65.14 प्रतिशत है। 1981 की जनगणना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 69.29 प्रतिशत थी। जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या मात्र 4.15 प्रतिशत है। जिले में चार तहसील, तथा 5 पंचायत समितियां हैं। जिले में 1 कस्बा तथा 2 नगरपालिकाएं हैं। जिले में वर्तमान में प्रति हजार पुरुष 1022 महिलाएं हैं। 1991 की जनगणना में जिले की जनसंख्या 874549 थी जो बढ़कर 2011 में 1388906 हो गई। दस वर्षीय वृद्धि पर ध्यान दे तो ज्ञात होता है कि 1971 तक वृद्धि प्रतिशत बढ़ा था जोकि बाद की अवधि में 28.78 प्रतिशत से कम होकर वर्तमान में 25.39 प्रतिशत हो गया है।

जिले में अकार्यशील जनसंख्या एक चिंता का विषय है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले की लगभग 52.03 प्रतिशत जनसंख्या अकार्यशील है। इसमें भी महिलाओं का प्रतिशत 55.33 है। नगरीय क्षेत्र में अकार्यशील जनसंख्या 67.81 प्रतिशत है। व्यवसाय की दृष्टि से लगभग 79 प्रतिशत जनसंख्या खेती के कार्य में लिप्त है। खेतीहर मजदूर की श्रेणी में पुरुष 8.65 प्रतिशत तथा महिलाएं 24.20 प्रतिशत हैं। जिले में अधिकांश ग्राम की जनसंख्या 500 से 2000 तक की है। 56.67 प्रतिशत ग्राम ऐसे हैं। 21.78 प्रतिशत ग्रामों की आबादी 200 से 500 है। 10000 से अधिक की आबादी वाले गांव जिले में नहीं हैं।

खाद्यान्न में जिले में सबसे अधिक मक्का बोया जाता है। उसके बाद गेहूं और चावल है। तिलहनों में जिले में तिल, राई, सरसों, अलसी, मूंगफली, अरण्डी आ उत्पादन भी किया जाता है। कृषि कार्य में वर्तमान में भी मानव चलित उपकरण का प्रयोग अधिक होता है। परन्तु यांत्रिक आधुनिक उपकरण व तकनीक का प्रयोग बढ़ा है। यांत्रिक स्प्रेयर, टीलर लेवलर के साथ स्प्रिंकलर, ड्रिप संचाई आदि का प्रयोग भी हाल के वर्षों

में बढ़ा है। जिले में मक्का का उत्पादन काफी अच्छा होता है। खरीफ में लगभग 1.41 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसल होती है जबकि रबी में लगभग 30 हजार हेक्टेयर में बुवाई होती है। जिले में उसर व कृषि अयोग्य भूमि लगभग 19 प्रतिशत है तथा बंजड भूमि लगभग 6.01 प्रतिशत है। लगभग 11.60 प्रतिशत भूमि पडत है। 46.65 प्रतिशत भूमि पर बुवाई की जाती है तथा 14.69 प्रतिशत क्षेत्र में एक से अधिक बार बुवाई की जाती है। जिले में 80 प्रतिशत से अधिक जोत 2.0 हेक्टेयर से कम के हैं।

## अध्याय 5

### पंच वर्षीय योजनाएं

### Five-Year Plans

#### 5.1 परिचय

- 5.1.1 राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता 2004 की अनुपालना में पंच वर्षीय योजनाओं पर यह अध्याय प्रथम बार जोड़ा गया है। राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता 2004 के अनुसार इस अध्याय में प्रथम पंच वर्षीय योजना से वर्तमान तक योजनावार अवधि में ही लिये गये वानिकी कार्यों के बारे में वर्णन किया जाना है तथा प्राकृतिक वन की दशा को देखते हुए भविष्य हेतु सुझाव दिये जाने हैं।
- 5.1.2 आजाद भारत में विकास की प्रक्रिया को गति, दिशा व उद्देश्य प्रदान करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा पंच वर्षीय योजनाओं को आधार बनाया गया है। यह कार्य योजना आयोग द्वारा किया जाता है जिसके माननीय प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष हैं। आयोग का सामान्य कार्य उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है जोकि मनोनीत होते हैं। वर्तमान में श्री मोन्टेक सिंह अहलुवालिया भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 में समाप्त हो चुकी है।

क्र.स.	योजना का नाम	अवधि
1	प्रथम पंच वर्षीय योजना	1951–56
2	द्वितीय पंच वर्षीय योजना	1956–61
3	तृतीय पंच वर्षीय योजना	1961–66
4	चतुर्थ पंच वर्षीय योजना	1969–74
5	पांचवीं पंच वर्षीय योजना	1974–79
6	छठी पंच वर्षीय योजना	1980–85
7	सातवीं पंच वर्षीय योजना	1985–90
8	आठवीं पंच वर्षीय योजना	1992–97
9	नवीं पंच वर्षीय योजना	1997–2002
10	दसवीं पंच वर्षीय योजना	2002–07

11	ग्यारहवी पंच वर्षीय योजना	2007-12
12	बाहरवी पंचवर्षीय योजना	2012-17

5.1.3 वर्ष 1966-67, 1967-68, 1968-69 में केन्द्र सरकार द्वारा पंच वर्षीय योजनाओं की प्रणाली को त्याग कर वार्षिक योजनाएं लागू की थी।

## 5.2. प्रथम पंच वर्षीय योजना 1951-56

5.2.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्ष में विभाग को धन आवंटन नहीं किया गया। अंतिम वर्ष में वन बन्दोबस्त, व सर्वे, वृक्षारोपण हेतु बजट आवंटन किया कुल 54 वनखण्ड की प्रारम्भिक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा सर्वे का कार्य हुआ। इस अवधि में वन मण्डल द्वारा छोटी लकड़ी कोयला जलाऊ लकड़ी एवं कत्था हेतु कारित वन क्षेत्र तथा विभागीय वानिकी कार्यों हेतु व्यय का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	व्यय राशि रूपये में	कारित कूप का क्षेत्रफल एकड में	कारित कत्था कूप का क्षेत्रफल एकड में
1951-52	241189.00	1840	9710
1952-53	205164.00	759	0
1953-54	214576.00	709	7500
1954-55	254860.00	926	9200
1955-56	303140.00	3158	17310

स्रोत- कार्य आयोजना बांसवाड़ा (द्वारा:- ओ०पी० माथुर भा०व०से०)

उपरोक्त टेबल में दर्शायी गयी सूचना बांसवाड़ा वन मण्डल की है। जिसमें डूंगरपुर जिला भी सम्मिलित था।

## 5.3. द्वितीय पंच वर्षीय योजना 1956-61

5.3.1 द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बड़े रूप में वृक्षारोपण कार्य, नर्सरी का निर्माण, सीड स्टोर, नाका, तथा रोड़ का निर्माण हुआ है। इस अवधि में वन मण्डल द्वारा छोटी लकड़ी कोयला जलाऊ लकड़ी एवं कत्था हेतु कारित वन क्षेत्र तथा विभागीय वानिकी कार्यों हेतु व्यय का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	व्यय राशि रूपये में	कारित कूप का क्षेत्रफल एकड में	कारित कत्था कूप का क्षेत्रफल एकड में
1956-57	242669.00	3605	14130
1957-58	437154.00	3540	28400
1958-59	585295.00	1542	14400
1959-60	655737.00	1960	18000
1960-61	737092.00	1501	24500

स्त्रोत- कार्य आयोजना बांसवाड़ा (द्वारा:- ओ०पी० माथुर भा०व०से०)

उपरोक्त टेबल में दर्शायी गयी सूचना बांसवाड़ा वन मण्डल की है। जिसमें डूंगरपुर जिला भी सम्मिलित था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्माण किये गये भवनों की सूची बीज भण्डार

क्र. सं.	रेन्ज	स्थिति	पक्का/कच्चा	व्यय राशि	वि०वि०
1.	सिमलवाड़ा	धम्बोला	पक्का	7000 / -	
सब डिवीजनल ऑफिस					
1.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	पक्का		
फोरेस्ट नाका					
1.	डूंगरपुर	रतनपुर	कच्चा	200 / -	
2.	डूंगरपुर	आमझरा	कच्चा	200 / -	
3.	डूंगरपुर	पात्तेला	कच्चा	100 / -	
4.	डूंगरपुर	मालमाथा	कच्चा	100 / -	
5.	डूंगरपुर	मेवाड़ा	कच्चा	200 / -	
6.	डूंगरपुर	वेड़	कच्चा	100 / -	
7.	डूंगरपुर	डाकनमारीया	कच्चा	100 / -	
8.	डूंगरपुर	रंगेला	कच्चा	100 / -	
9.	डूंगरपुर	चारवाड़ा	कच्चा	100 / -	
10.	डूंगरपुर	गामड़ी	कच्चा	100 / -	
11.	आंतरी	घोड़चा	कच्चा	100 / -	
12.	आंतरी	मांडव	कच्चा	200 / -	
13.	सागवाड़ा	लीम्बेर	कच्चा	100 / -	
14.	सागवाड़ा	देपुर	कच्चा	100 / -	
15.	सागवाड़ा	डोला	कच्चा	200 / -	
16.	सिमलवाड़ा	भुरनी	कच्चा	200 / -	
17.	सिमलवाड़ा	डूंगरसारण	कच्चा	300 / -	

18.	सिमलवाड़ा	भादर	कच्चा	200 /—	
गोदाम					
1.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	पक्का	10,000 /—	
2.	डूंगरपुर	मेवाड़ा	कच्चा	200 /—	

### नर्सरी निर्माण

क्र.सं.	नाम नर्सरी	डूंगरपुर	क्षेत्रफल	वार्षिक व्यय	वि०वि०
1.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	2 एकड़	2000 /—	
2.	सागवाडा	सागवाडा	2 एकड़	3120 /—	
3.	सिमलवाडा	धम्बोला	2 एकड़	4120 /—	

डूंगरपुर सब डिवीजन में कराये गये सागवान

### वृक्षारोपण की सूची (60-61)

क्र. सं.	वृक्षारोपण का नाम	वर्ष	वनखण्ड का नाम	क्षेत्रफल एकड़ मं	योग खर्च
	सिमलवाड़ा रेन्ज				
1.	सिमलवाडा	1956	भादर 1	100	17755 /—
2.	सिमलवाडा	1957	भादर 1	100	12055 /—
3.	सिमलवाडा	1958	भादर 1	100	11662 /—
4.	सिमलवाडा	1959	मोदरा महुडी 1	100	11119 /—
5.	सिमलवाडा	1960	मोदरा महुडी 1	100	9997 /—
6.	सिमलवाडा	1961	मोदरा महुडी 1	100	6000 /—
	सागवाड़ा रेंज				
1.	सागवाडा	1957	घाटा माविता 2	100	11706 /—
2.	सागवाडा	1958	घाटा माविता 2	100	117321 /—
3.	सागवाडा	1959	घाटा माविता 2	100	17841 /—
4.	सागवाडा	1960	घाटा माविता 2	100	99961 /—
5.	सागवाडा	1961	घाटा माविता 2	100	6000 /—
<b>जल वितरण व्यवस्था हेतु निम्न स्थानों पर कुएँ खुदवाने गये</b>					
1.	सागवाड़ा	नर्सरी	पक्का		
2.	सिमलवाड़ा	नर्सरी	कच्चा		
3.	डूंगरपुर	नर्सरी	पक्का		
4.	कंवला कुंआ	(डूंगरपुर रेन्ज)	अधुरा कार्य		

सौजन्य से कार्य आयोजना बांसवाड़ा (द्वारा:- ओ०पी० माथुर भा०व०से०)

#### 5.4. तृतीय पंच वर्षीय योजना 1961-66



5.4.1 इस योजना में कृषि के क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था। किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	व्यय राशि रूपये में
1961-62	803992.00
1962-63	786694.00
1963-64	743613.00
1964-65	832840.00
1965-66	767541.00

सौजन्य से कार्य आयोजना बांसवाड़ा (द्वारा:- ओ०पी० माथुर भा०व०से०)

उपरोक्त टेबल में दर्शायी गयी सूचना बांसवाड़ा वन मण्डल की है। जिसमें डूंगरपुर जिला भी सम्मिलित था।

#### 5.5. चतुर्थ पंच वर्षीय योजना 1969-74

5.5.1 वर्ष 1971 में इस योजना काल में वनमण्डल जिला डूंगरपुर के लिए कार्यालय उप वन संरक्षक डूंगरपुर का गठन हुआ पूर्व में मण्डल वन अधिकारी बांसवाड़ा के अन्तर्गत चार रेंज आन्तरी, आसपुर, सिमलवाड़ा, डूंगरपुर अब डूंगरपुर वन मण्डल के अन्तर्गत आती है। इस योजना की अवधि में विभाग द्वारा भवन निर्माण छोटी लकड़ी जलाऊ लकड़ी व कोयला हेतु कूप का विदोहन अग्नि सुरक्षा जैसे कार्य किये गये इस योजना की अवधि में किये गये आय व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं है।

#### 5.6. पांचवी पंच वर्षीय योजना 1974-79

5.6.1 पांचवी पंच वर्षीय योजना में किये गये वर्ष वार वन मण्डल में किये गये वृक्षारोपण का उपलब्ध विवरण निम्नानुसार है।

वृक्षारोपण क्षेत्र :-

वर्ष	वृक्षारोपण (क्षेत्रफल हैक्टर में)
1974-75	—'
1975-76	2180
1976-77	2700
1977-78	3016

1978-79	2890
<b>योग :-</b>	<b>10786</b>

– सूचना उपलब्ध नहीं है।

### 5.7. छठी पंच वर्षीय योजना 1980-85

5.7.1 आय व्यय का उपलब्ध विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	आय	व्यय
1980-81	540141	7294000
1981-82	1004728	5685000
1982-83	1587000	6371000
1983-84	-	-
1984-85	-	-
<b>योग :-</b>	<b>3131869</b>	<b>19350000</b>

• – सूचना उपलब्ध नहीं

5.7.2 छठी पंच वर्षीय योजना में किये गये वर्ष वार वन मण्डल में किये गये वृक्षारोपण का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	क्षेत्रफल (हैक्टर में)
1980-81	2997
1981-82	2463
1982-83	360
1983-84	739
1984-85	560
<b>योग :-</b>	<b>7119</b>

### 5.8. सातवीं पंच वर्षीय योजना 1985-90

5.8.1 सातवीं पंच वर्षीय योजना में किये गये वर्ष वार वन मण्डल में किये गये वृक्षारोपण का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1985-86	1000

1986-87	1700
1987-88	2415
1988-89	850
1989-90	350
<b>योग :-</b>	<b>6315</b>

### 5.9. वर्ष 1990-92 की अवधि

5.9.1 वर्ष वार वन मण्डल में किये गये वृक्षारोपण का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1990-91	550
1991-92	1385
<b>योग :-</b>	<b>1935</b>

### 5.10. आठवीं पंच वर्षीय योजना 1992-97

5.10.1 आठवीं पंच वर्षीय योजना में किये गये वर्ष वार वन मण्डल में किये गये वृक्षारोपण का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)
1992-93	860	6.19
1993-94	1243	8.764
1994-95	2070	21.12
1995-96	2456	22.53
1996-97	1756	12.153
<b>योग :-</b>	<b>8385</b>	<b>70.757</b>

### 5.11. नवीं पंच वर्षीय योजना 1997-2002

5.11.1 नवीं पंच वर्षीय योजना में किये गये वर्ष वार वन मण्डल में किये गये वृक्षारोपण का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)
1997-98	1977	13.472
1998-99	950	6.88
1999-2000	660	5.28
2000-01	110	0.71
2001-02	260	1.66
<b>योग :-</b>	<b>3957</b>	<b>28.002</b>

#### 5.12. दसवीं पंच वर्षीय योजना 2002-07

5.12.1 इस अवधि में विभाग द्वारा वानिकी विकास कार्य अंतर्गत रोपित क्षेत्रफल, लगाये गये पौधों की संख्या तथा किया गया कुल व्यय निम्नानुसार है :

वर्ष	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)
2002-03	235	1.575
2003-04	750	2.45
2004-05	1446	5.185
2005-06	1150	4.35
2006-07	1617.024	7.185
<b>योग :-</b>	<b>5198.024</b>	<b>20.745</b>

#### 5.13 ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना 2007-12

वर्ष	वृक्षारोपण क्षेत्रफल	रोपित पौधों की संख्या
2007-08	800	3.5
2008-09	Nil	Nil
2009-2010	1411.74	3.88
2010-2011	1650	5.20

2011-2012	1530	1.84
<b>योग:-</b>	<b>5391.74</b>	<b>14.42</b>

5.14 बारहवीं पंच वर्षीय योजना 20012-17 :-इस बारहवीं पंच वर्षीय योजना में मुख्य रूप से निम्न कार्य प्रस्तावित है।

- 1 राष्ट्रीय वनीकरण योजना
- 2 वन प्रबंधन का सुदृढीकरण
- 3 लघु वन उपज से जीवीकापार्जन
- 4 साझा वन प्रबंधन एवं ग्राम सभा सुदृढीकरण
- 5 हरित भारत मिशन

भारत सरकार द्वारा इन कार्यों के लिय निम्नानुसार राशि प्रस्तावित है।

### Proposed schemes during 12th plan

Item No.	Proposed Scheme/ Program during 12th Plan	Proposed Demand (Rs. Crores)	Proposed Physical Targets
<b>3. Ongoing Schemes</b>			
1.1	National Afforestation Programme (detailed breakup annexed)	13500	2.0 million Ha. Afforestation and ecorestoration including shifting cultivation areas by adopting local, specific, viable model, Soil & Moisture Conservation including water harvesting structures and Eco-development for people residing in forests, treatment of problem soil, coastal and shelter belt plantation. Creation of a cadre of trained Community Foresters (About 50000) for activities/ programmes/ schemes of forest conservation and managements including NTFP's. The scheme would also include provisions for establishment cost of NAEB HQ. Communication strategy and Awareness component and support to regional centres

			of NAEB
1.2	Intensification of the Forest Management	2000	Forest Fire Management, Boundary Demarcation including areas allotted under FRA, Forest Infrastructure, Control of Invasive Alien Species including their utilization as a resource through R&D, Strengthening of Working Plan Mechanism for sustainable livelihood of people and Conservation of Forest Resources incentives to working plan and research staff in the state, Involvement of retired defence/ paramilitary personnel in eco-restoration has also been envisaged.
<b>4. New Schemes</b>			
2.1	Sustainable livelihood through NTFP and Bamboo Management	6590	Conservation and development of NTFP resource over 6 lakh Ha. Value addition, Marketing Support, Minimum Support Price and overall management of NTFP and Bamboo Sector
2.2	Capacity Development of the Gram Sabha including JFMCs and other stakeholders	1500	Capacity building of members of one lakh JFM Committees and Gram Sabha through Master Trainers in each Forest Divisions for management & conservation of forests.
2.3	Green India Mission	23000	Increased FTC on 2.5 million Ha and improvement in Quality of Forest Cover over another 2.5 million Ha.
2.4	Rangeland and Silvipasture management	910	Rehabilitation and productivity enhancement rangelands and common/ revenue lands around forest areas, fodder storage/value addition facilities, strategic research, education, capacity building and extension activities on fodder and pasture management, germplasm banks and nurseries etc.

2.5	Satellite based Forest Resource Assessment and technological based M & E	1000	to put in place a system of technology based collection of base line data, monitoring of areas allotted under FRA 2006 to prevent their encroachments & programmes in states and central level.
2.6	Forestry Institutional development and support	3000	Grants-in-aid institution, for capacity building and motivation of forestry personnel including provisions for fellowships, technology up-gradation, Forestry database and knowledge management, infrastructure development of the forestry institutions, forestry research, Forest Congress, New institute for Sustainable Forest Management and Forest Policy and payment of contributions to international institutions.
	<b>Total:</b>	<b>51500</b>	

5.14.1 इस योजना अवधि में अन्य लक्ष्यों के साथ साथ देश में वन एवं वृक्ष आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना वर्तमान में प्रगति पर है तथा 2012 से प्रारम्भ हो चुकी है। जिले में वनिकी विकास की दृष्टि से इस योजना की अवधि में वनक्षेत्र की वर्तमान दशा, वनों से बढ़ती मांग, विभाग की स्थिति तथा वर्तमान सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिदृश्य को देखते हुए इस योजना की अवधि में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जावे :

1. भविष्य में जिले में जलाऊ लकड़ी व मवेशी हेतु चारे की मांग और अधिक बढ़ेगी जिससे वनक्षेत्र पर बहुत अधिक दबाव बढ़ेगा। गैर वन क्षेत्र से जलाऊ लकड़ी व मवेशी हेतु चारे की आपूर्ति के प्रयास करने से ही वनक्षेत्र पर दबाव को नियंत्रित कर प्राकृतिक शस्य को पुनर्वासित किया जा सकता है।
2. बढ़ते प्रजातांत्रिक वातावरण में आम जन को साथ लेकर ही किसी भी प्रकार का विकास कार्य को सफल किया जा सकता है। अतः साझा वन प्रबन्धन की प्रणाली को अधिक स्थाई, सुदृढ व स्वावलम्बी बनाने की आवश्यकता है।
3. बढ़ती जवाबदेही के कारण विभाग के कार्य में पारदर्शिता रखना तथा अभिलेखों का सही संधारण आवश्यक है।

4. उपरोक्तानुसार कार्य सम्पादन हेतु विभागीय संगठनात्मक व्यवस्था, मनोवृत्ति, सोच व कार्यशैली में व्यापक बदलाव आवश्यक है। प्रस्तुत चुनौतियों से निपटने के लिये विभाग को अभिनव प्रयोग करने होंगे तथा अन्य राजकीय विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों व आम जन को विश्वास में लेकर उनके सहयोग से कार्य करने की आवश्यकता है।
5. वानिकी के नवीन विषय जैसे औषधीय पादपों का संरक्षण व प्रोत्साहन, वानिकी कार्य में क्लोनल तकनीक, जननिक अभियांत्रिकी, टिशु कल्चर, उन्नत किस्म के पौधों का अनुप्रयोग आदि उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग अधिकाधिक करना होगा।
6. वनक्षेत्र प्रबन्धन में नवीनतम संचार व अन्य प्रौद्योगिकी जैसे जी आई एस तकनीक, रिमोट सेंसिंग इमेजरी का उपयोग, जीपी एस तकनीक से वनभूमि का चिह्निकरण आदि का अनुप्रयोग बढ़ाना होगा।
7. जिले में ग्रामीण विकास की योजनाओं में अधिक सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।
8. विभागीय एवं गैर विभागीय मानव संसाधन के गुणात्मक विकास एवं मात्रात्मक वृद्धि करने पर जोर दिया जाना होगा।

## अध्याय 6



## कार्मिक व श्रम प्रदाय

### Staff and Labour Supply

#### 6. मानव संसाधन का वर्गीकरण

6.1 विगत 25 वर्षों में वानिकी विकास एवं वन प्रबन्धन से संबंधित मानव संसाधन में व्यापक परिवर्तन आया है। विभागीय स्तर पर जहां न्यायालय के आदेशों की पालना में काफी मात्रा में कार्य प्रभारी कर्मचारी समायोजित हुए वहीं साझा वन प्रबन्ध के अंतर्गत वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से पूर्ण जिले के विस्तार में संगठित मानव संसाधन विभाग को उपलब्ध हुआ है। इनके अलावा व्यापक पैमाने पर वानिकी विकास कार्यक्रमों के कारण अनेक असंगठित क्षेत्र के दैनिक मजदूर व अकार्यशील मानव शक्ति भी नियमित तौर पर विभाग के कार्य से जुड़ी है। जिले में वानिकी विकास एवं वन प्रबन्ध के कार्य में नियोजित व संबंधित मानव संसाधन को निम्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है :

##### 1. विभागीय मानव संसाधन

विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अधीन नियुक्त एवं कार्यरत मानव शक्ति इस वर्ग में सम्मिलित हैं।

##### 2. गैर विभागीय मानव संसाधन

विभाग के अन्यथा उपलब्ध समस्त संगठित व असंगठित मानव शक्ति को इस वर्ग में रखा जा सकता है।

#### 6.2 विभागीय मानव संसाधन

6.2.1 वर्तमान में जिले में विभाग के कर्मचारी निम्न कार्यालयों के अधीन नियोजित है :

क्र.स.	नाम कार्यालय	कार्य क्षेत्र	कार्य का विवरण
1	उप वन संरक्षक डूंगरपुर	समस्त जिला डूंगरपुर	वनक्षेत्र की सुरक्षा एवं अन्य समस्त प्रादेशिक कार्य। जिले में विभाग का प्रतिनिधित्व करना।
2	जिला परिषद डूंगरपुर	समस्त जिला डूंगरपुर	राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प15(35)वन/97 जयपुर दिनांक 17.07.2003 हस्तान्तरित वन विभाग से संबंधित निम्न दायित्वों कार्यों व शक्तियों का निर्वहन यथा गैर वन
3	पंचायत समिति	पंचायत समिति क्षेत्र	

			भूमि पर सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी के कार्य, सामाजिक वानिकी हेतु पौधशाला की स्थापना आदि, व पंचायत क्षेत्र में वनसम्पदा का रखरखाव व संधारण।
--	--	--	--

6.2.2 पंचायत समिति व जिला परिषद को हस्तान्तरित कार्मिकों से राज्य सरकार की आज्ञा के अनुरूप कार्य फिलहाल नहीं लिया जा रहा है।

6.2.3 विभिन्न कार्यालयों में विभाग के कार्मिकों की स्थिति निम्नानुसार है :

क्रं. सं.	नाम पद	स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मचारी	रिक्त पद	पंचायत समिति/जिला परिषद	
					कार्यरत कर्मचारी	रिक्त पद
1.	उप वन संरक्षक	1	1	—	—	—
2.	सहायक वन संरक्षक	2	1	—	—	1
3.	कार्यालय सहायक	1	—	1	—	—
4.	क्षेत्रीय प्रथम	4	2	2	—	—
5	लेखाकार	1	—	1	—	—
5.	क्षेत्रीय द्वितीय	4	4	—	—	—
6.	वनपाल	19	13	4	2	—
8.	सहायक वनपाल	52	50	2	—	—
9.	वरिष्ठ लिपिक	3	0	3	—	—
10.	कनिष्ठ लिपिक	6	6	—	—	—
11.	वाहन चालक	3	2	1	—	—
12.	च.श्रे.क.	3	3	—	—	—
13.	वनरक्षक	75	60	12	3	—
	<b>योग :-</b>	<b>174</b>	<b>142</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

### 6.3 विभागीय मानव संसाधन की गुणवत्ता

6.3.1 वानिकी कार्य श्रम प्रधान होते हैं तथा इनमें क्षेत्रीय वन अधिकारी और उससे नीचे के पद पर कार्यरत कर्मचारी विभागीय नीति व निर्देशों को मौके पर क्रियान्वित करने में

महती भूमिका निभाते हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में वनों की सुरक्षा के कार्य को अंजाम देने के साथ साथ विकास कार्य में ग्रामीणों को जोड़ने, वन प्रबन्धन की नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने तथा आम जन तक इसके प्रभाव, लाभ व जानकारी को पहुंचाने का कार्य इनके द्वारा ही किया जाता है।

6.3.2 पूर्व में समस्त कार्य विभागीय कार्मिकों द्वारा ही किये या कराये जाते थे परन्तु वर्तमान में विभागीय कार्मिकों को स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता प्राप्त कर आपसी सामंजस्य स्थापित कर कार्य को क्रियान्वित करना होता है। यह कार्य मूलतः विशुद्ध मानव संसाधन प्रबन्धन और समुदाय प्रबन्धन का कार्य है जोकि अत्यंत जटिल और संवेदनशील कार्य है। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने हेतु इसके अनुरूप अभिवृत्ति व अभिप्रेरणा के साथ साथ स्वयं के स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता तथा विभिन्न मतों को ग्रहण कर समुदाय के नेतृत्व की क्षमता की आवश्यकता रहती है। कार्मिक में कार्य की पूर्ण समझ तथा तकनीकी ज्ञान का होना भी आवश्यक है। अपने कार्य को अपेक्षानुरूप अंजाम देने तथा सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के संबंध में इनके सामर्थ्य को निम्न आधारों पर समझा जा सकता है :

1. शारीरिक स्वास्थ्य जिसको आयु के पैमाने पर समझा जा सकता है
2. तकनीकी दक्षता व अनुभव

6.3.3 प्रादेशिक वन मण्डल में कार्यरत वनकर्मियों विशेषकर क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं उससे नीचे के पदों पर कार्यरत वनकर्मियों में से लगभग 75 प्रतिशत स्टाफ 50 वर्ष से उपर की आयु के है। इससे इन व्यक्तियों की कार्यक्षमता पर निश्चित ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही पदोन्नतियों में होने वाली देरी तथा असमानता के कारण भी स्टाफ का मनोबल विपरीत रूप से प्रभावित होता है।

6.3.4 वर्ष 2012 से 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों पदवार कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	पद	वर्ष										योग	वि.वि.
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	क्षेत्रीय वन अधिकारी	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	
2	वनपाल	0	1	1	3	0	2	2	0	2	0	11	
3	सहायक वनपाल	4	7	8	4	10	4	5	1	1	0	44	
4	वनरक्षक	2	4	3	0	3	6	7	5	9	4	43	
	<b>योग :-</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>101</b>	

जैसा की बिन्दु सख्यां 6.2.4 में अंकित अनुसार इस वन मण्डल में वनक्षेत्र को देखते हुए क्षेत्रीय के 8, वनपाल के 19, सहायक वनपाल के 52, एवं वनरक्षक के 75 पद स्वीकृत है। कूल 154 स्वीकृत पदों में कर्मचारियों के स्थान पर वर्तमान में कार्यरत 5 क्षेत्रीय में से 3 क्षेत्रीय वन अधिकारी, 15 वनपाल में से 11 वनपाल, 50 सहायक वनपाल में से 44 सहायक वनपाल, एवं 63 वनरक्षकों में से 43 वनरक्षक सेवा निवृत्त हो जायेंगे। इस प्रकार कुल 133 कर्मचारियों में से 101 कर्मचारी (इस कार्य आयोजना अवधि में) सेवानिवृत्त हो जायेंगे। इस प्रकार वर्ष वार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थान पर नवीन कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नती समय समय पर की जानी आवश्यक है अन्यथा इस वन मण्डल के वनक्षेत्र/वृक्षारोपण क्षेत्रों की प्रभावी सुरक्षा वा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि वर्तमान में डूंगरपुर वन मण्डल में सर्वेअर/अमीन का कोई पद भी स्वीकृत नहीं है। जबकी पूर्व की कार्य आयोजना अवधि (1983 से 1992 तक) मे सर्वेयर एवं अमीन का पद स्वीकृत था। अतिक्रमण/अवैध खनन एवं वन सिमांकन आदि महत्वपूर्ण कार्यों के लिये सर्वेयर/अमीन का होना आवश्यक है।

#### 6.4 तकनीकी दक्षता एवं अनुभव

6.4.1 राजकीय नियमों के अनुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं उससे निम्न पदों पर नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है :

क्र. सं.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	क्षेत्रीय वन अधिकारी	विज्ञान में स्नातक
2	वनपाल	हायर सैकन्डरी
3	सहायक वनपाल	पदोन्नति से
4	वनरक्षक	सैकेन्डरी

6.4.2 समस्त कार्य प्रभारी कर्मचारियों का नियोजन माननीय न्यायालयों के विभिन्न आदेशों की पालना में किया गया है। सहायक वनपाल का पद पूर्णतया पदोन्नति से ही भरा जाता है।

6.4.3 कार्मिको द्वारा तकनीकी ज्ञान अर्जित करने की वर्तमान व्यवस्था में प्रत्येक वर्ग के कार्मिक को अपनी नियुक्ती के प्रारंभ में विशेष प्रशिक्षण संस्थान में नियत अवधि का अनिवार्य प्रशिक्षण निम्नानुसार प्राप्त करना होता है :

क. स.	पदनाम	अनिवार्य प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण संस्थान का विवरण
1	क्षेत्रीय वन अधिकारी	2 वर्ष	देश में विद्यमान राजिक वन प्रशिक्षण महाविद्यालय
2	वनपाल	6 माह	वन प्रशिक्षण विद्यालय जोधपुर व अलवर।
3	वनरक्षक	3 माह	

6.4.4 कार्यप्रभारी कर्मचारियों हेतु किसी प्रकार का अनिवार्य प्रशिक्षण निर्धारित नहीं है। उपरोक्त एक बारगी अनिवार्य प्रशिक्षण के अलावा इन पदों पर कार्यरत कार्मिकों हेतु पूर्ण सेवाकाल में किसी भी प्रकार अथवा अवधि का अनिवार्य अथवा स्वेच्छिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है।

## 6.5 अन्य कारक

6.5.1 कार्मिकों की कार्यक्षमता व कुशलता को शारिरिक स्वास्थ्य व शैक्षणिक व तकनीकी दक्षता के अतिरिक्त अनेक प्रशासनिक कारक भी प्रभावित करते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कारक व उनकी जिले में स्थिति निम्नानुसार है :

1. **राजकीय कार्यालय का स्थान:** जिले में समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, वनपाल व सहायक वनपाल तथा वनरक्षकों हेतु क्रमशः क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय, नाका भवन व परिसर तथा वनरक्षक चौकियां अपने कार्य क्षेत्र में सुलभ स्थान पर उपलब्ध हैं।
2. **कार्य निष्पादन हेतु मंत्रालयिक कार्मिक व अन्य सुविधा :** वर्तमान में कार्य की प्रकृति, अभिलेख संधारण के बढ़ते बोझ, कागजी कारवाई की बहुलता आदि के स्तर को देखते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी स्तर पर मंत्रालयिक कर्मचारी तथा दूरभाष होना भी आवश्यक है। परन्तु वर्तमान में इन कार्यालयों में आधिकारिक रूप से दूरभाष, कम्प्यूटर व मंत्रालयिक कर्मचारियों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अधिकांशतः किसी योग्य वनरक्षक अथवा अन्य कार्मिकों से क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय का कार्य चलाया जा रहा है। नियमित सुविधा उपलब्ध होने से क्षेत्रीय वन अधिकारी अपने फील्ड कार्य पर अधिक ध्यान दे सकेंगे तथा फील्ड के लिये भी अधिक स्टाफ उपलब्ध हो सकेगा।
3. **फील्ड कार्य निष्पादन हेतु वाहन सुविधा:** वाहन के नाम पर वनमण्डल स्तर पर मण्डल वन अधिकारी व सहायक वन संरक्षक हेतु जिप्सी व जीप तथा गश्ती दल हेतु कैन्टर उपलब्ध है। अतिआवश्यक परिस्थितियों में क्षेत्रीयों द्वारा भी

इनको उपयोग में लिया जाता है। क्षेत्रीय वन अधिकारी स्तर पर मोटरसाइकिल का प्रावधान है। उससे निम्न स्तरों पर विभागीय वाहन को प्रावधान नहीं है और न ही उपलब्ध है। वर्तमान परिस्थितियों में क्षेत्रीय वन अधिकारी स्तर पर जीप, वनपाल व सहायक वनपाल, वनरक्षक स्तर पर मोटरसाइकिल उपलब्ध कराया जाना श्रेयस्कर रहेगा।

4. **वनकर्मियों की सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताएं :** वनकर्मियों की सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं में प्रमुखतः राजकीय कार्य निर्वहन में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था, वनकर्मियों के परिवार के रहन सहन के लिये समुचित व्यवस्था तथा प्रशंसनीय कार्य करने पर पारितोषिक आदि हैं जिनसे की वनकर्मी अपने कर्तव्य निर्वहन में अभिप्रेरित, निर्भीक व सहज होकर कार्य कर सकें। वर्तमान में प्रशंसनीय कार्य करने पर पारितोषिक, प्रशंसा पत्र आदि की परमपरा जिला एवं संभाग स्तर पर बहुत अच्छी है वहीं राजकीय कार्य निर्वहन में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था संतोषप्रद है। परन्तु वनकर्मियों के परिवार के रहने के लिये समुचित व्यवस्था का अभाव दिखाई देता है। पदस्थापन स्थान पर अथवा उसके नजदीक परिवार के रहने की व्यवस्था तथा विशेषकर बच्चों के पढ़ाई आदि की व्यवस्था के अभाव के कारण अधिकांश वनकर्मियों द्वारा डूंगरपुर अथवा निकटतम शहर में निवास किया जाता है जिससे फील्ड कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है।

## 6.6 विवेचना

6.6.1 उपरोक्त वर्णित तथ्यों से विभागीय मानव संसाधन के सामर्थ्य के बारे में निम्न जानकारियां दृष्टिगोचर होती हैं :

1. विभाग में कार्य के सफल संचालन हेतु आवश्यकता से बहुत कम संख्या में कार्मिक हैं।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी और उससे निम्न पदों पर पदस्थापित कर्मचारियों में अधिकांश 50 से 60 वर्ष की उम्र के हैं।
3. 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति के प्रावधान के कारण, नवीन नियुक्ति के अभाव में, कार्य आयोजना अवधि में प्रादेशिक वन मण्डल में 3 क्षेत्रीय, 11 वनपाल, 44 सहायक वनपाल, 43 वनरक्षक सेवानिवृत्त हो जावेंगे। इससे वनक्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। वर्ष 2010-11 में 15 वनरक्षक के रिक्त पद पर सीधी नवीन भर्ती की गई, परन्तु यह भी आवश्यक है कि आने वाले वर्षों में प्रतिवर्ष सेवानिवृत्ति से अथवा

अन्यथा रिक्त होने वाले वनरक्षक व अन्य स्तर के पदों पर नवीन भर्ती की प्रक्रिया लगातार जारी रखी जावें। वनकर्मियों द्वारा पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार, सेवाकाल के प्रारम्भ में ही तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है और इसके बाद दक्षता में वृद्धि तथा ज्ञान संवर्द्धन हेतु उनके लिये किसी प्रकार के पुनश्चर्या प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है। नियमित अंतराल में पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी संवर्गों के लिये अनिवार्य होना चाहिये।

4. नियमित अंतराल में पदोन्नति का लाभ भी वनकर्मियों को उपलब्ध नहीं है। अधिकांश वनकर्मी अपने वर्तमान पद पर औसतन 15 से 25 साल से कार्यरत हैं। पदोन्नति का अभाव इनके अभिप्रेरणा के स्तर को प्रतिकूल प्रभावित करता है।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में आवश्यक मंत्रालयिक कर्मचारी दूरभाष व कम्प्यूटर आदि की सुविधा का अभाव है।
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी स्तर पर जीप तथा नाकेदार स्तर पर दुपहिया वाहन की आधिकारिक उपलब्धता का अभाव है।
7. वनकर्मियों के परिवार के रहन सहन को विभागीय व्यवस्थाओं के माध्यम से सहज और सुविधाजनक बनाये जाने की आवश्यकता है।
8. वर्तमान में कार्यों की प्रकृति व अधिकता को देखते हुए फील्ड एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि परम आवश्यक है।
9. समस्त प्रकार के पदों पर नियमित भर्ती की व्यवस्था होना अति आवश्यक है।

## 6.7 गैर विभागीय मानव संसाधन

6.7.1 वन प्रबन्धन तथा वानिकी विकास में पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रूप से नियोजित अथवा संबंधित गैर विभागीय मानव संसाधन निम्न हैं :

1. **वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्य:** वनमण्डल के अधीन वर्तमान में पंजीकृत कुल 277 वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों से संबंधित सदस्यों की संख्या निम्नानुसार है :

समितियों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग	महिलायें
277	1631	50474	3054	55159	24421

ये मानव संसाधन विभागीय वन विकास, सुरक्षा, संधारण एवं अन्य कार्य हेतु प्रायः उपलब्ध रहता है। वर्तमान विकास प्रक्रिया वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के



माध्यम से ही संचालित होने के कारण समिति के सदस्यों की भागीदारी विभागीय कार्यों में वृद्धि पर है।

2. **विकास कार्यों के क्रियान्वयन में नियोजित असंगठित स्थानीय मजदूर** : जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सीमान्त व अकार्यशील जनसंख्या जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या का 75.49 प्रतिशत है। अर्थात् जिले में रोजगार उपलब्ध कराने की सख्त आवश्यकता है। अकार्यशील मजदूरों में महिलाओं की संख्या अधिक है।
3. **स्वयं सेवी संस्थाएं** : जिले में अनेक ऐसी स्वयं सेवी संस्थाएं हैं जोकि वन विकास, पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण, ग्रामीण विकास, मृदा एवं जल संरक्षण जैसे संबंधित विषयों पर स्थानीय लोगों में प्रेरणा बढ़ाने, उनको जागृत करने, प्रशिक्षित करने आदि के कार्य में सक्रिय हैं। ये मानव संसाधन श्रम प्रधान की अपेक्षा ज्ञान वर्धन व प्रशिक्षण, संचार प्रसार आदि कार्य में अधिक उपयोग में लाया जाता है। विगत वर्षों में विभाग द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से अनेक कार्य क्रियान्वित किये गये हैं।

## 6.8 गैर विभागीय मानव संसाधन की गुणवत्ता

- 6.8.1 वर्तमान में वानिकी विकास, वन उपज निकासी व सुरक्षा के अनेक कार्यों में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं और भविष्य में इसके और अधिक होने की संभावना है। ये समितियां एक प्रकार से विभाग के बड़े हुए भाग की तरह कार्य करेंगी। इनके माध्यम से समस्त प्रकार के जटिल, तकनीकी ज्ञान युक्त व श्रम प्रधान कार्य करवाये जावेंगे। इस दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि वर्तमान में समिति के सदस्यों का तकनीकी ज्ञान व अनुभव प्रारंभिक श्रेणी का है जिसका उपयोग वे आपसी लाभ के छोटे कार्यों जैसे घास निकासी, बाड़बन्दी संधारण, नियमित सुरक्षा हेतु गश्त आदि में यथा संभव कर लेते हैं। परन्तु अधिक जटिल व तकनीकी कार्य जैसे वनसंवर्द्धनिक क्रियाओं में, सहायक क्रियाओं के क्रियान्वयन में, उच्च तकनीकी के अनुप्रयोग में तथा लम्बे अवधि के किसी भी प्रकार के कार्य को स्वयं से स्तर से सफलतापूर्वक संचालित व क्रियान्वित करने की दक्षता व क्षमता इनमें वर्तमान में नहीं है। सही मार्गदर्शन व प्रशिक्षण से समितियों को इस दिशा में अधिक समर्थ बनाया जा सकता है।
- 6.8.2 अकार्यशील व असंगठित क्षेत्र के वे दैनिक मजदूर जो विगत अनेक वर्षों से विभाग के कार्य में नियोजित होते आये हैं, विभाग के श्रम प्रधान कार्य जैसे बाड़बन्दी निर्माण, ट्रैन्च निर्माण, खड्डे खोदना, पौध तैयारी कार्य, पौधारोपण कार्य, निंदाई गुड़ाई कार्य आदि को

सहजता से कर लेते हैं। परन्तु इन्हें भी नियमित मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। ऐसे मजदूरों की संख्या बहुत ही सीमित है।

- 6.8.3 स्वयं सेवी संस्थाओं से विशेषकर संचार, प्रसार, प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन निर्माण, विवाद व समस्या समाधान में मध्यस्तता, जैसे कार्यों में सहयोग की अपेक्षा रहती है जिस हेतु अधिकांशतः वे स्वयं अपने स्तर पर ही प्रशिक्षित व दक्ष होते हैं। विभागीय कार्यों की विशिष्टताओं के अनुसार विभाग द्वारा भी उन्हें समुचित जानकारी, प्रशिक्षण व सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

### 6.9 मजदूरों की व्यवस्था

सामान्य तथा वानिकी कार्यों के लिए मजदूरों की उपलब्धि में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है क्योंकि आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य जातियों के मजदूर कार्यों के लिये तैयार रहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि लायक खेती की जमीन की उपलब्धता कम है। श्रमिक वर्ग करीब-करीब अप्रशिक्षित हैं।

#### सारणी-

#### विभागीय कार्यों पर लागू श्रमिक दरें

क्र०सं०	मजदूरी की दर प्रभावी/लागू होने की तिथि	अकुशल श्रमिक की दर प्रतिदिन	मजदूरी रुपये मासिक
1	1 जनवरी, 1980 से	7.00	182.00
2	1 अप्रैल, 1982 से	9.00	234.00
3	16 जनवरी, 1985 से	11.00	286.00
4	1 मार्च, 1987 से	14.00	364.00
5	2 जुलाई, 1990 से	22.00	572.00
6	1 जनवरी, 1995 से	32.00	832.00
7	1 मई, 1998 से	44.00	1144.00
8	16 जनवरी, 1999 से	60.00	1560.00
9	19 नवम्बर, 2004 से	73.00	1898.00
10	1 अप्रैल, 2008 से	100.00	2600.00
11	1 जनवरी 2011 से	135.00	3511.00
12	1 मई 2012 से	147.00	3822.00

वन मण्डल डूंगरपुर का संगठनात्मक ढांचा

उप वन संरक्षक

सहायक वन संरक्षक

क्षेत्रीय वन अधिकारी (6)

आसपुर		सागवाड़ा		आंतरी		सीमलवाड़ा		डूंगरपुर		बिछीवाड़ा	
वनपाल	बीट सं.	वनपाल	बीट सं.	वनपाल	बीट सं.	वनपाल	बीट सं.	वनपाल	बीट सं.	वनपाल	बीट सं.
आसपुर	2	कांठल	3	आंतरी	3	चारवाड़ा	3	डूंगरपुर	3	बिछीवाड़ा	3
दाद	1	डोला	2	डेचा	3	झरनी	3	रंगेला	3	रतनपुर	2
गणेशपुर	1	ओडपाड़ा	1	मांडव	3	थाम तलाब	1	डाकनमारीया	2	बेड़ा	1
साबला	1	घाटा का गाँव	3	पुनाली	2	धम्बोला	3	वेड	4	मालमाथा	3
देवपुर	3			दामड़ी	2	डूंगरपुर	3	भागगढ	3	आमझरा	3
निठाउवा	3			गोलाआम्बा	1			मेवाड़ा	2	पालीसोड़ा	2
										मणीपुर	2

## अध्याय-7

### विगत प्रबन्ध की पद्धतियाँ

#### Past System of Management

##### 7.1 वनों का सामान्य इतिहास:-

7.1.1 इस वनमण्डल के वन डूंगरपुर रियासत कालीन है । वनों के विगत इतिहास को तीन अन्तरालों में विभक्त किया गया है:-

- 1 सन् 1901 से पहले वन काल,
- 2 सन् 1901 से 1947 तक राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन काल
- 3 राजस्थान राज्य गठन के बाद का काल

##### 1. सन् 1901 से पहले का काल:-

7.1.2 डूंगरपुर राज्य में भील, चौहानों एवं परमार राजपुत राजाओं का राज था । 12 वीं शताब्दी के अन्त तक सिसोदिया राजपुतों द्वारा इस राज्य को हासिल कर लिया गया था ।

7.1.3 उस प्राचीन काल में वनों के उपचार के संबंध में कोई अभिलेख प्राप्त नहीं है, लेकिन कम जनसंख्या एवं कम जैविक दबाव तथा वन क्षेत्र राजाओं की शिकारगाह होने के कारण यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय वन क्षेत्र ज्यादा भू-भाग पर सघन वन रहे होंगे। उन दिनों में आज जैसी वन संरक्षण की योजना नहीं थी । स्थानीय व्यक्ति जहाँ भी चाहते थे अपनी जलाऊ लकड़ी की पूर्ति कर लेते थे । पूरे क्षेत्र में शिफटींग खेती की जाती थी। साधारणतया एक क्षेत्र में 2-3 वर्ष तक खेती की जाती थी उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता था। इस कारण से वनों को अत्यधिक क्षति हुई ।

##### 2. सन् 1901 से 1947 तक राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन काल:-

7.1.4 शिफटींग कल्टीवेशन (खेती करने की प्रैक्टिस की तरफ ब्रिटीश शासन का ध्यान गया एवं इस कारण से कस्टम अधीक्षक के नियंत्रण में राज्य वन विभाग का प्रादुर्भाव हुआ।

शिपटींग कल्टीवेशन पूर्णतया बन्द कर दी गई तथा स्थानीय व्यक्तियों द्वारा वन क्षेत्रों में निःशुल्क लकड़ी की आपूर्ति की जाती रही। वन उपज जो कि राज्य से बाहर हाटों में बेचने के लिए निर्यात की जाती थी, उस पर नगण्य कर लगाया जाता था।

7.1.5 बाद में सन् 1906 में बाँसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ राज्यों के वन अधीक्षक पद पर एक अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक श्री ओरारी को नियुक्त किया गया था। इसलिए वन विभाग अलग से कायम किया गया। लेकिन 1907 में इसका विभाजन हुआ एवं प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र रूप से वन विभाग का गठन किया गया।

#### 7.1.6 वन विभाग प्रशासन के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

- 1 वनों की क्षति के प्रति लोगों की बेतहाशा प्रवृत्ति को रोकना,
- 2 लोगों की वैधानिक एवं जायज माँगों की पूर्ति करना,
- 3 वन्य जीव संरक्षण के लिए वनों का संधारण एवं संरक्षण करना।

7.1.7 इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आरक्षित एवं ग्राम्य वन नियम सर्व प्रथम 1909 में बनकर लागू किये गये तथा उसके बाद 1911, 1914 एवं 1915 में इनमें आवश्यक संशोधन किये गये। 1914 में कानून जंगल रियासत डूंगरपुर ने इन नियमों की जगह ली एवं यह लागू किया गया।

7.1.8 1911 के नियमों के अन्तर्गत वनों को ग्राम्य एवं आरक्षित वनों में वर्गीकृत किया गया था। आरक्षित वनों को राजाओं के लिए शिकार संरक्षित क्षेत्रों के रूप में प्रबन्धित किया जाता था, यहां पर वृक्षों की कटाई तथा मवेशी चराई पूर्णतया प्रतिबन्धित थी। स्थानीय व्यक्तियों की लकड़ी की मांग पूर्ति ग्राम्य वनों से की जाती थी। उसके बाद 1914 के नियमों में वनों को आरक्षित वन श्रेणी- एवं ग्राम्य वन तथा तथा मालवा में वर्गीकृत किया गया। 1.10.1914 के बाद से ग्राम्य वनों को राजस्व विभाग के नियन्त्राणाधीन कर दिया गया था, पटवारियों द्वारा फ्री पास एवं रवन्ना जारी की जाती थी। पुराने दिनों में लोगों की मांग पूर्ति आरक्षित वन श्रेणी से भी की जाती थी।

7.1.9 भू-प्रबन्ध एवं सीमांकन 1914-15 से प्रारम्भ हुआ तथा राजतंत्र के दौरान ही पूर्ण कर लिया गया।

7.1.10 जैसा कि विदोहन की बात है, सर्वप्रथम अवैध वृक्ष कटाई रोकने तथा डांडे बेचने एवं निर्यात करने के लिए 3-5 वर्ष के न्यून आवृत्त में बम्बई-उदयपुर सीमा पर वनों की एक संकरी पट्टी को काटा गया था। वर्ष 1932-33 में वाणिज्यिक विदोहन का प्रथम

प्रयास किया गया एवं राज्य वनों से 30 वर्ष के रोटेशन पर साधारण कोपिस पद्धति से काम किया गया। खैर के वनों का विदोहन कत्था बनाने के लिए किया गया। ठेकेदारी प्रथा में वार्षिक कूप बांटे जाते थे। लेकिन उसके बाद राज्य प्राधिकारियों द्वारा वन विभागीय स्तर पर कार्य करने का निर्णय किया गया। जैसा कि यह ज्यादा फायदेमन्द हो सकता था। इसलिए विभाग द्वारा 1940-41 में सर्वप्रथम विदोहन की शुरुआत की गई। चारकोल, छोटी ईमारती लकड़ी, बाँस एवं कत्था विभागीय स्तर पर तैयार किया गया तथा उपज को रायल्टी आधार पर साईट पर ही इक्कठा कर बेचान किया गया। आने वाले बाद के वर्षों में वन उपज का परिवहन विभागीय ट्रकों, बैलगाड़ियों एवं ऊँटों द्वारा ईडर, मोडासा एवं अहमदाबाद के बाजारों में किया जाने लगा। वन क्षेत्रों से कार्य कोपिस विदोहन स्टेण्डर्ड, सिम्पल कोपिस एवं इम्प्रुवमेण्ट कम सलैक्शन फैंलिंग के रूप में किया जाने लगा। इम्प्रुवमेण्ट फैंलिंग करते समय सागवान, सादड, हल्दु, कलम, टिमरू, रोहण, को बचाया जाता था। वार्षिक कूपों से ईंधन लकड़ी, चारकोल एवं छोटी ईमारती लकड़ी उत्पादन के लिए सघन पातन किया जाता था जबकि इम्प्रुवमेण्ट पातन पद्धति के अन्तर्गत ज्यादातर ईमारती लकड़ी का विदोहन होता था। डूंगरपुर एवं सीमलवाडा परिक्षेत्रों के दक्षिणी भाग से लगती बोम्बे सीमा के साथ पातन का कार्य किया गया था। राज्य के स्थानीय लोगों की मांग आपूर्ति हेतु इसके अतिरिक्त गलियाकोट, सागवाडा एवं आंतरी में बिक्री केन्द्र खोले गये थे। विभागीय कार्यों की सफलता के मुख्य कारण राजाओं द्वारा व्यक्तिगत संरक्षण एवं प्रेरण, प्रभावशाली प्रशासनिक संगठन, बाजारों की निकटता एवं परिवहन सुविधाओं का आराम था। नवजात पेड़ों में किसी प्रकार का कोई वनवर्धन कार्य नहीं किया जाता था।

7.1.11 पूर्व राजस्थान राज्य के गठन के बाद से नियमित वार्षिक कूप डाले जाते थे। तथा नीलाम किये जाते थे। इससे विभाग को एक निश्चित आमदनी प्राप्त होती थी। वित्तीय एवं प्रशासनिक परेशानियों के कारण विभागीय कार्य केवल 1950 तक ही चले जब तक कि वे समाप्त नहीं हो गये। उनके बाद अधिक अन्न उपजाओ अभियान में मैदानी भागों के बहुत सारे वन क्षेत्र पर कुल्हाड़ी चलने लगी, इस कारण से मैदानी भागों के वनों पर अतिक्रमण होने लगा तथा वन क्षेत्र वहां से कम होने लगे एवं आज यह स्थिति है कि वन क्षेत्र पहाड़ी ढलानों में ही रह गये हैं।

### 3. राजस्थान के गठन के बाद का 1948 के बाद में—

- 7.1.12 राजाओं के राज्यों के एकीकरण होकर राजस्थान में विलय के बाद दिनांक 07.04.1948 को बांसवाडा वन मण्डल का गठन हुआ। उस समय इसमें बांसवाडा, कुशलगढ, डूंगरपुर, प्रतापगढ, देवगढ के जंगल आते थे। प्रतापगढ एवं देवगढ रेन्ज चित्तोडगढ वन मण्डल को स्थानान्तरित कर दी गई।
- 7.1.13 पूर्व राजस्थान के गठन के तुरन्त बाद सन् 1948 में “जंगल भीलों का है” के स्लोगन के साथ एक राजनैतिक आन्दोलन की शुरुआत हुई। आन्दोलन के दौरान वन क्षेत्र में बहुत भारी वृक्ष जबरदस्ती काट दिये गये एवं बहुत सारे वन क्षेत्रों में जानबुझ कर आग लगा दी गई। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो कुछ समय में एक रात में स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया तथा अपराधियों को दण्डित किया गया। अधिकतर क्षेत्रों पर खेती के लिए जुताई कर दी गई थी। वन क्षेत्रों की क्षति का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। आन्दोलन पर शीघ्र नियंत्रण पा लिया गया लेकिन 1950 के अन्त तक परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं हो पाया था। आन्दोलन समाप्ति के बाद भी वन क्षेत्रों के अन्दरूनी क्षेत्रों में बिना किसी रूकावट के खेती हेतु अतिक्रमण होते रहे थे। राजस्थान गठन से जंगलों पर धीरे-धीरे अनेक प्रकार की रियायतों में से जलाऊ लकड़ी, छोटी ईमारती लकड़ी, बाँस, घास, चराई आदि के लिए अत्यधिक भार होता गया। इसके साथ-साथ सभी क्षेत्रों में अनियंत्रित एवं अनियमित कटाई भी होती रही। सरकार की इन लचीली रियायतों के फलस्वरूप लोगों द्वारा अनुज्ञा पत्रों की आड में अपनी घरेलु आवश्यकताओं से कहीं अधिक लकड़ियां जहां कहीं उन्होंने पसन्द की काटना एवं हटाना आरम्भ कर दिया था एवं वन वर्धन की आवश्यकता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शिकारगाह क्षेत्रों में भी जिनमें कि राज शासकों के दौरान कोई रियायत नहीं दी गई थी, यह रियायतें लागू कर दी गई। राज शासकों के दौरान काटे गये वनों में कोपिस की तरुण पैदावार को भी नहीं बचाया जा सका। थोड़े समय के लिए जैसा कि कोई विशेष क्षेत्र रियायतों के लिए चिन्हित नहीं किया गया था एवं सभी वन क्षेत्रों पर भारी दबाव हो गया था। इसलिए 13 साल के छोटे से समयान्तराल में वनों में शस्य की प्रारम्भिक स्थिति स्पष्ट नजर आने लगी। काफी बड़े वन क्षेत्रों का भाग वृक्षविहीन हो गया।

- 7.1.14 पूर्व राजस्थान के गठन के बाद भी प्रतापगढ़, अरनोद, दलोद, सालमगढ़, पीपलोद एवं सुखेरा में राजाओं के समय से स्थापित हाट बाजार निरन्तर चालू रहे। स्थानीय भील वन क्षेत्रों से छोटी ईमारती लकड़ी काटर साप्ताहिक बाजार में बेचने के लिए स्वतन्त्र थे। वृक्ष काटने से पहले कोई रॉयल्टी शुल्क नहीं दिया जाता था और उपज को हाट बाजार में बिकने के बाद ऐसा किया जाता था। बन्दी के बावजूद भी राजस्थान राज्य के बाहर उपज का निर्यात अक्षरशः होता था जैसा कि मध्यप्रदेश एवं गुजरात राज्यों से यह क्षेत्र घिरा हुआ है। ऐसा शीघ्र ही महसूस होने लगा था कि इस व्यवहार के अनियंत्रित, अपद्धतित, एवं अत्यधिक कटिंग होती है।
- 7.1.15 जैसा कि इस वनमण्डल के लिए कोई कार्य आयोजना नहीं थी एवं इसकी तैयारी को लम्बित रखते हुए 1949 से यह अग्रिम रूप से उल्लेखित किया गया कि कोपिस विद स्टैण्डर्ड सिस्टम पद्धति से वार्षिक कुल वन क्षेत्र का 1/40 भाग काटा जायेगा। जिसमें कुछ प्रजातियों को आरक्षित जो कि कटाई के लिए बन्द होंगी को आरक्षित किया जायेगा। जैसा कि उस समय कोई सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य नहीं होता था, इस बात का ज्ञान करना बहुत ही मुश्किल था कि अग्रिम संस्करण की पूर्णतया पालना हो रही है या कम या ज्यादा कटिंग की जा रही है। फिर भी ऐसा ध्यान में लाना चाहिए था कि रियायत नियमों, हाट पद्धति, अनुज्ञा पद्धति और किसी अन्य पद्धति के अन्तर्गत अनियमित कटाई के अतिरिक्त ये वाणिज्यिक कटाई की जा रही थी। सन् 1949-50 से 1960-61 तक कोपिस विद स्टैण्डर्ड सिस्टम के अन्तर्गत ठेकेदारी प्रथा से 23.703 एकड़ वन क्षेत्रों का वाणिज्यिक विदोहन कराया जा चुका था।
- 7.1.16 ठेकेदारी प्रथा से कत्था बनाने के लिए चयनित पद्धति (Selecting System) के अन्तर्गत खैर वनों को विदोहित किया गया था। 12" से अधिक गर्थ के पेड़ों की कटाई की जाती थी। हान्डीयों के द्वारा बिक्री होती थी। कोई नियमित चक्र नहीं अपनाया गया था। यह 7-10 वर्ष का होता था। 4 वर्ष के अग्रिम पातन चक्र पर ठेकेदारी प्रथा से बाँस के जंगलों का लगातार विदोहन होता रहा था। जंगलो का अत्यधिक विदोहन होने के परिणामस्वरूप वन क्षेत्र लुप्तप्रायः हो गये।
- 7.1.17 वनों की दयनीय स्थिति, जो कि लुप्त होने के कगार पर थे एवं स्थानीय लोगों (भीलो) के विकास को मद्देनजर रखते हुए सन् 1971 में जिला जो कि बांसवाडा वन मण्डल से अलग हुआ था में ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत डूंगरपुर वन मण्डल का गठन



हुआ तथा इसकी 4 परिक्षेत्र रेन्ज (Ranges) आंतरी, डूंगरपुर, सागवाडा एवं सीमलवाडा बनाई गई।

7.1.18 पुनः वर्ष 1982-83 में राजस्थान मं वनमण्डलों का पुनर्गठन किया गया एवं उदयपुर मुख्यालय पर सामाजिक वानिकी वन मण्डल समाप्त किया गया एवं इस वन मण्डल की वन प्रभार रेन्जों का विलय अन्य वन मण्डलों में किया गया। जिसमें डूंगरपुर मुख्यालय की रेन्ज भी शामिल है का विलय डूंगरपुर प्रादेशिक रेन्ज में किया गया।

## 7.2 प्रबन्ध की विगत पद्धति का परिणामः-

7.2.1 वन क्षेत्रों पर पकड़ नहीं होने एवं रियायतों के नियम एवं नियन्त्रण पर कोई मापदण्ड नहीं होने, विशेषकर राजस्थान गठन के बाद, के कारण सागवान जंगलों को गम्भीरता पूर्वक बेढंगा उपचार किया गया और यही व्यवहार जारी रखा गया। अधिक समय तक वृक्षों को अनियमित रूप में हटाने की प्रक्रिया जारी रहने एवं उनकी जगह नये वृक्ष लगाने की प्रक्रिया नहीं अपनाने के परिणामस्वरूप अच्छे सघन वन लुप्त हो गये। डांडे एवं जलाऊ लकड़ी के वृक्षों में लगातार कटाई एवं शाखकर्तन के कारण सभी वनों में वृक्ष टेढेमेढे एवं टूठ नुमा स्थिति में हो गये हैं। राजस्थान के गठन के बाद जब विभिन्न वन उपज के लिए लचीली रियायतें दी गईं तो सागवान जैसे पेडे जो कि राजाओं के समय से शाही वृक्ष के नाम से घोषित किया गया था, को भी सुरक्षित नहीं किया जा सका। कृषि के विस्तार एवं विकास के नाम से जंगलों को नष्ट किया गया। इस कारण डूंगरपुर राजघराने के ग्राम वन भी भारी मांग के कारण अत्यधिक नष्ट होते गये एवं बहुत ही थोड़े समय में द्वितीय श्रेणी के आरक्षित वन रियायतों के बोझ से लाद दिये जाने लगे। राजाओं के समय से वन क्षेत्रों में काटी एवं जलाई जाने वाली अग्नि सुरक्षा पट्टियां धीरे-धीरे उजाड हो गईं, क्योंकि रियायत प्राप्त कर्ताओं ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। लोगों की अधंविश्वासी भावना एवं स्टाफ की अत्यधिक लापरवाही के मद्देनजर अग्नि पट्टियों की कोई सिस्टमेटिक बर्निंग या अग्नि रोकथाम गश्त नहीं की जाती थी। सभी प्रकार के वन क्षेत्रों में अग्नि घटनाएँ प्रायः होने लगी थी। इसी तरह से राजस्थान गठन के बाद वन क्षेत्रों में चराई एवं रियायतों का दबाव भारी होने लगा था। इसलिए राजस्थान गठन के बाद में वन क्षेत्रों का निरन्तर ह्रास हो रहा है। इस भयानक स्थिति में श्री ओ.पी. माथुर द्वारा इन वन क्षेत्रों के लिए प्रथम कार्य-आयोजना प्रतिवेदन लिखा गया था।

## ओ.पी. माथुर भा0व0से0 की कार्य आयोजना (1961-1971):-

7.2.2 इस वनमण्डल के लिए प्रथम वैज्ञानिक कार्य आयोजना श्री ओ.पी. माथुर द्वारा तैयार की गई थी। उन्होंने इस वन मण्डल के वन क्षेत्र को निम्नानुसार 3 मुख्य कार्य वृत्तों तथा 2 अतिच्छादी कार्य वृत्तों में विभाजित किया था:-

- 1 फैक्ट्री कार्य वृत्त,
- 2 सागवान कोपिस कार्य वृत्त,
- 3 सुरक्षा कार्य वृत्त,
- 4 बाँस कार्य वृत्त (अतिच्छादी),
- 5 खैर कार्य वृत्त (अतिच्छादी)

वन क्षेत्रों को वन खण्डों एवं कम्पार्टमेंटों में बाँटा गया तथा राजस्थान कोड ऑफ वर्किंग प्लान के अनुसार प्राथमिक कार्य आयोजना (PWPR) तैयार की गई।

7.2.3 **फैक्ट्री कार्य वृत्त:-** इस कार्य वृत्त में डूंगरपुर वन मण्डल का कोई क्षेत्र शामिल नहीं किया गया।

7.2.4 **सागवान कोपिस कार्य वृत्त:-** फैक्ट्री कार्य वृत्त के अलावा वन क्षेत्र इस कार्य वृत्त के लिए आवंटित किये गये। जहां आवश्यक नहीं था वहां पर वनवर्धन पद्धति सागवान के कृत्रिम पुनरोत्पादन के साथ-साथ साधारण कोपिस पद्धति प्रस्तावित की गई। इसके बाद में वनवर्धन कार्य निम्नानुसार प्रस्तावित किये गये :-

7.2.5 **क्लीनिंग:-** पातन के पश्चात् प्रथम वर्षा के तुरन्त बाद सिंगलिंग आऊट कार्य किया जायेगा पातन के पाँचवें वर्ष के बाद क्लीनिंग कार्य किया जायेगा उसके बाद 10वें वर्ष में थिनिंग कार्य किया जायेगा। उसके बाद प्रति 10वें वर्ष में थिनिंग नियमित की जायेगी। जैसा एवं जहां आवश्यक हो झाड़ीयां एवं बेलों की कटाई भी की जायेगी। क्लीनिंग में निम्न कार्य समाहित हैं:-

- 1 मानक एवं आरक्षित प्रजातियां हटाना जो कि सागवान कोपिस को दबा रही हों या बढ़ोतरी में दुष्प्रभाव डाल रही हों, फलदार एवं फूलदार वृक्षों को नहीं हटाया जायेगा।
- 2 कोपिस पैदावार में प्रति पेड एक तना रखना।
- 3 सागवान एवं अन्य कीमती प्रजातियों एवं शाखित कोपिस का कट बैक करना। 5 वर्ष तक के लिए क्षेत्र की ब्रुशवुड फैन्सिंग की जायेगी।

- 7.2.6 **थिनिंग:**— क्राऊन थिनिंग ही प्रस्तावित की गई थी।
- 7.2.7 **विविध नियमन:**— अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रित बर्निंग की जाती थी। 5 वर्षों तक चराई की आज्ञा नहीं दी जायेगी लेकिन दूसरे वर्ष से घास की कटाई की जायेगी। कार्य वृत्त क्षेत्रों तथा पातन क्षेत्रों में अधिकार एवं रियायतें दी जाती थी। वन क्षेत्र में या तो विभागीय या ठेका पद्धति या आदिवासी समितियों के माध्यम से कार्य किया जाता था। एवं परमिट रखने वालों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विदोहन की अनुमति थी।
- 7.2.8 **परिणाम:**— कुछ अनभिज्ञ कारणों की वजह से विभागीय पातन कार्य नहीं किया जा सका था, जिसके फलस्वरूप कृषक एवं आदिवासी लोगों द्वारा कुपों एवं उसके आस-पास के वन क्षेत्रों से अपनी आवश्यकता की इमारती एवं जलाऊ लकड़ी निकास की जाती थी। इस कारण वन क्षेत्रों में भारी कटान हुआ और टूटों की समान ड्रेसिंग नहीं हो सकी। स्टम्प (टूठ) ड्रेसिंग जो कि सभी कोपीसर्स प्रजातियों के लिए अति-आवश्यक है आगे के लिए प्रस्तावित नहीं की गई। भू-सतह से टूठ की ऊँचाई के बारे में कोई सन्दर्भ नहीं रखा गया। क्राउन थिनिंग प्रस्तावित की गई थी लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि, किन परिस्थितियों में यह की जानी है, थिनिंग की ग्रेड भी नहीं थी। लेकिन बाद में जब वन पैदावार को पातन के लिए उपयुक्त समझा गया पातन कार्य विभागीय रूप से किया गया। सागवान का कृत्रिम पुनरोत्पादन प्रस्तावित किया गया था लेकिन उसकी पालना नहीं की गई। वन क्षेत्रों को आग से बचाने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किये गये। झाड़ी फ़ैन्सिंग का 5 वर्ष तक संधारण भी बहुत मुश्किल था, पत्थर दीवार एवं काँटेदार तार की बाड प्रस्तावित की जानी थी। अप्रभावी बाड के कारण जैविक घटकों द्वारा वन पैदावार को नष्ट कर दिया जाता था।
- 7.2.9 **सुरक्षा कार्य वृत्त:**— कोई पहचानित वनवर्धन पद्धति प्रस्तावित नहीं की गई। जबकि यह उल्लेखित किया गया था कि बुरी तरह से काटे गये तथा शाखित सागवान के सभी आयु वर्ग के वृक्ष प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं।
- 7.2.10 5 वर्ष तक चराई के लिए बन्द किये गये वन क्षेत्र जिनमें बाद में चक्रित चराई होनी थी, में कोई द्वितीय वनवर्धन कार्य प्रस्तावित नहीं किये गये।
- 7.2.11 **परिणाम:**— भारी जैविक दबाव के कारण जैसा कार्य प्रस्तावित किया गया था के अनुसार कार्य नहीं किया जा सका था।
- 7.2.12 **बाँस कार्य वृत्त (अतिच्छादी):**— बाँस के परिभाषित हो गये क्षेत्रों में कट बैक एवं क्लीनिंग कार्य प्रस्तावित किये गये थे। कार्य वृत्त में अधिकार एवं रियायतें खुली थी।

7.2.13 **परिणाम:**— अनभिज्ञ कारणों की वजह से कट बैक एवं क्लीनिंग कार्य नहीं किये गये थे। भारी अधिकारों एवं रियायतों तथा बार—बार अग्नि घटनाओं के कारण इस वनमण्डल में बाँस के जंगल प्रायः नष्ट हो गये।

7.2.14 **खैर कार्य वृत्त (अतिच्छादी):**— 4 इन्च व्यास तक के विदोहन के साथ चयनित वनवर्धन पद्धति प्रस्तावित की गई थी। 20 वर्ष का पातन चक्र प्रस्तावित किया गया था। असंख्य हाँडियों द्वारा उत्पादन का नियंत्रण किया जाता था।

7.2.15 द्वितीय वनवर्धन कार्यो के साथ पातन नियम प्रस्तावित किये गये थे। जैसे—कत्था बनाने में अनुपयुक्त खोखला छाल हटाया गया पेड़ का हटाना।

7.2.16 **परिणाम:**— न तो पातन नियमों की पालना की गई तथा अधिक जैविक दबाव के कारण न ही द्वितीय वन वर्धन कार्य किये गये जिसके कारण वनमण्डल से खैर का पुर्णतया सफाया हो गया।

#### **एस.पी. माथुर भा0व0से0 की कार्य आयोजना (1973—1982)**

7.2.17 एस.पी. माथुर द्वारा ओ.पी. माथुर की कार्य आयोजना में संशोधन किया गया था। लेकिन यह स्वीकृत नहीं हुई थी।

7.2.18 निम्नानुसार कार्य वृत्तों का गठन किया गया था :—

- 1 प्रधान कार्य वृत्त,
- 2 सुरक्षा एवं सुधार कार्य वृत्त,
- 3 मृदा एवं जल संरक्षण कम वनीकरण कार्य वृत्त,
- 4 मृदा एवं जल संरक्षण कम चारा उत्पादन कार्य वृत्त,
- 5 बाँस कल्चरल ऑपरेशन कार्य वृत्त (अतिच्छादी),
- 8 पत्ता तेन्दु (अतिच्छादी) कार्य वृत्त,
- 9 विविध कार्य वृत्त।

7.2.19 राजस्थान वर्किंग प्लान कोड के दिशा—निर्देशों के अनुरूप कार्य आयोजना लिखी गई थी। प्रायः सभी अध्याय अपुर्ण थे। इसलिए कार्य आयोजना की पूर्ण अवधि तक यह आयोजना अपुर्ण रही थी। इसको बहुत पहले ही संशोधित करना चाहिए था।

7.2.20 इतना होने के बावजूद भी इस वनमण्डल में प्रधान कार्य आयोजना वृत्त लागू किया गया था। इस कार्य आयोजना को कुछ इस तरह से लिया गया कि ऊपर वर्णित किसी भी कार्य वृत्त के लिए न तो कोई वनवर्धन पद्धति और न ही क्षेत्र आवंटन या द्वितीय

वनवर्धन कार्य किये गये। कुछ वनखण्डों में फील्ड वर्क भी नहीं किया गया। जैसा कि उनको क्षेत्रफल सुची में शामिल नहीं किया गया है। छोटे रूप से कार्य आयोजना का केवल नाम ही था।

7.2.21 **प्रधान कार्य वृत्त:**— कोई स्पष्ट वनवर्धन पद्धति प्रस्तावित नहीं होने के कारण वन क्षेत्रों में कॉपीस विद स्टैण्डर्ड पद्धति के अनुसार कार्य किया गया था। पातन के बाद वन क्षेत्रों में बाडबन्दी कर दी गई तथा जनजाति निगमों (S.T.C.) द्वारा कार्य किया गया।

7.2.22 दूसरे कार्य वृत्तों के बारे में केवल आयोजना लिखने के लिए ही लिखा गया है। ओ.पी. माथुर के प्रत्येक सुधार-कार्य वृत्त में शामिल किये गये क्षेत्रों का दुसरे अनेक कार्यवृत्तों में आवंटन कर दिया गया, जिससे 10 वर्ष के थोड़े से अन्तराल में ज्यादातर क्षेत्र खाली (वृक्षविहीन) हो गये। यह संभवतया भारी अवैध कटाई एवं वन क्षेत्रों में टेरिटोरियल स्टाफ के नियंत्रण में कमी के कारण हुआ।

#### **पी.एस. भटनागर की कार्य आयोजना (1983-1992)**

7.2.23 पी.एस. भटनागर द्वारा एस.पी. माथुर की कार्य आयोजना को संशोधित किया गया था। कार्य आयोजना राज्य सरकार के पत्रा क्रमांक एफ 7(6) राजस्व ग्राम 8/84 दिनांक 30.03.1984 द्वारा स्वीकृत हुई।

7.2.24 इस कार्य आयोजना में निम्नानुसार कार्य वृत्तों का गठन किया गया :-

- 1 सागवान सुधार कार्य वृत्त,
- 2 वृक्षारोपण कार्य वृत्त,
- 3 चारागाह प्रबन्ध कार्य वृत्त,
- 4 लघु वन उपज अतिच्छादी कार्य वृत्त,
- 5 वन्य जीव प्रबन्धन कार्य वृत्त,
- 6 सामाजिक वानिकी कार्य वृत्त।

7.2.25 **सागवान सुधार कार्य वृत्त:**— इस वनमण्डल में सागवान घनित कीमती वन क्षेत्र का लगभग 23213.98 हैक्टेयर क्षेत्र जो कि वर्तमान में सागवाडा रेन्ज को छोड़कर वन मण्डल की सभी रेन्ज का है इस कार्यवृत्त में आवंटित किया गया था।

7.2.26 कोई भी पातन प्रस्तावित नहीं था, 8 वनखण्डों में 10420.99 हैक्टर क्षेत्र में क्लीनिंग एवं कर्षण कार्य प्रस्तावित किये गये थे। इस कार्य वृत्त के लिए कोपिस विद स्टैण्डर्ड पद्धति प्रस्तावित की गई। प्रत्येक टूट पर शुरुआत में तीन स्वस्थ, समान अन्तराल पर

- कोपिस तने रखे जाते हैं उसके बाद 5वें वर्ष में 2 तथा 10वें वर्ष में एक कोपिस तना रखा जाता है।
- 7.2.27 **विविध नियमन:**— कृत्रिम पुनरोत्पादन तथा सागवान की रूट शूट कटिंग का प्लान्टिंग करना प्रस्तावित किया गया। लैन्टाना को रासायनिक एवं यांत्रिकी तरीके से उखाड़ फेंकना भी प्रस्तावित किया गया। काटे गये कूप 10 वर्ष तक बन्द रखे जाते थे। द्वितीय वर्षा ऋतु के बाद से घास का संग्रहण किया जाता था। कन्दुर डाइक्स, चैक डैम्स तथा दूसरे मृदा एवं जल संरक्षण कार्य किये जाते थे।
- 7.2.28 **परिणाम:**— प्रस्तावित माप तक क्लीनिंग कार्य एवं सागवान में कर्षण कार्य नहीं किये जाते थे। कथित कालांश में प्रस्तावित कार्यों के लिए प्राथमिकता के तौर पर द्वितीय प्रावधानों की कमी होती थी। इसके परिणामस्वरूप भारी जैविक दबाव देखा जाता था। उस समय से ही सागवान की गुणवत्ता में कमी देखी जा रही है।
- 7.2.29 **वृक्षारोपण वृत्त:**— सभी रेन्जों का अच्छी मृदा गहराई एवं उचित नम परिस्थितियों के साथ वृक्ष विहीन खाली क्षेत्र 19695.03 हैक्टर इस कार्य वृत्त में शामिल किया गया था।
- 7.2.30 कृत्रिम पुनरोत्पादन के साथ पूर्व पातन प्रस्तावित था। कार्य आयोजना कालांश में लगभग 8000 हैक्टर क्षेत्र उपचारित किया जावेगा। मृदा कार्य के लिए 800 खड्डे, 800 र.मी. ग्रेडोनी, 2mx60cmx45cm साईज की 20 स्टैगर्ड कन्दुर ट्रैचेज प्रस्तावित की गई थी। शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण के लिए 1100 खड्डे होते थे।
- 7.2.31 नाला बण्डिंग के लिए गली प्लगिंग, डाइक्स एवं लूज स्टोन चैकडैम्स प्रस्तावित थे।
- 7.2.32 नियमित बाड के लिए अन्दर की ओर खाई पर ज्यूलीफ्लोरा के बीज बोना प्रस्तावित था।
- 7.2.33 सागवान, महुआ, बाँस, बबूल, नीम, आम, चूरैल, आँवलां, बहेडा, खिरनी, यूकेलिप्टस आदि का पौधारोपण प्रस्तावित था। परिभ्रांषित टेढे-मेढे सागवान, तेन्दु, धोकडा, के टूठों का कट बैक किया जाता था। केज्युलिटि रिप्लेसमेण्ट के साथ प्रारम्भिक वर्षों में निदाई-गुडाई एवं दसवें वर्ष में थिनिंग एवं क्लीनिंग कार्य प्रस्तावित किये गये थे।
- 7.2.34 **परिणाम:**— वर्ष 1983 से आज दिनांक तक इस वनमण्डल में वनीकरण कार्यक्रम प्रचुर मात्रा में कराये गये हैं जिसमें इस कार्यवृत्त को आवंटित क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। उस समय प्रस्तावित किये गये कार्य के मॉडल भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत प्रस्तावित प्रजातियां एवं लगभग समान तरीके अपनाये गये हैं। जिले में भारी जैविक दबाव के बावजूद उपचारित क्षेत्रों के वनों की बढ़ोतरी के

उद्देश्य की कम उपलब्धि हो पाई। कुछ क्षेत्रों में जहां कि लोगों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें वनीकरण के परिणाम बहुत अच्छे हैं। कम से कम चारे का अभाव तो किसी निश्चित स्तर तक घटा है। यह तथ्य गवाह है कि गम्भीर अकाल की परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी जिले के बाहर से चारा ज्यादा मात्रा में आयातित नहीं किया गया था। इन वृक्षारोपण से ऊपरी मृदा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है और मिट्टी के अन्दर नमी का संरक्षण हुआ है।

7.2.35 **चारागाह प्रबन्धन कार्य वृतः**— इस वनमण्डल की वर्तमान् आंतरी, सागवाडा एवं आसपुर रेन्ज कम गहरी मिट्टी वाला, वृक्षविहीन, निम्न गुणवत्ता वाला लगभग 5852.99 हैक्टर क्षेत्र इस कार्य वृत को आवंटित किया गया था। कार्य आयोजना कालांश के दौरान 2000 हैक्टर क्षेत्र उपचारित किया जा चुका है।

7.2.36 क्राईसोपोगन, सेन्क्रस, डाइकैन्थियम, पेनीसेटम, घास के बीजों की बुवाई एवं पौधारोपण प्रस्तावित किया गया था। लेग्युम्स जैसे सुबबुल, ढाढोन, खेजडी का पौधारोपण चारे की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रस्तावित किया गया था। खरपतवार का उखाडना भी प्रस्तावित था। जलाऊ लकडी की प्रजाति को छोडकर सभी प्रकार के वृक्षों का हटाना भी प्रस्तावित था। चारा देने वाले वृक्षों का पौधारोपण किया जाना था। 60 से 140 वृक्ष प्रति हैक्टर ऐसे क्षेत्रों में कटाई से रोके जाने थे।

7.2.37 नमी की अनुकूल परिस्थितियों के लिए आवश्यक जल एवं मृदा संरक्षण कार्य कराये गये थे।

7.2.38 2 वर्ष पश्चात् नियंत्रित चराई एवं घास काटना प्रस्तावित किया गया है।

7.2.39 **परिणामः**— वर्ष 1983 में प्रस्तावित कार्यों के समान ही कार्य आवंटित क्षेत्रों में कराये गये थे। परिणाम संतोषप्रद रहे हैं, जैसा कि कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति आंशिक रूप से हुई है। कुछ क्षेत्रा अभी भी बंजर हैं।

7.2.40 **लघु वन उपज अतिच्छादी कार्य वृतः**— यह कार्य वृत सभी कार्यवृतों में अतिच्छादी था।

7.2.41 तेन्दु के पेडों में कर्षण कार्य प्रस्तावित किया गया था। सभी परिपक्व तेन्दु के वृक्ष काट दिये गये थे। 20 सेमी से अधिक मोटई के वृक्षों में कोपिसिंग होता है। रिंग ट्रैचों का खोदना भी प्रस्तावित किया गया है।

7.2.42 गौंद की टेपिंग प्रस्तावित नहीं की गई थी। सालर एवं कडाया का पौधारोपण प्रस्तावित था।

- 7.2.43 **परिणाम:**— इस बाबत बहुत ज्यादा नहीं किया गया था। वित्तीय संसाधनों उपलब्धता के अनुसार कभी-कभी सीमित क्षेत्रों में तेन्दु के वृक्षों में कर्षण कार्य कराया गया था।
- 7.2.44 **वन्य जीव प्रबन्धन:**— वन्यजीवों की आवश्यक सुरक्षा एवं आवास प्रबन्धन करना प्रस्तावित किया गया है। फलदार पौधों की नीलामी नहीं की जाती थी। पशुओं का ठहराव नहीं किया जाता था। शिकार के कोई क्षेत्र प्रस्तावित नहीं थे। बर्ड बैन्डिंग की सलाई दी गई थी। स्कूल एवं कॉलेजों में वन्य जीवन क्लब एवं डूंगरपुर में चिडियाघर प्रस्तावित किया गया था। रेन्ज एवं नाका मुख्यालयों, पौधशालाओं एवं चौकियों पर पोषण के केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित था। पानी के स्थान, शरणस्थलियां एवं पानी के स्रोतों का विकास प्रस्तावित था।
- 7.2.45 **परिणाम:**— आम प्रचलित कार्यों के साथ-साथ वन क्षेत्रों की सुरक्षा का कार्य कराया गया (गुजरात राज्य की सीमा से लगे संवेदनशील क्षेत्रों के साथ-साथ), फलदार पौधों की नीलामी नहीं की गई। शिकार पर प्रतिबन्ध लगाया गया। बर्ड बैन्डिंग नहीं की गई। इस वनमण्डल में अधिक संख्या में वन्य जीव नहीं थे।
- 7.2.46 **सामाजिक वानिकी:**— इस कार्य वृत्त में सडकों, रेलवे लाईनों, तालाबों, गाँवों के गलियारों एवं धार्मिक स्थानों के साथ-साथ वृक्षारोपण कराना सम्मिलित किया गया।
- 7.2.47 कृत्रिम पुनरोत्पादन के साथ मृत एवं सडे हुए वृक्षों का सम्पूर्ण पातन प्रस्तावित किया गया। राष्ट्रीय उच्च मार्ग के साथ 5 पंक्तियों, राज्य उच्च मार्ग के साथ 3 पंक्तियों एवं जिला सडकों के साथ 2 पंक्तियों में तथा रेलवे लाईन के साथ 5 पंक्तियों में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया। 2मी. X 2मी. के अन्तराल पर 60cm x 60cm x 60cm साईज के खड्डे खोदना प्रस्तावित किया गया।
- 7.2.48 शीशम, नीम, सिरिस, यूकेलिप्टस, केजूराइना, केशिया श्यामा, इमली, आम, पीपल, करन्ज, गुलमोहर, जैकेरेण्डा, अमलताश एवं बड के पौधों का पौधारोपण प्रस्तावित किया गया था।
- 7.2.49 **परिणाम:**— गाँव की सामुदायिक भूमि, सडकों के किनारे, रेलवे लाईनों के किनारे तथा राज्य एवं राष्ट्रीय उच्च मार्गों के किनारे पौधारोपण कार्य कराया गया था। डूंगरपुर-अहमदाबाद रेलवे लाईन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 एवं डूंगरपुर सागवाडा सडक के किनारे स्ट्रिप प्लान्टेशन के परिणाम बहुत अच्छे रहें थे। यह वृक्षारोपण मुख्यतया यूकेलिप्टस के हैं जिनको आज काटने की आवश्यकता है।



7.2.50 **विविध नियमः**— 1000/- रूपये तक कीमत की वन उपज का पातन किया जा सकता था। वन सीमाएँ व्यवस्थित संधारित की जानी थी, औषधी शार्कल पौधों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना था। बीज संग्रहण केन्द्रों की स्थापना की जानी थी। वाइबीलिटि एवं अंकुरण के लिए बीजों का परिक्षण किया जाना था।

7.2.51 शाख कर्तन के नियम बनाये गये। शाख कर्तन नवम्बर माह से 30 अप्रैल तक ही की जाती थी। चारागाह क्षेत्रों में वृक्षों की शाख कर्तन की अनुमति नहीं थी।

7.2.52 वन सुरक्षा के लिए चारण, गौंद टेपिंग के अध्ययन के लिए प्रयोगात्मक प्लोट, बीज संग्रहण, सागवान की वनवर्धन, विभिन्न स्थानों पर मृदा का जमा होना, अग्नि सुरक्षा उपाय, कडाणा एवं माही बजाज सागर के केचमेंट क्षेत्रों के प्रबन्धन के लिए कृषि, वानिकी एवं अभियांत्रिकी उपाय आदि की सलाह इसमें समावेशित की गई थी।

7.2.53 **परिणामः**— छोटी-छोटी कटाई नहीं की गई। सीमाओं की ओर आवश्यक ध्यान दिया जाता था। साझा वनप्रबन्ध के आवश्यक समावेश करते हुए वनौषधीय पौधों के सर्वेक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। कडाणा एवं माही बजाज सागर कैचमेण्ट क्षेत्रों के उपचार की योजना अभी तक बनाई जाती है।

### 7.3 1983 से परिवर्तन

7.3.1 कुल मिलाकर वर्ष 1980 में वन विभाग की कार्य पद्धति में एक परिवर्तन देखा गया था। तब से आज तक सभी क्षेत्रों में बहुत कुछ हो चुका है। वर्तमान कार्य पद्धति के साथ इन सभी मुख्य परिवर्तनों को समझना आज की एक महती आवश्यकता है।

7.3.2 **प्रशासनिक व्यवस्थाः**— वर्तमान में वनमण्डल के वन क्षेत्रों के सुचारु प्रबन्धन के उद्देश्य से वनमण्डल के वनक्षेत्रों को निम्नानुसार 6 रेन्जों में विभाजित किया गया है, सभी रेन्जों के वन क्षेत्रों को निम्नानुसार नाकों में विभक्त किया गया हैः—

क्र.सं.	नाम रेन्ज	क्षेत्रफल (है.में)	वनखण्डों की संख्या	नाकों की संख्या
1.	डूंगरपुर	12329.512	12	7
2.	बिछीवाडा	14563.136	10	6
3.	सीमलवाडा	14456.059	8	6
4.	आँतरी	12037.408	21	6

5.	सागवाडा	7895.696	13	5
6.	आसपुर	7993.522	23	5
	<b>योग:-</b>	<b>69275.333</b>	<b>86</b>	<b>35</b>

**7.3.3 वैधानिक स्थिति:-** यद्यपि वन क्षेत्रों के वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उनकी वैधानिक स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम 1980 (समस्त संशोधनों एवं नियमों के साथ) के लागू होने से शीघ्र परिवर्तन दिखाई पडते हैं । इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा अपने विभिन्न फैसलों में वन क्षेत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है । इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों जैसे सडक, खनन, भवन तथा कृषि आदि भारत-सरकार की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है । बिना किसी उचित स्वीकृति के वन भूमि की वैधानिक स्थिति में परिवर्तन या डिनोटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है ।

**7.3.4 वन संरक्षण अधिनियम 1980 में वन शब्द की परिभाषा पर विशेष जोर किदया गया है ।** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.12.1996 के में वन की परिभाषा में निम्नलिखित सम्मिलित किया है:-

- 1 उचित प्रक्रिया के अनुसार सभी झाडियों जो वन भूमि के रूप में प्रकाशित हैं ।
- 2 किसी भी राजकीय अभिलेख में उल्लेखित वन भूमि ।
- 3 सभी प्रकार की भूमि चाहे उस पर किसी का मालिकाना हक किसी का भी हो या वर्गीकरण कुछ भी हो यदि वन जैसी है तो वन ही कहलायेगी । इससे एफ.सी.ए. 1980 की महत्ता की विस्तृत का अनुमान लगाया जा सकता है ।

**7.3.5 विकास कार्यों के निष्पादन की प्रक्रिया:-** विभिन्न परियोजनाओं एवं योजनाओं के अन्तर्गत 1983 में बहुत सारे वृक्षारोपण कार्य एवं मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य करवाये गये हैं । प्रारम्भ में सभी कार्य मस्ट्रोल पद्धति पर कराये गये थे बाद में पीस रेट पद्धति में परिवर्तन कर दिया गया ।

**7.3.6 कार्यों के बढ़ने के साथ-साथ और श्रमिक विवादों के उत्पन्न होने से, कार्यों के सम्पादन के लिए निजी ठेकेदारों को शामिल किया गया एवं "पीस रेट कान्ट्रैक्ट**

सिस्टम” लागू किया गया यद्यपि यह प्रणाली आज भी लागू है, इस प्रणाली में अपनी कुछ कमियां निहित हैं।

**7.3.7** सामुदायिक सम्पत्ति के प्रबन्धन में जन-भागीदारी धारक के साथ, साझा वन प्रबन्धन के विभिन्न अध्यादेशों जो कि प्रदेश में वर्ष 1991 से प्रारम्भ हैं के तहत ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का धीरे-धीरे मजबूती से गठन एवं पंजीकरण हुआ और उनको “जनता वन योजना” पद्धति में विकास कार्यों की धारा में जोड़ा गया। विभाग तथा ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के मध्य प्रबन्ध कर विभागयी बी.एस.आर. की दरों पर स्वीकृत व्यय अनुमान के अनुसार समिति के सदस्यों द्वारा कार्य कराया जा रहा है। अनुमोदित कार्य का भुगतान समिति को उसके बैंक खाते में कर दिया जाता है। इस पद्धति से कार्यों के सम्पादन में साझा वन प्रबन्ध की धारणा को मजबूती मिलती है और वित्तीय व्यय की सामाजिक अंकेक्षण की भी निश्चितता बढ़ती है। वर्तमान में इस वनमण्डल में समस्त विकास कार्य इसी पद्धति के तहत कराये जा रहे हैं।

**7.3.8 साझा वन प्रबन्धन:—** वन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन में अविश्वसनीय परिवर्तन आया है। समय के साथ यह समझ में आया है कि वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा बलपूर्वक नहीं की जा सकती। स्टेकहोल्डर्स एवं वन क्षेत्रों के पास रहने वाले लोगों का नियमित सहयोग वन क्षेत्रों के लगातार प्रबन्धन में सहायता करता है। सभी प्रकार की गतिविधियों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 15.03.1991 को एक अध्यादेश जारी किया गया था। इसके बाद इसमें अनेकों बार संशोधन किया गया एवं अन्त में 17.10.2000 का अध्यादेश आज की तारीख में लागू है।

**7.3.9** इस अध्यादेश में स्टेकहोल्डर्स के समुह “जिसको कि ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति कहा गया है” के गठन, पंजियन एवं कार्यप्रणाली के दिशा-निर्देश हैं। इस अध्यादेश में अच्छे परिभ्रांषित वनों के प्रबन्धन एवं सुरक्षा में वन सुरक्षा समितियों की, वनों से घास, लघु वन उपज, छोटी ईमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी प्राप्ति तथा परिपक्वता के समय वन क्षेत्रों के विदोहन के प्रावधानों के साथ सक्रिय भूमिका दर्शायी गयी है। घास, लघु वन उपज एवं जलाऊ लकड़ी निःशुल्क ली जा सकती है। छोटी ईमारती लकड़ी एवं वन विदोहन से प्राप्त आय का वन सुरक्षा समितियों एवं राज्य सरकार के मध्य विभाजन के प्रावधान भी प्रस्तावित किये गये हैं।

**7.3.10** वर्तमान में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों की स्थिति निम्नानुसार है:—

1	कुल समितियां	277 पंजीकृत-238 अपंजीकृत-39
2	सक्रिय	27
3	विकासशील	95
4	निष्क्रिय	155
5	समितियों द्वारा प्रबन्धित क्षेत्र	28745 हैक्टर
6	समितियों की संख्या जिनके बैंक खाते हैं	241
7	समितियों के खातों में जमा राशि	रु. 4071171 /—
8	समितियों द्वारा प्राप्त घास 2010 में	31417 क्वि. (घास)
9	घास का अनुमानित मुल्य	रु. 153.811 लाख
10	कुल सदस्य	55159
11	अनु. जाति सदस्य	1631
12	अनुसूचित जन जाति सदस्य	50474
13	महिला सदस्य	24421

**7.3.11 वन भूमि पर अतिक्रमण:**— जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ कृषि, आवास एवं अन्य घरेलू गतिविधियों के लिए अधिकाधिक भूमि की आवश्यकता होती है । इसलिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि अनुकूल वन भूमि को अवैध रूप से सफाई-कटाई कर उस पर अतिक्रमण नहीं किया जावे । 01.07.1980 से कुछ निश्चित श्रेणी के अतिक्रमणों को राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण करने के साथ यह स्थिति सावचेत होने की हो गई है ।

**7.3.12** यद्यपि भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमियों को वन भूमि से बेदखल करने की तहसीलदार वाली शक्तियां वन मण्डल में कार्यरत् सहायक वन संरक्षक को दी गई है । वर्तमान् में लगभग 3377.4266 हैक्टर वन क्षेत्र में अतिक्रमण हैं जिसके कुल 5192 प्रकरण निम्नानुसार हैं इनमे से वन अधिकार अधिनियम के तहत दिये गये अधिकार पत्रों की संख्या 4150 व 2755.07 हैक्टर क्षेत्रफल है :-

क्र. सं.	रेन्ज	कुल वन क्षेत्र (है. में)	अतिक्रमण शुदा वन क्षेत्र (है. में)	प्रकरणों की संख्या
1.	डूंगरपुर	12329.512	713.6536	864
2.	बिछीवाडा	14563.136	865.90	1009
3.	सीमलवाडा	14456.059	793.40	1197

4.	आँतरी	12037.408	480.950	954
5.	सागवाडा	7895.696	373.523	818
6.	आसपुर	7993.522	150.00	350
	<b>योग:-</b>	<b>69275.333</b>	<b>3377.4266</b>	<b>5192</b>

**7.3.13 विस्थापित के पुनर्वास के लिए भूमि का हस्तान्तरण:-** सत्तर के दशक के अन्त में तथा अस्सी के दशक के प्रारम्भ में 6 बड़े वनखण्डों की कुल 7513.13 हैक्टर वन भूमि माही बजाज सागर बाँध तथा कडाणा बांध के डूब क्षेत्र से विस्थापितों के पुनर्वास हेतु राजस्व विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई थी। पुनर्वास का कार्य इस अधिग्रहण की गई वन भूमि के कुछ भाग पर ही हो पाया एवं शेष 3370.87 हैक्टर वन भूमि पुनः वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई। लेकिन यह एक रूचिकर बात है कि विस्थापित लोग इन वनखण्डों की सम्पूर्ण भूमि पर चारों ओर बीचो-बीच फैलकर पुनर्वसित हो गये। जिससे बची हुई भूमि वानिकी उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गई। हस्तान्तरण का कार्य केवल कागजों में ही किया गया। ग्राउण्ड पर बहुत कम वन क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के कब्जे में है। तब से आज तक हस्तान्तरित क्षेत्र का डिनोटिफिकेशन नहीं हुआ है। यह आज भी वन मण्डल के कुल वन क्षेत्र में गिना जाता है जो कि मौके पर एवं रिकार्ड में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो रही है। इन क्षेत्रों का पुनः सर्वेक्षण कर वर्तमान स्थिति के अनुसार वैज्ञानिक प्रबन्धन के लिए सीमांकन करना चाहिए।

**7.3.14 वित्तीय व्यवस्थाए:-** आयोजना मद से संचालित नियमित विभागीय कार्यों के अतिरिक्त कई वर्षों में विभिन्न योजनाओं में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा दिये गये वित्तीय सहायता से कार्य कराये जा रहे हैं। वन मण्डल में वर्ष 1995 में डी.पी.ए.पी. योजनान्तर्गत 7 सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्रों में जलग्रहण विकास कार्य लिये गये हैं। इनमें से 5 कार्य वर्ष 2001 में प्रारम्भ किये गये हैं एवं उक्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

**7.3.15** इसके अतिरिक्त अत्यधिक मात्रा में अकाल राहत, आशवासित रोजगार योजना, जनजाति क्षेत्र विकास योजना एवं अब सम विकास योजना के तहत कार्य लिये गये हैं।

**7.3.16** वर्ष 2002 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के समान, भारत सरकार के राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप वानिकी विकास अभिकरण

(एफ.डी.ए.) का गठन कर समिति पंजियन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया गया है। वर्तमान में प्रवेश बिन्दु गतिविधियों के साथ 1600 हैक्टर क्षेत्र में वनीकरण कार्य, पांच वर्ष 2006–07 तक के लिए रु. 236 लाख का व्यय हुआ है। इस योजनान्तर्गत भी कार्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से जनता वन योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे हैं।

**7.3.17 पौधशालाएँ:**— वर्तमान में इस वनमण्डल में निम्नानुसार 17 स्थाई पौधशालाएँ हैं:—

क्र.सं.	रेन्ज	स्थान
1.	आंतरी	आंतरी, दोवडा,डेचा
2.	डूंगरपुर	पातेला (डूंगरपुर), दो नदी (ईन्द्र खेत), गंजी
3.	सागवाडा	सागवाडा, (घाटा माविता), डामरिया
4.	सीमलवाडा	धम्बोला, कुँआ
5.	बिछीवाडा	बिछीवाडा, छापी
6.	आसपुर	आसपुर, निठाउवा, काब्जा, साबला, गणेशपुर

**7.3.18 क्लोजर्स एवं प्लान्टेशन:**— वर्ष 1983 से टेरिटोरियल डिवीजन द्वारा कराये गये क्लोजर्स एवं प्लान्टेशन निम्नानुसार हैं:—

क्र.सं.	वर्ष	क्षेत्रफल (है.)	क्र.सं.	वर्ष	क्षेत्रफल (है.)
1-	1983	739	15-	1997	1977
2-	1984	560	16-	1998	950
3-	1985	1000	17-	1999	660
4-	1986	1700	18-	2000	110
5-	1987	2415	19-	2001	260
6-	1988	850	20-	2002	235
7-	1989	350	21-	2003	750
8-	1990	550	22-	2004	1454.34
9-	1991	1385	23	2005	1150

10-	1992	820	24	2006	1617.024
11-	1993	1187	25	2007	700
12-	1994	1980	26	2008	0
13-	1995	2291	27	2009	1411.74
14-	1996	1641	28	2010	1650
			29	2011	1530
			30	2012	3180
<b>योग :-</b>					<b>17635.104</b>

**7.3.19** मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों को कराने पर तब से ही विशेष बल दिया गया है। सन् 1995-96 से 2001-2002 तक की अवधि में वनमण्डल में वानिकी विकास परियोजना तथा अन्य योजनओं के अन्तर्गत निम्नानुसार भू एवं जल संरक्षण के कार्य करवाये गये।

वर्ष	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	योग
एनिकट	4	4	11	3	0	0	0	13	35
अरदनडेम	1	2	2	1	0	1	0	0	7
डी.एल.टी. कार्य	0	0	1	4	16	0	4	68	93

इसके अतिरिक्त वर्तमान में डी.पी.ए.पी. योजनान्तर्गत 5 जलग्रहण कार्य विभाग द्वारा करवाये जा रहे हैं। इनके अन्तर्गत 2500 हैक्टर क्षेत्र में जलग्रहण समितियों के माध्यम से चैकडैम, मेडबन्दी, पौधारोपण, पशुपालन विकास, चारागाह विकास जैसे कार्य करवाये जा रहे हैं। सामुदायिक संगठनों को सूदृढ करने के उद्देश्य से प्रत्येक समिति क्षेत्र में दो हैण्डपम्प, सोलर लाईट तथा पशु चिकित्सा कैम्प आयोजित किये गये हैं। इन जलग्रहण क्षेत्रों में 13 पक्के एनिकट निर्माण का कार्य करवाया गया है।

#### 7.4 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना (अवधि 2003 से 2007 तक )

##### **Rajasthan Forestry and Bio-Diversity Conservation Project (RFBP)**

7.4.1 अरावली वृक्षारोपण योजना के उपरान्त जिले में बाह्य सहायता प्राप्त यह एक महत्वपूर्ण व महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका वित्त पोषण जापान की एक संस्था JBIC द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के कुल 16 जिलों में क्रियान्वित इस परियोजना में अनेक प्रकार के वानिकी एवं सामूदायिक विकास के कार्य किये जा रहे हैं। इसमें भी साझा वन प्रबन्ध व जनसहभागिता को परियोजना क्रियान्वयन का आधार बनाया गया है तथा समस्त कार्यो में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को जोडा गया है। पूर्व की योजनाओं व कार्यक्रमों से आगे जाते हुए इस परियोजना में साझा वन प्रबन्ध को सुदृढ करने के अनेक प्रयोग किये गये हैं। मार्च 2007 तक जिले में इस परियोजना की प्रगति मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :

1	वृक्षारोपण	3325 हैक्टर
2	उत्पादकता वृद्धि कार्य	200 हैक्टर
3	पौध वितरण	8 लाख
4	भू जल संरक्षण संरचनाएं	67

7.4.2 इस परियोजना में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जोकि पूर्व की अन्य किसी भी कार्यक्रम में नहीं रही हैं तथा वानिकी विकास को एक नया आयाम प्रदान करती हैं। वे हैं :

- ✓ समस्त कार्य के केन्द्र में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को रखना।
- ✓ समिति के उन्नयन व सम्पादित कार्यो के परियोजना पश्चात् संधारण हेतु समितियों को कोरपस फण्ड के रूप में राशि उपलब्ध कराना।
- ✓ महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास।
- ✓ आय संवर्द्धन कार्यो को सम्मिलित करना।
- ✓ स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराना।

#### 7.4.3 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज II (अवधि वर्ष 2011 से 2019 तक)

डूंगरपुर जिले में JICA की बाह्य सहायता से Rajasthan Forestry & Biodiversity Project वर्ष 2011 से 2019 तक की अवधि में संचालित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू-संरक्षण (Biodiversity conservation and Soil Conservation) के कुल 4770 हेक्टर में कार्य कराये जाएंगे इस



कार्य के अतिरिक्त 43 गांवों में गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन के कार्य करवाये जायेंगे। परियोजना में कार्य यथा सम्भव ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति एवं स्वयं सहायता समूह का गठन कर किये जायेंगे। परियोजना रेंज डूंगरपुर, सागवाड़ा, आंतरी, सिमलवाड़ा में क्रियान्वीत की जा रही है।

7.4.4 **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना:-** 2 फरवरी 2006 से डूंगरपुर जिले में क्रियान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिलेवार इस योजना के लिए पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किये गए हैं जो क्षेत्र की आवश्यकता एवं कार्य प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर संशोधित किये जा सकेंगे।

विभाग द्वारा इस योजना के अर्न्तगत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं:

- कन्टूर डाईक, ग्रेडोनी, कन्टूर ट्रेंच, बाक्स ट्रेंच, वी-डिच आदि का निर्माण,
- बांस के पौधों का कर्षण कार्य:
- वन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तेंदू, सालर, खेजड़ी, शीशम, आदि के वृक्षों के नीचे की ओर ट्रेंच (खाई) खोदकर पुनरुत्पादन से वृक्षों की तैयारी:
- ट्रेंचों पर बीजारोपण,
- वन क्षेत्रों में रतनजोत, कूमठा एवं अन्य उपयुक्त वृक्ष एवं घास प्रजातियों का बीजारोपण:
- प्राकृतिक पौधों के समीप औषधीय एवं आर्थिक महत्व की बेलों का बीजारोपण/ पौधारोपण:
- विभागीय पौधशालाओं में सुधार कार्य:
- नए क्लोजर बनाना एवं इनमें सुधार कार्य:
- पुराने क्लोजर्स की दीवारों की मरम्मत व अन्य सुधार कार्य:
- पुराने वृक्षारोपण का संधारण: तथा
- चरागाह क्षेत्रों का पुनर्विकास

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अर्न्तगत वर्ष 2009 से 2011 तक कराये गये वृक्षारोपण व बीजारोपण कार्यों का विवरण:-**

क्र.सं.	वर्ष	कुल क्षेत्रफल	पौधारोपण	बीजारोपण	योग
1	2009	111.74	67636	28400	96036
2	2010	900	180000	512000	692000
3	2011	805	143800	74600	218400
योग:-		<b>1816.74</b>	<b>391436</b>	<b>615000</b>	<b>1006436</b>

7.4.5 **राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम:-** पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने वानिकी गतिविधियों के सरलीकरण एवं उनके क्रियान्वयन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना में चार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को एक कर राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (National Afforestation Programme) योजना का सृजन किया है। योजनाओं को एक करने का उद्देश्य क्षेत्र में चल रही समान उद्देश्यों वाली कई योजनाओं को एक करना, वित्त व्यवस्था एवं लागू करने की प्रणाली में समानता लाना था। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। ये अभिकरण ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते हैं।

7.4.6 **वानिकी विकास के अर्न्तगत वर्ष 2003 से 2010 तक कराये गये वृक्षारोपण कार्यों का विवरण:-**

क्र.सं.	वर्ष	कुल क्षेत्रफल	कुल कार्य स्थल की संख्या	लगाये गये पौधों की संख्या
1	2003	750	15	2.45
2	2004	750	16	2.543
3	2007	100	2	0.20
4	2009	1000	20	2.00
5	2010	600	12	2.80
योग:-		<b>3200</b>	<b>65</b>	<b>9.993</b>

7.4.6 **आय का विवरण :-** विभिन्न मदों में प्राप्त राजस्व वर्ष 2002-03 से 2011-12 तक का विवरण निम्नानुसार है।

राजस्व आय प्राप्ति की सूचना वर्ष 2002-03 से 2011-12 तक

क्र. सं.	लेखा मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0406 – वानिकी एवं वन्य जीवन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 – वानिकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101 – ईमारती लकड़ी एवं अन्य उत्पादों की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 – घास (चराई)	0.097	0.01	0.025	0.086	0.027	0.0690	0.043	0.033	0.00	0.00
	<b>योग 101</b>	<b>0.0970</b>	<b>0.0100</b>	<b>0.0250</b>	<b>0.086</b>	<b>0.027</b>	<b>0.0690</b>	<b>0.043</b>	<b>0.033</b>	0.00	0.00
2	800 – अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	001 – अर्थ दण्ड एवं राजसात्करण	7.613	10.57	5.97	8.21	9.064	9.707	9.598	12.854	11.93	11.48
	003– व्ययगत निक्षेप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.234	0.00	0.00	-	-
	004 – जिनका प्रबन्ध सरकार नहीं करती ऐसे वनों से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	005 – अन्य विविध आय	2.83	2.405	3.995	3.89	3.784	5.118	4.38	1.584	9.09	5.01
	<b>योग 800</b>	<b>10.443</b>	<b>12.975</b>	<b>9.965</b>	<b>12.100</b>	<b>12.848</b>	<b>15.059</b>	<b>13.978</b>	<b>14.438</b>	<b>21.09</b>	<b>16.49</b>

<b>कुल योग 101 + 800</b>		<b>10.540</b>	<b>12.985</b>	<b>9.990</b>	<b>12.186</b>	<b>12.875</b>	<b>15.128</b>	<b>14.021</b>	<b>14.471</b>	21-09	16.49
3	0406 – वानिकी एवं वन्य जीवन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	01 – वानिकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	101 – 006 पत्ता तेन्दु व्यापार योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	001 – पत्ता तेन्दु बिक्री से आय	30.084	24.967	21.653	4.36	17.700	79.916	34.551	59.32	39.82	53.61
	002 – अन्य विविध आय	0.108	0.156	0.059	0.090	0.104	0.009	0.029	0.008	1.13	1.25
	<b>योग 006</b>	<b>30.192</b>	<b>25.123</b>	<b>21.712</b>	<b>4.450</b>	<b>17.804</b>	<b>79.925</b>	<b>34.580</b>	<b>59.328</b>	<b>40.95</b>	<b>54.86</b>
<b>महायोग 1 से 3</b>		<b>40.732</b>	<b>38.108</b>	<b>31.702</b>	<b>16.636</b>	<b>30.679</b>	<b>95.053</b>	<b>48.601</b>	<b>73.799</b>	<b>61.97</b>	<b>71.35</b>

**कैम्पा (CAMPA) :-** वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष जुलाई, 2009 में प्रदेश में कैम्पा गठन हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये थे, इन्ही निर्देश की पालना में राजस्थान सरकार द्वारा नवम्बर, 2009 में राजस्थान स्टेट कैम्पा के गठन के आदेश जारी कर गजट में प्रकाशित किया गया।

राजस्थान स्टेट कैम्पा के गठन का मुख्य उद्देश्य वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान अन्तर्गत वन भूमि का प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्राप्त राशि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण सम्बंधी कार्य कराना प्रमुख है। कैम्पा निधि वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित वृक्षारोपण एवं अग्रिम मृदा कार्य करवाये गये:-

क्र. स.	नाम गतिविधि	कार्य स्थल का नाम	रेंज का नाम	क्षेत्रफल (हे.मे)	व्यय राशि (लाखों)
1	Assisted Natural Regeneration(ANR) 1 Committed (1st year)	डामरिया	सागवाड़ा	50	2.454
		कालापाना	बिछीवाड़ा	50	2.672
		आंतरी क.न 3	आंतरी	50	2.481
		रातापानी वाटडा	डूंगरपुर	50	2.332
		नान्दली दाद	आसपुर	50	2.146
	<b>Total Committed (1st year)</b>			<b>250</b>	<b>12.085</b>
2	New advance action	झरनी ढेचरा भगत	सीमलवाड़ा	50	11.414
		चारवाड़ा रेलाफला	सीमलवाड़ा	50	11.756
		फलिहोर क.न. 12	आसपुर	50	11.194
		सूलिया बैणका	आसपुर	50	11.382

		क.न.2			
	Total new advance action			200	45.746
	<b>Grant Total:-</b>			450	57.831

#### 7.4.5 उपसंहार

#### Conclusion

7.4.6 विगत कार्य आयोजना अवधि एवं उसके बाद के वर्षों में विभाग के कार्यों, कार्यप्रणाली एवं वन एवं वानिकी विकास व सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करने पर इनमें आये व्यापक बदलाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार है :

1. वन प्रबन्धन के समस्त पहलुओं यथा वन सुरक्षा, वन विकास तथा वन संरक्षण में स्थानीय जन समुदाय की बढ़ती सहभागिता।
2. विभागीय कार्य में गैर वानिकी कार्यों का बढ़ता प्रचलन।
3. जनसमुदाय को विभाग के प्रति सकारात्मक सोच विकसित कराने का प्रयास।
4. वन एवं वानिकी कार्यों का बढ़ता प्रचार प्रसार।
5. वाणिज्यिक विदोहन से विमुक्ति।
6. विभाग के कार्यों में बढ़ती पारदर्शिता।
7. सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन आधारित सुक्ष्म नियोजन को प्रधानता।
8. तकनीकी उपचार योजना पर बल।
9. वन उपज उपयोग व संरक्षण में आम जन को अधिकार।
10. वनों से प्राप्त आय से आम जन को लाभ उपलब्ध कराना।

## अध्याय – 8

### वृद्धि एवं उत्पत्ति की सांख्यिकी

### Statistics of Growth

वृद्धि एवं उत्पत्ति की सांख्यिकी :-

#### 8.1 सामान्य :-

इस कार्य आयोजना में कोई भी विदोहन प्रस्तावित नहीं है फिर भी सागवान, धोकड़ा, सालर धावड़ा के आयतन सम्बंधी सारणीया अतिरिक्त सूचना के रूप में दी जा रही है।

#### 8.2 धोकड़ा :-

हालांकि डूंगरपुर जिले के कार्य आयोजना क्षेत्र में धोकड़ा के वन नाम-मात्र के रह गये हैं व इनके प्रबन्ध हेतु इन सारणियों की आवश्यकता नहीं है फिर भी धोकड़ा से संबंधित सारणिया अतिरिक्त सूचना के रूप में यहां दी जा रही हैं।

#### 8.2.1 आयतन सारणी :-

धोकड़ा की आयतन सारणी केन्द्रीय वन वर्धन अधिकारी, वन अनुसंधान केन्द्र, देहरादून द्वारा सिल्वीकल्चर वोल्युम-10 सं० नीचे सारणी-1 में दी जा रही है।

सारणी -1

घोकड़ा -एनोगाइसिस पेडूण्ला

छाल के अन्दर की ठोस लकड़ी का कुल आयतन (वोल्युम अण्डर वार्क)

व्यास श्रेणी (डी0वी0एच0क्लास)	उचाई श्रेणी में (हाईट क्लास) मीटर में			
	6.1-8.1 घनमीटर में आयतन	8.1-10.1 घनमीटर में आयतन	10.1-12.0 घनमीटर में आयतन	12.1-14.0 घनमीटर में आयतन
छाल के बाहर (से0मी0 में)				
20.1-22.0	0.044	0.051	0.055	-
22.1-24.0	0.076	0.087	0.099	-
24.1-26.0	0.107	0.122	0.142	-
26.1-28.0	-	0.159	0.187	(0.212)
28.1-30.0	-	0.193	0.231	(0.267)
30.1-32.0	-	-	0.275	(0.323)
32.1-34.0	-	-	0.320	(0.379)
34.1-36.0	-	-	0.365	(0.434)

नोट :-1. कोष्टक (ब्रेकिट) में दी हुई संख्यायें केवल कुछ पेड़ों पर अथवा वक (कर्व) (बाह्यगण्म) (एक्स्ट्रापोलोम) पर आधारित है।

1. वास्तविक आयतन एवं व्यास तथा उँचाई के वास्तविक औसतों के वको के आधार पर बनाये गये आयतन के मध्य औसतन विचलन 6.5 प्रतिशत है तथा समस्त (एग्रीगेट) अन्तर 0.3 प्रतिशत है।



सारणी-2

कुल इमारती लकड़ी (अन्डर वर्क) तथा कुल मोटी लकड़ी (ओवर वर्क) गोलाई में है ठोस आयतन, व्यास श्रेणी, डी0बी0एच0

व्यास श्रेणी डी.बी.एच.	उँचाई श्रेणी (मीटर में)				
	4.1-6.0 आयतन घनमीटर में	6.1-8.0 आयतन घनमीटर में	8.1-10.0 आयतन घनमीटर में	10.1-12.0 आयतन घनमीटर में	12.1-14.0 कआयतन घनमीटर में
छाल के बाहर सेमी0 में					
6.1-8.0	0.012	0.015	0.019	-	-
8.1-10.0	0.019	0.022	0.029	-	-
10.1-12.0	0.026	0.033	0.044	0.066	-
12.1-14.0	0.035	0.048	0.063	0.086	(0.117)
14.1-16.0	0.045	0.061	0.082	0.110	(0.150)
16.1-18.0	0.087	0.078	0.105	0.137	(0.186)
18.1-20.0	0.068	0.093	0.126	0.168	(0.228)
20.1-22.0	0.080	0.110	0.151	0.203	(0.273)
22.1-24.0	-	(0.129)	0.178	0.241	(0.321)
24.1-26.0	-	(0.150)	0.203	0.280	(0.369)
26.1-28.0	-	-	0.231	0.317	(0.419)
28.1-30.0	-	-	(0.260)	0.354	(0.468)
30.1-32.0	-	-	-	0.392	(0.518)
32.1-34.0	-	-	-	0.429	(0.570)
34.1-36.0	-	-	-	(0.467)	(0.618)

नोट :- 1. कोष्टक (ब्रेकिट) में दी हुई संख्याएं केवल कुछ पेड़ों पर अथवा वक (कर्व) बाह्यगणम (एक्स्ट्रापोलेशन) पर आधारित है।

- वास्तविक आयतन एवं व्यास तथा उँचाई के वास्तविक औसतों के वक्रों के आधार पर बनाये गये आयतन के मध्य औसत विचलन 6.3 प्रतिशत है तथा समस्त (एगरीगेट) अन्तर 0.5 प्रतिशत है।

सारणी-3

कुल छोटी लकड़ी गोलाई में ठोस आयतन (ओवर वर्क)

व्यास श्रेणीडी. बी.एच.	उँचाई श्रेणी (मीटर में)				
	4.1-6.0	6.1-8.0	8.1-10.0	10.1-12.0	12.1-14.0
छाल के बाहर से0मी0 में					
6.1-8.0	0.012	0.015	0.019	-	-
8.1-10.0	0.019	0.022	0.029	-	-
10.1-12.0	0.026	0.033	0.044	0.066	-
12.1-14.0	0.035	0.048	0.063	0.086	(0.117)
14.1-16.0	0.045	0.061	0.082	0.110	(0.150)
16.1-18.0	0.057	0.078	0.105	0.137	(0.186)
18.1-20.0	0.078	0.093	0.126	0.168	(0.228)
20.1-22.0	0.080	0.066	0.100	0.148	(0.273)
22.1-24.0	-	0.053	0.091	0.142	(0.321)
24.1-26.0	-	0.043	0.081	0.138	(0.369)
26.1-28.0	-	-	0.072	0.130	(0.207)
28.1-30.0	-	-	(0.260)	0.123	(0.201)
30.1-32.0	-	-	-	0.117	(0.195)
32.1-34.0	-	-	-	0.109	(0.191)
34.1-36.0	-	-	-	(0.102)	(0.184)

नोट :-1. कोष्टक (ब्रेकिट) में दी हुई संख्याएं केवल कुछ पेड़ों पर अथवा वक्र (कर्व) बाह्यगणम (एक्स्ट्रापोलेशन) पर आधारित है।

- उक्त अंक कुल इमारती लकड़ी (अन्डर वार्क) तथा कुल छोटी लकड़ी (ओवर वार्क) के आयतन में कुल इमारती लकड़ी (अन्डर बार्क) को घटाकर निकाले गये है।

#### सारणी 4

गोलाई में नापे गये लट्ठों में छाल के उपर (ओवर वार्क) नापी गयी छाल की मोटाई

लट्ठे का मध्य व्यास	छाल की मोटाई का दुगुना
6-8	0.50
8-10	0.60
10-12	0.72
12-14	0.82
14-16	0.94
16-18	1.04
18-20	(1.06)

नोट :- कोष्टक (ब्रेकिट) में दिये गये आंकड़े केवल कुछ पेड़ों पर आधारित है।

### 8.2.2 धोकड़ा के लिये परिवर्तन कारक (कनवर्जन फेक्टर)

सिल्विकल्चरिस्ट राजस्थान द्वारा गणना किये गये परिवर्तन कारक जिनमें चट्टे के आयतन के शेष (ड्राइएज इन स्टैकडवोल्यूम) व ठोस आयतन में हानि तथा चट्टे का आयतन प्रतियूनिट भार निम्न है :-

- 1 शेष का प्रतिशत कुल का 40 प्रतिशत हैं। (एक वर्ष के भण्डार के पश्चात् )
- 2 कुल भार प्रति चट्टे का आयतन 746 कि०ग्रा० प्रति घनमीटर (हरी लकड़ी)।

धोकड़े में क्योंकि वार्षिक वलय (एन्युअल रिंग) दोष पूर्ण होते हैं। अतः कोई स्टेम एवं स्टम्प का विश्लेषण करना संभव नहीं था, फिर भी सिल्विकल्चरिस्ट राजस्थान द्वारा किये गये मापों से धोकड़े की प्राकृतिक अपज के आयु व्यास एवं उंचाई के बारे में लाभदायक सूचना मिलती है। उक्त आंकड़ों से प्राप्त उंचाई आयु तथा डी०बी०एच० (ओवर बार्क) (आयु वक्र) (कर्च) को बनाया गया एवं इन्हें सरलित (स्मूथ्रेन्ड) किया गया। नीचे की दो सारणियाँ बनायी गई हैं। सारणी 5 व 6 जिसमें से एक पाँच वर्ष के आयु के अन्तराल पर विभिन्न आयु के लिये वक्रों के आधार पर इन्वों में व्यास तथा मीटरों में उंचाई दर्शाती है।

द्वितीय सारणी उसी आयु के लिए मध्यक वार्षिक संवृद्धि (मीन एन्युअल डायामीटर इन्क्रिमेंट) एवं मध्यक वार्षिक उंचाई संवृद्धि (मीन एन्युअल हाइट इन्क्रिमेंट दर्शाती है।

सारणी-5

चित्तौड़गढ़-मृदा विक्कड़ संमृदा सरिस्का मृदा संमृदा (लोम)

(क्लेयी लोम)

वार्षिक वर्षा लगभग 76 से0मी0 वार्षिक वर्षा लगभग 63 से0मी0

आयु (वर्षों में)	उँचाई (मीटर में)			
	चित्तौड़गढ़	सरिस्का	चित्तौड़गढ़	सरिस्का
5	-	-	-	0.61
10	2.69	2.03	2.74	1.52
15	4.32	3.56	4.3	2.13
20	6.10	5.08	5.5	4.3
25	7.89	6.35	6.4	5.8
30	9.40	7.08	7.3	7.0
35	10.92	8.64	7.9	7.6
40	12.19	9.65	8.5	8.2
45	13.21	10.67	9.14	9.1
50	14.22	11.68	10.1	10.1

सारणी-6

आयु (वर्षों में)	मध्यक वार्षिक व्यास संवृद्धि (से0मी0)		मध्यक वार्षिक उँचाई संवृद्धि (मीटरों में)	
	चित्तौड़गढ़	सरिस्का	चित्तौड़गढ़	सरिस्का
5	-	-	-	.122
10	.279	.203	.274	.213
15	.286	.236	.283	.283
20	.305	.254	.274	.290
25	.315	.254	.256	.280
30	.313	.245	.244	.253
35	.313	.246	.226	.235
40	.305	.241	.213	.219
45	.292	.236	.201	.201
50	.264	.233	.189	.189

8.2.3 थूण पुनरुत्पादन (कॉपिस रिजैनेरेशन) :-

नीचे दी गई सारणी-7 सिल्वीकल्चरिस्ट, राजस्थान द्वारा अक्टूबर, 1956 में कोटा वन मण्डल के जगपुरा व कोलीपुरा कूपों से औसत व्यास औसत उँचाई एक टूठ (स्टूल से निकलने वाले प्ररोह शूट्स) के आधार पर बनायी गयी थी।

## सारणी-7

कूप संख्या	कटान का वर्ष	औसत व्यास (से0मी0 में) ब्रैस्ट हाइट (1.37मी) पर	औसत उँचाई (मीटर में)	प्रति टूठ प्रहरों की औसत उँचाई
1	49-50	3-81	4.3	5
2	50-51	3-3	4.09	5
3	51-52	2-79	3.79	6
6	52-53	1-78	3.27	9
7	53-54	1-52	3.59	11
	54-55		2.19	19
	56-57		1.37	20

### 8.3.1 खैर के वन :-

सिल्वीकल्चरिस्ट, राजस्थान द्वारा कोटा वन मण्डल के दामोदर पुरा ब्लॉक में किये गये। परीक्षणों से ज्ञात होता है कि खैर की सार काष्ठ (हार्ट वूड) में यदि वह हरा हो तो भार के माप से उसमें से 5.7 प्रतिशत कत्था होता है। लेकिन यदि उसे 6 महीने तक सूखा दिया जाये तो कत्थे का प्रतिशत 4.7 प्रतिशत रह जाता है।

### 8.4 धावड़ा के वन :-

8.4.1 राजस्थान के धावड़ा वनों का वृद्धि न्यास (ग्रास डाटा) उपलब्ध नहीं है। बांदा (उत्तर प्रदेश की कार्य आयोजना से लिये गये धावड़े की स्थूण वृद्धि) (कॉपिस ग्रोथ) 3181, जो उदयपुर के वनों से मिलता जुलता है।

### सारणी-8

आयु (वर्षों में)	गोलाई (सेमी0 में)	उचाई (मीटर में )
5	12.5	2.99
10	18.0	4.03
15	22.8	4.65
20	26.6	5.41
25	30.2	5.88
30	33.2	6.24

#### 8.5 सालर

- 8.5.1 केन्द्रीय संवर्धन अधिकारी का अनुसंधान केन्द्र द्वारा सालर की आयतन सारणियां (वोल्यूम) टेबल) जिनमें राजस्थान के आंकड़ों का भी समावेश किया गया है, प्रकाशित की गई है। इसमें से कुछ लाभप्रद सारणियाँ नीचे दी जा रही है।



सारणी -9

छाल के अन्दर की लकड़ी का कुल ठोस आयतन(वोल्यु अण्डर बार्क)

व्यास श्रेणी (वी. एच.) छाल के बाहर की सेमी	6.1-8.0	9.1-12.0	12.1-15.0	15.1-18.0	18.1-21.0	21.1-24.0
16.1-20.0	0.010	0.017	-	-	-	-
20.1-25.0	0.070	0.091	0.139	0.154	-	-
25.1-30.0	0.130	0.168	0.233	0.307	-	-
30.1-35.0	0.090	0.249	0.338	0.462	-	-
35.1-40.0	(0.261)	(0.333)	0.492	0.655	(0.836)	-
40.1-45.0	-	-	(0.676)	0.866	1.067	-
45.1-50.0	-	-	(0.879)	1.090	1.337	(1.896)
50.1-55.0	-	-	-	1.354	1.643	1.935
55.1-60.0	-	-	-	1.638	1.951	(2.215)
60.1-65.0	-	-	-	(1.926)	(2.279)	(2.720)

नोट :- 1. कोष्ठक के भीतर की संख्याएँ केवल कुछ पेड़ों या वृक्ष के बाह्यगणन पर आधारित हैं।

2. वास्तविक आयतन व वृक्ष के औसत व्यास व उंचाई से प्रमाणित

आयतन में 1.6 का औसत विचलन है एवं कुल अन्तर 0.7 प्रतिशत है।

सारणी -10

छाल को शामिल करते हुए इमारती लकड़ी का आयतन

व्यास श्रेणी (बी0एच0) छाल को शामिल करते हुए से.मी.	उचॉई श्रेणी मीटर में						
	3.1-6.0	6.1-9.0	9.1-12.0	12.1-15.0	15.1-18.0	18.1-21.0	21.1-24.0
5-10	0.011	(0.018)	0.077	-	-	-	-
10-15	0.037	0.060	0.144	-	-	-	-
15-20	(0.071)	0.113	0.260	-	-	-	-
20-25	-	0.217	0.404	0.344	0.389	-	-
25-30	-	(0.246)	0.563	0.519	(0.624)	-	-
30-35	-	(0.484)	(0.748)	0.708	(0.865)	-	-
35-40	-	(6.641)	-	0.932	1.174	(1.389)	-
40-45	-	-	-	1.199	1.507	(1.753)	-
45-50	-	-	-	(1.560)	1.890	(2.184)	(2.32)
50-55	-	-	-	-	2.263	2.667	(2.86)
55-60	-	-	-	-	2.684	3.208	3.485
60-65	-	-	-	-	(3.087)	(3.743)	(4.137)

नोट :- 1. कोष्टक के भीतर संख्याएं केवल कुछ पेड़ों या वक के लिये बाह्यगणम पर आधारित हैं।

4. वास्तविक आयतन व वक से प्राप्त और व्यास व उंचाई से आये आयतन के 4.9 प्रतिशत के औसत विचलन है एवं कुल अन्तर 0.8 प्रतिशत का है।

**सारणी -11**

**छाल को शामिल करते हुए छोटी लकड़ी का कुल ठोस आयतन**

व्यास श्रेणी (बी0एच0)छाल के उपर की से. मी. में	उचाई श्रेणी मीटर में						
	3.1-6.0	6.1-9.0	9.1-12.0	12.1-15.0	15.1-18.0	18.1-21.0	21.1-24.0
आयतन घन मीटर में							
5.1-10.0	0.011	(0.018)	-	-	-	-	-
10.1-15.0	0.037	0.60	0.077	-	-	-	-
15.1-20.0	(0.071)	0.098	0.119	-	-	-	-
20.1-25.0	-	0.118	0.132	0.148	(0.172)	-	-
25.1-30.0	-	(0.170)	0.177	0.204	(0.209)	-	-
30.1-35.0	-	(0.237)	0.240	0.269	(0.270)	-	-
35.1-40.0	-	(0.323)	(0.326)	0.309	0.245	-	-
40.1-45.0	-	-	-	(0.350)	(0.424)	(0.419)	-
45.1-50.0	-	-	-	(0.461)	(0.527)	(0.513)	(0.328)

50.1-55.0	-	-	-	-	0.591	0.639	0.468
55.1-60.0	-	-	-	-	0.662	0.799	(0.631)
60.1-65.0	-	-	-	-	(0.738)	(0.964)	(0.820)

नोट :-कोष्ठक में दी गयी संख्याएँ केवल कुछ पेड़ों पर या वक्र के बाह्यगणम पर आधारित हैं।

### सारणी -12

(बोसवेलिया सिर्रेटा)

छाल की दोहरी मोटाई एवं छाल प्रतिशत

व्यास श्रेणी छाल के उपर	दोहरी छाल की मोटाई	छाल का प्रतिशत	व्यास श्रेणी छाल के उपर (वी०एच०)	छाल की दोहरी मोटाई	छाल प्रतिशत
15.1-10.0	2.4	40	2.1-4.0	(8.9)	(40)
10.1-15.0	2.5	36	4.1-6.0	1.0	36
15.1-20.0	2.7	33	6.1-8.0	1.1	33
20.1-25.0	2.8	29	8.1-10.0	1.1	26
25.1-30.0	3.0	26	10.1-12.0	1.2	26
30.1-35.0	3.1	23	12.1-14.0	1.2	23
35.1-40.0	3.3	21	14.1-16.0	1.3	21

40.1-45.0	3.4	20	16.1-18.0	1.4	20
45.1-50.0	3.6	20	18.1-20.0	1.4	20
50.1-55.0	3.8	19	20.1-22.0	1.5	19
55.1-60.0	3.9	19	22.1-24.0	1.5	19
60.1-65.0	4.0	18	24.1-26.0	1.6	18
65.1-70.0	(4.2)	(18)	26.1-28.0	(1.7)	(18)
70.1-75.0	(4.3)	(17)	28.1-30.0	(1.7)	(17)

नोट :- कोष्ठक के भीतर की संख्याएं केवल कुछ वृक्षों पर आधारित हैं।

### सारणी -13

व्यापारिक स्कन्ध (धड़) लम्बाई एवं पतले सिरे का व्यास छाल के उपर का

व्यास श्रेणी (बी एच.) छाल के उपर से.मी. में	उचाई श्रेणी मीटर में						पतले सिरे व्यास सेमी.
	6.1-9.0	9.1-12.0	12.1-15.0	15.1-18.0	18.1-21.0	21.1-24.0	
10.1-15.0	(2.0)	-	-	-	-	-	(10)
15.1-20.0	(2.1)	(3.4)	-	-	-	-	(14)
20.1-25.0	(2.1)	(3.4)	5.0	(6.8)	-	-	18
25.1-30.0	2.2	3.5	5.0	(6.4)	-	-	22
30.1-35.0	-	(3.6)	5.1	6.5	-	-	26
35.1-40.0	-	(3.8)	5.2	6.7	(7.5)	-	30
40.1-45.0	-	-	5.4	6.9	7.8	-	32

45.1-50.0	-	-	5.7	7.2	8.2	(10.0)	32
50.1-55.0	-	-	6.0	7.6	8.7	(11.2)	34
55.1-60.0	-	-	(6.3)	8.0	9.3	(12.3)	34
60.1-65.0	-	-	-	8.5	(10.0)	-	34

नोट :- कोष्ठक के भीतर की संख्याएं कुछ वृक्षों एवं बाह्यगणम पर आधारित हैं।

सागवान के वन-प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे आफ़े इण्डिया ने उदयपुर के वनों का 76-78 में सर्वेक्षण कर सागवान का स्थानीय वृद्धि न्यास इकट्ठा कर प्रकाशित किया, जो नीचे दिया जा रहा है।

#### सारणी -14

आयु वर्षों में	सागवान व्यास (डी०बी०एच०) से०मी०
8	5
16	10
27	15
42	20
60	25
83	30

8.6 प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा सालर, गोंदक, धावड़ा, सागवान व शेष प्रजातियों के पहली बार स्थानीय आयतन सारणियां (लोकल वाल्यूम टेबल) बनायी गयी जो सारणी-15 में दी जा रही है।

### सारणी -15

#### स्थानीय आयतन सारणी

व्यास (डी०बी०एच०) से०मी० में	धावड़ा	गोंदक	सागवान	सालर	शेष प्रजातियां
7.5	0.017	0.009	0.013	0.013	0.013
10.0	0.043	0.040	0.036	0.035	0.012
12.5	0.052	0.066	0.048	0.038	0.032
15.0	0.067	0.098	0.069	0.063	0.062
17.5	0.093	0.133	0.102	0.100	0.103
20.0	0.127	0.178	0.142	0.248	0.152
22.5	0.169	0.226	0.190	0.200	0.207
25.0	0.221	0.283	0.245	0.263	0.271
27.5	0.277	0.343	0.360	0.334	0.346
30.0	0.349	0.343	0.360	0.334	0.346

32.5	0.414	0.407	0.377	0.412	0.433
35.0	0.494	0.479	0.456	0.500	0.523
37.5	0.589	0.556	0.542	0.604	0.628
40.0	0.684	0.640	0.639	0.717	0.734
42.5	0.786	0.724	0.745	0.830	0.861
45.0	0.898	0.818	0.858	0.956	0.996
47.5	1.022	0.922	0.927	1.089	1.130
50.0	1.157	1.024	1.106	1.235	1.278
52.5	1.296	1.138	1.252	1.390	1.442
55.0	1.453	1.255	1.394	1.555	1.604

#### 8.6.1 पहली बार प्रीइनवेस्टमेंट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा फिल्ड सेम्पल

प्लाट्स डालकर विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष काटकर प्राप्त आंकड़ों से सागवान, सालर गोदल, धावड़ा व शेष प्रजातियों हेतु स्थानीय आयतन समीकरण (लोकल वाल्यूम इनवेशम) बनाये गये जो

निम्नानुसार है :-

**प्रजाति**

**समीकरण**

सागवान

$$V = 0.062108 - 0.927983 D + 0.613031 D \times D$$

सालर

$$V = 0.155316 + 2.71987 D$$



गोदल  $V = 0.046731 - 0.962906 D + 7.301883 D^2$

धावड़ा  $V = 0.004378 + 4.575823 D^2$

शेष प्रजातियाँ  $V = 0.081467 - 1.063661 D + 6.452918 D^2$

जँहा  $V =$  छाल के भीतर का ठोस आयतन, 5 से.मी.

छाल व्यास की सीमा तक  $D =$  व्यास-छाल के बाह्य स्तक  $V_{0.4}$  पर

प्री इन्वेस्टमेंट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा विभिन्न प्रजातियों का

विभिन्न उपयोगों हेतु उपयोगिता आयतन का अध्ययन किया गया, विभिन्न

प्रजातियों के उपयोगिता आयतन का विवरण सारणी-16 में पुनरुद्धृत

किया गया है।

### सारणी -16

छाल के भीतर के ठोस आयतन का उपयोगिता प्रतिशत में

क्र०स०	उपयोग श्रेणी	प्रत्येक टुकड़े का औसत आयतन	प्रतिशत उपयोग आयतन (छाल के भीतर ठोस आयतन का प्रतिशत)		
			सालर	गोदल	अन्य प्रजातियाँ
1	लठ	0.183	-	-	6.3
2	पाट	0.79	-	-	1.8
3	बलेवा	0.060	-	-	4.1
4	बल्ली- I	0.037	-	-	1.2
5	बल्ली- II	0.024	-	-	1.9

6	बल्ली- III	0.019	-	-	0.3
7	बल्ली- IV	0.016	-	-	2.1
8	पोल- I	0.012	-	-	0.2
9	पोल- II	0.008	-	-	0.9
10	पोल- III	0.007	-	-	0.3
11	गट्टी- I	0.005	-	-	0.7
12	गट्टी- II	0.014	-	-	1.8
13	गट्टी- III	0.017	-	-	1.5
14	गट्टी- IV	0.030	-	-	7.0
15	गट्टी- V	0.052	-	-	5.8
16	गट्टी- VI	0.117	-	-	25.4
17	(पेकिंग कैसेज)	0.037	-	28.6	-
18	(मैच स्पिलन्ट) माचिस तीली	0.153	67.2	-	-
19	प्लाई वुड	0.144	-	41.2	-
20	जलाऊ लकड़ी	0.018	36.3	34.5	37.9
21	अन्य उपयोगी	0.004	5.9	7.7	8.3
<b>योग :-</b>		<b>5.000</b>	<b>110.4</b>	<b>112.0</b>	<b>107.5</b>

नोट :- कॉलम 4,5,6 का योग 100 से ज्यादा आता है, इसका कारण यह है कि जलाऊ लकड़ी व अनुपयोगी आयतन छाल के बाहर से मापे गये हैं जबकि प्रतिशत का आधार छाल के भीतर का ठोस आयतन लिया गया है।

### 8.6.2 छाल आयतन

प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे आफ़ इण्डिया द्वारा विभिन्न आयतन श्रेणियों में छाल प्रतिशत की गणना की गयी जा सारणी-17 में दी जाती है।

#### सारणी – 17

छाल का आयतन, वृक्ष के कुल (छाल के अन्दर का) आयतन प्रतिशत के रूप में व्यास श्रेणी व प्राप्ति कर

प्रजाति	व्यास श्रेणी (छाल के अन्दर) से0मी0 में						
	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
धावड़ा	16.0	14.1	12.5	11.0	10.0	9.4	9.1
गोदक	50.0	46.6	43.0	39.7	36.4	33.4	30.8
सागवान	30.3	26.2	22.0	10.9	18.1	17.3	23.2
सालर	40.0	36.1	32.5	29.3	26.4	24.4	28.2
शेष प्रजाति	32.1	29.3	22.0	25.7	25.0	24.5	24.1

सारणी-17 के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि छाल प्रतिशत सभी प्रजातियों के लिये व्यास बढ़ने के साथ घटता है। छाल आयतन प्रतिशत सभी व्यास श्रेणियों में गोदक का सर्वाधिक है एवं उसके बाद सालर का है।

### 8.6.3 अनुपयुक्त आयतन (कल वाल्यूम)/खोखलापन :-

प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा अनुपयुक्त आयतन के आंकड़े पातिन वृक्षों से एकत्रित किये गये, किन्तु क्षेत्र में छोटे आकार में लकड़ी उपलब्ध होने से, इसको टुकड़ों में उपयोग में लिए जाने के कारण अनुपयुक्त आयतन (कल वाल्यूम) का आंकलन नहीं किया गया किन्तु खोखले वृक्षों का प्रतिशत व्यास श्रेणी के साथ आंकलित किया गया जो सारणी-18 में नीचे दिया जा रहा है।

#### सारणी -18

#### खोखले वृक्षों का प्रजातिवार एवं व्यास श्रेणीवार प्रतिशत

प्रजाति	(बी0एच0) व्यास छाल के बाहर का से0मी0 में					
	5-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
धावड़ा	3.7	13.2	31.9	54.7	81.9	-
गोदल	-	-	1.7	4.8	7.4	-
सागवान	4.2	12.4	35.1	64.5	99.4	-
सालर	9.8	12.2	18.1	22.0	37.8	49.4
शेष प्रजातियां	3.2	2.6	14.5	27.4	53.4	86.7

सारणी-18 के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि खोखले वृक्षों का प्रतिशत व्यास श्रेणी बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता है। सागवान में 40 से0मी0 व्यास के उपर शत प्रतिशत वृक्ष खोखले हो जाते हैं। उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि सागवान व धावड़ा को 20 सेंटीमीटर व्यास

(डी0बी0एच0) के अग्रसर बढ़ने देना उचित नहीं है जबकि गोदल व सालर 50 से0मी0 व्यास (डी0वी0एच0) तक बढ़ने दिये जा सकते हैं।

- 8.7 प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा विभिन्न प्रजातियों के प्राकृतिक पुनरोत्पादन का अध्ययन भी किया गया 1976 में प्राकृतिक व पुनरोत्पादन के आंकड़े आज की परिस्थितियों में असंगत हैं किन्तु “ए” आंकड़े इस बात के घोटक तो है ही कि जब 1976 में प्राकृतिक पुनरोत्पादन की स्थिति यह रही है तो आज क्या इस स्थिति होगी जबकि वनों पर जैविक दबाव अग्नि दुर्घटनाओं की आवृत्ति बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है। अतः 1976 के प्राकृतिक पुनरुत्पादन के व वनों पर जैविक दबाव के आंकड़े नीचे श्रेणी 19 व 20 में दिये जा रहे हैं।

#### सारणी – 19

#### विभिन्न प्राकृतिक पुनरुत्पादन श्रेणी के अन्तर्गत वन क्षेत्रों का प्रतिशत—1976

क0सं0	प्राकृतिक पुनरुत्पादन स्तर	प्रतिशत वन क्षेत्र
1	घना (प्रोफयूज)	1.19
2	पर्याप्त (एडेक्वेट)	7.01
3	बिखरे हुए (स्केन्टी)	41.11
4	रिक्त—यून (निल)	50.69

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1976 में ही आधे से ज्यादा वन क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन पूर्णतः अनुपस्थित था व शेष वन क्षेत्रों में नगण्य था ।

सारणी – 20

विभिन्न जैविक दबाव (बायोटिक इन्टर फरेन्स) श्रेणी के अर्न्तगत वन क्षेत्र— 1976 में

क्र०सं०	जैविक दबाव	प्रतिशत वन क्षेत्र
1	बहुत ज्यादा	14.78
2	ज्यादा	26.21
3	मध्य श्रेणी	47.08
4	इल्का	11.93

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1976 में ही वनों पर जैविक दबाव बहुत ज्यादा था।

- 8.8 प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा उदयपुर के वन क्षेत्रों में मुख्य प्रजातियों का व्यास उंचाई समीकरण बनाया गया जिसे नीचे सारणी-21 में दिया जा रहा है।

सारणी -21

व्यास उंचाई समीकरण

व्यास (डी०बी०एच०) से०मी० में	उंचाई मीटर में			
	सालर	गोदल	धावड़ा	शेष प्रजाति
5	4.44	4.20	5.18	4.55
10	6.78	6.40	7.70	6.18
15	8.52	8.35	9.22	7.46
20	10.12	10.00	10.30	8.65
25	11.41	11.32	11.08	9.70
30	12.59	12.31	11.60	10.73
35	13.53	13.09	11.97	11.68
40	14.30	13.61	12.21	12.60
45	14.80	14.08	12.38	13.45
50	15.28	14.45	12.53	14.22
55	15.65	14.80	-	14.89
60	16.00	-	-	15.49
65	16.23	-	-	15.99

70	16.46	-	-	16.38
75	16.60	-	-	16.72
80	16.78	-	-	17.00
85	16.90	-	-	17.22
90	17.00	-	-	17.40
95	19.08	-	-	17.56
100	-	-	-	17.70
105	-	-	-	17.80

8.3.9 प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा सागवान का आयु-उंचाई समीकरण भी दिया गया जो नीचे सारणी-22 में उद्धृत किया जा रहा है।

### सारणी -22

#### सागवान उंचाई आयु समीकरण

आयु (वर्षों में)	6	7	9	13	17	22	27	34	42	54	70	96
उंचाई (मीटर में)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



सारणी -23

सागवान का महतम आयतन उत्पादन रोटेशन

आयु (वर्षों में)	व्यास (डी0बी0एच0) से0मी0 में	आयतन घन मीटर में	औसत वार्षिक वृद्धि (एम0ए0 आई0)	वर्तमान वार्षिक वृद्धि (सी0ए0आई0)
16	10	0.022	0.0137	0.00137
27	15	0.063	0.00233	0.00372
42	20	0.148	0.00352	0.00566
60	25	0.268	0.00446	0.00666
74	27.5	0.334	0.00451	0.00471
83	30	0.344	0.00414	0.0011

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सागवान की औसत वार्षिक वृद्धि 74 वर्ष के आसपास सबसे ज्यादा है एवं 74 वर्ष के आसपास की औसत वार्षिक वृद्धि वर्तमान वार्षिक वृद्धि के बराबर है। अतः सागवान का महतम आयतन उत्पादन रोटेशन 74 वर्ष के आसपास या ये 75 वर्ष आता है।

- 8.8.3. प्री इन्वेस्टमेंट ऑफ इण्डिया द्वारा 76-77 में ही इस जिले के वन क्षेत्रों का कुछ शस्य वृक्ष प्रति हेक्टेयर रेन्जवार प्रजातिवार व आयतन हेक्टेयर प्रजातिवार विभिन्न सारणियों में दिया गया था। वर्ष 1978 के बाद से अब तक वनों के सस्य में अत्यधिक हास होने के कारण वे

आंकड़े अब असंगत हो गये हैं, जिनके कारण उन्हें यंहा उद्धृत नहीं किया जा रहा है।

### 8.9 परिवर्तन कारक (कन्वर्सन फैक्टर)

बांस से प्राप्ति की गणना एवं नियंत्रण के लिए बांस की 5 मीटर लम्बाई को दलवा मानते हैं। बांस के विभिन्न उपयोग, विभिन्न व्यासायिक निर्धारित हैं जिनका विवरण मय परिवर्तन कारक के नीचे सारणी-24 में दिया जा रहा है।

सारणी –24

विक्रय लम्बाई व्यावसायिक नाप से	लम्बाई मीटर में	पतले सिरे पर गोलाई सेमी० में	खोखला या ठोस	सूखने पर भार कि०ग्रा०	परिवर्तन कारक
बाँस	7.0	12.0	खोखला	4.5	2.00
नलिया	6.0	10.0	खोखला	3.1	1.25
थालवा	5.0	10.0	खोखला	2.25	(1मानक बांस)
कोदिया	3.0	7.0	खोखला	1.2	0.50
थालवा	4.00	8.0	खोखला	1.55	0.75
पट्टी	2.0	12.0	ठोस	1.5	0.75
बल्लम	2.00	8.0	ठोस	1.0	0.50

लाठी	1.8	2.0	ठोस	0.8	0.40
सतका	2.0	5.0	ठोस	0.6	0.30
पसा	1.5	4.0	ठोस	0.4	0.1

स्टेट सिल्वीकल्चरिस्ट ने 1978 में तकनीकी बुलेटिन प्रकाशित की, जिसमें कुछ प्रजातियों के भार दिये हुए हैं।

- 8.10 विभिन्न प्रजातियों की उर्षकरी अर्हा (केलोरीफिक वेल्यू) ईंधन अनुसंधान केन्द्र धनबाद द्वारा मुख्य ईंधन प्रजातियों की उर्षकरी अर्हा (केलोरीफिक वेल्यू) जो निम्नांकित है :-

क्र०सं०	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	उर्षकरी अर्हा उष/ ग्राम
1	विलायती बबूल	प्रोसोपिस ज्यूलीफलोरा	4475
2	बेर	जिजिफस प्रजाति	4392
3	सफेदा	यूकेलिप्टस प्रजाति	4392
4	करीला / केर	कैपेरिस एफिला	4342
5	धोर	यूफोरबिया नेरीफोलिया	4330
6	बबूल	अकेशिया निलोटिका	4269
7	कल्थी	एनोगाइसिस पेन्डुला	4258

8	खेजड़ा	प्रोसोपिस स्पाइसिजैरा	4247
9	काला सिरस	एलबीजिया लेबेक	4186
10	जाल	सेलवेडोरा ओलिआयडिस	3753
11	ढाक / खाखरा	ब्यूटिया मोनोस्पर्मा	4080

## अध्याय 9

### प्रस्तावों का आधार

### Basis of Proposals

#### 9.1 प्रबंध के सामान्य उद्देश्य :-

- 9.1.1 1. भू कटाव रोकने, जलवायु में सुधार, सौन्दर्यीकरण व आमोद प्रमोद के लिए वनों का संरक्षण।
2. जलग्रहण क्षेत्रों में समुचित सुधार कर बांधों एवं जलाशयों की क्षमता को बनाये रखना।
3. स्थानीय निवासियों की जलाऊ लकड़ी एवं चारे संबंधी मांग की यथासंभव पूर्ति करना एवं सुरक्षित चाराक्षेत्र (फॉडर रिजर्व) बनाकर अकाल के समय चारे की पूर्ति करना।
4. प्राकृतिक पुनर्जनन एवं वृक्षारोपण द्वारा वनों की गुणता व घनत्व में वृद्धि करना।
5. वनवर्द्धन की उपयुक्त पद्धति के अनुसार वनों का प्रबंध करके सामान्य वन बनाने की दिशा में प्रगति करना।
6. पातन को वन विज्ञान द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अनर्तगत प्रतिबंधित करते हुए वनों से वन उपज प्राप्त करना।
7. वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं विकास हेतु उपयुक्त आश्रम स्थल एवं उचित वातावरण तैयार करना।
8. वनों के संरक्षण एवं विकास में जनता का सहयोग एवं भागीदारी प्राप्त करना।
9. अच्छे शस्य वाले वनों को विशेष ध्यान देकर सुरक्षा प्रदान करना।
10. पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देकर जनता में वनों एवं वन्यजीवों के प्रति रूचि पैदा करना।

## 9.2. वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण :-

9.2.1 21 वीं सदी के आगमन में आणविक प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं संचार क्रांति के माध्यम से कई आमूल-चूल परिवर्तन विश्व स्तर पर हुए हैं। अतितीव्र विकास तथा प्रतिस्पर्धा इन्हीं परिवर्तनों को परिलक्षित करती है। मानव समाज अब विकास की नई पराकाष्ठाओं को छू कर नित नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। परन्तु इसकी गति अंधी होने से होने वाले विकास का धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर भयंकर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा संसाधनों के अति दोहन का ही परिणाम है कि आज विश्व वैश्विक तापाधिक्य, समुद्र स्तर में बढ़ोत्तरी तथा ओजोन छिद्र जैसी गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहा है।

9.2.2 मुक्त व्यापार के प्रचलन, प्रतिबंधों की समाप्ति, तथा सूचना व संचार के फैलते जाल ने आपसी दूरियां लगभग समाप्त कर दी हैं। इन परिस्थितियों में सन् 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में पर्यावरण व पारिस्थितिकीय मुद्दों पर राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ जिसे पृथ्वी सम्मेलन 1992 के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 101 राष्ट्राध्यक्षों ने पर्यावरण व पारिस्थितिकीय मुद्दों पर अनेक सकल्प लिये जोकि वर्तमान में इनसे जुड़े मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सोच एवं दायित्व का प्रमुख आधार हैं।

1 उदारवादी अर्थव्यवस्था प्रारम्भ होने से पर्यावरण व पारिस्थितिकीय दुष्प्रभावों के प्रति सजगता बढ़ने लगी हैं।

2 अंतर्राष्ट्रीय सोच का प्रतिबिम्ब राष्ट्रीय नीतियों में दिखाई देने लगा। बदले हुए वातावरण में पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मापदण्ड कहीं खो से गये थे। नये वाणिज्य व अर्थप्रधान मापदण्डों ने स्थान बना लिया था। इन मापदण्डों से समझना तथा भावी वन प्रबन्धन योजना में उनको समाहित करना आवश्यक है।

3 वन प्रबन्धन के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक

भावी प्रबन्धन के उद्देश्य और उपचार निर्धारण हेतु निम्न कारकों पर अनुचिन्तन किया गया:

#### 4 अंतर्राष्ट्रीय सोच एवं दायित्व

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम व सोच में आए परिवर्तन के कारण विगत दशकों में वन एवं वानिकी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रक्रियाएं व प्रपत्र अस्तित्व में आये। इनमें से अनेक विधिक रूप से बाध्यकारी हैं और कुछ गैर-विधिक बाध्यकारी हैं। इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रक्रियाएं व प्रपत्र आदि भविष्य की राष्ट्रीय नीति व सोच को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

#### 9.3 पृथ्वी सम्मेलन 1992

विश्व पर गहराती पर्यावरणीय व पारिस्थितिकीय समस्याओं तथा विकास के आयामों पर चिन्तन हेतु दिनांक 03 से 14 जून 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जिनेरो में आयोजित यह सम्मेलन ऐतिहासिक साबित हुआ था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन के फलस्वरूप निम्न संकल्प व दस्तावेज तैयार हुए :

1. **ऐजेन्डा 21** : धारणीय विकास के सभी क्षेत्रों में वैश्विक कार्यवाही हेतु सर्वसमावेशी कार्यक्रम
2. **पर्यावरण और विकास पर रियो उदघोषणा** : राष्ट्रों के अधिकारों व उत्तरदायित्वों को परिभाषित करते सिद्धान्तों की सूची।
3. **वन सिद्धान्तों पर बयान** : विश्व में वनों के धारणीय प्रबन्धन के संबंध में सिद्धान्तों की सूची।
4. **मौसम परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का ढाचांगत समागम** : विश्व में मौसम परिवर्तन के कारकों को सीमित करने के संबंध में विधिक बाध्यकारी समागम।
5. **जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का समागम** : जैविक प्रजातियों के उन्मूलन को रोकने का विधिक बाध्यकारी समागम।

इस सम्मेलन की उपलब्धियों को जारी रखने के लिये निम्न अनुवर्ती प्रक्रियाएं स्थापित की गईं :

1. धारणीय विकास आयोग
2. धारणीय विकास पर अन्तर – अभिकरण समिति
3. धारणीय विकास पर उच्च स्तरीय सलाहकार समिति

### 9.3.1 क्योटो प्रोटोकॉल

क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुए सम्मेलन में कार्बन भण्डार का आंकलन करने तथा स्वैच्छिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयास करने के प्रति प्रतिबद्धता को दृढ़ता प्रदान की गई ।

### 9.4 धारणीय वन प्रबन्ध

9.4.1 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जिनेरो में आयोजित शिखर सम्मेलन पृथ्वी 1992 में धारणीय वन प्रबन्ध को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :

*धारणीय वन प्रबन्ध अर्थात् वन और वन भूमि का इस रीति व दर से संरक्षण और उपयोग कि उसकी जैवविविधता, उत्पादकता, पुनरोत्पादन क्षमता, प्राणतत्त्वता, और उनकी स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर, वर्तमान में और भविष्य में, संबंधित पारिस्थितिकीय, आर्थिक और सामाजिक कार्य की पूर्ति की क्षमता यथावत् बनी रहे और जिससे अन्य किसी पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति नहीं पहुंचे।*

9.4.2 सितम्बर 2002 में दक्षिणी अफ्रीका के जोहन्सबर्ग शहर में आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन में वन एवं धारणीय वन प्रबन्धन पर व्यापक सहमति बनी । धारणीय वन प्रबन्ध को गरीबी उन्मूलन, निर्वनीकरण को कम करने, जैव विविधता के ह्रास को रोकने, भूमि और संसाधनों के अधोपतन/ अपक्षय को रोकने, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने, सुलभ ईंधन आपूर्ति तथा खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम माना गया । सरकारों द्वारा मिलकर एशिया में धारणीय वन प्रबन्ध को प्रोत्साहित करने के लिये मिलकर कार्य करने की व्यवस्था कायम की गई ।

9.4.3 भारत में इस संबंध में अब तक हुई प्रगति में धारणीय वन प्रबन्ध के संबंध में निम्न कसौटियां व सूचकों की सूची तैयार की गई है :

क्र. स.	कसौटियां	सूचक
1	वन और वृक्षाच्छादन का विस्तार	प्राकृतिक और मानव निर्मित वनों का प्रकार व क्षेत्रफल भंगुर या नाजुक पारिस्थितिकीय तंत्र में वन क्षेत्र सघन व परिभ्रांषित वन का क्षेत्रफल गैर वन क्षेत्र में वन प्रजाति में धनी क्षेत्र गैर



		वानिकी कार्य हेतु विपथित वन क्षेत्र समुदाय द्वारा प्रबन्धित वन क्षेत्र
2	पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य और प्राणतत्वता	प्राकृतिक पुनरोत्पादन की स्थिति प्राकृतिक उत्तराधिकार की स्थिति गौण / द्वितीयक वनों की स्थिति खरपतवार, कीट, रोग, चराई, अग्नि खाद्य श्रृंखला का संधारण
3	जैव विविधता संरक्षण	सुरक्षित व बिखरे हुए पारिस्थितिकी तंत्रों का क्षेत्रफल विरल ,संकटापन्न , आशांकित तथा स्थसीमित प्रजातियों की संख्या प्रजाति सम्पन्नता तथा विविधता का स्तर वितान आवरण औषधीय व सुगंधात्मक पादप अहानिकारक विदोहन का स्तर
4	मृदा एवं जल संरक्षण	मृदा की नमी मृदा संहतता क्षरण की स्थिति जल का सतही बहाव मृदा पी एच मृदा जैव कार्बन मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति मृदा वनस्पति, जीव तथा सूक्ष्मजीव भूजल का स्तर अवसाद भार
5	वन संसाधन उत्पादकता	प्राकृतिक पुनरोत्पादन की स्थिति लकड़ी तथा गैर लकड़ी उत्पाद की वृद्धि वृक्षारोपण व पुनरोपण का क्षेत्रफल सामग्री व प्रौद्योगिक निविष्टि / आगत सुरक्षा उपायों का विस्तार मूल लाभ का स्तर
6	वन संसाधन का उपयोग	समुच्चित और प्रति व्यक्ति लकड़ी व गैर लकड़ी उपभोग लकड़ी व गैर लकड़ी वन उत्पादों का आयात व निर्यात अभिलिखित व अनाभिलिखित लकड़ी की निकासी वानिकी तथा वन आधारित उद्योगों में प्रत्यक्ष रोजगार वनों पर निर्भर जनसमुदाय की आय में वन का योगदान
7	समाजिक व सांस्कृतिक आवश्यकताएं	आजीविका , मनोविनोद , सृजनात्मक और सौंदर्यपरक आवश्यकताओं के संबंध में खुशहाली आर्थिक , सामाजिक, लिंगात्मक और सहभागी साम्यता की मात्रा अंतर्द्वंद प्रबन्धन प्रणाली

		पारम्परिक देशज ज्ञान का अनुप्रयोग
8	नीति , वैधानिक और संस्थागत ढांचा	<p>प्रचलित नीतिगत व वैधानिक ढांचा</p> <p>समुदाय, गैर सरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता का विस्तार</p> <p>अनुसंधान और विकास पर निवेश</p> <p>मानव संसाधन क्षमता निर्माण के प्रयास</p> <p>वन संसाधन लेखा</p> <p>अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रणाली</p> <p>जानकारी वितरण तथा उपयोग की स्थिति</p>

## 9.5 राष्ट्रीय नीति एवं संबंधित वैधानिक ढांचा

9.5.1 विगत तीन दशकों में भारत में भी अंतरराष्ट्रीय सोच के अनुरूप तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास विषय पर अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। वर्तमान में वन क्षेत्र तथा वनउत्पादों का उपभोग व उपयोग इन कदमों से प्रभावित है।

## 9.6 राष्ट्रीय कृषि आयोग 1970

राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए भारत सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये गये:

1. वन उपज विदोहन हेतु राज्यों में वन विकास निगम की स्थापना ।
2. वानिकी के क्षेत्र में प्रबन्धक तैयार करने हेतु भारतीय वन प्रबन्धन संस्थान भोपाल की स्थापना ।
3. सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना ।
4. संविधान के 72वें संशोधन द्वारा "वन" विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती संयुक्त सूची में डालना ।
5. 1984 में पृथक से केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना ।

6. साझा वन प्रबन्ध का संकल्प पारित करना।
7. राष्ट्रीय वन नीति 1952 को नवीन वन नीति 1988 से प्रतिस्थापित करना।
8. लघु वन उपज के स्वामित्व के अधिकार को पंचायतों को सौंपना।
9. पंचायत राज (एक्सटेंशन टू शिड्यूल एरियाज् ) अधिनियम 1996 लागू करना।

### 9.6.1 राष्ट्रीय वन नीति 1988

राष्ट्रीय वन नीति 1988 के मूल उद्देश्य निम्न हैं :

1. परिरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता का रख रखाव
2. वनस्पति और प्राणीजगत की विशाल विविधता का परिरक्षण
3. मृदा एवं जल संरक्षण
4. राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में बालू रेत के टिब्बों के विस्तार पर नियंत्रण
5. परिभ्राषित तथा अनुत्पादक भूमि पर, व्यापक वनरोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से देश में वन/वृक्ष आवरण की धारणीयता में वृद्धि
6. ग्रामीण व जनजातीय जनसंख्या की ईंधन की लकड़ी, चारा, लघु वन उपज, और छोटी काष्ठ की आवश्यकताओं की पूर्ति
7. वन उपज व उत्पाद के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा लकड़ी के विकल्प को अधिकतम
8. वर्तमान मौजूद वनों पर दबाव को न्यूनतम करने तथा उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु महिलाओं को सम्मिलित करते हुए व्यापक जन आंदोलन का निर्माण

## 9 पर्यावरणीय स्थिरता को प्रमुखता

इस वन नीति में पहली बार "पर्यावरणीय स्थिरता" को प्रमुख उद्देश्य माना गया है तथा प्रत्यक्ष लाभों को इस प्रमुख उद्देश्य के अधीन माना गया है। वनोपज पर प्रथम प्रभार वनों में अथवा उसके आस पास रहने वाले तथा उस पर निर्भर जनसमुदाय का माना गया है। इसमें यह भी माना गया है कि अधिकार व रियायतें वन की संवहन क्षमता के अनुसार ही होने चाहिये।

#### 10 चराई

वनों के समस्त लाभों को जन समुदाय के साथ बांटने पर जोर है। यहां तक कि चराई जैसी संवेदनशील क्रिया के लिये भी जनसहयोग से इस पर नियंत्रण रखने की नीति प्रतिपादित की गई है। चराई का दबाव कम करने के लिये चारा योग्य वृक्षों और पौधों को लगाने पर जोर दिया गया है।

#### 11 ईंधन व जलाऊ लकड़ी

वनों की उत्पादकता में वृद्धि कर जलाऊ लकड़ी व चारे की मांग व आपूर्ति के अन्तर को पाटने की मंशा जाहिर की गई है। वन नीति के अनुसार "देश की समस्त परिभ्रांषित व निरावृत वन भूमि एवं गैर वन भूमि पर, आवश्यकताओं पर आधारित तथा समयबद्ध, जलाऊ लकड़ी व चारागाह विकास, प्रधान विशाल वृक्षारोपण व पौधा रोपण कार्यक्रम, देश की अनिवार्यता है।"

#### 12 वन प्रबन्धन की अनिवार्यताएं

मौजूदा वनों तथा वन भूमि की पूर्णरूप से सुरक्षा की जानी चाहिये और उनकी उत्पादकता में सुधार लाया जाना चाहिये। समस्त जैविकीय विविधता के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, जैवमंडल क्षेत्रों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों के जाल को मजबूत किया जाना चाहिये और इनका पर्याप्त विस्तार किया जाना चाहिये। धारणीय सीमा से परे वनों के ह्रास को रोकने के लिये, वन क्षेत्रों के आस पास के क्षेत्र में पर्याप्त चारे, ईंधन और चारागाह का प्रावधान किया जाना चाहिये।

#### 13 वन के अधीन क्षेत्र

देश के कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम एक तिहाई क्षेत्र को वन अथवा वृक्षावरण अंतर्गत लाना राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिये।

#### 14 राज्य वन का प्रबन्ध

योजनाएँ व परियोजनाएँ जो खड़ी ढलान वाले वनाच्छादित क्षेत्र , नदियां, झीलों और जलाशयों के आवाह क्षेत्रों , भूगर्भीय अस्थिर क्षेत्र और इसी प्रकार के अन्य पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है, को गंभीरता से प्रतिबंधित किया जाना चाहिये । वन नीति के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में तैयार तथा सरकार द्वारा स्वीकृत प्रबन्ध योजना के अभाव में किसी भी वन पर कार्य नहीं किया जाना चाहिये

**15 अधिकार व रियायतें**

अधिकार व रियायतें, चराई को सम्मिलित करते हुए, वनों की संवहन क्षमता के संगत होने चाहिये। वनों में पारम्परिक अधिकार धारकों व रियायत धारकों को उन वनों की सुरक्षा व विकास के प्रति सजग होने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जिनसे वे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लकड़ी की कम आपूर्ति को देखते हुए वनों पर से अवांछित बोझ कम करना चाहिये तथा लकड़ी व ईंधन के विकल्प तैयार व प्रचलित किये जाने चाहिये।

**16 गैर वन प्रयोजनों के लिये वन भूमि का विपथन**

प्रयोजन के सामाजिक व पर्यावरणीय लाभ व लागत के आंकलन के बाद ही वनभूमि को गैर वन प्रयोजनों के लिये विपथित किया जाना चाहिये। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परीक्षित तथा पर्याप्त तंत्र द्वारा लागू खनन् प्रबन्ध योजना के अभाव में किसी भी पक्ष, या व्यक्ति को खनन् पट्टा नहीं दिया जाना चाहिये।

**16 वन्यजीव संरक्षण**

प्रवासी वन्यजीव के कृत्रिम तरीके से पृथक उप खण्डों के मध्य अनुवांशिक या जननिक निरन्तरता बनाये रखने के लिये विभिन्न संरक्षित स्थलों को जोड़ने वाले गलियारे उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

**17 अतिक्रमण, अग्नि व चराई से वन को क्षति**

वनभूमि पर बढ़ते अतिक्रमण के प्रचलन को रोकने के कारगर उपाय किये जाने चाहिये। वनक्षेत्र में चराई को समुदाय की मदद से विनियमित किया जाना चाहिये। विशेष संरक्षित क्षेत्र, युवा वृक्षारोपण, पुनरोत्पादन क्षेत्र पूर्णतया सुरक्षित रखे जावे।

**18 वन आधारित उद्योग**

वन आधारित उद्योगों की स्थापना और कच्चे माल की आपूर्ति को निर्धारित करने हेतु मुख्य धारणाएं निम्न होनी चाहिये :

- ✓ जहां तक हो सके, वन आधारित उद्योग अपने स्तर पर कच्चे माल की व्यवस्था करे।
- ✓ कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित होने पर ही तथा स्थानीय जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति को त्यागे बिना ही वन आधारित उद्योग की स्थापना को विशेषकर ग्राम व कुटीर स्तर पर, स्वीकृत किया जाना चाहिये।
- ✓ प्राकृतिक वन गुणसूत्र/जननिक पूल संसाधन का कार्य करते हैं तथा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने में सहायक है, अतः इन्हें किसी भी उद्योग को वृक्षारोपण या अन्य कार्य हेतु नहीं दिया जाना चाहिये।

19 उपरोक्त बिन्दुओं के अलावा वन नीति में वन विस्तार, वानिकी शिक्षा, वानिकी अनुसंधान, कार्मिक प्रबन्ध, वन सर्वेक्षण व डाटा बेस, और वानिकी के लिये वित्तीय सहायता पर भी व्यवस्था प्रतिपादित की गई है।

## 9.7 राजस्थान राज्य वन नीति

9.7.1 राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति जो प्रदेश के गठन के 63 वर्ष बाद बन रही है को दिनांक 17 फरवरी, 2010 को मंत्रिमण्डल ने अनुमोदन कर दिया है। यह वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1988 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों व संरचना के भीतर बनाई गई है। नीति में राज्य के वन प्रबन्ध में आने वाली चुनौतियों व उनसे निपटने की रणनीति का विस्तार से विवचेन किया गया है। वन प्रबन्ध के क्षेत्र में राज्य की वनभूमि, अन्य राजकीय भूमि, सामुदायिक व निजी स्वामित्व वाले भूखण्डों पर वन सुरक्षा, विकास व संघारण की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई है। राज्य में वन उपज की मांग व आपूर्ति, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों की वनों पर निर्भरता कम करने व उन्हें आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने, राज्य के पशुधन के लिये चारे की समस्या के समाधान करने सम्बन्धी प्रस्ताव नीति में प्रमुख रूप से शामिल है। नीति में राज्य में जैव विविधता के लघु भण्डार के रूप में पाए जाने वाले औरण व गोचर पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है।

## 9.8 हरित राजस्थान

- 9.8.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम 2005 के मुख्य उद्देश्य में से एक पर्यावरण की रक्षा करना भी है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची में सूखे से बचाव के लिये वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण के कार्यों को जल संरक्षण एवं जल संचय के पश्चात् प्राथमिकता में दूसरे स्थान पर रखा गया है। राज्य वैसे भी लगातार अकाल की त्रासदी को झेलता रहा है। वृक्षों के अंधाधुंध कटाव से जंहा पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ा है, वहीं पशु-पक्षियों के समक्ष चारे की भी समस्या उत्पन्न हुई है। राज्य में वन क्षेत्र में कमी हुई है एवं इसके कारण वर्षा की मात्रा एवं वर्षा के दिनों में भी कमी हुई है। पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों में सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण गरीब जनता होती है।
- 9.8.2 अतः राज्य सरकार ने वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के लिए पंचवर्षीय योजना 'हरित राजस्थान' आरम्भ की है। योजना का उद्देश्य राजस्थान प्रदेश को हरा-भरा बनाने के लिए जन-जन के सहयोग से वृक्षारोपण करना है। यह अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को 'नरेगा' के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- 9.8.3 यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त सभी स्थानों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़के, आवासीय क्षेत्रों तथा सरकारी एवं निजी संस्थाओं के खली पड़े अहातों व खाली पड़े भू-खण्डों, सरकारी भूमि, वन एवं चरागाह भूमि पर वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास किया जाएगा।
- 9.8.4 राजकीय स्तर पर नोडल विभाग के रूप में राज्य का ग्रामीण विकास विभाग इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि 'नरेगा' एवं नगरीय विकास एवं अन्य शहरी निकाय उपलब्ध करा रहे हैं। वन विभाग योजना के लिए पौधे उपलब्ध कराने के साथ-साथ वन भूमि तथा मार्गों पर वृक्षारोपण, कलस्टर वृक्षारोपण वृक्षारोपण एवं उनके रखरखाव का कार्य कर रहा है। राज्य के अन्य विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्ध स्थानों पर वृक्षारोपण व उनकी देखभाल कर रहे हैं। इस योजना में अराजकीय संस्थाओं को भी सहभागी बनाया गया है।

योजनान्तर्गत जिला स्तर पर सभी कार्यों के लिये जिला कलेक्टरों को उत्तरदायी बनाया गया है। कार्यक्रम का प्रबोधन राज्य स्तर पर मुख्य

सचिव की अध्यक्षता वाली तथा जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति करेगी।

## **9.9 वन संरक्षण अधिनियम, 1980**

9.9.1 गैर वानिकी प्रयोजनार्थ वनभूमि के बड़े पैमाने पर विपथन पर अंकुश लगाने के लिये वन संरक्षण अधिनियम सन् 1980 में प्रतिपादित किया गया। इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत किसी प्रकार की वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग में लेने के लिये केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति अनिवार्य कर दी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम से संबंधित अनेक प्रावधानों का सविस्तार व्याख्या व अर्थनिरूपण किया गया है जिसका कि गहरा प्रभाव वन प्रबन्धन पर पड़ रहा है। डूंगरपुर वन मण्डल में दिनांक 31.3.2012 तक 209.025 हेक्टर वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग में लाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

## **9.10 जैव विविधता अधिनियम 2002 व नियम 2010**

### **Biodiversity Act 2002 and Rules 2010**

9.10.1 पृथ्वी सम्मेलन 1992 के फलस्वरूप स्थापित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता समागम में भारत के भी प्रतिभागी होने के नाते उक्त समागम के प्रावधानों का सम्मान करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा यह अधिनियम प्रतिपादित किया गया जिसमें देश की जैव विविधता तथा जैविक संसाधनों तक पहुंच, उनकी निकासी, उपयोग तथा उनसे संबंधित ज्ञान के आदान प्रदान तथा उससे प्राप्त लाभों का न्यायसंगत, उचित व साम्यिक बंटवारे की प्रक्रिया आदि को विनियमित किया गया है।

9.10.2 उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों को लागू करने हेतु निम्नानुसार विभिन्न स्तरों पर अधिकार प्राप्त समितियों का गठन का प्रावधान है :

1. राष्ट्रीय स्तर पर – राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
2. राज्य स्तर पर – राज्य जैव विविधता बोर्ड
3. स्थानीय निकास व ग्राम पंचात स्तर पर : जैव विविधत प्रबन्धन समिति



9.10.3 तीनों ही स्तरों पर जैव विधिवता निधि के स्थापना का प्रावधान है। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक की कारवास तथा दस लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। अधिनियमान्तर्गत किया गया अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानती है। अधिनियम अन्य अधिनियमों के साथ प्रभावी रहेगा। अधिनियम में जैव विविधत महत्त्व के स्थलों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने तथा संकटापन्न प्रजातियों को अधिसूचित करने की शक्तियां केन्द्र सरकार के पास निहित है। इस अधिनियम में 12 अध्याय एवं 65 अनुच्छेद है।

जैव विविधता नियम 2010, दिनांक 2 मार्च 2010 से लागू किये गये है जिसमें नियम के अन्तर्गत बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति एवं जैव विविधता निधि की स्थापना का प्रावधान है। विभिन्न प्रावधानों के संबंध में विस्तार से प्रक्रिया व नियम वर्णित है।

#### **बोर्ड के सामान्य कृत्य:-**

- (I) जैव विविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के सतत् उपयोग और जैव संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों के उचित और साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने से सम्बंधित किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- (II) राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।
- (III) भारतीय द्वारा वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और किसी जैव संसाधन क जैव उपयोग के लिए अनुमोदनों या अन्यथा अनुरोधों को मंजूर करके विनियमित करना।
- (IV) राज्य जैव विविधता युक्ति और कार्य योजना को आदिनांकित करने और उसके क्रियान्वयन को सुकर बनाना।

#### **9.11 वन्यजीव (सुरक्षा ) अधिनियम 1972 वन्य जीव संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2006**

9.11.1 विगत वर्षों में देश में वन्यजीवों की लगातार होती कमी , उनके बढ़ते शिकार व अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल अधिनियम में सन् 2002 में

व्यापक संशोधन कर, उसे और कड़ा बनाया गया। वन्यजीवों की स्थिति पर उच्चस्थ स्तर पर निगरानी हेतु राष्ट्रीय वन्य जीव सलाहकार बोर्ड तथा राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान भी किया गया है। वर्ष 2006 में बाघों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नियम 2006 बनाये गये। इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन एवं अनुदान और उधार और निधि के गठन का प्रावधान है।

इस नियम में बाघ की संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य निम्न है

- (क) इस अधिनियम की धारा 38 फ की उपधारा (3) के अधिन राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजना का अनुमोदन करना:
- (ख) रक्षणीय पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन और निर्धारण तथा व्याघ्र आरक्षितति में पारिस्थितिकी की भूमि के अरक्षणीय उपयोग जैसे खनन उद्योग और अन्य परियोजनाओं को अननुज्ञात करना:
- (ग) व्याघ्र आरक्षितति के मध्यवर्ती और आंतरिक क्षेत्र में व्याघ्र संरक्षण के लिये समय-समय पर पर्यटन क्रियाकलाप के लिए प्रामाणिक मानक और व्याघ्र परियोजना के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना और उनका सम्यक् अनुपालना सुनिश्चित करना:—

## 9.12 पंचायत राज (शिड्यूल् क्षेत्रों तक विस्तार ) अधिनियम, 1996

9.12.1 इस अधिनियम के द्वारा पंचायत राज अधिनियम 1992 के प्रावधानों को शिड्यूल्ड क्षेत्रों व आदिवासी क्षेत्रों पर भी प्रभावी किया गया तथा ग्राम स्तरीय विभिन्न संसाधनों व लघु वन उपज के स्वामित्व व अन्य अधिकार ग्राम पंचायत को प्रदत्त किये गये। इस संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत स्तर पर अधिक अधिकार देने व पंचायत राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जिला परिषद, को सशक्त करने का प्रावधान था। इसी संविधान संशोधन के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा अपनी **आज्ञा क्रमांक प15 (35) वन/ 97 जयपुर दिनांक 17.07. 2003** से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 50, 51, तथा 52 व 53 के क्रम में वन विभाग से संबंधित निम्न दायित्वों, कार्यों व शक्तियों का हस्तांतरण पंचायत राज संस्थाओं – यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद को किया गया है :

1. गैर वन भूमि पर सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी के कार्य ।

2. सामाजिक वानिकी हेतु पौधशाला की स्थापना आदि ।
3. पंचायत क्षेत्र में वनसम्पदा का रखरखाव व संधारण ।

9.12.2 पृथक आज्ञा क्रमांक प15 (35)वन/97 जयपुर दिनांक 17.07.2003 के अनुसार "राजस्थान पंचायत राज (मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोविजन्स एंड देयर एप्लीकेशन इन दी शिड्यूल्ड एरियाज) एक्ट 1999 के तहत राज्य में वन और गैर वनक्षेत्रों में पैदा होने वाली समस्त लघु वन उपज (शहद , मोम, लाख, महुआ, फूल, ऑयल, सीड्स, जंगली झाड़ियां, और शाक, आवला, बहेड़ा, अरीठा, जामुन, खिरनी , मौलश्री, आम , बेर, लिसोड़ा, तेन्दू आदि के फल, घास एवं चारा , पलाश के पत्ते आदि) से होने वाली आय पर अधिकार ग्राम पंचायतों का होगा ।

- 1 तेन्दुपत्ते का व्यापार राजस्थान तेन्दूपत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम 1974 (1974 का अधिनियम संख्या 5 द्वारा शसित है ।
- 2 तेन्दुपत्ता वन विभाग द्वारा राजस्थान तेन्दुपत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम 1974 (1974 का अधिनियम संख्या 5) के अनुसार निरन्तर संग्रहीत किया जावेगा ।
- 3 तेन्दुपत्ता के संग्रहण से प्राप्त शुद्ध राजस्व सम्बंधित पंचायत जिसके क्षेत्र से तेन्दुपत्ता संग्रहीत किया गया है, को उसके क्षेत्र से तेन्दुपत्ता के उत्पादन के अनुपात में अन्तरित किया जायेगा ।
- 4 विभिन्न ग्राम सभाओं से संग्रहित तेन्दुपत्ता के ब्यौरे, वन विभाग द्वारा राज्य सरकार को हुए दर पर जिस पर तेन्दुपत्ता प्रतिवर्ष संग्रहीत किया गया है। सलाह देने के लिये संकलित किये जायेंगे ।
- 5 ग्राम सभा इस राजस्व का 50 प्रतिशत उपभोग अवसंरचना विकास के लिये और शेष 50 प्रतिशत उस क्षेत्र में तेन्दुपत्ता उत्पादन की वृद्धि के लिये अपेक्षित सांस्कृतिक संक्रियाओं पर करेगी ।
- 6 वन विभाग की सलाहकार समिति में आवश्यक रूप से पंचायती राज विभाग का प्रतिनिधि होगा ।

वन मण्डल डूंगरपुर द्वारा वर्ष (2010-11) में संग्रहित तेन्दुपत्ता के पेटे वर्ष 2011-12 में पंचायतों को राशि 3454930 रु स्थानान्तरीत की गयी ।

### 9.13 साझा वन प्रबन्ध

9.13.1 सन् 1988 में जारी "राष्ट्रीय वन नीति" की अनुपालना में परिभाषित एवं वृक्षविहीन वनक्षेत्रों को पुनः हरा भरा करने में ग्रामवासियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्यादेश क्रमांक एफ 7(39)75/90 जयपुर, दिनांक 15 मार्च 1991 जारी किया गया। वृक्षविहीन/ परिभाषित क्षेत्र के अलावा वृक्षविहीन अथवा परिभाषित हाने की कगार पर खड़े वन/ वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा /विकास/ प्रबन्धन में सक्रिय समितियों को अनेक अधिकार व रियायतें प्रदान कि गयी हैं। इनके संबंध में भाग 1 के अध्याय 1 में विस्तार से वर्णन किया गया है।

#### 9.14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश व निर्णय

9.12.1 विगत दो दशकों में वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि विषयों पर न्यायिक सक्रियता दिखाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने अनेक निर्णयों व आदेशों में वन, वानिकी एवं उनके संरक्षण के संबंध में नियमों व कानूनों का अर्थनिरूपण किया है। सन् 1996 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण 202/95 टी एन गोदावरमन बनाम भारत संघ में दिनांक 12.12.1996 को दिये गये आदेश में "वन" की परिभाषा को विस्तृत करते हुए उसमें उन सब क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया जोकि "वन" के शब्दकोशीय अर्थ के अनुसार वन हैं, चाहे उनका स्वामित्व या वर्गीकरण कैसा भी हो ।

इसी प्रकरण में जारी एक अन्य आदेश दिनांक 12.05.2001 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि –

"Felling of trees from forests shall only be in accordance with the working plans/schemes or felling schemes approved by the Ministry of Environment and Forests as per this courts order dated 15/1/99. It is again clarified that such working plans , schemes shall also be needed for felling of trees from any non-government forest area including the land which are required to be treated as "forests" as per this court's order dated 12.12.1996 . While implementing the working plans/schemes approved by the Central Government, State Government or the concerned authority, as the case may be, shall ensure that no felling is done unless sufficient provisions exist for the regeneration of such areas as per this court's direction dated 22.09.2000. For the Felling of trees from non-forest areas including in respect of plantations on non-forest area, detailed guidelines /rules shall be framed by the Concerned State Governement, which shall come into effect after the same are concurred with modifications, if any, by the Ministry of Environment and Forests."

## 9.15 अनुसूचित जनजाति एवं पारम्परिक वन आवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

9.15.1 इस अधिनियम से केन्द्र सरकार द्वारा वनक्षेत्र पर अपने निर्व्याज (bonafide) जिविका की आवश्यकताओं हेतु निर्भर अनुसूचित जनजाति एवं पारम्परिक वन आवासित समुदायों के सदस्यों को वनक्षेत्र एवं वनसम्पदा पर निम्न प्रकार के अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया है :

1. 13 दिसम्बर 2005 की स्थिति अनुसार उनके कब्जे में स्थित वन भूमि पर रहने व स्वयं हेतु कृषि कार्य करने का अधिकार ।
2. सामुदायिक अधिकार जो पूर्व काल में उनको उपलब्ध थे जैसे निस्तार के अधिकार आदि ।
3. पारम्परिक तौर पर उनके द्वारा संग्रहीत किये जाने वाले गौण वन उपज के स्वामित्व, पहुंच, संग्रहण , उपयोग व निस्तारण का अधिकार ।
4. वनक्षेत्र पर अन्य प्रकार के सामुदायिक उपयोग के अधिकार जैसे मछली चराई आदि ।
5. आवास व आवास स्थान पर सामुदायिक सावधि पट्टेदारी का अधिकार
6. विवादित भूमि पर अधिकार ।
7. वनक्षेत्र में प्रदत्त लीज, पट्टे, आदि के खातेदारी में परिवर्तन का अधिकार ।
8. वन ग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने का अधिकार ।
9. सामुदायिक वन सम्पदा की सुरक्षा, प्रबन्धन, और संरक्षण का अधिकार ।
10. स्वीकार्य सामुदायिक अधिकार ।
11. जैव विविधता पर पहुंच का अधिकार ।
12. स्वयं की बौद्धिक सम्पदा और पारम्परिक ज्ञान के संबंध में अधिकार ।
13. अन्य कोई अधिकार जो परम्परागत तौर पर प्राप्त हो ।
14. बगैर उचित मुआवजा व विधिक सहायता के अवैध निष्कासन अथवा पुर्नवास होने पर पुनः उसी स्थान पर पुनर्स्थापना का अधिकार ।

## 9.16 वन संरचना एवं दशा

9.16.1 वनों की संरचना व दशा का विस्तृत विवरण भाग के अध्याय 2 अ में दिया गया है। वन का वर्तमान स्वरूप जिले की ईमारती तथा जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं है। वन मुख्यतः पहाड़ियों, अर्द्धपहाड़ियों पर, नदी नालों के मुहाने पर, उंचे क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। चराई व अन्य जैविक दबावों के कारण वन में बीजांकुरण व पुनरोत्पादन की सफलतापूर्वक स्थापना नहीं हो रही है। प्राकृतिक पुनरोत्पादन को प्रवर्द्धित व सुरक्षित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अवैध कटान विशेषकर जलाऊ लकड़ी व घरेलू कार्य हेतु, अतिक्रमण, अग्नि की बारम्बारता, और मुख्यतः अतिचारण के कारण वनों का बहुत बड़ा भाग विकृत, स्कंधज, अस्वस्थ और क्षतिग्रस्त है। वन की संरचना में सुधार हेतु बीजांकुरण व पुनरोत्पादन को संरक्षित करने, प्राकृतिक सस्य में वृद्धि करने तथा चराई व कटान पर नियंत्रण आवश्यक है। लैन्टाना व ज्यूलीफलोरा जैसे विदेशज व अपतृण का उन्मूलन का कार्य भी कुछ क्षेत्रों में आवश्यक है। वन सीमाओं के संधारण व रखरखाव पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

### 9.17 वन से मांग व आपूर्ति

9.17.1 स्थानीय जनता की वनोपज व वन उत्पाद की मांग व आपूर्ति के बारे में विस्तार से भाग 1 के अध्याय 3 में वर्णन किया गया है। मांग और आपूर्ति में काफी अन्तर है जिसे पाटने की आवश्यकता है। विशेषकर मवेशी हेतु चारा व घास तथा रोजमर्रा के घरेलू कार्य हेतु जलाऊ लकड़ी का आवश्यकता से सबसे अधिक, निरन्तर व अनियंत्रित दबाव वनों पर रहता है। भविष्य में भी जनसंख्या वृद्धि के कारण इसके और अधिक ही होने का अनुमान है। भविष्य की मांग व आपूर्ति के परिदृश्य को देखते हुए वनों पर से इस दबाव को कम करने हेतु अभिनव व असामान्य उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

### 9.18 मृदा एवं जल संरक्षण

9.18.1 जिले में अधिकांश वनक्षेत्र रिक्त व आवरण विहीन होने से वनमृदा की स्थिति अच्छी नहीं है। भूक्षरण के कारण मृदा की उपजाऊ परत नष्ट हो रही है। सतही आवरण के आभाव में वर्षा जल संरक्षण भी कुप्रभावित हो रहा है। जिले की

पहाड़ियों वाली स्थलाकृति तथा अच्छे जल आवाह को ध्यान में रखते हुए भू जल संरक्षण के उपाय बड़े पैमाने पर लिये जाने की आवश्यकता है ।

### 9.19. रोजगार व आयवर्द्धन के अवसरों का निर्माण

9.19.1 ग्रामीण बेराजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें इस माध्यम से वन एवं वानिकी कार्यों से जोड़े रखना कुशल वन प्रबन्धन के लिये अतिआवश्यक भी है। वनीकरण कार्यों में स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता से तथा क्षेत्र से प्राप्त होने वाले लाभ व आय के बंटवारे से वन सुरक्षा, प्रबन्धन व संरक्षण का बेहतर वातावरण निर्मित किया जा सकता है। वन क्षेत्र में पाये जाने वाली विभिन्न प्रकार की गौण वनउपज व औषधीय पादपों को संरक्षण प्रदान कर तथा उनके वैज्ञानिक विदोहन व सही तकनीकी प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर वनों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही उन्हे आयवर्द्धन का स्रोत भी बनाया जा सकता है।

### 9.20 वन्यजीव संरक्षण

9.20.1 जिले में स्तनधारी वन्यजीवों की संख्या अति साधारण है। इनके आवागमन स्थलों व मार्गों को समुचित संरक्षण के दायरे में लिये जाने की आवश्यकता है।

### 9.21 वन क्षेत्र के अतिरिक्त भूमि व जल संसाधन का उपयोग

9.21.1 वनक्षेत्र से बाहर उपलब्ध भूमि व जल संसाधनों के समुचित इष्टतम उपयोग से वनों पर पड़ रहे अनेक जैविक दबावों को कम किया जा सकता है। साथ की वनों पर निर्भरता को भी नियंत्रित किया जा सकता है। जिले में वन क्षेत्र के अतिरिक्त निम्न भूमि उपलब्ध हैं :

(सभी क्षेत्रफल है. में)		
1	कृषि अयोग्य भूमि	96429
2	ऊसर तथा जोत अयोग्य भूमि	73458
3	अन्य उपयोग भूमि	
4	चारागाह भूमि	34623
5	बिना जोती कृषि योग्य राजकीय भूमि	
6	वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	104224
7	सिंचित क्षेत्र	40417
8	असिंचित क्षेत्र	

## 9.22 भावी वन प्रबन्धन के उद्देश्य

9.22.1 उपरोक्त विवेचना के आधार पर भावी वन प्रबन्धन निम्न तात्कालिक व दीर्घकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाना प्रस्तावित है :

### 9.22.2 पर्यावरणीय व पारिस्थितिकीय उद्देश्य

- ✓ वन्यजीवों के आश्रय स्थलों व आवासों को तथा जैव विविधता का संरक्षण कर पारिस्थितिकीय खाद्य श्रृंखला व संतुलन बनाये रखना।
- ✓ वृक्ष एवं वनावरण में वृद्धि कर तथा मृदा एवं जल संरक्षण के अन्य उपायों के माध्यम से मृदा क्षरण को रोकना तथा वर्षा जल का संरक्षण करना।

### 9.22.3 वन संवर्द्धनिक उद्देश्य

- ✓ उपयुक्त वन संवर्द्धन प्रणाली द्वारा वन संवृद्धि भण्डार में वृद्धि करना तथा सस्य की प्रमुख प्रजातियों के आयुवर्ग वितरण में निरन्तरता प्राप्त करना।
- ✓ प्राकृतिक पुनरोत्पादन को प्रवर्द्धित व सुरक्षित करना।
- ✓ सर्वोत्तम एवं उपयुक्त वन संवर्द्धन प्रणाली द्वारा वनों के सस्य की संरचना एवं दशा में सुधार कर उच्च वन प्राप्त करना।
- ✓ वृक्षविहीन व अल्पावृत एवं अपर्याप्त वन संवृद्धि भण्डार वाले क्षेत्रों का कृत्रिम वृक्षारोपण, मृदा एवं जल संरक्षण उपायों तथा सहायक वन संवर्द्धनिक कार्यों के माध्यम से सुधार एवं पुनर्वास करना।

### 9.22.4 सामाजिक उद्देश्य

वनों के वैज्ञानिक प्रबन्धन द्वारा वनों की उत्पादकता में सुधार व वृद्धि कर स्थानीय जनता की ईमारती लकड़ी , जलाऊ लकड़ी, चारा व घास आदि दैनिक आजिविका आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

### 9.22.5 नीतिगत व प्रशासनिक उद्देश्य

- ✓ राष्ट्रीय वन नीति 1988 के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करना।
- ✓ राज्य वन नीति 2010 के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करना।
- ✓ वनों को प्रभावित करने वाले विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों को वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुरूप व्यावहारिक क्रियान्वयन करना।



- ✓ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न निर्णयों , आदेशों व अर्थनिरूपण के अनुरूप वन प्रबन्धन को सुलभ बनाना ।
- ✓ वन सीमाओं को सुदृढ़ और प्रभावी बनाना ।
- ✓ वन प्रबन्ध में अद्यतन प्रौद्योगिकी व तकनीकी ज्ञान के उपयोग को प्रोत्साहित कर प्रमुख प्रजातियों की गुणवत्ता में सुधार लाना ।
- ✓ धारणीय वन प्रबन्धन की संवीक्षा व अनुश्रवण हेतु निर्धारित कसौटियों व सूचकों को जिले के वन प्रबन्धन व्यवस्था में सुदृढ़ करना ।

### 9.22.6 . यथार्थ स्थिति

9.22.7 कार्य आयोजना क्षेत्र की कुछ व्यावहारिक वास्तविकताएँ हैं तथा समन्वित, सतत्, संगठित व सुनियोजित प्रयास से इनको कार्य के पक्ष में बदला भी जा सकता है ।

1. अत्याधिक मवेशी दबाव/अतिचारण
2. खुली चराई की प्रथा
3. जलाऊ लकड़ी व चारे की बढ़ती मांग
4. विभाग में मूलभूत संरचनाओं का आभाव
5. आवश्यकता से बहुत कम कार्मिक शक्ति

### 9.23. उपचार विधियां

9.23.1 कार्य आयोजना के उद्देश्यों की सफल प्राप्ति हेतु निम्न उपचार विधियों को क्षेत्र में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है :

1. संरचना, दशा एवं अन्य विशिष्ट कारकों के आधार पर क्षेत्र का विभक्तिकरण व पहचान ।
2. सख्त सुरक्षा के समस्त उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त कार्य ।
3. जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर गहन व विस्तृत मृदा एवं जल संरक्षण कार्य
4. नियंत्रित व विनियमित चराई ।
5. स्थानीय मांग की प्राथमिकता के आधार पर पूर्ति ।
6. अपकृत व परिभ्रांषित संवृद्धि भण्डार व मूलस्कंध का सुधार ।
7. रिक्त क्षेत्रों का पुनःभण्डारण ।

8. आर्थिक महत्त्व की लघु वन उपज और औषधीय पादपों का वैज्ञानिक संरक्षण, विकास और संधारण ।
9. जैव विविधता का सम्पूर्ण संरक्षण व परिरक्षण ।
10. वन क्षेत्र में पारिस्थितिकीय व धार्मिक पर्यटन का विकास व प्रोत्साहन ।
11. वन प्रबन्धन के सभी कार्यों व पहलुओं में जनसहभागिता को प्रोत्साहन ।
12. सहभागिता प्रवर्द्धन हेतु व्यापक संचार, प्रसार व प्रशिक्षण कार्य ।
13. वन प्रबन्धन में सहभागी समस्त पक्षों में तकनीकी, वन संवर्द्धनिक, वैज्ञानिक व अद्यतन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की दक्षता का निर्माण ।
14. वन प्रबन्धन में परीक्षित तकनीक व प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुप्रयोग ।
15. गैर वन क्षेत्र में वानिकी विकास ।
16. स्थानीय मांग की आपूर्ति हेतु व उसे कम करने हेतु आधुनिक, व कुशल वैकल्पिक साधनों व संसाधनों के अनुप्रयोग को प्रोत्साहन ।
17. निरन्तर अनुश्रवण व मूल्यांकन ।
18. वन प्रबन्धन से संबंधित विभिन्न सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक व अन्य मुद्दों पर व्यापक अनुसंधान व शोध ।
19. उपरोक्त कार्यों के सफल क्रियान्वयन के अनुरूप प्रशासनिक व प्रबन्धकीय संगठनात्मक व्यवस्था का निर्माण ।
20. जिले में पर्यावरण, पारिस्थितिकी, वन, वानिकी विकास, वृक्ष आदि से संबंधित समस्त गतिविधियों में विभाग की कार्यकारी अभिकरण के रूप में पहचान का निर्माण ।
21. राजस्थान राज्य वन निति 2010 के अनुसार वन मण्डल डूंगरपुर के सभी अधिसूचित वन क्षेत्रों में से नामान्तरण से शेष रहे वनखण्डों का नामान्तरण कराना तथा वन भूमी पर अवशेष रहै सीमा स्तम्भ को वर्ष वार आवंटित बजट अनुसार लगाये जाकर सिमाकन किया जाएगा। तथा सीमा रेखाओं का डिजीटाईज्ड नक्शों पर सही भू-संदर्भ में रेखाकन कार्य किया जा रहा है। वनखण्डों के अभिलेख राजस्व नक्षों पर नवीनतम बन्दोबस्त के आधार वन नक्षों पर अध्यारोपित किये जाये तथा नवीनतम राजस्व रेकार्ड के अनुरूप में अभिलेख खसरा की विगत सहित लोक सम्पति के रूप में रखे जायेंगे।

बिना अधिसूचित हुये सभी वन खण्ड अधिसूचित किये जायेंगे। तथा ऐसे वन खण्डों की बन्दोबस्त प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ की जायेगी।

9.23.2 उपरोक्त उपचार विधियों को कार्य आयोजना अवधि में ही सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया जा सके यह आवश्यक नहीं है परन्तु इनको जिले में सुदृढ़ करने और गति प्रदान करने की दिशा में अथक, गंभीर व समन्वित प्रयास अनिवार्य है जिससे कार्य आयोजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

9.23.3 अंततः सभी उपचार विधियों के सफलता की कसौटी है – वनक्षेत्र की सेहत, सस्य, संवृद्धि भण्डार में सुधार। उपचार के समस्त वानिकी, गैर वानिकी अथवा प्रशासनिक कार्य को इस कसौटी पर खरा उतरना होगा। और समस्त प्रयास इसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर केन्द्रित होने चाहिये।

## 9.24 कार्यवृत्तों का गठन

9.24.1 पूर्व में वर्णित उद्देश्यों की सम्यक् प्राप्ति हेतु निम्न कार्य वृत्त गठित किये जाते हैं :

- 1 पारिस्थितिकी पुनरोद्धार एवं शस्य उत्पादकता कार्य वृत्त
- 2 भू एवं नमी संरक्षण एवं पुनर्वास कार्य वृत्त,
- 3 वनीकरण कार्य वृत्त,
- 4 साझा वन प्रबन्धन (अतिच्छादी) कार्य वृत्त,
- 5 पारिस्थितिकी पर्यटन (अतिच्छादी) कार्य वृत्त
- 6 गैर ईमारती वन उपज प्रबन्धन (अतिच्छादी) कार्य वृत्त,
- 7 वनबन्दोबस्त एवं सीमांकन (अतिच्छादी) कार्य वृत्त,
- 8 वन्य जीवन प्रबन्धन (अतिच्छादी) कार्य वृत्त,

## 9.25 कार्य आयोजना वृत्तों के गठन के कारण, वितरण एवं क्षेत्र:—

- 1 पारिस्थितिकी पुनरोद्धार एवं शस्य उत्पादकता कार्य वृत्त:— क्षेत्र जिनमें सागवान की पोल क्रोप का अच्छा स्टॉक एवं रूट स्टॉक, तेन्दु, रोन्ज, धौंक, धौंकडा, सालर स्टॉक की कुल मिलाकर 0.4 से अधिक घनत्व हो एवं जिनको उचित उपचार मिलने पर जिनमें बढ़ोतरी हो सके जिसमें सुरक्षा कार्य भी शामिल किया जा सकता है। राज्य सीमा से लगे वन क्षेत्र जहां कि सुरक्षा की विशेष समस्याएँ हैं को विशेषकर इस कार्यवृत्त में शामिल किया जावेगा।

- 2 **क्लीनिंग:**— वनों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए ऐसे क्षेत्रों में भू एवं नमी संरक्षण संरचनाओं के साथ-साथ वन वर्धन कार्य जैसे कटबैक, प्रुनिंग, सिंगलिंग, थिनिंग एवं दूसरे कार्य कराये जा सकते हैं इससे लाभान्वितों के लिए आर्थिक रूप से इसकी कीमत अधिक होगी । सुरक्षा से संबंधित विशेष समस्याओं एवं उनके उपायों के बारे में विश्लेषण किया जायेगा एवं ऐसे क्षेत्रों के लिए संस्करित किया जायेगा ।
- 3 वर्तमान परिस्थितियों में डूंगरपुर, सीमलवाडा, बिछीवाडा, आंतरी एवं आसपुर रेन्जों के वनखण्डों का लगभग 13952.602 हैक्टर क्षेत्र इस कार्य वृत में शामिल किया जा सकता है ।
- 4 **भू एवं नमी संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यवृत:**— निम्न गुणों वाले क्षेत्रों को इस कार्य वृत में शामिल किया गया है:—
- 5 0.4 से कम घनत्व वाले परिभ्रांषित एवं वृक्ष विहीन क्षेत्र जिनमें कि मिट्टी की गहराई ठीक-ठीक है एवं जिनमें की भूतकाल में वृक्षारोपण कराया जा चुका था लेकिन ज्यादा सफल नहीं है ।
- 6 0.4 से कम घनत्व वाले परिभ्रांषित एवं वृक्षविहीन क्षेत्र जो कि बड़े-बड़े बाँधों एवं जल संरक्षण संरचनाओं का कैचमेण्ट क्षेत्र बनाते हैं ।
- 7 ऐसे क्षेत्र जिनका उत्पादक क्षेत्रों में विकास करने से ग्रामीणों का आर्थिक उठाव हो सके को भी इस कार्य वृत में लिया जा सकता है । लगभग 23375.597 हैक्टर क्षेत्र को इस कार्यवृत में शामिल किया गया है ।
- 8 **वनीकरण कार्यवृत :-** 0.4 से कम घनत्व वाले परिभ्रांषित, वृक्षविहीन ऐसे क्षेत्र जिनमें की गहराई ठीक-ठीक है एवं वनीकरण से जिनको उत्पादक क्षेत्रों में विकसित किया जा सके को इस कार्य वृत में शामिल किया जा सकता है । लगभग 25052.094 हैक्टर क्षेत्र इस कार्यवृत में शामिल किया गया है ।
- 9 **साझा वन प्रबन्धन (अतिच्छादी) कार्य वृत:**— आज राष्ट्र की महती आवश्यकता है कि सभी स्तर पर कार्य करने से लेकर योजना बनाने तक एवं उसकी क्रियान्विति एवं उसके बाद संधारण तक एवं विदोहन अवस्था तक लाभान्वितों की सक्रिय भागीदारी ही केवल निरन्तर प्राप्तियों की सुनिश्चितता कर सकती है। इस कार्य वृत में सभी क्षेत्रों को लिया गया है। नियमों के अन्तर्गत इस संबंध में इस कार्यवृत में प्रावधान रखे गये हैं ।
- 10 **पारिस्थितिकीय पर्यटन (अतिच्छादी) कार्य वृत:**— ऐसे क्षेत्र जहां कि पर्यटकों के पारिस्थितिकीय, धार्मिक एवं मनोरंजन की दृष्टि से खिंचाव हो एवं निरन्तर पर्यटक

आते हों को इस कार्य वृत्त में शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों से वन एवं वन्य जीवन के बारे में चेतना, उनकी उपयोगिता एवं महत्व के बारे में जानकारी फैलेगी, इसके अतिरिक्त इनसे आय का अतिरिक्त स्रोत बनेगा ।

- 11 **गैर ईमारती वन उपज प्रबन्धन (अतिच्छादी) कार्य वृत्त:**— ऐसे वन क्षेत्र जहां पर कि गैर ईमारती वन उपज जैसे गोन्द, बीज, फुल, छाला, माइरोबैलान, वनौषधी उत्पाद आदि प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। जिनकी कि आर्थिक रूप से कीमत एवं उपयोग है को वैज्ञानिक प्रबन्धन के लिए इस कार्यवृत्त में शामिल किये गये हैं । इनमें उपयुक्त गैर ईमारती वन उपजों का संरक्षण एवं उत्पादन किया जायेगा । इस कार्य वृत्त की मुख्य धारण साझा वन प्रबन्ध की जड़ों को मजबूत करना है ।
- 12 **वन बन्दोबस्त एवं सीमांकन (अतिच्छादी) कार्य वृत्त :-** इस वृत्त में वन बन्दोबस्त सम्बंधी कार्य किया जाता है। कडाना एवं माही विस्थापितों को आंवटन वनखण्डों का सीमांकन का कार्य प्रमुखता से किया जाना है। शेष रहे बाउन्ड्री पिलर्स का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करना। तथा वनखण्डों के डीजीटाईज नक्शों तैयार करना इस वृत्त का प्रमुख उद्देश्य है।
- 13 **वन्य जीवन प्रबन्धन(अतिच्छादी) कार्य वृत्त:**— वानिकी परिस्थिती तंत्र में वन्य जीवों का एक अनगिनित योगदान है । यद्यपि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें कि विभिन्न प्रकार के वन्य जीव आवास कर सकते हैं । बड़े वन्य प्राणी इस वनमण्डल में नहीं पाये जाते हैं। इसका मुख्य कारण जैविक दबाव, बिखरी आबादी, लोगों एवं जानवरों का अत्यधिक आवाजाही एवं बड़े वनखण्डों का न होना है । गुजरात राज्य सीमा से कभी-कभी पैन्थर के विचरण की जानकारी है । बहुत कम संख्या में केवल लोमडी, जरख, जंगली बिल्लियां चीतल, चिंकारा, अजगर और छोटे-छोटे वन्य जीव पाये जाते हैं। जिले में बहुत कम संख्या में तालाब एवं पानी के स्रोत हैं जहां पर कि काफी मात्रा में पक्षी एवं जलीय जीव घाँसला बनाकर रहते हैं एवं प्रजनन करते हैं। जिले में ज्यादातर पक्षी सर्दी के दौरान दिखाई देते हैं । इनकी संख्या ओर बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ।
- 14 **कार्य आयोजना का सम्पूर्ण क्षेत्र कार्य वृत्तों वाईज एवं रेन्ज वाईज विभाजित किया गया है ।**

**9.25.1 वनखण्ड एवं कम्पार्टमेण्ट:**— किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होने के कारण वर्तमान में वनखण्डों एवं कम्पार्टमेण्ट की सीमाओं एवं नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है । संशोधित सीमाएं एवं कम्पार्टमेण्ट उन क्षेत्रों से बनाये जाने हैं जहां पर किन्हीं

कारणों से संशोधित भू-प्रबन्धन एवं सीमांकन की आवश्यकता है । अनसर्वेड एवं अवर्गीकृत वन खण्डों को कम्पार्टमेण्ट में विभाजित किया जायेगा । सभी वनखण्डों एवं कम्पार्टमेण्टों को 1:50000 स्केल की टोपोशीट पर स्पष्ट अंकित किया जायेगा । सम्पूर्ण कम्पार्टमेण्ट को एक ही प्रकार के कार्य वृत्त में रखा जायेगा न कि आंशिक ।

## **9.26 क्षेत्र आंवटन**

9.26.1 प्रत्येक कार्य वृत्त में आंवटित क्षेत्र निम्नानुसार है :

कार्य आयोजना डूंगरपुर (वर्किंग सर्कल विवरण) वर्ष 2012-13 से 2021-22

क्र.स.	नाम रेंज	पारिस्थितिकी एवं पुनरोद्धार		भू-संरक्षण एवं पुर्नवास		वनीकरण		योग	
		ब्लोक संख्या	क्षेत्रफल	ब्लोक संख्या	क्षेत्रफल	ब्लोक संख्या	क्षेत्रफल	ब्लोक संख्या	क्षेत्रफल
1	डूंगरपुर	3	5635.820	4	2569.140	11	2597.864	18	10802.824
2	बिच्छीवाड़ा	6	4683.014	5	3193.757	8	3696.029	19	11572.800
3	सागवाड़ा	—	—	4	4606.152	9	2319.880	13	6926.032
4	सीमलवाड़ा	3	2717.492	5	7562.948	6	2791.451	14	13071.891
5	आंतरी	1	196.792	6	3464.552	21	8353.440	28	12014.784
6	आसपुर	3	719.484	4	1979.048	22	5293.430	29	7991.962
			<b>13952.602</b>		<b>23375.597</b>		<b>25052.094</b>		<b>62380.293</b>

## 9.25 वन निधि मानचित्र

### **Forest Stock Maps**

9.25.1 वनखण्डों को प्राकृतिक रूपधेय (Feature) जैसे नदी, नाले, जिला सीमा, रिज, सडक, नहर आदि के आधार पर उपयुक्त संविभाग कक्षों में विभाजित कर समस्त सीमाओं को 1:50000 की सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट पर अंकित किया गया है। इन जी0टी0 शीटो पर विभिन्न प्रकार के कलर से प्रजाति एवं खाली क्षेत्रों को दर्शाया गया है।

## 9.26 कार्य आयोजना की अवधि

### **Period of Working Plan**

9.26.1 इस कार्य आयोजना अवधि 2012-13 से 2021-22 निर्धारित की गई है।

### **अन्तरिम पुनरावलोकन की आवश्यकता**

#### **Need for interim review**

इस कार्य आयोजना का मध्यावर्ती पुनरावलोकन पाँच वर्ष बाद किया जाना उचित होगा।



## अध्याय 10

### वृक्षारोपण कार्य वृत्त

### Plantation Working Circle

#### 10.1 सामान्य संरचना

10.1.1 इस श्रेणी में निम्न वन संवृद्धि युक्त, रिक्त वन क्षेत्र तथा वृक्ष विहीन वन क्षेत्र सम्मिलित है जिनका वृक्षवितान धनत्व 0.4 या इससे भी कम है तथा इन क्षेत्रों में मूल स्कंध अत्यन्त कम अथवा न्यून है। तथा पूर्व के वृक्षारोपण क्षेत्र भी इस कार्य वृत्त में लिया गया है। इन क्षेत्रों में अग्रिम पौध और बीजांकुरण उत्पादन नगण्य है। जलाऊ लकड़ी हेतु कटान चराई का अत्याधिक भार है। अतः इन क्षेत्रों का उपयोग वृक्षारोपण, बीजारोपण, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य तथा आवश्यकता अनुरूप प्रतिकर्तन, कर्षण व अन्य संधारण कार्य कर चारे व जलाऊ लकड़ी के उत्पादन तथा परिभ्रांषित वन सम्पदा के संवर्धन हेतु किया जावेगा। इस वृत्त में सभी रेंजों का कुल 25052.094 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित किया गया है।

#### 10.2 सम्मिलित क्षेत्र

10.2.1 इस कार्य वृत्त में सम्मिलित कुल 25052.094 हेक्टेयर क्षेत्र का रेंजवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.स.	नाम रेंज	सम्मिलित वन खण्डों की संख्या	वास्तविक क्षेत्रफल
1	डूंगरपुर	11	2597.864
2	विष्ठीवाड़ा	8	3696.029
3	सागवाड़ा	9	2319.880

4	सीमलवाड़ा	6	2791.451
5	आंतरी	21	8353.440
6	आसपुर	22	5293.430
	योग:—	<b>77</b>	<b>25052.094</b>

10.2.3 उपरोक्त के अतिरिक्त वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत, गैर वानिकी प्रयोजनार्थ वन भूमि के विपथन की एवज में विभाग को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समय समय पर प्राप्त हुई तथा कार्य आयोजना अवधि में प्राप्त होने वाल समस्त भूमि का उपचार भी इस कार्य वृत्त में निर्धारित अनुसार ही किया जावेगा।

10.3 वनस्पति का सामान्य स्वरूप

10.3.1 क्षेत्र की वनस्पति का विस्तृत विवरण भाग के अध्याय 2 अ में दिया जा चुका है। सम्मिलित क्षेत्र लगभग वृक्षविहीन, तथा रिक्त है। मृदा अपक्षरित, कठोर एवं अनुपजाऊ है। क्षेत्र में कुमठा, गुरजन, धावड़ा, कलम, सादड़, ढाक आदि देखे जा सकते हैं। कुछ स्थानों पर विलायती बबूल, देशी बबूल अथवा रोंझ भी है। इन क्षेत्रों में जैविक दबाव अत्याधिक है। वनक्षेत्र पूर्णतया परिभ्रांषित है।

10.4 प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य :-

10.4.1 इन क्षेत्रों में वन प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य निम्न हैं :

- 1- वन क्षेत्र का संरक्षण एवं शस्य की दषा व संरचना में सुधार ।
- 2- परिभ्रांषित क्षेत्रों को और अधिक परिभ्रांषित होने से बचाना।
- 3- परिभ्रांषित व रिक्त क्षेत्रों को वृक्षारोपण व बीजारोपण कर सस्य का बढ़ाना
- 4- जलाषयों व बांधो का साद एकत्रिकरण से बचाव ।

- 5- मृदा को वनस्पति आवरण से आच्छादित कर नमी की मात्रा को बढ़ाना तथा भूमिगत जल में वृद्धि करना ।
- 6- अधिकाधिक जल व चारे की आपूर्ति कर सूखे की स्थिति की रोकथाम करना ।
- 7- स्थानीय लोगों की वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं की पूर्ति करना ।
- 8- उपलब्ध मूल संकंधों को वन संवर्द्धनिक क्रियाओं की सहायता से उपचारित कर रिक्त स्थानों को पुनःभण्डारित करना ।

#### 10.5 आवंटित वनखण्ड व संविभाग कक्ष

10.5.1 इस प्रबन्धन कार्य वृत्त में निम्न संविभाग कक्षों को सम्मिलित किया गया है :

#### कार्यवृत्त में आवंटित वनखण्ड एवं संविभाग विवरण

क्र. सं.	रेंज	वनखण्ड	वनीकरण प्रबंधन वृत्त	
			संविभाग संख्या	वास्तविक क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
1	डूंगरपुर	छैला खेरवाडा	1	132.296
			<b>1</b>	<b>132.296</b>
2		बीड रामपुर	1	199.1
			<b>1</b>	<b>199.100</b>
3		खैरिया मंगरा	1	24.240
			<b>1</b>	<b>24.240</b>
4		मंगरा मालन	1	90.040
			<b>1</b>	<b>90.040</b>
5		गंगेश्वर महादेव	1	0.448

			<b>1</b>	<b>0.448</b>
6		राताघाटा	1	135.5
			2	137.5
			<b>2</b>	<b>273.000</b>
7		रानीझूला	8	200.0
			9	240.0
			10	230.0
			19	250.8
			<b>4</b>	<b>920.796</b>
8		रातापानी	4	250.0
			<b>1</b>	<b>250.000</b>
9		करमेला	1	50.4
			<b>1</b>	<b>50.400</b>
10		राजधानी	1	368.10
			2	158.7
			<b>2</b>	<b>526.800</b>
11		गुमानपुरा	1	25.744
			<b>1</b>	<b>25.744</b>
12		बलवाडा	1	105.000
			<b>1</b>	<b>105.000</b>
13	बिछीवाडा	रतनपुर	1	305.00
			2	75.00
			4	155.00
			5	290.599
			<b>4</b>	<b>825.599</b>

14		चुलरवैया	1	92.5
			2	112.5
			3	185.0
			4	92.5
			6	156.60
			<b>5</b>	<b>639.100</b>
15		करियामंगरा	1	67.6
			<b>1</b>	<b>67.6</b>
16		माकरेडा	1	250.0
			<b>1</b>	<b>250.0</b>
17		पीपललेख	1A	240.0
			1B	200.0
			3	200.0
			4	100.5
			5	115.0
			6A	115.0
			6B	135.0
			<b>7</b>	<b>1105.500</b>
18		पावा	1	120.0
			2	120.0
			3	147.5
			4	95.0
			5	147.5
			<b>5</b>	<b>630.0</b>
19		देवल आमझरा उर्फ साबली	1	132.0

			<b>1</b>	<b>132.0</b>
20		कैलाश रेंज	1	46.230
			<b>1</b>	<b>46.230</b>
21		कांठल बी	1	127.360
			<b>1</b>	<b>127.360</b>
22		कांठल सी	1	45.120
			<b>1</b>	<b>45.120</b>
23		मेहतों का पाडला ए	1	37.5
			2	37.5
			3	38.4
			<b>3</b>	<b>113.432</b>
24		मेहतों का पाडला बी	1	104.256
			<b>1</b>	<b>104.256</b>
25		ओड पाडवा	1	259.408
			<b>1</b>	<b>259.408</b>
26		जोतलेश्वर महादेव	1	54.568
			<b>1</b>	<b>54.568</b>
27		सुन्दरपुर	1	113.0
			<b>1</b>	<b>113.0</b>
28		घाटामाविता	1	548.4
			2	548.4
			3	118.256
			<b>3</b>	<b>1215.056</b>
29		बोडा मंगरा डामरिया	1	287.680
			<b>1</b>	<b>287.680</b>

30	सीमलवाडा	चारवाडा	10	125.0
			11	87.5
			12	145.0
			13	162.5
			<b>4</b>	<b>520</b>
31		गराडा	1	100.0
			2	150.0
			3	162.50
			4	63.50
			<b>4</b>	<b>476.0</b>
32		कालिया दरा ए,बी,सी	1	190.624
			<b>1</b>	<b>190.624</b>
33		मोदरा महुडी	1	135.00
			2	202.50
			3	182.50
			4	100.30
			<b>4</b>	<b>620.3</b>
34		शिशोट ए, बी	1	225.00
			2	227.50
			3	175.00
			4	325.00
			<b>4</b>	<b>952.50</b>
35		माला खोलडा	1	32.027
			<b>1</b>	<b>32.027</b>
36	आंतरी	आंतरी	1	303.0

			2	476.5
			3	303.0
			4	474.708
			5	250.0
			<b>5</b>	<b>1807.208</b>
37		मंगरा हिंडोलिया	1	22.792
			<b>1</b>	<b>22.792</b>
38		घटखाना	1	200.0
			2	162.0
			<b>2</b>	<b>362.000</b>
39		घोडचा	1	244.2
			2	125.0
			3	125.0
			4	125.0
			5	112.5
			6	175.0
			7	166.5
			<b>7</b>	<b>1073.152</b>
40		मंगरा विराट	1	133.232
			<b>1</b>	<b>133.232</b>
41		भेडमाता	1	324.84
			<b>1</b>	<b>324.84</b>
42		वैयोडा	1	162.5
			2	137.5
			3	100.0



			4	190.0
			5	125.0
			<b>5</b>	<b>715.0</b>
43		सत्तामंगरा ए	1	72.200
			2	140.200
			<b>2</b>	<b>212.4</b>
44		सत्तामंगरा बी	1	197.824
			<b>1</b>	<b>197.824</b>
45		आडामाल	3	202.2
			4	167.008
			<b>2</b>	<b>369.208</b>
46		नारामंगरा	1	132.50
			2	122.50
			<b>2</b>	<b>255.00</b>
47		नाल बुचडिया	1	71.300
			2	215.244
			<b>2</b>	<b>286.544</b>
48		मृगतालाब	4	89.500
			5	141.500
			6	260.300
			7	142.004
			<b>4</b>	<b>633.304</b>
49		पगारा ए	1	319.752
			<b>1</b>	<b>319.752</b>
50		पगारा बी	1	198.064

			<b>1</b>	<b>198.064</b>
51		मंगरा झेलुआ	1	115.300
			2	172.236
			<b>2</b>	<b>287.536</b>
52		बीड लालगिरी	1	128.376
			<b>1</b>	<b>128.376</b>
53		कुंजैला	1	90.000
			2	110.000
			3	180.000
			4	160.000
			5	240.000
			<b>5</b>	<b>780.0</b>
54		पगारा सी	1	70.52
			<b>1</b>	<b>70.52</b>
55		पगारा डी	1	25.696
			<b>1</b>	<b>25.696</b>
56		फलौज	1	150.992
			<b>1</b>	<b>150.992</b>
57	आसपुर	जसपुर खेरमाल ए	1	701.688
			<b>1</b>	<b>701.688</b>
58		जसपुर खेरमाल बी	1	200.504
			<b>1</b>	<b>200.504</b>
59		खेडा सामोर ए	1	285.000
			<b>1</b>	<b>285.000</b>
60		खेडा सामोर बी	1	147.816

			1	147.816
61		देवला वागदरी ए	1	275.952
			1	<b>275.952</b>
62		गणेशपुर	1	181.100
			1	<b>181.100</b>
63		कतिसौर (काबजा)	1	33.312
			1	<b>33.312</b>
64		देवला वागदरी बी	1	331.496
			1	<b>331.496</b>
65		क्यावडी	1	74.960
			1	<b>74.960</b>
66		भाटोली की कांट	1	68.360
			1	<b>68.360</b>
67		नांदली दाद	1	167.250
			2	108.206
			2	<b>275.456</b>
68		नांदली अहाडा	1	32.592
			1	<b>32.592</b>
69		लोडावल ए	1	165.672
			1	<b>165.672</b>
70		लोडावल बी	1	236.016
			1	<b>236.016</b>
71		फलिहोर	1	200.0
			2	150.0
			3	138.0

			4	110.5
			5	145.0
			6	175.0
			<b>6</b>	<b>918.500</b>
72		रीछा मंगरा	1	20.800
			<b>1</b>	<b>20.800</b>
73		बिलुडा	1	37.888
			<b>1</b>	<b>37.888</b>
74		सुलिया बेणका	1	87.50
			2	162.50
			3	254.90
			4	147.50
			5	150.00
			<b>5</b>	<b>802.40</b>
75		बेडा बेडी	3	67.31
			<b>1</b>	<b>67.312</b>
76		खेडा सामोर सी	1	374.056
			<b>1</b>	<b>374.056</b>
77		घाणी दूढा	1	60.000
			<b>1</b>	<b>60.000</b>
78		भाडगा	1	2.550
			<b>1</b>	<b>2.550</b>
			<b>152</b>	<b>25052.094</b>

## 10.6 सस्य का विप्लेषण व मूल्यांकन

### 10.6.1 सन्निधि मानचित्र

पूर्ववर्ती कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा बनाये गये सन्निधि मानचित्रों एवं वन खण्ड के नक्शों को कम्प्यूटर द्वारा नवीनतम उपलब्ध तकनीक का उपयोग करते हुये डिजिटार्इज्ड कर 1:50000 की शीट पर वन खण्डों का अंकन किया जाना है ।

### 10.6.2 गुणता श्रेणी

इस कार्य वृत्त में सम्मिलित क्षेत्र वस्तुतः रिक्त एवं वृक्ष विहीन है। अतः गुणता श्रेणी बताना संभव नहीं है।

### 10.6.3 घनत्व

इस कार्य वृत्त में सम्मिलित क्षेत्रों का औसत घनत्व लगभग शून्य है । मात्र कुछ चप्पों में घनत्व 0.1 से 0.3 तक है।

### 10.6.4 पुनरोत्पादन

अत्याधिक जैविक दबाव के कारण इस वृत्त के क्षेत्रों में प्राकृतिक पुनरोत्पादन नगण्य है।

### 10.6.5 प्रगणना

कार्य आयोजना में प्रगणना की आवश्यकता नहीं है।

### 10.6.6 आयु वर्ग

क्षेत्र अधिकांशतः वृक्षविहीन है । आयुवर्ग अपेक्षित नहीं है।

### 10.6.7 वार्षिक प्राप्ति

इस कार्य वृत्त में पातन कार्य प्रस्तावित नहीं होने से वार्षिक प्राप्ति अंकित करना अपेक्षित नहीं है।

#### 10.6.8 पातन श्रेणी

क्षेत्र में कोई पातन या विदोहन प्रस्तावित नहीं है ।

#### 10.6.9 पातन विधि

कोई पातन कार्य प्रस्तावित नहीं है ।

#### 10.6.10 पातन चक्र का आवर्तन

पातन प्रस्तावित नहीं होने के कारण पातन चक्र एवं उसका आवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

#### 10.6.11 वन संवर्द्धनिक प्रणाली

क्षेत्र के सही संरक्षण हेतु तथा विषिष्ट उद्देश्यों की सफल प्राप्ति हेतु क्षेत्र में क्लोजर बनाये जाकर प्रभावी सुरक्षा तथा सस्य में सुधार किया जावेगा । क्षेत्र का प्रबन्धन वृक्षारोपण प्रणाली के अनुसार किया जावेगा । इस प्रणाली के अंतर्गत मुख्यतः सघन वृक्षारोपण, बीजारोपण तथा व्यापक मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं के माध्यम से क्षेत्र के वानस्पतिक आवरण में वृद्धि की जावेगी । क्षेत्र में बिखरे रूप में उपलब्ध सभी टेढ़े मेढ़े, विकृत, वृक्षों को विधि अनुसार काटकर कॉपिस किया जावेगा ।

#### 10.6.12 प्राप्ति का नियंत्रण

चूंकि पातन प्रस्तावित नहीं है अतः प्राप्ति पर नियंत्रण हेतु नियम अपेक्षित नहीं है ।

#### 10.6.13 वार्षिक क्रियान्वयन योजना

इस प्रबन्धन वृत्त में कुल 25052.094 हैक्टेयर वन क्षेत्र है । कार्य आयोजना अवधि में लक्ष्य प्राप्ति हेतु लगभग 8400 हैक्टेयर क्षेत्र में उपचार किया जाना प्रस्तावित है । प्रत्येक वर्ष कम से कम 840 हैक्टर वन क्षेत्र का उपचार करना प्रस्तावित है ।

#### 10.6.14 पुनर्जनन अवधि

उपचारार्थ लिये गये क्लोजर्स में पुनर्जनन अवधि 10 वर्ष रहेगी ।

### 10.6.15 कार्यकारी अभिकरण

समस्त कार्य विभागीय निर्देशन में ही सम्पादित किये जावेगे।

### 10.7 उपचार विधि

इस कार्य वृत्त में सम्मिलित क्षेत्रों को प्रबन्धन के विषिष्ट उद्देश्यों की सम्यक् प्राप्ति हेतु निम्नांकित अनुसार उपचारित किया जावेगा :

#### 10.7.1 क्षेत्र का चयन

जिले में अनेक बड़े वनखण्डों अथवा अनेक वनखण्डों के बड़े भाग जो पूर्णतया वृक्षविहीन हो उनमें से लगभग 50 हैक्टयर इकाई के क्षेत्र को उपचारार्थ लिया जाकर वृक्षारोपण व अन्य भू-संरक्षण एवं जल-संरक्षण के कार्यों को सम्पादित किया जावेगा। इकाई का क्षेत्र सुविधा अनुसार एवं मौके की परिस्थिति अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है।

#### 10.7.2 मानचित्र

चयनित क्षेत्र के उपयुक्त पैमाने पर निम्न मानचित्र तैयार किये जावे :

मृदा, जलप्रवाह एवं भूसतह मानचित्र : इस मानचित्र में क्षेत्र की मृदा की किस्म, बनावट व विस्तार आदि को अंकित किया जावेगा। इसी मानचित्र में चयनित क्षेत्र में नदी, नालों की स्थिति को दर्शाते हुए जलप्रवाह का स्थिति को अंकित किया जावे।

प्रशासनिक मानचित्र : इस मानचित्र में चयनित क्षेत्र की स्थिति, आस पास स्थित ग्रामों व क्षेत्रों का विवरण, जैविक दबाव संबंधी जानकारी, प्रमुख सडक, नहर व अन्य आकृति या रूपक अंकित किये जावेंगे। चयनित क्षेत्र को विकसित व प्रबन्धित करने के लिये यदि किसी प्रकार विभक्त किया जाता है तो उन क्षेत्रों को भी इस मानचित्र पर अंकित किया जावेगा।

उपचार मानचित्र : मृदा, भू सतह, जल प्रवाह, वर्तमान वनस्पति, ग्राम के सूक्ष्म नियोजन से प्राप्त जानकारी, तथा वैज्ञानिक प्रबन्धन तकनीक के ज्ञान को सम्मिलित कर विषिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावित उपचार के प्रमुख तथ्यों को इस मानचित्र में अंकित किया जावेगा । मुख्यतः इस मानचित्र में उपचार हेतु वृक्षारोपण व बीजारोपण कार्य, भू जल संरक्षण कार्य के स्थान व प्रकृति, निरीक्षण पथ आदि अंकित किये जावेगे ।

## 10.8 उपचार विनियम

10.8.1 कार्य वृत्त में सम्मिलित समस्त क्षेत्र का उपचार निम्नानुसार किया जावेगा :

- 1- चयनित क्षेत्र में आगे वर्णित विधि के अनुसार वृक्षारोपण एवं वनीकरण का कार्य किया जावेगा ।
- 2- क्षेत्र में उपलब्ध प्रमुख प्रजातियों के, विशेषकर सागवान तथा ढाक के , समस्त मृत, मृतप्रायः, रोगी, टेढ़े मेढ़े, विकृत वृक्षों का प्रतिकर्तन किया जावेगा ।
- 3- अवैध कटान से प्रभावित समस्त टूटों व स्कन्धों को विधिवत् कॉपिस किया जावेगा । समस्त काटे हुए टूटों को तराष कर प्रतिसाधित किया जावेगा ।
- 4- कॉपिस एवं प्रतिकर्तन कार्य करने के एक वर्ष बाद माह अक्टूबर से मार्च की अवधि में, स्थूल स्कंध से उपजे अनेक प्ररोहों में से सबसे सीधे व स्वस्थ दो प्ररोहों को प्रतिधारित करते हुए शेष को हटाया जावेगा ।
- 5- दो वर्ष बाद माह अक्टूबर से मार्च की अवधि में, प्रतिधारित दो स्थूल प्ररोहों में से सबसे बड़े, स्वस्थ व सीधे प्ररोह को प्रतिधारित कर अन्य को हटाया जावेगा ।
- 6- कृत्रिम अथवा प्राकृतिक पुनरोत्पादन को प्रोत्साहित व स्थापित करने हेतु उनकी वृद्धि में बाधक कड़ा, दूधी, ज्यूलीफलोरा आदि झाड़ियों को समूल हटाया जावेगा ।



- 7- समस्त क्षेत्र में सतही भू स्थलाकृति व जलप्रवाह के अनुसार समुचित मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य किये जावेंगे। संरचनाओं के निर्माण से संबंधित आवश्यक विनियम भू जल संरक्षण एवं पुर्नवास कार्य वृत्त के अध्याय में वर्णित है।
- 8- बांस का उपचार लघु वन उपज कार्य वृत्त के अध्याय में वर्णित अनुसार किया जावेगा।
- 9- नदी, नाले, व जलप्रवाह मार्गों के दोनों किनारे में कटाव व भू क्षरण को रोकने के लिये आवश्यक संरचनाएं बनाई जावेगी। अधिक ढलानयुक्त भूमि पर मृदा कार्य वाली, मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएं नहीं बनाई जावेगी। ऐसे क्षेत्र में गेबियन संरचना, पत्थरों की सूखी चिनाई से निर्मित संरचना अथवा पक्की संरचना को ही प्राथमिकता दी जावेगी।
- 10- किनारों पर खुले, अच्छी जल निकासी वाले व अच्छी मृदायुक्त स्थानों पर बांस को राईजोम द्वारा रोपित किया जावेगा। इससे मृदा संरक्षण में सहायता मिलेगी।

## 10.9 कृत्रिम पुनरोत्पादन व वनीकरण कार्य

10.9.1 विभाग द्वारा विगत तीन दशकों से बड़े पैमाने पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उपचारार्थ वृक्षारोपण, बीजारोपण आदि करवाये जा रहे हैं। कृत्रिम पुनरोत्पादन से संबंधित विभिन्न तकनीकी बिन्दुओं पर समग्र ज्ञान व अनुभव उपलब्ध है। अतः कृत्रिम पुनरोत्पादन के संबन्ध में मात्र उन बिन्दुओं पर ही विवेचना की गई है जोकि जिले के वनक्षेत्र के सही प्रबन्धन के लिये विशेष एवं महत्त्वपूर्ण हैं।

वनक्षेत्र के समुचित प्रबन्धन एवं विकास हेतु कृत्रिम पुनरोत्पादन तकनीकों की सहायता से विभिन्न प्रकार की वन भूमि को उपचारित करते समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जावेगा:

### 10.9.2 बाड़ बन्दी

जिले में रिक्त एवं वृक्षविहीन क्षेत्रों की दशा एवं उनपर पड़ रहे जैविक दबाव को ध्यान में रखते हुए सफल उपचार व पुनर्वासन हेतु चयनित खण्ड क्षेत्र ईकाई में बाड़बन्दी निम्नानुसार की जावे:

- 1- क्षेत्र को स्थानीय पत्थर की सूखी चिनाई से निर्मित कम से कम 1.20 मीटर ऊंची दीवार अथवा 1.20 मीटर गहरी खाई से, प्रतिबन्धित किया जावे।
- 2- जिन स्थानों पर पत्थर की उपलब्धता सीमित हो अथवा अनउपलब्धता के कारण, सामान्यतः वृक्षविहीन क्षेत्रों में खाई फेन्सिंग की जाती है। देखने में आया है कि मृदा की कठोरता व कठिन परिस्थितियों के कारण मानवीय श्रम से निर्मित खाई अनेक स्थानों पर अल्प समय में ही भर जाने के कारण क्षेत्र सुरक्षित नहीं रह पाता है। ऐसी परिस्थिति में क्षेत्र की प्रभावी सुरक्षा हेतु खाई निर्माण का कार्य वर्तमान में उपलब्ध यांत्रिक उपकरण यथा जे0सी0बी0 जैसी मशीनों से किया जावे । मशीनों द्वारा खुदी हुई खाई के प्रतिसाधन का कार्य मानवीय श्रम से किया जा सकता है। अतिक्रमित क्षेत्र को विभागीय संरक्षण में लेकर वृक्षारोपण करने तथा सुरक्षित करने हेतु भी इस प्रकार यांत्रिक उपकरणों के सहायोग से बाड़बन्दी की जा सकती है । नरेगा (एन0आर0इ0जी0एस0) के अन्तर्गत मशीनरी उपयोगों के नियमों की पालना किया जाना भी वाँच्छनीय है।
- 3- दीवार के बाहर की ओर नियमित अंतराल में तथा खाई के टीले पर अन्दर और बाहर की ओर की पंक्ति में नियमित अंतराल में कटकरंज, थोर, रतनजोत अथवा अन्य अचर कटीले प्रजाति के बीज रोपित किये जावे । कटकरंज, अत्यंत कंटीला, सघन व चराई रोधी होने के कारण बाड़बन्दी के लिये अत्यंत उपयुक्त है। इससे दीवार और खाई से प्रदान सुरक्षा और अधिक प्रभावी होगी। साथ ही कटकरंज के बीज जोकि औषधीय है, समिति के लिये आय का साधन बनेगे।

- 4- खाई पर रोपित बीजों की कतार के मध्य में द्वितीय वर्ष में ट्रेंच पर कंटीले प्रजाति के बीज लगाये जायेंगे। और चौड़ी पत्ती के जैसे, खिरनी, आम, महुआ, बहेडा, नीम आदि प्रजातियों के प्रिजर्मीनेटेड पौधे 2x2 मीटर के अन्तराल में लगाये जायेंगे
- 5- उपरोक्त वर्णित बाड़बन्दी के अन्दर, बाड़बन्दी के समानान्तर, कम से कम दो पंक्तियों में 45 सेमी X 45 सेमी की ट्रेंच, 5 मी के अंतराल पर खोदकर, इनके टीले पर भी उपरोक्तानुसार कटकरंज, खैर, कुमठा, रतनजोत आदि के बीज प्रचुरता से लगाये जावे।

### 10.9.3 अग्रिम मृदा कार्य

इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये निर्देशों की प्रभावी पालना की जावे। इस हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जावे :

- 1- तीव्र व खड़ी ढलान वाले किसी भी पहाड़ी अथवा नाला या जलप्रवाह मार्ग के किनारे वाले क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य नहीं किया जावे।
- 2- प्रतिवर्ष वर्षा प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त प्रकार के अग्रिम मृदा कार्य अनिवार्यतः पूर्ण कर लिये जावें।
- 3- 30 सेमी से कम गहराई वाली मृदा युक्त स्थानों पर समोच्च ट्रेंच व वृक्षारोपण हेतु खड्डे नहीं खोदे जावे। ऐसे स्थानों में 15 सेमी गहरी समोच्च खतिका बनाकर घास के बीज छिड़के जावे अथवा नोचिंग पद्धति से ढाक, बेर, नीम आदि प्रजातियों का बीजारोपण किया जावे। घास के गुच्छे भी रोपित किये जा सकते हैं।
- 4- 30 सेमी से अधिक गहराई वाली मृदायुक्त स्थानों समोच्च ट्रेंच व वृक्षारोपण हेतु खड्डे किये जावे। ढलान के अनुसार समोच्च ट्रेंच की आपसी दूरी तथा खड्डों के अभिन्यास निश्चित किये जावे।

- 5- समतल व कम ढलान वाली भूमि सतह पर समोच्च वी डिच का निर्माण किया जावे।
- 6- अधिकाधिक जल संचय हेतु खड्डों को सांतर खोदा जावे जिससे उपर के थावलों से बचा जल निचले थावलो में एकत्रित हो जावे।

#### 10.9.4 मृदा का उपचार

रोपित पौधों की उपयुक्त वृद्धि हेतु समोच्च ट्रेंच व वी डिच के टीले की मृदा में तथा खड्डों की मृदा को पौधारोपण व बीजारोपण से पूर्व आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक जैसे डी ए पी, एस एस पी अथवा वर्मीकम्पोस्ट और जिप्सम को समुचित मात्रा में मिश्रित कर उपचारित अवष्य किया जावे। मृदा में दीमक या अन्य कीट पाये जाने पर उनके निवारण हेतु दवाई का उपयोग किया जावे। पौधारोपण के बाद, हल्की वर्षा के समय, निंदाई के बाद, थोड़ी मात्रा में यूरिया देकर पौधे को सहायता प्रदान की जावे।

#### 10.9.5 मृदा एवं जल संरक्षण कार्य

इस संबंध में विस्तार से विवेचना मृदा एवं जल संरक्षण तथा पुनर्वास कार्य वृत्त में किया गया है। व्यापक तौर पर विभागीय निर्देश भी उपलब्ध हैं। तदानुसार कार्य किया जावे। जहां पत्थरों की उपलब्धता सीमित हो वहां मृदा से निर्मित अथवा वानस्पतिक संरचनाओं को प्राथमिकता दी जावे।

#### 10.9.6 वृक्षारोपण कार्य

इस संबंध में व्यापक तौर पर विभागीय निर्देश जारी किये गये है। निर्देशों की प्रभावी पालना की जावे। इस हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जावे :

- 1- स्थाई अथवा अस्थायी पौधशाला में तैयार पौधों को प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलित करने के लिये पौधों को वृक्षारोपण स्थल पर उपयुक्त छाया व पानी की व्यवस्था के

साथ स्थानान्तरित किया जावे । इस स्थान पर पौधों को धीरे धीरे छाया व पानी की उपलब्धता को कम करते हुए परिस्थिति के अनुकूल पनपने के लिये कठोर बनाया जावे ।

- 2- प्रथम वर्षा के साथ ही अभियान स्वरूप कार्य कर, समस्त पौधे निर्धारित उपयुक्त स्थान पर रोपित कर दिये जावें ।

### 10.9.7 वृक्षारोपण हेतु प्रजाति का चयन

जिले में वनक्षेत्र की परिस्थिति विशेष के अनुसार निर्धारित उपचार विधि व उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों के चयन में विभागीय निर्देशों की पालना के साथ निम्न बिन्दुओं का भी विशेष ध्यान रखा जावे :

- 1- नदी, नाले व जलप्रवाह मार्गों के किनारे के क्षेत्र में जामुन, आम, शीषम, करंज, अर्जुन, बांस, कलम आदि को लगाया जावे ।
- 2- समस्त कार्य वृत्तों में मृदा एवं जल संरक्षण तथा पुनर्वास कार्यवृत्त के क्षेत्र में वनों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध प्रजातियों को ही रोपित किया जावेगा। इस हेतु निम्नानुसार प्रजातियों का चयन किया जावेगा :

क्र.सं.	क्षेत्र का विवरण	प्रजातियों के नाम
1	पथरीले स्थान, तीव्र ढलान, कम मृदायुक्त पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्र	वृक्षारोपण नहीं किया जावेगा। बीजारोपण से उपचार किया जावेगा। कन्दूर डायिक्स में नीम, चुरेल, कुमठा तथा रोंझ इत्यादि का बीजारोपण। मृदा होने पर प्रिजर्मीनेटेड पौधे(चौडी पत्ती वाली प्रजाति) 2 मीटर के अन्तराल पर लगाये जावें।

2	पहाड़ों के निचले ढालों पर, कम मृदायुक्त तरंगवत अथवा समतल भूमि पर	आंवला, नीम, बेर, खैर, बेलपत्र आदि एवं चुरैल एवं करंज
3	निचले हिस्से में जहां मृदा अच्छी व गहरी हो	बहेड़ा, आवंला, महुआ, बांस, सादड़, बेलपत्र आदि

3- आबादी के समीप के सीमान्त वनक्षेत्र में स्थानीय ग्रामवासियों की दैनिक वास्तविक ईंधन, जलाऊ लकड़ी, चारा व छोटी लकड़ी की आवश्यकता व मांग की पूर्ति करने में सक्षम प्रजातियों को प्राथमिकता पर लगाया जावेगा। इन क्षेत्रों में लगाई जाने वाली प्रजाति में निम्नलिखित गुण होने चाहिये :

- ✓ प्रजाति इतनी कठोर होनी चाहिये कि बिना सिंचाई के भी जीवित रह सके।
- ✓ प्रजाति चराई की क्षति से अधिक प्रभावित नहीं हो ।
- ✓ प्रजाति का आसानी से वर्धन किया जा सके।
- ✓ प्रजाति तीव्रता से बढ़ने वाली हो ।
- ✓ प्रजाति की स्थानीय मांग हो।

4- इन सीमान्त क्षेत्रों में निम्नानुसार प्रजातियों का चयन किया जाना उपयुक्त रहेगा:

क्र.स.	क्षेत्र का विवरण	प्रजातियों के नाम
1	पथरीले स्थान, तीव्र ढलान, कम मृदायुक्त पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्र	वृक्षारोपण नहीं किया जावेगा। बीजारोपण से उपचार किया जावेगा। जैसे रोझ, कुमठा इत्यादि
2	पहाड़ों के निचले ढालों पर, कम मृदायुक्त तरंगवत अथवा समतल भूमि पर	नीम, बेर, आवंला , अरडू , षीषम आदि
3	निचले हिस्से में जहां मृदा अच्छी	बहेड़ा, आवंला, महुआ , बांस, अरडू

व गहरी हो	बबूल, सूबबूल, करंज, बेर, आम, हवन, सफेदा आदि ।
-----------	---

प्रत्येक वृक्षारोपण क्षेत्र में उपर्युक्त प्रजातियों के अतिरिक्त कुछ वृक्ष बड़ पीपल गूलर व नीम के भी आवश्यक रूप से लगाये जाने चाहिये जिससे पक्षियों एवं अन्य जीवों के लिये भोजन व व आवास उपलब्ध हो सके तथा 20 प्रतिशत चौड़ी पत्ती के बड़े पौधे 6 फीट से 8 फीट तक के लगाये जाये इसका एक अप्रत्यक्ष लाभ यह भी होगा कि ये पक्षी तथा जीव जन्तु परागण तथा बीज विसर्जन में सहयोग कर वनों के प्रसार में सहायक सिद्ध होंगे। वृक्षारोपण क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों पर औषधीय पौधे नीमगीलोय, ताम्रवेल, शतावरी इत्यादी भी लगाया जावेगा जिससे की वृक्षारोपण के साथ औषधीय पौधों का भी संरक्षण किया जा सके।

#### 10.9.8 बीजारोपण हेतु प्रजातियों का चयन

जिले में वनक्षेत्र की परिस्थिति विशेष के अनुसार निर्धारित उपचार विधि व उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बीजारोपण हेतु विभागीय निर्देशों की पालना के साथ निम्न बिन्दुओं का भी विशेष ध्यान रखा जावे :

- 1- चयनित क्षेत्र की बाड़बन्दी पर दीवार के बाहर एवं खाई के टीले पर दोनों किनारों पर तथा समानान्तर ट्रेंचों पर पंक्तिबद्ध नियमित अंतराल में कटकरंज, कुमठा, रतनजोत के बीज लगाये जावे। सीमान्त क्षेत्र में विलायती बबूल व सूबबूल भी लगाये जा सकते हैं। एक वर्ष उपरान्त कटकरंज के पनप जाने पर बीच के स्थान में एवं खाई के टीले के उपर नीम, बेर, बहेड़ा जैसी प्रजातियों के बीज रोपित किये जावे।
- 2- कम मृदायुक्त पहाड़ी ढलान पर 15 सेमी गहरी समोच्च खतिका बनाकर घास के बीज छिड़के जावे अथवा नोचिंग पद्धति से ढाक, बेर, नीम, रोंझ, चुरैल, कुमठा आदि प्रजातियों का बीजारोपण किया जावे। घास के गुच्छे भी रोपित किये जा सकते हैं।

- 3- पथरीले क्षेत्र में जहां अग्रिम कार्य व वृक्षारोपण संभव नहीं है, वहां कम मृदा में पनपने वाली प्रजाति जैसे बड़, पीपल, खिरनी, बेलपत्र, सीताफल, नीम, चुरैल आदि के बीजों की, मिट्टी व खाद से बनी गोलियों का व्यापक छिड़काव वर्षा प्रारम्भ होने से पूर्व के काल में सामान्यतः माह जून के प्रथम व द्वितीय सप्ताह में कम से कम तीन वर्ष तक किया जावे।
- 4- मृदा एवं जल संरक्षण तथा पुनर्वास कार्यवृत्त के क्षेत्रों में समोच्च ट्रेन्च व वी डिच के टीले पर 2 मीटर के अन्तराल में पूर्व अंकुरित (Pre germinated) चौड़ी पत्तियों वाले पौधे यथा नीम, करंज, चुरैल, सीताफल, बीलपत्र, बहेड़ा, महुआ, अमलतास, कड़ाया आदि स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाये जाने उचित होंगे। कुमठा, रोंझ, खैर, बेर के बीज ऐसे बोये जावें कि एक मीटर के अन्तराल में कम से कम एक पौधा अंकुरण उपरान्त उपलब्ध हो सके तथा समोच्च ट्रेन्च व वी डिच के अन्दर बहेड़ा व ढाक के बीज रोपित किये जावे। मृदा की स्थिति व स्थानीय मांग के अनुसार धामण, सेवण, स्टाईलो हमाटा व करड घास के बीज समोच्च खातिका बनाकर छिड़काव किया जावे अथवा गुच्छों में घास पूर्ण क्षेत्र में लगाई जावे।
- 5- सीमान्त व आबादी के निकट के क्षेत्र में समोच्च ट्रेन्च व वी डिच के टीले पर रतनजोत, खैर, बेर, नीम, कुमठा, रोंझ सूबबूल, अरडू, तथा समोच्च ट्रेन्च व वी डिच के अन्दर बहेड़ा, ढाक, आम के बीज रोपित किये जावे। मृदा की स्थिति व स्थानीय मांग के अनुसार धामण, सेवण, स्टाईलो हमाटा व करड घास के बीज समोच्च खातिका बनाकर छिड़काव किया जावे अथवा गुच्छों में घास पूर्ण क्षेत्र में लगाई जावे।

#### 10.9.9 कृत्रिम पुनरोत्पादन की अन्य विधियां

जिले के वनों में पाये जाने वाली कुछ प्रजातियों का पौधारोपण व बीजारोपण के अलावा निम्न विधियों से भी कृत्रिम पुनरोत्पादन का प्रयास किया जा सकता है :



- 1- रूट-षूट कटिंग विधि : इस विधि में पौधाला में मातृक्यारी में तैयार पौधों को सामान्य पेन्सिल की मोटाई अर्जित करने पर, उसके उपरी भाग तथा जड़ों को काटकर रूट-षूट कटिंग तैयार की जाती है जिसे पोलीथीन थैलियों में और विकसित कर अथवा सीधे ही खड्डों में भी लगाया जा सकता है। विशेषकर सागवान, नीम, षीषम आदि को इस विधि से रोपित किया जा सकता है।
- 2- बीजोत्पत्तित प्राकृतिक पुनरोत्पादन को स्थानान्तरित कर : इस विधि में चयनित क्षेत्र अथवा उसके आस पास ही उपलब्ध बीजोत्पत्तित प्राकृतिक पुनरोत्पादन को मृदा सहित जड़ों को सुरक्षित रखते हुए क्षेत्र में सीधे ही रोपित किया जाता है। परन्तु यह कार्य प्राकृतिक पुनरोत्पादन की प्रारम्भिक अवस्था में ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। प्राकृतिक पुनरोत्पादन के अधिक बढ़ जाने पर इस विधि का प्रयोग करना वर्जित है।

#### 10.9.10 रोपित व बीजोत्पत्तित पौधों का संधारण

रोपित पौधों व बीजारोपण से उत्पन्न पौधों के संबंध में जारी विभागीय निर्देशों की पालना के साथ निम्न बिन्दुओं पर भी विशेष ध्यान दिया जावे :

- 1- रोपण के तत्काल बाद, रोपित पौधों के आस पास निर्देशानुसार वर्षाजल संचित करने हेतु अर्धचन्द्राकार थावला ढलान के लम्बवत् बनाया जावे।
- 2- थांवले पर स्थान विशेष के अनुसार ही बीज लगाये जावे।
- 3- पौधारोपण के बाद क्षेत्र की आवश्यकतानुसार के अनुसार प्रथम निंदाई शीघ्र की जावे। सर्दियों में वर्षा होने पर माह फरवरी में एक निंदाई और की जावे। द्वितीय वर्ष में कम से कम तीन, तृतीय व चतुर्थ वर्ष में दो तथा पंचम वर्ष में कम से कम एक बार निंदाई की जावे।
- 4- प्रथम व द्वितीय निंदाई के समय यदि कोई रोपित पौधा मृत पाया जाता है तो उसे अविलम्ब नवीन पौधे से बदला जावे।

- 5- वर्षा का दौर थमने पर, भूमि सतह की नमी जमीन में दो इंच तक नीचे उतरने की दशा में, नमी संरक्षण हेतु पौधों के आस पास गुड़ाई का कार्य आवश्यकता अनुसार किया जावे। द्वितीय व तृतीय निंदाई व माह फरवरी में की गई निंदाई के साथ ही गुड़ाई का कार्य किया जा सकता है। प्रथम वर्ष में तीन, द्वितीय से चतुर्थ वर्ष में दो बार गुड़ाई का कार्य किया जावे। मटकों से या अन्य विधि से पौधों की सिंचाई करने पर भी गुड़ाई का कार्य समय पर ही किया जावे।
- 6- अकाल पड़ने पर अथवा समय पर वर्षा नहीं होने पर अथवा अल्पवृष्टि होने पर, पौधों के मृदापिण्डों को पूर्ण भिगोकर खड्डों में गहरा रोपित किया जावे।
- 7- प्रथम निंदाई व द्वितीय निंदाई व प्रथम गुड़ाई के बाद रोपित पौधों का यूरिया उर्वरक की थोड़ी मात्रा दिया जाना पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। निंदाई से पूर्व उर्वरक कदापि नहीं दिया जावे। द्वितीय वर्ष में तथा तृतीय वर्ष में भी प्रथम निंदाई के बाद यूरिया की थोड़ी मात्रा दी जावे।
- 8- निंदाई गुड़ाई की क्रिया के दौरान अथवा अन्यथा भी, पौधों कीड़े लगने अथवा किसी रोग आदि के लक्षण दिखाई दे, तो निवारण के आवश्यक कदम उठाये जावे।
- 9- बाड़बन्दी तथा समोच्च ट्रेंच, वी डिच व समोच्च खतिका पर बीजोत्पत्तित रतनजोत, अरण्डी, नीम, ढाक, बेर, बहेड़ा आदि अन्य प्रजातियों के पौधों में एक वर्ष उपरान्त माह अक्टूबर से माह फरवरी की अवधि में अतिनजदीक छोटे पौधों को हटाकर, पौधों में आपसी अंतराल बढ़ाया जावे जिससे कि पौधे सही विकास कर सकें।

- 10- प्रथम वर्ष में माह जनवरी-फरवरी में क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण कर मृत पौधों का चिन्हित किया जावे तथा मृत पौधों के स्थानानुसार उपयुक्त प्रजाति के पौधों की तैयारी प्रारम्भ की जावे। आगामी वर्षा के आगमन के साथ ही मृत पौधों का बदलाव किया जावे।
- 11- एक वर्ष उपरान्त द्वितीय व तृतीय वर्ष में माह अक्टूबर से माह फरवरी की अवधि में पौधों पर विधि व आवश्यकता अनुसार विषाखन अथवा षाखकर्तन का कार्य किया जावे।
- 12- फलदार प्रजाति के पौधों पर उन्नत किस्म की पौध सामग्री की ग्राफिटिंग अथवा बडिंग का कार्य तकनीकी दक्षता उपलब्ध होने पर किया जा सकता है। ऐसे पौधों का संधारण उनके लिये स्थापित तकनीकी विधि की जानकारी कर तदानुसार किया जावे।

#### 10.9.11 पौध तैयारी

स्थाई अथवा अस्थाई पौधशाला में वृक्षारोपण हेतु पौध तैयारी के संबंध में जारी विभागीय निर्देशों व विभिन्न प्रजातियों के संबंध में उपलब्ध तकनीकी जानकारी की पालना करते हुए साथ निम्न बिन्दुओं का भी विशेष ध्यान रखा जावे :

- 1- पौध तैयारी के कार्य को योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार किया जावे कि रोपण के वक्त पौधों के कॉलर की मोटाई मध्यमा अंगुली से अधिक हो तथा पौधों की ऊंचाई कम से कम 45 सेमी हो। हाल के वर्षों में क्लस्टर योजना से कार्य करने तथा अनेक वर्षों की योजना एक साथ ही निर्धारित होने के कारण, अनेक वर्षों की पौध तैयारी की योजना बनाना आसान है। अग्रिम क्लोजर क्रिया विधि के कारण इसमें और अधिक सुविधा हो जाती है।

- 2- पौध तैयारी हेतु बीज अथवा अन्य पुनरोत्पादन सामग्री मातृ वृक्ष से प्राप्त हो अथवा प्रामाणिक हो।
- 3- बीजों को उनकी अधिकतम जीविष्णुता काल (Viability) में उपयुक्त वैज्ञानिक उपचारोपरान्त ही उपयोग लिया जावे। न उगने योग्य व पुराने बीजों का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे। यथासंभव, क्षेत्र से बीज एकत्रित कर उपयोग किया जाना लाभकारी है।
- 4- बीज बुवाई के बाद पॉलिथीन थैलियों में अंकुरित पौधों की सिंगलिंग (सामान्यतः अंकुरण के एक सप्ताह के अन्दर), खरपतवार की निंदाई (आवश्यकतानुसार, कम से कम माह में एक बार), थैलियों की पलटाई , बाहर निकली हुई जड़ों का कटान मय क्रमस्थापन (पौधों के 30 सेमी , 45 सेमी व बड़ा होने पर), सही समय पर किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 5- पौधशाला में झारे से पानी देना श्रेयस्कर है। 20 मई के बाद की अवधि में पौधों में पानी दिये जाने की आवृत्ति धीरे धीरे कम कर दी जावे।
- 6- वृक्षारोपण से अनुकूलन के लिये पौधों को वृक्षारोपण स्थल पर उपयुक्त छाया व पानी की व्यवस्था के साथ स्थानान्तरित किया जावे । इस स्थान पर पौधों को धीरे धीरे छाया व पानी की उपलब्धता को कम करते हुए परिस्थिति के अनुकूल बनाने के लिये कठोर बनाया जावे।
- 7- पौधशाला में अत्याधिक गर्मी से बचाव हेतु आवश्यक छाया-पानी का प्रबन्ध अनिवार्यतः होना चाहिये।
- 8- पौधशाला से वृक्षारोपण स्थल तक और फिर वृक्षारोपण क्षेत्र में संग्रहण स्थल से खड्डे तक पौधों के परिवहन को गंभीरता से लेते हुए यह सुनिश्चित किया जावे कि इस प्रक्रिया में पौधों का पिण्ड टूटने बिखरने न पाये और पौधों की जड़ को क्षति नहीं हो।

9- मातृ क्यारी में तैयार किये जा रहे स्कंधों में अंकुरण के बाद सप्ताह भर में अंतरालीकरण का ध्यान रखा जावे। इस क्यारी से रूट-शूट कटिंग निकालने में तथा पौधों को थैलियों में स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया में पूर्ण एवं पर्याप्त सावधानी बरती जावे।

#### 10.10 वृक्षारोपण कार्यक्रम

10.1 प्रत्येक चयनित क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम यथासंभव निम्नानुसार कार्यों को समाविष्ट करते हुए तैयार किया जावे :

0 वर्ष	अग्रिम कार्य	क्षेत्र का चयन, सूक्ष्म नियोजन, साझा वन प्रबन्धन हेतु समिति का गठन, उपचार योजना हेतु सर्वेक्षण, आंकड़ों का संग्रहण, उपचार योजना की तैयारी, तकनीकी अनुमान की तैयारी आदि बाडबन्दी, उपलब्ध वनस्पति का प्रतिकर्तन समस्त क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य (वर्षा से पूर्व), कटबैक आदि सहायक वन संवर्द्धनिक कार्य, तेन्दू व सालर पर कर्षण कार्य, मृदा उपचार कार्य, समस्त बीजारोपण कार्य, उपलब्ध प्राकृतिक पुनरोत्पादन के विकास हेतु संधारण कार्य, आंशिक अग्रिम खड्डा खुदाई कार्य (वर्षा के उपरान्त) आदि। प्राकृतिक पुनरोत्पादन के विकास हेतु संधारण कार्य, तेन्दू व सालर पर कर्षण कार्य
प्रथम वर्ष	वृक्षारोपण वर्ष	मृदा उपचार कार्य, बकाया समस्त खड्डा खुदाई कार्य (वर्षा से पूर्व), पौधारोपण कार्य, क्षेत्र की सुरक्षा व मृदा जल संरक्षण कार्य के कारण प्रस्फुटित मूल स्कंधों पर उपचार व सहायक वन संवर्द्धनिक कार्य, माउंड पर 2

		मीटर के अन्तराल में पूर्व अंकुरित (Pre germinated) चौड़ी पत्तियों वाले पौधे यथा नीम, करंज, चुरैल, सीताफल, बीलपत्र, बहेड़ा, महुआ, अमलतास, कड़ाया आदि स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाये जाने उचित होंगे। कुमठा, रोंझ, खैर, बेर के बीज ऐसे बोये जावें कि एक मीटर के अन्तराल में कम से कम एक पौधा अंकुरण उपरान्त उपलब्ध हो बाड़बन्दी पर नीम, बहेड़ा, ढाक आदि का बीजारोपण कार्य, अल्प अंकुरित बीजारोपण क्षेत्र में पुनः बीजारोपण कार्य तेन्दू व सालर पर कर्षण कार्य आदि
द्वितीय वर्ष	प्रथम वर्ष संधारण	मृत पौधों का बदलाव, पौधों का संधारण कार्य, बाड़बन्दी संधारण कार्य, बीजोत्पत्तित पौधों में अंतरालीकरण का कार्य, मूल स्कंधों पर उपचार व सहायक वन संवर्द्धनिक कार्य, तेन्दू व सालर पर कर्षण कार्य आदि
तृतीय वर्ष	द्वितीय वर्ष संधारण	पौधों का संधारण कार्य, बाड़बन्दी संधारण कार्य, बीजोत्पत्तित पौधों में अंतरालीकरण का कार्य, मूल स्कंधों पर उपचार व सहायक वन संवर्द्धनिक कार्य, तेन्दू व सालर पर कर्षण कार्य आदि
चतुर्थ वर्ष	तृतीय वर्ष संधारण	पौधारोपण की सुरक्षा का कार्य

#### 10.11 वन उपज चिह्नीकरण, विदोहन व निकासी के सामान्य नियम

10.11.1 क्षेत्र से से किसी भी प्रकार की वन उपज को हटाने, विदोहन करने एवं उसकी निकासी करने हेतु इस संबंध में पारिस्थितिकी पुनरोद्धार एवं शस्य उत्पादकता कार्यवृत्त अध्याय में निर्धारित नियमों की पालना की जावेगी।

10.12 विविध विनियम

#### 10.12.1 पूर्व के वृक्षारोपण व क्लोजर्स के संबंध में

कार्य वृत्त में सम्मिलित अधिकांश क्षेत्र में विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत वृक्षारोपण कार्य, क्लोजर निर्माण कार्य अथवा अकाल राहत आदि के अंतर्गत बाड़बन्दी कार्य कराये गये हैं। इन क्षेत्रों का उपरोक्त वर्णित उपचार विनियमों व विधि के अनुसार ही क्षेत्र में कार्य कराया जावेगा।

#### 10.12.2 वृक्षारोपण पंजिका का संधारण

प्रत्येक चयनित क्षेत्र हेतु विभागीय निर्देशों के अनुरूप पृथक वृक्षारोपण पंजिका का नियमित संधारण अनिवार्यतः किया जावे। इस पंजिका में आगे वर्णित क्षेत्र के विभिन्न प्राचलों के आंकलन व मूल्यांकन से प्राप्त आंकड़ें व विवेचना भी अंकित किया जावे।

#### 10.12.3 अतिक्रमित क्षेत्र

कार्य वृत्त में सम्मिलित क्षेत्र में अनेक स्थानों में वन सीमा पर पट्टी के रूप में नदी नालों व जलप्रवाह मार्गों के आस पास तथा वन क्षेत्र में छितरे व बिखरे हुए रूप में कृषि योग्य भूमि पर, छोटी छोटी जोत के आकार में वन क्षेत्र अतिक्रमित है। इन अतिक्रमणों को नियमानुसार बेदखल किया जाकर क्षेत्र को उसके वर्गीकरण के अनुसार उपचारित किया जावेगा।

#### 10.12.4 चराई

क्षेत्र में चराई पूर्ण वर्ष निषिद्ध रखी जावेगी। अवैध कटान व अन्य जैविक दबाव पर पूर्ण अंकुष रखा जावेगा।

### 10.12.5 घास कटाई व निकासी

क्षेत्र में स्थानीय उपयोग हेतु घास कटाई व निकासी का कार्य घास के बीज विसर्जन एवं बीज एकत्रीकरण के बाद ही किया जावेगा। घास चराई पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। क्लोजर के एक वर्ष बाद ही घास काटने व निकासी की स्वीकृति दी जावेगी।

### 10.12.6 अग्नि सुरक्षा

समस्त कार्यवृत्त को अग्नि से सुरक्षित रखा जावेगा। इस हेतु अग्नि रेखा पट्टी का निर्माण तथा रख रखाव किया जावेगा। अग्नि की घटनाओं पर निगरानी हेतु ग्रीष्म काल में विशेष व्यवस्था की जावेगी। पुनर्जनन क्षेत्र की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जावेगा।

### 10.12.7 अधिकार व रियायतें

क्षेत्र में व्याप्त समस्त अधिकार व रियायतों के अनुप्रयोग कार्य आयोजना में किये गये प्रावधानों के अधिनस्थ रहते हुए किये जावेंगे।

### 10.12.8 सूचना पट्ट

विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रत्येक क्लोजर में प्रमुख सुलभ स्थानों सुलभ दृश्य पटल लगाये जावेगे। अन्य के अतिरिक्त इन सूचना पट्टों पर, वनखण्ड व संविभाग कक्ष का विवरण, क्षेत्र में उपचार के लिये किये गये प्रावधान संक्षेप में, क्षेत्र में प्रतिबंधित कार्य, स्थानीय जनता से अपेक्षित सहयोग की अपील को विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किये जाने का प्रयास किया जावेगा।

### 10.12.9 निरीक्षण पथ

क्षेत्र में क्लोजर बनने व बाड़ बन्दी के साथ ही निगरानी , सुरक्षा व निरीक्षण हेतु निरीक्षण पथ का निर्माण इस प्रकार किया जावेगा कि समस्त क्षेत्र का अच्छी तरह



देखा जा सके । यह निरीक्षण पथ अग्नि सुरक्षा पट्टी का भी कार्य करेगा । अतः इसे वनस्पति रहित रखा जावेगा ।

### **10.13 वित्तीय पूर्वानुमान**

10.13.1 कार्य आयोजना अवधि में कुल 4200 हैक्टर वन क्षेत्र उपचार हेतु इस प्रबंधन वृत्त में लिया गया है। इस प्रबंधन वृत्त में 50 हैक्टर की युनिट ली जावेगी। राजस्थान वानिकी एंवस जैव विविधता परियोजना 2 के आर. डी. एफ.। (R.D.F.I) मोडल के अनुसार 50198 रू प्रति हैक्टर के अनुसार 8400 हैक्टर वनक्षेत्र को उपचार हेतु कुल प्रस्तावित व्यय रूपये 4216.63 लाख व्यय होना संभावित है।

## अध्याय 11

### भू-संरक्षण एवं पुनर्वास कार्य वृत्त

### Soil Conservation & Rehabilitation Working Circle

#### 11.1 कार्यवृत्त की सामान्य संरचना

11.1.1 इस प्रबन्धन वृत्त में बांधों व जलाशयों के जल संग्रहण क्षेत्र में आने वाले परिभ्रांषित वन क्षेत्रों तथा उन सभी पहाड़ियों तथा निचले इलाकों को सम्मिलित किया गया है जो निरन्तर कटाई, चराई व जैविक दबाव के फलस्वरूप परिभ्रांषित हो गये हैं और जिनका वृक्ष वितान घनत्व 0.4 से कम है परन्तु जिनमें पर्याप्त मूल स्कंध विद्यमान है। कम मृदायुक्त क्षेत्र, पहाड़ियां व पहाड़ी ढलान जहां मृदा की गहराई कम होने के कारण अथवा अन्यथा वृक्षारोपण संभव नहीं है, को भी इस कार्य वृत्त में उपचारार्थ सम्मिलित किया गया है। इस वृत्त में सभी रेंजों का कुल 23375.597 हेक्टेयर सम्मिलित किया गया है ।

#### 11.2 सम्मिलित क्षेत्र

11.2.1 इस कार्य वृत्त में आवंटित कुल 23375.597 हेक्टेयर क्षेत्र का रेंजवार विवरण निम्नानुसार है :

क्र.स.	नाम रेंज	कुल वनखण्ड	वास्तविक क्षेत्रफल (है.)
1	2	3	4
1	डूंगरपुर	4	2569.14
2	विछीवाड़ा	5	3193.757
3	सागवाड़ा	4	4606.152

4	सीमलवाड़ा	5	7562.948
5	आंतरी	6	3464.552
6	आसपुर	4	1979.048
	<b>योग:—</b>	<b>28</b>	<b>23375.597</b>

### 11.3 वनस्पति का सामान्य स्वरूप

11.3.1 क्षेत्र की वनस्पति का विस्तृत विवरण भाग 1 के अध्याय 2 अ में दिया जा चुका है। जैविक दबाव के कारण वृक्षों का घनत्व कम है परन्तु क्षेत्र में प्रचुर मूल स्कंध विद्यमान हैं। इन क्षेत्रों में जैविक दबाव अधिक है तथा वनक्षेत्र में क्षति अपेक्षाकृत अधिक है। जिले में सामान्यतः प्राकृतिक रूप से कुमठा, रोंझ, बबूल, आंवल छाल, टामट, कडवा, काली स्याली, गेंगची, विलायती बबूल, नेगड़, जड़बेर की झाड़ियां तथा लापला, बुआरी, सीण इत्यादि प्रकार की घास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संरचनाओं में पाये जाते हैं।

### 11.4 प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य

11.4.1 इन क्षेत्रों में वन प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य निम्न हैं :

- 1- वन क्षेत्र का संरक्षण एवं सस्य की दशा व संरचना में सुधार ।
- 2- परिभाषित क्षेत्रों को और परिभाषित होने से बचाना ।
- 3- परिभाषित व रिक्त क्षेत्रों को कृत्रिम वृक्षारोपण व बीजारोपण कर सस्य का बढ़ाना ।
- 4- जलाशयों व बाधों का सादावरण से बचाव ।

- 5- मृदा को वनस्पति आवरण से आच्छादित कर नमी की मात्रा को बढ़ाना तथा भूमिगत जल में वृद्धि करना।
- 6- अधिकाधिक जल व चारे की आपूर्ति कर सूखे की स्थिति की रोकथाम करना।
- 7- स्थानीय लोगों की वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- 8- मूल संकंधों को वन संवर्द्धनिक क्रियाओं की सहायता से उपचारित कर रिक्त स्थानों को पुनःभण्डारित करना।

### 11.5 आंवटित वनखण्ड व संविभाग कक्ष

11.5.1 इस प्रबन्धन कार्य वृत्त में निम्न संविभाग कक्षों को सम्मिलित किया गया है :

#### कार्यवृत्त में आंवटित वनखण्ड एवं संविभाग विवरण

क्र. सं.	रेंज	वनखण्ड	भू-संरक्षण एवं पुर्नवास प्रबंधन वृत्त	
			संविभाग संख्या	वास्तविक क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
1	डूंगरपुर	राताघाटा	3	175.0
			4	157.5
			5	193.0
			6	200.0
			7	117.5
			8	220.0
			<b>6</b>	<b>1063.000</b>

2		रानीझूला	1	225.5
			2	58.9
			3	150.5
			4A	100.0
			4B	150.0
			5	110.0
			6	116.1
			7	150.0
			<b>8</b>	<b>1061.000</b>
3		रातापानी	20	260.0
			<b>1</b>	<b>260.000</b>
4		राजधानी	4	61.39
			5	49.60
			6	74.150
			<b>3</b>	<b>185.140</b>
5	बिछीवाडा	रतनपुर	6	180.15
			7	289.099
			<b>3</b>	<b>469.249</b>
6		चुलरवैया	5	165.0
			7	107.5
			8	112.5
			9	202.5
			10	177.5
			<b>4</b>	<b>765.0</b>
7		पीपललेख	11	30.0

			15	122.50
			16	175.0
			17	185.0
			<b>4</b>	<b>512.500</b>
8		संचियों की माली	1	188.0
			2	157.308
			<b>2</b>	<b>345.308</b>
9		पावा	6	50.0
			7	125.5
			8	200.0
			9	100.20
			10	206.0
			11	160.0
			12	100.0
			13	160.0
			<b>8</b>	<b>1101.7</b>
10	सागवाडा	कांठल ए	1	2361.712
			<b>1</b>	<b>2361.712</b>
11		डामरिया गिर्द	1	690.592
			<b>1</b>	<b>690.592</b>
12		डामरिया दहाला	1	724.4
			<b>1</b>	<b>724.4</b>
13		लिखतिया पंचकुंडी	1	829.448
			<b>1</b>	<b>829.448</b>
14	सीमलवाडा	चारवाडा	1	200.0

			7	110.0
			8	137.5
			9	147.5
			16	152.5
			18	258.632
			19	158.732
			<b>7</b>	<b>1164.864</b>
15		मोदरा महुडी	5	225.00
			6	132.46
			<b>2</b>	<b>357.460</b>
16		भादर	1	1785.112
			<b>1</b>	<b>1785.112</b>
17		डुंगरसारण	1	3898.032
			<b>1</b>	<b>3898.032</b>
18		शिशोट ए, बी	6	71.49
			7	71.49
			8	214.50
			<b>3</b>	<b>357.48</b>
19		वैयोडा	6	180.0
			7	170.0
			8	165.0
			9	112.5
			10	152.596
			<b>5</b>	<b>780.096</b>
20		सत्तामंगरा ए	3	167.0

			<b>1</b>	<b>167.0</b>
21		आडामाल	1	236.2
			2	340.0
			<b>2</b>	<b>576.2</b>
22		नारामंगरा	3	99.968
			<b>1</b>	<b>99.968</b>
23		मृगतालाब	1	182.00
			2	130.00
			3	106.00
			8	231.120
			<b>4</b>	<b>649.120</b>
24		कुंजैला	6	260.0
			7	120.0
			8	230.0
			9	140.0
			10	90.0
			11	122.2
			12	229.968
			<b>7</b>	<b>1192.168</b>
25		सोनगरा मंगेडिया	1	41.700
			<b>1</b>	<b>41.700</b>
26		फलिहोर	7	152.5
			8	235.0
			9	144.824
			10	225.0



			11	200.0
			<b>5</b>	<b>957.324</b>
27		सुलिया बेणका	6	160.00
			7	175.00
			8	130.00
			9	130.024
			10	120.00
			<b>5</b>	<b>715.024</b>
28		बेडा बेडी	1	132.50
			2	132.50
			<b>2</b>	<b>265.00</b>
			<b>90</b>	<b>23375.597</b>

## 11.6 शस्य का विश्लेषण व मूल्यांकन

### 11.6.1 सन्निधि मानचित्र

पूर्ववर्ती कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा बनाये गये सन्निधि मानचित्रों एवं वन खण्ड के नक्शों को कम्प्यूटर द्वारा नवीनतम उपलब्ध तकनीक का उपयोग करते हुये डिजिटलाईज्ड कर 1:50000 की शीट पर वन खण्डों का अंकन किया जाना है।

### 11.6.2 घनत्व

हर कक्ष के सस्य का घनत्व चाक्षुष आधार पर अनुमानित किया गया है। इस कार्य वृत्त में सम्मिलित क्षेत्रों का औसत घनत्व 0.2 है तथा वास्तविक घनत्व 0.1 से 0.4 तक है।

### 11.6.3 पुनरोत्पादन

अत्याधिक जैविक दबाव के कारण इस वृत्त के क्षेत्रों में प्राकृतिक पुनरोत्पादन नगण्य है।

### 11.6.4 पातन श्रेणी

क्षेत्र में कोई पातन या विदोहन प्रस्तावित नहीं है।

### 11.6.5 पातन विधि

कोई पातन कार्य प्रस्तावित नहीं है।

### 11.6.5 पातन चक्र का आवर्तन

पातन प्रस्तावित नहीं होने के कारण पातन चक्र एवं उसका आवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

### 11.6.6 वन संवर्द्धनिक प्रणाली

पातन कार्य प्रस्तावित नहीं होने के कारण कोई विशिष्ट वन संवर्द्धनिक प्रणाली प्रस्तावित नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र की संरचना के अनुसार उपचार किया जावेगा। क्षेत्र के सही संरक्षण हेतु तथा विशिष्ट उद्देश्यों की सफल प्राप्ति हेतु क्षेत्र में क्लोजर बनाये जाकर प्रभावी सुरक्षा तथा सस्य में सुधार किया जावेगा। रिक्त व परिभ्रंषित स्थानों को, प्राकृतिक पुनरोत्पादन को प्रोत्साहित कर अथवा अति आवश्यक होने पर कृत्रिम पुनरोत्पादन द्वारा पुर्नवासित किया जावेगा।

### 11.6.7 वनस्पति का आवर्तन काल

पातन कार्य प्रस्तावित नहीं होने के कारण आवर्तन काल अपेक्षित नहीं है।

### 11.6.8 प्राप्ति का नियंत्रण

चूंकि पातन प्रस्तावित नहीं है अतः प्राप्ति पर नियंत्रण हेतु नियम अपेक्षित नहीं है।

### 11.6.9 वार्षिक क्रियान्वयन योजना

प्रतिवर्ष कम से कम 900 हेक्टेयर क्षेत्र उपचार हेतु लिया जावे तथा कार्य जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में विस्तृत हों। पूर्ण कार्य आयोजना अवधि में प्रस्तावित 8100 हेक्टेयर वनक्षेत्र उपचारित किया जावें।

### 11.6.10 पुनर्जनन अवधि

उपचारार्थ लिये गये क्लोजर्स में पुनर्जनन अवधि 10 वर्ष रहेगी।

### 11.6.11 कार्यकारी अभिकरण

समस्त कार्य विभागीय निर्देशन में ही सम्पादित किये जावेंगे।

## 11.7 उपचार विधि

इस कार्य वृत्त में सम्मिलित क्षेत्रों को प्रबन्धन के विशिष्ट उद्देश्यों की सम्यक् प्राप्ति हेतु निम्नानुसार उपचारित किया जावेगा :

### 11.7.1 क्षेत्र का चयन

क्षेत्र के उपचार हेतु सुविधानुसार अधिकतम 50 हेक्टेयर की ईकाई बनाई जावेगी। यथासंभव क्लस्टर में कार्यस्थल के चयन को प्राथमिकता दी जावेगी। ईकाई का क्षेत्र भौगोलिक व अन्य परिस्थितियों के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकेगा।

### 11.7.2 मानचित्र तथा उपचार योजना

चयनित क्षेत्र में सस्य का अच्छी तरह से निरीक्षण कर तथा प्रगणना कर व प्रतिदर्श खण्ड बनाकर आंकड़े एकत्रित कर योजनाबद्ध उपचार हेतु मानचित्र तथा उपचार योजना तैयार की जावेगी।

## 11.8 उपचार विनियम

11.8.1 कार्य वृत्त में सम्मिलित समस्त क्षेत्र का उपचार निम्नानुसार किया जावेगा :

- 1- **बाड़बन्दी** : चयनित क्षेत्र को पत्थर की दीवार अथवा खाई फेन्सिंग बनाकर सुरक्षित किया जावेगा। बाड़बन्दी पर दीवार के बाहर की ओर अथवा खाई

के टीले पर कटकरंज अथवा अन्य उपयुक्त प्रजाति, का बीजारोपण कर उसे सुदृढ़ किया जावेगा।

- 2- प्रमुख प्रजातियों के समस्त मृत, मृतप्रायः, रोगी, टेढ़े मेढ़े, विकृत वृक्षों का प्रतिकर्तन किया जावेगा।
- 3- अवैध कटान से प्रभावित समस्त टूटों व स्कन्धों को विधिवत् कॉपिस किया जावेगा। समस्त काटे हुए टूटों को तराश कर प्रतिसाधित किया जावेगा।
- 4- कॉपिस एवं प्रतिकर्तन कार्य करने के एक वर्ष बाद माह अक्टूबर से मार्च की अवधि में, स्थूल स्कन्ध से उपजे अनेक प्ररोहों में से सबसे सीधे व स्वस्थ दो प्ररोहों को प्रतिधारित करते हुए शेष को हटाया जावेगा।
- 5- दो वर्ष बाद माह अक्टूबर से मार्च की अवधि में, प्रतिधारित दो स्थूल प्ररोहों में से सबसे बड़े स्वस्थ व सीधे प्ररोह को प्रतिधारित कर अन्य को हटाया जावेगा।
- 6- पुनरोत्पादन को प्रोत्साहित व स्थापित करने हेतु उनकी वृद्धि में बाधक कड़ा, दूधी, लैन्टाना, ज्यूलीफ्लोरा आदि झाड़ियों को समूल हटाया जावेगा।
- 7- समस्त क्षेत्र में सतही भू स्थलाकृति व जलप्रवाह के अनुसार समुचित मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य किये जावेगे।
- 8- बांस, तेन्दू व सालर का उपचार लघु वन उपज कार्य वृत्त के अध्याय में वर्णित अनुसार किया जावेगा।
- 9- रिक्त स्थानों में क्षेत्र में मृदा की नमी व गहराई आदि को देखते हुए बांस, आंवला, अर्जुन, आदि प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जावेगा।
- 10- खड़ी अथवा तीव्र ढलान वाले क्षेत्र में, तथा कम मृदायुक्त पहाड़ी व पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्र में तथा पथरीले क्षेत्रों में, उपयुक्त प्रजाति के बीजों की मिट्टी व खाद से बनी गोलियों का व्यापक छिड़काव वर्षा प्रारम्भ होने से

पूर्व के काल में सामान्यतः माह जून के प्रथम व द्वितीय सप्ताह में किया जावेगा।

- 11- कम मृदायुक्त पहाड़ व पहाड़ी ढलान पर नोचिंग पद्धति से सघन बीजारोपण का कार्य तथा उपयुक्त घास प्रजाति के गुच्छे सघनता से लगाये जावेंगे।
- 12- नदी, नाले, व जलप्रवाह मार्गों के दोनों किनारे की 50 मीटर की पट्टी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जावेगी। इन क्षेत्रों में उपरोक्त वर्णित किसी प्रकार को विदोहन अथवा वन उपज हटाने का कार्य नहीं किया जावेगा।
- 13- नदी, नाले, व जलप्रवाह मार्गों के दोनों किनारे में कटाव व भू-क्षरण को रोकने के लिये आवश्यक संरचनाएँ बनाई जावेगी। तीव्र ढलानयुक्त भूमि पर मृदा कार्य वाली, मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएँ नहीं बनाई जावेगी। ऐसे क्षेत्र में गेबियन संरचना, पत्थरों की सूखी चिनाई से निर्मित संरचना अथवा पक्की संरचना को ही प्राथमिकता दी जावेगी।
- 14- इस क्षेत्र में भूमि कटाव के कारण अर्जुन, कलम जैसे वृक्षों की उद्भासित जड़ों को मृदा से पुनः ढका जावेगा तथा वृक्षों के आस पास स्थानीय नाले में उपलब्ध पत्थरों की सूखी चिनाई से कम से कम तीन मीटर त्रिज्या व समुचित ऊंचाई व चौड़ाई की गोलाकार सुरक्षा दीवार बनाकर वृक्ष को सुरक्षित किया जावेगा।
- 15- किनारों पर खुले, अच्छी जल निकासी वाले व अच्छी मृदायुक्त स्थानों पर बासं को राईजोम द्वारा रोपित किया जावेगा। इससे मृदा संरक्षण में सहायता मिलेगी।
- 16- प्राकृतिक पुनरोत्पादन को पूर्णतया संरक्षित किया जावेगा। प्राकृतिक पुनरोत्पादन के स्थापित होने तक इस क्षेत्र को चराई एवं अन्य प्रकार के जैविक दबाव से पूर्णतया सुरक्षित रखा जावेगा। क्षेत्र के संबंध में संविभाग विवरण प्रपत्र तथा वृक्षारोपण पंजिका में स्पष्ट अंकन किया जावेगा।

## 11.9 वन उपज चिहनीकरण, विदोहन व निकासी के समान्य नियम

11.9.1 क्षेत्र से किसी भी प्रकार की वन उपज को हटाने, विदोहन करने एवं उसकी निकासी करने के संबंध में सुरक्षा कार्यवृत्त में अंकित नियमों की पालना की जावेगी ।

## 11.10 मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएं संरचना चयन के आधार

11.10.1 स्थान विशेष के निम्न प्राचलों को ध्यान में रखते हुए मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं को निर्धारित किया जावेगा :

- नाले की चौड़ाई व मध्य की गहराई
- जल बहाव का औसत वेग
- प्रचुर जल बहाव की अवधि
- स्थान विशेष का जलग्रहण क्षेत्र
- जलग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले वर्षा जल की मात्रा
- संरचना का उद्देश्य
- भूमि सतह की ढलान

## 11.10.2 संरचना निर्माण के आधारभूत नियम

चयनित क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण उपचारार्थ विभिन्न प्रकार की कच्ची , पक्की, वानस्पतिक अथवा अभिनव संरचना के निर्माण में निम्न विनियमों का यथासंभव पालन किया जावे :

- 1- चयनित क्षेत्र को विभिन्न मैक्रो एवं माईक्रो जलग्रहण क्षेत्र में स्पष्ट विभाजित किया जावे तथा इसका पृथक से मानचित्र बनाया जावे। इस मानचित्र में बड़ी नदी, नाले के अलावा छोटे नाले व भू क्षरण से निर्मित अवनालिकाओं को भी अंकित किया जावे। जलबहाव की दिशा भी अंकित की जावे।

- 2- मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएं सबसे ऊंचे क्षेत्र से प्रारम्भ कर नीचे की ओर बनाई जावे।
- 3- सबसे ऊंचे क्षेत्र में यथा पहाड़ी के शीर्ष पर अवनालिका के उदगम् स्थल के मुहाने की समतल भूमि पर समोच्च बंध बनाकर अथवा समोच्च ट्रेन्च का निर्माण कर, अवनालिका में जलप्रवाह को बाधित किया जावे।
- 4- ऊंचे, खड़ी व तीव्र ढलान वाले क्षेत्र में अवनालिका को नियमित नजदीक अंतराल में पत्थर अथवा अन्य स्थानीय सामग्री से भरकर एवं नाले को नियमित नजदीक अंतराल पर स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों की सूखी चिनाई से चैकडेम का निर्माण कर जलप्रवाह का बाधित किया जावे।
- 5- मध्यम ढलान वाले क्षेत्र में नालों को नियमित अंतराल पर स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों की सूखी चिनाई से चैकडेम का निर्माण कर जलप्रवाह का बाधित किया जावे। इस क्षेत्र में चैकडेम के पीछे की ओर स्थानीय रूप से उपलब्ध मृदा को तिरछा जमाया जावे जिससे जलप्रवाह बाधित होने के साथ ही चैकडेम के पीछे कुछ अवधि तक जलसंग्रहण भी हो और भूमिगत जलस्तर व नमी में वृद्धि हो सके।
- 6- कम ढलान एवं समतल क्षेत्र में नाले अधिक चौड़े हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में भी उपरोक्तानुसार पत्थरों की सूखी चिनाई से चैकडेम का निर्माण कर उनके पीछे की ओर स्थानीय रूप से उपलब्ध मृदा को तिरछा जमाया जावे।
- 7- चैकडेम व अन्य मृदा एवं जल संग्रहण संरचनाओं को निर्माण करते समय विभिन्न तकनीकी पहलुओं का पूर्ण ध्यान रखा जावे। नाले में घुमाव वाले स्थान पर चैकडेम अथवा किसी भी अन्य प्रकार की मृदा एवं जल संग्रहण संरचना का निर्माण नहीं किया जावे। यह ध्यान रखा जावे कि मृदा एवं जल संग्रहण संरचना के पूर्व जलप्रवाह कम से कम 50 से 100 मीटर तक सीधा हो तथा जल संरचना के मध्य में उसके लम्बवत् ही टकराये।

- 8- चैकडेम निर्माण में प्रयुक्त पत्थरों को नाले की तल से निकाला जावे। किसी भी परिस्थिति में नाले के किनारे अथवा अन्य ढलान वाले स्थान से पत्थर नहीं निकाला जावे। इसी प्रकार, चैकडेम के पीछे की ओर डाले जाने वाली मृदा भी यथा संभव नाले की तल से निकाली जावे। किसी भी परिस्थिति में नाले के किनारे अथवा अन्य ढलान वाले स्थान से मृदा नहीं निकाली जावे।
- 9- चैकडेम निर्माण में उचित आकार व वजन के पत्थरों का उपयोग किया जावे। इससे चैकडेम के उपरी सतह पर जलप्रवाह के दबाव को सहने की क्षमता बढ़ेगी और चैकडेम क्षतिग्रस्त नहीं होगा।
- 10- चैकडेम की अधिकतम ऊंचाई और नाले के किनारों के मध्य उचित अंतर रखा जावे जिससे नाले को किनारे जलप्रवाह से सुरक्षित रहेंगे। समतल अथवा कम ढलान वाले क्षेत्र में निर्मित चैकडेम में अनिवार्यतः एक्स्टेंशन वॉल एवं साईड वॉल का निर्माण भी पत्थरों की सूखी चिनाई से ही किया जावे।
- 11- अभिनव प्रयोग कर चैकडेम को अनेक प्रकार से निर्मित किया जा सकता है परन्तु उपरोक्त विनियमों की सभी में पालना आवश्यक है।
- 12- अधिक जलप्रवाह वाले स्थानों पर सीमेन्ट का उपयोग कर पक्के एनीकट व अन्य संरचना बनाई जावे। इनके निर्माण हेतु आवश्यक तकनीकी अध्ययन व मापदण्ड की पालना की जावे।
- 13- नदी, नाले, व जलप्रवाह मार्गों के दोनों किनारे में कटाव व भू क्षरण को रोकने के लिये आवश्यक संरचनाएं बनाई जावे। ढलानयुक्त किनारों की भूमि पर अग्रिम मृदा कार्य वाली मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएं नहीं बनाई जावेगी। किनारों पर निर्मित अवनालिकाओं के उदगम् स्थल के मुहाने की समतल भूमि पर समोच्च बंध बनाकर अथवा समोच्च ट्रेन्च का निर्माण कर, अवनालिका में जलप्रवाह को बाधित किया जावे।



- 14- लम्बी अवनालिकाओं को नियमित अंतराल में मृदा एवं स्थानीय पत्थरों से भरकर बाधित किया जावे। अवनालिकाओं के नदी अथवा नाले में खुलने वाले मुख को स्थानीय पत्थरों से निर्मित गेबियन संरचना से बन्द किया जावे।
- 15- कटाव प्रभावित किनारों को भी समुचित लम्बाई में स्थानीय पत्थरों से निर्मित गेबियन संरचना से सुरक्षित किया जावे। विशेषकर नाले के घुमाव वाले स्थान पर इसका विशेष ध्यान रखा जावे। ऐसे क्षेत्र में गेबियन संरचना, पत्थरों की सूखी चिनाई से निर्मित संरचना अथवा पक्की संरचना को ही प्राथमिकता दी जावे।
- 16- किनारों पर खुले, अच्छी जल निकासी वाले व अच्छी मृदायुक्त स्थानों पर बासं को राईजोम द्वारा रोपित किया जावे। इससे मृदा संरक्षण में सहायता मिलेगी।
- 17- पौधों को सांतर रोपित कर अधिकाधिक जल संचय किया जा सकता है।
- 18- निरन्तर समोच्च ट्रैन्च में प्रत्येक 20 से 25 मीटर के अंतराल पर ट्रैन्च को बाधित किया जावे ताकि ट्रैन्च की उच्चता में अंतर के कारण जलबहाव व भूक्षरण अधिक नहीं हो।

## 11.11 विविध विनियम

### 11.11.1 पूर्व के वृक्षारोपण व क्लोजर्स के संबंध में

कार्य वृत्त में सम्मिलित अधिकांश क्षेत्र में विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत वृक्षारोपण कार्य, क्लोजर निर्माण कार्य कराये गये हैं। उपरोक्त वर्णित उपचार विनियमों व विधि के अनुसार ही इन क्षेत्रों में कार्य कराया जावेगा।

### 11.11.2 वृक्षारोपण पंजिका का संधारण

प्रत्येक चयनित क्षेत्र हेतु विभागीय निर्देशों के अनुरूप पृथक वृक्षारोपण पंजिका का नियमित संधारण अनिवार्यतः किया जावे। इस पंजिका में आगे वर्णित क्षेत्र के विभिन्न प्राचलों के आंकलन व मूल्यांकन से प्राप्त आंकड़े व विवेचना भी अंकित किया जावे।

#### 11.11.3 अतिक्रमित क्षेत्र

कार्य वृत्त में सम्मिलित क्षेत्र में अनेक स्थानों में वन सीमा पर पट्टी के रूप में, नदी नालों व जलप्रवाह मार्गों के आस पास तथा वन क्षेत्र में छितरे व बिखरे हुए रूप में कृषि योग्य भूमि पर, छोटी छोटी जोत के आकार में वन क्षेत्र अतिक्रमित है। इन अतिक्रमणों को नियमानुसार कार्यवाही कर क्षेत्र को उसके वर्गीकरण के अनुसार उपचारित किया जावेगा।

#### 11.11.4 चराई, कटान व जैविक दबाव

क्षेत्र में चराई पूर्ण वर्ष निषिद्ध रखी जावेगी। अवैध कटान व अन्य जैविक दबाव पर पूर्ण अंकुश रखा जावेगा।

#### 11.11.5 घास कटाई व निकासी

क्षेत्र में स्थानीय उपयोग हेतु घास कटाई व निकासी का कार्य घास के बीज विसर्जन एवं बीज एकत्रीकरण के बाद ही किया जावेगा। घास चराई पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। क्लोजर के एक वर्ष बाद ही घास काटने व निकासी की स्वीकृति दी जावेगी।

#### 11.11.6 अग्नि सुरक्षा

समस्त कार्यवृत्त को अग्नि से सुरक्षित रखा जावेगा। इस हेतु अग्नि रेखा पट्टी का निर्माण तथा रख रखाव किया जावेगा। अग्नि की घटनाओं पर निगरानी हेतु ग्रीष्म काल में विशेष व्यवस्था की जावेगी। पुनर्जनन क्षेत्र की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जावेगा।

#### 11.11.7 अधिकार व रियायते

क्षेत्र में व्याप्त समस्त अधिकार व रियायतों के अनुप्रयोग कार्य आयोजना में किये गये प्रावधानों के अधिनस्थ रहते हुए किये जावेंगे।

#### 11.11.8 सूचना पट्ट

विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रत्येक क्लोजर में प्रमुख सुलभ स्थानों सुलभ दृश्य पटल लगाये जावेगे। अन्य के अतिरिक्त इन सूचना पट्टों पर, वनखण्ड व संविभाग कक्ष का विवरण, क्षेत्र में उपचार के लिये किये गये प्रावधान संक्षेप में, क्षेत्र में प्रतिबंधित कार्य, स्थानीय जनता से अपेक्षित सहयोग की अपील को विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किये जाने का प्रयास किया जावे।

#### 11.11.9 निरीक्षण पथ

क्षेत्र में क्लोजर बनने व बाड़ बन्दी के साथ ही निगरानी, सुरक्षा व निरीक्षण हेतु निरीक्षण पथ का निर्माण इस प्रकार किया जावेगा कि समस्त क्षेत्र का अच्छी तरह देखा जा सके। यह निरीक्षण पथ अग्नि सुरक्षा पट्टी का भी कार्य करेगा। अतः इसे वनस्पति रहित रखा जावेगा।

#### 11.12 वित्तीय पूर्वानुमान :-

11.12.1 कार्य आयोजना अवधि में कुल 8100 हैक्टर वनक्षेत्र उपचार हेतु इस प्रबंधन वृत्त में लिया गया है। इस प्रबंधन वृत्त में 50 हैक्टर की यूनिट ली जावेगी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना 2 के आर. डी. एफ. (R.D.F.) II के माडल के अनुसार 40233 रु प्रति हैक्टर के अनुसार 8100 हैक्टर वनक्षेत्र को उपचार हेतु कुल प्रस्तावित व्यय रूपये 3258.87 लाख व्यय होने की संभावना है।

#### 11.13 सफल क्रियान्वयन व प्रबन्धन के सूचक प्राचल

कार्य वृत्त में सम्मिलित क्षेत्र में उपरोक्त प्रस्तावित उपचार के सही व सफल क्रियान्वयन व प्रबन्धन की सार्थकता का आंकलन निम्न उपयुक्त मापन से किया जा सकता है :

1. घास प्रजाति व सतही वनस्पति की संरचना में आया परिवर्तन
2. प्रमुख मूल्यवान प्रजातियों का बेसल क्षेत्रफल
3. प्रजाति विविधता
4. वृक्ष वितान घनत्व
5. वनस्पति संवृद्धि भण्डार
6. प्राकृतिक बीजोत्पन्न पुनरोत्पादन
7. जैविक दबाव की स्थिति
8. भूमिगत जलस्तर में वृद्धि
9. स्थानीय ग्रामवासियों को प्राप्त लाभ

उपरोक्त प्राचलों के प्राप्त परिमाणों के आधार पर उपचार विधि में संशोधन, यदि आवश्यक हो तो, किये जा सकते हैं।

## अध्याय 12

### पारिस्थितिकी पुनरोद्धार एवं शस्य उत्पादकता वर्किंग सर्कल

#### Eco-restoration & Crop Improvement Working circle

##### 12.1. कार्य वृत्त की सामान्य संरचना

12.1.1 इस कार्य वृत्त में जिले के सघन व पर्याप्त संवृद्धि भण्डारयुक्त वन क्षेत्र को रखा गया है जिनकी मूलतः समुचित सुरक्षा की जानी है। इस श्रेणी में 0.4 वृक्ष वितान घनत्व एवं उससे अधिक के सघन सन्निधियुक्त वन क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक जैव विविधता काफी समृद्ध हैं। इन वन क्षेत्रों का प्रबन्धन इस प्रकार किया जावेगा कि न सिर्फ जैव विविधता की समृद्धता बनी रहे बल्कि मानवजनित हस्तक्षेप न्यूनतम कर इसकी प्राकृतिक वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके। इस वृत्त में कुल 13952.602 हैक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित किया गया है।

##### 12.2 सम्मिलित क्षेत्र

12.2.1 इस कार्य वृत्त में सम्मिलित कुल 13952.602 हैक्टेयर क्षेत्र का रेंजवार विवरण निम्नानुसार है।

क्र.स.	नाम रेंज	कुल वनखण्ड	वास्तविक क्षेत्रफल
1	2	3	4
1	डूंगरपुर	3	5635.820
2	विछीवाड़ा	6	4683.014

3	सागवाड़ा	—	—
4	सीमलवाड़ा	3	2717.492
5	आंतरी	1	196.792
6	आसपुर	3	719.484
	<b>योग:—</b>	<b>16</b>	<b>13952.602</b>

### 12.3. वनस्पति की सामान्य संरचना

12.3.1 डूंगरपुर जिले में मुख्यतः दो प्रकार के वन यथा सागवान वन तथा विविध प्रजाति के मिश्रित पर्णपाती वन हैं। परन्तु इनकी विभाजन रेखा ज्यादा स्पष्ट नहीं है। फलस्वरूप एक ही कक्ष में दोनों प्रकार के वन भी देखे जा सकते हैं।

12.3.2 वन के शस्य की संरचना व दशा प्रमुखतया उसके नीचे स्थित भूमि के भूविज्ञान पर निर्भर करता है। सागवान की गुणवत्ता तो मृदा की गहराई से ज्यादा प्रभावित दिखाई देती है। आबादी क्षेत्र के निकट स्थित वनों की दशा मनुष्य के हस्तक्षेप एवं पशुओं द्वारा निरन्तर चराई से भी प्रभावित हुई है। इन स्थलों पर मात्र झाड़ीनुमा वृक्ष अथवा कॉपिस कल्लै ही विद्यमान हैं। बाकी के क्षेत्रों में शस्य की बनावट एक जैसी नहीं है। इसमें तरुण से लेकर परिपक्व श्रेणी के वृक्ष मौजूद हैं।

12.3.3 सामान्यतः जिले के क्षेत्र में जंहा मृदा की गहराई कम है। वंहा सागवान के छोटे वृक्ष हैं। तथा जिन क्षेत्रों में मृदा की गहराई अच्छी है। वहां सागवान के बड़े एवं अच्छे वृक्ष आज भी दिखाई देते हैं। पहाड़ी ढलानों पर तथा रेतीली व कंकड युक्त मृदा में निम्न श्रेणी के सागवान पाये जाते हैं।

- 12.3.4 समुन्द्र तल से उंचाई का हालांकि वन एवं वनस्पति पर कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। परन्तु ऊंचे क्षेत्र में व पठारों पर लेटेरिटिक मृदा में मिश्रित शस्य पाया जाता है। जिसमें सागवान के अलावा सालर, झींझा, धावड़ा, धोंक, गुरजन, आंवला व कड़ाया प्रमुख प्रजातिया है। हल्की ढलानों पर तथा समतल भूमि पर बेहतर मृदा जमा होने के कारण कुछ बादियों में जँहा अच्छा अनुकूल नमी का वातावरण हैं। वहां सागवान व पर्णपाती मिश्रित वन भी पाये जाते है। वनस्पति में अन्तर के अलावा एक ही कक्ष में शस्य के घनत्व में भी काफी अन्तर देखने को मिलता है।
- 12.3.5 शस्य का अधिकांश भाग टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ, बांका तथा परिभ्राषित है। ऐसा जनसंख्या एवं पशुओं के अत्यधिक व निरन्तर दबाव के कारण है। अधिकांश वन क्षेत्र वृक्षविहिन दिखाई देता है।
- 12.3.6 ऐसे क्षेत्रों को पुनः सुरक्षा प्रदान कर प्राकृतिक पुनरोत्पादन को प्रोत्साहित करना अथवा कृत्रिम ढंग से पुनरोपित करना बेहद आवश्यक है। अनैक क्षेत्रों में सागवान के मूल संकथ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे क्षेत्र को मात्र बंद कर पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर देने से ही सागवान का पुर्नउत्पादन हो सकता है।

#### **12.4. प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य**

12.4.1 इन क्षेत्रों में वन प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य निम्न हैं :

- i. अच्छे सघन वनों की सुरक्षा कर सस्य में सुधार करना ।
- ii. वर्तमान अग्रिम वृद्धि को प्रतिधारित कर प्रमुख एवं मूल्यवान प्रजातियों के प्राकृतिक पुनरोत्पादन को प्रोत्साहित कर रिक्त स्थानों को पुनःभण्डारित करना।

- iii. वनों में निहित जैव विविधता का उचित संरक्षण करना ।
- iv. प्राकृतिक बहुमूल्य वन सम्पदा को भविष्य हेतु संधारित रखना ।

### 12.5 आवंटित वनखण्ड एवं संविभाग कक्ष

इस प्रबन्धन कार्य वृत्त में निम्न संविभाग कक्षों को सम्मिलित किया गया है।

#### कार्यवृत्त में आवंटित वनखण्ड एवं संविभाग विवरण

क्र. सं.	रेंज	वनखण्ड	पारिस्थितिकी एवं पुनरोद्धार प्रबंधन वृत्त	
			संविभाग संख्या	वास्तविक क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
1	डूंगरपुर	रानीझूला	11	230.0
			12	140.0
			13	122.5
			14A	152.5
			14B	191.6
			15	100.0
			16	220.0
			17	132.0
			18A	150.50
			18B	180.0
			<b>10</b>	<b>1619.100</b>
2		रातापानी	1	190.0
			2	205.0
			3A	60.0



			3B	155.0
			5	190.0
			6	150.0
			7	187.5
			8	252.0
			9	265.0
			10	262.0
			11	205.0
			12	195.0
			13	352.5
			14	132.5
			15	194.0
			16	252.0
			17	205.0
			18	202.5
			19	254.92
			<b>18</b>	<b>3909.920</b>
3		राजधानी	3	106.80
4	बिछीवाडा	रतनपुर	3	185.0
			<b>1</b>	<b>185</b>
5		चुलरवैया	11	165.0
			12	92.5
			13	165.0
			14	75.0
			15	194.448

			<b>6</b>	<b>691.948</b>
6		माकरेडा	2	187.5
			3	159.00
			4	102.524
			<b>3</b>	<b>449.024</b>
7		पीपललेख	2A	160.0
			2B	230.0
			7	200.5
			8	175.5
			9	80.5
			10	342.5
			12	230.0
			13	55.0
			14	75.0
			18	166.448
			<b>10</b>	<b>1715.448</b>
8		पावा	14	75.45
			15	125.0
			16	176.0
			<b>3</b>	<b>376.404</b>
9		पालीसोडा	1	1265.19
			<b>1</b>	<b>1265.19</b>
10	सीमलवाडा	चारवाडा	2	157.5
			3	82.5
			4	87.5

			5	237.0
			6	162.5
			14	100.0
			15	290.0
			17	100.0
			<b>8</b>	<b>1217.0</b>
11		गराडा	5	63.50
			6	62.62
			7	187.50
			8	165.50
			9	130.0
			10	78.50
			11	113.50
			12	113.50
			13	113.50
			14	150.00
			15	86.872
			<b>11</b>	<b>1264.992</b>
12		शिशोट ए, बी	5	235.50
			<b>1</b>	<b>235.50</b>
13		घटखाना	3	127.0
			4	69.792
			<b>2</b>	<b>196.8</b>
13		सोनगरा मंगेडिया	2	107.500
			3	89.984

			<b>2</b>	<b>197.484</b>
14		फलिहोर	12	200.0
			13	110.0
			<b>2</b>	<b>310</b>
15		सुलिया बेणका	11	212.00
			<b>1</b>	<b>212.00</b>
		योग :-	<b>80</b>	<b>13952.602</b>

### 12.5.1 सस्य का विश्लेषण व मूल्यांकन

### 12.5.2 सन्निधि मानचित्र

पूर्ववर्ती कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा बनाये गये सन्निधि मानचित्रों एवं वन खण्ड के नक्शों को कम्प्यूटर द्वारा नवीनतम उपलब्ध तकनीक का उपयोग करते हुये डिजिटलाईज्ड कर 1:50000 की शीट पर वन खण्डों का अंकन किया जाना है ।

### 12.5.3 घनत्व

हर कक्ष के सस्य का घनत्व चाक्षुष आधार पर अनुमानित किया गया है। इस कार्य वृत्त में सम्मिलित क्षेत्रों का औसत घनत्व 0.4 से अधिक है।

### 12.5.4 पुनरोत्पादन

इस वृत्त के क्षेत्रों में प्राकृतिक पुनरोत्पादन बिखरे रूप में कहीं कहीं पाया जाता है। प्राकृतिक पुनरोत्पादन न्यून से औसत है।

### 12.5.5 प्रगणना

कार्य आयेजाना में प्रगणना की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

### 12.5.6 आयु वर्ग

क्षेत्र में सस्य असमान है। सस्य को मुख्यतः युवा, मध्यम, परिपक्व श्रेणी में विभक्त किया गया है।

## 12.6. वन संवर्द्धनिक प्रणाली

पातन कार्य प्रस्तावित नहीं होने के कारण कोई विशिष्ट वन संवर्द्धनिक प्रणाली प्रस्तावित नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र की संरचना के अनुसार उपचार किया जावेगा। क्षेत्र के सही संरक्षण हेतु तथा विशिष्ट उद्देश्यों की सफल प्राप्ति हेतु क्षेत्र में क्लोजर बनाये जाकर प्रभावी सुरक्षा तथा सस्य में सुधार किया जावेगा। रिक्त व परिभ्रंषित स्थानों में प्राकृतिक पुनरोत्पादन को प्रोत्साहित कर अथवा अति आवश्यक होने पर कृत्रिम पुनरोत्पादन द्वारा पुर्नवासित किया जावेगा। साथ ही सघन वन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु पक्की दीवार निर्माण के कार्य उन क्षेत्रों में अवश्यभावी रूप से लिये जावेगे जहाँ पर भविष्य में अतिक्रमण की सम्भावना दिखाई देती हो।

### 12.6.2 वनस्पति का आवर्तन काल

पातन कार्य प्रस्तावित नहीं होने के कारण आवर्तन काल नहीं दिया जा रहा है।

### 12.6.3 प्राप्ति का नियंत्रण

चूंकि पातन प्रस्तावित नहीं है अतः प्राप्ति पर नियंत्रण हेतु नियम अपेक्षित नहीं है।

#### 12.6.4 वार्षिक क्रियान्वयन योजना

इस वृत्त 13952.602 हैक्टर क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। कार्य आयोजना अवधि में 4050 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारार्थ लिया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक वर्ष 450 हैक्टर वनक्षेत्र का उपचार प्रस्तावित है।

#### 12.6.5 पुनर्जनन अवधि

उपचारार्थ लिये गये क्लोजर्स में पुनर्जनन अवधि 10 वर्ष रहेगी।

#### 12.6.16 कार्यकारी अभिकरण

समस्त कार्य विभागीय निर्देशन में ही सम्पादित किये जावेगे।

### 12.7. उपचार विधि

इस कार्य वृत्त में सम्मिलित क्षेत्रों को प्रबन्धन के विशिष्ट उद्देश्यों की सम्यक् प्राप्ति हेतु निम्नानुसार उपचारित किया जावेगा :

#### 12.7.1 क्षेत्र का चयन

क्षेत्र के उपचार हेतु सुविधानुसार 50 हेक्टेयर की ईकाई बनाई जावेगी। यथासंभव क्लस्टर में कार्यसथल के चयन को प्राथमिकता दी जावेगी।

### 12.7.2 मानचित्र तथा उपचार योजना

चयनित क्षेत्र में शस्य का अच्छी तरह से निरीक्षण कर तथा प्रगणना कर व प्रतिदर्श खण्ड बनाकर आंकड़े एकत्रित कर योजनाबद्ध उपचार हेतु मानचित्र तथा उपचार योजना तैयार की जावेगी।

### 12.7.3 उपचार विनियम

कार्य वृत्त में सम्मिलित समस्त क्षेत्र का उपचार निम्नानुसार किया जावेगा :

- 1- **बाड़बन्दी** : सर्वप्रथम चयनित क्षेत्र को निर्धारित माप की पत्थर की दीवार अथवा खाई फौन्सिंग बनाकर सुरक्षित किया जावेगा। बाड़ बन्दी पर दीवार के बाहर की ओर अथवा खाई के टीले पर कटकरंज एवं थोर अथवा अन्य अचर कंटीले प्रजाति का बीजारोपण कर उसे सुदृढ़ किया जावेगा।
- 2- प्रमुख प्रजातियों के विशेषकर सागवान के समस्त मृत, मृतप्रायः, रोगी, टेढ़े मेढ़े, विकृत वृक्षों का प्रतिकर्तन किया जावेगा।
- 3- अवैध कटान से प्रभावित समस्त टूटों व स्कन्धों को विधिवत् कॉपिस किया जावेगा। समस्त काटे हुए टूटों को तराश कर प्रतिसाधित किया जावेगा।
- 4- कॉपिस एवं प्रतिकर्तन कार्य करने के एक वर्ष बाद माह अक्टूबर से मार्च की अवधि में , स्थूल स्कंध से उपजे अनेक प्ररोहों में से सबसे सीधे व स्वस्थ दो प्ररोहों को प्रतिधारित करते हुए शेष को हटाया जावेगा।
- 5- दो वर्ष बाद माह अक्टूबर से मार्च की अवधि में, प्रतिधारित दो स्थूल प्ररोहों में से सबसे बड़े, स्वस्थ व सीधे प्ररोह को प्रतिधारित कर अन्य को हटाया जावेगा।

- 6- पुनरोत्पादन को प्रोत्साहित व स्थापित करने हेतु उनकी वृद्धि में बाधक कड़ा, दूधी , ज्यूलीफलोरा आदि झाड़ियों को समूल हटाया जावेगा ।
- 7- समस्त क्षेत्र में सतही भू स्थलाकृति व जलप्रवाह के अनुसार समुचित मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य किये जावेगे ।
- 8- बांस का उपचार लघु वन उपज कार्य वृत्त के अध्याय में वर्णित किया गया है ।
- 9- प्राकृतिक पुनरोत्पादन बहुलता वाले क्षेत्र को पूर्ण प्रभावी सुरक्षा प्रदान की जावेगी ।
- 10- रिक्त स्थानों में आर्थिक महत्त्व की स्थानीय वनस्पति में उपलब्ध प्रजातियों को रोपित किया जावेगा । क्षेत्र में मृदा की नमी व गहराई आदि को देखते हुए बांस, आंवला, बहेड़ा, अर्जुन, महुआ आदि प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जावेगा ।

## **12.8. वनउपज चिहनीकरण, विदोहन व निकासी के सामान्य नियम**

12.8.1 क्षेत्र से किसी भी प्रकार की वन उपज को हटाने, विदोहन करने एवं उसकी निकासी करने में निम्न नियमों की पालना की जावेगी:

1. माह अप्रैल से सितम्बर की अवधि में किसी प्रकार के विदोहन, प्रतिकर्तन, शाख कर्तन बांस झुण्ड सुधार कार्य, कर्षण कार्य आदि नहीं किया जावेगा । माह अक्टूबर से मार्च की अवधि में ही इस प्रकार के कार्य किये जावेगें ।
2. चयनित क्षेत्र में प्रस्तावित उपचार की योजना प्रतिवर्ष माह जून तक तैयार कर सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ली जावेगी ।



3. विदोहन, प्रतिकर्तन, शाख कर्तन, बासं झुण्ड सुधार कार्य, एकाकीकरण, कर्षण कार्य विरलन कार्य आदि हेतु प्रस्तावित वृक्ष, स्थूल, टूठ आदि को क्षेत्रीय वन अधिकारी की निगरानी में माह सितम्बर तक चिन्हित कर लिया जावेगा।
4. मृत, मृतप्रायः, रोगी, टेढ़े मेढ़े, विकृत वृक्षों को भूमि सतह के नजदीक से हटाया जावेगा। किसी भी सूरत में टूठ भूमि सतह से 15 सेमी से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिये।
5. समस्त विदोहन, प्रतिकर्तन, शाख कर्तन बासं झुण्ड सुधार कार्य, एकाकीकरण, कर्षण कार्य, विरलन कार्य आदि तीखे धारधार फलक वाले औजार से ही किया जावेगा तथा विधिवत् सफाई व प्रतिसाधन कार्य भी साथ ही किया जावेगा।
6. कार्य से उत्पन्न कबाड़ को क्षेत्र से दूर रखकर विधिवत् निस्तारित किया जावेगा जिससे अग्नि की घटनाओं को टाला जा सके।
7. समस्त विदोहन, प्रतिकर्तन, शाख कर्तन बांस झुण्ड सुधार कार्य, एकाकीकरण, कर्षण कार्य, विरलन कार्य आदि विनियमित क्रम में योजनाबद्ध तरीके से चयनित क्षेत्र के एक छोर से प्रारम्भ कर दूसरे छोर तक किया जावेगा। इस कार्य हेतु चयनित क्षेत्र को छोटे उपखण्डों में बांटा जावेगा तथा उपखण्डवार कार्य किया जावेगा। समस्त कार्य, वनउपज की मात्रा आदि का अंकन संविभाग कक्ष विवरण प्रपत्र, समिति के अभिलेख एवं अन्य संबंधित पंजिकाओं में अनिवार्यतः किया जावेगा।

## 12.9. विविध विनियम

### 12.9.1 पूर्व के वृक्षारोपण व क्लोजर्स के संबंध में

कार्य वृत्त में सम्मिलित अधिकांश क्षेत्र में विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत वृक्षारोपण कार्य, क्लोजर निर्माण कार्य कराये गये हैं। उपरोक्त वर्णित उपचार विनियमों व विधि के अनुसार ही इन क्षेत्रों में कार्य कराया जावेगा।

### 12.9.2 कार्य पंजिका

प्रत्येक चयनित क्षेत्र हेतु पृथक कार्य पंजिका का नियमित संधारण किया जावेगा। इसमें क्षेत्र में प्रस्तावित समस्त प्रकार के कार्य की पूर्ण जानकारी, उनकी समयबद्ध प्रगति तथा क्षेत्र प्राप्त वनोपज की पूर्ण जानकारी के साथ साथ क्षेत्र के सस्य में आये परिवर्तन की भी जानकारी एकत्रित कर सम्मिलित की जावेगी। इससे आगामी प्रबन्धन में मदद मिलेगी।

### 12.9.3 वॉच टॉवर व वाटर होल एवं गजलर

कार्यवृत्त में सम्मिलित सघन वन क्षेत्रों में, निगरानी व सुरक्षा हेतु, निगरानी मीनार अर्थात् वॉच टॉवर का अभाव है। अवैध कटान, अग्नि आदि की निगरानी हेतु जिले के सघन वन क्षेत्रों में उपयुक्त ऊंचे स्थान पर वॉच टॉवर बनाये जाने उचित होंगे। चूंकि यह क्षेत्र अधिकांशतः या तो वन्यजीव अभयारण्य से सटा हुआ है या इन क्षेत्रों में वन्यजीवों की बहुलता है। अधिकांशतः इन क्षेत्रों से पानी की खोज में वन्यजीव मुख्यतः पानी के लिये आबादी की ओर पलायन करते हैं जिससे मानव ओर

वन्यजीव में टकरार होता है। अतः इस हेतु वाटर होल एवं गजलर का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

#### 12.9.4 अतिक्रमित क्षेत्र

कार्य वृत्त में सम्मिलित क्षेत्र में अनेक स्थानों में वन सीमा पर पट्टी के रूप में, नदी नालों व जलप्रवाह मार्गों के आस पास तथा वन क्षेत्र में छितरे व बिखरे हुए रूप में छोटी छोटी जोत के आकार में, वन क्षेत्र अतिक्रमित है। इन अतिक्रमणों को नियमानुसार बेदखल किया जाकर क्षेत्र को उसके वर्गीकरण के अनुसार उपचारित किया जावेगा।

#### 12.9.5 चराई, कटान व जैविक दबाव

क्षेत्र में चराई पूर्ण वर्ष निषिद्ध रखी जावेगी। अवैध कटान व अन्य जैविक दबाव पर पूर्ण अंकुश रखा जावेगा।

#### 12.9.6 घास कटाई व निकासी

क्षेत्र में स्थानीय उपयोग हेतु घास कटाई व निकासी का कार्य घास के बीज विसर्जन एवं बीज एकत्रीकरण के बाद ही किया जावेगा। घास चराई पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। क्लोजर बनने के एक वर्ष बाद ही घास काटने व निकासी की स्वीकृति दी जावेगी।

#### 12.9.7 अग्नि सुरक्षा

समस्त कार्यवृत्त को अग्नि से सुरक्षित रखा जावेगा। इस हेतु अग्नि रेखा पट्टी का निर्माण तथा रख रखाव किया जावेगा। अग्नि की घटनाओं पर निगरानी हेतु ग्रीष्म

काल में विशेष व्यवस्था की जावेगी। पुनर्जनन क्षेत्र की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जावेगा।

#### 12.9.8 अधिकार व रियायतें

क्षेत्र में व्याप्त समस्त अधिकार व रियायतों के अनुप्रयोग कार्य आयोजना में किये गये प्रावधानों के आधिनस्थ रहते हुए किये जावेंगे।

#### 12.9.9 सूचना पट्ट

विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रत्येक क्लोजर में प्रमुख सुलभ स्थानों सुलभ दृष्य सूचना पट्ट लगाये जावेगे। अन्य के अतिरिक्त इन सूचना पट्टों पर, वनखण्ड व संविभाग कक्ष का विवरण, क्षेत्र में उपचार के लिये किये गये प्रावधान संक्षेप में, क्षेत्र में प्रतिबंधित कार्य, स्थानीय जनता से अपेक्षित सहयोग की अपील भी विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किये जाने का प्रयास किया जावे।

#### 12.10 संभावित व्यय

कार्यवृत्त के क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य पर व्यय चयनित क्षेत्र की स्थिति, कार्य की मात्रा, प्रकृति और अन्य अनेक तात्कालिक कारकों पर निर्भर है। इस कारण से कार्यवृत्त अधीन क्षेत्र के पूर्ण उपचार पर होने वाले व्यय को सही सही बताना संभव नहीं है। परन्तु आयोजना की दृष्टि से कार्यवृत्त के क्षेत्र के उपचार पर वर्तमान श्रमिक व सामग्री दरों पर 50 हेक्टेयर की चयनित इकाई में निम्नानुसार न्यूनतम व्यय संभावित है :

### 12.10.1

#### वित्तीय पूर्वानुमान :-

12.10.2 कार्य आयोजना अवधि में कुल 4050 हैक्टर वन क्षेत्र उपचार हेतु इस प्रबंधन वृत्त में लिया गया है। इस प्रबंधन वृत्त में 50 हैक्टर की युनिट ली जावेगी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना 2 के ANR माडल के अनुसार रूपये 24879 के अनुसार 4050 हैक्टर वनक्षेत्र उपचार हेतु कुल प्रस्तावित व्यय 1007.59 लाख होना संभावित है।

## अध्याय 13

### साझा वन प्रबन्धन (अतिच्छादी) कार्य वृत्त

#### Joint Forest Management (Overlapping) Working Circle

##### 13.1 सामान्य संरचना

13.1.1 राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता 2004 की अनुपालना में इस कार्यवृत्त का प्रथम बार गठन किया गया है। यह कार्य वृत्त समस्त जिले पर अतिच्छादी है। इसमें साझा वन प्रबन्ध प्रणाली से जिले के वन क्षेत्र में प्रस्तावित समस्त कार्यों की विधि वर्णित की गई है।

##### 13.2 सम्मिलित क्षेत्र

13.2.1 जिले का समस्त वन क्षेत्र इस कार्य वृत्त में सम्मिलित है।

##### 13.3 साझा वन प्रबन्ध – एक परिचय

13.3.1 राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों को मानते हुए भारत सरकार द्वारा 07 दिसम्बर 1988 को वर्तमान में प्रचलित नवीन वन नीति, 1988, प्रतिस्थापित की गई जिसके मूल उद्देश्यों में से एक उद्देश्य निम्न है

*“वर्तमान मौजूद वनों पर दबाव को न्यूनतम करने तथा उपरोक्त (वन नीति के अन्य) उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु महिलाओं को सम्मिलित करते हुए व्यापक जन आंदोलन का निर्माण करना।”*

13.3.2 इसके फलस्वरूप सन् 1990 में साझा वन प्रबन्ध की प्रणाली का वनों के प्रबन्धन में उपयोग करने के संकल्प के साथ ही वनों के प्रबन्ध में, स्थानीय ग्रामवासियों के अधिकार व रियायतों में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ है। परिभ्रंषित एवं वृक्षविहीन वनक्षेत्रों को पुनः हरा भरा करने में ग्रामवासियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा

राज्यादेश क्रमांक एफ 7(39)75/90 जयपुर, दिनांक 15 मार्च 1991 जारी किया गया। जिसके अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र में कार्यरत संघ ट्री ग्रोवर्स को-आपरेटिव/वन श्रमिक सहकारी समिति/ग्राम्य वन सुरक्षा एवं विकास समिति एवं अन्य ऐसी सहकारी समितियों को परिभ्रांषित वन भूमि के टुकड़े को विकास, सुरक्षा एवं प्रबन्ध का दायित्व सौंपा जा सकता था। और इस प्रकार की जनभागीदारी की एवज में संबंधित संस्था/समिति के सदस्यों को क्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास से उत्पन्न होने वाली लघु वन उपज (बांस के अलावा) जैसे घास, पत्ते, फल-फूल, टूटी हुई टहनियां इत्यादि सुविधानुसार प्राप्त कर सकते थे। घास व चारा निःशुल्क उपलब्ध था। इसके अलावा क्षेत्र में लगाये गये वृक्षों के विदोहन पर उनसे प्राप्त होने वाली कुल आय में से वृक्षारोपण एवं वन विकास पर हुए सरकारी व्यय को कम करते हुए बची शुद्ध आय का 60 प्रतिशत भाग समिति के सदस्यों को दिये जाने का प्रावधान था। इसमें यह भी व्यवस्था थी कि समिति को इस प्रकार प्राप्त हिस्से में से कम से कम आधा भाग पुनः वृक्षारोपण हेतु लगाना होगा।

13.3.3 तदुपरान्त राज्य सरकार द्वारा **राज्यादेश क्रमांक एफ 7(23)वन/90 जयपुर, दिनांक 26 अप्रैल 1991** जारी किया गया जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भूमि, गोचर एवं सरकारी पड़त भूमि पर किये गये वृक्षारोपण में स्थानीय वासियों से सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया निधारित की गई थी। इसमें ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के गठन, कार्यप्रणाली, दायित्व आदि निर्धारित किये गये तथा वनउपज के वितरण की भी व्यवस्था कायम की गई।

13.3.4 1991 के पश्चात् साझा वन प्रबन्ध के क्रियान्वयन में आ रही विभिन्न बाधाओं के उन्मूलन तथा केन्द्र सरकार द्वारा सुझाए गये उपायों को सम्मिलित करते हुए अन्ततोगत्वा **राज्यादेश क्रमांक फ 7(39)/90 जयपुर, दिनांक 17.10.2000** से उपर्युक्त सभी राज्यादेशों का सम्मिलित व संशोधित स्वरूप प्रसारित हुआ।

वर्तमान में साझा वन प्रबन्धन इस राज्यादेश के अंतर्गत संचालित है। इस राज्यादेश में वृक्षविहीन/परिभ्रंषित क्षेत्र के अलावा वृक्षविहीन अथवा परिभ्रंषित होने की कगार पर खड़े वन/वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा/विकास/प्रबन्धन में सक्रिय समितियों को अनेक अधिकार व रियायतें प्रदान किये गये हैं जिनका वर्णन भाग 1 के अध्याय 1 में विस्तार से किया गया है।

### 13.4 जिले में साझा वन प्रबन्धन का वर्तमान स्वरूप

#### 13.4.1 समितियों का गठन व पंजीयन

जिले में विभाग द्वारा साझा वन प्रबन्धन को विधिवत् गठित तथा कार्यालय, उप वन संरक्षक, डूंगरपुर में पंजीकृत, वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से ही फलीभूत किया जा रहा है। समितियों द्वारा कार्यसमिति की अथवा पूर्ण समिति की नियमित बैठक आयोजित कर, समिति के कार्य के संबंध में निर्णय लिया जाता है। बैठक में महिलाओं की उपस्थिति व भागीदारी समिति आधारित है। परन्तु आम तौर पर यह कम ही है।

#### 13.4.2 क्षेत्र की सुरक्षा में समिति की भागीदारी

समितियों द्वारा अपने क्षेत्र का प्रबन्धन वर्षाकाल में एवं उसके बाद घास निस्तारण तक सक्रियता से किया जाता है। परन्तु घास कटाई के बाद इस सक्रियता में कमी आ जाती है। आम तौर पर समिति द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व दिया जाता है जिसको समिति द्वारा नकद राशि से प्रतिपूरित किया जाता है। जबकि साझा वन प्रबन्ध की मूल अवधारणा में समिति के सभी सदस्यों को स्वयं बारी बारी से क्षेत्र की सुरक्षा व विकास में अपनी भूमिका अदा करना अपेक्षित है।

13.4.3 माह अक्टूबर से माह जून तक की अवधि में वन क्षेत्र से घास की उपलब्धता नहीं होती है, उस दौरान लोगों द्वारा अपने मवेशियों को चरने हेतु वन में खुला लावारिस छोड़ दिया जाता है। इन खुली मवेशियों से वन क्षेत्र की चराई से सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है।



#### 13.4.4 मुख्य आंकड़े

जिले में पंजीकृत समितियों से संबंधित दिनांक 19.11.2011 को, रेंजवार प्रमुख आंकड़े निम्नानुसार है :

क्र. स.	विवरण	डूंगरपुर	बिच्छीवाड़ा	सागवाड़ा	सीमलवाड़ा	आंतरी	आसपुर	योग
1	कुल पंजीकृत समितियां	36	39	46	37	73	46	277
	सदस्य संख्या	7545	10048	8277	5168	13250	10871	55159

#### 13.4.5 साझा वन प्रबन्धन की क्षेत्रवार स्थिति का आंकलन

रेंज	कुल समितियाँ	समिति की दक्षता		
		ऐ	बी	सी
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
डूंगरपुर	36	4	26	6
सागवाड़ा	46	9	12	25
आंतरी	73	1	24	44
बिच्छीवाड़ा	39	4	2	33
सीमलवाड़ा	37	0	20	17
आसपुर	46	12	4	30
	277	30	88	159

### 13.5 प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य

इस कार्यवृत्त के गठन के निम्न विशेष उद्देश्य हैं :

1. साझा वन प्रबन्ध का विस्तार कर वन मण्डल के अधिकाधिक क्षेत्र को जन सहभागीता से विकसित एवं संरक्षित करना।
2. वन क्षेत्रों की सुरक्षा में स्थानीय लोगों एवं आदिवासियों की भागीदारी प्राप्त करना एवं सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना।
3. जनसहयोग से परिभ्रांषित वनों का विकास करना तथा अच्छे वनों को सुरक्षित रखना।
4. वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को साझा वन प्रबन्ध के तहत वन उपज उपलब्ध कराकर, उनकी सतत् साझेदारी कायम रखते हुए, वनों का विकास करना।

### 13.6. वनस्पति का सामान्य स्वरूप

13.6.1 क्षेत्र की वनस्पति का सामान्य स्वरूप भाग 1 के अध्याय 2 तथा सभी प्रधान व अतिच्छादी कार्यवृत्तों के अध्याय में वर्णित है। जिले में सामान्यतः प्राकृतिक रूप से रेंज डूंगरपुर, बिच्छीवाड़ा, आसपुर, विशुद्ध रूप से सागवान एवं कुछ खण्डो में मिश्रित रूप से पाया जाता है। सागवाड़ा एवं सीमलवाड़ा रेंज में मिश्रीत प्रजाति के पाये जाते हैं।

13.6.2 विभाग द्वारा किये किये गये वृक्षारोपणों में उपरोक्त के अतिरिक्त देशी बबूल , चुरैल, बेर, आंवला, सिरस, सेवन, नीम, बेर, कुमठा, खैर, सेंजना, रोंझ आदि के विभिन्न आयु के पौध व वृक्ष भी पाये जाते हैं।

### 13.7. साझा वन प्रबन्धन प्रणाली के अंतर्गत किये गये कार्य

13.7.1 विभाग द्वारा विगत वर्षों में वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों से विधिवत अनुबन्ध कर आयना वन प्रबन्धन प्रणाली में कार्य करवाये गये हैं जिसका विवरण योजना एवं कार्य स्थल का निम्नानुसार है।

वर्ष 2003 के वृक्षारोपण कार्यस्थल					
क्र. स.	योजना	रेंज	साइट	क्षेत्रफल	पौधों की संख्या
1	FDA	आंतरी	डोलवरिया ओडा	50	0.10
2	FDA	आंतरी	कुंजेला तरावाडा	50	0.10
3	FDA	आंतरी	कोलखण्डा जेलुआ	50	0.35
4	FDA	सीमलवाडा	बलवनिया	50	0.10
5	FDA	सीमलवाडा	बोडामली	50	0.35
6	FDA	सीमलवाडा	पियोला	50	0.20
7	FDA	सागवाडा	अम्बाडा	50	0.20
8	FDA	बिछीवाडा	नया तालाब	50	0.10
9	FDA	बिछीवाडा	पुनरावाडा	50	0.10
10	FDA	आसपुर	पादरा	50	0.10
11	FDA	आसपुर	खानन	50	0.10
12	FDA	आसपुर	कनोडिया	50	0.10
13	FDA	डूंगरपुर	छैला खैरवाडा	50	0.10
14	FDA	डूंगरपुर	माण्डवा	50	0.10
15	FDA	डूंगरपुर	गलन्दर वागबोल	50	0.35
			योग:-	750	2.45
वर्ष 2004 के वृक्षारोपण कार्यस्थल					
1	2	3	4	5	6
1	RFBP	डूंगरपुर	वजेपुरा रानीझूला	50	0.35
2	RFBP	डूंगरपुर	रातापानी जैलाना ए	50	0.10
3	RFBP	आंतरी	चारवाडा खैरिया ए	50	0.22
4	RFBP	आंतरी	वईयोडा कं.नं. 7	50	0.25

5	RFBP	सागवाडा	घाटा माविता कुबेसिया	50	0.25
6	RFBP	सागवाडा	कांठल बलरामपुरा	50	0.25
7	RFBP	बिछीवाडा	धावडा घाटा माकरेडा	50	0.10
8	RFBP	आसपुर	जसपुर खैरमाल	50	0.25
9	RFBP	आसपुर	फलिहौर पुंजपुरा	50	0.10
10	RFBP	सीमलवाडा	गराडा वक्तापुर	50	0.10
11	RFBP	सीमलवाडा	गराडा पानी	50	0.10
12	RFBP	सीमलवाडा	कालियादरा	50	0.10
13	FDA	डूंगरपुर	छैला खैरवाडा	50	0.10
14	FDA	डूंगरपुर	माण्डवा	50	0.10
15	FDA	डूंगरपुर	गलन्दर वागबोल	40	0.28
16	FDA	डूंगरपुर	आडीवाट	40	0.28
17	FDA	बिछीवाडा	नया तालाब	50	0.10
18	FDA	बिछीवाडा	पुनरावाडा	50	0.10
19	FDA	सीमलवाडा	बोडामली	30	0.21
20	FDA	सीमलवाडा	बलवनिया	50	0.10
21	FDA	सीमलवाडा	पियोला	50	0.10
22	FDA	आंतरी	डोलवरिया ओडा	50	0.10
23	FDA	आंतरी	नया गांव बी सुराता	50	0.20
24	FDA	सागवाडा	डामरिया गिर्द जादेला	50	0.10
25	FDA	सागवाडा	घाटा माविता न्यू कॉलोनी डोला	40	0.20
26	FDA	आसपुर	म्याला	50	0.173
27	FDA	आसपुर	पादरा	50	0.10
28	FDA	आसपुर	खानन	50	0.10
29	क्षतिपूर्ति वृक्षा.	सीमलवाडा	मेघतालाब	56	0.392
30	क्षतिपूर्ति वृक्षा.	सीमलवाडा	गराडा ढेचरा	40	0.28
			<b>योग:-</b>	<b>1446</b>	<b>5.185</b>
<b>वर्ष 2005 के वृक्षारोपण कार्यस्थल</b>					
1	RFBP	सीमलवाडा	मेघ तालाब	50	0.35
2	RFBP	आंतरी	घटखाना	50	0.35

3	RFBP	आसपुर	सूलिया वेणका खानन	50	0.25
4	RFBP	आंतरी	चारवाडा खेरिया बी	50	0.25
5	RFBP	आंतरी	वईयोडा कं.नं. 7	50	0.25
6	RFBP	सीमलवाडा	गराडा सरथूना	50	0.20
7	RFBP	सागवाडा	घाटा माविता कुबेसिया	50	0.20
8	RFBP	बिछीवाडा	धावडा घाटा माकरेडा	50	0.10
9	RFBP	सीमलवाडा	कालियादरा	50	0.10
10	RFBP	सीमलवाडा	गराडा माना का देव	45	0.09
11	RFBP	सीमलवाडा	गराडा पानी	55	0.11
12	RFBP	आसपुर	खानन मोदरा	50	0.10
13	RFBP	आसपुर	फलिहोर पुंजपुरा, चोरामंगरा	50	0.10
14	RFBP	सीमलवाडा	रीछका की नाल	50	0.10
15	RFBP	डूंगरपुर	रातापानी जेलाना	50	0.10
16	RFBP	सीमलवाडा	चारवाडा रीछ का की नाल	60	0.30
17	RFBP	आंतरी	कुंजेला कं.नं. 6 फावटा	50	0.25
18	RFBP	सागवाडा	कांठल सोनावली	40	0.20
19	RFBP	आसपुर	जसपुर खेरमाल	50	0.25
20	RFBP	डूंगरपुर	राताघाटा भीण्डा	50	0.25
21	RFBP	सीमलवाडा	चारवाडा कं.नं. 6	50	0.25
22	RFBP	आंतरी	आडामाल कं.नं. 2 पुनाली	50	0.10
23	RFBP	सागवाडा	घाटा माविता पंचवाल	50	0.10
			योग:-	<b>1150</b>	<b>4.35</b>
<b>वर्ष 2006 के वृक्षारोपण कार्यस्थल</b>					
1	RFBP	आंतरी	वयोईडा कं.न. हिरात ऐ	50	0.25
2	RFBP	आंतरी	मृगतालाब कू.न.3 सूरेला ए	50	0.22

3	RFBP	आंतरी	डोलवरिया ओडा	50	0.25
4	RFBP	आंतरी	मृगतालाब कू.न.3 सूरेला बी	50	0.25
5	RFBP	आंतरी	कुजेला कं.न. 6 फावटा बी	50	0.25
6	RFBP	आंतरी	वयोईडा इन्दौडा उपला सी	50	0.25
7	RFBP	आंतरी	मगरा जेलूवा कोलखण्डा	50	0.25
8	RFBP	आंतरी	मृगतालाब क.न. 8 बीजावाडा	50	0.10
9	RFBP	आंतरी	वड्डयोडा क.नं. 10 सिदडी	50	0.10
10	RFBP	सीमलवाडा	चारवाडा हासेला	50	0.35
11	RFBP	सीमलवाडा	चारवाडा बलवनिया	60	0.30
12	RFBP	सीमलवाडा	चारवाडा कालियादरा	50	0.25
13	RFBP	सीमलवाडा	शिशोट अम्बाडा	50	0.25
14	RFBP	सीमलवाडा	शिशोट बादेला	50	0.25
15	RFBP	सीमलवाडा	रीछका की नाल क.नं. 1	50	0.25
16	RFBP	सीमलवाडा	डूंगरसारण कलमघाटा	50	0.10
17	RFBP	सीमलवाडा	डूंगरसारण चौकी	50	0.100
18	RFBP	सीमलवाडा	गराडा कंकूडी	50	0.100
19	CA	सीमलवाडा	गराडा ढेचरा	14.31	0.100
20	RFBP	आसपुर	सूलिया वेणका	50	0.250
21	RFBP	आसपुर	सुलिया वेणका पालनिठाउवा	50	0.250
22	RFBP	आसपुर	खेडा सामौर	50	0.100
23	CA	आसपुर	खलील दूढा	27.714	0.305
24	RFBP	बिछीवाडा	कवला पीपल ए	45	0.225
25	RFBP	बिछीवाडा	चूरलवैया ए	50	0.24
26	RFBP	डूंगरपुर	राताघाटा भिण्डा बी	50	0.25

27	RFBP	डूंगरपुर	रातापानी लक्मा रोदा	50	0.25
28	RFBP	डूंगरपुर	रातापानी शरम	50	0.25
29	RFBP	डूंगरपुर	रातापानी जेलाण सी	50	0.10
30	RFBP	डूंगरपुर	रातापानी वाटडा	50	0.10
31	RFBP	डूंगरपुर	घूघरिया	25	0.20
32	RFBP	सागवाडा	घाटा माविता सात नालूवा	50	0.22
33	RFBP	सागवाडा	डामरिया गिर्द मालियावाडा	40	0.20
34	RFBP	सागवाडा	कांठल बलरामपुर	55	0.275
			<b>योग:-</b>	<b>1617.024</b>	<b>7.185</b>

**वर्ष 2007 के वृक्षारोपण कार्यस्थल**

1	RFBP	आंतरी	वईयोडा क.नं0 4 हिराता बी	50	0.25
2	RFBP	बिछीवाडा	चुलरर्वया -बी	50	0.25
3	RFBP	बिछीवाडा	कंवला पीपल बी	50	0.25
4	RFBP	डूंगरपुर	राजधानी	50	0.20
5	RFBP	आसपुर	फलियोर चौरामगरा	50	0.25
6	RFBP	आसपुर	सुलिया वेणका घाणीफला	50	0.25
7	RFBP	सीमलवाडा	चारवाडा क.नं. 7	50	0.25
8	RFBP	आसपुर	खैडा सामोर पार्ट-सी	50	0.10
9	RFBP	आंतरी	मृगतालाब क.नं. 2 सुरेला सी	50	0.10
10	RFBP	सीमलवाडा	चारवाडा बलवनिया कुण्डली	50	0.25
11	RFBP	सागवाडा	घाटामाविता नवाघरा	50	0.25
12	RFBP	आंतरी	आंतरी क.नं. 4 राजपुर	50	0.25
13	RFBP	बिछीवाडा	चुलरवैया खजूरी	50	0.25
14	RFBP	आसपुर	रीछामागरा	20	0.16
15	RFBP	डूंगरपुर	बलवाडा	30	0.24

16	FDA	सीमलवाडा	चारवाडा रेलाफला	50	0.10
17	FDA	आसपुर	अमृतिया	50	0.10
			<b>योग:-</b>	<b>800</b>	<b>3.50</b>

वर्ष 2008 में विभागीय वृक्षारोपण कार्य नहीं कराया गया है

### 13.8 साझा वन प्रबन्धन प्रक्रिया से क्षेत्र को प्राप्त होने वाले लाभ

13.8.1 वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को क्षेत्र के प्रबन्धन में सहभागी होने पर लोगो को निम्नांकित लाभ प्राप्त हो सकते हैं :

- 1- प्रतिवर्ष प्रचुर मात्रा में घास, चारे हेतु विभिन्न प्रजातियों की पत्तिया, शहद, विभिन्न प्रजातियों जैसे आम, नीम, आंवला, बेर, जामुन, आदि के फल, फूल आदि।
- 2- विभिन्न प्रकार की गौण वन उपज एवं औषधीय पौधो की उपज।
- 3- प्रबन्ध योजनानुसार बासं, जलाऊ लकड़ी, छोटी लकड़ी, आदि।
- 4- राज्यादेश के अनुसार परिपक्व वृक्षों के विदोहन से प्राप्त आय का हिस्सा।

### 13.9 कार्ययोग्य क्षेत्र

13.9.1 विगत वर्षों में विभाग द्वारा अनेक वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को वन प्रबन्धन में सक्रियता से सम्मिलित किया गया है जिसके कारण सस्य की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। सुरक्षा समितियो को वनों की सुरक्षा में मुख्य रूप से सहभागी बनाते हुऐ वन सुरक्षा से प्राप्त होने वाले अन्तर अवधि लाभ यथा घास, कर्षण (Crop tending) कार्यों से मिलने वाली वन उपज तथा विभिन्न क्षेत्रों में इको ट्यूरिजम विकसित होने से उनकी आय वृद्धि की सम्भावनाएं तलाशनी चाहिये।

### 13.9.2 कार्य की विधि

साझा वन प्रबन्ध प्रणाली से वन प्रबन्धन हेतु निम्नानुसार विधि अपनाई जावेगी :



- 1- सर्वप्रथम साझा प्रबन्धन हेतु क्षेत्र का चयन, तकनीकी आवश्यकता व स्थानीय मांग एवं लोगों की अपेक्षा के अनुरूप किया जावेगा। दो या अधिक कार्यवृत्त को क्षेत्र होने पर संबंधित भाग को उसके कार्यवृत्त के प्रबन्धन में उसके कार्य वृत्त के विनियमों का ध्यान रखा जावेगा।
- 2- यथासंभव , चयनित क्षेत्र में अभिरुचि रखने वाले अथवा क्षेत्र के प्रबन्धन में हित रखने वाले अथवा उस पर निर्भर या प्रभावित समस्त व्यक्तियों की पहचान कर , उनकी वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का विधिवत् गठन किया जावेगा।
- 3- समिति के साथ मिलकर, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए, क्षेत्र के समग्र विकास हेतु तथा लोगों के जुड़ाव को बनाये रखने के उद्देश्य से, सूक्ष्म नियोजन को कार्य किया जावेगा।
- 4- सूक्ष्म नियोजन में ऐसा कोई कार्य प्रस्तावित नहीं किया जावेगा जोकि क्षेत्र के कार्य आयोजना वृत्त के प्रावधान के अनुसार एवं सही तकनीकी प्रबन्धन अथवा साझा वन प्रबन्धन हेतु उपयुक्त नहीं हो।
- 5- स्थानीय मांग होने पर भी, इस प्रकार का कोई कार्य नहीं लिया जावेगा जोकि क्षेत्र के प्रधान कार्य आयोजना वृत्त के प्रावधान के अनुसार एवं सही तकनीकी प्रबन्धन हेतु उपयुक्त नहीं हो।
- 6- वनक्षेत्र में कार्य आयोजना के अनुसार ही कार्य किये जावेंगे। गैर वन क्षेत्र में सूक्ष्म नियोजन के अनुसार वानिकी कार्य किये जा सकते हैं।

### 13.10 सूक्ष्म नियोजन

- 13.10.1 इस क्रिया व प्रतिवेदन के माध्यम से सभी प्रभावित व संबंधित व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है तथा क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन, क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं, लोगों की आवश्यकताएं व अपेक्षाएं तथा विकास योजना के क्रम को अभिलिखित किया जाता है। क्षेत्र की वास्तविकता ज्ञात करने के उद्देश्य से, यह

कार्य सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन पद्धति से किया जाता है । साझा वन प्रबन्धन के सुदृढीकरण हेतु सूक्ष्म नियोजन के संबंध में विभाग द्वारा अनेक निर्देश, पुस्तिकाएं व आदेश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के अनुरूप सूक्ष्म नियोजन कार्य, समिति गठन तथा सूक्ष्म नियोजन एवं उसके उपरांत भी, साझा वन प्रबन्धन को सफलतापूर्वक बढ़ाने के लिये प्रत्येक ग्राम स्तर पर कम से कम एक ग्राम स्तरीय प्रेरक की पहचान कर उसको आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर, उससे आपसी तालमेल का कार्य लिया जाना चाहिये। हालांकि वर्तमान में मात्र 92 समितियों के संबंध में सूक्ष्म नियोजन किया गया है । समस्त समितियों के सूक्ष्म नियोजन, कार्य आयोजना अवधि के प्रथम दो वर्ष में तैयार किये जावे।

### 13.11 अभिलेख संधारण

13.11.1 विभागीय निर्देशों के अनुसार समस्त अभिलेखों का नियमित संधारण सुनिश्चित किया जावेगा। निम्न अभिलेखों के संधारण पर विशेष ध्यान दिया जावे :

- 1- संचालक मण्डल एवं साधारण सभा की नियमित बैठक पंजिका
- 2- समिति के द्वारा संचालित समस्त वित्तीय खातों की पासबुक ।
- 3- समस्त वित्तीय लेन देन को दर्शाती सभी रोकड़ पंजिकाएं ।
- 4- वन उपज संग्रहण व निस्तारण पंजिका ।
- 5- सूक्ष्म नियोजन प्रतिवेदन ।

### 13.12 अनुरक्षण कोष

13.12.1 विभाग द्वारा सभी समितियों में पृथक से "अनुरक्षण कोष" की स्थापना के निर्देश जारी किये गये हैं । इस कोष का उद्देश्य, विभागीय सहायता की समाप्ती के बाद भी समिति स्तर पर क्षेत्र के संधारण हेतु वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है ।

13.12.2 वर्तमान में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अतर्गत समितियों को अनुरक्षण कोष हेतु पृथक से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। समितियों को स्वयं के स्तर से भी अनुरक्षण कोष में योगदान करने हेतु प्रेरित किया जावे। समस्त समितियों में अनुरक्षण कोष की स्थापना करने का प्रयास किया जावे।

### 13.13 प्रवेश बिन्दु गतिविधियां

13.13.1 स्थानीय समुदाय का विश्वास हासिल करने तथा उनसे सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करने हेतु किये जाने वाले सामुदायिक लाभ के कार्य “प्रवेश बिन्दु गतिविधियां” कहलाते हैं। साझा वन प्रबन्ध को स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अतर्गत अनेक प्रकार की प्रवेश बिन्दु गतिविधियां ली गई हैं जैसे :

- 1- सिंचाई अथवा पीने के पानी हेतु जल संरक्षण संरचनाएं
- 2- मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएं ,
- 3- पेयजल हेतु कुएँ व हैण्ड पम्प निर्माण अथवा मरम्मत आदि
- 4- सामुदायिक उपयोग हेतु भवन , चबूतरा , यात्री प्रतीक्षालय , विद्यालय में कमरे, शौचालय आदि
- 5- पशु चिकित्सा शिविर
- 6- सिलाई, बुनाई जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्य
- 7- अनाज बैंक
- 8- पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम
- 9- ईंधन बचत के उपकरणों व यंत्रों का वितरण
- 10- स्वयं सहायता समूह द्वारा रोजगार व आय सृजन आदि की गतिविधियां
- 11- पारिस्थितिकी पर्यटन के अन्तर्गत तालाबों में नाव, रहने, अल्पाहार आदि की व्यवस्था का संचालन

इन गतिविधियों ने निश्चित ही साझा वन प्रबन्धन को जिले में स्थापित करने में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं ।

### 13.14 विवाद समाधान

13.14.1 समिति के गठन एवं कार्य क्रियान्वयन में समय समय पर अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः सभी प्रकार के विवाद पर त्वरित कारवाई कर सामाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। विवाद समाधान हेतु साझा वन प्रबन्ध के राज्यादेश में समिति की साधारण सभा की भूमिका को महत्त्वपूर्ण बताया गया है। विभाग के कार्य प्रभारी कर्मचारी, वनरक्षक, वनपाल द्वारा इसमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है।

### 13.15 समितियों की दक्षता का आंकलन

13.15.1 वर्तमान में समितियों को अत्यंत ही अनुभूतिपरक प्रक्रिया से निम्न तीन दक्षता श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा रहा है :

- 1- श्रेणी ए : इस श्रेणी की 27 समितियां सक्रिय हैं ।
- 2- श्रेणी बी : इस श्रेणी की 95 समितियां विकासशील है ।
- 3- श्रेणी सी : इस श्रेणी में कम सक्रिय 155 समितियां है ।

13.15.2 विभाग द्वारा निम्न मापदण्डों पर समिति की दक्षता को परखने के निर्देश हैं :

<b>1</b>	समिति गठन (अधिकतम देय अंक 20)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- ग्राम के कुल घरों में से कितने प्रतिशत सदस्य बने</li> <li>2- महिला सदस्यों की संख्या और कुल सदस्यों की तुलना में प्रतिशत</li> <li>3- अनुसूचित जाति /जनजाति/भूमिहीनों की भागीदारी</li> </ol>

	4. महिला उपसमिति का गठन तथा सदस्यों की संख्या
<b>2</b>	<b>सक्रियता (अधिकतम देय अंक 20)</b>
	1- समिति के गठन को कितने वर्ष हुए हैं 2- वर्ष में कितनी बैठके आयोजित हुई 3- बैठक को कोरम के आभाव में कितनी बार स्थगित किया गया 4- अध्यक्ष ने कितनी बार कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया 5- महिला उपसमिति द्वारा परित प्रस्तावों के नतीजे क्या रहे 6- उपनियम तैयार हुए या नहीं 7- प्रबन्ध योजना बनी या नहीं
<b>3</b>	<b>परिणाम (अधिकतम देय अंक 20)</b>
	1- किस किस वनउपज का लाभ जनता को दिया गया 2- क्या वन उपज की वितरण पंजिका संधारित है 3- लाभान्वित परिवारों की संख्या 4- लाभ सःशुल्क या निःशुल्क दिया गया 5- समिति के गठन से पूर्व वन अपराधों की संख्या 6- गठन के बाद वर्षवार वन अपराध की स्थिति
<b>4</b>	<b>सुरक्षा प्रबन्ध (अधिकतम देय अंक 20)</b>
	1- सुरक्षा विभाग द्वारा की जा रही है या समिति द्वारा 2- सुरक्षा समिति द्वारा कितने वन अपराध की सूचना विभाग को दी गई 3- वन अपराधों के निस्तारण की क्या प्रक्रिया है 4- कुल ३ शास्ति वसूली कितनी हुई

<b>5</b>	<b>सतत् विकास की ओर (अधिकतम देय अंक 20)</b>
	<p>1- अनुरक्षण कोष या ग्रामीण विकास कोष में रखी गई राशि कितनी है</p> <p>2- समिति द्वारा वनों के व लघु वन उपज के विकास के बारे में उठाये गये कदम और उसके परिणाम क्या रहे</p> <p>3- समिति द्वारा राज्य सरकार के अन्य विभागों के कार्य में रूचि</p> <p>4- अनुरक्षण कोष या ग्रामीण विकास कोष से प्राप्त राशि के उपयोग से हुए विकास कार्यों का ब्यौरा</p> <p>5- विवादों का निपटारा</p>

13.15.3 उपरोक्त प्रत्येक मापदण्ड पर समिति को शून्य से 20 तक के विस्तार में अंक दिये जावेंगे। समिति को सक्रिय, विकासशील अथवा कम सक्रिय श्रेणी में रखने के लिये उपरोक्त मापदण्डों की न्यूनतम उपलब्धि स्तर निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है :

- 1- सक्रिय समिति – 60 प्रतिशत या उससे अधिक
- 2- विकासशील समिति – 35 से 60 प्रतिशत तक
- 3- कम सक्रिय समिति – 35 प्रतिशत या उससे कम

13.15.4 कार्य आयोजना अवधि में प्रतिवर्ष विगत वित्तीय वर्ष में समिति की दक्षता का आंकलन उपरोक्त विभागीय निर्देशानुसार किया जावेगा तथा तदानुसार ही समिति का दक्षता वर्गीकरण किया जावेगा।

13.16 साझा वन प्रबन्धन सुदृढीकरण

13.16.1 ग्रामवासियों की वन प्रबन्धन में सहभागिता की मनोवृत्ति में भिन्नता को देखते हुए उनका रुझान वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन की ओर विकसित किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिये । मुख्य रूप से समिति के पास विभागीय वृक्षारोपण नहीं होने की स्थिति में भी उनका जुड़ाव बना रहे एवं उन्हें सक्रिय रखा जा सके ऐसे कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन किये जाने चाहिये ।

### 13.16.2 साझा वन प्रबन्ध कार्य क्रियान्वयन क्रम

वानिकी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के दो वर्ष में	क्षेत्र में व्यापक जनसम्पर्क कार्यक्रम, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन क्रिया, समिति का गठन, सूक्ष्म नियोजन एवं कुछ प्रवेश बिन्दु गतिविधियां, वनक्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, उचित लगने पर क्षेत्र के बाड़बन्दी का कार्य भी लिया जा सकता है ।
वानिकी कार्य प्रारम्भ करने के वर्ष में	प्रबन्ध योजना तैयारी, वानिकी कार्य प्रारम्भ, प्रवेश बिन्दु गतिविधियां, संचार, प्रसार व प्रशिक्षण कार्यक्रम,
वानिकी कार्य प्रारम्भ करने के बाद के दो वर्ष में	प्रवेश बिन्दु गतिविधियां, संचार, प्रसार व प्रशिक्षण कार्यक्रम, वानिकी कार्य, अनुरक्षण कोष की स्थापना, ग्राम विकास कोष की स्थापना
वानिकी कार्य प्रारम्भ करने के दो वर्ष बाद की अवधि में, उचित गति से	प्रबन्ध योजना के अनुसार क्षेत्र में वानिकी कार्य से लाभ प्रदान करना, अनुरक्षण कोष में योगदान ग्राम विकास कोष में योगदान व उपयोग , अभिनव कार्य, कौशल विकास, समिति को बाजार से जोड़ना तथा उनके उत्पादों को विपणन आदि कार्य

## 13.17 विविध विनियम

### 13.17.1 वर्तमान में समितियों के माध्यम से प्रबन्धित क्षेत्र के संबंध में

विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत एवं विभागीय निर्देशों की अनुपालना में जिले में 277 वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से लगभग 287.45 वर्ग किमी वन क्षेत्र को साझा वन प्रबन्धन के दायरे में लाया गया है। इन क्षेत्रों में समिति की सक्रियता, प्रचलित विभागीय योजनाओं व उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार वानिकी विकास, वन सुरक्षा, बांस विदोहन, वन उपज संग्रहण जैसे अनेक प्रकार के कार्य कराये गये हैं। परन्तु अधिकांशतः स्वीकृत प्रबन्ध योजना व सूक्ष्म नियोजन को अभाव रहा है। अब इन क्षेत्रों में तथा इनसे संबंधित गैर वन क्षेत्रों में उपरोक्त वर्णित उपचार विनियमों व विधि के अनुसार कार्य कराया जावेगा।

### 13.17.2 सामुदायिक प्रेरक

विभागीय स्तर पर सामुदायिक संगठन निर्माण में आवश्यक दक्षता, प्रशिक्षण व सम्पर्क की निरन्तरता की कमी को पूरा करने हेतु विभाग को कम से कम एक पूर्णकालिक सामुदायिक प्रेरक की सेवाएं लेनी चाहिये। यथा संभव, यह प्रेरक कोई चयनित स्थानीय समूह, संस्था अथवा महिला हो। इस प्रकार नियोजित सामुदायिक प्रेरक से निम्न कार्य लिये जा सकते हैं :

1. कुशल सामुदायिक संगठन
2. सम्पर्क में समानता व निरन्तरता
3. उचित सम्पर्क व सामुदायिक विकास के प्रति उचित दृष्टिकोण
4. विवाद समाधान



### 13.17.3 साझा वन प्रबन्ध प्रकोष्ठ की स्थापना

वनमण्डल स्तर पर इस हेतु कम से कम क्षेत्रीय वन अधिकारी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में पृथक से स्थाई कार्यदल हो। यह कार्यदल वन प्रसार व प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियमित रूप से आयोजित करने के अतिरिक्त सूक्ष्म नियोजन कार्य, प्रबन्ध योजना तैयार कार्य तथा साझा वन प्रबन्धन सुदृढीकरण के समस्त कार्य भी करेगा। इसके अतिरिक्त यह प्रकोष्ठ वन प्रबन्धन कार्य में उत्पन्न या उत्पादित वनोपज का उत्पादन, प्रसंस्करण, भण्डारण तथा विपणन आदि कार्य हेतु संस्थागत सुविधा भी प्रदान कर सकता है।

### 13.17.4 संभावित व्यय

क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय पर प्रशिक्षण हेतु सुविधाओं के क्रम में प्रस्तावित प्रशिक्षण कक्ष हेतु प्रति प्रशिक्षण कक्ष 5 लाख की दर से 4 कक्षों हेतु कुल 20 लाख रुपये का व्यय भी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त साझा वन प्रबन्धन सुदृढीकरण हेतु 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष कुल 50 लाख रुपये अपेक्षित है।

### 13.17.5 अधिकार व रियायतें

क्षेत्र में व्याप्त समस्त अधिकार व रियायतों के अनुप्रयोग, साझा वन प्रबन्धन के तहत तैयार व स्वीकृत प्रबन्ध योजना के अनुसार, कार्य आयोजना में किये गये प्रावधानों के अधिनस्थ रहते हुए किये जावेंगे।

## अध्याय – 14

### वन बन्दोबस्त एवं सीमांकन (अतिच्छादी) कार्य वृत्त

## Forest Settlement and Demarcation (Overlapping) Working Circle

### 14.1 सामान्य संरचना

14.1.1 इस वृत्त का कार्य क्षेत्र वनमण्डल डूंगरपुर का वन क्षेत्र है। सत्तर के दशक 6 वनखण्डों कांठल ए, बी व सी, लिखतिया पंचकुण्डी, शीशोट, डूंगरसारण, भादर, डामरिया दाहला का लगभग 7513.53 हैक्टर वन क्षेत्र माही बजाज सागर एवं कडाणा बांध के विस्थापितों को आवंटन करने के लिए राजस्व विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था। विस्थापितों को इस भूमि के कुछ भाग पर ही पुनर्वास करवाया गया और शेष 3370.87 हैक्टर पुनः वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई। लेकिन यह एक रुचिकर विषय है कि विस्थापित लोग इस भूमि पर बीच-बीच में चारों ओर फैले हुए काबिज हैं इसलिए बचा हुआ वनक्षेत्र वन उपयोग के लिए प्रभावहीन है। सही स्थिति ज्ञात करने के लिए इन वन क्षेत्रों का पुनः सर्वे होकर सीमांकन कार्य होना आवश्यक है।

वनखण्डों में इन्टीरियर लाइन का क्षेत्रफल का अनारक्षण :-

वन मण्डल में कुल 23 वनखण्डों में इन्टीरियर लाइन का क्षेत्रफल शामिल करके अंतिम विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है। जिसके कारण वन प्रबंधन के कार्य में अनिश्चिता की स्थिति बनी रहती है। वनखण्डों इन्टीरियर लाईन सर्वेक्षण कर अनारक्षण करवाना चाहिये। विवरण निम्नानुसार है।

### वनखण्डों का विवरण

क्र. सं.	रेंज	वनखण्ड	कुल क्षेत्रफल	इन्टीरियर लाइन	वास्तविक क्षेत्रफल(हे.)
1	डूंगरपुर	गंगेश्वर महादेव	11.400	10.952	0.448
2		रानीझूला	4380.568	779.672	3600.896

3		रातापानी	5155.984	736.064	4419.920
4	बिच्छीवाड़ा	रतनपुर	3300.984	1821.136	1479.848
5		चुलरवैया	2560.712	464.664	2096.048
6		माकरेड़ा	951.440	252.416	699.024
7		कंवला पीपललेख	3738.976	405.528	3333.448
8		पाबा	2152.104	44.00	2108.104
9		संचियो की माली	347.900	2.5920	345.308
10	सागवाड़ा	कांटल ए	3321.992	960.280	2361.712
11		कांटल बी	130.656	3.296	127.360
12		कांटल सी	45.280	0.160	45.120
13		घाटा माविता	1220.984	5.928	1215.056
14	सीमलवाड़ा	चारवाड़ा	2937.104	35.240	2901.864
15		गराड़ा	1747.120	6.128	1740.972
16		भादर	2175.632	390.520	1785.112
17		डूंगरसारण	4592.200	694.168	3898.032
18		शिशोट ए बी	1803.592	258.112	1545.480
19	आंतरी	घटखाना	559.008	0.216	558.792
20		भेडमाता	342.512	17.672	324.840
21		पगारा ए	322.088	2.336	319.752
22		पगारा बी	200.464	2.400	198.064
23		बिलुडा	39.448	1.560	37.888
			योग:-	6895.040	

14.1.1 वन क्षेत्रों का सर्वे कार्य पूर्ण कर सीमाबन्दी कर उसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में कराया जाना अपेक्षित था। किन्ही अपरिहार्य कारणों से जिस गति से यह कार्य करवाया जाना चाहिये था, नही करवाया जा सका है। काफी स्थानों पर सीमा चिन्ह जीर्ण शीर्ण अवस्था में अथवा टूट-फूट जाने के कारण उन स्थानों पर वन क्षेत्र की सीमा की निशादेही करने में कठिनाई एवं बाधाएं आती हैं। इसके अतिरिक्त वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने से पूर्व कुछ स्थानों पर वन क्षेत्र का आवंटन

होने के कारण सीमा रेखा स्थानान्तरित हो चुकी है, जिसके फलस्वरूप कई स्थानों पर यह सीमा चिन्ह गलत सीमा रेखा दर्शाते हैं, जिससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसका अवैध लाभ राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं जनता उठाती है तथा न्यायालय भी इसको विवाद का मुद्दा मान कर, विभाग के विरुद्ध प्रकरण दायर होते हैं। इसका कतिपय लाभ भी अन्य दावेदारों को मिलता है अतः इन सभी समस्याओं का निदान करने के लिये, इस अपूर्ण कार्य को त्वरित गति से टास्क फोर्स गठित कर, योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करना अति आवश्यक है। इसके लिये वित्तीय, तकनीकी योग्य कर्मचारी एवं अन्य आवश्यक संसाधन तथा सुविधायें उपलब्ध कराई जानी आवश्यक हैं।

- 14.1.2 वन क्षेत्रों के रिकॉर्ड, नक्शे तथा बीट मैप्स आदि बनवाये जाकर उनका रिकॉर्ड नये सिरे से कम्प्यूटर आदि की मदद से संधारित करना उचित होगा। इस रिकॉर्ड की प्रतियां नाके स्तर तक उपलब्ध करवा कर, इसकी संपूर्ण जानकारी स्टाफ को दी जानी चाहिये जिससे संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वन क्षेत्र तथा इसकी सीमाओं की समुचित जानकारी उपलब्ध हो सके तथा उसका व्यवहारिक रूप से कार्य में उपयोग हो सके। इस हेतु जोधपुर में स्थित जी.आई.एस. (GIS=Geographic information system) प्रणाली द्वारा कम्प्यूटर, अन्य उपकरणों एवं सम्बन्धित सॉफ्टवेयर की सहायता से वन क्षेत्रों के डिजिटल मानचित्र (Digital maps) तैयार कर रहे हैं एवं जी0टी0 शीट 1:50000 स्केल पर वनखण्ड को डिजिटिज करते हुए गूगल इमेज से प्राप्त क्षेत्रों को स्टॉक को ओवरले किया जा रहा है जो कि वनखण्डों की वास्तविक स्थिति एवं सस्य का घनत्व दिखाता है, जो कि वन प्रबंधन में काफी उपयोगी साबित होगा एवं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धी होगी

## 14.2 सम्मिलित क्षेत्र:-

14.2.1 डूंगरपुर वनमण्डल में 87 वन खण्ड हैं जिनका कुल वन क्षेत्र 69275.333 हैक्टेयर है । इसमें से 25708.357 आरक्षित एवं 42643.237 हैक्टेयर रक्षित एवं अवर्गीकृत 923.740 हैक्टेयर वन क्षेत्र है ।

### सारणी-

#### रेन्जवार वनक्षेत्र का विवरण

क्र. सं.	नाम रेंज	वनखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			
			आरक्षित	रक्षित	अवर्गीकृत	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	डूंगरपुर	12	5355.084	6050.688	923.740	12329.512
2	बिछीवाड़ा	10	12771.816	1791.320	0	14563.136
3	सागवाड़ा	13	0	7895.696	0	7895.696
4	सीमलवाड़ा	8	0	14456.056	0	14456.059
5	आंतरी	21	7249.144	4788.264	0	12037.408
6	आसपुर	23	332.312	7661.21	0	7993.522
	<b>योग :-</b>	<b>87</b>	<b>25708.356</b>	<b>42643.237</b>	<b>923.740</b>	<b>69275.333</b>

## 14.3 वन सुरक्षा कार्यवृत्त के मुख्य उद्देश्य:-

- (1) राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम अमलदरामद की कार्यवाही पूर्ण करना ।
- (2) मीनारबंदी द्वारा वन क्षेत्रों का सीमांकन एवं मीनारों का नियमित रूप से संधारण ।
- (3) प्रारंभिक और अंतिम विज्ञप्ति से शेष रहे वन खण्डों का कार्य पूर्ण करवाना ।
- (4) सभी वनखण्डों के नक्शों का डिजीटाईजेशन करना ।

(5) अनसर्वेड वन क्षेत्र का अमलदरामद कराना ।

(6) कडाना ँव माही विस्थापितों आंवटित वन भूमि को सीमांकन करना ँव अनारक्षण की कार्यवाही करना ।

इस वृत में वन मण्डल के प्रादेशिक क्षेत्र में आने वाले सभी वन खण्डों को सम्मिलित किया गया है ।

14.4 अमलदरामद की स्थिति:-

वन मण्डल डूंगरपुर की वनक्षेत्र की अमलदरामद की सूचना

क. स.	जिला	वन मण्डल	कुल वन भूमि	इस माह के अन्त में अमलदरामद शुदा वन भूमि	इस माह के अन्त में अमल दरामद से शेष वन भूमि का विवरण								योग
					अनसर्वेड	चारागाह	आंवटन	खातेदारी	आबादी (कडाणा पुनर्वास से वापसी शेष)	इन्टीरियर	अन्य विभाग की भूमि दर्ज होना (कडाणा पुनर्वास एवं अन्य विभागों को रिलिज)	अन्य कारण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	डूंगरपुर	डूंगरपुर	69275.333	18439.567	36529.556	19.752	191.922	—	2797.74	6895.040	4167.308	234.448	50835.766

#### 14.5.1 मीनार बन्दी :-

वन मण्डल में कुल 6627 बाऊन्ड्री पिलर्स प्रस्तावित है। इनमें से 1965 बाऊन्ड्री पिलर्स लगाये जा चुके हैं अब 4662 बाऊन्ड्री पिलर्स लगाना शेष है। वन खण्ड वार एंव रेंज वार बाऊन्ड्री पिलर्स की सूचना सारणी में दी गई है।

#### सारणी-

#### वन खण्डवार मीनारों की सूचना (प्रादेशिक वन क्षेत्र)

क्र. सं.	रेंज	वनखण्ड	कुल मिनारे	लगाये गये	शेष बचें
1	2	3	4	5	6
1	डूंगरपुर	छैला खेरवाडा	54	54	-
2		बीड रामपुर	42	42	-
3		खैरिया मंगरा	19	19	-
4		मंगरा मालन	25	25	-
5		गंगेश्वर महादेव	15	0	15
6		राताघाटा	66	49	17
7		रानीझूला	178	96	82
8		रातापानी	130	108	22
9		करमेला	0	0	0
10		राजधानी	0	0	0
11		गुमानपुरा	0	0	0
12		बलवाडा	0	0	0
13	बिछीवाडा	रतनपुर	100	0	100
14		चुलरवैया	82	0	82
15		करियामंगरा	23	23	0
16		माकरेडा	34	34	0
17		पीपललेख	60	34	26
18		संचियों की माली	41	0	41
19		पावा	94	94	0
20		पालीसोडा	147	28	119
21		देवल आमझरा उर्फ साबली	0	0	0
22		कैलाश रेंज	0	0	0
23	सागवाडा	कांठल ए	78	0	78
24		कांठल बी	14	14	0



25		कांठल सी	16	0	16
26		मेहतों का पाडला ए	72	2	70
27		मेहतों का पाडला बी	45	0	45
28		ओड पाडवा	41	41	0
29		जोतलेश्वर महादेव	29	29	0
30		सुन्दरपुर	20	20	0
31		डामरिया गिर्द	42	42	0
32		डामरिया दहाला	59	0	59
33		घाटामाविता	93	0	93
34		बोडा मंगरा डामरिया	0	0	0
35		लिखतिया पंचकुंडी	153	0	153
36	सीमलवाडा	चारवाडा	160	137	23
37		गराडा	200	26	174
38		कालिया दरा ए,बी,सी	99	99	0
39		मोदरा महुडी	68	53	15
40		भादर	160	1	159
41		डूंगरसारण	139	40	99
42		शिशोट ए, बी	435	0	435
43		माला खोलडा	0	0	0
44	आंतरी	आंतरी	143	94	49
45		मंगरा हिंडोलिया	17	14	3
46		घटखाना	73	73	0
47		घोडचा	153	0	153
48		मंगरा विराट	46	46	0
49		भेडमाता	115	0	115
50		वैयोडा	266	9	257
51		सत्तामंगरा ए	53	3	50
52		सत्तामंगरा बी	24	2	22
53		आडामाल	197	20	177
54		नारामंगरा	73	3	70
55		नाल बुचडिया	94	70	24

56		मृगतालाब	338	19	319
57		पगारा ए	166	65	101
58		पगारा बी	84	71	13
59		मंगरा झेलुआ	80	0	80
60		बीड लालगिरी	24	0	24
61		कुंजैला	118	118	0
62		पगारा सी	28	24	4
63		पगारा डी	14	10	4
64		फलौज	0	0	0
65	आसपुर	जसपुर खेरमाल ए	264	0	264
66		जसपुर खेरमाल बी	35	0	35
67		खेडा सामोर ए	32	1	31
68		खेडा सामोर बी	18	0	18
69		देवला वागदरी ए	74	74	0
70		गणेशपुर	43	43	0
71		कतिसौर (काबजा)	32	3	29
72		देवला वागदरी बी	45	0	45
73		क्यावडी	41	2	39
74		भाटोली की कांठ	33	3	30
75		नांदली दाद	88	2	86
76		नांदली अहाडा	19	0	19
77		सोनगरा मंगेडिया	58	0	58
78		लोडावल ए	21	0	21
79		लोडावल बी	41	0	41
80		फलिहोर	216	21	195
81		रीछा मंगरा	21	21	0
82		बिलुडा	26	0	26
83		सुलिया बेणका	272	20	252
84		बेडा बेडी	33	22	11
85		खेडा सामोर सी	76	2	74
86		घाणी दूढा	0	0	0
			<b>6627</b>	<b>1965</b>	<b>4662</b>

## रेंज वार बाउंड्री पिलर्स की सूचना

क्र.सं.	नाम रेन्ज	सीमा स्तम्भ		शेष
		कुल	अभी तक लगाये गये	
1.	डूंगरपुर	529	393	136
2.	बिच्छीवाड़ा	581	213	368
3.	सीमलवाड़ा	1261	356	905
4.	आंतरी	2106	641	1465
5.	सागवाड़ा	662	148	514
6.	आसपुर	1488	214	1274
	<b>योग :-</b>	<b>6627</b>	<b>1965</b>	<b>4662</b>

14.5.2 लगाये जा चुके एवं लगाये जाने वाले मीनारों का 20 प्रतिशत बड़े साईज के मिनारे (5'X5'X5') लगाये जाना उचित होगा बड़े साईज के मीनारे दोनो पर अथवा संवेदनशील जगह पर लगाये जाने चाहिये ये मीनारे बेंच मार्क का भी काम देंगे तथा बीच के मीनारे यदि किसी कारण वश टूट जाते हैं तो भी ये मीनारे वन भूमि की सीमा को दर्शाने का कार्य करेंगे ऐसे एक मीनारे पर लगभग 30000 रु का अनुमानित व्यय होगा उपलब्ध सूचि के अनुसार कुल 1000 बड़े मीनारे लगेंगे जिन पर 30000X1000= 300 लाख रु व्यय होना संभावित है 3662 मीनारे वर्तमान में छोटी साईज के बनेंगे जिन पर 2000 रु प्रति मीनारे की दर से स 73.24 लाख रु की लागत आयगी। इस प्रकार मीनारे लगाने हेतु लगभग 373.24 लाख रूपये की राशि की आवश्यकता होगी।

**14.6 विज्ञप्ति प्रकाशन कार्य :-** डूंगरपुर वन मण्डल में 87 वनखण्डों में से 73 वनखण्डों का प्रारम्भिक एवं अंतिम नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। शेष 12 वनखण्डों का अंतिम नोटिफिकेशन जारी होना शेष है एवं 2 वनखण्डों का प्रारम्भिक व अंतिम नोटिफिकेशन भी जारी होना शेष है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

सारणी

अंतिम विज्ञप्ति का राजपत्र में प्रकाशन से शेष रहे वनखण्डों का विवरण									
क्रसं.	नाम वन खण्ड	क्षेत्रफल है०	आरक्षित	रक्षित	अवर्गीकृत	प्रथम नोटिफिकेशन का विवरण	दिनांक	अंतिम नोटिफिकेशन का विवरण	दिनांक
1	राजधानी	818.74	—	—	अवर्गीकृत	—	—	—	—
2	बलवाडा	105.00	—	—	अवर्गीकृत	—	—	—	—
3	करमेला	50.400	—	रक्षित	—	प-2(20) वन / 06	11.8.05	—	—
4	पालीसोड़ा	1265.190	—	रक्षित	—	2 (5) रा.व. 8 / 17	5.1.77	—	—
5	देवल आमझरा उर्फ साबली	132.00	—	रक्षित	—	4 2(83) वन / 93	3 गजट / 12.2. 94	—	—
6	केलाशरेंज	46.230	—	रक्षित	—	प0 2(23) वन / 06	29.8.06	—	—
7	बोडा मंगरा डामरिया	287.680	—	रक्षित	—	24663 एफ (134) ए / 55	1 / 22.12.55	—	—

8	मालाखोलडा	32.027	—	रक्षित	—	प 2 (83) वन/93	19.8.93	—	—
9	बिलुडा	39.448	—	रक्षित	—	2 (36) राज 8/76	1.4.77	—	—
10	घाणी ढूढा	60.00	—	रक्षित	—	प 2 (22) /वन 2006	29.8.06	—	—
11	गुमानपुरा	25.744	—	रक्षित	—	एफ 2 (83) वन 1993,	8.9.1993	—	—
12	फलोज	150.992	—	रक्षित	—	प 2 (19) वन 2006,	4.8.2006	—	—
13	भाडगा	2.55	—	रक्षित	—	—	—	—	—

जिला कलक्टर द्वारा आंवटित भूमि को प्रस्तावित वनखण्ड गठन की सूची निम्नानुसार है।

### सारणी-

प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वन भूमि का आर.एफ./पी.एफ. घोषित कराने की प्रगति

क्र०सं०	भूमि का विवरण	आंवटित क्षेत्रफल	आर.एफ./पी.एफ. घोषित की प्रगति
1	बलवाड़ा	105.00	कार्य प्रगति पर है।
2	मोजा भाडगा	2.55	कार्य प्रगति पर है।

14.6.3 इन वन खण्डों के गठन की सम्पूर्ण कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पादित की जानी चाहिये ताकि विभाग को हस्तान्तरित भूमि का वन प्रबन्धन सुनिश्चित किया जा सके।

### 14.7 दस्तावेजों का संधारण :-

14.7.1 विभाग में वन खण्ड की पत्रावलियां सामान्यतः उच्च स्तर तक संधारित है। समस्त वन खण्डों की पत्रावलियों को सुरक्षित रखते हुये इस रिकार्ड को कम्प्यूटराइज्ड कराकर सीडी में रखना समय की आवश्यकता हो गई है। अतः इस हेतु प्रति पत्रावली औसतन 60 पृष्ठ मानते हुये उनकी स्कैन कराकर सीडी तैयार करने हेतु प्रति पृष्ठ लगभग 100 रुपये का व्यय आंकलित करते हुये लगभग 6000 रुपये प्रति वन खण्ड की दर से 87 वन खण्डों के रिकार्ड को सुरक्षित करने एवं उनकी पत्रावलियां वनपाल स्तर तक उपलब्ध कराने और बीट में वनरक्षक स्तर तक उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित 5.00 लाख रु की आवश्यकता होगी।

## अध्याय –15

### गौण वन उपज (आतिच्छादी) प्रबंधन वृत्त

### Non-Timber Forest produce (over lapping) Working Circle

#### 15.1.1 सामान्य संरचना :

यह प्रबंधन वृत्त सम्पूर्ण जिले में अतिच्छादी है। इस वृत्त का गठन इस जिले में पाई जाने वाली गौण उपजों जैसे तेन्दू पत्ता, रतनजोत बीज, गोंद, शहद, मोम, महुआ, फल-फूल व सीताफल इत्यादि के समुचित विकास तथा क्रमिक विदोहन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

#### 15.2.1 सम्मिलित क्षेत्र

इस कार्य वृत्त में समस्त जिले के क्षेत्र में उपलब्ध गौण वनउपज के संबंध में उपचार विधियां निर्धारित की गई हैं। कार्य वृत्त अतिच्छादी होने के कारण क्षेत्रफल अंकित करने की आवश्यकता नहीं है।

#### 15.3.1 वनस्पति का सामान्य स्वरूप

गौण वनउपज से संबंधित वनस्पति का विस्तृत विवरण भाग। के अध्याय 2अ में दिया जा चुका है। सागवाड़ा रेंज के वनक्षेत्र को छोड़कर तेन्दू के वृक्ष जिले के लगभग समस्त वन क्षेत्र में छितरे हुए पाये जाते हैं तथा वनों के बाहर गोचर, सिवायचक भूमि, तथा निजी काश्तकारों के खेतों में भी पाये जाते हैं। गोंद, कडाया, सालर, ढांक, बबूल आदि वृक्षों से एकत्रित किया जाता है।

15.3.2 सालर, ढाक, तेन्दू व महुआ जिले के पूर्ण विस्तार में, वन एवं गैर वन क्षेत्रों में छितरे हुए पाये जाते हैं। कडाया अवश्य ही, सीमित मात्रा में चुनिन्दा वन क्षेत्रों में ही वर्तमान में उपलब्ध है।

15.3.3 महुआ के वृक्ष स्थानीय आदिवासी संस्कृति व जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यथा इनके वृक्ष पूर्णतया सुरक्षित रखे जाते हैं। तथा प्रत्येक वृक्ष निजी स्वामित्व लिये होता है। ये भी समस्त जिले के वन एवं गैर वन क्षेत्रों में बिखरे हुए पाये जाते हैं।

15.3.4 रतनजोत के बीजों की हाल के वर्षों में मांग बढ़ी है। बायोडिजल निर्माण हेतु इसके प्रयोग के कारण ये बहुत मूल्यवान हो गये हैं। इसके वृक्ष भी जिले में पूर्ण विस्तार में वन एवं गैर वनक्षेत्र में पाये जाते हैं।

#### 15.4.1 प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य

इन क्षेत्रों में वन प्रबन्धन के विशेष उद्देश्य निम्न हैं :

1. गौण वन उपज के संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष प्रयास।
2. परिभ्राषित वन क्षेत्रों में उपयुक्त कार्य स्थलों का चयन कर, मंत्री मण्डल की आज्ञा क्रमांक 1/2007 के क्रम में रतनजोत का सघन रोपण करना।
3. तेन्दू के अच्छी किस्म के पत्तों का अधिकाधिक उत्पादन एवं इष्टतम विदोहन करना।
4. महुआ, तेन्दू व अन्य गौण वन उपज जैसे, के संरक्षण एवं विकास का मार्ग निर्धारित करना।
5. स्थानीय लोगों विशेषकर आदिवासियों को गौण वन उपज से आय का स्रोत उपलब्ध कराना।

#### 15.5.1 सस्य का विश्लेषण व मूल्यांकन

गत वर्षों में कड़ाया व सालर से इतना अधिक गोंद व ओलियो-रेजिन निकाला गया कि पेड़ सूख गये हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अपने आदेश क्रमांक प.6(4)वन/90 जयपुर दिनांक 12 जुलाई 2007 से सालर एवं अन्य सभी प्रकार के गोंद के विदोहन एवं संग्रहण पर पूर्व में लगाया गया प्रतिबन्ध दिनांक 31.03.2012 तक बढ़ा दिया है।

**15.5.2** तेन्दू पत्ता संग्रहण के दौरान तेन्दू के वृक्षों को क्षतिग्रस्त करने तथा कच्चे मकान में केन्द्रीय बीम हेतु तेन्दू के सीधे, लम्बे व मोटे तने का उपयोग किये जाने के कारण, तेन्दू के वृक्षों में कमी आई है। तेन्दू के कटे, अधकटे वृक्षों तथा मूलरोहो के फुटान से बीड़ी बनाने योग्य पत्तियों के आने से तेन्दू पत्ता की उपलब्धता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं लगता है, परन्तु दीर्घावधि प्रभाव के आंकलन हेतु वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है।

**15.5.3** महुआ के पेड़ आम तौर पर अत्यंत ही सुरक्षित है। नवीन व युवा महुआ के पेड़ भी जिले में आसानी से देखे जा सकते हैं। इससे महुआ के वृक्षों के समाप्त होने का भय नहीं है। परन्तु महुआ फूल संग्रहण हेतु महुआ के पेड़ के नीचे आग लगाकर क्षेत्र को साफ करने की परम्परा को हतोत्साहित किये जाने की



आवश्यकता है। चूंकि यह कार्य गर्मी के मौसम में होता है, इससे महुआ के वृक्ष के साथ ही वनक्षेत्र में भी आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं।

- 15.5.4** रतनजोत मुख्यतः तेलीय बीज है जिसकी मांग हाल के वर्षों में बढ़ी है। चारण अयोग्य होने के कारण इनके वृक्ष पूर्णतया सुरक्षित हैं। अधिकांशतः रतनजोत परिभ्रंषित वन क्षेत्र में तथा घर की बाडबन्दी के रूप में, खेत की मेड पर व सडकों के सहारे बहुलता से पाया जाता है। विगत वर्षों में विभागीय वृक्षारोपणों में बाडबन्दी के सहारे तथा समोच्च ट्रेंच व खातिका के टीले पर इसको प्रमुखता से लगाया गया है। जिले में पाये जाने वाले रतनजोत के बीजों में उपयोग योग्य तेल व अन्य रासायनिक पदार्थों की मात्रा के संबंध में विस्तारपूर्वक वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है।
- 15.5.5** फलों में बहेड़ा, आंवला, बेल, तेन्दू, किकोड़ा (*Momordica dioica*), इमली, बेर, खजूर और शहद व मोम स्थानीय लोगों द्वारा एकत्रित किया जाता है।
- 15.5.6** डूंगरपुर, सिमलवाड़ा, सागवाड़ा, आंतरी, रेंजो के वन व राजस्व क्षेत्रों से सितम्बर से दिसम्बर तक झाड़ी बेर का बहुतायत से उत्पादन होता है, जिससे ग्रामवासियों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है।
- 15.5.7** डूंगरपुर, सिमलवाड़ा, सागवाड़ा, आंतरी, रेंजो के राजस्व व वन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में कीकोड़ा (*Momordica dioica*) का बहुतायत से उत्पादन होता है। कीकोड़ा आस-पास के क्षेत्रों व पड़ोसी राज्य गुजरात में सब्जी के रूप में बहुत पसन्द किया जाता है। इसके विक्रय से स्थानीय आदिवासियों व छोटे व्यापारियों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है।
- 15.5.8** रतनजोत मुख्य तेलीय बीज हैं जो राजस्थान जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी संघ डूंगरपुर के माध्यम से अधिकृत रूप से एकत्रित करवाये जाते हैं। राजस्थान जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी संघ डूंगरपुर की क्रय ईकाइयों का जाल पूरे क्षेत्र में नहीं होने के कारण तथा इस राजकीय संस्था द्वारा प्रचलित बाजार दरों से कम दरों पर रतनजोत के बीज क्रय किये जाने के कारण छोटे ग्रामों एवं कस्बों के स्थानीय व्यापारियों द्वारा भी आदिवासियों से अधिक दर पर रतनजोत का अनाधिकृत तोर पर क्रय किया जाता है जिसे बाद में या तो सिधे ही जिले से बाहर मॉग के अनुसार निर्यात कर दिया जाता है, या यह विक्रय कृषि उपज मण्डी समिति डूंगरपुर के बड़े व्यापारियों के माध्यम से किया जाता है।

### 15.6.1 प्रबन्ध की इकाइयां

गौण वन उपज की किस्म के अनुसार प्रबंध की सुविधा के लिए चार प्रमुख इकाइयां गठित की जाएंगी :

1. तेन्दू पत्ता।
2. रतन जोत
3. गोंद।
4. अन्य गौण वन उपज।

### 15.7.1 तेन्दू पत्ता प्रबंध

तेन्दू पत्ता राष्ट्रीयकरण के पश्चात् पूरे जिले में 'सिवायचक' एवं गोचर भूमि को सम्मिलित कर लिया गया है। तेन्दू पत्ता एकत्रीकरण हेतु न केवल डूंगरपुर जिले को बल्कि पूरे राज्य को इकाइयों में बांटा जाता है, जिनकी अधिसूचना राजस्थान गजट में प्रतिवर्ष छपाई जाती है।

### 15.7.2 संग्रहण

तेन्दू पत्ता संग्रहण हेतु जिले के समस्त क्षेत्र को 9 तेन्दूपत्ता इकाइयों में विभक्त किया गया है। तेन्दू पत्ता संग्रहण हेतु इन्ही इकाइयों का निर्धारित रीति से व्ययन किया जाता है। प्रत्येक इकाई हेतु अधिकतम राशि प्रस्तुत करने वाले राज्य में किसी भी कार्यालय में पंजीकृत विक्रेता को इकाई का क्रेता नियुक्त किया जाता है, जो स्वयं के खर्च पर इकाई के क्षेत्र में निर्धारित अधिसूचित स्थान पर फडें स्थापित कर, तेन्दू पत्ता संग्रहण का कार्य करता है। तेन्दू पत्ता संग्रहण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट एवं विस्तृत नियम बनाये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में इकरारनामा, विभिन्न परिवहन अनुज्ञा प्रपत्र, व्ययन हेतु निविदा प्रपत्र, भण्डारण व परिवहन हेतु विभिन्न पंजिकाओं के प्रपत्र आदि निर्धारित किये गये हैं। विगत तीन वर्षों में जिले में प्रत्येक तेन्दू पत्ता इकाई में औसत तेन्दू पत्ता संग्रहण निम्नानुसार रहा है :

सारणी –

वन मण्डल डूंगरपुर की तेंदू पत्ता ईकाईयों की सूची एवं संग्रहण

क्र. स.	नाम रेंज	इकाई संख्या	इकाई का नाम	औसत तेन्दू पत्ता संग्रहण (मानक बोरा में)
1	डूंगरपुर	108	वेड़	1120.000
2	डूंगरपुर	109	डाकन मारिया	552.867
3	बिछीवाड़ा	110	रतनपुर	643.928
4	बिछीवाड़ा	111	बिछीवाड़ा	1001.000
5	सीमलवाड़ा	112	झरनी	168.351
6	सीमलवाड़ा	113	चारवाड़ा	271.446
7	सीमलवाड़ा	114	अम्बाड़ा	143.596
8	आंतरी	115	आंतरी	293.929
9	आसपुर	116	निठाउवा	252.596
			<b>योग :-</b>	<b>4447.713</b>

' प्रतिवर्ष नये सिरे से इकाई गठन अधिसूचित किये जाने के कारण परिवर्तन संभव है। उपरोक्त सारणी में वर्ष 2011 हेतु अधिसूचित इकाई वर्णित हैं।

**15.7.3** वृक्ष से तेन्दू पत्ते तोड़ने की क्रिया में अक्सर जाने अनजाने वृक्ष को क्षति हो जाती है जिससे बचाव हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान रखा जावे :

1. बिडी बनाने योग्य नवीन ताजे हरे पत्तों को ही तोड़ा जावे ।
2. इस हेतु वृक्ष की डाल को नहीं काटा जावे। इससे और पत्ते आने की संभावना कम हो जाती है।
3. यह सुनिश्चित किया जावे कि तेन्दू पत्ता संग्रहण के दौरान वन क्षेत्र में विचरण कर रहे व्यक्तियों के पास डाल काटने लायक औजार जैसे कुल्हाडी आदि नहीं हों।
4. इस संबंध में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों की नियमित बैठकों में सदस्यों को आवश्यक समझाईश की जावे।

#### 15.7.4 तेन्दू पत्ता उत्पादन संवर्द्धन व कर्षण कार्य

नवीन उत्पन्न तेन्दू पत्ते ही बीडी बनाने के योग्य होते हैं। पुराने पत्ते इस काम नहीं आते हैं। स्थूलीकरण से अथवा मूलप्ररोहो से आसानी से नवीन पत्ते आते हैं। अतः तेन्दू पत्ता उत्पादन संवर्द्धन हेतु सबसे उत्तम विधि है तेन्दू पत्ता के वृक्षों पर कर्षण कार्य कराना। तेन्दू पत्ता कर्षण कार्य हेतु निम्न विधि प्रतिपादित है :

1. तेन्दू पत्ता पर कर्षण कार्य माह जनवरी एवं फरवरी में ही किया जावे।
2. यह देखा गया है कि कर्षण कार्य कराये गये वृक्ष फफूंद ओर कीड़ों के आक्रमण से अधिक प्रभावित होते हैं। इस हेतु आवश्यक निगरानी बरतकर निवारण के उपाय किये जावे।
3. आधार पर 15 सेमी से अधिक की गोलाई वाली किसी भी शाखा को नहीं काटा जावे।
4. मात्र परिपक्व, सूखे तथा खोखले तेदू के वृक्षों को ही स्थूलित किया जावे।
5. शाख कतर्न व स्थूलन कार्य तीखे धारधार फलक या औजार से ही किया जावे।
6. 15 से 20 सेमी के गोलाई वाले विकृत वृक्षों को 2 मीटर की उंचाई पर पोलाई किया जावे।
7. 15 सेमी से कम गोलाई के विकृत वृक्षों को भूमि सतह के बराबर काटा जावे।
8. काटे गये वृक्षों और शाखाओं को सही तरीके से प्रतिसाधित किया जावे।
9. तेन्दू के चयनित वृक्षों के आस पास, वृक्ष की छत्र के अनुरूप, ढलान को बाधित करते हुए नीचे की ओर तीन से पांच मीटर की त्रिज्या का गोलाकर 45 सेमी चौड़ी और 45 सेमी गहरी उचित लम्बाई की ट्रेंच खोदी जावे।
10. ट्रेंच निर्माण से उत्पन्न मृदा को नीचे की ओर टीले के आकार में जमाया जावे।
11. ट्रेंच निर्माण क्षेत्र में आई तेन्दू की जड़ों को ट्रेंच के दोनो किनारो पर तीखे धारदार औजार से काटी जावे। इन कटी हुई जड़ों से ही तेन्दू के मूलप्ररोह उत्पन्न होंगे।

12. तेन्दू की पार्श्विक जड़ों की छाल को छिलकर उसमें एक से.मी. का घाव बनकर भी मूल प्ररोहों को विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है।
13. ट्रेंच के निचले किनारे पर उत्पन्न मूल प्ररोह, मातृ वृक्ष की जड़ों से पहिले से ही अलग होते हैं। अतः वे स्वयं को प्राकृतिक रूप में स्थापित करने के प्रयास में जड़ें फैलाते हैं और अधिकांश मूल प्ररोह स्थापित हो जाते हैं।
14. ट्रेंच के उपरी, वृक्ष के पास वाले किनारे पर, उत्पन्न मूल प्ररोह, मातृ वृक्ष की जड़ों से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे में उनमें स्वयं जड़ फैलाने की प्रवृत्ति कम होती है और इस कारण इस भाग के अधिकांश मूल प्ररोह सफलतापूर्वक स्थापित नहीं होते। इस भाग के मूल प्ररोहों को स्थापित करने हेतु, प्रथम वर्षा उपरान्त, माह सितम्बर अक्टूबर के माह में, इन मूल प्ररोहों को मातृ वृक्ष की जड़ों से काट कर अलग किया जावे।
15. मूल प्ररोहों को संधारित कर वृक्ष तैयार किये जावे।

#### 15.7.5 रूट सकर्स द्वारा सालर का पुनरोत्पादन

तेन्दू की ही भांति सालर के वृक्षों को भी रूट सकर्स के माध्यम से निम्नानुसार पुनरोत्पादित किया जा सकता है :

1. सालर के चयनित वृक्षों के आस पास, वृक्ष की छत्र के अनुरूप, ढलान को बाधित करते हुए नीचे की ओर तीन से पांच मीटर की त्रिज्या का गोलाकर 45 सेमी चौड़ी और 45 सेमी गहरी उचित लम्बाई की ट्रेंच खोदी जावे।
2. ट्रेंच निर्माण से उत्पन्न मृदा को नीचे की ओर टीले के आकार में जमाया जावे ।
3. ट्रेंच निर्माण क्षेत्र में आई सालर की जड़ों को ट्रेंच के दोनो किनारों पर तीखे धारधार औजार से काटी जावे। इन कटी हुई जड़ों से ही सालर के मूलप्ररोह उत्पन्न होंगे।
4. सालर की पार्श्विक जड़ों की छाल को छिलकर उसमें एक सेमी. का घाव बनकर भी मूल प्ररोहों को विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है।
5. ट्रेंच के निचले किनारे पर उत्पन्न मूल प्ररोह, मातृ वृक्ष की जड़ों से पहिले से ही अलग होते हैं। अतः वे स्वयं को प्राकृतिक रूप में स्थापित करने के प्रयास में जड़ें फैलाते हैं और अधिकांश मूल प्ररोह स्थापित हो जाते हैं।

6. ट्रेंच के उपरी, वृक्ष के पास वाले किनारे पर, उत्पन्न मूल प्ररोह, मातृ वृक्ष की जड़ों से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे में उनमें स्वयं जड़ फैलाने की प्रवृत्ति कम होती है और इस कारण इस भाग के अधिकांश मूल प्ररोह सफलतापूर्वक स्थापित नहीं होते। इस भाग के मूल प्ररोहों को स्थापित करने हेतु, प्रथम वर्षा उपरान्त, माह सितम्बर अक्टूबर के माह में, इन मूल प्ररोहों को मातृ वृक्ष की जड़ों से काट कर अलग किया जावे।
7. मूल प्ररोहों को संधारित कर वृक्ष तैयार किये जावे।  
तेन्दू व सालर में रूट सर्कर्स के माध्यम से पुनरोत्पादन का कार्य इस प्रकार किया जावे कि चयनित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त वृक्षों को पाच-छह साल में उपचारित किया जावे। इससे इन वृक्षों के अलग अलग आयुवर्ग के वृक्ष भविष्य में प्राप्त हो सकेंगे।

#### 15.8.1 रतनजोत :-

रतनजोत के बीजों की मांग हाल के वर्षों में बायोडीजल में उपयोग को देखते हुए बढ़ी है। और इसी संभावना को लाभ उठाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जिले की बंजर व पडत सार्वजनिक भूमि तथा वन भूमि पर रतनजोत को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2007 को हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में बायोफ्यूल आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन किया जिसे मंत्रीमण्डल की आज्ञा क्रमांक 1/2007 से जारी किया गया। इस आज्ञा के अनुसार बायोफ्यूल संबंधी समस्त कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित किया जावेगा। इस आज्ञा के अनुसार रतनजोत की कृषकों से खरीद हेतु राजफैड व राजससंघ को अधिकृत किया गया है।

- 15.8.2 अनुमोदित आज्ञा में यह अपेक्षा की गई है कि वन विभाग की पडत एवं परिभ्रांषित भूमि पर वृक्षारोपण के साथ ही स्थानीय तेलीय प्रजाति जैसे रतनजोत, करंज आदि का भी रोपण किया जावे। विभाग द्वारा प्रस्तुत एवं मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार बॉसवाड़ा व डूंगरपुर के साथ उदयपुर जिले का भी रतनजोत के उत्पादन में संवर्धन व इसके वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु चयन किया गया है। वन क्षेत्र में रतनजोत का वृक्षारोपण वन विकास

अभिकरण/वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा किया जावेगा। ये संस्थाएं निवेशकर्ता से 10 वर्ष का अनुबन्ध कर कार्य कर सकती हैं। वन विकास अभिकरण द्वारा 500 हैक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्र में तथा समिति द्वारा अधिकतम 250 हैक्टेयर क्षेत्र में रतनजोत वृक्षारोपण का कार्य लिया जा सकता है। इस कार्य में मोनोकल्चर प्रतिबंधित किया गया है। अन्य वानिकी प्रजातियों के साथ ही विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल के अनुसार ही रतनजोत को लगाये जाने का प्रावधान है।

#### 15.9.1 गोंद

यद्यपि राज्य सरकारों द्वारा सभी प्रकार के गोंद के विदोहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है परन्तु भविष्य में प्रतिबंध हटने पर गोंद निकास एवं विकास हेतु निम्न उपचार प्रस्तावित किए जाते हैं –

1. गोंद का ठेका प्रतिवर्ष न देकर हर दो वर्ष के बाद दिया जाए।
2. सालर के वृक्षों के अलावा किसी भी वृक्ष पर गोंद निकालने के लिए टांचे न लगाई जाये।
3. सालर के उन्हीं वृक्षों पर टांचे लगाये जाएं जिनकी गोलाई 90 सेमी से अधिक हो।
4. सालर के वृक्ष पर एक टांच से अधिक न लगाया जाए। टांचों की अधिकतम माप 20 सेमी 15 सेमी 0.5 सेमी होगी।
5. एक वृक्ष पर प्रथम टांचा 60 सेमी की ऊंचाई पर, दूसरा टांचा 120 सेमी की ऊंचाई पर एवं तीसरा टांचा 180 सेमी की ऊंचाई पर पहले लगाए गये टांचों के विपरीत दिशाओं में लगाए जाएंगे।

15.9.2 सभी प्रकार के गोंद के विदोहन व संग्रहण पर 31.03.2012 तक प्रतिबंध है। अतः इस की प्रभावी पालना की जावे।

#### 15.10.1 अन्य गौण उपज प्रबंधन

वर्तमान में अन्य गौण का वन उपज जैसे शहद, मोम, महुआ, फल-फूल, आदि का विदोहन राजस्थान जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी संघ डूंगरपुर के माध्यम से हो रहा है। इसका मूल उद्देश्य गौण वन उपज का विकास, निरंतर विदोहन तथा आदिवासियों का ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले शोषण को समाप्त करना

था। इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसका मुख्य कारण निगम के कर्मचारियों तथा अधिकारियों में वानिकी प्रशिक्षण एवं निस्तारण अभाव है।

**15.10.2** मंत्रीमण्डलीय आज्ञा के अनुरूप जिले में रतनजोत वृक्षारोपण का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। हालांकि जिले के परिभ्राषित वनक्षेत्र में रतनजोत का बीजारोपण बाडबन्दी के सहारे तथा समोच्च ट्रेंच व विडिच के टीले पर प्रचुरता से किया जा सकता है, किसी क्षेत्र विशेष में रतनजोत के सघन वृक्षारोपण से अन्य प्रजातियों व क्षेत्र की मृदा की रासायनिक संरचना में पडने वाले अल्पकालिक व दीर्घकालिक प्रभावों के समूचित विश्वसनीय अध्ययन, परीक्षण व आंकलन के बाद ही रतनजोत के सघन वृक्षारोपण को लागू किया जावे। तक वर्तमान में प्रचलित अनुसार वृक्षारोपण में रतनजोत को अन्य प्रजातियों के साथ मिश्रित रूप बीजों से लगाया जाना श्रेयस्कर है। रतनजोत के पौधों को पौधशाला में पॉलीथीन थैलियों में तैयार कर क्षेत्र में रोपित करने की विधि का भी समूचित अध्ययन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्र की मृदा व जलवायु के अनुसार रतनजोत की सबसे उत्तम किस्म के संबंध में भी अध्ययन की आवश्यकता है।

### **15.10.3 औषधीय गुणों वाले गौण वन उपज**

जिले के वनों का स्थिति को देखते हुए वन क्षेत्र में औषधीय गुणों वाले गौण वनउपज का संवर्द्धन किया जा सकता है। परन्तु इनकी वर्तमान उपलब्धता, इनके अस्तित्व का क्षेत्र व विस्तार आदि की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जिले में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले औषधीय गुणों वाले पौधों व वृक्ष प्रजातियों के प्रबन्धन हेतु विस्तृत सर्वेक्षण व अध्ययन कर जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में चाक्षुष आधार पर निम्न महत्त्वपूर्ण औषधीय प्रजातियों को संरक्षित व प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम लिया जा सकता है :

सफेद मूसली, कोंच, चिरमी, मालकांगनी, अमलताश, शतावरी, अर्जुन, आँवला, बहेड़ा, ब्राहमी, अडूसा, कडुआ, बेल, करजं एवं गैंगची मूल इत्यादि।

### **15.11.1 विविध विनियम :**

इस प्रबंध वृत्त में समस्त क्षेत्रों को अग्नि से सुरक्षित रखा जाएगा।



### 15.11.2 पूर्व के वृक्षारोपण व क्लोजर्स के संबंध में

कार्य वृत्त में सम्मिलित अधिकांश क्षेत्र में विगत वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत वृक्षारोपण कार्य, क्लोजर निर्माण कार्य अथवा अकाल राहत आदि के अंतर्गत बाडबन्दी कार्य कराये गये हैं। इन क्षेत्रों में तथा इनसे संबंधित गैर वन क्षेत्रों में बांस, तेन्दू व अन्य गौण वनउपज हेतु उपरोक्त वर्णित उपचार विनियमों व विधि के अनुसार कार्य कराया जावेगा।

### 15.11.3 सांख्यिकी अभिलेख

बांस, तेन्दू व अन्य गौण वनउपज हेतु उपरोक्त वर्णित उपचार विनियमों व विधि के अनुसार कार्य का तथा क्षेत्र से प्राप्त वनउपज का पूर्ण अंकन क्षेत्र के संबंध में प्रधान कार्य वृत्तों में निर्धारित अनुसार संधारित पंजिका में किया जावेगा।

### 15.11.4 संभावित व्यय

कार्यवृत्त से संबंधित कार्य पर होने वाले संभावित व्यय को प्रधान कार्यवृत्तों में दर्शाये गये व्यय में सम्मिलित कर लिया गया है।

### 15.11.5 अधिकार व रियायते

समस्त अधिकार व रियायतों के अनुप्रयोग इस कार्य आयोजना में किये गये प्रावधानों के अधिनस्थ रहते हुए किये जावेंगे लेकिन अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी, वनाधिकार मान्यताद्ध अधिनियम 2006 व नियम 2008 के प्रावधानों की अवहेलना नहीं की जावेगी।

## अध्याय – 16

### पारिस्थितिकी पर्यटन(अतिच्छादी)कार्यवृत्त

### Eco-Tourism (Overlapping) Working Circle

#### 16.1 कार्यवृत्त की सामान्य संरचना :-

डूंगरपुर जिले में बैणेश्वर मन्दिर, आसपुर के बोणेश्वर मन्दिर, बिच्छीवाड़ा के नागफणी मन्दिर जैसे प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हैं। उपरोक्त स्थान राष्ट्रीय राज मार्ग तथा प्रमुख सड़कों से भली भांती जुड़े होने के कारण स्थानीय एवं विदेशी पर्यटकों का वर्षभर आवागमन बना रहता है। पर्यटन की विपुल संभावनाओं को देखते हुये इन्हें वन क्षेत्र में आकर्षित करने, स्थानीय वन सुरक्षा समितियों की गतिविधियों को बढ़ाने एवं उनकी आय के स्रोत जनित करने, आम जनता का वन क्षेत्रों से जुड़ाव बढ़ाने एवं वन एवं वन्यजीवों के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न करने हेतु इस वृत्त का गठन किया गया है

#### 16.2 सम्मिलित क्षेत्र :-

इस कार्यवृत्त में वन खण्डों को उनकी पर्यटन संबंधी संभावनाओं को ध्यान में रखकर सम्मिलित किया गया है। इन वन खण्डों को मुख्यतः निम्न कारणों से इस कार्य वृत्त में सम्मिलित किया गया है :-

1. घने एवं प्राकृतिक वनों की बहुलता
2. क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य की अपारता
3. वन खण्ड के समीप आबादी की उपलब्धता
4. वन क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थल
5. वनखण्ड में स्थित प्राचीन स्मारक की उपलब्धता

क्रम संख्या	रेंज	वन खण्ड	क्षेत्रफल हैक्टे. मे
1	डूंगरपुर	गंगेश्वर	11.400
2	डूंगरपुर	रानीझूला	4380.568
3	बिच्छीवाड़ा	कैलाशरेंज	46.230
4	बिच्छीवाड़ा	चुलरवैया	2560.712
5	सागवाड़ा	जोतलेश्वर महादेव	54.568
6	आसपुर	सुलिया वेणका	87.5
7	आंतरी	भेड़माता	73.150

### 16.3 कार्यवृत्त के उद्देश्यः—

1. वन क्षेत्रों में स्थित धार्मिक, प्राकृतिक स्थलों एवं प्राचीन स्मारकों को विकसित करना
2. पर्यटकों के लिये आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना
3. वन एवं वन्यजीव की उपयोगिता के बारे में जनजागृति पैदा करना।

### 16.4 आवंटित वन खण्डों में प्रस्तावित कार्य :-

#### 16.4.1 रेंज डूंगरपुर

##### 1—गंगेश्वर महादेव

अति प्राचीन महादेव का स्थान जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर डूंगरपुर से वेड गांव के रास्ते में स्थित है महादेव का स्थान गंगेश्वर ब्लाक में है तथा ब्लाक सागवान के वृक्षों से आच्छादित है हजारों संख्या में दर्शनार्थी महाशिवरात्री पर आते हैं अतः इस कारण से पारिस्थितिकी पर्यटन में लेना उचित होगा तथा निम्न कार्य करवाना उचित होगा, एक एनिकट, ब्लाक के चारों तरफ पक्की दीवार, दर्शनार्थी हेतु विश्राम हेतु झोपे।

##### 2.वेड (मणीपुर)

रानीझूला का वन क्षेत्र सघन वन तथा नदी नाले से आच्छादित है वर्षा ऋतु में प्राकृतिक झरने बहते हैं। इसलिये पारिस्थितिकी पर्यटन हेतु उपयुक्त है तथा निम्न कार्य कराया जा सकता है। वाच टावर, ईको ट्रेल, पक्की दीवार, एनिकट, दर्शनार्थी हेतु विश्राम सील।

#### 16.4.2 रेंज बिच्छीवाड़ा

##### 1.केलाश रेंज (चुण्डावाड़ा)

प्राचीन किला, तथा पास में वनखण्ड केलाशरेंज है प्राचीन किला राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 पर ऊँची पहाड़ी पर स्थित चुण्डावाड़ा के महल के पास स्थित अपनी भौगोलिक अवस्थिति शिल्प और सौंदर्य के कारण गुजरने वाले यात्रीयों के लिये मनोरम दृष्य लगता है इस कारण से उक्त स्थान को लेना उचित होगा एवं उक्त ब्लाक में पक्की दीवार, सौन्दर्य वृक्षारोपण तथा झोपे बनाना आवश्यक है।

## 2.नागफणजी

जिले की बिछीवाडा समिति अन्तर्गत मोदर गांव के पास पर्वतीय क्षेत्र में स्थित प्राचीन जैन मन्दिर ग्राम पंचायत चुण्डावाड़ा में स्थित है। नागफणजी प्राकृतिक सौन्दर्य, श्रद्धा एवं पर्यटन का धाम है। यंहा पहाड़ से निरन्तर पानी रिसता रहता है। मुख्य मंदिर में नागफणजी पार्श्वनाथ, पद्मावती देवी एवं धरणेन्द्र की समन्वित मूर्ति लोक श्रद्धा का केन्द्र है। पावस ऋतु में नैसर्गिक सुषमा से समृद्ध हो जाने वाला यह स्थान स्वर्गसम प्रतीत होता है। इस दौरान दूर-दूर तक हरीतिमा से लकदक पहाड़ियाँ कश्मीर की वादियों के समान पर्यटकों व श्रद्धालुओं को लुभाती हैं। यहा हजारों संख्या में दर्शनार्थी आते है इस कारण पारीस्थितिकी पर्यटन में लेना उचित होगा तलाब एवं चुलरवैया में एक एनिकट तथा सौंदर्यवृक्षारोपण करवाया जाना उचित होगा।

### 16.4.2 रेंज सागवाड़ा

#### 1.जोतलेश्वर महादेव

सागवाड़ा में लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर पहाडी पर प्राचीन शिव मन्दिर है तथा हजारों संख्या में दर्शनार्थी आते है इस कारण पारीस्थितिकी पर्यटन में लेना उचित होगा वन खण्ड जोतलेश्वर में एनीकट, इकोट्रेल का निर्माण, सोन्दर्य वृक्षारोपण किया जाना उचित होगा।

### 16.4.4 रेंज आसपुर

#### 1.सुलिया वेणका कं0न0 1

सुलिया वेणका कं0न0 1 एक टापु है इसके चारों तरफ माही नदी बहने के कारण वर्षा में टापु बन जाता है वर्षा ऋतु में विहंगम दृष्य लगता है इस कारण पारिस्थितिकी पर्यटन में लेना उचित होगा इसमे वाच टावर तथा सोन्दर्य वृक्षारोपण किया जाना उचित होगा।

## 16.4.5 रेंज आंतरी

### 1.भेड़माता

प्राचीन देवी का मन्दिर, ब्लाक का नाम माताजी के नाम पर ही है मन्दिर में हजारों संख्या में दर्शनार्थी आते है इस कारण इसे पारीस्थितिकी पर्यटन में लेना उचित होगा इस हेतु सौंदर्य वृक्षारोपण एवं एक एनीकट प्रस्तावित है।

## 16.4.6 इको टूरिज्म हेतु चयनित स्थलों पर होने वाले संभावित व्यय

क्र.स.	रेंज	साइट का नाम	अनुमानित व्यय
1	डूंगरपुर	गंगेश्वर महादेव	10.00
2	डूंगरपुर	रानीझुला (वेड़)	50.00
3	बिच्छीवाडा	केलाशरेंज	15.00
4	बिच्छीवाडा	चुलरवैया	30.00
5	सागवान	जोतलेश्वर महादेव	15.00
6	आसपुर	सुलिया वेणका	20.00
7	आंतरी	भेड़माता	15.00
		<b>योग :-</b>	<b>155.00</b>

## 16.5 इको टूरिज्म स्थलों पर बरती जाने वाली सावधानियाँ –

### 16.5.1 -> Do's (क्या-क्या करें) :-

- पर्यटक पर्यटन स्थल पर कोई कचरा नहीं छोड़े, विशेषकर पोलिथिन थैलियां आदि पदार्थ। इन्हें अपने साथ में वापस लाकर उचित कचरे पात्र में डाले। अन्य कचरे को मिट्टी के खड्डे में दबा देना चाहिए ताकि प्राकृतिक सौन्दर्य खराब नहीं हो।

- पवित्र धार्मिक स्थानों की पवित्रता बनाए रखें तथा स्थानीय संस्कृति एवं रीति-रिवाजों का सम्मान करें।
- वाहनों के हॉर्न, संगीत एवं अन्य मनोरंजन के साधनों आदि से ध्वनि प्रदूषण नहीं करें बल्कि प्राकृतिक सौन्दर्य के वातावरण में आनंद लें।
- केम्पसाईट पर यदि अस्थाई शौचालय बनाए गए हों तो उन्हें जाने से पहले मिट्टी आदि से अच्छी तरह ढक दें।
- अस्थाई शौचालय आदि पानी की जगह नाले आदि से कुछ दूरी पर ही बनावे।
- स्वयं की एवं अन्य पर्यटकों की स्वतन्त्रता एवं व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान करें।
- स्वयं के आनन्द के साथ-साथ अन्य को प्रकृति का भरपूर आनन्द लेने दें।

#### **16.5.2-> Dont's (क्या-क्या नहीं करें) :**

- इको टूरिज्म के समय पोलिथिन बैग्स का प्रयोग न करें।
- प्राकृतिक स्थलों, जंगल से पेड़-पौधों को नहीं काटे व ना ही उनके फूल, पत्तियों, फल या बीज तोड़ें। यह न केवल अपराध है बल्कि इससे जैव विविधता को भी क्षति पहुंचती है।
- कैम्पिंग स्थल पर खाना पकाने के लिए अपने साथ गैस सिलेण्डर आदि लेकर जावे। जंगल से लकड़ी इस्तेमाल नहीं करें।
- बीड़ी, सिगरेट या माचिस की तीली को जलता हुआ जंगल में नहीं फेंके और ना ही अन्य किसी तरह की आग जंगल में फैलावे।
- नाले, झरने, तालाब आदि के पानी में नहाते समय साबुन, आदि का प्रयोग न करें
- पर्यटन स्थल पर शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करें।

— स्थानीय गरीब लोगों को खाना, मिठाई या अन्य वस्तुओं का प्रलोभन नहीं देवे एवं उनकी संस्कृति, रीति-रिवाजों का सम्मान करे।

— बिना अनुमति अन्य किसी की फोटो ना लेवें, विशेषकर स्थानीय महिलाओं की।

इको टूरिज्म को तभी सफल कहा जा सकता है जब यह पर्यावरण संरक्षण एवं स्थानीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में सहायक हो।

## 16.6 वन संरक्षण अधिनियम, 1980

### Forest Conservation Act, 1980

16.6.1 गैर वानिकी प्रयोजनार्थ वनभूमि के बड़े पैमाने पर प्रत्यावर्तन पर अंकुश लगाने के लिये तथा इसमें समानता लाने तथा प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये अध्यादेश के माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम सन् 1980 में प्रतिपादित किया गया जिसे बाद में संसद द्वारा पारित कर नियमित अधिनियम का दर्जा दिया गया। यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 से लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत किसी प्रकार की वन भूमि को गैर वानिकी उपयोग में लेने के लिये केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति अनिवार्य कर दी गई। इसके उल्लंघन के लिये दण्ड का प्रावधान भी सम्मिलित किया गया। 1988 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसे और कडा बनाया गया। सन् 1992 और फिर 2003 में इस अधिनियम की सुलभ क्रियान्विति हेतु संशोधित नियम तथा मार्गदर्शी परिपत्र जारी किए गए। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी सविस्तार व्याख्या व अर्थनिरूपण किया गया है। वन भूमि के भू उपयोग परिवर्तन को विनियमित करने का यह सबसे महत्वपूर्ण व कारगर अधिनियम है।

16.6.2 इस अधिनियम की धारा 2 में यह प्रवधान किया गया है कि—केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना, कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेंगे जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया हो कि :

1. कोई आरक्षित वन या उसका कोई भाग, आरक्षित नहीं रहेगा।

2. किसी वन भूमि या उसके भाग का उपयोग किसी भी प्रकार की गैर वन प्रयोजनार्थ किया जा सकता है।
3. किसी वन भूमि या उसके भाग को पट्टा या अन्य तरीके से किसी निजी व्यक्ति अथवा किसी प्राधिकारी, निगम, अभिकरण, अथवा अन्य किसी संगठन जो कि सरकार द्वारा प्रबन्धित, या नियंत्रित या सरकार के न हों, को सौंपा जावे।
4. किसी वन भूमि या उसके भाग को, पुनर्रोपण के प्रयोजनार्थ, वृक्षों से साफ कर दिया जावे जो कि प्राकृतिक रूप से उक्त भूमि या उसके भाग में उगे हुए हैं।

16.6.3 इस धारा के प्रयोजनार्थ गैर वन प्रयोजन का तात्पर्य वन भूमि या उसके भाग को निम्न प्रयोजनार्थ तोडना या साफ करना है :

1. चाय, कॉफी, मसाले, रबर, खजूर, तेलीय पौधे, फलदार पौधे, या औषधीय पौधे की कृषि हेतु।
  2. पुनर्रोपण के अलावा अन्य कोई भी प्रयोजन।
- परन्तु इसमें ऐसे कार्य जोकि वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, प्रबन्धन और विकास से संबंधित कार्य सम्मिलित नहीं हैं।

16.6.4 इस अधिनियम के अनुप्रयोग के लिये वन भूमि को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या 202/95 गोदावरमन तिरुमल्कपाद बनाम भारत संघ में दिनांक 12.12.1996 को दिये गये निर्णय में निम्न को वनभूमि माना है :

1. ऐसी भूमि जोकि वनभूमि के रूप में अधिसूचित हो।
2. ऐसी समस्त भूमि जोकि भी सरकारी अभिलेख में वन के नाम से अभिलिखित है।
3. ऐसी भूमि जोकि वन शब्द के शब्दकोषीय अर्थ के अनुसार वन कही जा सकती है चाहे उसका स्वामित्व या वर्गीकरण कुछ भी हो।

16.6.5 उपरोक्त के अलावा भी इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम से संबंधित अनेक प्रावधानों का सविस्तार व्याख्या व अर्थनिरूपण किया गया है जिसका कि गहरा प्रभाव वन प्रबन्धन पर पड रहा है।



16.6.6 इस अधिनियम के अनुप्रयोग हेतु जारी दिशा निर्देशों में वन भूमि के प्रत्यावर्तन पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि का प्रदाय, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, जल आवाह क्षेत्र के विकास एवं संरक्षण, सुरक्षा पट्टी के विकास एवं संधारण, पुनः वृक्षारोपण हेतु तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि की शुद्ध वर्तमान मूल्य के अनुसार राशि भी उपयोगकर्ता संस्था से लिये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में केन्द्र सरकार के स्तर से अनेक दिशा निर्देश समय समय पर जारी किये गये हैं।

## अध्याय—17

### “वन्य—प्राणी (अतिच्छादी) प्रबंधन कार्य वृत्त”

#### Wildlife management (Overlapping) Working Circle

##### 17.1 सामान्य संरचना

17.1.1 यह एक अतिच्छादी कार्यवृत्त है जो जिसमें जिले के समस्त भूभाग सम्मिलित है। जिले में वन्यजीवों की स्थिति के बारे में विस्तार से भाग 1 के अध्याय 2 ब में विवेचन किया गया है।

##### 17.2 वन्यजीव प्रबन्धन का इतिहास :-

वन्यजीव प्रबन्धन का इतिहास वर्ष 1912-13 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार डूंगरपुर स्टेट में चितल, जंगली सुअर, बाहरसिंगा (सांभर), चिंकारा, रीछ, चौसिंगा, सामान्यतया जंगलों में दिखाई देते थे।

स्टेट टाईम की रेंज आंतरी में सांभर अधिक थे। वन्यजीवों को सुरक्ष प्रदान करने हेतु कानून हिफाजत जंगल जानवर 1.1.1933 से बनाया गया इसके अन्तर्गत टाईगर एवं पेन्थर, रीछ सांभर चितल, नीलगाय, के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था जो जागीरदारी दरबार से स्वीकृति लेकर उनके जागीर क्षेत्र में शिकार कर सकते थे। स्थानीय निवासी जंगली कुत्ता, झरख, भेड़िया, खरगोस, सियार, जंगली सुअर, मगर आदि के शिकार आरक्षित वन 1 & 2 एवं गंवाई जंगल के अलावा क्षेत्र में शिकार कर सकते थे। सालवान एवं जो क्षेत्र विशेष रूप से शिकार हेतु इस नियम के अन्तर्गत शिकार निषेध क्षेत्र थे। उन क्षेत्रों में जंगली कुत्तों को शूट करने हेतु 31/- रु प्रति कुत्ता के हिसाब से ईनाम दिया जाता था। यह कानून फोरम राजस्थान और डूंगरपुर स्टेट के मार्ग होने तक लागू रहा।

इसके फलस्वरूप फलीहोर वनक्षेत्र में 200 से उपर चितल देखे जा सकते थे। टाईगर, पेन्थर, रिछ, सांभर के ट्राफीया को महारावल के राजपैलेस में उस समय लगी हुई थी वो इस बात को पदर्शित करती है की उस समय जंगलों में काफी तादाद में स्वरूप वन्यजीव मौजूद थे। 1947 के बाद के बाद वन्य जिवों के संरक्षण हेतु कोई कानून नहीं होने से वन्यजिवों का कुरतापूर्ण तरिके से शिकार हुआ वर्ष 1961 में राजस्थान वन्यजीव एवं पक्षी संरक्षण कानून के तहत इन वन्यजीवों का उनके प्रजनन काल में शिकार निषेद्ध किया गया।

### 17.3 वर्तमान स्थिति

17.3.1 वर्तमान में वन्य जीवों के संबंध में जिले की स्थिति उत्साहवर्धक नहीं है। श्री ओ पी माथुर द्वारा अपनी कार्य आयोजना (1961-62 से 1971-72) में भी वन्य जीवों के संबंध में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में अंकित किया है कि जिले में वन्य जीव "बेहद कम बल्कि बिलकुल समाप्त हैं।" वन्य जीव एवं वन नियम 1951 लागू होने तथा 1955 में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड की स्थापना के तथा सन् 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बन जाने के पश्चात् वन्य जीव संरक्षण की दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं परन्तु वन्य जीवों के संबंध में जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अत्यंत ही बिखरे हुए वनक्षेत्र की वर्तमान परिस्थिति में वन्यजीवों को उचित आश्रय प्रदान करने और उनकी संख्या को सम्मानजनक स्थिति में लाने हेतु भागीरथ प्रयास करने और अधिकारों के अत्यंत ही विवेकपूर्ण उपयोग की दरकार है। अतः इन क्षेत्रों में पाये जाने वाले वन्यजीव अत्यन्त महत्वपूर्ण होने से प्रबन्ध की योजना बनायी जाना आवश्यक हो गया। अतः इनके प्रबंधन के लिये अलग से प्रबंध योजना बनाना आवश्यक है।

### 17.4 वन्यजीव प्रबंधन

(I) वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले वन्य-प्राणी के लिये।

(II) अन्य क्षेत्रों (राजस्व) में पाये जाने वाले वन्य-प्राणी के लिये।

### 17.5 वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले वन्य-प्राणी के लिये प्रबन्ध योजना

जून 2011 की वन्य-प्राणी की गणना प्रतिवेदन का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रत्येक रेन्ज क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में विभिन्न प्रकार के वन्य-प्राणी पाये गये हैं। अतः प्रत्येक रेन्ज में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर वहाँ पर वन्य-प्राणी प्रबंधन के अनुरूप विभिन्न कार्य करवाये जाने चाहिये। प्रत्येक चिन्हित क्षेत्र कम से कम 500 हेक्टर का होना चाहिये। वन्य प्राणियों की उपलब्धता के आधार पर इन क्षेत्रों का वन्य-प्राणी आवास क्षेत्रफल इससे भी अधिक बढ़ाया जा सकता है किसी किसी रेन्ज में यह क्षेत्र एक से अधिक जगह हो सकते हैं, जिसका निर्धारण वन्य-प्राणी विशेषज्ञ/वन्य-प्राणी प्रभाग द्वारा किया जाये। ऐसे क्षेत्र चिन्हित करने के उपरान्त इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिये

कच्ची-पक्की ड़ीयर प्रूफ फेंसिंग करायी जानी चाहिये तत्पश्चात् “**हेबीटाट प्रोटेक्शन**” तथा **हैबीटाट इम्प्रूवमेन्ट** के तहत कार्य करवाये जाने चाहिये ताकि पाये जाने वाले वन्य-प्राणी को न केवल संरक्षण प्राप्त हो सके वरन् उनके आवास, शरण स्थली, भोजन, पानी सुविधायें विकसित हो सकें, फलस्वरूप ये क्षेत्र वन्य-प्राणी के लिये भविष्य में “कोर क्षेत्र” का कार्य भी करेंगे तथा वन्य-प्राणी पर्याप्त संख्या में स्थापित होने के उपरान्त अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित हो सकेंगे। इन कार्यों में अग्नी पट्टी का निर्माण एवं संधारण, आवागमन के लिये मार्गों का निर्माण एवं संधारण, पानी के लिये वाटर होल का निर्माण एवं संधारण (इसमें एनिकट निर्माण, हेण्ड पम्प खुदाई कार्य भी करवाये जावे) तथा चारे के लिये चारा प्रजातियों के पौधो का रोपण व घास के बीजो का रोपण कार्य कराये जावे तथा फलों के पौधे को भी पर्याप्त संख्या में रोपित किया जाय तथा बॉसो का कल्चर एवम् रोपण कार्य मय अन्य कल्चरल आपरेशन के कराये जावें। कच्ची पक्की फेंसिंग चारों तरफ से होने के कारण चराई कटान, अतिक्रमण तथा अन्य अवैध कार्यों पर अंकुश लगाने में भारी सहायता व सफलता मिलेगी।

इस प्रकार से संरक्षित क्षेत्रों का उपयोग **ट्रांसलोकेशन सेन्टर** के बतौर भी किया जा सकेगा। इनमें वन्य-प्राणी के क्षेत्रों में पकड़े गये या घायल वन्य-प्राणी को भी छोड़ा जा सकेगा तथा उनपर पर्याप्त ध्यान दिया जा सकेगा इस प्रकार उसी क्षेत्र के वन्य-प्राणी, उन्ही परिस्थितियों के संरक्षित क्षेत्र में भली प्रकार से रह सकेंगे तथा विकसित हो सकेंगे। इस प्रकार के ट्रांसलोकेशन कार्य के लिये प्रत्येक वन मण्डल में कम से कम एक **ट्रांक्यूलाईजर गन** मय सहायक उपकरणों के तथा दवाओं के भी होना अनिवार्य है ताकि यह वन मण्डल इस कार्य के लिये किसी अन्य वन मण्डल पर आश्रित नहीं रहे फलस्वरूप त्वरित गति से वन्य-प्राणी को वांछित सुरक्षा प्रदान की जा सके। सहायक उपकरणों में **ट्रैंक्यूलाईजर दवाओं** के सुरक्षित भण्डारण व परिवहन के लिये एक रेफ्रीजेटर तथा कम से कम दो आईस बॉक्स होने चाहिये अन्यथा महँगी तथा स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाएँ प्रभावहीन हो जायेगी तथा समय पर इनको दूर दराज स्थान से प्राप्त करना भी कठिन हो जायेगा। पकड़े गये वन्य-प्राणी के परिवहन के लिये कम से कम एक

बड़ा तथा एक छोटा लोहे का मजबूत पिंजरा व मजबूत जाल भी होना आवश्यक है साथ ही परिवहन के लिये उपयुक्त वाहन भी होना जरूरी है। इस कार्य को अंजाम देने के लिये एक प्रशिक्षित दल भी होना जरूरी है जिसमें कम से कम 6 कर्मचारी होने चाहिये, जिन्हे ट्रांक्यूलाईजर गन का संचालन एवं संधारण कार्य भली भांती आता हो, यह प्रशिक्षण कार्य वन्य-प्राणी प्रभाग द्वारा करवाया जा कर प्रतिवर्ष एक रिफ्रेशर कौर्स भी चलाया जाये ताकि दल हमेशा इस कार्य के लिये पांरगत रह सके। इसके अतिरिक्त ऐसे आवास क्षेत्र भी हैं जो वन्य-प्राणी अभयारण्य के पास ही स्थित है, अतः यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करते हैं। यह क्षेत्र उस समीप स्थित अभयारण्य के लिये एक बफर जोन का कार्य करते है अतः इन क्षेत्रों में वन्य-प्राणी प्रबंधन के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते है। इस क्षेत्र का विस्तार, लम्बाई में अभयारण्य के साथ साथ उसकी सीमा से लगा होगा तथा कम से कम 2 से 5 कि०मी० चौड़ा होना चाहिये। यह क्षेत्र प्रत्येक रेन्ज के लिये अलग से बनाये गये क्षेत्र के अतिरिक्त होगा। इन वन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के क्षेत्र होंगे जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होता है अतः यहाँ पर सर्दियों में भी जलचर (पक्षी) आदि आकर प्रवास करते है अतः संरक्षित क्षेत्र का चयन करते समय ऐसे क्षेत्रों को भी चिंहित कर इनका अलग से विकास इस प्रकार किया जावे कि यहाँ पर वर्ष भर पानी उपलब्ध रह सके तथा इन प्रवासी पक्षियों के रूप में आवास, भोजन एवं प्रजनन के लिये आदर्श तरीकों से क्षेत्र का विकास किया जा रहा है ताकि प्राणी संख्या में बढ़ोतरी हो साथ ही झील में अधिकाधिक देशी व प्रवासी पक्षी नजर आ सकें।

#### 17.5.2 अन्य क्षेत्रों (राजस्व) में पाये जाने वाले वन्य-प्राणियों के लिये प्रबन्ध योजना

वन क्षेत्रों के अतिरिक्त भी कई ऐसे स्थान पाये जाते है, जहाँ अच्छी संख्या में वन्य-प्राणी प्रवास/निवास तथा विचरण करते हैं। कई प्रकार के पक्षी गाँवों/शहरों में अपने घोंसले बना कर रहते हैं खास कर समूह में घोंसला बनाने वाले बरबस ध्यान आकृष्ट करते हैं। अतः इस प्रकार के क्षेत्रों/वृक्षों को चिंहित कर इन पर विशेष ध्यान रखा जावे ताकि आमजन वृक्षो अथवा इनके घोंसलों को क्षति ग्रस्त नही करे अथवा इन्हें भगाने का कार्य न करें। वन्य-प्राणी

नालों/नहरों/नदी या पानी के अन्य स्रोतों एनीकट आदि के समीप भी समय समय पर अकसर आते जाते हैं अतः इस प्रकार के क्षेत्र चिंहित कर इनके आसपास के क्षेत्रों का भी विकास वन्य-प्राणी प्रबंधन के अनुरूप किया जाना चाहिये ताकि इन्हें भी पर्याप्त संरक्षण एवं उचित वातावरण मिल सके तथा कालांतर में विकसित हो सके। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त कई तालाब/बड़े एनीकट/नदियों/स्रोतों आदि में भी वन्य-प्राणी पाये जाते हैं इसमें विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, प्रवासी जलचर (पक्षी) तथा अन्य उभयचर शामिल हैं। कुछ प्रजातियाँ तो अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं अतः इनके संरक्षण तथा विकास को दृष्टिगत रखते हुये इस क्षेत्र का संरक्षण व विकास किया जावे, एवं इसके वन्य-प्राणी ऐसी प्रजातियों के वृक्षों का रोपण किया जावे जो उनके आवास अथवा भोजन के लिये अनुकूल हों तथा इन वन्य प्राणियों के अतिरिक्त अन्य प्रजातियाँ भी कालांतर में इन्हें अपने आवास/प्रजनन केन्द्र के रूप में प्रयोग में ले सकें।

ऐसे क्षेत्रों में सुविधा जनक स्थान पर इन वन्य प्राणियों के संबंध में आवश्यक जानकारी तथा इनके चित्र लगाये जाने चाहिये ताकि आमजन को भी इनकी जानकारी मिल सके तथा वे भी इनके संरक्षण व विकास में अपना वांछित योगदान दे सकें। वन्य-प्राणी के स्कूल के छात्रों को भी समय समय पर यहाँ पर लाकर इसकी जानकारी उपलब्ध करायी जावे ताकि उन्हें भी वन्य-प्राणियों के बारे में समुचित जानकारी मिल सके। इनका विवरण मीडिया को भी समय समय पर उपलब्ध कराया जावे ताकि इनका व्यापक प्रचार एवं प्रसार हो सके। यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस जिले उपरोक्त वर्णित काफी संख्या में अलग अलग स्थानों पर ऐसे क्षेत्र हैं, जो संरक्षण एवं विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं अतः वन्य-प्राणी प्रभाग स्थानीय व्यक्तियों/प्रशासन की मदद से इस प्रकार के क्षेत्रों को चिंहित कर इनके योजना बद्ध विकास के लिये एक कार्य आयोजना तैयार कर उस पर आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर/प्रदान कर कार्य प्रारंभ करे ताकि इस जिले के इन अल्प ज्ञात आवासों में पाये जाने वाले वन्य-प्राणी को संरक्षण मिल सके तथा वे अपनी क्रांतिक आबादी बनाये रख कर पुनः इस जिले को वन्य-प्राणी से परिपूर्ण कर सकें।

## 17.6 सुरक्षा एवं संरक्षण में अवरोधक

17.6.1 उपरोक्त वर्णित क्षेत्र क्योंकि वन क्षेत्रों से बाहर स्थित हैं अतः यहाँ वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण में भी भिन्न-भिन्न प्रकार की समस्याएँ हैं जो निम्नानुसार हैं

1. शिकार
2. सड़क दुर्घटनाएं
3. बिना मुंडेर के कुएं, पानी के टैंक, गड्डे आदि
4. प्रदूषण
5. आवास स्थलों का विनाश
6. विधुत वितरण प्रणाली एवं रोशनी
7. फसल सुरक्षा के उपाय
8. मानव को वन्य-प्राणी का भय
9. प्रजनन एवं भोजन स्थलों का नष्ट होना
10. धार्मिक एवं सह अस्तित्व की भावनाएं का हास
11. अन्य विविध कारण

### 17.6.2 शिकार

वन्य-प्राणी का कभी कभी आबादी के क्षेत्रों में आना उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा कर देता है। कुछ व्यक्ति अपनी शिकार करने की इच्छा पूर्ती किसी न किसी बहाने या चोरी छुपे कर लेते हैं। नभचरो का भी शिकार कर लिया जाता है जो कि प्रवासी होते हैं कभी-कभी कमल सुरक्षा के नाम पर भी प्राणियों को मार दिया जाता है।

### 17.6.3 सड़क दुर्घटनाएं

वन्य-जीव अभयारण्यो तथा वन क्षेत्रों के मध्य अथवा समीप स्थित सड़क/मार्गों पर यदा-कदा वन्य-प्राणी आ जाते हैं। जो सड़क पार करने अथवा विचरण के दौरान तीव्र गति से आने वाले वाहनों की चपेट में कई बार प्राणी आकर घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं। घायल वन्य-प्राणी भोजन व पानी पाने के लिये कमजोर हो जाता है तथा कालांतर में कई बार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बिल्ली जैसे प्राणियों को अन्य विश्वास के कारण रास्ते काटने पर वाहनों के कुचलने की प्रवृत्ति देखी गई है।

#### 17.6.4 बिना मुंडेर के कुए, पानी के टैंक, गड्डे आदि

राजस्व क्षेत्र में जगह जगह कुए, पानी के टैंक एवं गड्डे विविध कार्यों हेतु बनाये जाते हैं, जिन्हे किन्ही कारणवश खुला छोड़ दिया जाता है और इनकी मुंडेर आदि भी नहीं बनायी जाती है। इनमें वन्य प्राणियों के गिरने की पूर्ण संभावना होती है। वन्य-प्राणी विचरण के दौरान अथवा शिकार का पीछा करने के दौरान या अन्य कारण से असावधानीवश इनमें गिर जाते हैं तथा घायल हो जाते हैं। समय पर उचित सहायता प्राप्त होने पर इनका बचाव कर लिया जाता है अन्यथा वन्य-प्राणी मारे जाते हैं। आजकल इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है तथा काफी संख्या में वन्य-प्राणी मारे जा रहे हैं। कुओं, टैंकों आदि पर भूमि तल के बाहर न्यूनतम 0.60 मीटर ऊँची मुंडेर बना कर प्राणियों को बचाया जा सकता है। होदों की एक दिवार रपटनुमा बना कर भी प्राणियों की दुर्घटनाएँ रोकी जा सकती हैं।

#### 17.6.5 प्रदूषण

वायु, जल एवं भूमि के बढ़त हुये प्रदूषण के कारण वन्य-प्राणी भी भारी संख्या में इससे प्रभावित हो रहे हैं तथा कालांतर में इसके फलस्वरूप वे रोग ग्रस्त हो जाते हैं तथा उनका प्राणांत हो जाता है। खास कर खाद्य सामग्री लाने-ले जाने में उपयोग कर फेंकी गई प्लास्टिक थैलियाँ वन्य-प्राणी खा लेते हैं। रंगीन रबड़बैण्ड पक्षी निगल जाते हैं। डाइक्लोफैनिक सोडियम के इंजेक्शन लगे मरने पर इनका माँस गिद्धों हेतु घातक साबित होता है।



### 17.6.6 आवास स्थलों का विनाश

वन्य प्राणियों के सूक्ष्म प्राकृतिक आवास स्थल जैसे वृक्ष, झाड़ियाँ, पहाड़-पहाड़िया, बिल, गुफा, छोटी पानी की धाराएँ, नाले आदि का मानव की विकास गतिविधियों के चलते नष्ट होते जा रहे हैं। बांधो, एनीकट्स सड़क व मार्ग निर्माण, खनन, भवन निर्माण तथा अन्य कार्यों के लिये सूक्ष्म आवास स्थलों को नष्ट करने की प्रक्रिया लगातार होने के कारण वन्य प्राणियों को भारी नुकसान पहुँच रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि विस्तार आवासों को नष्ट करने में भूमिका निभा रहा है। चारागाहों में भी गिरावट जारी है। लैन्टाना, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, गाजर घास, जैन्थियम, इंडिकम एकन्थोस्पर्मम हिस्पीडस आदि चारागाहों व अन्य आवासों में घुसपैठ कर रहे हैं जिससे “आवास परिवर्तन” एवं “आवास विनाश” हो रहा है। आवासों की मूल प्रकृति को बचाना जरूरी है।

### 17.6.7 विद्युत वितरण प्रणाली एवं रोशनी

विकास के बढ़ते कदमों के कारण विद्युत उत्पादन बढ़ा है तथा इसका वितरण प्रत्येक गाँव व ढाणी तक पहुँचाने की प्रक्रिया के दौरान विद्युत के खंबे एवं तारों का जाल फैलता जा रहा है। इसके कारण वन्य-प्राणी के स्वच्छंद विचरण में कई बार रूकावट आ जाती हैं तथा विद्युत तारों तथा खम्बों से यदा कदा वन्य-प्राणी टकरा कर घायल हो जाते हैं अथवा मर जाते हैं। कई बार तारों से करन्ट लग कर भी प्राणी मारे जाते हैं। गाँवों/शहरों में रात्री प्रकाश की व्यवस्था होने के कारण अनेकों कीट रोशनी की तरफ जमा हो जाते हैं जिससे बाहरी क्षेत्रों में कीटों की कमी हो जाती है एवं अनेकों कीटाहारी प्राणियों के सामने भोजन की विपरीत परिस्थितियाँ प्रकट हो जाती हैं।

### 17.6.8 फसल सुरक्षा के उपाय

अच्छी फसल लेने के लिये कृषको द्वारा रसायनिक दवाएँ/कीटनाशक एवं खाद का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त दुधारू पशुओं को भी रसायनिक दवायें खिलायी जाती हैं, जिसके फलस्वरूप इनके शरीर में रसायन जमा होते रहते हैं, जिसके भक्षण पर अन्य प्राणी भी प्रभावित होते हैं,

जिसमें वन्य-प्राणी भी शामिल है। कृषि में रासायनिक दवाओं के छिडकाव से कीट पंतगे जैसे तितलियाँ, मधुमक्खियाँ आदि मारे जाते हैं जिससे परागण जैसी क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

#### 17.6.9 मानव को वन्य-प्राणियों का भय

मानवों में सदियों से वन्य-प्राणियों के प्रति भ्रांतियां प्रचलित हैं तथा अकारण ही वन्य प्राणियों से भयभीत होते हैं। फलस्वरूप उपजे डर, भ्रम व अंधविश्वासों के चलते अनेकों निरीह वन्य-प्राणी मारे जाते हैं जैसे कि कई विषहीन साँप, छिपकलियाँ आदि। इसके अतिरिक्त कई हिसंक जीव किन्ही कारणवश कहीं पर छुप कर रह रहा है तो भी मानव अपने भय को कम करने के लिये इनको अकारण मार देते हैं। जन जागरण से इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है।

#### 17.6.10 प्रजनन एवं भोजन स्थलों का नष्ट होना

वन्य-प्राणी के प्रजनन स्थल तथा भोजन करने के स्थान आदि भी मानवों द्वारा शनैः शनैः नष्ट किये जा रहे हैं। ये स्थान मानव स्वयं के विविध उपयोग के लिये प्रयुक्त करने लगे हैं, फलस्वरूप इन स्थलों की प्रकृति नष्ट या छिन्न-भिन्न हो गयी तथा ये स्थल वन्य-प्राणी के प्रयोग लायक नहीं रह गये। इसके अलावा मानव के आवांछित प्रवेश एवं छेड़ छाड़ के कारण वन्य-प्राणी भी इन स्थलों के प्रयोग करने में कतराने लगे तथा इसके कारण वन्य-प्राणियों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

#### 17.6.11 धार्मिक एवं सह-अस्तित्व की भावनाओं का ह्रास

विकास के पथ पर अग्रसर मानव समाज में सह-अस्तित्व की भावनाओं में निरंतर कमी आ रही है तथा यह उनके सोच विचार तथा काम करने के तौर तरीको पर परिलक्षित हो रहा है। वर्तमान में मानव समाज में आपसी सहयोग, दया एवं भला करने की भावना दिनों दिन कम होती जा रही है तथा वे स्वार्थी होते जा रहे हैं। उनके सोच में अनेकों वन्य प्राणियों का कोई मूल्य नहीं है, क्यों कि इनसे उनको कोई भी प्रत्यक्ष आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं वरन् उनकी दृष्टि में वन्य-प्राणियों द्वारा उनके पशुओं के शिकार व फसल नष्ट करके

आर्थिक नुकसान पहुँचाया जा रहा है। यद्यपि विभाग द्वारा ऐसी स्थितियों में नियमानुसार मुआवजा दिया जाता है। अतः आम जनता एवं विशेषकर वन्य जीव क्षेत्रों की सीमा पर एवं समीप रहने वाले निवासियों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रख कर वन्य-प्राणियों के महत्व के बारे समझाते रहने की नितान्त आवश्यकता है। पूर्व में मानव वन्य प्राणियों के साथ रहना जानता था तथा सदियों तक उनके साथ जिया है परन्तु अब इस बदलते परिपेक्ष में मानवों के रहन सहन में भारी बदलाव आया है, जिसके कारण अब उसका वन्य प्राणियों के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। वे इनको अपने जीवन से दूर रखना चाहते हैं तथा इसके लिये प्रयासरत रहते हैं कि उनके समीप वन्य प्राणियों की कोई शरणास्थली नहीं हो। कभी पशु सुरक्षा के नाम पर, तो कभी फसल सुरक्षा के नाम पर तो कभी जन-सुरक्षा के नाम पर वन्य-प्राणियों के मानव समाज विमुख होता जा रहा है। वन्य-प्राणियों का परिस्थितिकी तन्त्र में क्या योगदान है एवं हमारे अस्तित्व में उनकी क्या भूमिका है यह आमजन को बताने की जरूरत है। “थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली” की भावना से कार्य करना जरूरी है।

#### 17.6.12 अन्य विविध कारण

उपरोक्त वर्णित मुख्य कारणों के अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे कारण हैं जो वन्य प्राणियों के लिये खतरा पैदा करते रहते हैं। विकास के इस युग में ऐसे कई निर्माण हो गये हैं जो कि वन्य प्राणियों के लिये अहितकर हैं। कृषि के विकास के लिये बनाये जा रहे बाँध आदि जहाँ पर एक ओर विस्थापन की समस्या पैदा करते हैं वही दूसरी ओर उस नदी के पर्यावरण में भी बदलाव ला देते हैं। इसके अलावा नहरों के जाल बिछने के कारण वन्य-प्राणी इसमें गिरकर घायल हो जाते हैं अथवा मारे जाते हैं। सिंचाई सुविधाओं से इस की पारिस्थितिकी में परिवर्तन आ जाता है। अतः आवास परिवर्तन होने लगता है। मछलियों के व्यावसायिक उत्पादन कि नयी तकनीकों व कैचमेंट के वन विनाश से भी जलाशयों की परिस्थितिकी में परिवर्तन हो जाता है। भू गर्भीय जल के अतिरिक्त दोहन से “वाटर रेजीम” की स्थितियाँ बदल रही हैं। समुचित भू-जल संरक्षण विधियाँ अपना कर “वाटर रेजीम” की स्थितियाँ यथावत रखने के प्रयास जरूरी हैं।

आवागमन के आधुनिक साधन (बढ़ते वाहन व रोड नेट वर्क), संचार माध्यम तथा हथियारों ने भी वन्य-प्राणी के संरक्षण को प्रभावित किया है। सड़कों पर अनेकों वन्य-प्राणी कुचले जाते हैं। आधुनिक वाहन व सड़कों के जाल से शिकारियों को शिकार तक पहुँचने व भागने में सुविधा की स्थितियाँ सृजित हुई हैं। आधुनिक हथियारों ने शिकार कार्य को आसान कर दिया। संचार व्यवस्था के विस्तार का शिकारी दुरुपयोग करने से नहीं चूकते।

## 17.7 वन्य-प्राणी को नुकसान पहुँचाने वाले कारकों के निराकरण के उपाय

उपरोक्त वर्णित वन्य-प्राणियों को नुकसान पहुँचाने वाले कारकों के लिये इस प्रबंधन द्वारा उपाय सुझाये जा रहे हैं जिस पर व्यापक स्तर पर मनन कर अमल में लायी जाने की आवश्यकता है। ये निम्नानुसार हैं:

### 17.7.1 वन्य-प्राणियों के संरक्षण हेतु प्रचार एवं प्रसार कार्य :

वन्य प्राणियों के संरक्षण के उपाय में इनके महत्व को आमजन को समझना तथा उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिये उपाय जरूरी हैं। शैक्षिक पाठ्यक्रम में जैविक संपदा के संरक्षण-संवर्धन को स्थान दिया जाना उचित होगा। जिससे की आने वाली पीढ़ी शुरू से ही इनके महत्व से परिचित हो जाये तथा उनकी मानसिकता इनके संरक्षण के लिये अनुकूल हों। छात्र-छात्राओं को वन भ्रमण, पक्षी अवलोकन अभियान, ईको-ट्रेकिंग, वन महोत्सव, वन्यजीव सप्ताह, विश्व वैटलैण्ड डे, विश्व वानिकी दिवस, ओजोन दिवस आदि-आदि कार्यक्रमों से जोड़ा जाना जरूरी है। आम जन को भी इन गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं को भी प्रचार-प्रसार के लिये आगे लाया जावे। संचार माध्यमों का भी पूर्ण सहयोग लिया जावे। प्रिन्ट मीडिया एवं दृश्य मीडिया बहुत शक्तिशाली एवं प्रभावी माध्यम है। होर्डिंग एवं साईनेज ऐसे स्थान पर लगाये जावे कि आमजन उसको देख सकें। वाहन चालकों को जागरूक बनाना भी जरूरी है ताकि सड़क पर वन्य-प्राणियों के कुचलने की घटनाओं में कमी आ सके। सड़कों के नीचे भी जगह "पास" रखे जाने चाहिये ताकि वन्य-प्राणी सड़कों के नीचे से आवागमन करें। वन्य-प्राणी सप्ताह पर संचार माध्यमों पर

विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाना जरूरी है। ये कार्यक्रम शहर से ग्राम स्तर पर करना उचित होगा। इस प्रकार प्रचार एवं प्रसार से आमजन में वन्य प्राणियों के संरक्षण की भावना बलवती होगी।

### 17.7.2 संरक्षण के उपाय

शिकार आदि की घटनाओं को रोकथाम हेतु विशेष प्रयास किये जाने चाहिये अधिक से अधिक गश्त वनक्षेत्रों के अतिरिक्त ऐसे क्षेत्रों में भी की जाये जँहा पर वन्य-प्राणी अकसर पाये जाते हैं अथवा उनका आवास स्थल या भोजन स्थल हो। जँहा परंपरागत शिकारी जातियाँ निवास करती हों उन क्षेत्रों पर भी नजर रखी जावे। शिकार से जुड़ी जातियों में निरन्तर जन-जागरण अभियान की जरूरत है। इसके अतिरिक्त एक खुफिया तन्त्र भी विकसित किया जावे ताकि इस संबंध में समय पर सूचना मिलती रहे और शिकारियों, बहेलियों को समय पर पकड़ा जा सके।

### 17.7.3 सड़क दुर्घटनाएँ :

सड़को के किनारे चेतावनी वाले बोर्ड लगाये जावें तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी इस संबंध में आगाह किया जावे कि वन्य-प्राणी बहुल आवासों के समीप सड़क निर्माण नहीं करें या विशेष तकनीक अपनायें की जरूरत है। तथा वन्य-प्राणी बहुल सड़कों पर जगह-जगह "अन्डर पास" बनाने की जरूरत है। गति सीमा निर्धारित की जावे तथा स्पीड ब्रेकर्स स्थान-स्थान पर बनवाये जावें। इन क्षेत्रों पर नजर रखी जावे तथा प्रभावी गश्त पुलिस द्वारा भी करवायी जावे ताकि गति सीमा से तेज वाहन नहीं चल पावें। जिस वाहन द्वारा दुर्घटना की जावे, उसके चालक की गलती होने पर उस पर मोटर विहिकल एक्ट के तहत ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर, वन्य-प्राणी अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जावे।

### 17.7.4 कुएँ, टैंक व गढ्ढों पर मुंडेर बनवाना:

पंचायत समितियों को निर्देशित किया जावे कि ऐसे कुए, पानी के टैंक अथवा गड्ढों को प्रतिवर्ष चिन्हित कर या तो उन्हे भरवा दिये जाये अथवा उन पर मुण्डेर आदि बनवाये जावें ताकि इनमें वन्य-प्राणी के गिरने की संभावना नगण्य हो सके। मुण्डेर भूमि के बाहर 0.60 मी० से कम न हो । कुओं के पास झाडियों को साफ रखा जावें ताकि वन्य-प्राणी कुओं के पास घूमने हेतु नहीं आवें। खतरनाक कुओं को लोहे के जाल से ढका जावे ताकि वन्य-प्राणी अन्दर नहीं गिरें।

#### 17.7.5 प्रदूषण नियंत्रण

प्रदूषण नियंत्रण के लिये विशेष प्रयास किये जावें। ऐसे क्षेत्र जिनमें में प्रदूषण फैला हो उसे चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही की जावें। प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिये पंचायत समितियों के माध्यम से विशेष प्रयास किये जावे ताकि कांलातर में इनका प्रभाव नगण्य हो सके। प्लास्टिक की थैलियों को इधर-उधर नहीं फैंका जावें। वाटर होलों में विषैले पदार्थों की पहुँच रोकने के हर संभव प्रयास किये जावें। गड्ढों में बहते कोलतार को मिट्टी की मोटी पर्त से ढकना जरूरी हैं। कई बार गर्मी से सड़कों के किनारे पडे/बहते कोलतार से वन्य-प्राणी फंस जाते है।

#### 17.7.6 आवास स्थलों की सुरक्षा

राजस्व क्षेत्र में स्थित आवास स्थलों को चिन्हित कर उनका डेटा बेस तैयार किया जावे तथा समय-समय पर उन स्थलों पर गश्त करायी जावें। ग्राम पंचायत/पंचायत समिति को भी इस डेटा बेस से अवगत कराया जावें ताकि इन स्थलों के संरक्षण को गति दी जा सके। स्थानीय प्रशासन व पुलिस विभाग का राजस्व क्षेत्र के वन्य-प्राणी बहुल क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु पूर्ण सहयोग लेने की जरूरत है।

#### 17.7.7 विद्युत वितरण प्रणाली

विद्युत वितरण को इस प्रकार से प्रबंधित किया जावे कि न्यूनतम तारो के जाल फेले। वन क्षेत्रों जलाशयों व वन्य-प्राणी बहुल क्षेत्रों में भूमिगत केबलें डाल कर "इलेक्ट्रोक्वूशन की घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। इस कार्य हेतु उच्च स्तर पर पालिसी निर्धारण की जरूरत है।

### 17.7.8 फसल सुरक्षा के उपाय

वन्य-प्राणी बहुल क्षेत्रों के कृषको आदि को उनकी फसल की सुरक्षा एवं उत्पादन वृद्धि के लिये देशी या पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के प्रयोग करने के लिये एक अभियान चलाया जाकर इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। यह कार्य एक योजना के तहत किया जाना चाहिये। इसके लिये उन्हें “इको-फ्रेन्डली” पदार्थों की जानकारी देकर प्रयोग तथा क्रय करने के लिये आवश्यक ऋण बिना ब्याज पर उपलब्ध कराये जाने चाहिये। इन उत्पादों पर भारी अनुदान भी दिया जाना चाहिये। इसके अलावा ऋण एवं अनुदान उन्ही कृषको को दिया जाना चाहिये जो ऐसे उत्पादों का प्रयोग करे जिसमें कोई हानिकारक तत्व न हो तथा ऐसे उत्पादों को स्थानीय स्तर पर सहकारी अथवा ग्राम पंचायत द्वारा ही उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

### 17.7.9 मानवों को वन्य-प्राणी का भय

मानव समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिये भी विशेष प्रयास करने चाहिये। यह भी उस योजना का एक अंग होना चाहिये जिसमें हानिकारक रसायनिक उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जावे। जब तक आम जन में यह भ्रांतियाँ दूर नहीं होंगी तब तक वन्य-प्राणी अकारण ही मारे जाते रहेंगे, अतः इस संबंध में समस्त जानकारी, एक प्रसार एवं प्रचार योजना का भाग होना चाहिये। समाज में बिल्ली, साँप, जरख, उल्लू, चमगादड़ बाबत अनेकों मिथ्या धारणों व अंधविश्वास प्रचलित हैं। लोक जादू-टोनों में भी प्राणियों का उपयोग होता है। पहल कर लोगों में जागृति लाने की व्यापक जरूरत है।

### 17.7.10 प्रजनन एवं भोजन स्थलों का संरक्षण

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, कि राजस्व क्षेत्र में वन्य-प्राणी बहुल स्थलों को चिह्नित कर इनकी सुरक्षा हेतु स्थानीय पंचायत स्थानीय प्रशासन व पुलिस विभाग का सकारात्मक रुख जरूरी है। स्मरण रहे वन क्षेत्रों के बाहर वन्य-प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या निवास करती है जँहा वन विभाग का नियन्त्रण

नहीं हैं। इन क्षेत्रों हेतु अन्य राजकीय विभाग, स्वयं सेवी संस्थायें, आम जन सभी मिल कर कार्य करें तभी वन्य-प्राणी बच सकते हैं।

#### 17.7.11 धार्मिक एवं सह-अस्तित्व की भावना का विकास

इस कार्य के लिये ग्राम/नगर के मंदिरों/मस्जिदों/गिरजाघर के पुजारियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। इनको ऐसा सुलभ साहित्य स्थानीय भाषा में उपलब्ध करवाया जाना चाहिये जिसमें वन्य-प्राणी के संरक्षण को धर्म तथा जीव दया के साथ जोड़ा गया हो। इससे आमजन में धार्मिक भावना के साथ साथ वन्य-प्राणी के प्रति दया का भाव उत्पन्न होगा तथा सह अस्तित्व की भावना का कालांतर में शनैः शनैः विकास होगा। यह प्रत्येक धर्म में एक विशिष्ट स्थान बना पायेगा तथा वन्य संरक्षण में भारी योगदान दे पायेगा।

#### 17.7.12 संरक्षण के अन्य उपाय

स्थानीय मानद वाइल्ड लाइफ वार्डन का सक्रिय सहयोग लिया जाना चाहिये। जिले भर की ईको डवलपमेंट कमेटियों व वन सुरक्षा एवं प्रबंध कमेटियों को भी वन संरक्षण के कार्य से और प्रभावी ढंग से जोड़ने की जरूरत है। वन्य-प्राणी आवासों के पास रहने वाले पालतु मवेशियों के 5 कि०मी० तक परिधि में हर साल टीकाकरण, अग्नि सुरक्षा के उपायों पर पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत है। कुओं में गिरे या आबादी में घुसे वन्य-प्राणियों के "रेस्क्यू" हेतु टीम हर वक्त तैयारी की स्थिति में रहनी चाहिये। एक टीम वन्य-जीव प्रभाग व एक किसी एक मण्डल वन कार्यालय में तैनात रहनी चाहिये। वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम का पर्याप्त प्रचार प्रसार की जरूरत है। बर्ड फ्लू, गिद्ध विनाश जैसी हाल ही में उभरी समस्याओं की सही-यही जानकारी आम जन तक पहुँचाने की जरूरत है।

#### 17.8 वन्य-प्राणी (अतिच्छादी) प्रबंधन कार्य वृत्त होने वाला संभावित व्यय



क.सं.	कार्य का विवरण	व्यय (लाखों में)
1	वैन मय ट्रैक्यूलाईजर गन, ट्रैक्यूलाईजर दवाओं एवं आवश्यक सामग्री	20.00
2	टिकाकरण एवं पशु चिकित्सकों की ओनरेरियम राशि (2 लाख रू प्रतिवर्ष)	20.00
3	जनहानि एवं पालतू मवेशियों के मारे जाने पर निम्नानुसार मुआवजा/एक्सग्रेसिया राशि (1.50 लाख रू प्रतिवर्ष)	15.00
4	गुप्तचर सूचना तंत्र को सुदृढीकरण करना एवं मुख्बरी के लिये आवश्यक प्रोत्साहन राशि (0.50 लाख रू प्रतिवर्ष)	5.00
	<b>योग :-</b>	<b>60.00</b>

## सामाजिक वानिकी

### Social Forestry

#### 18.1 सामान्य संरचना :

**18.1.1** राजस्थान राज्य वन नीति, 2010 के तहत प्रदेश के कुल भू-भाग का 20 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसी स्थिति में जो क्षेत्र वन क्षेत्र नहीं है तथा विभाग के अधीन नहीं है परन्तु जिनका उपयोग वानिकी विकास, वृक्षारोपण, वृक्ष आवरण बढ़ाने तथा स्थानीय मांग अनुसार, जीवन स्तर प्रवर्द्धन व आय संवर्द्धन हेतु विभिन्न वनोपज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किया जा सकता है। इस श्रेणी में विशेषकर सामुदायिक बंजर भूमि, चारागाह भूमि, कृषि अयोग्य भूमि, सड़क, नहर आदि के किनारे की भूमि, तालाब व जलाशयों के आस पास की भूमि, स्वेच्छा से उपलब्ध निजी स्वामित्व की रिक्त पड़ी भूमि, राजकीय विभागों की रिक्त भूमि, औद्योगिक परिसरों की भूमि, खेतों के मेड़ आदि आएंगे। इन भूमियों का गहन व विस्तृत उपयोग कर वन क्षेत्र पर दबाव को कम किया जा सकता है तथा वनोपज की मांग व आपूर्ति के अन्तर को भी कम किया जा सकता है।

**18.1.2** माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, श्री अशोक गहलोत द्वारा माह जून-जुलाई 2009 में "हरित राजस्थान योजना" का शुभारम्भ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्र में बढ़ोतरी करना है, ताकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन की विश्व व्यापी चिन्ता को कम किया जा सके। हरित राजस्थान अभियान में ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों, स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, स्वयं सहायता समूहों, स्काउट गाइड्स, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., सेना, अर्द्ध सैनिक बल, राजकीय विभागों एवं शिक्षण संस्थाओं, सीमा सुरक्षा बलों इत्यादि को सक्रिय रूप से निरंतर जोड़े रखा जाना अति आवश्यक है, तभी वृहद् स्तर पर अधिकाधिक वृक्षारोपण से हरियाली बढ़ सकेगी।

**18.1.3** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महानरेगा) के अन्तर्गत एक बहुत बड़ी राशि राज्य को प्राप्त हो रही है, इसके पूर्ण सदुपयोग के

लिए ही "हरित राजस्थान योजना" की संकल्पना को साकार किया जाना है जिससे राज्य की वन नीति के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हो सके।

**18.1.4** चूंकि जिले में वनक्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 6.68 प्रतिशत ही है अतः राज्य वन नीति, 2010 में विनिर्दिष्ट 20% भू-भाग को वृक्षाच्छादित करने हेतु गैर वनभूमि में भी सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत अधिकाधिक वृक्षारोपण किए जाने की महत्ती आवश्यकता है।

## **18.2 प्रबन्धन वृत्त गठन के विशेष उद्देश्य :**

वन क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में वन विकास के कार्य लिये जाने के विशिष्ट उद्देश्य निम्न हैं :-

1. अकृषि भूमि पर तथा रिक्त सार्वजनिक भूमि पर जलाऊ लकड़ी व चारा उत्पादन की व्यवस्था कायम करना।
2. रिक्त सार्वजनिक भूमि विशेषकर चारागाह भूमि, सड़क, नहर आदि के किनारे की भूमि पर वृक्षारोपण कर जिले में वृक्षावरण में वृद्धि करना।
3. आम जन विशेषकर ग्रामीणों को उनके निवास के निकट जलाऊ लकड़ी व चारा सुलभता से उपलब्ध कराकर वन क्षेत्र पर दबाव को कम करना व लोगों को सुविधा प्रदान करना।
4. सार्वजनिक भूमि पर मृदा क्षरण को रोकना तथा उसकी उर्वरकता व उत्पादकता में वृद्धि करना।
5. आम जन को प्रोत्साहित कर निजी भूमि पर वृक्षावरण बढ़ाना।
6. वन, वन्य जीव व पर्यावरण के संबंध में आमजन में सामान्य जागृति बढ़ाना।

**18.3 "हरित राजस्थान" अभियान के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी हेतु चिह्नित क्षेत्र व वर्गीकरण :**

18.3.1 जिले में सामाजिक वानिकी के कार्य हेतु उपलब्ध विभिन्न प्रकार की भूमियों को निम्न वर्ग में निम्नानुसार रखा जा सकता है :-

क्र.सं.	वर्ग	भूमि का प्रकार
1	खण्ड भूमि	ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि राजस्व बिलानाम बंजड़ भूमि
2	पट्टाकार भूमि	सड़क व नहर के किनारे की भूमि राजकीय विभागों की रिक्त भूमि
3	निजी भूमि	रिक्त पड़ी निजी भूमि खेतों के मेड़ औद्योगिक परिसरों की रिक्त भूमि

सामाजिक वानिकी के कार्य इन भूमियों पर सक्षम सहमति व सहयोग से किये जावें।

#### 18.4 "हरित राजस्थान" अभियान में सामाजिक वानिकी कार्य क्रियान्वयन विधि :

विभिन्न वर्गों की भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य क्रियान्वयन आगे बताये अनुसार किया जावेगा।

#### 18.5 खण्ड भूमि :

##### 18.5.1 सामान्य विन्यास :

भूमि उपयोग

(क्षेत्रफल हेक्टर में)

भौगोलिक क्षेत्रफल	377000
जंगलात	69275.333
अनुपयोगी कृषि भूमि	128935
पडत जमीन	69865
स्थाई चारागाह	27345
वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	130723
कूल बोया गया क्षेत्रफल	191883
कुल सिंचीत क्षेत्रफल	42344

प

इस प्रकार की भूमि पर विगत वर्षों में अनेक योजनाओं के अन्तर्गत पंचायत भूमि वृक्षारोपण मॉडल, ईंधन वृक्षारोपण मॉडल अथवा ईंधन चारा वृक्षारोपण मॉडल के अनुसार वृक्षारोपण कराये गये हैं। परन्तु वर्तमान में भी इस प्रकार की काफी भूमि

वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध है। चूंकि इस प्रकार की भूमि विभाग के अधीन नहीं है, अतः कार्य आयोजना अवधि में उपचार हेतु इनकी मात्रा प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। परन्तु यह अपेक्षित है कि विभाग द्वारा वन क्षेत्र में किये गये वानिकी कार्य से संबंधित गांव अथवा समिति के क्षेत्र में उपलब्ध उपरोक्त प्रकार की भूमियों को चिह्नित कर इन पर सामाजिक वानिकी का कार्य किया जावे। सामाजिक वानिकी का यह कार्य एक प्रकार से वन क्षेत्र में किये जा रहे प्रबन्धन व उपचार की सफलता हेतु पूरक कार्य है जो कि वन क्षेत्र के समस्त प्रबन्धन प्रयासों को और अधिक कारगर बनाएगा।

### 18.5.2 प्रबन्धन का विशिष्ट उद्देश्य :

खण्ड भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य करने के निम्न विशिष्ट उद्देश्य हैं:-

1. उपलब्ध खण्ड भूमि को वानिकी कार्य में उपयोग में लिया जाकर भूमि की उत्पादकता को बढ़ाना।
2. रिक्त पड़ी सार्वजनिक अथवा पंचायत भूमि में उपयुक्त प्रजातियों का वृक्षारोपण व बीजारोपण कर ग्रामीण समुदाय की जलाऊ लकड़ी, चारा व छोटी लकड़ी की वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
3. जलाऊ लकड़ी, चारा व छोटी लकड़ी की वैकल्पिक उपलब्ध सुनिश्चित कर वन क्षेत्र पर दबाव को कम करना और बफर क्षेत्र कायम करना।

### 18.5.3 कार्यकारी अभिकरण :

भूस्वामी विभाग के प्रस्तावानुसार, विभाग के मार्गदर्शन में कार्य कराया जावे।

### 18.5.4 उपचार प्रणाली :

क्षेत्र का उपचार कृत्रिम वृक्षारोपण प्रणाली के अनुसार किया जावेगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत मुख्यतः सघन वृक्षारोपण, बीजारोपण तथा व्यापक मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं के माध्यम से क्षेत्र में वानस्पतिक आवरण में वृद्धि की जावेगी। क्षेत्र में बिखरे हुए उपलब्ध सभी टेढ़े-मेढ़े, विकृत, खोखले वृक्षों को विधि अनुसार काटकर कॉपिस किया जावेगा तथा अग्रिम वृद्धि को प्रतिधारित किया जावेगा।

## 18.6 उपचार विधि :

### 18.6.1 क्षेत्र का चयन :

सामाजिक वानिकी कार्य हेतु खण्डीय भूमि का चयन उसी गाँव अथवा समिति के क्षेत्र में किया जावे जहां वन क्षेत्र पर वानिकी कार्य किये जा रहे हों अथवा आने वाले वर्ष में प्रस्तावित हों। इस प्रकार चयन करने से वन क्षेत्र के साथ साथ गैर वन क्षेत्र का भी समग्र उपचार हो सकेगा और इन कार्यों का एक दूसरे पर सहक्रियात्मक प्रभाव पड़ेगा।

### 18.6.2 उपचार कार्य :

क्षेत्र का उपचार कार्य वनस्पति के घनत्व व प्रकृति के अनुसार किया जावे। सामान्यतः वृक्षारोपण कार्य वृत्त में वर्णित विधि उपयुक्त रहेगी। ग्राम के सूक्ष्म नियोजन के अनुसार वृक्षारोपण एवं बीजारोपण हेतु प्रजातियों का चयन किया जावे। ईंधन, चारा व छोटी लकड़ी की पूर्ति करने वाली विधि को प्राथमिकता दी जावे।

### 18.6.3 सूक्ष्म नियोजन :

सामाजिक वानिकी कार्य हेतु साझा वन प्रबन्ध कार्यवृत्त में वर्णित अनुसार सूक्ष्म नियोजन प्रतिवेदन तैयार किया जावे।

### 18.6.4 भौतिक पूर्वानुमान :

जिले में उपलब्ध 3000 हैक्टर चारागाह एवं अन्य गोचर भूमि में "हरित राजस्थान" अभियान के अन्तर्गत महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में प्राप्त वित्तीय प्रावधानों के अनुसार निम्नानुसार वर्षवार चारागाह विकास/वृक्षारोपण के कार्य करवाए जाने चाहिए :-

क्र. सं.	आईटम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
1	चारागाह वृक्षारोपण	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3000

## 18.7 पट्टाकार भूमि :

### 18.7.1 सामान्य संरचना :

इस वर्ग में जिले में सड़क के किनारे की पट्टाकार भूमि तथा छोटे आकार की राजकीय विभागों की रिक्त भूमि को रखा गया है।

### 18.7.2 सड़क के किनारे की पट्टाकार भूमि :

18.7.3 रेल मार्ग :— जिले में उदयपुर—डूंगरपुर—हिम्मतनगर—अहमदाबाद मीटर गैज लाईन है।

18.7.4 सड़क मार्ग : जिले में व्यापार व आवागमन हेतु तथा जिले से बाहर निर्यात हेतु व्यापक सड़क

18.7.5 मार्ग विकसित है। वर्तमान में प्रमुख सड़क मार्ग निम्नानुसार है :

#### राष्ट्रीय राजमार्ग

एन एच 8	उदयपुर—रतनपुर मार्ग	34 किमी
---------	---------------------	---------

### 18.7.6 राज्य राजमार्ग

एस0 एच0—10	खैरवाड़ा—डूंगरपुर—माही	90 कि०मी०
एस0 एच0—54	आसपुर—डूंगरपुर—सरथुना	120 कि०मी०

### 18.7.7 प्रमुख जिला सड़कें

	आसपुर—गणेशपुर	10 कि०मी०
	मुण्डली—धम्बोला—जोगपुर	45 क०मी०

18.7.8 अन्य जिला सड़के : जिले में विभिन्न कस्बों को जोड़ने वाली कुल 7 सड़के हैं जिनकी कुल लम्बाई 157 कि०मी० है।

### 18.7.9 ग्राम सड़के :

- कुल ग्राम 854
- सड़को से जुड़े हुए ग्राम 810

स. सड़को कुल लम्बाई 1991.83 कि०मी०

#### 18.7.10 वर्तमान वनस्पति का विवरण

विगत वर्षों में उपरोक्त सड़क मार्गों के किनारे की भूमि पर विभाग द्वारा वृक्षारोपण के कार्य कराये गये थे। इन मार्गों पर आज भी उक्त वृक्षारोपण में लगाये गये सफेदा, देशी बबूल, केसिया स्यामा, सिरस, शीशम के बड़े बड़े वृक्ष तथा प्राकृतिक रूप से विलायती बबूल, रोंझ आदि के वृक्ष देखे जा सकते हैं। वर्षा काल में आंधी, तूफान आदि से अनेक वृक्षों की क्षति हुई है। यह भी देखा जा सकता है कि अनेक वृक्ष अथवा उनकी बड़ी शाखाएं वर्तमान में सड़क मार्ग पर घातक रूप से झुकी हुई है जिन्हें हटाया जाना नितान्त आवश्यक है। इन मार्गों पर कुछ स्थानों पर वृक्षावरण सघन है परन्तु काफी बड़ा भाग वर्तमान में वृक्षरहित है।

#### 18.7.11 प्रबन्धन का विशिष्ट उद्देश्य :

पट्टाकार वर्ग की भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य करने के निम्न विशिष्ट उद्देश्य हैं :-

1. उपलब्ध भूमि को वानिकी कार्य में उपयोग में लिया जाकर भूमि के सामाजिक उपयोग को बढ़ाना।
2. रिक्त पड़ी भूमि में उपयुक्त प्रजातियों का वृक्षारोपण व बीजारोपण कर ग्रामीण समुदाय की जलाऊ लकड़ी, चारा व छोटी लकड़ी की वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
3. सड़क मार्ग व नहरों को मृदा क्षरण व अन्य दबावों से सुरक्षित करना।
4. सड़क मार्ग को अधिक धूप व तेज हवाओं से सुरक्षित करना। मार्ग को सुन्दर बनाकर यात्रा को आनन्ददायक बनाना।

#### 18.7.12 कार्यकारी अभिकरण :

इस वर्ग की भूमि पर भूस्वामी विभाग की स्वीकृति एवं उनकी सहमति से विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य कराया जावे।



### 18.7.13 उपचार प्रणाली :

क्षेत्र का प्रबन्धन कृत्रिम वृक्षारोपण प्रणाली के तहत किया जावे। सफेदा के परिपक्व व अवांछित वृक्षों को हटाया जाकर कॉपिस विधि से उनका संवर्द्धन किया जावेगा।

### 18.7.14 उपचार विधि :

#### विदोहन :

- 150 से.मी. से अधिक की सावक्ष सवल्क गोलाई वाले सफेदा के समस्त वृक्षों को कार्य आयोजना अवधि के प्रथम तीन वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से हटाया जावे।
- सभी प्रजाति के वृक्ष जो कि घातक रूप से सड़क मार्ग पर अथवा नहर पर झुके हुए हैं तथा जिनके गिरकर जान माल का नुकसान पहुंचाने की संभावना है, को कार्य आयोजना अवधि के प्रथम वर्ष में ही हटाया जावे।
- जिन वृक्षों की कुछ शाखाएं सड़क मार्ग पर घातक रूप से झुकी हुई हैं, उनकी संबंधित शाखा को कार्य आयोजना अवधि के प्रथम वर्ष में ही हटाया जावे।
- सफेदा के समस्त टेढ़े-मेढ़े वृक्षों को हटाया जावे।
- विदोहन के कार्य को इस प्रकार किया जावे कि अन्य वृक्षों को क्षति नहीं हो।
- सफेदा के समस्त कटे हुए टूठों को प्रतिसाधित कर साफ किया जावेगा। अवैध कटान से प्रभावित समस्त टूठों व स्कन्धों को विधिवत् कॉपिस किया जावेगा।
- कॉपिस कार्य करने के एक वर्ष बाद अगले वर्षाकाल से पूर्व माह अक्टूबर से मार्च की अवधि में, स्थूल स्कंध से उपजे अनेक प्ररोहों में से सबसे सीधे व स्वस्थ दो प्ररोहों को प्रतिधारित करते हुए शेष को हटाया जावेगा।
- कॉपिस कार्य करने के दो वर्ष बाद अगले वर्षा काल से पूर्व माह अक्टूबर से मार्च की अवधि में, प्रतिधारित दो स्थूल प्ररोहों में से सबसे बड़े, स्वस्थ व सीधे प्ररोहों का प्रतिधारित कर अन्य को हटाया जावेगा।

#### 18.7.15 वृक्षारोपण :

विदोहन उपरान्त क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य लिया जा सकता है। सड़क किनारे की भूमि पर वृक्षारोपण हेतु विभाग द्वारा जारी विस्तृत निर्देशों व मार्गदर्शन के अनुसार आगे वर्णित बिन्दुओं पर ध्यान रखते हुए कार्य किया जावे।

#### 18.7.16 उपचार योजना :

वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का विस्तृत निरीक्षण कर मृदा की किस्म, जलप्लावनता हो तो उसे जिप्सम से उपचारित किया जाना आवश्यक है। तथा संबंधित विभाग की सुविधा अनुसार तथा आस पास के ग्रामीणों की राय को ध्यान में रखते हुए उपचार योजना बनाई जावे।

#### 18.7.17 बाड़बन्दी :

वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को लोहे के अथवा सीमेन्ट कंक्रीट के पिलर पर लगे कांटेदार तार के कम से कम पांच पंक्तियों की बाड़ से सुरक्षित किया जावे। बाड़बन्दी पर विलायती बबूल की झाड़ियों को फंसाकर अथवा बाहर की ओर कटकरंज या रतनजोत के बीज को रोपित कर बाड़बन्दी को और मजबूत किया जावे। बाड़बन्दी के समय ग्रामवासियों के आने जाने की सुविधा का ध्यान रखा जावे। सड़क किनारे समुचित भूमि उपलब्ध हो तो रिंग पिट विधि से बाड़बन्दी की जावे। महानरेगा योजना में सामग्री मद में कम राशि के प्रावधान होने के कारण उपरोक्त विधि प्रयोग में लिया जाना उचित होगा।

#### 18.7.18 अग्रिम मृदा कार्य :

चयनित क्षेत्र में झाड़ियों इत्यादि की सफाई कर अन्य वृक्षों से कम से कम तीन मीटर की दूरी रखते हुए 3 मी. X 3 मी. के अंतराल पर कम से कम 50 सेमी X 50 सेमी X 50 सेमी के खड्डे तीन पंक्तियों में तैयार किये जावें।

#### 18.7.19 प्रजाति का चयन :

स्थानीय मृदा की किस्म व जलप्लावनता को ध्यान में रखते हुए प्रजाति का चयन किया जावे। सामान्य क्षेत्र में बाहरी व मध्यम पंक्ति में केसिया स्यामा, नीम, सिरस, अमलतास, चुरैल, शीशम, जेकेरेन्डा, गुलमोहर आदि योजना बनाकर सुनियोजित ढंग से लगाया जावे जिससे सड़क की सुन्दरता भी बढ़ सके। जलप्लावित स्थानों पर सुबबूल, बबूल, जामुन, करंज, बकैन आदि प्रजाति को

लगाया जा सकता है। अन्दर की पंक्ति में कम ऊंचाई की प्रजाति जैसे कनेर, चांदनी, करंज आदि को लगाया जावे। बाड़बन्दी पर कटकंज, रतनजोत, अरण्डी आदि का बीजारोपण भी किया जा सकता है।

#### 18.7.20 पौधारोपण :

पौधारोपण का कार्य वर्षाकाल के प्रारम्भ के साथ ही किया जावे। जलप्लावित स्थानों पर प्रजाति की जलप्लावन सहन करने की क्षमता का ध्यान रखा जावे अन्यथा टीला बनाकर पौधा लगाया जावे। सामान्यतः पौधारोपण हेतु कम से कम 4 फीट का पौधा उपयोग में लिया जावे।

#### 18.7.21 संधारण :

पौधों को यूरिया की थोड़ी मात्रा दी जावे। वर्षा रुकने पर उपयुक्त समय पर गुड़ाई का कार्य किया जावे। कम वर्षा होने पर जलपरिवहन कर पौधों को सिंचित किया जावे। रोपित पौधों के आस पास थावले बनाकर जल संरक्षण किया जावे। रोपण उपरान्त प्रतिमाह कम से कम एक बार निराई का कार्य तीन माह तक किया जावे। प्रथम दो निराई उपरान्त कीटों के प्रकोप से अथवा अन्य बीमारी से पौधों को सुरक्षित रखा जावे। पौधारोपण के बाद के वर्ष में मृत पाधों को बदला जावे।

#### 18.7.22 भौतिक पूर्वानुमान :

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जिले में 1991.83 किमी. लम्बी सड़कें उपलब्ध हैं जिनके दोनों ओर की पट्टाकार भूमि पर "हरित राजस्थान" अभियान के अन्तर्गत सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य, कार्य आयोजना अवधि में पूर्ण करवाए जाने चाहिए :-

क्र. सं.	आईटम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
1	सड़क किनारे वृक्षारोपण	100 RKm	100 RKm	100 RKm	100 RKm	100 RKm	100 RKm	100 RKm	100 RKm	100 RKm	100 RKm	1000 RKm

#### 18.8 निजी भूमि :

##### 18.8.1 सामान्य संरचना :

इस वर्ग में रिक्त पड़ी निजी भूमि, खेतों के मेड़ व औद्योगिक परिसरों की रिक्त भूमि को रखा गया है। भूमि के संबंध में आंकड़े संकलित नहीं किये जाने के कारण जिले में इनकी उपलब्धता की सही मात्रा बताया जाना संभव नहीं है। परन्तु इस वर्ग की काफी भूमि उपलब्ध है जिसको कि सामाजिक वानिकी कार्य अन्तर्गत लिया जा सकता है।

#### 18.8.2 वनस्पति का विवरण :

रिक्त पड़ी निजी भूमि वर्तमान में अधिकांशतः कृषि अयोग्य भूमि है जिस पर चुरैल, रोंझ, बेर, देशी बबूल, कुछ स्थानों पर कुमठा आदि के वृक्ष देखे जा सकते हैं। खेतों की मेड़ पर अधिकांशतः बबूल, नीम, सफेदा, सिरस, चुरैल, ढाक, आम, रोंझ, बेर आदि के वृक्ष पाये जाते हैं। औद्योगिक परिसरों में भी लगभग इसी प्रकार के वृक्ष देखे जा सकते हैं। खेतों की मेड़ पर जहां वृक्षों का संधारण किया जाना पाया जाता है वहीं रिक्त पड़ी भूमि पर अथवा औद्योगिक परिसरों में संधारण का अभाव है।

#### 18.8.3 प्रबन्धन का विशिष्ट उद्देश्य :

इस वर्ग की भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य करने के निम्न विशिष्ट उद्देश्य हैं:

1. उपलब्ध रिक्त भूमि को वानिकी कार्य में उपयोग में लिया जाकर भूमि के सामाजिक उपयोग को बढ़ाना।
2. रिक्त पड़ी भूमि में उपयुक्त प्रजातियों का वृक्षारोपण व बीजारोपण कर भूमि की उत्पादकता व उपयोग को बढ़ाना तथा जलाऊ लकड़ी, चारा व छोटी लकड़ी की वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
3. निजी भूमि पर उपलब्ध सालर, बेर, देशी बबूल का उचित वैज्ञानिक ढंग से संवर्द्धन कर उसके मूल्य में वृद्धि करना।

#### 18.8.4 कार्यकारी अभिकरण :

चूंकि इस वर्ग की भूमि निजी स्वामित्व की है, अतः भूस्वामी को प्रोत्साहित कर उससे ही समस्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

#### 18.8.5 उपचार विधि :

भूमि के आकार, प्रकार आदि की भिन्नता के अनुरूप उपचार किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ग की भूमि पर वनावरण वृद्धि हेतु निम्न प्रकार के कार्य किये जाने के लिये भूस्वामी को प्रोत्साहित किया जावे :-

1. निजी बीड़ों में उपयुक्त मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कर भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना।
2. सालर पर उपयुक्त कर्षण कार्य तथा प्राकृतिक पुनरोत्पादन प्रोत्साहन का कार्य जैसाकि कार्यवृत्तों में वर्णित है।
3. नम एवं जलप्लावित स्थानों पर जामुन, शीशम, बबूल, बकैन, करंज आदि प्रजातियों को प्रोत्साहित करना।
4. खेत की मेड़ पर जलाऊ लकड़ी व चारे की आपूर्ति हेतु बेर आदि को प्रोत्साहित करना।
5. मकान व अन्य स्थानों पर बाड़बन्दी में झाड़ियों को प्रतिवर्ष लगाने की बजाय कटकरंज व रतनजोत के रोपण को प्रोत्साहित करना।
6. रिक्त कृषि योग्य भूमि पर औषधीय प्रजाति के पौधों को प्रोत्साहित करना।

## 18.9 विविध विनियम :

### 18.9.1 पौध तैयारी एवं वितरण कार्य :

वर्तमान में वन मण्डल डूंगरपुर द्वारा कृषि वानिकी मद में विभाग की स्थाई एवं अस्थायी पौधाशालाओं में आम जन की मांग व आवश्यकता अनुसार अनेक प्रजाति के पौधे तैयार कर वर्षाकाल में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से विक्रय किये जाते हैं। जिले में जलाऊ लकड़ी, छोटी लकड़ी व चारे की बढ़ती मांग को देखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुबबूल, शीशम, देशी बबूल, नीम, बेर, आम, बांस, आवला, जामुन, महुआ, अमलतास, अरंडू, संजना आदि को अधिकाधिक वितरित किया जाना चाहिये। जहां तक संभव हो

संगठित समूह को पौधे दिये जाना अधिक श्रेयस्कर रहेगा। पौध तैयार व वितरण के अभियान में स्वयं सेवी संस्थाओं, राजकीय विभागों तथा वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को अधिकाधिक जोड़ा जाना चाहिये।

#### 18.9.2 औषधीय पौधों को प्रोत्साहन :

जिले की जलवायु अनेक प्रकार के औषधीय पौधों के लिये उपयुक्त है। जिले में इसकी प्रचुर संभावना का लाभ उठाते हुए विभाग को गैर वन क्षेत्र में औषधीय मूल्य के पौधों की कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिये। इस हेतु बीज उपलब्ध कराने से लेकर तकनीकी मार्गदर्शन, नियमित परामर्श तथा विपणन में भी सहयोग किया जाना चाहिये।

#### 18.9.3 प्रचार—प्रसार व प्रशिक्षण :

जिले में गैर वन क्षेत्र भी प्रचुर मात्रा में वनस्पति से आच्छादित है। बेर, चुरैल, करंज, शीशम, देशी बबूल, सेमल, लसोड़ा, सफेदा, रतनजोत, अरण्डी आदि अनेक प्रकार की बहुमूल्य प्रजातियां वनक्षेत्र के बाहर विद्यमान है। सही तकनीकी देखरेख व विदोहन के अभाव में इनका लगातार ह्यास होता जा रहा है। वर्तमान में इसकी महत्ती आवश्यकता है कि ग्रामीण समुदाय को इन वृक्षों से निरन्तर लाभ प्राप्त करने के तौर तरीके से अवगत कराते हुए इनकी संख्या में वृद्धि का प्रयास किया जावे।

#### 18.9.4 वन उपज के गैर—वानिकी विकल्प को प्रोत्साहित करना :

आम समाज में विशेषकर ग्रामीण समाज में वन आधारित अनेक आजीविका आवश्यकताएं हैं जिनका वर्णन भाग 1 के अध्याय 3 व 4 में किया गया है। इनमें से अनेक आवश्यकताओं को उनके गैर वन आधारित विकल्प से भी पूर्ण किया जा सकता है। ग्रामीण घर व मवेशी के बाड़े की बाड़बन्दी में लोहे के एंगल व कांटेदार तार का उपयोग, मकान निर्माण में टीन अथवा सीमेन्ट की चद्दर, लोहे के पाईप अथवा सरिये, आदि का उपयोग, सौर ऊर्जा चलित उपकरणों का प्रयोग, जलाऊ लकड़ी के स्थान पर बायोगैस, तरलकृत पेट्रोलियम गैस, आदि कुछ ऐसे विकल्प हैं जिनका उपयोग करने से वनक्षेत्र से मांग को कम किया जा सकता है। इन विकल्पों के उपयोग के प्रति जनमानस में जागृति लाना, इनको आसानी से

उपलब्ध कराना तथा इनके उपयोग को प्रोत्साहित करना विभाग का दायित्व है जिससे कि वनक्षेत्र पर दबाव कम हो सके।

## अध्याय 19

सामान्य वित्तीय पूर्वानुमान और प्रचालन का वित्तीय नियोजन

### **General Financial Forecast and Financial Plan of Operation**

**19.1.1** इस कार्य आयोजना अवधि में लकड़ी, कोयला तथा बांस विदोहन का कार्य प्रस्तावित नहीं है, समस्त कार्य स्थानीय ग्राम वासियों को लाभान्वित करने के साथ साथ, तकनीकी दृष्टि से जिले के वनों के प्रबन्ध को देखते हुए, तथा प्राकृतिक संसाधनों के सही प्रबन्धन तथा साझा वन प्रबन्ध के तहत राज्यादेशों के अनुरूप

स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं। समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों की वजह से सही-सही वित्तीय पूर्वानुमान लगाना काफी कठिन है। परन्तु कार्य आयोजना की दृष्टि से वर्तमान दरों पर संभावित वित्तीय पूर्वानुमान विभिन्न कार्य वृत्त हेतु निम्नानुसार है :

क्र.स.	प्रबंधन वृत्त का नाम	अनुमानित राशि लाखों में
1	वृक्षारोपण कार्यवृत्त	4216.63
2	भु-संरक्षण एवं पुर्नवास कार्यवृत्त	3258.87
3	पारिस्थितिक पुरनोद्धार एवं शस्य उत्पादकता वृत्त	1007.59
4	पारिस्थितिक पर्यटन (अतिच्छादीत) कार्यवृत्त	155.00
5	वन बन्दोबस्त एवं सिमांकन (अतिच्छादीत) कार्यवृत्त	373.74
6	साझा वन प्रबन्ध (अतिच्छादीत) कार्यवृत्त	70.00
7	वन्य जीव (अतिच्छादीत) प्रबन्धन वृत्त	60.00
	<b>योग:-</b>	<b>9141.83</b>

ये वित्तीय पूर्वानुमानों की गणना मोटे तौर पर की गई है कार्य आयोजना में प्रस्तावित कार्य तत् समय प्रचलित मॉडल, कॉस्ट, एस्टीमेट आदि पहलुओं के आधार पर करवाये जायेंगे।

नोट :- इस तालिका में किसी प्रबंधन वृत्त में पूरे वर्ष का संभावित व्यय का ही गोश्वारा दिया गया है। व्यय की विस्तृत गणना संबधित प्रबंधन वृत्त/कार्यों के अध्ययों में दिए गए वित्तीय पूर्वानुमानों में दी गई।



## अध्याय—20

### विविध विनियमन

### Miscellaneous Regulations

#### 20.1 लघु पातन

##### **Petty fellings**

20.1.1 निम्न प्रकृति के लघु पातन को अति आवश्यक होने पर प्रचलित नियमों व निर्देशों के अनुरूप सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर किया जा सकता है :

1. प्राकृतिक रूप से सूखे हुए वृक्ष
2. विभागीय कार्य के सम्पादन के लिये सूखे वृक्ष
3. विशेष सामूहिक निःशुल्क अनुदान की पूर्ति के लिये सूखे वृक्ष

4. सडक, नहर अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खड़े सूखे अथवा हरे वृक्ष जोकि जानमाल को क्षति पहुंचा सकते हैं ।
5. सूखे अथवा हरे वृक्ष जिनको पौधशाला स्थापना व पौध तैयारी हेतु हटाया जाना तकनीकी कारणों से आवश्यक हो ।

#### 20.1.2 परन्तु वृक्षों का पातन तभी किया जावेगा जबकि

- ✓ उनको प्रतिधारित किये जाने का विकल्प व्यावहारिक नहीं हो अथवा
- ✓ वन वर्धन के दृष्टिकोण से उपलब्ध हो ,
- ✓ वृक्षों किसी स्तनपायी अथवा पक्षीवर्गीय या अन्य वन्यजीव के लिये उपयोगी नहीं हो तथा
- ✓ उनके पातन से भूक्षरण की संभावना नहीं हो

लघु पातन के रूप में काटे गये विभिन्न प्रकार के वृक्षों की पूर्ण जानकारी का अंकन संबंधित संविभाग विवरण प्रपत्र में तथा पृथक से इस हेतु पंजिका संधारित कर किया जावेगा ।

## 20.2 मातृ वृक्ष/प्रमाणित बीज वृक्ष तथा बीज उत्पादन क्षेत्र

### (Mother Trees / Certified Plus trees and Seed Production Areas)

20.2.1 जिले के वन अथवा गैर वन क्षेत्र में विभिन्न प्रमुख मूल्यवान् प्रजातियों के युवा, सीधे तने वाले तथा स्वस्थ वृक्ष हैं जिनके बीज को शस्य सुधार हेतु तथा कृत्रिम वृक्षारोपण द्वारा वृद्धि हेतु आवश्यक पौध तैयारी में उपयोग में लिया जा सकता है। प्रथमतया चाक्षुष आधार पर वृक्ष को देखकर एवं बाद में वैज्ञानिक तकनीक से वृक्ष एवं बीजों का जननिक परीक्षण कर, बीज संग्रहण हेतु उपयुक्त मातृ वृक्षों का चिन्हित किया जावे। इन वृक्षों के बारे में संविभाग कक्ष विवरण प्रपत्र में भी स्पष्ट अंकन किया जावे। साथ ही इन चिन्हित मातृ वृक्षों की जैविक दबाव, कटान आदि तथा प्राकृतिक आपदा जैसे कीट आक्रमण, रोग आदि से सभी उपाय कर पूर्णतया सुरक्षित रखा जावे। यदि एक छोटे क्षेत्र में ऐसे अनेक वृक्ष हो तो समूचे क्षेत्र को चिन्हित कर तथा बाड़बन्दी से सुरक्षित कर बीज उत्पादन क्षेत्र विकसित किया जावे। इसका भी पूर्ण अंकन संविभाग कक्ष विवरण प्रपत्र में किया जावे।

## 20.3 मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़े :

20.3.1 वर्षा, तापक्रम तथा सापेक्ष आर्द्रता (रिलेटिव ह्यूमिडिटी) के अभिलेख कहीं पर भी नहीं रखे जा रहे हैं। अतः सुझाव दिया जाता है कि वर्षामापी, उच्चतम एवं न्यूनतम तापक्रम मापी तथा सापेक्ष आर्द्रता मापी प्रत्येक रेंज मुख्यालय पर रखे जावें। उनकी प्रविष्टियां रजि० में नियमित रूप से सावधानी से की जावें। साथ ही प्रत्येक प्लान्टेशन जरनल में भी मौसम संबंधी अभिलेख, विशेषकर वर्षा का अभिलेख एवं अन्य कोई विशेष मौसम घटना का अभिलेख रखा जाना चाहिए ताकि वृक्षारोपण पर मौसम के प्रभाव को समझा जा सके तथा उससे निपटने के उपायों पर विचार किया जा सके मण्डल वन अधिकारी को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। जुलाई-अगस्त माह तक प्रतिदिन वर्षा एवं मौसम का रिकार्ड तथा इसके बाद महिनें में हुए विशेष मौसमी बदलाव आदि का उल्लेख करना पर्याप्त होगा।

#### 20.4 कुंओं के जल-स्तर के आंकड़े :

20.4.1 मुख्य कुंओं के जल-तल की गहराई की माप प्रत्येक माह या त्रैमासिक ली जाये एवं उसे इससे संबंधित आंकड़े रजिस्टर में अंकित किया जाये। ताकि भू-जल स्तर का उतार चढ़ाव एवं वर्षा के आंकड़ों, भू-वनस्पति आदि के साथ इसके सीधे प्रभाव को समझा जा सके। यह भी प्लान्टेशन जनरल में शामिल किया जायें।

#### 20.5 अतिक्रमण :

20.5.1 इस जिले में वन भूमि पर काफी संख्या में अतिक्रमण किये हुए हैं और यह विशेषतः काश्त के रूप में है। इनमें कुछ अतिक्रमियों के विरुद्ध केस भी नहीं बनाये गये हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 द्वारा सहायक वन संरक्षक को अतिक्रमियों को दण्ड देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। ऐसे मामलों में अभियान चलाकर अतिक्रमियों को हटाया जाना चाहिये तथा संबंधित क्षेत्रों में स्थानीय जनता के सहयोग से क्लोजर बनाकर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। परन्तु इसमें कार्यवाही करते समय भारत सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं पारम्परिक वन आवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के

तहत प्रसारित दिशा-निर्देशो का ध्यान रखा जावेगा तथा उसी अनुसार नियमानुसार अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जानी चाहिए।

## 20.6 वन भूमि का हस्तान्तरण :

20.6.1 पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न उद्देश्यों से जो वन भूमि अन्य विभागों को स्थानान्तरित की गई है उसके बदले प्राप्त भूमि के बारे में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्थानान्तरित वन भूमि के एवज में वन विभाग को ऐसी भूमि मिले जिसमें सस्य की वृद्धि अपेक्षाकृत ठीक हो। तथा प्रबन्ध की दृष्टि से उपयुक्त एवं वन भूमि से लगती हुई हो। प्रायः यह देखने में आया है कि कई बार विवादित या अतिक्रमित भूमि विभाग को हस्तांतरित कर दी जाती है, अतः इस संबंध में मण्डल वन अधिकारी विशेष ध्यान देवें।

## 20.7 अनियंत्रित एवं अविनियमित कटान :

20.7.1 स्थानीय जनता की जलाऊ लकड़ी व छोटी इमारती लकड़ी की अत्यधिक मांग के कारण वनों का अनियंत्रित एवं अविनियमित कटान बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेंज डूंगरपुर एवं बिच्छीवाड़ा वनक्षेत्र से काफी मात्रा में लकड़ी लाई जाती है। इस लकड़ी में से कुछ लकड़ी बाजार में भी बेच दी जाती है। यह सिलसिला सर्दी के समय ज्यादा हो जाता है। अतः इस समय विशेष गश्त की जानी चाहिए तथा इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

### 20.7.2 अनियंत्रित एवं अविनियमित कटान के रोकने के लिए निम्न सुझाव दिये जाते हैं:—

- (1) वन अपराध के कैसेज को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 67 के अन्तर्गत संक्षेपतः अन्वीक्षा (समरी ट्रायल) द्वारा निपटाना चाहिए।
- (2) वन मण्डल उड़न दस्ता पार्टी द्वारा अधिक जिम्मेदारी से अनियंत्रित एवं अविनियमित कटान को रोकने का कार्य किया जाना चाहिए।

## 20.8 अग्नि सुरक्षा प्रणाली का अभाव :

20.8.1 अग्नि सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक नहीं हैं। इस जिले में अग्नि पंढियां केवल नाम के लिए ही है क्योंकि निरन्तर उपेक्षा के कारण उनकी हालत अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है। इस जिले के वनों में अग्नि का खतरा हर समय बना रहता है एवं प्रतिवर्ष उनमें आग भी लगती रहती हैं। अतः सुरक्षा हेतु निम्न कदम उठाने होंगे :

- (1) अग्नि पंढियों का संधारण एवं सफाई प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए।
- (2) ग्रीष्म ऋतु में अग्नि रक्षक भी लगाये जाने चाहिए।
- (3) अग्नि की सूचना देने वाले एवं अग्नि बुझाने वाले व्यक्ति को अथवा कर्मचारी को उसके उत्तम कार्यों हेतु पारितोषिक दिया जाना चाहिए।
- (4) महुआ के फूलों के एकत्रीकरण हेतु लगाई जाने वाली आग पर पूर्ण नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को इस हेतु जिम्मेदारी लेनी चाहिये। तथा वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को इस हेतु प्रेरित करना है। बदले में उन्हें वनों से लाभ प्राप्त होगा।
- (5) फायर वॉच टावर्स का विभिन्न स्थानों पर निर्माण किया जाना चाहिए।
- (6) उपरोक्त की पालना हेतु वार्षिक बजट में धन का प्रावधान होना चाहिए।

## 20.9 वन क्षेत्र के अतिरिक्त भूमि व जल संसाधन का उपयोग

20.9.1 वनक्षेत्र से बाहर उपलब्ध भूमि व जल संसाधनों के समुचित इष्टतम उपयोग से वनों पर पड़ रहे अनेक जैविक दबावों को कम किया जा सकता है। साथ की वनों पर निर्भरता को भी नियंत्रित किया जा सकता है। जिले में वन क्षेत्र के अतिरिक्त निम्न भूमि उपलब्ध हैं :

		(सभी क्षेत्रफल है. में)
1	कृषि अयोग्य भूमि	96429
2	ऊसर तथा जोत अयोग्य भूमि	73458
3	अन्य उपयोग भूमि	—
4	चारागाह भूमि	34623
5	बिना जोती कृषि योग्य राजकीय भूमि	—

6	वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	104224
7	सिंचित क्षेत्र	40417
8	असिंचित क्षेत्र	—

चूँकि डूंगरपुर जिले का वनक्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 6.68 प्रतिशत ही है इसमें से वृक्षाच्छादित क्षेत्र और भी कम है। अतः वृक्षाच्छादित क्षेत्र बढ़ाने के लिये वनक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमियों पर भी वृक्षारोपण करना आवश्यक है। यह कार्य पंचायतों, पंचायत समितियों वन सुरक्षा समितियों व अन्य विभागों एवं इच्छुक व्यक्तियों के माध्यम से, वर्तमान में चलाये जा रहे हरित राजस्थान कार्यक्रम की भावनाओं के अनुरूप करवाया जाना उचित होगा। ऐसे वृक्षारोपण कार्य का मनरेगा अथवा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत करवाया जाना उचित होगा ताकि वृक्षाच्छादित क्षेत्र बढ़ाया जा सके जिससे लोगों की आवश्यकता पूर्ति स्थानीय रूप से हो सके व वन भूमि पर दबाव कम हो सके। वृक्षाच्छादित क्षेत्र बढ़ाने के लिये वन मण्डल के अन्तर्गत उपलब्ध पंचायत भूमियों पर वृक्षारोपण कराया जाना वांछनीय है। यदि पंचायत प्रस्ताव दे तो यह कार्य विभाग द्वारा कराया जावे यदि पंचायत अपने स्तर से पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण कराना चाहे तो विभाग की ओर से उन्हें पूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कराया जाना उचित होगा।

## 20.10 वन अधिकार अनुप्रयोग :

### (Application of Forest Rights)

20.10.1 वनभूमि तथा वनोपज के संबंध में वर्तमान में उपलब्ध अथवा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त प्रकार के सामुदायिक, सामूहिक अथवा व्यक्तिगत अधिकार का अनुप्रयोग वानिकी, पारिस्थितिकीय व धारणीय वन प्रबन्धन के वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुरूप ही किया जा सकेगा। इस हेतु कार्य आयोजना में वर्णित उपचार अनुरूप कारवाई की जावेगी। इस कार्य आयोजना में उपयुक्त प्रावधान नहीं होने पर अथवा विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष अधिकार का अनुप्रयोग किसी विशेष रीति से करने हेतु कार्य आयोजना में आवश्यक संशोधन कराया जाकर उसे सक्षम स्तर से स्वीकृती पश्चात कराया जावेगा।

## 20.11 सीमाओं की देख रेख :

20.11.1 वनखण्डों की बाहरी सीमा का रख-रखाव संतोषजनक है। वन सीमाओं की नियमित देख-रेख की जानी चाहिए एवं इसमें निम्न निर्देशित कार्य करने चाहिए :

- (1) सभी रेंजों में आरक्षित एवं रक्षित वनों की सीमा पंजिका रखी जानी चाहिए। आरक्षित वनों की सीमाओं की जांच भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 की विज्ञप्तियों के अनुसार की जानी चाहिए और प्रतिवर्ष प्रत्येक रेंज में एक तिहाई भाग की जांच क्षेत्रीय वनाधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।
- (2) जिन क्षेत्रों में वन बन्दोबस्त की कार्यवाही पूरी हो चुकी है वहां नम्बरयुक्त सीमा स्तम्भ लगाये जाने चाहिए। बकाया बाउड्रीपिलर्स का कार्य, कार्य आयोजना अवधि के प्रथम 5 वर्षों में या उससे कम समय में अवश्य पूर्ण किया जाये।
- (3) जिन वन क्षेत्रों का राजस्व के भू-अभिलेख में अमल दरामद नहीं किया गया है उनका राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करवाया जाना चाहिए। ऐसे विवादित क्षेत्र जो अमल-दरामद होने प्रेक्टिकली पोसीबल ही नहीं है, उन्हें नियमानुसार (Set apart) करवाया जाये।
- (4) वन रक्षकों को उनके अधीन वन क्षेत्रों की सीमाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए एवं समय-समय पर उन्हें भ्रमण के दौरान वन सीमा में हुए अनाधिकृत कब्जों इत्यादि के बारे में क्षेत्रीय को अवगत कराना चाहिए तथा क्षेत्रीय भी नियमित रूप से अपने रेंज की वन सीमाओं थोड़ा-थोड़ा करके समस्त का निरीक्षण कर विशेष ध्यान देंगे ताकि अतिक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सकें।
- (5) सभी वनरक्षकों के पास उनके क्षेत्र का नक्शा, बीट मैप अवश्य होना चाहिए।
- (6) सभी वनखण्ड कक्षों की सीमा प्लेटों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि प्रबन्धन में परेशानी नही हो।

## 20.12 मानचित्र :

20.12.1 इस कार्य आयोजना काल हेतु 1:50,000 पैमाने पर जी.टी. शीट्स पर वन निधि एवं वन प्रबन्ध मानचित्र बनाये गये हैं।

### 20.13 अधिकार एवं रियायतें:

20.13.1 स्थानीय निवासियों को प्रबंधन वृत्तों के तहत, विशेषकर साझा वन प्रबंध एवं गौण वन उपज के तहत रहते हुए प्राप्त अधिकार एवं रियायतें दी जावेगी, परन्तु इनके संबंध में मण्डल कार्यालय में सूचना संधारित की जानी चाहिए। ज्योईट फोरेस्ट मैनेजमेंट के निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही की जाये। यदि वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति गठित नहीं है, तो गठित करवायी जाये।

### 20.14 जल प्रदाय एवं जलोत्सारण (Water Supply And Drainage Pattern)

- 20.14.1 इस क्षेत्र में पानी के मुख्य स्रोत नदी, नाले, तालाब झील, कुंए, बाबड़ी आदि हैं। मुख्य नदियाँ मोरन, माही, सोम, वात्रक, भादर, गांगणी सपन है बांध परियोजनाय निर्मित हुई है। इन नदियों में पानी का सतत् बहाव फरवरी-मार्च (होली पर्व) तक रहता है, तदानुपरांत ग्रीष्म ऋतु में पानी कुछ गड्ढों एवं निचले स्थानों पर भरा रहता है इस दौरान जल प्रवाह नदियों के तल के सतह से नीचे जमीन के अंदर रहता है। झरने एवं पहाड़ी नालों में वर्षा के दौरान ही जल प्रवाहित होता है तदानुपरांत निचले स्थान एवं गड्ढों में ही रहता है, जो आदमियों तथा मवेशियों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। कहीं-कहीं पर झरनों का पानी भी महत्वपूर्ण स्रोत होता है। यहाँ कुएं पूरे क्षेत्र में हैं।
- 20.14.2 इस क्षेत्र में कृत्रिम झीलों, तालाबो एवं बांधों का जाल फैला हुआ है जिसमें सोम अम्बा कमला यह सिंचाई एवं पीने के पानी के महत्वपूर्ण स्रोत है। पहाड़ी क्षेत्रों में ऊँचे स्थानों पर तालाब एवं एनीकट बने हुये हैं, उनमें से पानी झर कर (Percolate down) मैदानी या नीची जगहों के कुओं में आता है, जो पानी का मुख्य स्रोत है।
- 20.14.3 डूंगरपुर जिले में नदियों का एक जाल सा बिछा हुआ है। उत्तरी तथा पूर्वी भाग में मोरन, माही उनकी सहायक नदियाँ हैं। पश्चिम व दक्षिण पश्चिम में भादर, वात्रक, सपन बहती है। यह सभी नदियाँ बरसाती है।



## **20.15 संचार व्यवस्था :**

20.15.1 मण्डल वन अधिकारी के कार्यालय पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है साथ ही उनके निवास पर भी एक टेलीफोन की सुविधा है। विभिन्न रेंजों में टेलीफोन की सुविधा दी जानी चाहिए जिससे विकास व अन्य रक्षण कार्यों के संबंध में मण्डल वन अधिकारी का क्षेत्रीय वन अधिकारियों पर अधिक प्रभावकारी नियंत्रण हो सकें। आजकल सूचना का आदान प्रदान इतना अधिक हो गया है अतः यह अत्यधिक जरूरी है। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय स्तर तक मोबाईल की सुविधा भी मिलनी चाहिए। वर्तमान में उपलब्ध वायरलेस तंत्र व उपकरणों को दुरस्त कर कार्यशील बनाया जावे तथा वनसुरक्षा में इनका भरपूर उपयोग किया जावे।

## **20.16 फील्ड कार्य निष्पादन हेतु वाहन सुविधा :**

20.16.1 प्रत्येक सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीयों के लिये जीप का प्रावधान होना चाहिये तथा वनपाल एवं सहायक वनपाल के लिये मोटर साईकिल एवं वनरक्षक के लिये मोपेड का प्रावधान होना चाहिये।

## **20.17 आवासीय कॉलोनी :**

20.17.1 प्रत्येक जिले स्तर पर फिल्ड में तैनात वन कर्मियों के परिवार के लिये आवासीय कोलोनी का प्रावधान होना चाहिये जिससे वन कर्मियों द्वारा फिल्ड कार्य का निष्पादन अधिक रुचि लेकर कार्य कर सके।

## **20.18 प्रशिक्षण :**

20.18.1 यह अतिआवश्यक है कि फील्ड स्टॉफ को वन वर्धन एवं प्रबन्धन की नई प्रविधि की जानकारी हो। इसलिए वन मण्डल के समस्त क्षेत्रीय वन

अधिकारी, वनपालों सहायक वनपालों एवं वनरक्षक को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

## अध्याय 21

### अधिष्ठान व श्रमिक वर्ग

### **Establishment & Labour**

#### 21.1 अधिष्ठान

21.1.1 जिले में वर्तमान में कार्मिकों की संख्या व स्थिति का पूर्ण विवेचन भाग 1 के अध्याय 6 में विस्तार से किया गया है। जिले में समूचित वन प्रबन्धन हेतु मंत्रालयिक व सुरक्षा कर्मचारियों की भारी कमी है। वन सुरक्षा, विकास, संरक्षण के साथ ही अनेक प्रकार के दायित्वों के जुड़ने से विभाग का कार्य कई गुना बढ़ गया है। कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए अविलम्ब नवीन भर्ती कर युवा पीढ़ी को विभाग में लिये जाने व कर्मचारियों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। साझा वन प्रबन्धन प्रणाली व इसके तंत्र को सुदृढ करने तथा निरन्तरता व एकरूपता बनाये रखने के लिये, विभाग के अधीन कम से कम

सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन पृथक से एक प्रबन्धन ढांचे की आवश्यकता है।

21.1.2 कार्य की जटिलताओं व कम्प्यूटरीकरण व संचार क्रांति के वर्तमान दौर में कम से कम रेंज कार्यालय तक कम्प्यूटरीकृत करने तथा टेलीफोन द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता है। क्षेत्र में भ्रमण व सुरक्षा हेतु प्रत्येक रेंज स्तर पर जीप जैसे चार पहिया वाहन का होना भी आवश्यक है।

## 21.2 श्रमिक वर्ग

21.2.1 इस जिले में अकार्यशील जनसंख्या लगभग 52.03 प्रतिशत है। वानिकी कार्यों हेतु पर्याप्त संख्या में श्रमिक उपलब्ध रहते हैं। वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराने की दशा में कृषि कार्य की अवधि में सदस्य श्रमिकों की उपलब्धता सीमित हो जाती है। परन्तु सही नियोजन से इस समस्या का हल किया जा सकता है।

21.2.2 इस जिले में विभिन्न वानिकी कार्यों हेतु पर्याप्त संख्या में श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं।

21.2.3 वन संबंधी कार्यों की विशेषकर रोपण कार्य तथा पौधशालाओं के कार्यों हेतु श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ताकि वृक्षारोपण कार्य में एकरूपता एवं तकनीकी सुधार लाया जा सके और वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित की जा सकें।

21.2.4 श्रमिकों की सुविधा के लिए गर्मियों में छाया पानी का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। तथा कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वन विभाग में ही विशेषकर इस जिले में कार्यरत वनकर्मियों की औसत उम्र 50 वर्ष से भी उपर है जिससे स्वतः ही स्थिति की गम्भीरता का आभास होता है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके कर्मियों के भरोसे इतने अधिक वनों की पुख्ता सुरक्षा की उम्मीद करना बेमानी होगा। अतः पिछले करीब दो दशको से बन्द पड़ी भर्ती प्रक्रिया से रोक हटवाकर नई भर्ती के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। राज्य सरकार द्वारा विभाग में वनरक्षकों नयी भर्ती हेतु कार्यवाही वर्ष 2010-11 में प्रारंभ की गयी है,

फलस्वरूप 15 वनरक्षक इस वन मण्डल हेतु अतिरिक्त उपलब्ध हो सकेंगे। वनरक्षकों की भर्ती प्रति वर्ष आवश्यक है। मण्डल वन अधिकारी द्वारा समस्त स्टाफ का एसेसमेंट करके, प्रति वर्ष अतिरिक्त स्टाफ की माँग रखनी चाहिये एवं पद स्वीकृत कराने चाहिये।

## अध्याय 22

### नियंत्रण तथा अभिलेख

### **Control & Records**

#### 22.1 नियंत्रण प्रणाली

22.1.1 डूंगरपुर वन मण्डल का नियन्त्रण अधिकारी मुख्य वन संरक्षक है, जिनका मुख्यालय उदयपुर है। मुख्य वन संरक्षक उदयपुर राज्य के सात क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक में से एक है। डूंगरपुर जिले में मुख्यतया वन भूमि एवं कभी कभी स्वीकृत योजना अनुसार वन क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार के विकास एवं वन प्रबन्धन के कार्य सम्पादित किये जाते हैं। वन उपज विदोहन व विपणन जैसे कार्य, उप वन संरक्षक के आवेदन पर विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर द्वारा किये जाते हैं। वन क्षेत्र में अनुसंधान व परीक्षण जैसे कार्य राज्य वन संवर्द्धनक, ग्रास फार्म, जयपुर द्वारा किये जाते हैं।

22.1.2 इस कार्य आयोजना में किसी प्रकार का लकड़ी कोयला वन उपज पातन कार्य प्रस्तावित नहीं है, अतः नियंत्रण प्रपत्रों की आवश्यकता नहीं है।

## 22.2. विचलन प्रपत्र

22.2.1 कार्य आयोजना द्वारा निर्धारित उपचारों के अधीन निर्धारित कार्यों में किसी भी प्रकार के विचलन को विधिवत् विचलन प्रपत्र में अभिलिखित कर आवश्यक स्वीकृति विधिवत् प्रादेशिक वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक व प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना, के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त की जावेगी। ये प्रपत्र प्रतिवर्ष तैयार व संधारित किये जावेगे। किये गये विचलन व उसकी प्राप्त स्वीकृति का विवरण संबंधित संविभाग कक्ष विवरण व इतिहास प्रपत्र में भी अंकित किया जावेगा। राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता 2004 के अध्याय XI में अंकित प्रक्रिया के अनुसार उप वन संरक्षक द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से प्रतिवर्ष संधारित विचलन प्रपत्र की तीन प्रतियां, नियंत्रण प्रपत्रों के साथ अग्रेषित की जावेगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृत विचलन प्रपत्र की एक प्रति मुख्य वन संरक्षक को तथा एक प्रति उप वन संरक्षक को लौटा दी जावेगी। पूर्व में ही स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में विचलन प्रपत्र में उक्त स्वीकृति का वर्णन यथा स्थान किया जावेगा।

विचलन का प्रारूप निम्नानुसार है :

### Format of Deviation Statement

Year.....

Division.....

Serial No. of deviation	Control book name, form no. Page	Reference to working plan		Nature of deviation requiring PCCF'S sanction
		Paragraph	Nature of Prescription	

22.2.2 समस्त ऐसे विचलन जो कार्य आयोजना द्वारा निर्धारित वन प्रबन्धन प्रणाली व उसके आधार को स्थाई तौर पर परिवर्तित करते हैं, प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पूर्व स्वीकृति के बाद ही सम्पादित किये जावेगे। समस्त ऐसे विचलन, जो वन प्रबन्धन के आधार को स्थाई तौर पर परिवर्तित नहीं करते हैं और जिनकी आवश्यकता से क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक सहमत है, को प्रधान मुख्य वन संरक्षक की ओर से क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना ओर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के मध्य मतान्तर होने पर, प्रकरण मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को संदर्भित किया जावेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना द्वारा विचलन प्रपत्र पर प्रतिहस्ताक्षर किया जावेगा। निम्न प्रकृति के मुख्य विचलनों को स्वीकृत करने से पूर्व, प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, से पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जावेगा :

1. वन संवर्द्धनिक प्रणाली में बदलाव
2. प्राकृतिक वनों का पूर्ण पातन
3. नवीन पातन श्रेणी का गठन, और
4. प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े पैमाने पर पातन जिसे भावी पैदावार या प्रतिफल के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता हो।

## 22.3 नियंत्रण के अन्य अभिलेख

### 22.3.1 संविभाग कक्ष विवरण व इतिहास प्रपत्र

संविभाग कक्ष विवरण व इतिहास प्रपत्र कार्य आयोजना उपचारों पर नियंत्रण व समीक्षा का महत्त्वपूर्ण उपकरण है जिसे समय-समय पर संधारित किया जाना चाहिये। वर्ष में कम से कम एक बार समस्त संविभाग कक्षों में किये गये कार्य व सम्पादित उपचारों का संविभाग कक्ष विवरण व इतिहास प्रपत्र में अनिवार्यतः अंकन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। उप वन संरक्षक द्वारा कम्पार्टमेंट विवरण में रेंज वाईज आवश्यक इन्द्राज प्रति वर्ष किया जाना चाहिये।

### 22.3.2 वृक्षारोपण पंजिकाएं

कार्य आयोजना में निर्धारित प्रस्तावों के अनुसार संधारित वृक्षारोपण पंजिकाओं को तथा वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के स्तर पर संधारित समस्त पंजिकाओं को नियमित तौर पर प्रविष्टियां कर संधारित किया जावे।

### 22.3.3 डिविजनल नोट बुक

विभाग द्वारा निर्धारित इस पंजिका में वर्ष भर में वन मण्डल अधीन सम्पादित सभी प्रकार के कार्य यथा विकास कार्य, गैर वानिकी कार्य, अनुसंधान व परीक्षण कार्य, बीज संग्रहण कार्य, साझा वन प्रबन्ध कार्य, कर्षण कार्य, सहायक वन संवर्द्धनिक कार्य, वन उपज विदोहन व विपणन के कार्य, पौध तैयारी व वितरण कार्य, भवन, सडक, मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण व संधारण के कार्य, जिले में वनों में किसी विशेष घटना हुई हो, वन्य जीव संबंधी कार्य व जानकारी, वन अपराध संबंधी जानकारी आदि सभी प्रकार की जानकारियों को संक्षेप में अंकित किया जाता है। विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार इस पंजिका का अनिवार्यतः संधारण किया जावेगा।

### 22.3.4 अन्य विविध अभिलेख

विगत वर्षों में विभाग द्वारा वन प्रबन्धन के कार्य पर समुचित नियंत्रण व समीक्षा हेतु अनेक प्रकार के अभिलेख वन मण्डल, रेंज व नाका स्तर पर एवं वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के स्तर पर संधारित किये जाने के स्थाई आदेश व निर्देश जारी किये गये हैं। इनके अनुसरण में सभी स्तरों पर विभिन्न अभिलेख जैसे वन अपराध पंजिका, वनखण्ड पंजिका, अग्नि पंजिका, वन्य जीव संबंधी पंजिका, आदि का संधारण किया जा रहा है। इन समस्त अभिलेखों का नियमित संधारण किया जावेगा।





वन मण्डल क्षेत्र सारणी (समस्त क्षेत्रफल हैक्टर)

परिशिष्ट -1

क्र. सं.	रेंज	नाम वनखण्ड	संविभाग	वास्तविक क्षेत्रफल (हेक्ट.में)	मुख्य प्रजातिया	शस्य का औसत घनत्व	प्रबन्धन वृत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डूंगरपुर	छैला खेरवाडा	1	132.296	रोंज, खेजड़ी	0.1	वनीकरण
			1	<b>132.296</b>		—	
2		बीड रामपुर	1	199.100	खेजड़ी, रोंज, देशी बबूल, सागवान	0.1	वनीकरण
			1	<b>199.100</b>		—	
3		खैरिया मंगरा	1	24.240	रोंज, विलायती बबूल, देशी बबूल	0.1	वनीकरण
			1	<b>24.240</b>		—	
4		मंगरा मालन	1	90.040	बेंर, काली धोंक	0.2	वनीकरण
			1	<b>90.040</b>		—	
5		गंगेश्वर महादेव	1	0.448	सागवान	0.3	वनीकरण
			1	<b>0.448</b>		—	
6		राताघाटा	1	135.5	सागवान, तेंदू	0.2	वनीकरण
			2	137.5	सागवान, तेंदू	0.3	वनीकरण
			3	175.0	सागवान, तेंदू	0.5	भू-संरक्षण
			4	157.5	सागवान, तेंदू	0.5	भू-संरक्षण
			5	193.0	सागवान, तेंदू	0.4	भू-संरक्षण
			6	200.0	सागवान, तेंदू	0.3	भू-संरक्षण

			7	117.5	सागवान, तेंदू	0.4	भू-संरक्षण
			8	220.0	सागवान, तेंदू	0.4	भू-संरक्षण
				<b>1336.0</b>		—	
7	रानीझूला		1	225.50	सागवान, तेंदू, धावडा	0.5	भू-संरक्षण
			2	58.90	सागवान, तेंदू, धावडा	0.5	भू-संरक्षण
			3	150.50	सागवान, तेंदू, धावडा	0.5	भू-संरक्षण
			4A	100.0	सागवान, तेंदू, धावडा	0.5	भू-संरक्षण
			4B	150.0	सागवान, तेंदू, धावडा	0.5	भू-संरक्षण
			5	110.0	सागवान, तेंदू, धावडा	0.5	भू-संरक्षण
			6	116.10	सागवान, तेंदू, धावडा	0.5	भू-संरक्षण
			7	150.0	सागवान, तेंदू, धावडा	0.5	भू-संरक्षण
			8	200.0	सागवान, तेंदू, धावडा	0.4	वनीकरण
			9	240.0	सागवान, तेंदू, धावडा	0.4	वनीकरण
			10	230.0	सागवान, तेंदू, धावडा	0.3	वनीकरण
			11	230.0	सागवान, तेंदू, धावडा	0.5	पारिस्थितिकी
			12	140.0	सागवान, तेंदू, धावडा	0.5	पारिस्थितिकी
			13	122.50	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम	0.5	पारिस्थितिकी
			14A	152.50	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम	0.5	पारिस्थितिकी
			14B	191.60	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम	0.5	पारिस्थितिकी
			15	100.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम	0.5	पारिस्थितिकी
			16	220.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम	0.5	पारिस्थितिकी

			17	132.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम	0.5	पारिस्थितिकी
			18A	150.50	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम	0.5	पारिस्थितिकी
			18B	180.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम	0.5	पारिस्थितिकी
			19	250.796	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम	0.2	वनीकरण
		योग :-	<b>21</b>	<b>3600.896</b>		-	
8	रातापानी		1	190.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम	0.5	पारिस्थितिकी
			2	205.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम	0.5	पारिस्थितिकी
			3A	60.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम	0.5	पारिस्थितिकी
			3B	155.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम	0.6	पारिस्थितिकी
			4	250.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.4	वनीकरण
			5	190.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.6	पारिस्थितिकी
			6	150.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.6	पारिस्थितिकी
			7	187.5	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.5	पारिस्थितिकी
			8	252.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.5	पारिस्थितिकी
			9	265.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.5	पारिस्थितिकी
			10	262.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.5	पारिस्थितिकी
			11	205.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.5	पारिस्थितिकी
			12	195.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.5	पारिस्थितिकी
			13	352.5	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.5	पारिस्थितिकी
			14	132.5	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.5	पारिस्थितिकी
			15	194.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.5	पारिस्थितिकी

			16	252.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.5	पारिस्थितिकी
			17	205.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.5	पारिस्थितिकी
			18	202.5	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.5	पारिस्थितिकी
			19	254.92	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.5	पारिस्थितिकी
			20	260.0	सागवान, सादड़, तेंदू, कलम, हल्दू	0.5	भू-संरक्षण
		योग :-	<b>20</b>	<b>4419.92</b>		-	
9		करमेला	1	50.400	रोंज, बेंर	0.1	वनीकरण
			<b>1</b>	<b>50.400</b>		-	
10		राजधानी	1	368.10	सागवान, रोंज, बेर, खिरनी	0.3	वनीकरण
			2	158.70	सागवान, रोंज, बेर, खिरनी	0.2	वनीकरण
			3	106.80	सागवान, रोंज, बेर, खिरनी	0.5	पारिस्थितिकी
			4	61.390	रोंज, बेंर, कडा	0.3	भू-संरक्षण
			5	49.60	रोंज, बेंर	0.3	भू-संरक्षण
			6	74.150	रोंज, बेंर	0.2	भू-संरक्षण
			<b>6</b>	<b>818.740</b>		-	
11		गुमानपुरा	1	25.744	रोंज, बेंर, कडा	0.2	वनीकरण
			<b>1</b>	<b>25.744</b>		-	
12		बलवाडा	1	105.0	रोंज, खैर, हार सिंगार	0.4	वनीकरण
			<b>1</b>	<b>105.0</b>		-	
13	बिछीवाडा	रतनपुर	1	305.00	सागवान, धावडा, तेंदू, गुरजन	0.4	वनीकरण
			2	75.00	सागवान, धावडा, तेंदू, गुरजन	0.4	वनीकरण

			3	185.00	सागवान, धावडा, तेंदू, गुरजन	0.5	पारिस्थितिकी
			4	155.00	सागवान, धावडा, सादड, तेंदू	0.4	वनीकरण
			5	290.599	सागवान, धावडा, सादड, तेंदू	0.4	वनीकरण
			6	180.15	सागवान, धावडा, सादड, तेंदू	0.4	भू-संरक्षण
			7	289.099	सागवान, धावडा, सादड, तेंदू	0.4	भू-संरक्षण
		योग :-	7	1479.848		-	
14	चुलरवेया		1	92.50	सागवान, तेंदू, चुरेल, उंम्बिया	0.3	वनीकरण
			2	112.50	सागवान, तेंदू, धावडा	0.2	वनीकरण
			3	185.0	सागवान, तेंदू, धावडा	0.3	वनीकरण
			4	92.500	सागवान, तेंदू, धावडा	0.3	वनीकरण
			5	165.0	सागवान, तेंदू, धावडा, बहेडा	0.5	भू-संरक्षण
			6	156.60	सागवान, तेंदू, धावडा	0.3	वनीकरण
			7	107.50	सागवान, तेंदू, धावडा	0.3	भू-संरक्षण
			8	112.50	सागवान, तेंदू, धावडा, हल्दू	0.3	भू-संरक्षण
			9	202.50	सागवान, तेंदू, धावडा, बहेडा	0.3	भू-संरक्षण
			10	177.50	सागवान, तेंदू, धावडा, बहेडा	0.3	भू-संरक्षण
			11	165.0	सागवान, तेन्दू, बहेडा, सादड, हल्दू	0.5	पारिस्थितिकी
			12	92.50	सागवान, तेन्दू, बहेडा, सादड, हल्दू	0.4	पारिस्थितिकी
			13	165.0	सागवान, तेन्दू, बहेडा, सादड, हल्दू	0.4	पारिस्थितिकी
			14	75.0	सागवान, तेन्दू, बहेडा, सादड, हल्दू	0.4	पारिस्थितिकी
			15	194.448	सागवान, तेन्दू, बहेडा, सादड, हल्दू	0.4	पारिस्थितिकी

		योग :-	15	2096.048		-	
15		करियामंगरा	1	67.6	रोंझ, कालीधोक	0.2	वनीकरण
			1	67.6		-	
16		माकरेडा	1	250.0	सागवान, तेन्दू, गुर्जन, धावडा	0.4	वनीकरण
			2	187.5	सागवान, तेन्दू, गुर्जन, धावडा, उम्बीया	0.5	पारिस्थितिकी
			3	159.00	सागवान, तेन्दू, गुर्जन, धावडा, उम्बीया	0.5	पारिस्थितिकी
			4	102.524	सागवान, तेन्दू, गुर्जन, धावडा, उम्बीया	0.4	पारिस्थितिकी
		योग :-	4	699.024		-	
17		पीपललेख	1A	240.0	सागवान, धावडा, कलम, गुर्जन, तेंदू	0.4	वनीकरण
			1B	200.0	सागवान, धावडा, कलम, गुर्जन, तेंदू	0.4	वनीकरण
			2A	160.0	सागवान, धावडा, कलम, गुर्जन, तेंदू	0.5	पारिस्थितिकी
			2B	230.0	सागवान, धावडा, कलम, गुर्जन, तेंदू	0.5	पारिस्थितिकी
			3	200.0	सागवान, धावडा, कलम, गुर्जन, तेंदू	0.3	वनीकरण
			4	100.5	सागवान, धावडा, कलम, गुर्जन, तेंदू	0.4	वनीकरण
			5	115.0	सागवान, तेन्दू, हल्दू, बहेडा	0.3	वनीकरण
			6A	115.0	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल	0.3	वनीकरण
			6B	135.0	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल	0.2	वनीकरण
			7	200.5	सागवान, तेन्दू, धावडा, कलम, गंर्जन	0.5	पारिस्थितिकी
			8	175.5	सागवान, तेन्दू, धावडा, कलम, गंर्जन	0.5	पारिस्थितिकी
			9	80.5	सागवान, तेन्दू, धावडा, कलम, गंर्जन	0.5	पारिस्थितिकी
			10	342.5	सागवान, तेन्दू, धावडा, कलम, गंर्जन	0.6	पारिस्थितिकी

			11	30.0	सागवान, तेन्दू, धावडा, कलम, गंर्जन	0.4	भू-संरक्षण
			12	230.0	सागवान, तेन्दू, धावडा, कलम, गंर्जन	0.5	पारिस्थितिकी
			13	55.0	सागवान, तेन्दू, धावडा, कलम, गंर्जन	0.5	पारिस्थितिकी
			14	75.0	सागवान, तेन्दू, धावडा, कलम, गंर्जन	0.5	पारिस्थितिकी
			15	122.50	सागवान, तेन्दू, बहेडा, धावडा	0.3	भू-संरक्षण
			16	175.0	सागवान, तेन्दू, बहेडा, धावडा	0.3	भू-संरक्षण
			17	185.0	सागवान, तेन्दू, बहेडा, धावडा	0.4	भू-संरक्षण
			18	166.448	सागवान, तेन्दू, बहेडा, धावडा	0.5	पारिस्थितिकी
		योग :-	<b>21</b>	<b>3333.448</b>		-	
<b>18</b>		संचियों की माली	1	188.0	रोंझ, बबुल, नीम, सागवान	0.2	भू-संरक्षण
			2	157.308	रोंझ, बबुल, नीम, सागवान	0.2	भू-संरक्षण
		योग :-	<b>2</b>	<b>345.308</b>		-	
<b>19</b>		पावा	1	120.0	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल, उम्बीया	0.3	वनीकरण
			2	120.0	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल, उम्बीया	0.2	वनीकरण
			3	147.5	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल, उम्बीया	0.3	वनीकरण
			4	95.0	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल, उम्बीया	0.3	वनीकरण
			5	147.5	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल, उम्बीया	0.3	वनीकरण
			6	50.0	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल, उम्बीया	0.4	भू-संरक्षण
			7	125.5	सागवान, तेन्दू, धावडा	0.3	भू-संरक्षण
			8	200.0	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल	0.3	भू-संरक्षण
			9	100.15	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल	0.3	भू-संरक्षण

			10	206.0	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल	0.3	भू-संरक्षण
			11	160.0	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल	0.3	भू-संरक्षण
			12	100.0	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल	0.4	भू-संरक्षण
			13	160.0	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल	0.4	भू-संरक्षण
			14	75.50	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल	0.5	पारिस्थितिकी
			15	125.0	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल	0.5	पारिस्थितिकी
			16	175.954	सागवान, तेन्दू, धावडा, बिल	0.5	पारिस्थितिकी
		योग :-	<b>16</b>	<b>2108.104</b>		-	
20		पालीसोडा	1	1265.19	सालर, गुर्जन, सागवान	0.6	पारिस्थितिकी
		योग :-	<b>1</b>	<b>1265.19</b>		-	
21		देवल आमझरा उर्फ साबली	1	132.0	विलायती बबूल	0.1	वनीकरण
		योग :-	<b>1</b>	<b>132.0</b>		-	
22		कैलाश रेंज	1	46.230	गुर्जन	0.1	वनीकरण
		योग :-	<b>1</b>	<b>46.230</b>		-	
23	सागवाडा	कांठल ए	1	2361.712	रोंझ, चुरेल	0.1	भू-संरक्षण
		योग :-	<b>1</b>	<b>2361.712</b>		-	
24		कांठल बी	1	127.360	रोंझ, चुरेल, विलायती बबूल	0.1	वनीकरण
		योग :-	<b>1</b>	<b>127.360</b>		-	
25		कांठल सी	1	45.120	रोंझ, चुरेल, विलायती बबूल	0.1	वनीकरण
		योग :-	<b>1</b>	<b>45.120</b>		-	



26		मेहतों का पाडला ए	1	37.5	रोंझ	0.1	वनीकरण
			2	37.5	रोंझ	0.1	वनीकरण
			3	38.432	रोंझ	0.1	वनीकरण
		योग :-	3	113.432		-	
27		मेहतों का पाडला बी	1	104.256	रोंझ	0.1	वनीकरण
		योग :-	1	104.256		-	
28		ओड पाडवा	1	259.408	रोंझ	0.1	वनीकरण
		योग :-	1	259.408		-	
29		जोतलेश्वर महादेव	1	54.568	विलायती बबूल	0.1	वनीकरण
		योग :-	1	54.568		-	
30		सुन्दरपुर	1	113.000	रोंझ	0.1	वनीकरण
		योग :-	1	113.000			
31		डामरिया गिर्द	1	690.592	रोंझ	0.1	भू-संरक्षण
		योग :-	1	690.592		-	
32		डामरिया दहाला	1	724.400	रोंझ, चुरेल	0.1	भू-संरक्षण
		योग :-	1	724.400		-	
33		घाटामाविता	1	548.400	रोंझ, सागवान	0.1	वनीकरण
			2	548.400	रोंझ, सागवान	0.1	वनीकरण
			3	118.256	रोंझ, सागवान	-	वनीकरण
		योग :-	3	1215.056		-	
34		बोडा मंगरा डामरिया	1	287.680	रोंझ	0.1	वनीकरण

		योग :-	1	287.680		-	
35		लिखतिया पंचकुंडी	1	829.448	रोंझ, विलायती बबूल	0.1	वनीकरण
		योग :-	1	829.448		-	
36	सीमलवाडा	चारवाडा	1	200.0	सागवान, तेंदू, सालर, बहेड़ा	0.4	भू-संरक्षण
			2	157.5	सागवान, तेंदू, सालर, बहेड़ा	0.6	पारिस्थितिकी
			3	82.5	सागवान, तेंदू, सालर, बहेड़ा	0.6	पारिस्थितिकी
			4	87.5	सागवान, तेंदू, सालर, बहेड़ा	0.6	पारिस्थितिकी
			5	237.0	सागवान, तेंदू, सालर, बहेड़ा	0.6	पारिस्थितिकी
			6	162.5	सागवान, तेंदू, सालर, बहेड़ा	0.6	पारिस्थितिकी
			7	110.0	रोंझ, बेर, कुमठा, सागवान	0.3	भू-संरक्षण
			8	137.5	सागवान, विलायती बबूल, कड़ा, आकड़ा	0.2	भू-संरक्षण
			9	147.5	सागवान, विलायती बबूल, कड़ा, आकड़ा	0.2	भू-संरक्षण
			10	125.0	सागवान, विलायती बबूल, कड़ा, आकड़ा	0.2	वनीकरण
			11	87.5	सागवान, विलायती बबूल, कड़ा, आकड़ा	0.4	वनीकरण
			12	145.00	सागवान, तेंदू	0.1	वनीकरण
			13	162.5	सागवान, तेंदू	0.1	वनीकरण
			14	100.0	सागवान, तेंदू, कड़ा, आकड़ा, विलायती बबूल	0.5	भू-संरक्षण
			15	290.0	सागवान, कड़ा, आकड़ा, विलायती बबूल	0.7	भू-संरक्षण
			16	152.5	तेंदू, कड़ा, आकड़ा, विलायती बबूल	0.4	भू-संरक्षण
			17	100.0	तेंदू, कड़ा, आकड़ा, विलायती बबूल	0.5	भू-संरक्षण
			18	258.632	सागवान, तेंदू, कड़ा, आकड़ा	0.1	भू-संरक्षण

			19	158.732	सागवान, तेंदू, कड़ा, आकड़ा	0.1	भू-संरक्षण
		योग :-	<b>19</b>	<b>2901.864</b>		-	
37	गराडा		1	100.0	सागवान, तेंदू, रोंझ, कड़ा, आकड़ा	0.4	वनीकरण
			2	150.0	सागवान, तेंदू, रोंझ, कड़ा, आकड़ा	0.3	वनीकरण
			3	162.50	सागवान, तेंदू, रोंझ, कड़ा, आकड़ा	0.3	वनीकरण
			4	63.50	सागवान, तेंदू, रोंझ, कड़ा, आकड़ा	0.3	वनीकरण
			5	63.50	सागवान, तेंदू, रोंझ, कड़ा, आकड़ा	0.6	पारिस्थितिकी
			6	62.62	सागवान, तेंदू, रोंझ, कड़ा, आकड़ा	0.6	पारिस्थितिकी
			7	187.50	सागवान, तेंदू, रोंझ, कड़ा, आकड़ा	0.6	पारिस्थितिकी
			8	165.50	सागवान, तेंदू, रोंझ, कड़ा, आकड़ा	0.6	पारिस्थितिकी
			9	130.0	सागवान, तेंदू, रोंझ, कड़ा, आकड़ा	0.6	पारिस्थितिकी
			10	78.50	सागवान, तेंदू, रोंझ, कड़ा, आकड़ा	0.6	पारिस्थितिकी
			11	113.50	सागवान, तेंदू, रोंझ, कड़ा, आकड़ा	0.6	पारिस्थितिकी
			12	113.50	सागवान, तेंदू, रोंझ, कड़ा, आकड़ा	0.5	पारिस्थितिकी
			13	113.50	सागवान, तेंदू, रोंझ, कड़ा, आकड़ा	0.4	पारिस्थितिकी
			14	150.00	सागवान, तेंदू, रोंझ, कड़ा, आकड़ा	0.5	पारिस्थितिकी
			15	86.872	सागवान, तेंदू, रोंझ, कड़ा, आकड़ा	0.6	पारिस्थितिकी
		योग :-	<b>15</b>	<b>1740.992</b>		-	
38	कालिया दरा ए,बी,सी		1	190.624	विलायती बबूल, सागवान, कड़ा, आकड़ा	0.4	वनीकरण
		योग :-	<b>1</b>	<b>190.624</b>		-	
39	मोदरा महुडी		1	135.00	विलायती बबूल, रोंझ, सागवान, खाखरा,	0.3	वनीकरण

			2	202.50	विलायती बबूल, कड़ा, आकड़ा	0.5	वनीकरण
			3	182.50	तेंदू, रोंझ, सागवान, खाखरा	0.4	वनीकरण
			4	100.30	तेंदू, रोंझ, सागवान, खाखरा	0.4	वनीकरण
			5	225.00	तेंदू, रोंझ, सागवान, खाखरा	0.4	भू-संरक्षण
			6	132.46	तेंदू, रोंझ, सागवान, खाखरा	0.3	भू-संरक्षण
		योग :-	6	977.760		-	
40		भादर	1	1785.112	सालर, गुर्जन,सादड़	0.2	भू-संरक्षण
		योग :-	1	1785.112		-	
41		डूंगरसारण	1	3892.032	सालर, गुर्जन,सादड़	0.2	भू-संरक्षण
		योग :-	1	3892.032		-	
42		शिशोट ए, बी	1	225.00	सागवान, तेंदू, रोंझ, आंवला, धावड़ा	0.2	वनीकरण
			2	227.50	सागवान, तेंदू, रोंझ, खेर	0.1	वनीकरण
			3	175.00	सागवान, तेंदू, रोंझ, खेर	0.4	वनीकरण
			4	325.00	सागवान, तेंदू, रोंझ, खेर	0.4	वनीकरण
			5	235.50	सागवान, तेंदू, रोंझ, खेर	0.6	पारिस्थितिकी
			6	71.49	सागवान, तेंदू, रोंझ, खेर	0.2	भू-संरक्षण
			7	71.49	सागवान, तेंदू, रोंझ, खेर	0.2	भू-संरक्षण
			8	214.50	सागवान, तेंदू, रोंझ, खेर	0.2	भू-संरक्षण
			8	1545.48		-	
43		माला खोलडा	1	32.027	सागवान, तेंदू, रोंझ, खेर	0.2	वनीकरण
		योग :-	1	32.027		-	

44	आंतरी	आंतरी	1	303.0	विलायती बबूल, सागवान, धावडा, रोंझ, धोक	0.2	वनीकरण
			2	476.5	विलायती बबूल, सागवान, धावडा, रोंझ, धोक	0.2	वनीकरण
			3	303.0	बेर, सागवान, धावडा, धोक, आंवला	0.2	वनीकरण
			4	474.708	बेर, सागवान, धावडा, धोक, आंवला	0.2	वनीकरण
			5	250.0	बेर, सागवान, धावडा, धोक, आंवला	0.2	वनीकरण
		योग :-	5	1807.208		-	
45		मंगरा हिंडोलिया	1	22.792	बेर, सागवान, धावडा, धोक, आंवला	-	वनीकरण
		योग :-	1	22.792		-	
46		घटखाना	1	200.0	सागवान, धोक, विलायती बबूल, कडाया	0.3	वनीकरण
			2	162.0	सागवान, विलायती बबूल, रोंझ	0.4	वनीकरण
			3	127.0	सागवान, कडाया, बेर	0.2	वनीकरण
			4	69.792	विलायती बबूल	0.2	वनीकरण
		योग :-	4	558.792		-	
47		घोडचा	1	244.2	विलायती बबूल, कडाया, आकडा	0.2	वनीकरण
			2	125.0	सागवान, विलायती बबूल, चुरेल, रोंझ	0.2	वनीकरण
			3	125.0	विलायती बबूल, कडाया, आकडा, रोंझ	0.2	वनीकरण
			4	125.0	विलायती बबूल, कडाया, आकडा	0.2	वनीकरण
			5	112.5	विलायती बबूल	0.2	वनीकरण
			6	175.0	विलायती बबूल	0.2	वनीकरण
			7	166.5	सागवान, सालर, कडा आकडा	0.2	वनीकरण
		योग :-	7	1073.152		-	

48		मंगरा विराट	1	133.232	विलायती बबूल	0.1	वनीकरण
		योग :-	1	133.232		-	
49		भेडमाता	1	324.840	सागवान, विलायती बबूल, रोंझ, कडा आकडा	0.3	पारिस्थितिकी
		योग :-	1	324.840		-	
50		वैयोडा	1	162.5	विलायती बबूल, रोंझ, कडाआकडा	0.3	वनीकरण
			2	137.5	विलायती बबूल, रोंझ, कडाआकडा	0.3	वनीकरण
			3	100.0	विलायती बबूल, रोंझ, कडाआकडा	0.2	वनीकरण
			4	190.0	विलायती बबूल, कडाआकडा, सागवान	0.3	वनीकरण
			5	125.0	विलायती बबूल, रोंझ	0.3	वनीकरण
			6	180.0	विलायती बबूल, रोंझ, सागवान	0.3	भू-संरक्षण
			7	170.0	विलायती बबूल, रोंझ, सागवान	0.2	भू-संरक्षण
			8	165.0	विलायती बबूल, रोंझ	0.2	भू-संरक्षण
			9	112.5	विलायती बबूल, रोंझ	0.2	भू-संरक्षण
			10	152.596	सागवान	0.3	भू-संरक्षण
		योग :-	10	1495.096		-	
51		सत्तामंगरा ए	1	72.2	विलायती बबूल, रोंझ, सागवान	0.2	वनीकरण
			2	140.2	विलायती बबूल, सागवान, खिरनी, चुरेल, धोंक	0.2	वनीकरण
			3	167.0	विलायती बबूल, सागवान, चुरेल, खिरनी	0.2	भू-संरक्षण
		योग :-	3	379.400		-	
52		सत्तामंगरा बी	1	197.824	विलायती बबुल	0.2	भू-संरक्षण
		योग :-	1	197.824		-	

53	आडामाल	1	236.2	विलायती बबुल	0.3	भू-संरक्षण
		2	340.0	विलायती बबुल, धोंक, सागवान	0.4	भू-संरक्षण
		3	202.2	काली धोंक, खेर, कुमठा, सागवान, रोंझ	0.2	वनीकरण
		4	167.008	काली धोंक, खेर, कुमठा, सागवान, रोंझ	0.2	वनीकरण
	योग :-	4	945.408		-	
54	नारामंगरा	1	132.50	विलायती बबूल, खिरनी	0.3	वनीकरण
		2	122.50	विलायती बबूल, खिरनी, सागवान	0.2	वनीकरण
		3	99.968	विलायती बबूल, खिरनी, सागवान	0.2	वनीकरण
	योग :-	3	354.968		-	
55	नाल बुचडिया	1	71.300	विलायती बबूल, सागवान, कडाया	0.3	वनीकरण
		2	215.244	विलायती बबूल, सागवान, कडाया	0.2	वनीकरण
		2	286.544		-	
56	मृगतालाब	1	182.00	विलायती बबूल, कडा, आकडा	0.3	भू-संरक्षण
		2	130.00	विलायती बबुल	0.2	भू-संरक्षण
		3	106.00	सागवान, विलायती बबूल, कडा, आकडा	0.2	भू-संरक्षण
		4	89.500	सागवान, विलायती बबूल, रोंझ	0.2	वनीकरण
		5	141.500	सागवान, विलायती बबूल, कडा, आकडा	0.2	वनीकरण
		6	260.300	सागवान, विलायती बबूल, कडा, आकडा	0.2	वनीकरण
		7	142.004	सागवान, विलायती बबूल, कडा, आकडा	0.2	वनीकरण
		8	231.120	रोंझ, विलायती बबूल	0.2	भू-संरक्षण
	योग :-	8	1282.424		-	

57	पगारा ए	1	319.752		—	वनीकरण
	योग :-	1	<b>319.752</b>		—	
58	पगारा बी	1	198.064	विलायती बबूल	0.2	वनीकरण
	योग :-	1	<b>198.064</b>		—	
59	मंगरा झेलुआ	1	115.300	सागवान, विलायती बबूल, रोंझ, खेर	0.2	वनीकरण
		2	172.236	सागवान, विलायती बबूल, रोंझ, खेर	0.1	वनीकरण
	योग :-	2	<b>287.536</b>		—	
60	बीड लालगिरी	1	128.376	रोंझ, विलायती बबूल	0.2	वनीकरण
	योग :-	1	<b>128.376</b>		—	
61	कुंजैला	1	90.000	सागवान, विलायती बबूल	0.2	वनीकरण
		2	110.000	गुरुजन, धावड़ा, टिमरू	0.2	वनीकरण
		3	180.000	धावड़ा, सागवान, विलायती बबूल	0.2	वनीकरण
		4	160.000	धावड़ा, सागवान, विलायती बबूल	0.2	वनीकरण
		5	240.000	गुरुजन, धावड़ा, टिमरू	0.2	वनीकरण
		6	260.000	धावड़ा, बिल, खाखरा	0.2	भू-संरक्षण
		7	120.000	धावड़ा, बिल, खाखरा	0.2	भू-संरक्षण
		8	230.000	तेंदू, विलायती बबूल	0.2	भू-संरक्षण
		9	140.000	तेंदू, विलायती बबूल	0.2	भू-संरक्षण
		10	90.000	तेंदू, विलायती बबूल, धावड़ा	0.2	भू-संरक्षण
		11	122.200	तेंदू, विलायती बबूल, धावड़ा	0.2	भू-संरक्षण
		12	229.968	तेंदू, विलायती बबूल, धावड़ा	0.2	भू-संरक्षण



		योग :-	12	1972.168		-	
62		पगारा सी	1	70.520	विलायती बबूल	0.2	वनीकरण
		योग :-	1	70.520		-	
63		पगारा डी	1	25.696	विलायती बबूल	0.2	वनीकरण
		योग :-	1	25.696		-	
64		फलौज	1	150.992	विलायती बबूल, रोंझ	0.2	वनीकरण
		योग :-	1	150.992		-	
65	आसपुर	जसपुर खेरमाल ए	1	701.688	रोंझ, काला धोंक	0.3	वनीकरण
		योग :-	1	701.688		-	
66		जसपुर खेरमाल बी	1	200.504	रोंझ, खिरनी, सागवान	0.2	वनीकरण
		योग :-	1	200.504		-	
67		खेडा सामोर ए	1	285.000	रोंझ, धोंक, चुरेल	0.4	वनीकरण
		योग :-	1	285.000		-	
68		खेडा सामोर बी	1	147.816	विलायती बबूल, सागवान	0.3	वनीकरण
		योग :-	1	147.816		-	
69		देवला वागदरी ए	1	275.952	रोंझ	0.2	वनीकरण
		योग :-	1	275.952		-	
70		गणेशपुर	1	181.100	रोंझ, धोंक, नीम	0.3	वनीकरण
		योग :-	1	181.100		-	
71		कतिसौर (काबजा)	1	33.312	विलायती बबूल, रोंझ	0.2	वनीकरण
		योग :-	1	33.312		-	

72	देवला वागदरी बी	1	331.496	रोंझ, धोंक	0.2	वनीकरण
	योग :-	1	<b>331.496</b>		-	
73	क्यावडी	1	74.960	विलायती बबूल, रोंझ, देशी बबूल	0.3	वनीकरण
	योग :-	1	<b>74.960</b>		-	
74	भाटोली की कांठ	1	68.360	विलायती बबूल, रोंझ, कुमठा, हिंगोट	0.3	वनीकरण
	योग :-	1	<b>68.360</b>		-	
75	नांदली दाद	1	167.250	रोंझ, कुमठा, विलायती बबूल	0.2	वनीकरण
		2	108.206	रोंझ, कुमठा, विलायती बबूल	0.3	वनीकरण
	योग :-	2	<b>275.456</b>		-	
76	नांदली अहाडा	1	32.592	रोंझ, कुमठा, विलायती बबूल, खिरनी	0.3	वनीकरण
	योग :-	1	<b>32.592</b>		-	
77	सोनगरा मुंगेडिया	1	41.700	सागवान, सालर, गुरुजन, चुरेल, नीम	0.4	भू-संरक्षण
		2	107.500	सागवान, सालर, गुरुजन, चुरेल, नीम	0.6	पारिस्थितिकी
		3	89.984	सागवान, सालर, गुरुजन, चुरेल, नीम	0.6	पारिस्थितिकी
	योग :-	3	<b>239.184</b>		-	
78	लोडावल ए	1	165.672	रोंझ, कुमठा, बेर	0.2	वनीकरण
	योग :-	1	<b>165.672</b>		-	
79	लोडावल बी	1	236.016	रोंझ, कुमठा, बेर	0.2	वनीकरण
	योग :-	1	<b>236.016</b>		-	
80	फलिहोर	1	200.0	सागवान, गुर्जन, सालर	0.2	वनीकरण
		2	150.0	सागवान, गुर्जन, सालर	0.3	वनीकरण

			3	138.0	सागवान, गुर्जन, सालर	0.2	वनीकरण
			4	110.5	सागवान, गुर्जन, सालर	0.4	वनीकरण
			5	145.0	सागवान, गुर्जन, सालर	0.3	वनीकरण
			6	175.0	चुरेल, खिरनी, कडा आकडा	0.3	वनीकरण
			7	152.5	सागवान, तेंदू, सालर, गुरुजन	0.3	भू-संरक्षण
			8	235.0	सागवान, तेंदू, सालर, गुरुजन	0.2	भू-संरक्षण
			9	144.824	सागवान, तेंदू, सालर, गुरुजन	0.2	भू-संरक्षण
			10	225.0	सागवान, चुरेल, खिरनी	0.3	भू-संरक्षण
			11	200.0	सागवान, सालर, गुरुजन, चुरेल, तेंदू	0.3	भू-संरक्षण
			12	200.0	सागवान, सालर, गुरुजन, चुरेल, तेंदू	0.6	पारिस्थितिकी
			13	110.0	सागवान, सालर, गुरुजन, चुरेल, तेंदू	0.6	पारिस्थितिकी
		योग :-	13	2185.824		-	
81		रीछा मंगरा	1	20.800	सागवान, नीम, चुरेल, खेंर	0.3	वनीकरण
		योग :-	1	20.800		-	
82		बिलुडा	1	37.888	विलायती बबूल, सालर, गुरुजन	0.2	वनीकरण
		योग :-	1	37.888		-	
83		सुलिया बेणका	1	87.50	विलायती बबूल, सालर, गुरुजन	0.2	वनीकरण
			2	162.50	विलायती बबूल, सालर, गुरुजन, कुमठा	0.2	वनीकरण
			3	254.90	रोंझ, सालर, गुरुजन, कुमठा	0.2	वनीकरण
			4	147.50	रोंझ, सालर, गुरुजन, कुमठा	0.3	वनीकरण
			5	150.00	सागवान, रोंझ, सालर, गुरुजन	0.2	वनीकरण

			6	160.00	सागवान, रोंझ, सालर, गुरुजन	0.2	भू-संरक्षण
			7	175.00	सागवान, विलायती बबूल, ढाक	0.3	भू-संरक्षण
			8	130.00	सागवान, रोंझ, चुरेल	0.3	भू-संरक्षण
			9	130.024	सागवान, रोंझ, विलायती बबूल	0.3	भू-संरक्षण
			10	120.00	सागवान, विलायती बबूल	0.3	भू-संरक्षण
			11	212.00	सागवान, रोंझ, सालर, गुरुजन	0.5	पारिस्थितिकी
		योग :-	11	1729.424		-	
84	बेडा बेडी		1	132.50	सागवान, गुरुजन, विलायती बबूल	0.3	भू-संरक्षण
			2	132.50	सागवान, गुरुजन, विलायती बबूल	0.2	भू-संरक्षण
			3	67.31	सागवान, गुरुजन, विलायती बबूल, सालर	0.2	वनीकरण
		योग :-	3	332.312		-	
85	खेडा सामोर सी		1	374.056	रोंझ, धोक, चुरेल, कुमठा	0.2	वनीकरण
		योग :-	1	374.056		-	
86	घाणी दूंडा		1	60.000	विलायती बबूल, रोंझ	0.3	वनीकरण
		योग :-	1	60.000		-	
87	बड़गां		1	2.550	-	-	वनीकरण
		योग :-	1	2.550		-	

राजस्थान राज पत्र, दिनांक दिसम्बर 24,1955 भाग 4 (ग) में प्रकाशित हुए।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, नवम्बर 24, 1955

संख्या 4241। एफ 34 (44) रेवेन्यू। 53 :-राजस्थान फोरेस्ट एक्ट सन् 1953 (राजस्थान एक्ट नं0 13 सन1953) की धारा 32 तथा 76 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार राजस्थान गवर्नमेण्ट की विज्ञप्ति नं0 एफ (428) फोर0। 49, ता0 13.1.51 को आंशिक रूप में रद्द करते हुए राजस्थान गवर्नमेण्ट निम्नलिखित नियम जंगल की पैदावार सम्बन्धी रिआयतें देने के लिये प्रचलित करती है।

1. कहां लागू होंगे:-यह नियम फोरेस्ट डिविजन उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाडा, कोटा, बूंदी, बांरा, झालावाड़ व टोंक में लागू होंगे। जंहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जंगल की पैदावार सम्बन्धी रिआयतों के विशेष नियमों की आवश्यकता है और जंहा ये रिआयतें अब तक मिलती आ रही है।

2. परिभाषायें :-इन नियमों, जब तक कि भाषा में कोई अन्य अर्थ न लिया जावें।

अ "आदिवासी" से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो निम्नलिखित जातियों में से हों:-

(1) बाबरिया

(2) भील

(3) गरासिया

(4) मीणा

(5) सहेरिया

(6) अन्य जाति जो इन नियमों के लिये गवर्नमेण्ट द्वारा आदिवासी घोषित की जावें।

(ब) “बन्द जंगल” से अभिप्राय उस जंगल से है जो चराई के लिये बन्द हो। जिसमें कटा हुआ कूप, घास के बीड़, बंबूल की बनी, शिकारगाह या अन्य कोई भी जंगल सम्मिलित है जिसको वन संबंधी रिआयतों के उपयोग के लिये गवर्नमेण्ट द्वारा बन्द कर दिया गया है।

(क) “पालतू मवेशी में गाय, बैल ऊंट, भैंस, घोड़ा, घोड़ी, टट्टू, खच्चर, गधा, सूअर, मेढा, मेमना, बकरी का बच्चा सम्मिलित है।

(ख) “कृषक” से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसकी जीविका मुख्यतया खेती पर निर्भर हो।

(ग) “पहाड़ी क्षेत्रों” से अभिप्राय उन क्षेत्रों एवं गांवों से है जो कि नीचे लिखे हैं:-

(1) **जिला उदयपुर :-**

(अ) तहसील सलुम्बर, सराड़ा, फलासिया, खेरवाड़ा, कोटड़ा, लसाड़िया, सायरा, कुंभलगढ़, तहसीलों के समस्त गांव,

(ब) सब-तहसील भिण्डर, कुराबड़, कानोड़ और बारापाल के समस्त गांव,

(स) सब-तहसील गिरवा के निम्नलिखित गांव :-

क्र.स.	गांव	क्र.स.	गांव
1	नाई	15	कोड़ीयात
2	मेजरा	16	नवागुड़ा
3	पोपल्टी	17	रायता
4	धौकड़िया	18	पीपल्या
5	ऊंदरी	19	अछाल्या
6	सालीवास	20	धार
7	कोटड़ा	21	बंडगा
8	पई	22	मौवानिया
9	अलसीगढ़	23	वरड़ा

10	कुवाड़िया खेड़ा	24	गोछेरा
11	खजूरी	25	बड़ी
12	आमन्दरी	26	नाथोवतों का गुड़ा
13	काया	27	सिखारमा
14	खरपीन		

(द) उमरड़ा ग्राम समूह के निम्नलिखित ग्राम :-

क्र.स.	गांव	क्र.स.	गांव
1	उमरड़ा	9	घमघड़
2	ढडकिया	10	मानपुरा
3	धरौला	11	साऊपुरा
4	राजावा	12	मानदेव
5	आबूवा	13	खारदा
6	खेड़ा	14	चान्दला
7	झामर	15	जोधपुर
8	गोवर्द्धनपुरा	16	घाटका गुड़ा

2. **जिला चित्तौड़गढ़ :-**(अ) तहसील बड़ी सादड़ी के पूर्व वानसी जागीर के समस्त ग्राम, तहसील, प्रतापगढ़, तहसील अचनेरा, तहसील भैंसरोडगढ़— (जिसमें कुआखेड़ा भी सम्मिलित हैं), तहसील कनेरा
3. **जिला डूंगरपुर :-**के समस्त ग्राम।
4. **जिला बांसवाड़ा:-** जिसमें सब-डिविजन कुशलगढ़ भी सम्मिलित है, के समस्त गांव,
5. **जिला कोटा:-** तहसील शाहबाद, तहसील किशनगंज, तथा तहसील हायलाड़पुरा, रामगंज मण्डी और कनवास के भील क्षेत्र।

6. **जिला बूंदी** :-के तहसील तालेड़ा और तहसील बूंदी व तहसील हिण्डोली का बराड़ इलाका।

(घ) "खुला जंगल" से अभिप्राय उस जंगल से है जो बन्द न हो।

(ड) "पेशेवर चराईदार" से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो 10 भैंसे से अधिक रखता हो।

(च) "प्रोटेक्टड जंगल" से अभिप्राय उस जंगल से है जो राजस्थान फोरेस्ट एक्ट सन् 1953 की धारा के अर्न्तगत प्रोटेक्टडेड घोषित किया गया हो।

(छ) "रक्षित दरख्त" से अभिप्राय निम्न लिखित किसी भी दरख्त से है:-

1	चन्दन	19	छार
2	शीशम	20	खिरनी
3	बीजा	21	क्लास
4	सागवान	22	बकायन या कदम
5	अंजन	23	धामन
6	तिन्सा	24	बहेड़ा
7	सेमल	25	कुसम
8	हल्दू	26	करंज
9	बबूल	27	खैर
10	सिरस	28	अशोक
11	जामुन	29	आल
12	अर्जुन	30	आमला
13	मोलश्री	31	खजूर
14	नींव	32	रेंजवा
15	महुआ	33	रायां
16	आम्बीया या काटी	34	बैल



17	आम	35	रोहन
18	तेन्दू		

किन्तु कोई भी दरख्त किसी इमारती लकड़ी किसी किसी स्थान पर विशेष कार्य के लिये काम में लेने की प्रथा है वह उस स्थान के लिए तथा उस कार्य के लिये रक्षित नहीं समझी जायगी।

(ज) “रिजर्व जंगल से अभिप्राय उस जंगल की जमीन या पड़त जमीन से है जो राजस्थान फोरेस्ट एक्ट सन् 1953 के अध्याय 2 के अन्तर्गत रिजर्व करार दिया गया हो।

(झ) “आरक्षित दरख्त” से अभिप्राय उन दरख्तों से है जो रक्षित न हों।

(अ) “गंवाई जंगल” से अभिप्राय उस गांवाई जंगल है जिसकी परिभाषा राजस्थान फोरेस्ट एक्ट सन् 1953 की धारा 28 की उप-धारा 1 में की गई है।

3. पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी व कृषकों को इमारती लकड़ी संबंधी रियायतें:— आम शर्तों के अनुसार जो इन नियमों के साथ संलग्न हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी व कृषक अरक्षित दरख्त खेती शर्तों के अनुसार जो इन नियमों के साथ संलग्न हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के आदिवासी व कृषक अरक्षित दरख्त खेती के कार्य के लिये इमारती लकड़ी मुफ्त किसी भी जंगल से जो कि कूप कटा बन्द जंगल न हो, ले सकते हैं। यदि उस स्थान पर अरक्षित दरख्तों की इमारती लकड़ी उपलब्ध न हो तो वे ऐसी लकड़ी रक्षित से ले सकते हैं। यदि ऐसी इमारती लकड़ी अरक्षित दरख्तों से उपलब्ध न हो तो रक्षित दरख्तों की लकड़ी भी मुफ्त दी जावेगी। किन्तु कृषक ऐसी इमारती लकड़ी अरक्षित होते हुए भी रक्षित लेना चाहे तो उसे 1/4 महसूल देना होगा।

4. **मकान बनाने के लिये इमारती लकड़ी:**— मकान बनाने के लिये इमारती लकड़ी सबको आम शर्तों के अनुसार जो इन नियमों के साथ संलग्न है दी जावेगी। ऐसी इमारती लकड़ी के निजी उपयोग के लिये ही ली जावेगी न कि बेचने के लिये।

## 5. चराई:—

- (अ) गायें और बैल फीस चराई से मुक्त रहेंगे।
- (ब) आदिवासी, जिसमें आदिवासी पेशेवर चराईदार भी शामिल है सिवाय बन्द जंगलों के बाकी तमाम जंगलों में अपनी निजी मवेशी सिवाय ऊंटों के मुफ्त चरा सकेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों के कृषक व आदिवासी जिन जंगलों में मवेशी हमेशा से चराते आ रहे हैं वहां मुफ्त चराते रहेंगे। ऊंटों व भेड़ बकरियों की पूरी फीस चराई ली जावेगी किन्तु जहां यह चराई अब तक नहीं ली जाती है वहां नहीं ली जायगी।
- (स) खुले जंगलों और गांवाई जंगलों में भेड़, बकरी मुफ्त चराई जा सकती हैं।
- (द) पेशेवर चराईदार जो आदिवासी न हों उनसे वन विभाग के जंगलों में चराने के लिये फीस चराई पूरी तरह से तमाम जानवरों के लिये ली जावेगी किन्तु जहां चराई अब तक नहीं ली जाती है वहां अब भी नहीं ली जावेगी।

## 5. बाड़:—

- (अ) आदिवासी तथा कृषकों के लिये मकान और खेती की बाड़ के लिये कांटे और तमाम किस्म की झाड़ियां व दरखत जो बाड़ के काम में आते हैं, मुफ्त दिये जायेंगे।
- (ब) धोकड़े की लूम व पत्ते बाड़ के लिये उप-धारा (अ) के अनुसार मुफ्त नहीं दी जावेगी सिवाय उस सूरत में जब कि दूसरी किस्म के कांटे और झाड़ियां उस स्थान में उपलब्ध न हों।
- (स) जहां खेतों और मकानों की बाड़ के लिये बांस या अन्य दूसरी लकड़ी ली जाने की प्रथा है। वहां बांस व अन्य लकड़ी मुफ्त दी जावेगी।

7. **जलाऊ लकड़ी:—** मरी, सूखी और गिरी पड़ी जलाऊ लकड़ी माथाभार या घीसासान मुफ्त ला सकेंगे। किन्तु किसी व्यक्ति को सम्बन्धित रेंज अफसर से परमिट प्राप्त किये बिना खड़े दरखतों को काटने की इजाजत नहीं होगी। जहां सूखी लकड़ी उपलब्ध नहीं हो वहां रेंजर निजी उपयोग के लिये गीली लकड़ी लाने के लिये जंगल बतावेगा जहां से सरभार, सान, घिसा द्वारा लकड़ी ला सकेंगे।

8. **घास:**— माथाभार द्वारा घास के सर बोझ निजी उपयोग तथा बेचने के लिये सब लोग किसी भी जंगल से, सिवाय घास के बीड़, कटे हुए कूप, और अन्य हिस्सा के जिनकी कटाई घास के लिये खासतौर से गवर्नमेण्ट द्वारा बन्द कर दिया गया है जिसमें प्लांटेशन व घास के रखते बीड़ भी शामिल है, मुफ्त ला सकेंगे।

9. **जड़ पते, पाला इत्यादि :-**

(अ) खाने के काम में आने वाली जड़ें और खाखरे की जड़ें, खजूर के फउगे मुफ्त ला सकेंगे। किन्तु इसके लिये नाकेदार से फ्री पास प्राप्त करना होगा।

(ब) खजूर, खाखरा और सागवान के पत्ते छप्परबन्दी के काम के लिये ले सकेंगे।

(स) डाण्डों के लिये सागवान के दरख्त की खाश तराशी मना है।

10. ये रियायतें संलग्न शैडयूल में दर्ज आम नियमों से पाबन्द होंगी:— ऊपर के नियमों में दी गई तमाम रियायतें उन आम शर्तों से पाबन्द है जो इन नियमों के साथ संलग्न शिडयूल में दर्ज हैं उस हद तक कि जंहा तक इनमें से कोई भी शर्त किसी खास किस्म की रियायत पर लागू हो।

11. दरखत व इमारती लकड़ी की कटाई व निकासी तथा पैदावार जंगल की तैयारी व निकासी प्रोटेक्टेड जंगलों से मना है सिवाय उन सूरतों के जब कि इन नियमों द्वारा अथवा राजस्थान फोरेस्ट एक्ट सन् 1953 के अर्न्तगत बने हुए नियमों द्वारा इजाजत दी गई हो।

12. यदि कोई व्यक्ति इन रियायतों का दुरुपयोग करेगा तो उसे इन रियायतों से वंचित किया जा सकेगा और यदि इस प्रकार का दुरुपयोग सामूहिक रूप से होगा तो उस क्षेत्र अथवा गांव के निवासियों की इन रियायतों से वंचित किया जा सकेगा।

13. इन रियायतों का अमल 15 जून से 31 अक्टूबर तक बन्द रहेगा।

**शिडयूल**

**रियायत सम्बन्धी आम नियम**

1. उन जंगलों की जहां से वर्ष क्रम में इन रियायतों को उपभोग किया जा सकेगा सूची नाकेदार के पास मिलेगी।
2. प्रत्येक व्यक्ति को जो इस किसी भी रियायत का उपभोग करना चाहें जंगलात के नाकेदार से परमिट प्राप्त करना होगा। नाकेदार जंगलात यह परमिट उस सर्टिफिकेट के आधार पर जारी करेगा जो कि प्रार्थी ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा पटवारी से लावें और जिसमें प्रार्थी का नाम, ग्राम व तहसील का नाम व उसके कब्जे की जमीन दर्ज होगी। यह परमिट मुफ्त जारी किये जावेंगे।

**नोट :-**खेती के औजारों के लिये व गांवाई जंगलों से इमारती लकड़ी लेने की सूरत में किसी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

- (3) हल के लिये इमारती लकड़ी निम्नलिखित नियमों के अनुसार दी जावेगी:-
  - (अ) 15 बीघा तक की खेती के लिये इमारती लकड़ी एक हल की 15 बीघा से अधिक पर इस अनुपा से दी जावेगी, किन्तु तीन हल से अधिक की नहीं।
  - (ब) तीन हल से अधिक की इमारती लकड़ी लेने पर साधारण शरह एक 1/8 लिया जावेगा।
  - (स) हल में, हाल चौड़ा कूड़ी, दो डांडें, नेजल और खल शामिल है।
- (4) पूरा ढाणी एक (चरस) के लिये इमारती लकड़ी दो साल में एक बार से अधिक नहीं दी जावेगी।
- (5) पूरे रेंहट के लिये इमारती लकड़ी पांच वर्ष में एक बार दी जावेगी किन्तु सागरी आदि रेंहट के लिये टूट फूट की इमारती लकड़ी आवश्यकतानुसार दी जा सकती है।
- (6) उपरोक्त दर्ज तादाद की इमारती लकड़ी के अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्र के कृषक एवं आदिवासियों को निम्नलिखित अधिक रक्षित व अरक्षित इमारती लकड़ी मुफ्त मिलेगी :-
  - (1) हल, हाल, कुली, दो प्रति वर्ष,
  - (2) चौड़ा, चऊ चार प्रति वर्ष,
  - (3) ढाणा (चरस) दो वर्ष में एक बार,

- (4) समाड़ा पांच वर्ष में एक बार,
- (5) डागला (टोपा या डेंगचा) तीन वर्ष में एक बार,
- (6) सांठों के लिये वर्ष में एक बार,
- (7) जूड़ी या जूड़ा एक प्रति वर्ष
- (8) ढेंकुआ व नाली वर्ष में एक बार,
- (9) कृषक एवं आदिवासी गुड़ बनाने के लिये झोंक आदि की लकड़ी नाकेदार से फ्री पास प्राप्त करक ला सकेगा।
- (7) मकान बनाने के किलये इमारती लकड़ी निम्नलिखित परिमाण में दी जावेगी:—

डांडा दो सौ नग,

मियाल (जोतड़ा) चार नग

वलेंडी श्रवल्ली, चार नग,

थून (थांवा) दो नग,

थूनी (थांवली), दो नग,

नाथ (जोतरड़ी) चार नग,

चलिया (वटका आठ) नग,

(अ) आदिवासियों को उपरोक्त दर्ज शुदा लकड़ी तीन वर्ष में मुफ्त में अरक्षित व रक्षित दरखतों की दी जा सकेगी। उपरोक्त तादाद से अधिक लेने पर आदिवासी को  $1/8$  महसूल देना होगा।

(ब) कृषकों को उपरोक्त तादाद में दर्ज शुदा लकड़ी अरक्षित दरखतों की मुफ्त दी जावेगी। उपरोक्त तादाद से अधिक लकड़ी अगर चाहे तो अरक्षित दरखतों की अगर कृषक चाहे तो राजस्व पत्र में दर्ज शरह का  $1/8$  से दी जावेगी।

(स) कृषक यदि उपरोक्त तादाद में दर्ज शुदा लकड़ी रक्षित दरखतों की लेना चाहे तो राजस्व पत्र में दर्ज शरह से  $1/4$  से दी जावेगी। चाहे वे लकड़ी उपरोक्त दर्ज शुदा तादाद से अधिक या उससे कम हो।

- (द) मकान बनाने के लिये इमारती लकड़ी रिआयतों कृषक व आदिवासियों को केवल उसी ग्राम में बनाये जाने वाले मकान के लिये प्राप्त होगी जिसमें यह रहता है अथवा जमीन काश्त करता है।
- (य) खेती के औजारों के लिये लाये जाने वाली लकड़ी पर सिवाय उस सूरत के जो उन नियमों के अन्तर्गत हों वर्तमान पाबन्दियों बदसतूर रहेंगी।

पशुपतिनाथ कौल,  
राजस्व सचिव।

डूंगरपुर वन मंडल की वन भूमि की वैधानिक स्थिति

परिशिष्ट-3

क्र. सं.	रेंज	वनखण्ड	जी.टी.शीट संख्या	राजपत्र अधिसूचना				क्षेत्रफल (हेक्टर में)	वनो की वैधानिक स्थिति (रक्षित/आरक्षित/अवर्गीकृत)	अमल दरामद क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सीमा स्तम्भ	
				प्रारम्भिक		अंतिम					प्रस्तावित	अभी तक लगाये गये
				संख्या	दिनांक	संख्या	दिनांक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	डूंगरपुर	छैला खेरवाडा	46-E/9	2(5) राज 8/77	1/5/1977	2(17) वन 2000	6/3/2000	132.296	रक्षित	132.296	54	54
2		बीड रामपुर	46-E/9	6369(बी)	20/7/1950	एफ 2(9) र. क.67	5/9/1965	199.100	आरक्षित	100.616	42	42
3		खैरिया मंगरा	46-E/9	24663 एफ19(134)ए/55	22/12/1955	एफ 2(98) रा.व/65	8/2/1965	24.240	रक्षित	24.240	19	19
4		मंगरा मालन	46-E/9	24663 एफ19(134)ए/55	22/12/1955	एफ 7(180) आर.ए/68	7/9/1968	90.040	रक्षित	18.776	25	25
5		गंगेश्वर महादेव	-	24663 एफ19(134)ए/55	22/12/1955	एफ 7(134) रा.क/67	7/5/1967	11.400	रक्षित	0.064	15	0
6		राताघाटा	46-E/10	24663 एफ19(134)ए/55	22/12/1955	एफ 7(98) रा.क/65	8/2/1965	1336.000	रक्षित	0.896	66	49

7		रानीझूला	46-E/10	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ 7(48) रा.क/65	8/2/1965	4380.568	रक्षित	32.368	178	96
8		रातापानी	46-E/10,E/9	एफ 34(200)रे.प. 143/12/88	2/4/1954	एफ 7(152) रा.क/32	5/12/1962	5155.984	आरक्षित	0.000	130	108
9		करमेला	46-E/14	प. 2 (20) वन/06	8/11/2006	Nil	Nil	50.400	रक्षित	40.480	0	0
10		राजधानी	46-E/9	Nil	Nil	Nil	Nil	818.740	अवर्गीकृत	818.740	0	0
11		गुमानपुरा	-	एफ 2 (83) वन 93	19/8/1993	Nil	Nil	25.744	रक्षित	25.744	0	0
12		बलवाडा	46-E/9	Nil	Nil	Nil	Nil	105.000	अवर्गीकृत	105.000	0	0
13	बिछीवाडा	रतनपुर	46- E/6,9,10	एफ 34(200)रेवेन्यू 43/12188	2/2/1954	एफ 7(77)रा. क/62	3/14/1962	3300.984	आरक्षित	405.968	100	0
14		चुलरवैया	46-E/5,6,9	एफ 34(200)रेवेन्यू 42	2/2/1954	एफ 7(77)रा. क/62	3/14/1962	2560.712	आरक्षित	268.072	82	0
15		करियामंगरा	46-E/9	2369 एच	20/7/1950	एफ 7(9)रा. क/61	1/19/1961	67.600	आरक्षित	51.376	23	23
16		माकरेडा	46-E/5	एफ 34(200)रेवेन्यू 143/12/88	2/2/1954	एफ 7(123)रा. क/61	2/1/1962	951.440	आरक्षित	229.816	34	34
17		पीपललेख	46-E/9,10	एफ 34(200)रेवेन्यू	2/2/1954	एफ 7(123)रा.	4/11/1962	3738.976	आरक्षित	0.000	60	34



				43 / 12 / 88		क / 62						
18		संचियों की माली	46-E/9	24663 एफ19(134)ए / 55	1/5/1955	एफ 7(5)रेवेन्यू 2 / 65	2/5/1965	347.900	रक्षित	256.908	41	0
19		पावा	46-E/5,9	24663 एफ19(134)ए / 55	22/12/1955	एफ 7(98)रा. क / 65	8/2/1965	2152.104	आरक्षित	190.712	94	94
20		पालीसोडा	-	2(5)रा.क 8 / 17	1/5/1977	Nil	Nil	1265.190	रक्षित	1265.190	147	28
21		देवल आमझरा उर्फ साबली	-	4 2(83) वन / 93	19/8/1993 गजट 12-2-94	Nil	Nil	132.000	रक्षित	132.000	0	0
22		कैलाश रेंज	46-E/9	प0 2 (23) वन / 06	8/2/2006	Nil	Nil	46.230	रक्षित	46.230	0	0
23	सागवाडा	कांठल ए	46-I/2	24663 एफ19(134)ए / 55	22/12/1956	7(75)रा.क. / 67	5/17/1967	3321.992	रक्षित	1925.792	78	0
24		कांठल बी	46-I/2	24663 एफ19(134)ए / 55	22/12/1956	7(75)रा.क. / 67	5/17/1967	130.656	रक्षित	0.000	14	14
25		कांठल सी	46-I/2	24663 एफ19(134)ए / 55	22/12/1956	7(75)रा.क. / 67	5/17/1967	45.280	रक्षित	0.000	16	0
26		मेहतों का पाडला ए	46-E/14	24663 एफ19(134)ए /	22/12/1956	1(6)(38)राज. 8 / 74	2/1/1975	113.432	रक्षित	111.736	72	2

				55								
27		मेहतों का पाडला बी	46-E/14	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1956	1(6)(38)राज. 8/74	2/1/1975	104.256	रक्षित	100.016	45	0
28		ओड पाडवा	-	2(36)राज.8/76	1/4/1977	2(25) राज 8/80		259.408	रक्षित	259.408	41	41
29		जोतलेश्वर महादेव	-	2(36)राज.8/76	1/4/1977	2(25) राज 8/80		54.568	रक्षित	54.568	29	29
30		सुन्दरपुर	-	एफ 1(2)वन 89	18/5/1989	2(19) वन 2001	6/3/2002	113.000	रक्षित	0.000	20	20
31		डामरिया गिर्द	46-E/14	24663 एफ19(134)ए/ 55	11/1/1956	एफ 1(6)(11)राज. 8/72	1/23/1969	690.592	रक्षित	0.000	42	42
32		डामरिया दहाला	46-E/14	24663 एफ19(134)ए/ 55	11/1/1956	7(208) सी 56	7/11/1968	724.400	रक्षित	310.024	59	0
33		घाटामाविता	46-E/14,1/2	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1956	7(75)रा.रा. /67	5/7/1967	1220.984	रक्षित	0.000	93	0
34		बोडा मंगरा डामरिया	46-E/14	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	Nil	Nil	287.680	रक्षित	0.000	0	0
35		लिखतिया पंचकुंडी	46-E/14,15	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	2 (16)राज. 8/75	10/1/1975	829.448	रक्षित	73.512	153	0

36	सीमलवाडा	चारवाडा	46-E/10	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ (7) 245 राज./ 67	12/1/1967	2937.104	रक्षित	475.744	160	137
37		गराडा	46-E/10,11	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ (7) 208 राज.के./ 68	7/11/1968	1747.120	रक्षित	54.072	200	26
38		कालिया दरा ए,बी,सी	46-E/10	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ (6)(38) राज.8 / 74	2/1/1975	190.624	रक्षित	190.624	99	99
39		मोदरा महुडी	46-E/14	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ (1)(6)(11) राज./ 52	1/23/1962	977.760	रक्षित	0.000	68	53
40		भादर	46-E/14	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ (208)रा. क / 68	7/11/1968	2175.632	रक्षित	192.368	160	1
41		डूंगरसारण	46-E/14,15	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ 7(208)राज. / 62	1/23/1962	4592.200	रक्षित	0.000	139	40
42		शिशोट ए, बी	46-E/15	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ 1(5)(11)राज. / 62	1/23/1962	1803.592	रक्षित	0.000	435	0
43		माला खोलडा	-	प 2(83)वन/ 93	19/8/1993	Nil	Nil	32.027	रक्षित	32.027	0	0
44	आंतरी	आंतरी	46-E/14	2369 (ई)	20/7/1950	(74)एफ 67	6/20/1977	1807.208	आरक्षित	0.216	143	94
45		मंगरा हिंडोलिया	46-E/14	24663 एफ19(134)ए/	22/12/1955	2(7)राज. 8 / 76	6/1/1976	22.792	रक्षित	22.792	17	14

				55								
46		घटखाना	46-E/14	2369 (5) मक्का	20/7/1959	एफ 7(74)रा. क./67	6/20/1967	559.008	आरक्षित	32.520	73	73
47		घोडचा	46-E/13,14	एफ34(200)रेवेन् यू 43 / 12188	2/2/1954	एफ 7(74)रा. क./67	6/20/1967	1073.152	आरक्षित	424.184	153	0
48		मंगरा विराट	46-E/14	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	2(6)राज. 8/76	6/1/1976	133.232	रक्षित	133.232	46	46
49		भेडमाता	46- E/13,14	एफ34(200)रेवेन् यू 43 / 12188	2/2/1954	एफ 7(74)रा. क./67	4/20/1967	342.512	आरक्षित	73.150	115	0
50		वैयोडा	46-E/13	एफ34(200)रेवेन् यू 43 / 12188	2/2/1954	6(24)राज. 9/74	6/1/1974	1495.096	आरक्षित	1464.792	266	9
51		सत्तामंगरा ए	46-E/13	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	1(6)(38)राज. 8/74	2/1/1975	379.400	रक्षित	9.088	53	3
52		सत्तामंगरा बी	46-E/13	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	1(6)(38)राज. 8/74	2/1/1975	197.824	रक्षित	197.440	24	2
53		आडामाल	46-E/13	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/5/1955	1(6)(8)राज. 8/72	4/21/1973	945.408	रक्षित	33.704	197	20
54		नारामंगरा	46-E/13	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/5/1955	एफ 2(2)राज. 8/79	...../8/79	354.968	रक्षित	354.968	73	3

55	नाल बुचडिया	46-E/14	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	2(12)राज. 8/76	6/1/1976	286.544	रक्षित	285.056	94	70
56	मृगतालाब	46-E/13,14	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	2(12)राज. 8/76	6/1/1976	1282.424	रक्षित	1262.744	338	19
57	पगारा ए	46-E/14	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ 7(75)रा. क./67	5/17/1967	322.088	रक्षित	315.352	166	65
58	पगारा बी	46-E/14	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ 7(75)रा. क./67	5/17/1967	200.464	रक्षित	197.352	84	71
59	मंगरा झेनुआ	46-E/13	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955			287.536	रक्षित	287.536	80	0
60	बीड लालगिरी	46-E/13	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	2(15)राज. 8/77	..... /3/78	128.376	रक्षित	128.376	24	0
61	कुंजैला	46-E/14	2359	8/5/1955	2(14)राज. 8/75	9/1/1975	1972.168	आरक्षित	0.000	118	118
62	पगारा सी	46-E/14	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ 7(75)रा. क./67	5/17/1967	70.520	रक्षित	70.520	28	24
63	पगारा डी	46-E/14	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ 7(75)रा. क./67	5/17/1967	25.696	रक्षित	23.376	14	10

64		फलौज	-	प. 2 (19) वन/2006	4/8/2006	Nil	Nil	150.992	रक्षित	150.992	0	0
65	आसपुर	जसपुर खेरमाल ए	46-E/13,I /1	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	2(31)राज 8/76	11/1/1976	701.688	रक्षित	683.384	264	0
66		जसपुर खेरमाल बी	46-E/13	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	1(6)(38)राज. 74	2/1/1975	200.504	रक्षित	200.504	35	0
67		खेडा सामोर ए	46-E/13,I /1	24663 एफ19(134)ए/ 55	12/22/1955	1(6)138 /राज. 8/69	2/1/1975	285.000	रक्षित	281.512	32	1
68		खेडा सामोर बी	46-I/1	24663 एफ19(134)ए/ 55	12/22/1955	1(6)(38) एफ 74	2/1/1955	147.816	रक्षित	146.488	18	0
69		देवला वागदरी ए	46-E/13	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	1(6)(74)राज. 8/74	6/1/1974	275.952	रक्षित	275.952	74	74
70		गणेशपुर	46-E/13	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	1(6)(30)राज. 8/74	6/1/1974	181.100	रक्षित	84.644	43	43
71		कतिसौर (काबजा)	-	एफ 2(11) राज. 8/83	17/1/1984	2(7) राज. 8/87	1/8/1988	33.312	रक्षित	33.312	32	3
72		देवला वागदरी बी	46-E/13	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	1(6)(30)राज. 8/74	6/1/1974	331.496	रक्षित	293.648	45	0

73		क्यावडी	-	एफ 2(11) राज. 8/83	17/11/1984	2(13) राज. 8/87	11/13/198 7	74.960	रक्षित	74.960	41	2
74		भाटोली की कांठ	-	एफ 2(11) राज. 8/84	17/11/1984	एफ 2(3) वन/89		68.360	रक्षित	68.360	33	3
75		नांदली दाद	46-I/1	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	4(6)(37)राज 8/73	3/18/1974	275.456	रक्षित	239.424	88	2
76		नांदली अहाडा	46-I/1	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ 2(3) राज 8/86	1/4/1977	32.592	रक्षित	32.592	19	0
77		सोनगरा मंगेडिया	46-I/1	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ 1(6)(37)राज. 8/74	3/10/1974	239.184	रक्षित	33.504	58	0
78		लोडावल ए	46-I/1	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ 1(6)(37)राज. 6/73	3/18/1974	165.672	रक्षित	165.656	21	0
79		लोडावल बी	46-I/1	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ 1(6)(37)राज. 6/73	3/18/1974	236.016	रक्षित	235.336	41	0
80		फलिहोर	46-I/5	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ 2(16)राजस्व 8/75	10/1/1975	2185.824	रक्षित	1354.520	216	21
81		रीछा मंगरा	-	2(36) राज. 8/76	1/4/1977	एफ 2(25)राज. 8/80		20.800	रक्षित	20.480	21	21

82		बिलुडा	-	2(36) राज. 8/76	1/4/1977			39.448	रक्षित	37.888	26	0
83		सुलिया बेणका	46-1/5	24663 एफ19(134)ए/ 55	22/12/1955	एफ 2(16)राज. 8/75	10/1/1975	1729.424	रक्षित	348.176	272	20
84		बेडा बेडी	46-1/5	2369	20/7/1950	एफ 2(18)वन 2001	6/3/2002	332.312	आरक्षित	0.000	33	22
85		खेडा सामोर सी	46-1/1	एफ 19(124)राज. 55	12/12/1955	1(6)(38)राज. 8/74	2/1/1975	374.056	रक्षित	373.904	76	2
86		घाणी दूंडा	-	प. 2 (22) वन/2006	29/8/2006			60.000	रक्षित	60.000	0	0
87		भाददा						2.55				
							<b>Total</b>	<b>69275.333</b>		<b>18437.017</b>	<b>6627</b>	<b>1965</b>



## विश्राम ग्रह :-

क्र.स.	नाम	कमरों की संख्या	बिस्तर की संख्या	जिला मुख्यालय से दूरी
1	दोनदी (वन विभाग)	2	4	2 कि.मी.
2	सर्किट हाउस	8	16	0 कि.मी.
3	डाक बंगला डूंगरपुर	5	10	0 कि.मी.
4	डाक बंगला सागवाड़ा	2	4	35 कि.मी.
5	डाक बंगला आसपुर	2	4	40 कि.मी.

## वन मण्डल डूंगरपुर में पदस्थापित उप वन संरक्षकगणों की सूची

क्र.स.	नाम अधिकारी	पद	अवधि
1	श्री गणपत सिंह कोठारी	स.व.स.	17.6.71 से 14.7.72 तक
2	श्री वी.एन. प्रधान	उ.व.स.	15.7.72 से 30.6.74 तक
3	श्री गणपत सिंह कोठारी	स.व.स.	1.7.74 से 22.10.74 तक
4	श्री वाई.एन. चतुर्वेदी	स.व.स.	23.10.74 से 15.12.74 तक
5	श्री गणपत सिंह कोठारी	उ.व.स.	16.12.74 से 31.7.75 तक
6	श्री सर्वजीत सिंह स्याली	उ.व.स.	1.8.75 से 3.9.76 तक
7	श्री सर्वजीत सिंह स्याली	उ.व.स.	4.9.76 से 12.10.79 तक
8	श्री ब्रजलाल मीणा	उ.व.स.	13.10.79 से 10.3.80 तक
9	श्री वी.एस. स्याल	उ.व.स.	11.3.80 से 24.8.80 तक
10	श्री एस.एस.मान	उ.व.स.	25.8.80 से 22.11.81 तक
11	श्री एच.एम. भाटीया	उ.व.स.	23.11.81 से 17.7.82 तक
12	श्री एस.एस.मान	उ.व.स.	17.7.82 से 25.4.84 तक
13	श्री राहुल कुमार	उ.व.स.	7.5.84 से 2.1.86 तक
14	श्री एस.एन. सिंह	उ.व.स.	30.1.86 से 22.7.88 तक
15	श्री सी.एस.रत्नास्वामी	उ.व.स.	27.7.88 से 8.10.90 तक
16	श्री पी.के.मेरकप	उ.व.स.	8.10.90 से 4.2.93 तक
17	श्री ऐ.के.सिंह	उ.व.स.	4.2.93 से 12.7.93 तक
18	श्री वाई.के.दक	उ.व.स.	12.7.93 से 1.7.95 तक

19	श्री ओ.पी. गुप्ता	उ.व.स.	1.7.95 से 3.10.97 तक
20	श्री आर.के.ग्रोवर	उ.व.स.	7.10.97 से 26.2.02 तक
21	श्री के.सी. मीना	उ.व.स.	27.2.02 से 21.3.02 तक
22	श्री वेंकटेश शर्मा	उ.व.स.	22.3.02 से 15.9.04 तक
23	श्री ओ.सी. चन्देल	उ.व.स.	15.9.04 से 30.12.08 तक
24	श्री ए.एस. अग्निहोत्री	स.व.स.	30.12.08 से 16.1.09 तक
25	डा. चन्दाराम मीणा	उ.व.स.	17.1.09 से 23.10.09 तक
26	श्री के.सी सकरवाल	उ.व.स.	23.10.09 से 15.4.11 तक
27	श्री पी.सी. कुमावत	स.व.स.	15.4.11 से 10.5.11 तक
28	श्री राकेश चन्द्र शर्मा	उ.व.स.	11.5.11 से 31.1.2012
29	श्रीमती राजसंदीप	उ.व.स.	1.2.2012 से आजतक

## वन मण्डल डूंगरपुर अधीन भवनों की सूची

क्र. सं.	भवन का नाम	भवन का टाईप	वनमण्डल/रेंज	भवन कहां स्थित है (वनखण्ड का नाम)
1	2	3	4	5
1	उप वन संरक्षक कार्यालय निवास	पक्का	वनमण्डल डूंगरपुर	कार्यालय परिसर
2	कार्यालय उप वन संरक्षक	पक्का	वनमण्डल डूंगरपुर	कार्यालय परिसर
3	बैठक हॉल/सीड स्टोर	पक्का	वनमण्डल डूंगरपुर	कार्यालय परिसर
4	रेंज कार्यालय	पक्का	रेंज बिछीवाडा	गांव बिछीवाडा
5	नाका बिछीवाडा	पक्का	रेंज बिछीवाडा	गांव बिछीवाडा
6	नाका पालीसोडा	पक्का	रेंज बिछीवाडा	पालीसोडा वनखण्ड
7	नाका रतनपुर	पक्का	रेंज बिछीवाडा	गांव रतनपुर
8	नाका मालमाथा	पक्का	रेंज बिछीवाडा	गांव मालमाथा
9	चौकी धामोद	पक्का	रेंज बिछीवाडा	वनखण्ड कंवला पीपल
10	नाका आमझरा	पक्का	रेंज बिछीवाडा	गांव आमझरा
11	क्षेत्रीय निवास	पक्का	रेंज बिछीवाडा	गांव छापी
12	नाका मणीपुर	कच्चा	रेंज बिछीवाडा	वनखण्ड कंवला पीपल
13	छापी चौकी	कच्चा	रेंज बिछीवाडा	गांव छापी
14	रंगेला चौकी	कच्चा	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड रंगेला
15	चौकी वेड	कच्चा	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड वेड
16	चौकी गामडी अहाडा	कच्चा	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड रातापानी
17	चौकी डाकनमारिया	कच्चा	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड डाकनमारिया
18	चौकी मेवाडा	कच्चा	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड मेवाडा
19	गोदाम मेवाडा	कच्चा	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड मेवाडा
20	केटलगार्ड हट वेड	पक्का	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड वेड
21	केटलगार्ड हट गामडी	पक्का	रेंज डूंगरपुर	गांव गामडी

22	सीड स्टोर डूंगरपुर	पक्का	रेंज डूंगरपुर	डूंगरपुर
23	फोरेस्ट नाका डूंगरपुर	पक्का	रेंज डूंगरपुर	डूंगरपुर
24	फोरेस्ट गार्ड चौकी डूंगरपुर	पक्का	रेंज डूंगरपुर	डूंगरपुर
25	पत्ता तेन्दू गोदाम डूंगरपुर	पक्का	रेंज डूंगरपुर	डूंगरपुर
26	केटलगार्ड हट खेरिया मगरा	कच्चा	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड खेरिया मगरा
27	चौकी डाकनमारिया	पक्का	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड डाकनमारिया
28	केटलगार्ड हट रामपुर	कच्चा	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड रामपुर
29	गार्ड चौकी रंगेला	पक्का	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड रंगेला
30	केटलगार्ड हट राजधानी	कच्चा	रेंज डूंगरपुर	गांव गगला
31	केटलगार्ड हट रानीझूला	कच्चा	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड रानीझूला
32	वनपाल भवन डूंगरपुर	पक्का	रेंज डूंगरपुर	डूंगरपुर
33	वनपाल भवन डूंगरपुर	पक्का	रेंज डूंगरपुर	डूंगरपुर
34	केटलगार्ड हट वेड	कच्चा	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड वेड
35	केटलगार्ड हट मेवाडा	कच्चा	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड मेवाडा
36	वनपाल भवन मेवाडा	पक्का	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड मेवाडा
37	रेस्ट हाउस वेड	पक्का	रेंज डूंगरपुर	गांव वेड
38	नर्सरी गेंजी क्वाटर	पक्का	रेंज डूंगरपुर	गांव गेंजी
39	फारकीमाता रेस्ट हाउस	पक्का	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड रातापानी
40	केटलगार्ड हट वेड	कच्चा	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड वेड
41	केटलगार्ड हट वणजोई की नाल	कच्चा	रेंज डूंगरपुर	वनखण्ड वणजोईकीनाल
42	केटलगार्ड हट कोटाणा	कच्चा	रेंज डूंगरपुर	गांव कोटाणा
43	गश्तीदल ऑफिस पातेला	पक्का	रेंज डूंगरपुर	डूंगरपुर
44	वनपाल भवन दो नदी	पक्का	रेंज डूंगरपुर	डूंगरपुर
45	गश्तीदल भवन डूंगरपुर	पक्का	रेंज डूंगरपुर	डूंगरपुर
46	भागगाढ बेरख	पक्का	रेंज डूंगरपुर	गांव भागागढ
47	वॉच टॉवर भागागढ	पक्का	रेंज डूंगरपुर	मेवाडा घाटा डूंगरपुर
48	गश्तीदल बेरिख भवन डूंगरपुर	पक्का	रेंज डूंगरपुर	वन भवन परिसर
49	नाका निठाउवा	पक्का	रेंज आसपुर	गांव निठाउवा
50	नाका निठाउवा	पक्का	रेंज आसपुर	गांव निठाउवा

51	नाल चौकी	पक्का	रेंज आसपुर	वनखण्ड सूलिया बैणका
52	खानन चौकी	पक्का	रेंज आसपुर	वनखण्ड खानन
53	कनोडिया चौकी	कच्चा	रेंज आसपुर	गांव कानोडिया
54	नर्सरी आसपुर	पक्का	रेंज आसपुर	गांव आसपुर
55	नाका आसपुर	पक्का	रेंज आसपुर	गांव आसपुर
56	नाका आसपुर	पक्का	रेंज आसपुर	गांव आसपुर
57	काब्जा चौकी	कच्चा	रेंज आसपुर	गांव काब्जा
58	टोकवासा चौकी	कच्चा	रेंज आसपुर	वनखण्ड खेडासामोर
59	नान्दलीदाद चौकी	कच्चा	रेंज आसपुर	गांव सावरिया
60	जसपुर चौकी	कच्चा	रेंज आसपुर	वनखण्ड जसपुर खैरमाल
61	देवपुर चौकी	पक्का	रेंज आसपुर	वनखण्ड देवपुर
62	सचिव भवन	पक्का	रेंज आसपुर	गांव देवपुर
63	पाटनपुरा चौकी	कच्चा	रेंज आसपुर	वनखण्ड पाटनपुरा
64	गणेशपुर नाका	पक्का	रेंज आसपुर	गांव गणेशपुर
65	रतनपुरा चौकी	कच्चा	रेंज आसपुर	वनखण्ड देवलावागदरी
66	साबला नाका	पक्का	रेंज आसपुर	गांव साबला
67	बेणेश्वर घाटी	पक्का	रेंज आसपुर	गांव बेणेश्वर
68	लोडावल चौकी	कच्चा	रेंज आसपुर	वनखण्ड लोडावल
69	वनपाल नाका डेचा	पक्का	रेंज आंतरी	गांव डेचा
70	केटलगार्ड हट बेडसा	कच्चा	रेंज आंतरी	गांव बेडसा
71	वनपाल नाका रणोली	पक्का	रेंज आंतरी	गांव रणोली
72	केटलगार्ड हट सत्तामगरा	कच्चा	रेंज आंतरी	वनखण्ड सत्तामगरा
73	वनरक्षक चौकी दोवडा	पक्का	रेंज आंतरी	गांव दोवडा
74	केटलगार्ड हट भाटडा	पक्का	रेंज आंतरी	गांव भाटडा
75	केटलगार्ड हट देवली	पक्का	रेंज आंतरी	वनखण्ड नारामगरा
76	वनपाल भवन	पक्का	रेंज आंतरी	गांव आंतरी
77	वनपाल भवन	पक्का	रेंज आंतरी	गांव पाडला मोरु
78	क्षेत्रीय निवास	पक्का	रेंज आंतरी	गांव पाडला मोरु
79	केटलगार्ड हट आंतरी	कच्चा	रेंज आंतरी	गांव सुराता

80	केटलगार्ड हट नालबुचडिया	कच्चा	रेंज आंतरी	वनखण्ड नाल बुचडिया
81	केटलगार्ड हट पगारा	कच्चा	रेंज आंतरी	वनखण्ड पगारा
82	केटलगार्ड हट घटखाना	कच्चा	रेंज आंतरी	वनखण्ड घटखाना
83	वनरक्षक चौकी गोल आम्बा	पक्का	रेंज आंतरी	वनखण्ड भेडमाता
84	वनपाल भवन पुनली	पक्का	रेंज आंतरी	गांव पुनाली
85	केटलगार्ड हट आडामाल	कच्चा	रेंज आंतरी	वनखण्ड आडामाल
86	रेंज कार्यालय	पक्का	रेंज सागवाडा	सुकलवाडा सागवाडा
87	रेस्ट हाउस	पक्का	रेंज सागवाडा	सुकलवाडा सागवाडा
88	कडाना ऑफिस	पक्का	रेंज सागवाडा	आसपुर मोड सागवाडा
89	रेंज ऑफिस व रेजिडेन्स	पक्का	रेंज सागवाडा	आसपुर मोड सागवाडा
90	नाका कांठल	पक्का	रेंज सागवाडा	गांव लिम्बोड बडी
91	नाका घाटाकागांव	पक्का	रेंज सागवाडा	गांव घाटाकागांव
92	वन चौकी अम्बाडा	पक्का	रेंज सागवाडा	गांव अम्बाडा (डामरिया)
93	वन नाका डोला	पक्का	रेंज सागवाडा	गांव डोला
94	वननाका पाडवा	पक्का	रेंज सागवाडा	गांव पाडवा
95	वनपाल भवन चारवाडा	कच्चा	रेंज सीमलवाडा	गांव चारवाडा
96	क्षेत्रीय निवास धम्बोला	पक्का	रेंज सीमलवाडा	गांव धम्बोला
97	वनपाल भवन धम्बोला	पक्का	रेंज सीमलवाडा	गांव धम्बोला
98	वनपाल भवन झरनी	पक्का	रेंज सीमलवाडा	गांव झरनी
99	वनपाल भवन मोदरा महुडी	पक्का	रेंज सीमलवाडा	वनखण्ड मोदरा महुडी
100	वनपाल भवन डूंगरसारण	पक्का	रेंज सीमलवाडा	वनखण्ड डूंगरसारण

## वन क्षेत्रों में करवाए गए गैर वानिकी कार्यों का विवरण

क्र.सं	अनारक्षण प्रकरण का नाम	अनारक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनारक्षण प्रयोजन
1	मेवाडा लघु सिंचाई परियोजना बाई मुख्य नहर (वनखण्ड रातापानी)	0.996	मेवाडा लघु सिंचाई परियोजना (सिंचाई हेतु)
2	माही सागवाड़ा नहर निर्माण (वनखण्ड फलिहोर)	36.64	सिंचाई कार्य हेतु
3	मेसर्स नलवाया मिनरल्स देवपुर। (वनखण्ड फलिहोर)	39.64	देवपुर। माईनिंग कार्य हेतु
4	मेसर्स नलवाया मिनरल्स देवपुर। पंचपुरा (वनखण्ड फलिहोर)	31.39	देवपुर। माईनिंग कार्य हेतु
5	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 खेरवाडा- रतनपुर (वनखण्ड चुलरवेया)	22.83	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 हेतु
6	आर.एस.एम.डी.सी. (वनखण्ड सवामगरा मालवी)	2.29	घानी ढुंढा(खलील) 60 है. माईनिंग कार्य
7	पगारा कलस्टर प्रस्ताव 28 प्रकरण (वनखण्ड पगारा)	30.70	(पगारा कलस्टर हेतु)
8	मेसर्स आर.एस.एम.डी.सी. एम.एल. 4/70 वर्ष 2002(वनखण्ड सता मगरा काहिला।।)	16.44	माईनिंग हेतु
9	मेसर्स आर.एस.एम.डी.सी. एम.एल.	1.774	माईनिंग हेतु




	23/72 वर्ष 2002 (वनखण्ड सता मगरा काहिला।।)		
10	निठाउवा वितरीका खानन म्याला माईन माही परियोजना बांसवाड़ा 2007 (वनखण्ड सुलिया बेणका)	16.835	सिंचाई कार्य हेतु
11	पगारा कलस्टर प्रस्ताव 6.94 है. (6 आवेदन) 2009 वनखण्ड पगारा	6.94	धाणी ढुंढा (खलील) 60 है0
12	भीखाभाई सागवाड़ा नहर (अधिशाली अभियन्ता बांध खण्ड-टी) माही परियोजना बांसवाड़ा वनखण्ड लोड़ावल पार्ट ऐ	2.55	सिंचाई कार्य हेतु

परिशिष्ट:-7

राज्य स्तर पर पुरुस्कृत कर्मचारी/अधिकारी की सूची

क्र.स.	वर्ष	नाम कर्मचारी/अधिकारी	पद	पुरुस्कार
1	2005	श्री नटवर सिंह	वनपाल	सर्वोत्तम वनपालक
2	2006	श्री प्रकाश चन्द्र कुमावत	क्षेत्रीय।	सर्वोत्तम वनपालक
3	2007	श्री मोहम्मद इकबाल	वनरक्षक	सर्वोत्तम वनपालक
4	2011	श्री धुलाराम पंचाल	वनपाल	सर्वोत्तम वनपालक

# MAP SHOWING FOREST BOUNDRIES OF DUNGARPUR FOREST DIVISION



Scale 1 : 2,50,000  
REFERENCE

1	State BOUNDARY	
2	DIVISION BOUNDARY	
3	FOREST RANGE BOUNDARY	
4	FOREST BLOCK WITH LIST NO.	
5	ROADS	
6	RAILWAY LINE	
7	RIVER	
8	DIVISION H.O.	
9	RANGE H.O.	

नोट :- इस मानचित्र का उपयोग सीमा विवाद एवं अन्य वैधानिक प्रयोजन के लिये मान्य नहीं है ।

W + E  
S



Rajsamand

Sirohi

Chittaurgarh

Udaipur

Gujarat

Banswara

DEVAL

GANESHPUR

ASPUR

SABLA

DUNGARPUR

BECHIWARA

DUNGARPUR

SAGWARA

GALIAKOT

PEIT

91

39

12

18







**o`{kkjksi.k cksMkeyh 2003**













o` {kkjksi.k cksMkeyh 2003

































अम्बाडा (बीच का फला)





सुरक्षा समिति -पीथापुर नयातालाब , वनखण्ड - पावा





पी.आर.ए.मीटिंग- न्यू कॉलोनी, डोला





नया तालाब











**jktjks'oj efUnj & Mwaxjiqj**





**nso IkseukFk efUnj**





**ksi lxxj dk fogaxe n`";**